द्वादश माला, खंड 6, अंक 4

गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1998
12 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 4, गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1998/12 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 63	1–60
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 64 से 80	60–88
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920	88–504
सभा पटल पर रखे गए पत्र	504–506
कृषि संबंधी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन	506
सभा के कार्य के बारे में	507
नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए विधेयक लाए जाने की आवश्यकता के बारे में	507–509
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बंद किए जाने तथा वहाँ की समस्याओं के बारे में	509–515
कार्य मंत्रणा समिति	
छठा प्रतिवेदन	529
नियम 377 के अधीन मामले	529–536
(एक) कोयला, लिग्नाइट, मीथेन खनिजों के नियंत्रण और विकास को राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया	529
(दो) उत्तर प्रदेश के खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जहांगीरपुर स्थित चीनी मिल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक प्रधान	530
(तीन) कानपुर स्थित टैनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कपड़ा मिलों के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच किये जाने की आवश्यकता	
श्री जगत वीर सिंह द्रोण	531

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(चार)	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सिविल और ई. एण्ड एम. विभाग के कार्यकरण की जांच किये जाने की आवश्यकता	
	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	531
(पांच)	उड़ीसा में पारादीप पत्तन, हुतिकोला द्वीप समूह, लैम्प हाऊस को समुद्री कटाव से बचाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रंजीब बिस्वाल	532
(छह)	बोध गया मन्दिर अधिनियम, 1949 में बिहार सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	533
(सात)	उड़ीसा राज्य के लिए आवश्यक वस्तुओं का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयन्ती पटनायक	533
(आठ)	खोपरा का समर्थन मूल्य 4000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वी.वी. राघवन	534
(नौ)	पंजाब के ऐसे किसानों, जिनकी फसल बेमौसमी वर्षा के कारण नष्ट हो गई है, को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	534
(दस)	तमिलनाडु में जवातु पहाड़ी क्षेत्र को बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. वेणुगोपाल	534
(ग्यारह)	आयातित चीनी पर शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री बालासाहिब विखे पाटील	535
(बारह)	6 दिसम्बर को डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 42वें वार्षिक महाप्रयाण दिवस के समारोह में अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु "पोलियो" उन्मूलन दिवस, जो इसी दिन आयोजित किया जा रहा है, की तिथि में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामदास आठवले	536
कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		539–545
	श्री काशीराम राणा	539
	श्री वारकला राधाकृष्णन	541
	श्रीमती भावना कर्दम दवे	542
	श्री अजय चक्रवर्ती	543
	श्री तरित वरण तोपदार	544

विषय		कालम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		545–549
(एक)	चिकमगलूर (कर्नाटक) के समीप एक धार्मिक स्थल पर हुआ विवाद	
	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	545–549
(दो)	वर्ष 1999-2000 में विपणन की जाने वाली 1998-99 की रबी की फसल के लिए मूल्य नीति	
	श्री सोमपाल	591
(तीन)	मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के मनमाड-जलगांव सेक्शन पर कुर्ला-हावड़ा एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	
	श्री नीतीश कुमार	595
नियम 193 के अधीन चर्चा		
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि		549
	श्री राजेश पायलट	549
	श्रीमती गीता मुखर्जी	570
	श्री कृष्ण लाल शर्मा	576
	श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	587
	श्री रूपचन्द पाल	597
	श्री पी. चिदम्बरम	602, 615
	श्री यशवन्त सिन्हा	613
	प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	617
	श्री मोहन सिंह	622
	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	629
	श्री शांता कुमार	634
	श्री राजो सिंह	639
	श्री सी. श्रीनिवासन	646
	श्री टी.आर. बालू	647

लोक सभा

गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1998/12 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

*61. श्री अनंत गंगाराम गीते:
श्री मधुकर सरपोतदार:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार विशेष रूप से महाराष्ट्र में तथा पूरे देश में भूतपूर्व सैनिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

30 जून, 1998 तक देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जिला सैनिक बोर्डों में कुल 14,53,013 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे। पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए अलग से/विशेष रूप से कोई बजट आबंटित नहीं किया जाता है।

तथापि भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को तीन स्व-रोजगार योजनाओं (सेमफेक्स) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता की राशि अनुबंध-III में दी गई है।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों पर लागू होती हैं। ये पुनर्वास योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(1) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों और महाराष्ट्र सरकार में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों का आरक्षण

	आरक्षण का प्रतिशत
केन्द्र सरकार	
समूह "ग" के पद	10%
समूह "घ" के पद	20%
अर्ध-सैन्य बलों में सहायक कमांडेंट	10%
रक्षा सुरक्षा कोर	100%
केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक	
समूह "ग" के पद	14.5%
समूह "घ" के पद	24.5%
महाराष्ट्र सरकार	
समूह "ग" के पद	15%
समूह "घ" के पद	15%

(2) भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली अन्य रियायतें:

(क) *पुनर्नियोजन:* भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में रोजगार के लिए आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी जाती है।

सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों की नियोज्यता बढ़ाने और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद स्व-रोजगार योजनाएं शुरू करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

(ख) स्व-रोजगार

(1) भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए सेमफेक्स-I, II तथा III योजनाओं के अंतर्गत ऋण सुविधाएं दी जाती हैं।

(2) मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों, युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं आदि को आबंटित किए जाने के लिए आठ प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियां आरक्षित रखी जाती हैं।

अनुबंध I

30.6.98 तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

क्रम संख्या	जिला सैनिक बोर्ड	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	54,995
2.	अरुणाचल प्रदेश	204
3.	असम	14,969
4.	बिहार	54,456
5.	गोआ	1,443
6.	गुजरात	11,402
7.	हिमाचल प्रदेश	73,981
8.	हरियाणा	1,46,155
9.	जम्मू व कश्मीर	45,479
10.	कर्नाटक	42,712
11.	केरल	1,21,965
12.	मध्य प्रदेश	26,845
13.	महाराष्ट्र	1,30,397
14.	मणिपुर	3,337
15.	मेघालय	1,705
16.	मिजोरम	3,930
17.	नागालैंड	1,976
18.	उड़ीसा	14,148
19.	पंजाब	1,80,539
20.	राजस्थान	94,460
21.	सिक्किम	1,095
22.	तमिलनाडु	99,746

1	2	3
23.	त्रिपुरा	1,528
24.	उत्तर प्रदेश	2,53,644
25.	पश्चिम बंगाल	34,497
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह	425
27.	चंडीगढ़	5,291
28.	दिल्ली	28,501
29.	पांडिचेरी	1,188
		14,53,013

अनुबंध II

30.6.98 तक महाराष्ट्र के विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

क्रम संख्या	जिला सैनिक बोर्ड	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	5244
2.	अकोला	1742
3.	अमरावती	2440
4.	औरंगाबाद	2057
5.	बीड	1808
6.	भंडारा*	683
7.	बुलढाना	3116
8.	चंद्रपुर	952
9.	धुले	995
10.	गढ़चिरोली*	72
11.	जलगांव	2126
12.	जालना	644
13.	कोल्हापुर	8068
14.	लातूर	1731
15.	मुंबई शहर	17043
16.	मुंबई उपनगर	2468
17.	नागपुर	4311
18.	नांदेड़	550
19.	नासिक	3739

1	2	3
20.	ओसमानाबाद	2369
21.	परभनी*	665
22.	पुणे	12240
23.	रायगढ़ (अलीबाग)	3145
24.	रतनागिरी	4298
25.	सांगली	13519
26.	सतारा	16918
27.	शोलापुर	4816
28.	सिंधुदुर्ग	3440
29.	थाणे	7128
30.	वर्धा	1342
31.	यवतमाल	728
		130397

*इन जिलों में जिला सैनिक बोर्ड नहीं हैं। यहां जिला सैनिक बोर्ड का कामकाज संबंधित कलेक्टोरेटों द्वारा देखा जाता है।

अनुबंध III

सेमफेक्स योजनाओं के तहत भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए ऋण/वित्तीय सहायता

राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

	1995-96	1996-97	1997-98
	1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	–	–	–
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	0.50	1.18	–
सेमफेक्स-3	–	0.12	–

	1	2	3
2. अरुणाचल प्रदेश			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
3. असम			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	1.11	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
4. बिहार			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	0.25	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
5. गोआ			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
6. गुजरात			
सेमफेक्स-1	–	–	–

	1	2	3
सेमफेक्स-2	2.20	–	–
सेमफेक्स-3	0.44	0.83	–
7. हिमाचल प्रदेश			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	6.50	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
8. हरियाणा			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	37.72	47.80	16.36
सेमफेक्स-3	–	–	–
9. जम्मू-कश्मीर			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	1.35	0.20	–
सेमफेक्स-3	2.47	4.35	–
10. कर्नाटक			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सैमफेक्स-2	20.19	11.56	1.50
सेमफेक्स-3	4.85	–	–

	1	2	3
11. केरल			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	1.25	–	–
सेमफेक्स-3	2.16	–	–
12. मध्य प्रदेश			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	3.05	0.82	1.00
सेमफेक्स-3	0.18	–	–
13. महाराष्ट्र			
सेमफेक्स-1	0.39	0.26	0.33
सेमफेक्स-2	45.20	56.32	20.04
सेमफेक्स-3	1.40	82.89	2.04
14. मणिपुर			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	2.60	–	25.33

	1	2	3
15. मेघालय			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	0.25	0.41
सेमफेक्स-3	0.34	0.08	–
16. मिजोरम			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	6.57	3.82	2.30
सेमफेक्स-3	–	–	–
17. नागालैंड			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
18. उड़ीसा			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–

	1	2	3
19. पंजाब			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
20. राजस्थान			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	10.91	9.53	47.73
सेमफेक्स-3	2.64	7.50	–
21. सिक्किम			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
22. तमिलनाडु			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	40.92	11.23	8.38
सेमफेक्स-3	–	–	–

	1	2	3
23. त्रिपुरा			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	0.53	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
24. उत्तर प्रदेश			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	177.89	48.49	73.32
सेमफेक्स-3	15.86	3.99	5.50
25. पश्चिम बंगाल			
मफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	0.18	1.12	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
26. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–

	1	2	3
27. चण्डीगढ़			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
28. दिल्ली			
सेमफेक्स-1	1.0	0.50	0.50
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–
29. पाण्डिचेरी			
सेमफेक्स-1	–	–	–
सेमफेक्स-2	–	–	–
सेमफेक्स-3	–	–	–

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें कहा गया है कि करीबन 14 लाख 53 हजार भूतपूर्व सैनिक हैं। मैंने प्रश्न 'ख' में पूछा था कि गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई जिसके उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए अलग से या विशेष रूप से कोई बजट आवंटित नहीं किया है। जो 14 लाख 53 हजार भूतपूर्व सैनिक हैं, वह बहुत बड़ी संख्या है। ये सैनिक सीमा की सुरक्षा के लिए शत्रु से लड़ते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं और कई बार जख्मी होकर घायल हो जाते हैं, अपंग भी हो जाते हैं। मुझे उत्तर पढ़कर आश्चर्य हुआ कि 14 लाख के करीब भूतपूर्व सैनिक हैं परन्तु न तो उनके पुनर्वास की कोई योजना सरकार ने बनायी और न ही उनके पुनर्वास के लिए कोई धनराशि आवंटित की। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करते हैं और उनकी वजह से हम घर में अच्छी नींद लेते हैं, क्या उन भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भारत सरकार मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित करना चाहती है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, उनका खुलासा करना जरूरी है। भूतपूर्व सैनिकों के रिहैबिलिटेशन और रिसैटलमेंट की केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। यह बात सही नहीं है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न था कि क्या उनके लिए अलग बजट में प्रावधान किया है या नहीं? बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान नहीं होता। उनके कल्याण के लिए जो काम होता है, वह अनेक स्तरों पर होता है। उनकी जानकारी लिखित तौर पर देना ज्यादा अच्छा होगा लेकिन प्रश्न जिस रूप में आया है, मैं उसे खुलासेवार रखना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जैसा माननीय सदस्य ने उत्तर की ओर इशारा करते हुए कहा है कि 14 लाख से भी अधिक भूतपूर्व सैनिक हैं। वे अलग-अलग उम्र व काबलियत के लोग हैं तथा उम्र और काबलियत के आधार पर उन्हें अन्य रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास चलते हैं। उसके लिए कई कार्यक्रम भी अपनाये गये हैं। सबसे पहली बात यह है कि सेना से बाहर आने के पहले ही, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अवकाश प्राप्त करके बाहर आने के पहले उनकी काबलियत को मद्देनजर रखकर उन्हें प्रशिक्षण देने का सिलसिला अब शुरू किया है। उसके बाद उन्हें रोजगार में कहीं भी भर्ती कराने का कार्य शुरू होता है। सबसे पहले उन्हें सरकारी रोजगार में आरक्षण है। आरक्षण शब्द का यूं तो जो सामान्य अर्थ संवैधानिक तौर पर है, वह संवैधानिक तौर पर नहीं लेकिन उन्हें सारे सरकारी रोजगारों में जो ग्रुप-सी रोजगार है, उसमें 10 प्रतिशत, ग्रुप-डी रोजगार में 20 प्रतिशत आरक्षण है। फिर जो केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनमें ग्रुप-सी में 14.5 प्रतिशत, ग्रुप-डी में 24.5 प्रतिशत, सारी पोस्ट्स में उन्हें आरक्षण है। फिर पैरा-मिलिट्री में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट्स हैं, उसमें 10 प्रतिशत आरक्षण उनके लिये है। उसके पश्चात् रक्षा विभाग में डिफेंस सिक्यूरिटी कोर होता है और रक्षा मंत्रालय और रक्षा विभाग से संबंधित जो कार्यालय आदि-आदि संस्थान हैं, उनकी सुरक्षा उनके हाथों में है। उसमें सेना की तनख्वाहें आदि उसी आधार पर हैं और उस क्षेत्र में यानी डिफेंस सिक्यूरिटी कोर में शतप्रतिशत रोजगार एक्स-सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने ढंग से रोजगारों का आरक्षण इन एक्स-सर्विसमैन के लिए किया हुआ है हालांकि हर प्रदेश में इस संबंध में कोई एकरूपता नहीं है।

अध्यक्ष जी, सैल्फ-एम्प्लायमेंट की बात आती है। कई ऐसी योजनायें हैं जिनमें भूतपूर्व सैनिकों को खुद का रोजगार या अपनी आजीविका का साधन बनाने के लिए पूरे तौर पर मदद की जाती है। इसके अलावा जो सिक्युरिटी एजेंसीज हैं, जिसमें हमारे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रीहैबिलिटेशन है, के जरिये भरपूर मदद दी जाती है, जिससे उन्हें सिक्यूरिटी एजेंसीस के निर्माण करने में मदद मिलती है। आज ऐसी 400 संस्थायें हैं जो देश में 1100 जगहों पर सिक्यूरिटी का काम करती हैं। इसमें कई हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इन सारे कामों को करने के लिए हमारा मंत्रालय, उसका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिहैबिलिटेशन और राज्य सरकारें साथ मिलकर काम करती हैं। हर प्रदेश में, हर जिले में सैनिक बोर्ड हैं। उन लोगों पर यह दायित्व है। यह सारा काम जिस रफ्तार से चलना चाहिए, भले ही उस रफ्तार से चलाने में मुश्किलात आती हों क्योंकि जहां रोजगार होंगे वहां भर्ती करना संभव है लेकिन जो भी उसमें संभव है, वह कार्य किया जा रहा है। इसलिए माननीय सदस्य के मन में जिस भय का निर्माण हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों के साथ बिलकुल लापरवाही की जा रही है, वह निराधार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत गंगाराम गीते, आप संक्षेप में अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए जो आरक्षण की जानकारी दी है उसके भाग 'ग' में 10 प्रतिशत है, भाग-'घ' में 20 प्रतिशत आरक्षण बताया है। केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उपक्रम और बैंक्स हैं, उन सब में ग्रुप-'ग' में 14.5 प्रतिशत है और ग्रुप-'घ' में 24.5 प्रतिशत आरक्षण है। महाराष्ट्र सरकार के 'ग' भाग में 15 प्रतिशत और 'घ' भाग में भी 15 प्रतिशत है। ये सब आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तौर पर आरक्षण घोषित किया गया है, उस आरक्षण के मुताबिक भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी मिलती है या नहीं, क्या इसकी जांच आपके मंत्रालय ने कभी की है? यदि नहीं की है तो क्या अब करने की कोशिश करेंगे?

मैं कहना चाहता हूं कि काफी सुविधाएं भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती हैं, लेकिन उनकी जानकारी सैनिकों तक नहीं पहुंचती है। जो सामान्य जवान है, उसे इसकी जानकारी नहीं होती। उनके पुनर्वास के लिए जो-जो योजनायें रक्षा मंत्रालय ने बनाई हैं, क्या उसकी समग्र जानकारी देने वाली कोई पुस्तिका रक्षा मंत्रालय प्रकाशित करना चाहता है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: यह बात सही नहीं है कि इसकी जानकारी भूतपूर्व सैनिकों को नहीं है क्योंकि जब सैनिक रिटायर

होकर बाहर आता है तो वह रोजगार के लिए अपना नाम केन्द्रीय निदेशालय में और अन्य स्थानों पर दर्ज करवाता है।

दूसरी बात यह है कि राज्य तथा जिला स्तर की जो संस्थाएं हैं, वे इसकी जिम्मेदारी लेकर अपने ढंग से काम करती हैं और मंत्रालय की ओर से इसमें जो भी पहल होनी चाहिए वह होती है। अब प्रश्न आया कि जो आरक्षित रोजगार हैं, इसके बारे में क्या हम लोग कुछ निगरानी रख रहे हैं? जी हां, निगरानी रखी जाती है और केन्द्र सरकार की जहां तक आरक्षण की बात है, उसमें मैं आपको पिछले साल का आकड़ा दूं तो 58 प्रतिशत ग्रुप 'डी' के रोजगार में लोग पहुंच गए और ग्रुप 'सी' में पिछले साल 56.60 प्रतिशत तक रोजगार में भर्तियां की गईं। इसलिए इस पर निगरानी रखी जा रही है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी होने पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन एक दिक्कत है और वह यह है कि जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज केन्द्र सरकार के हैं, जिनमें कुछ साल पहले एक सरकारी आदेश गया था कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनाई गई जो सुरक्षा एजेन्सीज हैं ऐसी एजेन्सीज को वहां पर सुरक्षा के काम में लगाना चाहिए। अब लगभग एक साल पहले पिछले साल के नवंबर-दिसम्बर महीने में इस आदेश को खत्म कर दिया गया और खत्म इस आधार पर किया गया कि अब मुक्त बाजार है और मुक्त बाजार में इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर उसे दूर किया गया लेकिन उसे मिटाकर हम इस प्रयास में लगे हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज से संबंधित सभी विभागों से बातचीत जारी है कि भूतपूर्व सैनिकों को जो सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी, उसमें उनको फिर से लगाया जाए।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय रक्षा मंत्री द्वारा दिये गये ब्यौरों का अध्ययन किया है। यदि आप उनके उत्तर के तीसरे कालम को देखें तो इसमें राज्यवार ऋण वितरण के आंकड़े दिए गए हैं। यदि आप 1997-98 के आंकड़ों को देखें तो आप देख सकते हैं कि इन सभी लोगों को दी गई राशि बहुत ही मामूली है। इसका तात्पर्य यह है कि यह सरकार इन सभी भूतपूर्व सैनिकों की भलाई की देखभाल करने में गम्भीर नहीं है। जहां कहीं भी हम जाते हैं हमें भूतपूर्व सैनिकों की उनके प्रतिनियुक्ति आदि के संबंध में याचिकाएं और शिकायतें मिलती हैं। अत: मेरा सरकार से प्रश्न है कि क्या सरकार सभी भूतपूर्व सैनिकों के हितों की देखभाल के प्रति वास्तव में गम्भीर है? यदि हां तो भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की नौकरियों का प्रतिशत क्या है? क्या ये सम्माननीय सैनिक जब कभी यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें विमान, रेल और बस सेवाओं में टिकटों के आरक्षण में संबंधित सरकारों से कोई सुविधा मिल रही है?

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो आंकड़े बताये हैं वे सैल्फ इम्पलायमेंट स्कीम को लेकर हैं। इसलिए जहां तक सैल्फ इम्पलायमेंट का मामला है, हम इसमें तीन किस्म की स्कीम्स तैयार रखते हैं। लेकिन जहां वे आयेंगे, उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, तभी तो उसमें डिस्बर्समेंट वगैरह की बात आयेगी, इसलिए उससे किसी निष्कर्ष पर आना संभव नहीं है।

जहां तक रोजगार का सवाल है कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, मैं इस समय आपको आंकड़े नहीं दे पाऊंगा, चूंकि अलग-अलग प्रदेशों में यह सारा काम होता है। केन्द्र सरकार के विभागों में जितने लोगों को काम मिला है, वे आंकड़े हमारे पास हैं। लेकिन समूचे देश के पैमाने पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या बैंक्स में तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जो रोजगार दिया गया है, उसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। जहां तक कहा गया कि उनके साथ अपमान का व्यवहार होता है, इस बात में दम है और अनेक स्तरों पर भूतपूर्व सैनिकों के साथ ही नहीं बल्कि जो आज काम करने वाले सैनिक हैं, जो तैनात सैनिक हैं, उनके साथ भी अपमान का व्यवहार होता है। आपने अभी रेलवे की बात की, उसमें भी उनकी शिकायतें हैं। अभी एक जांच की गई उसमें सेना के बहुत से लोगों ने हमें बताया कि हमें रिजर्वेशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह शिकायत दूर करने के लिए कई कदम हमने उठाये हैं। लेकिन इसके साथ ही वे यह शिकायत भी करते हैं कि प्लेटफार्म या अन्य स्थानों पर हम लोगों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है जैसे वे हमें लोगों से दूर रखना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग हैं जो ऐसी मौखिक बातें करते हैं। लेकिन इसमें मंत्रालय की कुछ सीमाएं हैं। समूचे देश में सेना के जो जवान हैं और सेना की सेवा करके बाहर आये हुए भूतपूर्व जवान हैं, उनकी इज्जत करना हमें सीखना जरूरी है और यह प्रयास आप और हम सबको करना होगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश पायलट।

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल उन्हीं सदस्यों को बुला रहा हूं जो सेनाओं से सम्बद्ध रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं एक सैनिक हूं और सैनिक होने के नाते मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश पायलट के बाद मैं आपका नाम पुकारूंगा। आपका नाम मेरे पास है।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, मुझे आज अचम्भा हो रहा है कि उन बैन्चेज में कुछ ऐसा असर है कि जो वहां बैठ जाता है, वह वही भाषा बोलने लगता है। जब जॉर्ज साहब यहां से एक्स-सर्विसमेन के बारे में बोलते थे तो उनकी फायरी स्पीच होती थी। श्री मदन लाल खुराना बैठते ही नहीं थे, हमेशा खड़े रहते थे, वहां जाते ही बैठ जाते हैं, यह असर उन बैन्चेज का है। ...*(व्यवधान)* हम खड़े हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है और जो आंकड़े दिये हैं, मैं उन बातों से सहमत हूं कि सरकार ने पिछले 8-10 सालों में एक्स-सर्विसमैन को रीसैटल करने की जरूर कोशिश की है। लेकिन मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि एक हाई पावर्ड कमेटी 1980-82 के बीच में बनी थी, जब इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं। उस कमेटी ने लगभग 50-60 रिकमेंडेशंस दी थी, जिनमें से कुछ मंजूर हो गई, कुछ बाकी पड़ी रहीं। फिर उनमें से कुछ मंजूर हुई और कुछ बाकी पड़ी रहीं। हमने एक सुझाव दिया था कि जो लोग इन्फैन्ट्री से रिटायर होते हैं, वे 30-32 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनका भविष्य कुछ नहीं होता। हम चाहते थे कि पैरा मिलिट्री फोर्सेज में कुछ ऐसी परसेंटेज हम रिजर्व कर दें कि जिससे इन्फैन्ट्री से वे सीधे पैरा मिलिट्री फोर्स में 15 या 20 प्रतिशत आ जाएं। उससे केन्द्र सरकार का ट्रेनिंग का पैसा भी बच जाएगा और उनको कैरियर भी सेफ मिल जाएगा। इस बारे में सरकार का क्या विचार है?

दूसरा मेरा प्रश्न कुछ पब्लिक सैक्टर्स या अन्य स्थानों पर रिजर्वेशन के बारे में है कि जैसे एस.सी., एस.टी. और दूसरे सैक्शन ऑफ सोसायटी के लिए हम रिजर्वेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्या सरकार का विचार है कि एक्स-सर्विसमैन के आरक्षण को भी हम कैरी फारवर्ड करें, चूंकि हम पब्लिक सैक्टर्स में जहां जाते हैं, वहां कहते हैं कि एक साल तक आदमी नहीं मिला, उसके बाद वह आरक्षण मिट जाता है, इसलिए परसेंटेज लो चली जाती है। इस पर सरकार क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सवाल यह है कि श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने 1989 में इंडिया गेट पर स्थित अमर ज्योति पर वायदा किया था कि यदि हमारी सरकार आयेगी तो 'वन रैंक वन पेंशन' हो जायेगी। आपने थोड़े प्रयास किये, लेकिन आपने पूरे प्रयास नहीं किये। भगवान ने अब आपको रक्षा मंत्री बनाया है, उस समय आप डिफेंस में नहीं थे, क्या अब आप 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू कर पाओगे?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: हाई पावर्ड कमेटी के अनेक फैसलों में से एक फैसले का आपने उल्लेख किया। यूं तो आज के दिन पैरा मिलिट्री में भर्ती करने के लिए इंतजाम हैं, लेकिन उसका रिस्पौंस कुछ अच्छा नहीं है।

जैसा आपने कहा कि 35 साल में जो व्यक्ति सेना से निकलता है, उसे दोबारा उसी कार्य में जाने में, सेना से पैरामिलिट्री में आने में कुछ हिचक होती है। पता नहीं यह अनुभव है, हम लोगों से बातचीत करते अनेक स्तर पर इंटरएक्ट होकर आपसे कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: आप उसमें वरिष्ठता नहीं दे रहे हैं। इसलिए वे दुविधा में है। यदि वरिष्ठता जारी रहती है तो वे आने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: कुछ समस्याएं हैं। चूंकि पैरामिलिट्री के जो रिक्रूट हुए लोग हैं, उनका विवाद वहां पर आ जाता है। इस तरह की भी कुछ दिक्कतें हैं। इससे बढ़कर हमने जो अनुभव किया है, वह यह है कि जवान तैयार नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि अभी तो मैं 15-17 साल सर्विस करके आया हूं, मुझे फिर उसी लाइन में नहीं जाना है। वह चाहता है कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं और उसे कहीं नजदीक ही रोजगार मिले। इस तरह की उनके मन में तमन्ना होती है लेकिन वह स्थान उसके लिए खाली है। वह उसमें शामिल हो सकता है।

आपने अभी 'वन रैंक वन पैंशन' की बात कही। यह बात सही है कि इसके लिए हमने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार बात कही थी। कई राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी राय भी व्यक्त की थी। वन रैंक वन पैंशन करने के लिए हमारा कैबिनेट नोट तैयार है। वह कुछ ही दिनों में कैबिनेट के सामने आ जायेगा। तीसरा, आपने कैरीओवर की बात कही। वह बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री दादा बाबूराव परांजपे: अध्यक्ष जी, यहां पर भूतपूर्व सैनिकों की चर्चा हो रही है। सैनिक प्रमुख रूप से दो प्रकार के हैं लेकिन चर्चा केवल एक ही प्रकार के लोगों की यहां पर होती है। दूसरा प्रकार मुझ जैसा है। मैं एक आजाद हिन्द फौज का सैनिक हूं। 1944 में बर्मा में मुझे पैर में गोली लगी थी। मैंने लिखित में दिया था कि मैंने जो कुछ किया है, वह मातृभूमि के प्रति मेरा कर्तव्य था इसलिए मैंने कभी 10 एकड़ जमीन और पेंशन नहीं मांगी। मैं इस सदन में चौथी बार चुनकर आया हूं। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसे लोगों का सम्मान होता है, मुझे सम्मान नहीं चाहिए परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी श्रेणी के भी बहुत से लोग इस देश के अंदर हैं। क्या उनका कोई आंकड़ा आपने मंगाया है? यदि नहीं तो कब मंगायेंगे? मैं 77 साल का हूं। मेरे साथ वाले साल, दो साल में मर जायेंगे। इस प्रकार के सैनिकों की जो श्रेणी जिन्दा है जिन्होंने नेता जी के कहने पर अपना खून बहाया है लेकिन उनकी इज्जत नहीं हो रही है, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, उन्होंने अपनी परेशानी को व्यक्त किया है। मैं इसका क्या उत्तर दूं। उनकी परेशानी के साथ हमारा भी दिल जुड़ा हुआ है लेकिन इससे आगे वह क्या अपेक्षा रखते हैं, यह हम समझ नहीं पाये।

श्री दादा बाबूराव परांजपे: मैंने सिर्फ इतना कहा कि उनका सम्मान किया जाता है लेकिन सम्मान करने वाली कोई बात मैंने इतने दरम्यान में नहीं सुनी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए अनेक योजनायें बताई हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की जो योजनायें हैं, उन पर अमल होने से पहले ही यदि किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अगर किसी सैनिक की इन योजनाओं के अमल होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के लिए आपके पास क्या योजना है। और आप उनके लिए क्या प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जो योजनायें भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, अगर किसी भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो वे योजनायें पूरे तौर पर उसकी पत्नी या जो उसका वारिसदार है, उनके लिए लागू होती है।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी: महोदय, हमारे देश में प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले भूतपूर्व सैनिक लगभग 60,000 हैं जिसमें से लगभग 12.5 लाख भूतपूर्व सैनिक केन्द्रीय सैनिक बोर्डों में पंजीकृत हैं। इन केन्द्रीय सैनिक बोर्डों की स्थापना 1917 में ब्रिटिश राज के दौरान की गई थी।

ये कोई सार्थक निगरानी नहीं कर पाए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए माननीय मंत्री जी कई योजनाएं लाए हैं लेकिन ज्यादातर योजनाएं केवल कागज पर ही हैं। मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि सेना मुख्यालय और वायु सेना मुख्यालय ने अलग मंत्रालय बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने मंत्रालय से इन्हें अलग नहीं कर पाएंगे लेकिन उन्हें कम से कम एक समर्पित विभाग तो उन्हें मिलना ही चाहिए जिसे केवल इस मामले की समस्याओं की निगरानी करनी चाहिए। यह प्रस्ताव आपके पास है।

केन्द्रीय सैनिक बोर्डों को 1917 में बनाया गया था। कोई उनकी बात नहीं सुनता। उनके पास निगरानी का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप उन्हें कुछ सांविधिक अथवा इस प्रकार का कोई अधिकार प्रदान करेंगे ताकि वह आपके द्वारा लाई गई योजनाओं का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन कर सके?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, इसमें संख्या की बात है। आपने 12 लाख सैनिकों का जिक्र किया, असल में आज के दिन अलग-अलग जिला स्तर पर सैनिक बोर्ड के साथ जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी संख्या 14,53,013 है। इसके अलावा जिनको हम वार विडोज मानते हैं यानि जो जवान मर गया तो उसकी पत्नी अथवा जिस सैनिक का रिटायर होने के बाद देहान्त हो गया, जिसका अभी यहां पर आपने प्रश्न छेड़ा, वे भी जिला सैनिक बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनकी संख्या 2,74,632 है। यह आंकड़ा जून 1998 तक का है। इस समय कुल मिलाकर 17,27,645 लोगों का रजिस्ट्रेशन है।

सारे कार्यों के बारे में माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, यह सही है कि जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड के ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों का जिस रूप में अमल होना चाहिए, वह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैंने कुछ महीने पहले सारे मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा और सारी परेशानियों का एक-एक मुद्दे का उल्लेख कर उनसे प्रार्थना की कि भूतपूर्व जवान जो तकलीफ महसूस कर रहा है, उसे दूर करने के

लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। एक राज्य के मुख्य मंत्री ने हमको कुछ उत्तर भेजा है, जिसमें उन्होंने एक-आध मुद्दे पर राहत देने का वचन दिया है, परन्तु किसी और मुख्य मंत्री ने, आपका पत्र मिला, उसका ऐक्नौलेजमेंट भेजने के सिवाए हमारे पत्र का उत्तर नहीं दिया। मेरे ख्याल से अभी उसे करीब चार महीने हो रहे हैं। इसलिए परेशानियां हैं। फिर नियम है कि सैनिक बोर्ड का जिला स्तर पर जो अध्यक्ष हो, वह भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हो। लेकिन ज्यादातर हम देख रहे हैं कि वहां सैनिक अधिकारी नहीं हैं। यह किसी राजनैतिक व्यक्ति को उस जगह पर बैठाने का एक माध्यम बना है और कोई काम उससे नहीं हो रहा है क्योंकि जवान और उनका कोई रिश्ता नहीं बन पाता है और न ही उन्हें उन चीजों में कोई दिलचस्पी होती है क्योंकि वह आदमी उस अनुभव से गुजरा हुआ नहीं है। इसलिए दिक्कतें हैं। राज्य सरकारों के सहयोग के बिना यह काम आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड को चलाने के लिए जो कुल खर्च होता है, उसमें से आधी रकम रक्षा मंत्रालय देता है। मगर अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। यदि उसमें सभी सदस्यों का सहयोग मिले तो मुझे विश्वास है कि आज जो परेशानियां हम महसूस कर रहे हैं, उन्हें दूर करने में कुछ आसानी होगी।

कर्नल सोनाराम चौधरी: आप खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत मजबूर हूं, कोई मुख्यमंत्री लिख नहीं रहा है।

[अनुवाद]

इस उद्देश्य हेतु आप संविधान में संशोधन करने विधेयक क्यों नहीं लाते? *...(व्यवधान)* महोदय, यह संतोषजनक उत्तर नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: यह प्रश्न इसके बारे में नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अगर रक्षा मंत्रालय की ओर से इसमें कदम बढ़ाने की कोई इजाजत होती या मार्ग होता तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन केन्द्रीय बोर्ड के अधिकार बहुत सीमित हैं, वह केवल निगरानी रखने वाले हैं। कार्य करने की जो बात है, वह राज्य सरकारों को अपने स्तर पर करना है।

श्री राजेश चायलट: हमें आपसे उम्मीद है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: लेकिन आपकी हमसे जो उम्मीद है, उसे नियमों के बाहर करना मेरे लिए संभव नहीं है। *...(व्यवधान)* यदि आपकी अनुमति हो तो हम नियमों में बदल करके आपके सामने आ जाएंगे। *...(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य: वही हम चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश चायलट: हम सभी आपका समर्थन करेंगे *...(व्यवधान)*

कर्नल सोनाराम चौधरी: हम सभी आपका समर्थन करेंगे *...(व्यवधान)* पूरा सदन आपका समर्थन कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: ठीक है, मैं नियमों में बदल करके आपके सामने आऊँगा।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी: पूरा सदन आपका समर्थन कर रहा है।

श्री मोहसिना किदवई: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या भारत सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करने के लिए राज्य सरकारों को कोई अनुदेश दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, शिक्षण संस्थाओं में जो क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं, शायद उसको मद्देनजर रखकर यह बात सामने न आई हो और इसलिए अभी तक ऐसा कोई भी आदेश शिक्षण संस्थाओं के बारे में किसी प्रकार का नहीं गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों की सुरक्षा के संबंध में मसौदा कानून

*62. **श्री इला गेवे:** क्या भारसाधक विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों की सुरक्षा के संबंध में कोई मसौदा कानून तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व के विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबंध संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विमानपत्तनों की सुरक्षा संबंधी प्रस्तावित कानून को कब तक संसद के समक्ष लाए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क), (ख) और (ङ) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) विश्व में विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबन्धों का निरीक्षण कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जाता है।

(घ) पिछले चार वर्षों के दौरान, टोकियो, हांग-कांग, ओसाका, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, जनेवा, रोम, काठमांडु, न्यूयार्क, सिंगापुर, कुआलालम्पुर और तेल अवीव विमानपत्तनों का निरीक्षण किया गया है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चार वर्षों के दौरान टोकियो, हांगकांग, ओसाका, पेरिस, हीथ्रो, जिनेवा, रोम, काठमाण्डू, न्यूयार्क, सिंगापुर, कोलम्बो में जिन विमान तलों का आपने निरीक्षण किया है तो दूसरे देशों में और हमारे देश के विमान तलों में क्या फर्क है? वहां के विमान तल का संरक्षण कैसे होता है और हमारे देश में कैसे होता है? हमने देखा है कि हमारे देश में ऐसे विमान तल भी हैं कि जहां हवाई पट्टी में भैंसें बैठी रहती हैं, बहुत बार नागपुर में हमने ऐसा देखा है। विमान तल संरक्षण की दृष्टि से हमारे देश में और इन देशों में क्या फर्क है, इसके बारे में मंत्री महोदय बतायें?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: नागर विमानन आयुक्त, सुरक्षा ब्यूरो ने पिछले चार वर्षों के दौरान ऊपर बताए गए सभी विमानपत्तनों का निरीक्षण किया है। हमारे सुरक्षा उपाय अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समान हैं। देश में हमारे यहा 120 विमानपत्तन हैं जिसमें से 55 चालू है अन्य अर्द्ध-चालू हैं। इन विमानपत्तनों में भी हमने तीन विभिन्न श्रेणियां बनाई हैं—33 संवेदनशील विमानपत्तन, 14 अति संवेदनशील और 19 सामान्य विमानपत्तन हैं और इन विमानपत्तनों पर किये गए सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं।

श्री दत्ता मेघे: पूरे विश्व में बढ़ते हुए आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न देशों द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की सुरक्षा के लिए कठोर सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रस्तावित विधान संसद के समक्ष कब तक लाए जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

आपने उसमें कहा है कि हम विचार करेंगे तो आप इसे कब ला रहे हैं, इस सैशन में या अगले सेशन में, वह हमको बता दें?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानपत्तनों की सुरक्षा और आतंक विरोधी उपायों के बारे में भी काफी चिन्तित है। कई अधिनियम पहले ही मौजूद हैं और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो इन विभिन्न अधिनियमों और उनके फलस्वरूप बने कानूनों के अनुसार काफी कठोर उपाय कर रहा है। लेकिन मैं माननीय सदस्य श्री दत्ता मेघे के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि नया नागर विमानन अधिनियम तैयार किया जा रहा है भारत सरकार का मत है कि इस व्यापक अधिनियम में गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कार्यों के खिलाफ नागर विमानन की सुरक्षा के संबंध में एक अध्याय होना चाहिए। इसलिए यह तैयार किया जा रहा है। जैसे ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा हम इसे सदन के समक्ष लाएंगे।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे: यह तो बताइए कि कितना टाइम लगेगा?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: हम पूरी प्रक्रिया को तेज करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में करीब 12 देशों का नाम बताया है, जहां के एयरपोर्ट्स का इन्होंने अध्ययन किया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या विश्व में कोई ऐसा भी देश है जो अपने एयरपोर्ट्स के पास स्लॉटर-हाउस बनाने दे? हमारे देश में पिछली सरकारों के समय में कई एयरपोर्ट्स के

पास स्लॉटर-हाउस बनाने दिए गए, जबकि बर्ड हिट से कई एयरोप्लेन्स का एक्सीडेंट हुआ है। हमारे देश में सेक्यूलरिज्म का बुखार कुछ इस तरह का है कि स्लॉटर-हाउस की अनुमति देना भी सेक्यूलरिज्म माना जाता है। हमारे देश में सरस्वती की नग्न मूर्ति बनाना सेक्यूर है, लेकिन सरस्वती वन्दना करना कम्यूनल है। सेक्यूलर बनने के चक्कर में ये जो एबोटियर्स बनाने दिए गए, इसके बारे में क्या सरकार ने अध्ययन किया है और विमानों की सुरक्षा के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: मैं माननीय सदस्या प्रो. रीता वर्मा की विमानपत्तनों की सुरक्षा के संबंध में विशेष कर संभव और संभावित पक्षी के टकराने के कारण विमान सुरक्षा संबंधी चिन्ता में शरीक हूं। हमने विश्व के विभिन्न देशों में विमानपत्तनों के पास बूचड़खानों का अभी कोई अध्ययन नहीं कराया है। मेरे पास इस समय विमानपत्तनों की सूची नहीं है जहां बूचड़खाने विमानपत्तनों के पास हैं। मैं यह भी महसूस करता हूं कि वे सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं यदि ये विमानन की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं क्योंकि ऐतिहात सुरक्षा से पूरी तरह अलग हैं। पक्षी टकराने के कारण ऐतिहात प्रभावित होते हैं।

अत: मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम इसके बारे में अध्ययन करवाएंगे।

श्रीमती कृष्णा बोस: विमानपत्तनों की भावी सुरक्षा के बारे में मेरा एक प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि इस शताब्दी के अन्त में सभी कम्प्यूटर मिलेनियम बग (शताब्दी में शून्य आने से) अथवा वाई-टू-के वग के कारण कार्य करना बन्द कर देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं क्या नागर विमानन मंत्रालय इससे निपटने क लिए कोई कार्यक्रम बनाने जा रहा है क्योंकि सभी उड़ान कार्यक्रम खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन इस समय मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं क्या विमानपत्तनों की सुरक्षा प्रभावित होगी। हम सभी जानते हैं कि यह प्रभावित होगी। मैं जानना चाहती हूं क्या उनका कोई उपचारात्मक कार्यक्रम है अथवा यदि उन्होंने कोई उपचारी उपाय किये हैं ताकि जब कम्प्यूटर कार्य करना बन्द कर दें तो हमारी सुरक्षा में विघ्न नहीं आए। समय काफी कम अर्थात केवल एक वर्ष है। मैं इसका उत्तर चाहती हूं।

श्री अनंत कुमार: लगभग $1^1/_2$ माह पूर्व हमने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और आई सी ए ओ के तत्वावधान में इस वाई-टू-के की समस्या के संबंध में सेमिनार आयोजित की थी क्योंकि उससे साफ्टवेयर का सम्पूर्ण पहलू प्रभावित होगा। इसमें न केवल नागर विमानन, हवाई यातायात प्रबन्धन प्रणाली हमारा विमान प्राधिकरण साफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न प्रणालियां बल्कि हमारे सभी नौवहन संबंधी प्रणालियां प्रभावित होंगी जिसमें आवश्यक सुरक्षा और बचाव समस्याएं उत्पन्न होंगी। मैं माननीय सदस्या को आश्वासन देता हूं कि हमने उपचारात्मक कदम उठाए हैं और हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि 200 ईस्वी आते ही इस वाई-टू-के वग से निपटा जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय में कोई समस्या नहीं होगी।

श्री टी. गोविन्दन: मैं माननीय नागर विमानन मंत्री जी का ध्यान नागर वमानन सचिव द्वारा केन्नानोर में विमानपत्तन की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण की लगभग सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और केन्नानोर में विमानपत्तन की प्रासंगिकता और महत्व के संबंध में यहां कई रिपोर्ट हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं और वह यह सुनिश्चित कराएं कि केन्नानोर विमानपत्तन अतिशीघ्र बनाया जाए।

श्री अनंत कुमार: यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री जी.एम. बनातवाला: अध्यक्ष महोदय, निसन्देह जहां तक सुरक्षा उपायों का संबंध है उसमें समझौता नहीं किया जा सकता।

यह देखकर खुशी हुई कि माननीय मंत्री जी इस तथ्य विशेष के प्रति सचेत हैं। लेकिन महोदय, जहां एक ओर सुरक्षा में दृढ़ता लानी चाहिए वहीं इसका परिणाम यात्रियों को परेशान करना नहीं होना चाहिए। मैं केवल एक बात अपने समक्ष रखना चाहता हूं और वह यह है कि बड़े विमानपत्तनों में भी जब यात्री सुरक्षा की जांच के लिए जाते हैं तो वे देखते हैं कि केवल एक गेट खुला होता है और पुलिस बल के अभाव के कारण दूसरा गेट बन्द होता है। जहां हम विमानपत्तन प्राधिकारियों के साथ यह मामला उठाते हैं तो वे कहते हैं कि पुलिस बल राज्यों द्वारा प्रदान की जाती है और इसलिए वे बिल्कुल मजबूर हैं। अत: क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि राज्य सरकारें यह देखें कि उन्हें पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए ताकि जांच के लिए विभिन्न सुरक्षा गेटों पर वास्तव में कार्य होता रहे और वे चालू रहें और इससे यात्रियों को असुविधा न हो। इसके साथ-साथ सुरक्षा चेक पोस्टों पर स्क्रीनिंग मशीनें होती हैं जिसमें से प्राय: केवल एक चालू रहती हैं और अन्य काम नहीं करती हैं अत: इस तथ्य विशेष पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आपको इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जी.एम. बनातवाला: अन्य बात जो उठती है वह है कि विमानपत्तनों में सुरक्षा कर्मी विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आते हैं। उन पर पुलिस बल का नियंत्रण बाहर से किया जाता है लेकिन उन नियंत्रण करने वाले अधिकारियों को विमानपत्तन पर होना चाहिए। सुरक्षा उपायों की मांग है कि बिमानपत्तनों पर उपस्थित रहने वाले इन पुलिस कर्मियों का नियंत्रण विमानपत्तन प्राधिकारियों के अंतर्गत होना चाहिए ताकि सुरक्षा के मामलों में कोई चूक न हो। इन बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय: कृपया अत्यन्त संक्षेप में उत्तर दीजिए।

श्री अनंत कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सांसद श्री बनातवाला द्वारा उठाया गया प्रश्न प्रशंसनीय और अच्छा है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे पास नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो की खातिर कार्मिकों का अभाव है। वास्तव में हमें विभिन्न राज्य सरकारों से कार्मिकों को लेना पड़ता है। पूरे देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा और चौकसी बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्य पुलिस विभाग और गृह विभाग हमें कार्मिक उपलब्ध कराते हैं हमारे पास अपना सुरक्षा बल नहीं है। मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए हमें अपने सुरक्षा कार्मिकों को रखने की आवश्यकता है और एक बार हम ऐसा कर लेते हैं तो एक्स रे मशीन रखने और सुरक्षा प्रयोजनों के लिए एक अथवा दो से अधिक गेट जैसी अन्य बातें पूरी हो जाएंगी।

श्री टी. आर. बालू: आजकल ऐसा लगता है कि अपने विमानपत्तनों से विमान की उड़ान से पहले और उतरने से पहले हमें *येमा वन्दना* गाना पड़ता है। यात्री बचाव व्यवस्था बदतर है। निसन्देह दिल्ली में रेथरन लि. ने पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित की है लेकिन यह सभी प्रकार से असफल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि रेथरन लि. द्वारा स्थापित की गई पूर्व चेतावनी व्यवस्था उचित प्रकार से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। चेन्नई विमानपत्तन के बारे में भी मैं जानना चाहता हूं क्या यह पूर्व चेतावनी व्यवस्था वहां कार्य कर रही है अथवा नहीं कर रही है।

श्री अनंत कुमार: यह प्रश्न विमानपत्तनों की सुरक्षा से संबंधित है। माननीय सदस्य बचाव और विभिन्न रडार प्रणाली के बारे में जो कुछ भी पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर मैं अन्य अवसर पर दूंगा।

श्री टी.आर. बालू: क्या आपको इन बातों का पता नहीं है?

श्री अनंत कुमार: मुझे उनका पता है। लेकिन यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: यह प्रश्न उसी प्रश्न से संबंधित है। *...(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: महोदय, विमानपत्तनों की सुरक्षा अत्यन्त विशेष मामला है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तो है जिसके अंतर्गत कोई जनशक्ति नहीं है। इस समय यह केवल नीति निर्धारित करने वाले निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। जैसाकि पहले के प्रश्नों और उत्तरों से पता चलता है कि सुरक्षा ठिकानों पर तैनात कार्मिक राज्य सरकारों से आते हैं। यह राज्य पुलिस के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण तैनाती नहीं है। वे दो-तीन साल के लिए तैनात किये जाते हैं और फिर उन्हें कहीं और तैनात कर दिया जाता है। जब तक वे प्रशिक्षित होते हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। अत: मेरा प्रश्न यह है क्या माननीय मंत्री जी विमानपत्तन की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल के गठन पर विचार करेंगे? इसमें दो तीन पहलू शामिल हैं। पहला अप्रवास पहलू है दूसरा अपहरण विरोधी पहलू हैं और उसके बाद विमानपत्तनों की वास्तविक सुरक्षा का पहलू भी है। अत: क्या माननीय मंत्री जी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरह विशेष सुरक्षा बल के गठन पर विचार करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमानपत्तनों पर तैनाती के लिए राज्य सरकारों के पुलिस कार्मिकों पर निर्भर नहीं रहेंगे?

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को पूरी तरह से समझता हूं। मैं समझता हूं कि हमें नागर विमानन सुरक्षा की खातिर अलग से प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता है।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: इसके बारे में आप क्या करेंगे?

श्री अनंत कुमार: हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना

***63. श्री अमन कुमार नागरा:**
डा. रामचन्द्र डोम:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने व्यक्तियों को मकानों का आबंटन किया गया और नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु इस संदर्भ में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा 1996-97 और 1997-98 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण पर राज्य-वार कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत मकान बनाने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां बाढ़ और भीषण वर्षा के कारण भारी तबाही हुई थी और अधिक संख्या में मकान बनाने के लिए सहायता देने का सरकार का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 26.25 लाख मकान बनाए गए थे जिसका ब्यौरा अनुबन्ध-I में दिया गया है। नौवीं योजना अवधि में वर्ष 1997-98 और 1998-99 में मकानों के निर्माण का राज्यवार लक्ष्य अनुबंध-II में है।

(ख) आठवीं योजना अवधि तथा 1997-98 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण पर किए गए खर्च का राज्यवार विवरण अनुबंध-III में है।

(ग) और (घ) 1998-99 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 9.87 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-III में है।

(ङ) और (च) इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से क्षति होने की स्थिति में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है। किन्तु 1998-99 के दौरान विगत वर्ष के 175.57 करोड़ रुपए के केन्द्रीय आबंटन की तुलना में बिहार के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 274.20 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसी प्रकार 1997-98 में 280.36 करोड़ रुपए की तुलना में 1998-99 में उत्तर प्रदेश के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 301.77 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आबंटन किया गया है।

अनुबंध I

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की संख्या

(संख्या)

राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	योग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	10961	44897	57483	69086	46181	228608
अरुणाचल प्रदेश	218	120	219	420	387	1364
असम	1037	4304	6862	24871	13401	50475

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	28189	88960	59216	114506	133244	424115
गोवा	55	358	329	967	466	2175
गुजरात	4889	7117	7895	31770	30481	82152
हरियाणा	1002	1552	3536	9024	6153	21267
हिमाचल प्रदेश	351	629	853	1727	2373	5933
जम्मू व कश्मीर	425	390	1697	3554	10197	16263
कर्नाटक	7197	8820	13831	37460	45503	112811
केरल	4100	16999	18549	29368	23202	92218
मध्य प्रदेश	47156	48108	48967	125757	87371	357359
महाराष्ट्र	8778	18870	22812	66648	58244	175352
मणिपुर	213	208	197	784	715	2117
मेघालय	432	353	283	207	646	1921
मिजोरम	224	240	368	569	369	1770
नागालैंड	1603	1536	895	470	3691	8195

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	11305	10588	13297	51033	54612	140835
पंजाब	3359	2739	3849	1121	1709	12777
राजस्थान	10541	19958	28934	41756	46682	147871
सिक्किम	140	142	108	1065	760	2215
तमिलनाडु	14409	33758	33176	56885	63959	202187
त्रिपुरा	343	639	567	1348	983	3877
उत्तर प्रदेश	22218	47722	50908	159073	139801	419722
पश्चिम बंगाल	13300	13389	15526	34278	34722	111215
अं. व नि. द्वीप समूह	20	21	21	21	78	161
दा. व न. हवेली	52	60	59	13	50	234
दमन व दीव	21	13	45	62	92	233
लक्षद्वीप	0	0	0	10	105	115
पांडिचेरी	47	48	0	36	113	244
कुल	192585	372535	390482	863889	806290	2625781

अनुबंध II

1997-98 और 1998-99 के दौरान मकानों के निर्माण का राज्यवार लक्ष्य

राज्य का नाम	1997-98	1998-99
1	2	3
आंध्र प्रदेश	56065	73645
अरुणाचल प्रदेश	549	1046
असम	18455	28576
बिहार	109982	171378
गोवा	548	130
गुजरात	20581	19692
हरियाणा	4943	10690
हिमाचल प्रदेश	1572	4879
जम्मू व कश्मीर	3197	7699
कर्नाटक	37653	39505
केरल	12454	17726
मध्य प्रदेश	71054	103652

1	2	3
महाराष्ट्र	61123	78092
मणिपुर	590	1911
मेघालय	688	2409
मिजोरम	288	472
नागालैंड	734	2050
उड़ीसा	45486	67684
पंजाब	3517	5630
राजस्थान	29524	35599
सिक्किम	269	784
तमिलनाडु	50689	46258
त्रिपुरा	766	4519
उत्तर प्रदेश	136645	188051
पश्चिम बंगाल	50249	74594
अं. व नि. द्वीप समूह	236	202

1	2	3
दा. व न. हवेली	127	309
दमन व दीव	75	10
लक्षद्वीप	121	17
पांडिचेरी	236	257
कुल	718326	987466

अनुबंध III

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किया गया खर्च

(रुपए लाख में)

राज्य का नाम	आठवीं पंचवर्षीय योजना					
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1264.00	5956.77	6610.08	6317.95	8213.28	14792.02
अरुणाचल प्रदेश	37.13	26.88	26.16	56.00	72.55	210.49
असम	130.76	573.08	934.47	3381.70	2680.20	4174.96
बिहार	3271.50	13664.86	7121.09	19168.71	19507.79	21755.8
गोवा	3.65	32.22	30.07	31.51	65.33	85.67

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	638.94	937.63	1137.37	3669.26	4396.14	4354.57
हरियाणा	120.38	217.55	507.68	1233.81	1107.24	976.51
हिमाचल प्रदेश	52.08	84.37	126.24	244.55	428.19	452.00
जम्मू व कश्मीर	38.03	45.02	245.74	543.04	1176.78	968.16
कर्नाटक	803.70	1221.87	2060.4	5812.80	8484.85	9206.40
केरल	527.98	2349.73	2687.74	4864.14	2817.36	2975.78
मध्य प्रदेश	2631.94	2931.17	3246.09	11807.75	11384.56	17020.99
महाराष्ट्र	1180.91	3189.84	3219.14	10606.35	15589.12	16856.95
मणिपुर	22.15	24.15	32.13	141.18	81.60	229.78
मेघालय	61.31	44.2	39.59	30.01	113.55	58.88
मिजोरम	32.11	33.21	48.01	87.68	76.73	66.54
नागालैंड	232.44	222.72	141.41	74.26	137.53	802.12
उड़ीसा	1402.39	1434.83	1942.02	7494.88	9012.73	8844.81

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	790.98	704.33	527.34	96.50	347.78	829.90
राजस्थान	1128.73	2287.96	2989.27	4701.44	6317.99	5874.66
सिक्किम	20.73	20.37	19.81	163.76	188.24	86.52
तमिलनाडु	4810.54	4526.95	7619.52	14398.41	15892.90	20881.44
त्रिपुरा	33.00	108.42	95.65	144.77	211.58	266.55
उत्तर प्रदेश	2933.01	5585.68	6412.97	17039.77	24616.18	19859.83
पश्चिम बंगाल	1695.48	1843.68	2170.54	4468.87	5545.87	7832.57
अं. व नि. द्वीप समूह	4.96	15.57	15.98	15.98	54.79	20.28
दा. व न. हवेली	7.01	8.6	8.64	1.19	17.58	14.18
दमन व दीव	1.31	1.64	5.06	9.25	15.10	6.86
लक्षद्वीप	0.00	0	0	5.18	11.94	12.52
पांडिचेरी	6.16	6.65	18.17	25.74	26.94	125.96
कुल	23883.51	48099.95	50038.38	116636.44	138592.42	159643.70

[हिन्दी]

श्री अमन कुमार नागरा: अध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू की गई। इसके बाद देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने एक बैठक करके निर्णय लिया कि सन् 2000 तक देश में जितने भी बेघर लोग हैं, उनको आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने 30 जुलाई, 1998 को एक राष्ट्रीय पुनर्वास योजना घोषित की और निर्णय लिया गया कि हम सब को आवास बनाकर देंगे। क्या सरकार को मालूम है कि लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो देहात छोड़कर शहरों में बस रहे हैं और झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। जब शहरों में उनको बिजली-पानी की सुविधा नहीं दी जाती है, तो मकान बनाकर देने की बात तो बहुत दूर है। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग दस हजार मकान बनाने की योजना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नागरा, आपको प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

श्री अमन कुमार नागरा: महोदय, 7,000 गांव पूरे हरियाणा में हैं। एक गांव में एक मकान बनता है और वह मकान भी उस नीति के तहत बनेगा जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, लेकिन उनके नाम सूची में नहीं आते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नागरा, कृपया प्रश्न पूछिए, अन्यथा मैं आपके प्रश्न की अनुमति नहीं दूँगा।

[हिन्दी]

श्री अमन कुमार नागरा: यह सूची सरपंच के माध्यम से बनती है और सरपंच अपने चहेतों का नाम उस सूची में डालता है। वास्तव में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनके नाम उस सूची में नहीं आते, जो साधन सम्पन्न हैं उनके नाम उस सूची में आते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से आंकड़े हैं, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो बिलकुल बेरोजगार हैं उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए या जो आवास-रहित हैं, उन लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, योजना आयोग द्वारा 13.2 लाख अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार हो गई है। वर्ष 1998-99 में 20.78 लाख आवास वर्ष 1999-2000 में 25.33 लाख आवास, वर्ष 2000-2001 में 25.56 लाख आवास और वर्ष 2001-2002 में भी 25.56 लाख आवासों का निर्माण किया जाना है। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास अठावले: महोदय, कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास, आपको प्रक्रिया के बारे में भी मालूम होना चाहिए। एक अन्य सदस्य भी हैं।

[हिन्दी]

श्री अमन कुमार नागरा: अध्यक्ष महोदय, अभी जो फ्लड आया है, उसके दौरान बहुत सारे कच्चे मकान गिर गए और जिन लोगों की झुग्गी-झोपड़ियाँ थी वे बिलकुल खत्म हो गई। क्या सरकार इस बारे में सोच रही है, इसकी जानकारी दी जाए।

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए आवासों के निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: डा. राम चन्द्र डोम।

डा. राम चन्द्र डोम: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

इन्दिरा विकास योजना एक अच्छी योजना है। लेकिन हम विवरण में देख रहे हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भी देश में इस योजना के माध्यम से हासिल की गई उपलब्धियाँ बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं हैं। यहाँ करोड़ों लोग बेघर हैं विशेषकर कि वे जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेसहारा तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग। इसके अतिरिक्त, हाल ही में निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ गई हैं और मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई है। इसलिए आवास निर्माण के लिए राज्य सरकारें अनेक समस्याओं का सामना कर रही हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए आपके मंत्री महोदय से पूछे गए मेरे अनुपूरक प्रश्न का भाग (क) यह है। निर्माण सामग्री की बढ़ती हुई लागत, बढ़ी हुई श्रम की लागत तथा इतनी अधिक मुद्रास्फीति को देखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार प्रति यूनिट आबंटन की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है और क्या केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट के लिए विद्युत कनैक्शन और पृथक शौचालय की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान करेगी। मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है। क्या राशि है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया भाग (ख) के बारे में मत पूछिए। आप केवल भाग (क) के बारे में पूछ सकते हैं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में प्रति यूटि लागत 14,500 रु. से बढ़ाकर 20,000 रु. कर दी गई है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह लागत 22,000 रु. कर दी गई है और आधारभूत सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं के लिए प्रति यूनिट 2,500 रु. प्रदान किए गए हैं।

श्री शरद पवार: यह केन्द्र सरकार की योजना है। पिछले बजट सत्र में सभी पक्षों से लगभग 350 संसद सदस्यों ने यह अनुरोध करते हुए कि लाभ भोगियों का चयन करते समय स्थानीय संसद सदस्यों को भी विश्वास में लिया जाए, माननीय प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। क्या सरकार ने इस पर विचार किया है?

श्री अजीत जोगी: प्रधान मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है। इसलिए आपको स्वीकार करना होगा और हम आपको समर्थन देंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: लोकल एम.पी. को कोई पूछता नहीं है।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) आपको छोड़कर। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राजो सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, ग्राम सभाएं लाभभोगियों का पता लगा रही हैं।

अनेक माननीय सदस्य: नहीं।

श्री बाबागौड़ा पाटील: मैंने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री अजीत जोगी: कृपया इसमें संसद सदस्यों को भी शामिल कीजिए। यह पैसा केन्द्र दे रहा है *...(व्यवधान)*

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता का सम्मान करता हूँ। मैं इस पर विचार करूँगा। *...(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र: विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है क्योंकि प्रधान मंत्री इससे सहमत थे।

श्री बाबागौड़ा पाटील: मैंने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है? मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील: मैंने राज्य सरकारों को यह कहते हुए तीन बार पत्र लिखे हैं कि उन्हें सिफारिशों का सम्मान करना चाहिए। महोदय, मैं इस पर विचार करूँगा।

श्री शरद पवार: महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह कहते हुए उत्तर दिया है कि उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों को तीन बार पत्र लिखे हैं लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह एक गंभीर मामला है और मेरे विचार में समय आ गया है जबकि भारत सरकार को कुछ निश्चित निर्णय लेने चाहिए और संबंधित राज्य सरकारों को स्थानीय संसद सदस्यों को विश्वास में लेने हेतु एक तरह के निर्देश देने चाहिए।

श्री बाबागौड़ा पाटील: मैं इस पर विचार करूँगा *...(व्यवधान)*

श्री अकबर अहमद: महोदय, मैं संसद सदस्य हूं लेकिन मुझे कभी विश्वास में नहीं लिया गया। केवल लखनऊ के स्थानीय कारपोरेटर को ही विश्वास में लिया गया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब, श्री कृष्णमराजु।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री कृष्णमराजु का नाम पुकारा है।

श्री यू.वी. कृष्णमराजु: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं निरन्तर वर्षा और चक्रवातों के कारण आंध्र प्रदेश के तटीय जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। ग्रामीण क्षेत्र में अनेक मकानों को नुकसान पहुँचा, अनेक लोग मारे गए और 1520 करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गई। माननीय प्रधान मंत्री जी, जिन्होंने इन जिलों का दौरा किया था ने यह तबाहीपूर्ण दृश्य देखकर एकदम से घोषणा कर दी कि केन्द्र 200 करोड़ रु. की अग्रिम राशि प्रदान करेगा। आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि आवास के निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को कितनी अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि पिछले वर्ष राज्य को कितना आबंटन किया गया और कैसा कार्य हुआ था। क्या अन्य प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि भी इस कार्य के लिए प्रदान की जा सकती है?

श्री बाबागौड़ा पाटील: यदि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा और मकानों की तबाही के संबंध में कोई रिपोर्ट भेजती है और यदि किसी अमुक प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि में बचत होती है तो हम उक्त धनराशि को इस कार्य में लगाने के बारे में सोच सकते हैं।

यदि बचत राशि है तो हम उक्त राशि को इसके लिए देने के बारे में सोच सकते हैं *...(व्यवधान)* यदि राशि की बचत होती है, तो हम दिसम्बर के बाद उक्त बचत राशि को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए देने के बारे में विचार कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री डम्पी, पहले कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री सी. गोपाल का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री सी. गोपाल: महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से यह देखा गया है कि वर्ष 1996-97 के दौरान इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में आबंटित आवासों की संख्या 63,959 *...(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार: महोदय, प्रश्न-काल का समय समाप्त हो गया है।

श्री सी. गोपाल: अब यह आबंटन कम कर दिया गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री गोपाल, कृपया बस कीजिए। अब समय नहीं है।

श्री सी. गोपाल: तमिलनाडु के लिए आवासों के आबंटन में इस कमी का क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय: अब समय नहीं है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सी. गोपाल: क्या तमिलनाडु राज्य सरकार का कार्य अच्छा न होने के कारण ऐसा किया गया है? मैं माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब कोई समय नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप इन्हें इसका उत्तर भेज सकते हैं।

प्रश्न-काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राजौरी में चालकरहित विमानों का पकड़ा जाना

***64. श्री इन्द्रजीत गुप्त:**
श्री इन्द्रजीत सिंह राव:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी के सीमा क्षेत्रों से दो माइक्रोलाइट चालकरहित विमान पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह जानने के लिए कोई जांच की गयी है कि ये चालकरहित विमान हमारे सीमा क्षेत्र में कैसे घुस गये;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इस संबंध में किसे जिम्मेवार ठहराया गया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमारे सीमा क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) जम्मू-कश्मीर में माइक्रो-लाइट पायलटरहित किसी वायुयान की बरामदगी की कोई सूचना नहीं है। तथापि, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा राजोरी जिले में 5 नवंबर, 1998 को दो एयरो-मॉडलों की बरामदगी की रिपोर्ट मिली है। बरामद एयरो-मॉडलों के विवरण इस प्रकार हैं:

(1) जापानी इंजन युक्त, ताइवान की बालसा वुड से निर्मित।

(2) मॉडल की लम्बाई छह फुट है जिसके पंख का फैलाव 6 फुट है।

(3) चार चैनलों वाला रेडियो कंट्रोल सेट।

(4) 500 ग्राम से एक किलोग्राम के पेलोड वाले माडल का कुल भार 4.5 किलोग्राम है।

(5) 80-100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकता है और भूमि स्तर से 4000 से 5000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता वाला है।

(6) यह मॉडल लाइन ऑफ साइट के आधार पर संचालनकर्ता द्वारा 1 से 1.5 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत संचालित किया जा सकता है और एक बार में 20 से 30 मिनट तक उड़ सकता है।

स्थानीय पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा बल सीमाओं पर निरंतर सतर्कता बरत रहे हैं।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमावर्ती क्षेत्रों पर पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी

***65. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:**
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः माह के दौरान भारत-पाक सीमावर्ती क्षेत्र पर तारीख-वार और स्थलवार पाकिस्तान की ओर से कुल कितनी बार गोलीबारी की गई;

(ख) इस प्रकार की गोलीबारी की घटनाओं में दोनों पक्षों की ओर कुल कितने नागरिक और सैनिक मारे गए तथा घायल हुए और घटनावार कितनी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा; और

(ग) इन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जान-माल की रक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है और प्रभावित ग्रामवासियों के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) गत छह महीनों (मई से अक्तूबर, 1998) में जम्मू-कश्मीर में दोनों ओर से भारत-पाक सीमा पर हुई गोलीबारी की घटनाओं की संख्या नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

(1)	वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन (ए जी पी एल)	- 176
(2)	नियंत्रण रेखा (एल ओ सी)	- 1751
(3)	अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा (आई बी)	- 174

गत छह महीनों (मई से अक्तूबर, 1998) में हताहतों का विवरण निम्नलिखित है:

	सुरक्षा कार्मिक		सिविलियन		पाकिस्तानी	
	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए
ए जी पी एल	15	30	–	–	230	–
एल ओ सी	52	232	31	98	319	–
आई बी	01	11	02	17	25	–

इस अवधि में क्षतिग्रस्त/बरबाद हुई सिविलियन संपत्ति के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

(i) पाकिस्तान - ज्ञात नहीं है।

(ii) हमारी ओर की-9 सिविलियनों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

2. जहां तक पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा का संबंध है, इस अवधि में पाकिस्तानी सेना की ओर से कोई गोलाबारी नहीं की गई है। तथापि सितंबर और अक्तूबर, 1998 में पाकिस्तान के रेंजरों ने राजस्थान की सीमा पर दो बार अकारण गोलीबारी की। इसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल का एक कार्मिक मारा गया और दो घायल हुए।

3. पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली गोलाबारी के प्रयासों को निष्फल करने के लिए हमारी सैन्य टुकड़ियां निरंतर निगरानी करती हैं और हमारी सैन्य टुकड़ियों द्वारा पाकिस्तान की अकारण गोलाबारी का समुचित उत्तर दिया जाता है। जम्मू-कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर किसानों को, उनके कृषि व्यवसाय में आवश्यक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।

4. जम्मू-कश्मीर के जम्मू और कथुआ जिलों के प्रभावित परिवारों के मामले में राज्य सरकार ने एक महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा की है; नुकसान की मात्रा का निर्धारण करने के पश्चात् इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मृतक के निकट संबंधी को 1 लाख रुपए, स्थायी रूप से निशक्त हुए व्यक्ति को 75,000 रुपए और गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए तथा मामूली घायलों के मामले में 500 से 1000 रुपए तक की राशि दी जाती है।

[अनुवाद]

लड़ाकू विमान को उपयोग में न लाना

***66. प्रो. अजित कुमार मेहता:**
श्री कृष्ण लाल शर्मा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारतीय वायुसेना के कितने लड़ाकू विमान उपयोग में लाने योग्य नहीं है;

(ख) ये लड़ाकू विमान कब से उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय वायुसेना के उपयोग में नहीं लाए जा रहे विमानों को उपयोग में लाने योग्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के पास विभिन्न किस्म तथा स्रोतों से प्राप्त काफी संख्या में वायुयान तथा उपस्कर हैं। उनकी सेवा क्षमता संतोषप्रद है। रखरखाव किए जा रहे वायुयानों की संख्या दिन प्रतिदिन बदलती रहती है।

(ग) खराब हुए वायुयानों को न्यूनतम समय में सक्रिय बनाने के लिए सुनियोजित और कारगर ढंग से उनका दोष-शोधन, रखरखाव और ओवरहाल किया जाता है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा यात्री किराए में वृद्धि

*67. **श्री चमन लाल गुप्त:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा यात्री किराए में हाल ही में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह वृद्धि गैर-सरकारी विमान कम्पनियों द्वारा लिए जा रहे संगत यात्री किराए के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों को इस वृद्धि से छूट दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर सरकार, विभिन्न संगठनों और संसद सदस्यों के जम्मू और कश्मीर के लेह क्षेत्र को किराया-वृद्धि की छूट-सूची में शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस ने पहली अक्तूबर, 1998 से पूर्वोत्तर सेक्टर को छोड़कर सभी घरेलू सेक्टरों पर अपने किरायों में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि की है। तत्पश्चात 13 अक्तूबर, 1998 से अन्य श्रेणी-2 के मार्गों पर किराए पूर्व-संशोधित स्तरों तक ही कर दिए थे। निजी प्रचालकों ने भी विमान किरायों में तदनुरूपी वृद्धि कर दी है।

(ङ) और (च) जी, हां। लेह सहित जम्मू व कश्मीर के लिए/वहां से इंडियन एयरलाइंस सेवाओं से संबंधित किरायों को 13.10.98 से पूर्व-संशोधित स्तरों तक ही कर दिया गया है।

माल की चोरी

*68. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे के यार्डों में माल को उतारने और उसका लदान करने के समय माल की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार/योजनावार चोरी किए गए माल की कीमत कितनी है;

(ग) उसके लिए कितने व्यक्तियों को उत्तरदायी पाया गया; और

(घ) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान माल (बुक हुए परेषणों) की चोरी के मामलों की संख्या, चुराई गई संपत्ति की कीमत, बरामद की गई संपत्ति की कीमत और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की जोनवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) माल की चोरी के मामले में जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों की संख्या और पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का जोनवार ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के वित्त वर्षों के दौरान भारतीय रेलों पर बुक किए गए पारेषणों की चोरी/उठाईगिरी के मामले दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

रेलवे	वित्त वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य		गिरफ्तार किए गए
			चोरी गई	बरामद की गई	
1	2	3	4	5	6
मध्य रेल	1995-96	485	3517802	1051524	225
	1996-97	400	3909950	1124920	285
	1997-98	299	5141030	4191850	216
पूर्व रेल	1995-96	2709	11678491	1786707	438
	1996-97	2223	10776841	1631553	434
	1997-98	2039	9719260	1101935	272
उत्तर रेल	1995-96	946	5469532	2128783	351
	1996-97	686	4585504	2243259	394
	1997-98	550	3046574	1800281	359
पूर्वोत्तर रेल	1995-96	593	2290571	386546	81
	1996-97	519	2164300	220035	94
	1997-98	347	2746167	637959	94

1	2	3	4	5	6
पूर्वोत्तर सीमा	1995-96	1124	5671375	144561	63
	1996-97	1055	6880370	358551	126
	1997-98	943	6813422	180457	89
दक्षिण रेल	1995-96	611	2773436	396653	90
	1996-97	365	1282968	89860	64
	1997-98	238	876985	172760	47
दक्षिण मध्य	1995-96	207	568915	529828	55
	1996-97	216	1166370	538129	89
	1997-98	239	1402819	675422	121
दक्षिण पूर्व	1995-96	900	4585232	750017	282
	1996-97	690	4506837	701358	193
	1997-98	393	2133746	482491	193
पश्चिम रेल	1995-96	662	3049465	424995	179
	1996-97	515	2950577	1370675	193
	1997-98	275	1623987	523629	139
जोड़	1995-96	8237	39604819	7122714	1764
	1996-97	6669	3822717	8278340	1872
	1997-98	5332	3350990	9766834	1530

विवरण II

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा

रेलवे	वर्ष	व्यक्ति गिरफ्तार किए गए	मुकदमा चलाया गया	विभागीय कार्रवाई	सजा हुई	बरी किए गए	मुकदमा चल रहा है
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य रेल	1995-96	225	225	)	87	7	131
	1996-97	285	285	–	59	6	220
	1997-98	216	216	–	19	3	194
पूर्व रेल	1995-96	438	438	–	–	–	438
	1996-97	434	434	–	–	–	434
	1997-98	272	272	–	–	–	272
उत्तर रेल	1995-96	351	351	9	95	4	243
	1996-97	394	394	1	81	–	312
	1997-98	359	359	2	78	–	279
पूर्वोत्तर रेल	1995-96	81	81	–	20	–	61
	1996-97	94	94	1	9	–	84
	1997-98	94	94	–	10	–	84

1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वोत्तर सीमा	1995-96	63	63	–	–	–	63
	1996-97	126	126	–	–	–	126
	1997-98	89	89	–	–	–	89
दक्षिण रेल	1995-96	90	90	–	–	–	90
	1996-97	64	64	–	–	–	64
	1997-98	47	47	–	–	–	47
दक्षिण मध्य	1995-96	55	55	–	37	8	10
	1996-97	89	89	–	24	3	62
	1997-98	121	121	–	34	2	85
दक्षिण पूर्व	1995-96	282	282	–	–	–	282
	1996-97	193	193	–	–	–	193
	1997-98	193	193	–	–	–	193
पश्चिम रेल	1995-96	179	179	–	82	1	96
	1996-97	193	193	–	46	–	147
	1997-98	139	139	–	46	–	93
जोड़	1995-96	1764	1764	10	321	20	1413
	1996-97	1872	1872	1	219	9	1643
	1997-98	1530	1530	2	187	5	1336

[हिन्दी]

टाटा परियोजना

*69. श्री अशोक नामदेवराव भोयर:
श्री अजय कुमार एस. सरनायक:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितम्बर, 1998 के "दैनिक जागरण" में "टाटा ने एअरलाइंस प्रस्ताव वापस लिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मामले का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव गत तीन वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इससे पूंजी निवेशकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर नए सिरे से विचार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) फरवरी, 1995 में, मै. टाटा इंडस्ट्रीज ने अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के संबंध में मै. सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि यह घरेलू विमान परिवहन सेवाओं में विदेशी इक्विटी भागीदारी संबंधी उस नीति की परिधि में नहीं था जिसके अनुसार विदेशी विमानकंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी निवेश करने की मनाही है।

कंपनी ने दिसम्बर, 1997 में फिर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें विदेशी संस्थागत निदेशकों को 83.00 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 332 करोड़ रु.) के समतुल्य रुपये के अधिकतम शेयरों के इशू जारी करके और उनका आबंटन करके मै. टाटा एयरलाइंस प्रा.लि. के संबंध में 40 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी का अनुरोध किया गया था। इस प्रस्ताव में मै. सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा तकनीकी सहयोग भी निहित था और इसमें 5 वर्षों में 18 विमानों के एक बेड़े की परिकल्पना की गई थी। पांच वर्ष की अवधि में 49.25 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 197 करोड़ रु.) की राशि का तकनीकी सेवा करार फीस के रूप में भुगतान किया जाना था। जबकि इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, कंपनी ने पहली सितंबर, 1998 को इस प्रस्ताव को वापस ले लिया।

(ङ) से (छ) सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द नहीं किया है। बल्कि मै. टाटा इंडस्ट्रीज ने ही स्वयं इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। जब तक कंपनी द्वारा फिर से कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया जाता है तब तक नए सिरे से इस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

एअर इंडिया का निजीकरण

*70. **श्री मोती लाल वोरा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एअर इंडिया में सरकारी इक्विटी को साठ प्रतिशत तक सीमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन कम्पनियों को शेष इक्विटी दिए जाने की सम्भावना है और इस संबंध में अपनाए जाने वाले मानदण्ड और आधार का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) विनिवेश आयोग ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में एअर इंडिया की पुन: संरचना/विनिवेश की सिफारिश की है। आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:--

(1) सरकारी इक्विटी के रूप में 1000 करोड़ रुपए लगाना और अन्त में एअर इंडिया में सरकारी शेयर-धारिता को कम करते हुए 40 प्रतिशत तक ला देना।

(2) विश्वव्यापी बोलियों के आधार पर 40 प्रतिशत तक धारिता वाली एक सामरिक भागीदारी आरंभ करना।

(3) अंतर्देशीय संस्थागत निवेशकों को 10 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश और छोटे-छोटे निवेशकों और कर्मचारियों को 10 प्रतिशत तक इक्विटी की पेशकश।

आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

पारदर्शिता

*71. **श्री के.एस. राव:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिद्धांतत:, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की फाइलें आम जनता को दिखाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रिमंडल ने इस निर्णय को आस्थगित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वास्तव में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार का विचार सभी विभागों/मंत्रालयों में जनता को फाइलें देखने की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) शहरी कार्य और रोजगार मंत्री ने जनता को इस मंत्रालय की फाइलें देखने की अनुमति देने का सिद्धांतत: निर्णय 10 अक्तूबर, 1998 को लिया था।

(ख) से (ङ) सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों पर समान रूप से लागू होने वाली नीति तैयार होने तक, उपर्युक्त निर्णय पर कार्रवाई स्थगित रखी जाए।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण की अलाभप्रद इकाइयां

*72. **श्री नादेन्दला भास्कर राव:**
श्री कमलनाथ:

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अलाभप्रद इकाइयों को बंद कर देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इकाईवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने कंपनी का वित्तीय पुनर्गठन करने हेतु सरकार से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-सात यह निष्कर्ष निकाला है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को प्रचालन में सुधार करने तथा प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए निरर्थक अथवा गैर-महत्वपूर्ण सम्पत्तियों का पुनर्गठन/स्वत्व-हरण, असम्बद्ध/गैर-महत्वपूर्ण प्रचालनों और घाटे वाली इकाइयों आदि का स्वत्व-हरण जैसे व्यापारिक समाधानों की दीर्घकालिक नीति पर विचार करना चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वित्तीय पुनर्गठन संबंधी सिफारिशों के आधार पर सेल ने अपने वित्तीय पुनर्गठन हेतु सरकार से सम्पर्क किया है जिसमें मुख्यत: इस्पात विकास निधि ऋण/भारत सरकार ऋण से अचल परिसम्पत्तियों का, ब्याज पूंजी में लगाने तक अपलेखन, ऋणों को बट्टे खाते डालने और सेल द्वारा इस्को आदि को दी गई अग्रिम राशि के लिए राहत की परिकल्पना की गई है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

छोटी खानों के लिए खनन योजनाएं

*73. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें छोटी खानों के लिए खनन योजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ऐसी खानों हेतु खनन योजनाएं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) खनिज रियायतें, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती हैं। अधिनियम की धारा 5(2) (ख) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा कोई खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह

स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाती कि संबंधित क्षेत्र में खनिज भंडारों के विकास के लिए, खनन योजना, केन्द्र सरकार से पूरी तरह मंजूर है। राज्य सरकारें, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 3(ङ) के तहत (अधिसूचित गौण खनिजों को छोड़कर) प्रमुख खनिजों के बारे में कोई खनन योजना मंजूर करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

छोटी खानों के लिए खनन योजना बनाने के लिए, सरलीकृत प्रपत्र तथा दिशानिर्देश पहले ही प्रचलन में हैं।

खनन क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का निवेश

***74. श्री सुरेश चंदेल:**
श्री नरेन्द्र बुडानिया:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन क्षेत्र में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने इस संबंध में कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में चयनित क्षेत्रों का राज्यवार, खानवार और धातुवार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के अंतर्गत कितनी धनराशि का निवेश किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उन विदेशी कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने नवम्बर, 1998 तक काम करना शुरू कर दिया है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने खान विभाग से परामर्श कर सितम्बर, 1992 से नवम्बर 1998 के दौरान खनन/खनिकर्म क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश के 50 प्रस्तावों को मंजूर किया है। इन मामलों में संभावित निवेश 3149 करोड़ रुपये का होगा। इन प्रस्तावों में से अधिकांश केवल अपने निवेश योजनाओं के बारे में बताते हैं तथा वे उन क्षेत्रों या उन खनिजों के बारे में नहीं बताते जहाँ वे कार्य करना चाहेंगे। आवेदक कंपनी के लिए खनिज या क्षेत्र/राज्य के बारे में बताना अनिवार्य नहीं है कि वे कहाँ कार्य करना चाहेंगे। एफ.आई.पी.बी. की मंजूरी, भारत निगमित किसी कंपनी में केवल विदेशी इक्विटी भागीदारी के बारे में है तथा इससे कंपनी को किसी भी प्रकार का पूर्वेक्षण/खनन प्रचालन शुरू करने का अधिकर नहीं मिलता। एफ.आई.पी.बी. की मंजूरी प्राप्त करने के बाद इन कंपनियों को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के तहत खनिज रियायतों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आवेदन करना होगा जोकि अपने से संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले खनिजों के स्वामी हैं। केवल इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल खनिजों के बारे में तथा हवाई पूर्वेक्षण के मामलों में केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। अधिनियम के अनुच्छेद 5(1)(क) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित कोई कंपनी या कोई भारतीय नागरिक देश में खनन प्रचालन शुरू कर सकता है।

[अनुवाद]

कोंकण रेल सेवा

***75. श्री जी.एम. बनातवाला:**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुम्बई से केरल तक की कोंकण रेल सेवा की अत्यधिक असंतोषजनक स्थिति की जानकारी है जो गाड़ियों के अत्यधिक विलम्ब से चलने, पुराने पड़ गए तथा अपर्याप्त डिब्बों के कारण उत्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) यह सही है कि कोंकण रेलवे पर मुंबई और केरल के बीच चल रही गाड़ियों का समयपालन संतोषजनक नहीं रहा है। कोंकण रेलवे पर इस गाड़ी का दोनों दिशाओं की यात्रा में लगातार अधिक समय लगता रहा है। चालन में विलंब तथा परिणामस्वरूप समयपालन में आई कमी का कारण, मुख्यत: हाल ही में समाप्त हुआ भारी मानसून था जिसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में भूमि संबंधी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोंकण रेलवे आवश्यक कार्य पूरा करने के बाद उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से लागू करना पड़ा था। इन समस्याओं को शीघ्र ही हल कर लिए जाने की आशा है और इसके कारण लगे हुए प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे और उसके बाद इस सेक्टर पर इस गाड़ी के समयपालन में सुधार होने की आशा है।

कोंकण रेल पर चल रही गाड़ियों के सवारी डिब्बे, भारतीय रेल प्रणाली पर इस समय चल रहे सवारी डिब्बों के बिल्कुल समरूप हैं और बिल्कुल ठीक-ठाक हालत में हैं। कोंकण रेल से गुजरने वाली गाड़ियां देश के अन्य राज्यों को भी सेवित करती हैं। कोंकण रेल पर गाड़ियां डब्ल्यू डी एम-2 रेल इंजन के साथ अधिकतम 18 सवारी डिब्बों के साथ चलाई जा सकती हैं। गाड़ी में साधारणत: 16 सवारी डिब्बे होते हैं जिन्हें व्यस्त अवधि में बढ़ाकर 18 कर दिया जाता है।

इस खंड पर केरल की ओर जाने वाली नेत्रवती एक्सप्रेस और कुर्ला-मंगलोर एक्सप्रेस को छोड़कर लंबी दूरी की सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में रसोईयान हैं। नेत्रवती एक्सप्रेस में भी शीघ्र ही रसोईयान लगा दिया जाएगा।

यात्री सुविधाओं संबंधी समिति

*76. **डा. सुगुण कुमारी चलामेला:**
श्री श्रीराम चौहान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर यात्री सुविधाओं संबंधी समिति का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो समिति के मुख्य सुझाव क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) समिति को गठित करने का उद्देश्य विशेषकर निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं की जांच करना है:

(1) सामान्य सफाई और पर्यावरण संबंधी स्थिति।

(2) पीने के पानी की व्यवस्था।

(3) यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में सूचना के प्रसार के लिए की गई व्यवस्थाएं अर्थात पूछताछ कार्यालय, जन उद्घोषणा प्रणाली, सूचक बोर्ड आदि।

(4) प्रकाश, पंखों एवं अन्य बिजली सुविधाओं की व्यवस्था।

(5) जनता की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालयों, स्नानघरों, विश्रामालयों एवं प्रतीक्षालयों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव।

(6) प्लेटफार्मों पर बेंचों, व्हील चेयरों, स्ट्रेचरों, सामान उठाने की ट्रालियों आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था।

(7) यात्रियों के लिए आरक्षण एवं बुकिंग।

(8) सवारी डिब्बों एवं स्टेशन परिसरों में यात्रियों की सुरक्षा।

(9) रेल राजस्व की हानि।

(10) यात्रियों के साथ शिष्ट व्यवहार सुनिश्चित करना।

(11) खान-पान सुविधाएं।

(ग) और (घ) समिति ने कुछ स्टेशनों का निरीक्षण करने के पश्चात मौजूदा सुविधाओं में विद्यमान कमियों के बारे में निरीक्षण रिपोर्टें भेजी हैं तथा लेडीज स्पेशल चलाने, पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार करने, विश्राम कक्षों का निर्माण करने आदि के संबंध में सुझाव दिए हैं। समिति की टिप्पणियां और सुझाव निवारक कार्रवाई करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलों को भेज दिए गए हैं।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर दूषित मिनरल वाटर की बिक्री

*77. **श्री पंकज चौधरी:**
डा. अशोक पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों एवं रेलगाड़ियों में यात्रियों को मिनरल वाटर की आपूर्ति का ठेका किन नियमों के अंतर्गत और कितनी अवधि के लिए दिया जाता है;

(ख) क्या रेलवे स्टेशनों एवं रेलगाड़ियों में बेचे जाने वाले मिनरल वाटर की नियमित जांच की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान दूषित मिनरल वाटर की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले तथा इस संबंध में दोषी व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मिनरल वाटर की सप्लाई के लिए ठेके प्रत्येक क्षेत्रीय रेल द्वारा प्रेस अधिसूचनाओं के माध्यम से निविदा की प्रक्रिया का अनुपालन करके दिये जाते हैं। तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ठेके को अंतिम रूप देती है, जो सामान्यत: एक वर्ष के लिए होता है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां। पिछले 2 वर्षों के दौरान सभी भारतीय रेलों पर 28 शिकायतें प्राप्त हुई थीं—अर्थात मध्य, पूर्व, प्रत्येक पर दो और पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा, प्रत्येक पर एक और उत्तर रेलवे पर 22 शिकायतें मिलीं।

(च) जी हां।

(छ) की गई जांच के आधार पर मिनरल वाटर के चार ब्राण्डों की सप्लाई लेना बन्द कर दिया गया है और उनके ठेके समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर फर्मों पर जुर्माना भी किया गया है।

[अनुवाद]

सन् 2000 में कम्प्यूटरों का ठप्प होना

*78. श्रीमती कृष्णा बोस: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीलेनियम बग अथवा वाई-2 बग के कारण इस शताब्दी के अंत में सभी कम्प्यूटर काम करना बंद कर देंगे और नागर विमानन कार्यक्रम पूरी तरह से ठप्प हो जाएगा और विमानों के लिए उड़ना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो नागर विमानन मंत्रालय ने इस संबंध में क्या निवारक अथवा सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं।

संबंधित नागर विमानन संगठनों द्वारा मिलेनियम परिवर्तन के दौरान कम्प्यूटर प्रणाली में वाई-2-के शिकायत को दूर करने तथा आकस्मिकता योजना को तैयार रखने की दृष्टि से आवश्यक उपचारी उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि विमान परिवहन प्रचालनों की निरन्तरता को सुनिश्चित किया जा सके।

विमान ईंधन पर बिक्री कर

*79. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:
श्री एस.एस. ओवेसी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने घरेलू विमान सेवाओं पर आर्थिक भार कम करने हेतु विमान ईंधन पर बिक्री कर समाप्त करने अथवा कम करने के लिए राज्य सरकारों के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और शेष राज्यों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी, हां। 26 सितम्बर, 1997 को सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उनसे अन्य बातों के साथ-साथ विमानन टरबाईन ईंधन (ए.टी.एफ.) पर बिक्रीकर समाप्त किए जाने पर विचार करने हेतु अनुरोध किया गया था।

(ग) 13 राज्य सरकारों और एक संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से उत्तर प्राप्त हुआ है जिसे संक्षिप्त रूप में नीचे दिया गया है:

राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन		उत्तर
1.	आंध्र प्रदेश	50 से कम यात्री क्षमता वाले तथा उस राज्य में हैदराबाद के अलावा अन्य किसी भी विमानपत्तन तक जाने वाली विमान कंपनियों को विमानन टरबाईन ईंधन पर बिक्री कर की अदायगी से छूट दे दी है।
2.	महाराष्ट्र	सभी अंतर्देशीय विमान कंपनियों को 1.6.1996 से 31.1.2001 तक की अवधि के लिए उस राज्य में मुम्बई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद के अलावा अन्य किसी स्थान तक प्रचालन के लिए और 1.4.1997 से 31.3.2002 तक मुम्बई के अलावा किसी भी स्थान तक प्रचालन करने के लिए स्थान एविएशन (एम) प्राइवेट लिमिटेड को विमानन टरबाईन ईंधन पर बिक्री कर के भुगतान से छूट दे दी है।
3.	मध्य प्रदेश	सिर्फ एयर टैक्सी प्रचालकों को छूट दी है।
4.	मिजोरम	विमानन टरबाईन ईंधन पर बिक्री कर लगाना शुरू नहीं किया है।
5.	नागालैंड	विमानन टरबाईन ईंधन पर से बिक्री कर हटाने में कोई आपत्ति नहीं है।
6.	पश्चिम बंगाल	विमानन टरबाईन ईंधन पर से बिक्री कर समाप्त करने के पक्ष में नहीं है किन्तु मैसर्स बंगाल एयर सर्विसेज लिमिटेड के लिए बिक्री कर से छूट देने पर विचार कर रही है।
7.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	विमानन टरबाईन ईंधन पर बिक्री कर नहीं लगाया है।
8.	असम	मुख्यत: संसाधनों के अभाव के कारण विमानन टरबाईन ईंधन पर से बिक्री कर समाप्त करने पर सहमत नहीं हुए हैं।
9.	दिल्ली	
10.	हरियाणा	
11.	मणिपुर	
12.	राजस्थान	
13.	तमिलनाडु	
14.	त्रिपुरा	

पनधारा विकास कार्यक्रम

*80. **श्री आर.एस. गवई:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस समय विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे तीन पनधारा विकास कार्यक्रमों का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पनधारा विकास के लिए राज्यों द्वारा केन्द्रीय धनराशि निर्धारण मानदण्डों को नियमित किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां।

(ख) वाटरशेड विकास के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्राल के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के विलय पर विचार करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें हैं:

(1) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम और समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजनाओं को मिलाकर संयुक्त वाटरशेड विकास कार्यक्रम शुरू करना तथा कार्यान्वयन के लिए इसे बंजर भूमि विकास विभाग को सौंपना।

(2) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधियों को संयुक्त वाटरशेड विकास कार्यक्रम के लिए कामन पूल को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

(3) केन्द्रीय अंश के अंतर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना निधि में से 100 करोड़ रुपए की राशि संयुक्त वाटरशेड विकास कार्यक्रम को हस्तांतरित की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने इच्छा व्यक्त की है कि दोनों पारिस्थितिकी प्रणालियों अर्थात सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत अर्द्ध शुल्क तथा शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में वाटरशेड परियोजना की लागत समान होनी चाहिए अर्थात शुष्क आर्द्र क्षेत्रों के मामले में 15.00 लाख रुपए की वर्तमान लागत के बजाय 20.00 लाख रुपए और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के मामले में 20.00 लाख रुपए। इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए अलग-अलग मानदण्ड निश्चित किए गए हैं जो नमी के दबाव, वानस्पतिक कवर, भूमि क्षरण की समस्याओं और घटतें भूमिगत जल पर आधारित हैं।

राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव किया कि केवल रेत के टीलों के स्थिरीकरण तथा शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन के लिए परियोजनाओं का कोई अलग से वित्त पोषण नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गतिविधियां 500 हेक्टेयर के छोटे वायरशेडों का विकास करने की मौजूदा नीति के अनुरूप नहीं हैं। प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और राज्य के दस जिलों, जो रेत के परिवर्तनशील टीलों की समस्या से जूझ रहे हैं, में जिलों के मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित 50% निधियों का उपयोग अब केवल रेत के टीलों के स्थिरीकरण तथा शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

[अनुवाद]

भूमि सुधार

691. **श्री समर चौधरी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भूमि सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विचार किए गए सिद्धांतों और मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय ग्रामीण क्षेत्र में भूमि-व्यक्ति के अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1950 और 1960 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को क्या मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (ग) संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार भूमि में या उस पर अधिकारों का नियंत्रण, भू-स्वामी एवं काश्तकार के संबंधों सहित भूमि प्रबंधन की नीति एवं इसके सिद्धांत, और किराये की वसूली, कृषि भूमि के हस्तांतरण एवं विक्रय, भूमि सुधार, कालोनीकरण इत्यादि के राज्य सरकार के पूर्ण वैधानिक एवं न्यायिक अधिकार क्षेत्र का विषय होने के कारण स्वतंत्रता के बाद केन्द्र सरकार भूमि सुधार के मामले में केवल परामर्श तथा समन्वय की भूमिका निभाती रही है। वर्ष 1950 तथा 1960 के दशक में योजना आयोग

ने अपने अभिलेख में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वैधानिक एवं प्रशासनिक उपायों के माध्यम से कतिपय लक्ष्यों को प्राप्त करने का उल्लेख किया है। राष्ट्रीय सहमति के रूप में वर्ष 1950 और 1960 के दशक के दौरान बिचौलियों को समाप्त करने तथा कृषि जोत पर परिवार की सीमा रखने का कार्यक्रम शुरू किया गया। तथापि, अपने पास भूमि रखने की मात्रा और काश्तकारों/फसल भागीदारों के प्रति व्यवहार देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग बने रहे। काश्तकार एवं भू-स्वामी के आपसी संबंधों, विभिन्न किस्म की भूमि के कृषि जोतों की सीलिंग तथा जन जातीय भूमि के हस्तांतरण पर कानूनी हस्तक्षेप को राज्य के उनके सर्वोत्तम निर्णय पर छोड़ दिया जाता रहा है। इसलिए, देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि एवं काश्तकार के मौजूदा संबंधों में भिन्नता है।

वायु क्षेत्र का अतिक्रमण

692. **श्री रंजीब बिस्वाल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के सैन्य विमानों द्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र मानकों के उल्लंघन किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष माहवार, पाकिस्तान द्वारा इन मानकों का कितनी बार उल्लंघन किया गया है; और

(ग) इसके पश्चात् भारतीय पक्ष द्वारा क्या कार्यवाही शुरू की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना ने यह बताया है कि पाकिस्तानी सैन्य वायुयानों द्वारा किए जाने वाले भारतीय हवाई क्षेत्र के उल्लंघनों की संख्या में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ है। तथापि, पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र में उल्लंघनों को रोकने संबंधी द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस संबंध में माह-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन घटनाओं को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया जाता है और इस संबंध में हमारी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

विवरण

पाकिस्तानी वायुयानों द्वारा हवाई समझौते के उल्लंघन के माह-वार ब्यौरे

क्र.सं.	माह	घटनाओं की संख्या
1.	जनवरी, 98	15
2.	फरवरी, 98	09
3.	मार्च, 98	08
4.	अप्रैल, 98	03
5.	मई, 98	07
6.	जून, 98	05
7.	जुलाई, 98	09
8.	अगस्त, 98	03
9.	सितंबर, 98	04
10.	अक्तूबर, 98	08
11.	नवंबर, (26 नवंबर, 98 तक)	04

पाकिस्तानी वायुयानों द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन

क्र.सं.	माह	घटनाओं की संख्या
1.	जनवरी, 98	01
2.	मार्च, 98	01
3.	मई, 98	01
4.	जुलाई. 98	01
5.	अगस्त, 98	01

टिप्पणी: उपर्युक्त उल्लंघन कमोबेश नगण्य हैं।

स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

693. **श्रीमती जयंती पटनायक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुवनेश्वर में पूर्वी तट रेल क्षेत्र मुख्यालयों के कार्यालय भवनों तथा कर्मचारी आवासों का निर्माण अभी नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन भवनों तथा आवासों का कब तक निर्माण कर लिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) भुवनेश्वर में कार्यालय भवन तथा कर्मचारी क्वार्टरों के लिए पर्याप्त भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

(ग) निर्माण का लक्ष्य राज्य सरकार से भूमि की उपलब्धता तथा संसाधनों की स्थिति पर निर्भर होगा।

[हिन्दी]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए धनराशि का उपयोग

694. **श्री राजो सिंह:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए ग्रामीण विकास की 60 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में किन-किन जिलों में यह मिशन कार्य कर रहा है; और

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रत्येक राज्य को इस मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कार्यान्वित करती आ रही हैं। केन्द्र सरकार राजीव गांधी पेयजल मिशन के माध्यम से राज्य सरकार के इन प्रयासों की त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता देकर उनकी सहायता करती है। बिहार राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान प्रत्येक राज्य को आवंटित राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन		
	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	60.270	66.180	79.640
अरुणाचल प्रदेश	10.920	12.000	14.440

1	2	3	4
असम	18.450	20.260	24.380
बिहार	70.990	77.950	93.800
गोआ	1.700	1.890	2.270
गुजरात	38.500	41.970	48.870
हरियाणा	23.120	24.410	27.360
हिमाचल प्रदेश	12.150	13.310	15.960
जम्मू व कश्मीर	33.620	36.880	44.310
कर्नाटक	55.440	60.870	73.250
केरल	28.190	30.950	37.240
मध्य प्रदेश	66.730	73.270	88.170
महाराष्ट्र	80.230	88.100	106.020
मणिपुर	4.010	4.400	5.290
मेघालय	4.300	4.720	5.680
मिजोरम	3.070	3.370	4.060
नागालैंड	4.220	4.220	4.220

1	2	3	4
उड़ीसा	31.590	34.680	41.730
पंजाब	10.060	11.050	13.300
राजस्थान	97.390	103.870	118.630
सिक्किम	3.720	3.720	3.720
तमिलनाडु	47.790	52.470	63.140
त्रिपुरा	3.800	4.180	5.030
उत्तर प्रदेश	111.820	122.780	147.750
पश्चिम बंगाल	43.170	47.400	57.040
अंडमान निकोबार	0.440	0.250	0.125
दादर व नगर हवेली	0.250	0.150	0.125
दिल्ली	0.290	0.300	0.050
लक्षद्वीप	0.120	0.000	0.125
पांडिचेरी	0.300	0.200	0.050
दमन व दीव	0.150	0.100	0.125
कुल	866.800	945.900	1126.900

[अनुवाद]

गुवाहाटी विमानपत्तन का उन्नयन

695. डा. जयन्त रंगपी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी विमानपत्तन का उन्नयन करके उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने संबंधी कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है जैसा कि 20 सितम्बर, 1998 के एन.एफ. टाइम्स में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) प्रारंभ में घरेलू टर्मिनल भवन का विस्तार/परिवर्तन करके माडल विमानपत्तन के बतौर योजना थी। इस कार्य के निष्पादन में विलंब हुआ। यह कार्य अप्रैल, 1993 में अवार्ड किया गया था और यह मई, 1995 में पूरा किया जाना अनुसूचित था। यह कार्य पिछले ठेकेदार द्वारा दर्शाई गई असंतोषजनक प्रगति के कारण पूरा नहीं किया जा सका तथा यह कार्य मार्च, 1996 में निरस्त कर दिया गया था। शेष कार्य को नवम्बर, 1996 में अवार्ड किया गया था। टर्मिनल भवन के विस्तार तथा परिवर्तन संबंधी संशोधित अनुसूचित तारीख मई, 1999 है। चरण-2 के अधीन, एक अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण तथा धावनपथ का विस्तार/सुदृढ़ीकरण कार्य को वर्ष 1999-2000 के दौरान हाथ में लिया जाएगा।

विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

- उच्चतम न्यायालय द्वारा वनक्षेत्र से उत्खनन संबंधी लगाए गए प्रतिबंध के कारण निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता।
- क्षेत्र में अशांत स्थिति।
- प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां।

ठेकेदारों पर अनुशासन संबंधी संहिता लागू किया जाना

696. डा. विजय सोनकर शास्त्री: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार कार्य समाप्त होने के पश्चात् कच्चा माल/बेकार की सामग्रियां सामान्यत: सड़क पर ही छोड़ देते हैं जिससे यातायात में असुविधा तथा बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) क्या सरकार ने सुगम सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में कोई अनुशासन संबंधी संहिता तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह की उपेक्षा के लिए दोषी पाए गए ठेकेदारों/व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) के.लो.नि.वि. के ठेकेदार आमतौर पर काम समाप्त होने के बाद कच्ची सामग्री/कचरा हटा देते हैं।

(ख) और (ग) जी हां, संविदा मानक फार्म का खण्ड 8 तथा के.लो.नि.वि. सुरक्षा संहिता, जो के.लो.नि.वि. के ठेकों का भाग है विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें जनता को होने वाली असुविधाओं तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदारों को स्थल साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि उस स्थल की स्थितियां ऐसी हैं तो सुगम तथा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए उस कार्य के लिए ठेके में अतिरिक्त शर्तें रखी जाती हैं। संविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर, ठेके के निबंधनों अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

विवरण

संविदा मानक फार्म

खण्ड 8:

कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र और कार्य पूरा होने की योजनाएं

कार्य के पूरा होने के दस दिन के भीतर ठेकेदार ऐसे पूरे होने की सूचना भारसाधक इन्जीनियर को देगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर भारसाधक इन्जीनियर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई दोष न हो तो ठेकेदार को अंतिम समापन प्रमाण-पत्र देगा अन्यथा ऐसे दोष (क) जो ठेकेदार द्वारा ठीक दिए जाने हैं और या (ख) जिनके लिए संदाय घटी हुई दरों पर किया जाएगा, उपदर्शित करते हुए भौतिक रूप में कार्य पूरा होने का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, किन्तु जब तक ठेकेदार उस परिसर से, जिस पर कार्य निष्पादित किया गया है, सब पाड़, बचा हुआ सामान, कूड़ा-करकट और सभी झोपड़ियां तथा सफाई व्यवस्थाएं, जो ठेकेदार(रों) कर्मकारों के लिए स्थल पर कार्य के निष्पादन के संबंध में अपेक्षित हों और उसके/उनके द्वारा परिनिर्मित या सन्निर्मित हों, हटा न दे और जब तक सभी

काष्ट की चीजों, दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों, फर्सों या भवन के जिसमें, जिस पर या जिसके निकट कार्य निष्पादित किया जाना है, या जिसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए वह उनके कब्जे में रहा हो, अन्य भागों से गन्दगी साफ न कर दे और जब तक भारसाधक इंजीनियर द्वारा कार्य की माप न कर ली गई हो, तब तक पूरा होने का, अंतिम प्रमाण-पत्र न तो जारी किया जाएगा और न कार्य ही पूरा हुआ माना जाएगा। यदि ठेकेदार कार्य के पूरा करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व यथापूर्वोक्त पाड़ तथा बचे हुए सामान और कूड़ा-करकट और सभी झोपड़ियों तथा सफाई व्यवस्था को हटाने के और गन्दगी साफ करने के संबंध में इस खण्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहेगा तो भारसाधक इन्जीनियर ठेकेदार के व्यय पर ऐसे पाड़, बचे हुए सामान और कूड़ा-करकट आदि हटा सकेगा और जिस प्रकार वह उचित समझे उसका निपटान कर सकेगा और ऐसी गन्दगी की सफाई कर सकेगा और ठेकेदार का, यथापूर्वोक्त, ऐसे पाड़, बचे हुए सामान के बारे में, उसकी बिक्री द्वारा वस्तुतः प्राप्त किसी राशि के सिवाय कोई दावा नहीं होगा।

के.लो.नि.वि. सुरक्षा संहिता

1. कर्मचारी के लिए ऐसी छोटी कालावधि वाले कार्यों को छोड़कर, जिनको सीढ़ियों से निरापद रूप से किया जा सकता हो, उन सभी कार्यों के लिए, जिनको जमीन से या ठोस-निर्माण से निरापद रूप से नहीं किया जा सकता हो, यथोचित पाड़ का उपबन्ध करना चाहिए। जब सीढ़ी का प्रयोग किया जाए तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए अतिरिक्त मजदूर नियुक्त किया जाएगा और यदि सीढ़ी सामान ले जाने के लिए भी उपयोग में लाई जाए तो सीढ़ी पर यथोचित पावदानों और हाथ के लिए सहारों की व्यवस्था होगी और सीढ़ी की आनति 1 पर 1/4 के अनुणात (1/4 क्षैतिज और 1 ऊर्ध्वार्ध) से अधिक ढालू न होगी।

2. भूमि या फर्श से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंची पाड़ या मंच पर जो उर्ध्वस्थ आधार से झूलता हुआ या लटकता हुआ हो, या स्थिर आधार से खड़ा किया गया हो, समुचित रूप से सम्बद्ध, बोल्टयुक्त, कसी हुई और अन्यथा मजबूती से बंधी हुई बचाव रेल होगी, जो ऐसे पाड़ का मंच के फर्श या प्लेटफार्म से कम से कम 90 से.मी. (3 फुट) ऊँची होगी और उसके बाहर और सिरों पर सम्पूर्ण लम्बाई पर लगी होगी और जिसमें ऐसे द्वार होंगे जो सामग्री के परिवहन के लिए आवश्यक हो, ऐसे पाड़ या मंच को ऐसे बांधा जायगा कि वह भवन या संरचना से झुले नहीं।

3. कार्य प्लेटफार्मों, गलियारों और जीनों को ऐसे सन्निर्मित किया जाना चाहिए कि उन पर अनावश्यक या असमान रूप से झोल न पड़े और यदि प्लेटफार्म, गलियारा या जीना, भूमि या फर्श स्तर से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊँचा हो तो उसमें तख्ते पास-पास लगे होने चाहिए, उसकी पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए, और उसको ऊपर पैरा (9) में वर्णित यथोचित रूप से बांधा जाना चाहिए।

4. भवन या कार्य प्लेटफार्मों में हर द्वार को व्यक्तियों या सामग्री को गिरने से बचाने के लिए यथोचित बाड़ या जंगले द्वारा, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 90 से.मी. (3 फुट) होगी यथोचित रूप से घिरा होना चाहिए।

5. सभी कार्य प्लेटफार्मों और अन्य कार्यस्थानों तक पहुंचने के लिए निरापद साधनों का उपबंध होगा। हर सीढ़ी मजबूती से लगी होनी चाहिए। कोई भी सुवाह्य अकेली सीढ़ी लम्बाई में 9 मीटर (30 फुट) से अधिक न होगी जबकि डण्डों वाली सीढ़ी में खड़ी रेलों के बीच चौड़ाई 3 मीटर (10 फुट) तक लम्बी सीढ़ी में किसी दशा में 29 से.मी. ($11^1/_2$) से कम न होगी। अधिक लम्बी सीढ़ियों में इस चौड़ाई में लम्बाई के हर एक अतिरिक्त 30 से.मी. (1 फुट) के 1/4" वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार पौड़ियों के मध्य जगह 30 से.मी. (12 इंच) से अधिक न होगी। विद्युत उपस्कर से होने वाले खतरे के निवारण के लिए यथायोग्य पूर्व सावधानियां रखी जायेगी। किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी सामग्री इस प्रकार नहीं की या रखी जोगी कि वह किसी व्यक्ति या जनता के लिए खतरा या असुविधा उत्पन्न करे। जनता या दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार सभी आवश्यक बाड़ों और प्रकाश की व्यवस्था करेगा और उक्त पूर्वावधानियों की उपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए किन्हीं व्यक्तियों द्वारा विधि के अधीन लाए गए हर मद, अनुयोग या अन्य हितों में प्रतिरक्षा के व्ययों का भार उठाने के लिए और ऐसी किसी नुकसानी या खर्चों का संदाय करने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को ऐसे किसी वाद अनुयोग या कार्यवाही से अधिनिर्णीत किया जाए जो, ठेकेदार की सहमति से, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे किसी दावे में समझौता करने के लिए संदत्त किया जाए।

6. *उत्खनन और खाई खोदना*—1.2 मीटर (4 फुट) या अधिक गहरी सभी खाईयों के लिए सभी समयों पर लम्बाई के हर एक 30 मीटर (100 फुट) या उसके किसी भाग के लिए कम से कम एक सीढ़ी प्रदाय की जाएगी। सीढ़ी खाई की तली से लेकर भूमि की सतह से कम से कम 90 से.मी. (3 फुट) ऊपर तक की होगी। 1.5 मीटर (5 फुट) या अधिक गहरी खाईयों की दीवारें यथोचित ढलान देने के लिए समतल (पक्की) होंगी या उन पर काष्ठ के तख्तों की मजबूत रोक लगी होगी ताकि दीवारों के ढहने का खतरा न रहे। खोदी गई सामग्री खाई के किनारों 1.5 मीटर (5 फुट) के भीतर या खाई की गहराई के आधे के बराबर दूरी के भीतर उनमें जो भी अधिक हो, नहीं रखी जाएगी।

कटाई शीर्ष से तली तक की जाएगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में तलोच्छेदन या कम कटाई न की जाएगी।

7. ढाना-ढाने का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य प्रक्रिया के दौरान भी-

(1) कार्यस्थल के पार्श्वस्थ सभी सड़कें और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएंगे या उनमें बचाव की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

(2) ऐसा कोई भी विद्युत केबिल या साधित्र जिसमें खतरा उत्पन्न हो सकता हो या आपरेटर द्वारा प्रयुक्त होने वाला केबिल या साधित्र विद्युत आवेशित नहीं होगा।

(3) नियोजित व्यक्तियों को अग्नि या विस्फोट या बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए सभी व्यवहारिक कदम उठाए जायेंगे। भवन के किसी भी फर्श, छत या भाग, को मलबे या सामग्री से इतना अतिभारित न किया जायेगा कि वह असुरक्षित हो जाए।

8. कार्यस्थल पर नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसे सभी आवश्यक वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध रखे जाने चाहिए जो भारसाधक इन्जीनियर पर्याप्त समझे और उनको ऐसी हालत में अनुरक्षित रखा जाना चाहिए कि वे तुरन्त उपयोग के लिए उपयुक्त हो, यथा ठेकेदार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यथायोग्य कदम उठाएगा।

(1) ऐसफाल्टिक सामग्री, सीमेंट और चूने का मसाला मिलाने के लिए नियोजित कर्मकारों को बचाव जूते और बचाव-चश्में दिए जाएंगे।

(2) सफेदी करने और सीमेंट के बोरों को या ऐसी सामग्री को, जो आँखों के लिए हानिकारक हो, मिलाने के लिए या उनके ढेर लगाने के काम में नियोजित व्यक्तियों को बचाव-चश्में दिए जाएंगे।

(3) ढलाई कार्य में नियोजित व्यक्तियों को इसाईगरों की आंखों की रोशनी के बचाव के लिए काम में आने वाले ढक्कन दिए जाएंगे।

(4) पत्थर तोड़ने वालों के लिए बचाव-चश्मे और बचाव-वस्त्रों और पर्याप्त रूप से सुरक्षित दूरी पर बैठाने की व्यवस्था होगी।

(5) जब कर्मकार ऐसी मल-नालियों और मैन-होलों में नियोजित किए जाएं जो काम में लाए जा रहे हों, तब ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मैन-होलों में कर्मकारों के प्रवेश करने के कम से कम एक घंटे पूर्व उनके ढक्कन खोल दिए जाएं और उन्हें संवातिक कर दिया जाए तथा ऐसे खोले गए मैन-होलों को, जनता को खतरे से बचाने के लिए यथोचित जंगलों से घेर दिया जाना चाहिए और उन पर चेतावनी सिंगनल या बोर्ड लगा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाता है।

(क) लाइन में कर्मचारियों का प्रवेश कनिष्ठ इंजीनियर तथा किसी अन्य उच्च अधिकारी के पर्यवेक्षाधीन के अलावा अनुमेय नहीं किया जाए।

(ख) सिरे के साथ नीचे के कम से कम 5 से 6 तक मेनहोल किसी कर्मचारी को भीतर काम करने के लिए मेनहोल में प्रवेश की अनुमति देने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे तक खुले रखे जाएं।

(ग) प्रवेश से पहले भीगा लैडएसीटेट पेपर डालकर विषैली गैसों की उपस्थिति की जांच की जाए तो ऐसी गैसों की उपस्थिति से रंग परिवर्तन कर लेता है, तथा उनकी उपस्थिति को सूचित कर देता है।

(घ) मेनहोल में अन्वेषी लैम्प डालकर आक्सीजन की विद्यमानता का सत्यापन कर लिया जाए। यदि सीवर लाइन के भीतर आक्सीजन नहीं पाया जाता है तो कर्मचारियों को आक्सीजन किट सहित भेजा जाए।

(ङ) कर्मचारियों को रज्जु सहित सुरक्षा पेटी मुहैया की जाये। मेनहोल के भीतर काम करते समय ऐसी रज्जु बाहर खड़े दो व्यक्ति पकड़े रहे ताकि आपातकाल के दौरान उसे खींचा जा सके।

(च) उपयुक्त माध्यमों द्वारा क्षेत्र को घेर दिया जाए अथवा रस्सी का बाड़ा बना दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को दूर किया जा सके। रात्रि अथवा दिन के दौरान जब भी सफाई कार्य किए जाएं, उचित चेतावनी संकेत जनता की सुरक्षा हेतु प्रदर्शित किए जाएं।

(छ) सफाई किए जा रहे बंद मेनहोल के पास धूम्रपान अथवा अग्नि जलाना अनुमेय न किया जाए।

(ज) बंद मेनहोल अथवा सीवर लाइन की सफाई के कारण प्राप्त मलबे को मलबे की फिसलन के कारण दुर्घटना रोकने के लिए तुरंत ही हटा दिया जाए।

(झ) कर्मचारियों को मेनहोल के भीतर लगातार काम करने की अनुमति न दी जाए। उसे अंतरायिक रूप से विश्राम दिया जाये। प्रभारी इंजीनियर यह समय नियत करे जिस तक कि किसी कर्मचारी को मेनहोल के भीतर लगातार काम करने के लिए अनुमेय दिया जाए।

(ञ) आपातकाल में प्रयोग में लाने के लिए स्थल पर आक्सीजन सिलेंडरों सहित गैस मास्क रखे जाएं।

(ट) मेनहोल में शुद्ध वायु प्रवाह हेतु जब भी अपेक्षित हो, वायु प्रवाहक उपयोग में लाए जाएं। मेनहोल के यातायनन हेतु सुवहनन वायु प्रवाहकों की सिफारिश की जाती है। इनकी मोटरें वाष्परोधी होनी चाहिए तथा पूर्णतया बंद होनी चाहिए। चिंगारी विहीन गैस इंजिन भी उपयोग में लाए जा सकते हैं परंतु वे मुहाने से कम से कम 2 मीटर दूर रखे जाने चाहिए तथा निचली तरफ वायु से सुरक्षित हो ताकि ये विद्यमान किसी भी ज्वलनशील गैस के घर्षण का स्रोत न बन सकें।

(ठ) मेनहोल/सीवरों की सफाई के लिए लगाए गए कर्मचारी मेनहोल में काम करने की अनुमति दिए जाने से पहले उचित रूप से प्रशिक्षित किए जाएं।

(ड) कर्मचारियों को गमबुट अथवा अग्निरोधी जूते, लंप, हैल्मेट तथा दस्ताने अग्निरोधी औजार सुरक्षा लाइन एवं गैस मास्क तथा सुवाहन वायु प्रवाहक (जब कभी आवश्यक हो) मुहैया किया जाए। सीवर लाइनों के भीतर काम करने से पहले उन्हें अवयवों पर लगाने के लिए बैरीयर क्रीम दी जानी चाहिए।

(ढ) मेनहोल के नीचे उतरते हुए कर्मचारी को सीढ़ी के प्रत्येक डंडे की सावधानीपूर्वक अपना पूरा वजन रखने से पहले जांच कर लेनी चाहिए ताकि मेनहोल भिति में लगे डंडे के जंग के कारण असुरक्षित फिसलन से बचा जा सके।

(ण) यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगी हो तो उसे सीवर से तुरंत ही बाहर निकाला जाए तथा उसे पर्याप्त चिकित्सा सहायता मुहैया की जाए।

(त) एहतियातें किस सीमा तक बर्ती जाएं पृथक-पृथक परिस्थिति पर निर्भर करता है परन्तु प्रभारी इंजीनियर का किसी विशेष मामले में इस विषय में किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय अंतिम होगा।

(6) ठेकेदार 18 वर्ष की आयु वाले पुरुषों और स्त्रियों को ऐसे उत्पादों द्वारा रंगने के कार्य पर, जिनमें किसी भी रूप में सीसा अन्तर्विष्ट हो, नियोजित नहीं करेगा। जहां कहीं 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्ति सीसा द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएं वहां निम्नलिखित पूर्वावधानियां रखी जाएंगी:-

(क) सीसा या सीसा उत्पादों को अन्तर्विष्ट करने वाला कोई भी पेन्ट जब तक कि, पेस्ट या तैयार पेन्ट के रूप में न हो उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(ख) जब पेन्ट कुम्हार द्वारा या ऐसी जगह पर किया जाना जो जिस पर से सीसे का पेन्ट शुष्क रगड़ा या खुरचा गया हो, कर्मकारों के उपयोग के लिए यथोचित मुसपट का प्रदाय किया जाना चाहिए।

(ग) ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को प्रदत्त किए जाएंगे और कार्य करने वाले पेंटरों के लिए ऐसी यथायोग्य सुविधाओं का उपबंध होना चाहिए कि वे उन वस्त्रों को कार्य बंद करने के समय धो सकें।

9. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सुरक्षा संहिता (पअ) का अतिरिक्त खण्ड (अपप) (एक) ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों और पुरुषों को ऐसे उत्पादों द्वारा रंगने के कार्य पर, जिनमें किसी भी रूप में सीसा अन्तर्विष्ट हो, नियोजित नहीं करेगा। जहाँ 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष सीसे द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएँ ऐसे कार्य के लिए निम्नलिखित नियमों का अवश्य पालन किया जाए:

(1) सफेद सीसा, सीसे का सल्फेट या इस रंजक वाले उत्पादन को रंगन काम में तैयार मिश्रण के रूप को छोड़कर अन्य रूपों में काम में नहीं लाना चाहिए।

(2) स्प्रे के रूप में रंग करने से उत्पन्न होने वाले खतने से बचाने के लिए आवश्यक उपक्रम करना चाहिए।

(3) सूखा रगड़ने से जो धूल निकलती है, उससे बचाव के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

(4) रंग लगाने वालों को काम पूरा होने पर धोने के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।

(5) रंगन करने वाले को काम करते समय ऊपरी कपड़ा पहने रहना चाहिए।

(6) कपड़ों को रंगन कार्य करते समय खराब हो जाने से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।

(7) सीसे द्वारा विषाक्त या इस प्रकार का सन्देह जहाँ हो ऐसे लोगों के विषाक्ता प्रमाणित और परिचर्या के लिए के.लो.नि.वि. द्वारा नियुक्त अधिकृत वैधिकृता वैधकीय परीक्षक द्वारा परीक्षण होना चाहिए।

(8) के.लो.नि.वि. जब जरूरी हो तब काम करने वालों के वैधकीय परीक्षा की मांग कर सकता है।

(9) रंगन काम में लगे कर्मचारियों को रंगन संबंधी स्वास्थ्यात्मक पूर्वरक्षण सूचनाएं वितरित करनी चाहिए।

10. जब काम किसी ऐसे स्थान के पास किया जाना हो, जहाँ डूबने का जोखिम हो जो सभी आवश्यक उपस्करों का उपबंध होना चाहिए और उपयोग के लिए तैयार रहने चाहिए और खतरे में पड़े व्यक्ति के तत्पर बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ की जानी चाहिए और कार्य के अनुक्रम में उठाई जा सकने वाली संभाव्य सभी क्षतियों के तत्पर प्राथमिक उपचार के लिए यथायोग्य उपबंध किया जाना चाहिए।

11. होइस्टिंग मशीन और टैकाल, का जिसके अंतर्गत उनकी संलग्न जकड़ और अवलम्ब भी आते हैं, का उपयोग निम्नलिखित मानक या शर्तों के अनुरूप होगा:-

(1) (क) यह अच्छी यांत्रिक सनिर्मित के, सुसामग्री युक्त और यथायोग्य दृढ़तावान और प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होंगी और अच्छी तरह मरम्मत की हुई तथा चालू हालत में रखी जाएंगी।

(ख) हर रस्सी, जिसको सामग्रियों को ऊपर उठाने या नीचे लाने या निलम्बन के उपयोग में लाया जाए मजबूत क्वालिटी और यथायोग्य दृढ़ता की तथा प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी।

(2) हर क्रेन चालक या होईस्टिंग सापित्र आपरेटर समुचित रूप से अंहित होगा और 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी होईस्टिंग मशीन का, जिसके अंतर्गत पाड़ विंच आता है भार साधक न होगा न ही आपरेटर को सिग्नल देगा।

(3) हर-होइस्टिंग मशीन और हर चैन रिंग हुक में ऊपर उठाने या नीचे लाने के लिए या निलम्बन के साधन स्वरूप उपयुक्त शैकल स्विवेल और पुली ब्लांक के सुरक्षित कार्यकरण बोझ को यथायोग्य साधनों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ऊपर निर्दिष्ट होइस्टिंग मशीन पर और सभी गियरों पर सुरक्षित कार्यकरण बोझ साफ-साफ चिन्हित होगा ऐसी होइस्टिंग मशीन की दशा में, जिसका सुरक्षित कार्यकरण बोझ परिवर्तनशील हो, हर एक सुरक्षित कार्यकरण बोझ, उन शर्तों सहित, जिनके अधीन वह लागू होता हो, स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा। इस पैरा में ऊपरनिर्दिष्ट मशीन या किसी गीयर के किसी भी भाग को सुरक्षित कार्यकरण बोझ से अधिक, परीक्षण के प्रयोजन के सिवाय भारित नहीं किया जाएगा।

(4) विभागीय मशीनों की दशा में सुरक्षित कार्यकरण बोझ को भारसाधक विद्युत इंजीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जहाँ तक ठेकेदारों की मशीनों का संबंध है, ठेकेदार जब कभी यह कार्यस्थल पर कोई मशीनरी लाए मशीन के सुरक्षित कार्यकरण बोझ को भारसाधक इंजीनियर को अधिसूचित करेगा और संबंधित विद्युत इंजीनियर से उसका सत्यापन करवाएगा।

12. होइस्टिंग साधित्रों के मोटर, गियरिंग, पारेषण, विद्युत वायरिंग और अन्य खतरनाक भागों को निरापद रखने के लिए दक्ष उपबंध करना चाहिए जिससे लदान के अकस्मात नीचे आ जाने की दशा में जोखिम न्यूनतम हो जाए। निम्नलिखित लदान के किसी भी भाग के आसपास विस्थापित हो जाने की दशा में जोखिम न्यूनतम करने के लिए यथायोग्य पूर्वावधानियाँ बरती जाएँ जबकि कर्मकार ऐसे विद्युत संस्थापन पर नियोजित हों जो पहले से ही अर्जित हो तो उनके लिए आवश्यकता अनुसार विंदाही चटाईयाँ, पहनने वाले वस्त्र अर्थात् दस्ताने, बाहें और बूटों का उपबंध होना चाहिए। कर्मकारों को अंगूठियाँ और घड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए और चाबियाँ या अन्य ऐसी सामग्री नहीं ले जानी चाहिए जो विद्युत की सुसंवाहक हो।

13. सभी पाड़ सीढ़ियाँ और अन्य सरक्षा युक्तियों को, जिनको इसमें उल्लिखित या वर्णित किया गया है, सुरक्षित अवस्था में रखा जाना चाहिए और किसी भी पाड़ सीढ़ी या उपस्कर को, जबकि वह उपयोग में हो, परिवर्तित न किया जायेगा या हटाया न जायेगा। कार्यस्थलों पर या उनके निकट यथायोग्य धुलाई सुख-सुविधाओं का उपबंध होना चाहिए।

14. सुरक्षा उपबंधी सभी संबंधितों की सूचना के लिए कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर लगे सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना चाहिए। सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए ठेकेदार द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति का नाम उसमें दिया जाएगा।

15. सुरक्षा पूर्वावधानियों से संबंधित नियमों और विनियमों के प्रभावकारी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए इन्तजाम विभाग के श्रम आफिसर, भारसाधक इंजीनियर या उनके प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

16. खण्ड (1) से लेकर (15) तक के होते हुए भी उसमें की कोई बात ठेकेदार को भारत गणराज्य में प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या नियम के प्रवर्तन से छूट नहीं देता।

उखाली रेलवे स्टेशन बन्द करना

697. श्री सुरेश वरपुडकर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत परभनी जिले के गंगाखेड में उखाली रेलवे स्टेशन को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय के विरुद्ध सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई तथा किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) कम लोकप्रिय होने के कारण उखाली हाल्ट स्टेशन को 15.9.98 से बंद कर दिया गया था।

(ग) जी हाँ।

(घ) अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और इस हाल्ट को पुन: खोलना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

रेल फाटकों का निर्माण

698. श्रीमती शीला गौतम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलीगढ़ (उ.प्र.) में रामघाट रोड पर रेल फाटक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है जिसकी स्वीकृति पहले भी प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा निर्माण कार्य शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) अलीगढ़ स्टेशन के पूर्वी सिरे पर एक अन्तर्पाशित समपार संख्या 109-ए पहले ही मौजूद है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लेवल क्रॉसिंग पर रेल-बस दुर्घटना

699. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नलगोंडा जिला के बोथालपालेम स्थान पर 25 सितम्बर, 1998 को एक मालगाड़ी के इंजन ने चौकीदार रहित लेवल क्रासिंग पर आंध्र प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की बस के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे;

(ग) इस दुर्घटना में मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) चौकीदार रहित लेवल क्रासिंग को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी हां। 25.9.98 को लगभग 8.05 बजे दक्षिण मध्य रेल पर विजयवाडा मंडल के विष्णुपुरम तथा मिरयालागुडा स्टेशनों के बीच चौकीदार रहित समपार पर डीज़ल लाइट इंजन की एक बस से टक्कर हुई थी। यह दुर्घटना बस के ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई थी;

(ग) इस दुर्घटना में 19 व्यक्ति मारे गए तथा 35 घायल हुए थे।

(घ) और (ङ) जी हां। जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि यह दुर्घटना बस के ड्राइवर द्वारा समपार पार करने से पूर्व मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 के तहत यथा निर्धारित एहतियात बरतने में चूक के कारण हुई।

(च) चौकीदार रहित समपार दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) चौकीदार रहित समपारों पर दोनों साइडों पर सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए चेतावनी बोर्ड मुहैया कराए गए हैं;

(2) रेलपथ के दोनों ओर सीटी बोर्ड मुहैया कराए गए हैं ताकि गाड़ी ड्राइवर सीटी दे सके और इस मामले में इंजन ड्राइवर जब गाड़ी समपार पर गुजरती है, लगातार सीटी/हार्न बजाता रहता है।

(3) समपार को दृश्यता स्पष्ट रखी जाती है।

(4) सभी चौकीदार रहित समपारों पर घात लगाकर आवधिक रूप से जांचें आयोजित की जाती हैं;

(5) सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, सिनेमा घरों में स्लाइडों के प्रदर्शन, पोस्टर जारी करके तथा स्थानीय निकायों के साथ बैठकें करके व्यापक प्रचार किया जाता है।

निजामुद्दीन-त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता

700. श्री टी. गोविन्दन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजामुद्दीन और त्रिवेन्द्रम के बीच चल रही राजधानी एक्सप्रेस को हर रोज चलाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई थी। त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करना फिलहाल परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

अलीगंज, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का गिराया जाना

701. श्री नृपेन गोस्वामी: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अलीगंज स्थित सरकारी क्वार्टरों को गिराए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे क्वार्टरों को गिराये जाने से पूर्व वहां के आवंटितियों को दूसरी सरकारी कालोनियों में स्थानान्तरित करने का है;

(घ) क्या अलीगंज के खाली पड़े क्वार्टर असामाजिक तत्वों का अड्डा बने हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक कदम उठाए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) पुनर्विकास स्कीम के तहत अलीगंज स्थित टाइप-1 क्वार्टरों को चरणों में ढहाया जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत पुराने क्वार्टरों को ढहाने के पश्चात नए क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) आबंटियों द्वारा खाली करने पर क्वार्टर ढहाए जाएंगे।

(घ) 90 क्वार्टरों में अनधिकृत अतिक्रमण पाया गया।

(ङ) अनधिकृत क्वार्टरों को खाली कराने के लिए पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में "युद्ध संग्रहालय"

702. श्री विजय गोयल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली में "युद्ध संग्रहालय" स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संग्रहालय में रक्षा सेनाओं के किस युग के शस्त्र रखे जाएंगे;

(घ) इसे कब तक तैयार कर लिया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ङ) क्या इस संबंध में कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है; और

(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (च) (1) धौला कुआं में 32 एकड़ जमीन पर एक नेशनल वार म्यूजियम बनाए जाने का एक प्रस्ताव है।

2. उक्त जमीन पर नेशनल वार म्यूजियम का निर्माण किए जाने के वास्ते दिल्ली विकास प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति ली जा रही है। स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् संकल्पनात्मक और वास्तुशिल्पीय डिजाइन तैयार किया जाएगा। संकल्पनात्मक और वास्तुशिल्पीय डिजाइन बना लिए जाने के बाद ही इस परियोजना की लागत और उसे पूरा करने में लगने वाले समय का हिसाब लगाया जा सकेगा।

पेय जल योजनाएं

703. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को मंजूरी हेतु भेजी गई पेयजल योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) वैयक्तिक ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की मंजूरी तथा कार्यान्वयन की शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है। इसीलिए संघ सरकार के अनुमोदन के लिए बिहार सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परम्परागत व्यवसाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन

704. श्री रामपाल उपाध्याय: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान में मत्स्य, चर्म, बर्तन जैसे परम्परागत व्यवसायों तथा अन्य ग्रामीण व्यवसायों के संवर्द्धन तथा इन व्यवसायों को व्यावसायिक रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकार के सहयोग से ऐसे व्यवसायों के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए दो योजनाएं क्रियान्वित करता है—ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार की आपूर्ति (सिट्रा) तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)

ये दोनों योजनाएं राजस्थान समेत पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। सिट्रा के अंतर्गत जुलाहों, दर्जी, हाथ से सिलाई करने वालों तथा बीड़ी बनाने वालों के अलावा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कुम्हार, मोची रहित सभी पारम्परिक ग्रामीण कारीगरों को सम्मिलित किया गया है। मछुआरों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

(ख) सिट्रा कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे उन्नत किस्म के औजारों के उपयोग से अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सके तथा उत्पादन एवं आय बढ़ा सके। सामान्यत: हस्तचालित औजार किट की कीमत 2000 रुपये तथा शक्ति चालित औजारों की कीमत 4500 रुपये है। प्रति इकाई मूल्य सम्बद्ध जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा तय किया जाता है। औजार की किट की लागत का 90% केन्द्र सरकार द्वारा सबसिडी के रूप में दी जाती है तथा शेष 10% का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जाता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को स्थायी आय सृजन के लिए आवधिक ऋण के रूप में उत्पादक परिसम्पत्तियाँ तथा सरकारी सबसिडी उपलब्ध करायी जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

एअर इंडिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

705. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एअर इंडिया के स्टाफ की कुल संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछली रिक्तियाँ बकाया है;

(ग) यदि हाँ, तो पदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एअर इंडिया का विचार विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से इन पदों को भरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक इन पदों को भरे जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार, एअर इंडिया में कुल 18,751 कर्मचारी हैं जिनमें 4164 अनुसूचित जाति के तथा 1096 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी, हाँ। विवरण इस प्रकार है:

समूह	अ.जा.	अ.ज.जा.
क	18	14
ख	17	31
ग	01	05
घ	02	47

(घ) और (ङ) फिलहाल एअर इंडिया में गैर-प्रचालनात्मक कोटियों में भर्ती बंद है। जब कभी प्रचालनात्मक कोटियों में भर्ती की जानी होती है, एअर इंडिया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

[हिन्दी]

गाँवों का शहरीकरण

706. श्री रामेश्वर पाटीदार: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अब तक सरकार ने कुल कितने गांवों का शहरीकरण किया है; और

(ख) निकट भविष्य में कितने गांवों के शहरीकरण का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड तथा

नई दिल्ली नगर परिषद के अनुसार दिल्ली में शहरीकृत गांवों की संख्या इस प्रकार है:

दिल्ली नगर निगम	–	135 गांव
दिल्ली छावनी बोर्ड	–	8 गांव
नई दिल्ली नगर परिषद	–	1 गांव

(ख) दिल्ली नगर निगम तथा डी डी ए ने बताया है कि क्रमश: 15 तथा 68 गांवों के शहरीकरण का प्रस्ताव है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा घरेलू क्षेत्र में विमान सेवाएं चलाने संबंधी नीति

707. **श्री सुशील चंद्र वर्मा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने विदेशी कम्पनियों द्वारा घरेलू विमान सेवाएं चलाने के लिए क्या नीति तैयार की है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा किन-किन विदेशी कम्पनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) विद्यमान नीति के अनुसार, घरेलू विमान परिवहन सेवा में 100 प्रतिशत एन आर आई/ओ सी बी इक्विटी तथा 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी स्वीकार्य है। तथापि, विदेशी विमान कंपनियों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी की मनाही है।

(ख) सरकार ने इस संबंध में किसी भी विदेशी कंपनी के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

विदेशों में एअर इंडिया के कर्मचारी

708. **श्री सुनील खाँ:**
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ:
श्री अजय मुखोपाध्याय:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों और विदेश स्थित स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां भारत से एअर इंडिया के अधिकारी/कर्मचारी तैनात है;

(ख) क्या एअर इंडिया की विदेशों में तैनाती के संबंध में कोई नीति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मुख्यत: अधिकारियों/स्टाफ की वरिष्ठता के क्रम में तथा उनके अनुभव और लगातार अच्छे सेवा रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए विदेश में पोस्टिंग करने के लिए उनके नामों पर विचार किया जाता है।

जिन स्टेशनों/क्षेत्रों में एअर इंडिया के अधिकारियों/स्टाफ की पोस्टिंग की गई है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

स्टेशन क्षेत्रों का विवरण

स्टेशन	क्षेत्र
1	2
न्यूयार्क शिकागो वाशिंगटन लॉस एंजिल्स	यू.एस.ए./कनाडा
लंदन मेनचेस्टर	यूनाइटेड किंगडम
एमस्टरडम कोपेनहेगन फ्रेंकफर्ट रोम मिलन पेरिस ब्रुसेल प्रेग	यूरोप

1	2
जोहेन्सबर्ग	अफ्रीका
दार-ए-सलाम	
नैरोबी	
लागोस	
लुसाका	
एंटेबे	
मारीशस	
दुबई	खाड़ी एवं मध्यपूर्व
आबू धाबी	
बहरीन	
देहरान	
दोहा	
जेद्दाह	
कुवैत	
मस्कट	
रियाद	
हांग-कांग	सुदूर पूर्व
बैंकाक	
ओसाका	
टोक्यो	
जकार्ता	दक्षिण पूर्व एशिया
कुआलालम्पुर	
सिंगापुर	
सिडनी	आस्ट्रेलिया
ऑकलैंड	
मास्को	रूस
तेल अवीव	इजराइल

इंडियन एयरलाइंस में कर्मचारियों की संख्या

709. **श्री अजय मुखोपाध्याय:**
श्री सुनील खां:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1997-98 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की संवर्गवार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष परिचालन खर्च की तुलना में वेतन और भत्तों पर अलग-अलग कुल कितना प्रतिशत खर्च किया गया?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) दिनांक 31 मार्च, 1995, 31 मार्च, 1996 तथा 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारियों का कोटिवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वित्त वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1997-98 में भविष्य निधि और उपदान सहित वेतन और भत्तों पर हुआ व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में नीचे दिया गया है:

वर्ष	1994-95	1995-96	1997-98
प्रतिशत (%)	13.1	18.3	21.6

विवरण

क्र.सं.	कोटि	31.03.1995	31.03.1996	31.03.1998
1.	कार्यकारी			
	(1) विमान चालक	119	107	92
	(2) इंजीनियर	192	252	263
	(3) उड़ान इंजीनियर	7	3	3
	(4) जनरल आफिसर	150	191	232
2.	लाइन विमानचालक	348	310	311
3.	उड़ान इंजीनियर	31	32	35
4.	ग्राउंड अनुदेशक	22	20	17
5.	केबिन कर्मीदल	1028	999	978
6.	विमान इंजीनियर	756	693	661
7.	जनरल आफिसर	1558	1501	1417
8.	तकनीशियन	3205	3233	3060
9.	गैर-तकनीकी	7979	7786	7572
10.	अन्य (ग्रेड 1/2)	6574	6436	6359
	कुल	21969	21563	21000

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम

710. श्री भीम दाहाल: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एन ई आर ए एम ए सी) को रुग्ण घोषित कर दिया गया है;

(ख) क्या निगम ने कोई पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

भारत-पाकिस्तान वार्ता

711. श्री वी.वी. राघवन:
श्री मोहन रावले:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच हाल ही में दिल्ली में वार्ता हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस वार्ता में किन विषयों पर चर्चा की गई थी और उसके क्या परिणाम रहे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सियाचिन मसले को सुलझाने के लिए 6 नवंबर 98 को नई दिल्ली में भारत तथा पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच एक बैठक हुई थी। बैठक में, स्पष्ट एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार-विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस मसले पर अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की। विचार-विमर्श की प्रक्रिया के अगले दौर में इस मसले पर बातचीत जारी रखने पर सहमति हुई।

भूतपूर्व बॉक्सिंग चैम्पियन की रेलवे में नियुक्ति

712. श्री वसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगाल के भूतपूर्व बॉक्सिंग चैम्पियन ने 1987 में इस आश्वासन पर 43वीं अंतर रेलवे बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में पूर्वी रेलवे का प्रतिनिधित्व किया था कि उन्हें रेलवे में नौकरी दी जाएगी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 1993 में अपने निर्णय में पूर्वी रेलवे को निदेश दिया था कि बंगाल में पूर्व चैम्पियन के आवेदन पत्र पर तत्काल विचार किया जाए और उन्हें स्पोर्ट्स कोटे से उपयुक्त नौकरी दी जाए; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें नौकरी देने के निर्णय के बाद भी इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) एक गैर-रेलवे बॉक्सर, श्री विश्वजीत पाल को केवल उनके प्रदर्शन का जायजा लेने के लिए 1987-88 में चेन्नई में अंतर-रेलवे बाक्सिंग चैम्पियनशिप में पूर्व रेल की ओर से भाग लेने की अनुमति दी गई थी;

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), कलकत्ता ने अपने दिनांक 19.2.96 और 18.3.97 के आदेशों में रेलों को खेलकूद कोटे के तहत नियुक्ति के लिए उपयुक्त बॉक्सर के नाम पर यदि वह उपयुक्त पाया जाता है, विचार करने हेतु निदेश दिया था। तदनुसार उनके मामले की जांच की गई थी और आवश्यक

चिकित्सा जांच के पश्चात् उन्हें ग्रुप "घ" पद पर नियुक्त करने का विनिश्चय किया गया था।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सामाजिक वित्त सहायता योजना

713. श्री अरविन्द कांबले: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक वित्त सहायता योजना नामक किसी योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या सभी राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को सभी राज्यों में कब तक लागू किया जाएगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां।

प्रधान मंत्री ने 28 जुलाई, 1995 को राष्ट्र को सम्बोधित अपने संदेश में यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को उसके तीन घटकों अर्थात् (1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, (2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, (3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, 15 अगस्त, 1995 से लागू किया जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे वृद्ध लोगों, जिनकी जीविका का नियमित साधन नहीं है या अल्प है। मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तथा पहले दो जीवित बच्चों तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह प्रति लाभार्थी 75 रुपए का लाभ दिया जाता है। आवेदक की आयु (पुरुष अथवा महिला) 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक निस्सहाय होना चाहिए अर्थात् उसके/उसकी अपने आय के स्रोतों से अथवा परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों के माध्यम से वित्तीय सहायता के रूप में जीवित रहने के लिए नियमित साधन न हो अथवा अत्य अल्प हों।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु के मामले में शोक संतप्त परिवार को 10,000 रुपए दिये जाते हैं। मुख्य जीविकोपार्जक कर्ता (पुरुष या महिला) को ऐसे सदस्य के रूप में योजना में पारिभाषित किया गया है जिसकी आय का अंशदान कुल पारिवारिक आय में अधिक होता है। ऐसे मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18 से 64 वर्ष के आयु वर्ग का होता है/होती है।

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभ की दर पहले दो जीवित बच्चों के प्रत्येक गर्भ पर 500 रुपए है। आवेदक 19 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होना चाहिए। लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में से होना चाहिए।

देशभर में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पंचायतों तथा नगर-पालिकाओं की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा अब तक उपलब्ध कराई गई कुल राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को कार्यान्वित करती आ रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए निधियों की उपलब्धता संबंधी विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना				राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना				राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना			
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2593.74	4315.02	4327.89	2214.89	1334.93	2238.12	2211.43	1911.54	746.75	1205.32	1191.39	984.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.58	2.02	15.26	1.94	1.71	2.03	5.52	1.06	1.95	0.06	1.72	0.73
3.	असम	195.33	340.17	333.25	193.79	188.21	212.30	309.62	123.09	87.79	145.47	99.54	23.23
4.	बिहार	2109.72	4275.06	4766.66	4599.49	1090.36	533.17	1114.26	584.84	572.00	679.55	490.54	286.43
5.	गोवा	6.09	9.94	7.73	12.87	3.37	10.19	5.72	6.60	2.60	0.08	0.00	0.00
6.	गुजरात	441.19	828.57	369.99	286.92	222.33	7.26	0.00	20.89	113.25	3.74	3.48	4.26
7.	हरियाणा	209.75	349.48	274.96	205.13	145.72	36.52	53.92	21.28	35.72	64.14	61.33	13.04
8.	हिमाचल प्रदेश	64.56	85.55	97.79	62.28	11.95	11.57	20.67	10.5	13.42	8.00	23.36	2.65
9.	जम्मू व कश्मीर	147.36	225.45	138.24	69.16	27.30	62.48	26.74	19.11	30.80	36.05	26.02	10.09
10.	कर्नाटक	870.28	3873.75	1771.37	1953.65	383.69	12.49	18.91	25.03	237.96	7.54	162.90	4.78
11.	केरल	354.55	1045.08	815.67	97.61	90.57	205.51	198.89	245.72	64.88	86.35	64.18	46.18
12.	मध्य प्रदेश	2736.36	3650.81	4870.56	3364.12	823.85	2246.62	2595.08	2346.69	457.60	400.74	336.55	325.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	महाराष्ट्र	1380.46	128.27	2423.45	2485.29	606.69	36.74	653.57	453.67	361.76	11.44	299.81	141.54
14.	मणिपुर	9.55	48.98	33.69	0.00	3.42	14.41	9.85	0.00	4.87	20.41	14.09	0.00
15.	मेघालय	9.06	63.27	34.07	13.91	3.27	2.61	9.78	7.50	3.74	3.17	11.36	6.08
16.	मिजोरम	3.86	18.85	21.72	34.45	1.70	5.78	6.64	5.73	1.58	8.01	7.96	1.11
17.	नागालैंड	13.31	42.88	37.18	4.98	3.53	8.64	5.01	1.29	5.59	19.99	12.05	2.10
18.	उड़ीसा	784.08	2578.35	2550.36	1572.42	510.69	224.11	699.34	655.22	240.08	425.53	286.06	270.00
19.	पंजाब	202.23	338.35	170.82	74.65	37.38	124.62	62.92	33.54	25.48	28.11	9.13	9.77
20.	राजस्थान	552.07	976.28	495.33	395.77	266.89	24.97	252.66	158.96	202.67	6.51	83.57	71.13
21.	सिक्किम	3.35	11.30	6.72	26.67	1.67	2.26	2.28	0.00	0.94	1.53	2.34	0.00
22.	तमिलनाडु	2179.31	2573.19	3629.66	1924.75	1130.00	1357.93	1758.69	845.12	563.60	571.21	368.65	266.32
23.	त्रिपुरा	29.47	73.49	124.32	96.12	10.40	25.90	39.63	33.41	12.34	30.62	35.95	36.77
24.	उत्तर प्रदेश	5727.33	9019.54	8676.49	5977.22	3147.28	2221.30	1452.17	1493.25	1777.92	2416.16	1111.56	360.14
25.	पश्चिम बंगाल	976.31	2404.54	2431.37	2.8565	531.09	966.50	206.88	55.89	274.49	529.17	199.23	90.03
26.	अंड. व नि. द्वीप समूह	1.68	0.05	0.00	0.00	1.69	0.06	0.00	0.00	0.69	0.02	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	चंडीगढ़	0.00	9.79	2.92	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	0.85	1.43	1.41	0.00	1.65	2.92	4.29	0.00	0.29	0.48	0.71	0.00
29.	दमन व दीव	0.52	0.95	0.94	0.94	1.48	2.92	2.86	1.44	0.18	0.24	0.04	0.00
30.	दिल्ली	0.00	90.63	177.84	8892	0.00	32.06	31.46	15.73	0.00	37.68	0.00	0.03
31.	लक्षद्वीप	0.30	0.48	0.47	0.00	1.62	2.81	0.00	0.00	0.22	0.01	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	4.16	0.13	21.06	11.04	1.63	0.06	1.42	1.43	1.78	0.06	144	1.48
	कुल	21614.62	37381.65	38629.05	28842.93	10486.11	10686.22	11760.21	9084.98	5837.13	6757.44	4957.96	2958.07

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति

714. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री रामानंद सिंह:
श्री नादेन्दला भास्कर राव:
श्री माधवराव सिंधिया:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) नई नीति पर लिए गए निर्णय संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) जी हां, नवीनतम जनगणना के अनुसार वर्ष 1991 में देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 56.68 मिलियन थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में विचाराधीन है। इस नीति से यह सुनिश्चित होगा कि वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए उनकी वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, आश्रय, कल्याण एवं अन्य विकासोन्मुख जरूरत पूरी हो। इस नीति को केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ-साथ इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद अपनाया जाएगा।

विवरण

60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, भारत, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र 1991

1.	आंध्र प्रदेश	4,510,929
2.	अरुणाचल प्रदेश	37,560
3.	असम	1,194,460
4.	बिहार	5,408,629
5.	गोवा	82,507
6.	गुजरात	2,637,803
7.	हरियाणा	1,267,741
8.	हिमाचल प्रदेश	420,003
9.	कर्नाटक	3,142,708
10.	केरल	2,567,365
11.	मध्य प्रदेश	4,389,202
12.	महाराष्ट्र	5,510,128
13.	मणिपुर	111,105
14.	मेघालय	78,742
15.	मिजोरम	33,186
16.	नागालैण्ड	63,777
17.	उड़ीसा	2,280,956
18.	पंजाब	1,590,059
19.	राजस्थान	2,767,870
20.	सिक्किम	18,508
21.	तमिलनाडु	4,161,819
22.	त्रिपुरा	193,295
23.	उत्तर प्रदेश	9,546,943
24.	पश्चिम बंगाल	4,115,573
25.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	9,546
26.	चण्डीगढ़	28,351
27.	दादरा एवं नगर हवेली	5,940
28.	दमन एवं दीव	6,327
29.	दिल्ली	439,520
30.	लक्षद्वीप	2,639
31.	पांडिचेरी	58,440

स्रोत: भारत के महापंजीयक, नई दिल्ली।
इसमें जम्मू व कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं जहां जनगणना नहीं हुई थी।

आंध्र प्रदेश के लिए हुडको परियोजनाएं

715. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा आवासों के निर्माण, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासों के निर्माण और शहरी बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाएं स्वीकृत कर दी हैं तथा धन भी दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन ने राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस स्टेशन के निर्माण का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च आएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) हडको ने आवास एवं शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस आवास निगम को 95.32 करोड़ की मंजूरी दी है। मंजूर किये गये ऋण तथा जारी ऋण सहित परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) हडको ने आंध्र प्रदेश के 15 जिलों में 168 पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस आवास निगम को 11.34 करोड़ रु. की मंजूरी दी है। जिलों की सूची संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण I

(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	जारी किया गया ऋण	आवास इकाइयां
1	2	3	4	5	6
1.	हैदराबाद में कलसुमपुरा पुलिस एचपी	34.00	30.00	30.00	234
2.	ममुर हारंगल में पुलिस आवास परि.	23.00	20.00	20.00	160
3.	गुंटूर जिले में पालगालागिरी में पुलिस एच.पी.	36.00	30.00	30.00	273
4.	हैदराबाद में पुलिस स्टाफ रैंटल हाऊसिंग स्कीम	117.70	82.00	82.00	234
5.	ममुर में निर्माण के लिए पुलिस रेंटल हाऊसिंग स्कोम	152.67	106.00	106.00	288

1	2	3	4	5	6
6.	करनूल में पुलिस रेंटल हाऊसिंग स्कीम	176.15	123.00	123.00	312
7.	युसुफगढ़ आरंग रेड्डी में पुलिस रैंटल हाऊसिंग स्कीम	143.34	89.00	89.00	296
8.	सियान ओसरीकाकुलम के लिए स्टाफ रेंटल हाऊसिंग स्कीम	107.01	43.00	43.00	58
9.	वल्लीवेडु में पुलिस के लिए रेंटल हाऊसिंग स्कीम	373.42	195.00	195.00	288
10.	कोरीपड्डू में पुलिस के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम	162.99	77.00	71.85	96
11.	मंचिरेवुला में पुलिस के लिए रेंटल हाऊसिंग स्कीम	193.08	105.00	85.66	112
12.	गुंटूर जिले में पुलिस के लिए रेंटल हाऊसिंग स्कीम	274.19	154.00	154.00	192
13.	सामाजिक अपराधियों के लिए पुनर्वास केन्द्र/स्कूल का निर्माण	3435.14	2404.60	1200.00	0
14.	एचसी/पीसीएस के लिए 90 स्टाफ क्वार्टरों का f र्माण	117.42	82.19	77.53	90
15.	एचएस/पीसीएस, सीआईएस एवं एसआईएस के लिए 88 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	131.10	91.77	81.01	88

1	2	3	4	5	6
16.	एचसी/पीसीएस, सीआईएस एवं एसआईएस के लिए 103 स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	166.54	116.50	107.28	103
17.	एचसी/पीसीएस/एसआईएस के लिए 102 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	131.40	91.98	86.54	93
18.	एचसी/पीसीएस एवं एसआईएस के लिए 93 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	140.40	98.28	92.18	102
19.	समुदाय के लिए पुनर्वास केन्द्र/स्कूल का निर्माण	3341.68	2514.02	1220.02	0
20.	एचसी/पीसीएस के लिए 10वीं बटालियन में स्टाफ रेंटल हाऊसिंग स्कीम	415.71	291.00	277.00	180
21.	एक्स बटालियन में पुलिस कास्ट. स्टाफ रेंटल हाऊसिंग	299.98	209.99	55.00	120
22.	हैड कास्ट. तथा पुलिस के लिए स्टाफ रेंटल हाऊसिंग स्कीम	362.39	253.67	140.00	180
23.	स्टाफ रेंटल हाऊसिंग स्कीम II बटालियन कुड्डप्पा	257.86	180.50	55.16	120
24.	21वीं बटालियन में स्टाफ रेंटल हाऊसिंग स्कीम	398.41	278.88	60.40	231
25.	उग्रवादी क्षेत्र परिसर में स्टाफ रेंटल आवास स्कीम	322.53	225.76	489.00	187

1	2	3	4	5	6
26.	उग्रवादी क्षेत्र परिसर में स्टाफ रेंटल हाऊसिंग स्कीम	265.60	185.92	40.30	154
27.	उग्रवादी क्षेत्र परिसर में स्टाफ रेंटल हाऊसिंग स्कीम	455.33	318.73	69.07	264
28.	आंध्र प्रदेश के 15 जिलों में पुलिस स्टेशन के अ.श्रे.लि. के लिए आवास का निर्माण	1620.38	1134.00	–	0
	योग	13655	9531.87	1979.88	4455

क्र.सं. 13, 19 एवं 28 पर परियोजना शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए है।

विवरण II

जिलावार/श्रेणीवार प्रस्तावित पुलिस स्टेशन निम्नांकित हैं

क्र.सं.	जिला	पुलिस थानों की कुल सं.
1	2	3
1.	श्रीकाकुलम	6
2.	विशाखापट्टनम	11
3.	पूर्व गोदावरी	15
4.	गुन्टूर	11
5.	कुड्डनाह	4
6.	करनूल	3
	वारंगल	16
8.	खम्माम	19
9.	करीम नगर	15
10.	अदीलाबाद	5
11.	निआमाबाद	9
12.	मालगोण्डा	2
13.	मेडक	22
14.	हैदराबाद	8
15.	रंगारेड्डी	12
	योग	188

[हिन्दी]

परती भूमि विकास कार्यक्रम

716. श्री रामपाल सिंह:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को परती भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आबंटित धनराशि में से प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) बंजरभूमि विकास विभाग समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत परियोजनाएं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों और केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, आदि जैसी स्वायत्त एजेंसियों को स्वीकृत की जाती हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, आदि को निधियां परियोजना दर परियोजना के आधार पर जारी की जाती हैं। चूंकि राज्य सरकारों को निधियों का कोई आबंटन नहीं किया जाता है, अत: उनके द्वारा निधियों का उपयोग करने का प्रश्न नहीं उठता। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां परियोजनाओं का कार्यान्वयन वाटरशेड विकास संबंधी उन मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर कर रही है, जो अपेक्षतया नये हैं और जिनके अनुसार परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में समुदाय की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। समुदाय संगठन का कार्य अपने आप में एक समय लगने वाला कार्यकलाप है। निधियां जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है और निधियों का उपयोग तत्काल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, कार्य की प्रगति और निधियों के उपयोग में पर्याप्त समय लगता है।

(ग) विभिन्न राज्यों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों, आदि को जारी की गई निधियों और उनके द्वारा सूचित किये गये अनुसार निधियों के उपयोग को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	नवम्बर, 1998 तक जारी की गई कुल निधियां (करोड़ रुपये में)	जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों आदि के द्वारा सूचित किए गए अनुसार निधियों का उपयोग (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	46.11	26.34
2.	असम	0.37	0.00
3.	बिहार	12.09	9.46

1	2	3	4
4.	दिल्ली	0.15	0.00
5.	गुजरात	31.50	20.99
6.	हिमाचल प्रदेश	13.23	9.26
7.	हरियाणा	12.50	12.86
8.	जम्मू कश्मीर	2.46	1.03
9.	कर्नाटक	13.65	6.92
10.	केरल	9.81	6.83
11.	महाराष्ट्र	3.87	1.95
12.	मेघालय	0.57	0.37
13.	मणिपुर	0.25	2.69
14.	मध्य प्रदेश	16.80	7.10
15.	मिजोरम	3.52	3.52
16.	नागालैंड	11.97	11.04
17.	उड़ीसा	17.29	10.24

1	2	3	4
18.	पंजाब	7.78	7.42
19.	राजस्थान	25.51	20.10
20.	सिक्किम	9.52	8.27
21.	तमिलनाडु	9.41	5.08
22.	त्रिपुरा	1.35	0.54
23.	उत्तर प्रदेश	33.02	21.80
24.	पश्चिम बंगाल	8.08	5.85
	कुल	295.11	199.66

[अनुवाद]

होन्गानक्का पेयजल योजनाएं

717. श्री के.पी. मोहन: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान तमिलनाडु में होन्गानक्का पेयजल योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार के पास होन्गानक्का जल आपूर्ति स्कीम के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है।

[हिन्दी]

पंचायत चुनाव

718. श्री भावर चन्द गेहलोत: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम बतायें जहां गत पांच वर्षों से पंचायत चुनाव नहीं हुये हैं; और

(ख) इन राज्यों में पंचायत चुनाव करवाने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) निम्नलिखित राज्यों में विगत पांच वर्षों से पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं:

(1) बिहार (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (3) पांडिचेरी (4) गोवा (मात्र जिला परिषद)

(ख) सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से चुनाव कराने के लिए जिम्मेवार हैं। फिर भी, केन्द्र सरकार ने सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आड़े आने वाली बाधाओं के पार होते ही शीघ्र पंचायत के चुनाव करवाने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना

719. कर्नल सोनाराम चौधरी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने पश्चिम राजस्थान के विशेषकर उन मरुस्थल क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजनाओं हेतु कोई ऋण उपलब्ध कराया है;

(ख) मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा परियोजनावार कितनी राशि आबंटित की जानी है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से बाड़मेर तथा जैसलमेर के ग्रामीण जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई परियोजना अनुमोदित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) राजस्थान में इस समय विश्व बैंक की सहायता से कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इजराइल के साथ रक्षा सौदा

720. प्रो. पी.जे. कुरियन:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली (रिजिम) का सामना कर रहा है;

(ख) क्या अमेरिका के दबाव के कारण इजराइल के साथ रक्षा सौदा नहीं हो पाया; और

(ग) यदि हां, तो देश की रक्षा रणनीति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) पिछले कई वर्षों से भारत सहित कई देश निर्यात नियंत्रण प्रणाली (रिजीम) के लक्ष्य रहे हैं।

(ख) इस समय भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग पहले की तरह चल रहा है।

(ग) सरकार, मित्र देशों के साथ परस्पर लाभप्रद रक्षा सहयोग के कार्यक्रमों के साथ-साथ रक्षा अनुसंधान तथा विकास एवं उत्पादन के क्षेत्र में क्रमिक रूप से आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की नीति का सक्रिय रूप से पालन कर रही है।

कृषि उपज विपणन समिति

721. श्री दिनशा पटेल: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से ए एम सी के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रति ए.पी.एम.सी. 20 लाख रुपए की दर से 78 ए.पी.एम.सी. में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई है। बुनियादी सुविधाओं में दुकान और गोदाम, नीलामी प्लेटफार्म, सम्पर्क सड़कें, बाढ़ लगाना, कार्यालय भवन, पानी तथा स्वच्छता सुविधाएं आदि शामिल हैं।

एम आई जी फ्लैटों के निर्माण एवं आबंटन में विलंब

722. श्री भेरूलाल मीणा: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडीए द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1997 को प्रकाशित ड्रा में सफल घोषित आवेदकों के द्वारका तथा शालीमार बाग में एम.आई.जी. (एसएफएस श्रेणी-2) फ्लैटों के निर्माण तथा आबंटन में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये फ्लैट सफल घोषित आवेदकों को आबंटित किये जाने हेतु कब तक तैयार हो जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नौवीं स्ववित्तपोषण स्कीम 1996 के ब्राशर में यह कहा गया था कि स्कीम में सम्मिलित ऐसे फ्लैटों, जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, का निर्माण कार्य एक से ढाई वर्ष में पूरा हो जोगा और यदि इसमें कोई विलंब होता है तो ढाई वर्ष के बाद की अवधि के लिए मुआवजा दिया जायेगा। द्वारका में 1498 फ्लैट और शालीमार बाग में 530 फ्लैट निर्माणाधीन थे जिन्हें 31.12.96 को हुए ड्रा में आबंटन के लिए रखा गया था और ड्रा को 1.1.97 को प्रकाशित किया गया। इनमें से द्वारका में 1332 फ्लैटों, जिनमें निर्माण कार्य पूरा हो गया था, को पहले ही आबंटन किया जा चुका है। निम्नलिखित फ्लैटों जहां निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, को उनके आगे लिखे कारणों से आबंटित नहीं किया जा सका।

(1) सेक्टर 9, पाकेट-1 द्वारका, फ्लैटों की संख्या 115

कार्य निष्पादन के दौरान टेस्ट फाइल विघटित हो गई और इसे दोबारा तैयार कराना पड़ा।

(2) सैक्टर 19, पाकेट-1 द्वारका, फ्लैटों की संख्या 51

ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्य रद्द कर दिया गया था और जनवरी, 1998 से शुरू करने के लिए इसे दोबारा सौंप दिया गया है।

(3) सेक्टर डी, पाकेट ए, शालीमार बाग, फ्लैटों की संख्या 530

बाढ़ का खतरा वाला निम्नवर्ती क्षेत्र होने के कारण स्थल को मिट्टी भरान द्वारा उठाना पड़ा। कुछ भागों में कुछ अतिक्रमणों को भी हटाया जाना था।

(ग) उपर्युक्त तीन स्कीमों के संबंध में कार्य पूरा होने की संभावित तारीख निम्नलिखित अनुसार है:

	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
1. द्वारका सैक्टर-9, पाकेट-1	मार्च, 1999
2. द्वारका सेक्टर-19, पाकेट-1	मार्च, 1999
3. शालीमार बाग, सैक्टर डी, पाकेट ए	
(क) 200 एस एफ एस (ग्रुप-1)	जून, 1999
(ख) 200 एस एफ एस (ग्रुप-2)	दिसम्बर, 2000
(ग) 130 एस एफ एस (ग्रुप-3)	जून 2001

[हिन्दी]

एअर इंडिया की उड़ानों में धूम्रपान पर रोक

723. श्री चन्द्रशेखर साहू:
डा. अशोक पटेल:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका की उड़ानों में धूम्रपान पर रोक लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया का विचार अन्य देशों के लिए संचालित अपनी उड़ानों में भी धूम्रपान पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा।

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रतियोगियों द्वारा अपनाई गई रीति तथा यात्री प्राथमिकता विषयक मार्किट फीड-बैक के आधार पर एअर इंडिया उत्तरोत्तर अन्य मार्गों पर भी धूम्रपान रहित उड़ानें शुरू करने पर विचार करेंगी। तथापि, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी विशिष्ट समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

अजमेर में विमानपत्तन

724. **डा. प्रभा ठाकुर:**
श्री जी.एम. बनातवाला:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अजमेर, राजस्थान में विमानपत्तन निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अजमेर के सरवाना गांव में हवाई पट्टी बनाने के लिए मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो विभाग द्वारा इस संबंध में क्या प्रगति की गई है;

(घ) क्या इस वर्ष ख्वाजा गरीब नवाज के 786वें उर्स के मौके पर अजमेर में विमानपत्तन का निर्माण सर्वाधिक उचित नहीं होगा क्योंकि विश्वभर से लाखों लोगों के यहां आने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किये गये प्रस्तावों की रूपरेखा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अजमेर में एक नए विमानपत्तन की स्थापना करने का मामला जांच प्रक्रिया के अधीन रहा है। चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की व्यवहार्यता के अध्ययन से संकेत मिलता है कि परियोजना वित्तीय रूप से साध्य नहीं है, योजना आयोग से पूरी बजटीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

स्वर्ण भंडार

725. **श्री मोइनुल हसन:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में सिंहभूम क्षेत्र में काफी बड़े स्वर्ण भंडार मिले हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) बिहार के सिंहभूम क्षेत्र में अभी तक कोई महत्वपूर्ण स्वर्ण भण्डार नहीं पाए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डी.डी.ए. फ्लैटों का बिना बारी आबंटन

726. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. ने वर्ष 1989 में "दिल्ली में मकान नहीं होने" के आधार पर बिना बारी से फ्लैट आबंटित किये थे किंतु अन्य आवेदकों के इसी प्रकार के अनुरोध ठुकरा दिए गए;

(ख) यदि हां, तो भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने के क्या कारण हैं तथा क्या इन मामलों की जांच कराये जाने तथा 90 के दशक में जिन आवेदकों के अनुरोध ठुकराये गए थे उन्हें उस समय की दर पर डी.डी.ए. फ्लैट आबंटित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे मामले हैं जिनमें डी.डी.ए. फ्लैट के आबंटियों को पूर्ण भुगतान किए जाने के बावजूद भी हस्तांतरण दस्तावेज नहीं भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस मामले में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां। डीडीए ने बताया है कि वर्ष 1992 से पहले डीडीए फ्लैटों के बिना बारी आबंटन, दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीडीए अध्यक्ष की हैसियत से हर मामले के गुण-दोषों के आधार पर किए थे। सरकार ने 1992 में दिशानिर्देश जारी किए थे, जो 1997 में संशोधित किए गए, जिनके अनुसार बिना बारी के आबंटन के आवेदन-पत्रों पर निर्णय फ्लैटों की उपलब्धता के आधार पर एक अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें शहरी कार्य और रोजगार मंत्री तथा दिल्ली के उप राज्यपाल शामिल हैं। कोई व्यक्ति फ्लैट के बिना बारी आबंटन के लिए वर्तमान लागत पर तथा नीति के अनुसार अपने मामले पर पुनर्विचार के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

(घ) जिन आवंटियों ने मांगी गई धनराशि जमा कर दी है तथा संहितात्मक औपचारिकताएँ पूरी कर दी हैं उन्हें हस्तांतरण दस्तावेज जारी करने में कोई विलम्ब नहीं होता।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों की राजधानियों को दिल्ली व अन्य महानगरों से जोड़ना

727. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों की राजधानियों को दिल्ली और अन्य महानगरों से सीधी रेल लाइनों से जोड़ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गांधी नगर, गुजरात को दिल्ली और अन्य महानगरों के साथ सीधी रेल लाइनों से जोड़ा जाएगा; और

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु बजट प्रावधान कर लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) अगरतला, आइजोल, इम्फाल, कोहिमा, शिलांग, ईटानगर, गंगटोक तथा श्रीनगर को छोड़कर सभी राज्यों की राजधानियां दिल्ली तथा अन्य सभी महानगरों के साथ रेलों से जुड़ी हुई हैं;

(ख) और (ग) गुजरात में गांधीनगर बड़ी लाइन द्वारा अहमदाबाद और अहमदाबाद होकर दिल्ली तथा अन्य महानगरों से पहले ही जुड़ा हुआ है। गांधीनगर को दिल्ली-अहमदाबाद मुख्य लाइन पर लाने के लिए सर्वेक्षण उद्यतन किया जा रहा है सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही इस परियोजना पर आगे विचार किया जाना संभव होगा।

बड़ौदा हवाई अड्डे का उन्नयन

728. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधिक बड़े वायुयान के उतरने तथा रात्रि में भी उतरने की सुविधाओं को प्रदान करने हेतु बड़ौदा हवाई अड्डे का उन्नयन करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उन्नयन का यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) पर्याप्त सुविधाओं वाले एक आदर्श विमानपत्तन के रूप में वड़ोदरा विमानपत्तन का विकास सभी प्रकार की मौसम परिस्थितियों में एयरबस-320 विमान के प्रचालन के लिए किया गया है। विमानपत्तन पर रात्रि अवतरण सुविधाएं भी मुहैया करवाई गयी हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस विमानपत्तन के और स्तरोन्नयन की कोई योजना नहीं है।

दरबार माता वैष्णो देवी तीर्थस्थान से हेलीकाप्टर सेवा

729. **वैद्य विष्णु दत्त:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु दरबार माता वैष्णो देवी तीर्थस्थान से हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डोडा/पुंछ/रजौरी से नियमित हेलीकाप्टर सेवाएं आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड की जम्मू-कटरा-सांजीछत सेक्टर पर हेलीकाप्टर सेवाएं व्यवहार्यता के अध्यधीन चलाने की योजनाएं

हैं जो कटरा में माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थान बोर्ड द्वारा विकसित किए जा रहे हेलीपैड के तैयार होने के बाद उपलब्ध हो जाएंगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

730. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा और कब तक पूरा होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 148 कि.मी. लंबी लाइन की लागत 228 करोड़ रुपए होगी। इस संबंध में आगे की जाने वाली कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गुजरात में विमानपत्तनों से आय

731. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार और विमानपत्तनवार गुजरात में सभी विमानपत्तनों से भारतीय राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और सरकार द्वारा कितनी राशि का राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) राज्य में प्रति वर्ष इंडियन एयरलाइंस और निजी एयर लाइंस द्वारा कितनी उड़ानें संचालित की जा रही हैं और इसमें यात्रियों की औसत प्रतिशत कितनी है;

(ग) क्या गुजरात विमान सेवाओं के मामले में अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है और यह राज्य इस संबंध में सर्वाधिक उपेक्षित है;

(घ) यदि हां, तो क्या वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य में विमानपत्तनों को लम्बी दूरी की विमान सेवाओं से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं।

वर्ष	प्रचालित उड़ानों की सं.	वाहित यात्री राजस्व
1996-97	इंडियन एयरलाइंस 4001	365000
	निजी विमान कंपनी 2759	264110
1997-98	इंडियन एयरलाइंस 4615	389000
	निजी विमान कंपनी 2914	281419

(ग) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण गुजरात राज्य में 8 विमानपत्तनों तथा 2 सिविल एन्क्लेवों का रखरखाव करता है। इनमें से, 7 विमानपत्तनों तथा 2 सिविल एन्क्लेवों से देश के अन्य भागों के लिए हवाई संपर्क संबंधी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद विमानपत्तन से अंतरराष्ट्रीय सेवाएं भी प्रचालित की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) 1998 में, एलायंस एयर ने अहमदाबाद से सीधे पुणे के लिए सप्ताह में तीन बार बी-737 से विमान सेवा संपर्क स्थापित कर दिए हैं। जेट एयरवेज ने मुम्बई-राजकोट-मुम्बई तथा मुम्बई-भुज-मुम्बई सेक्टर पर सेवाएं शुरू कर दी हैं।

विवरण

अर्जित राजस्व

(लाख रु. में)

क्रम संख्या	विमानपत्तन का नाम	1996-97 राजस्व	1997-98 राजस्व
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	1020.91	1177.49
2.	बड़ोदा	224.27	281.06
3.	भावनगर	58.05	54.29
4.	भुज (सिविल एन्क्लेव)	26.19	28.31
5.	जामनगर (सिविल एन्क्लेव)	22.02	33.78
6.	कांडला (सिविल एन्क्लेव)	9.68	2.93
7.	केशोद	7.08	4.56
8.	पोरबंदर	26.84	8.58
9.	राजकोट	61.05	70.64
10.	सूरत (राज्य सरकार)	2.38	2.27
	(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमानपत्तन दिक्चालनात्मक व संचार संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती है।)		

रेल दुर्घटनायें

732. **श्री मदन पाटील:**
श्रीमती रानी नरह:
श्री एस.एस. ओवेसी:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री ए.सी. जोस:
श्री तारिक अनवर:
श्री राजो सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छ: महीनों के दौरान, आज तक हुई मालगाड़ियों सहित रेल दुर्घटनाओं/रेल के पटरी से उतरने की घटनाओं का रेलगाड़ी-वार/स्थान-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के दुर्घटना-वार क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में मारे गए/घायल हुए लोगों की संख्या क्या है तथा इनमें सरकारी संपत्ति का कुल कितना नुकसान हुआ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेल दुर्घटनाओं की जांच हेतु कितनी समितियां गठित की गई;

(ङ) जांच समितियों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे तथा सरकार द्वारा इन समितियों की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई;

(च) सरकार द्वारा दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के आश्रितों को कितनी मुआवजा राशि दी गई;

(छ) क्या सरकार ने सुरक्षा को बढ़ाने तथा भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) गत छ: महीनों (मई से अक्तूबर, 98) के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं के रेलवे-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

रेलवे	दुर्घटनाएं	गाड़ी का पटरी से उतरना
1	2	3
मध्य रेल	30	24
पूर्व रेल	18	13
उत्तर रेल	23	18
पूर्वोत्तर	9	8
पूर्वोत्तर सीमा	14	12
दक्षिण रेल	39	33

1	2	3
दक्षिण मध्य	33	26
दक्षिण पूर्व	26	21
पश्चिम रेल	11	4
मेट्रो	–	–
कोंकण रेल निगम	8	7
जोड़	211	166

(ख) दुर्घटनाओं के कारण निम्न थे:

मानवीय चूक	—	133
उपस्कर की खराबी	—	11
तोड़-फोड़	—	8
रेल कर्मचारियों से इतर	—	24
अन्य विविध कारक	—	35

(ग) हताहत- (मई से अक्तूबर, *1998)

मारे गए—157 तथा घायल हुए—403

सरकारी सम्पत्ति का नुकसान अनंतिम रूप से 28.25 करोड़ रु. आंका गया है।

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(घ) और (ङ) नुकसान की मात्रा को देखते हुए उपरोक्त प्रत्येक दुर्घटनाओं की जांच एक अधिकारियों की समिति अथवा रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जाती है। जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण मानवीय चूक, उपस्कर खराबी, तोड़-फोड़ तथा अन्य विविध कारक होते हैं। इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध "अनुशासन एवं अपील नियमों" के तहत कार्रवाई की जाती है।

(च) अभी तक कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई है। ज्योंहीं रेल दावा अधिकरण द्वारा दावों का निर्णय किया जाएगा क्षतिपूर्ति की राशि चुकता कर दी जाएगी।

(छ) और (ज) गाड़ी दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के काम में तेजी लाई गई है।
2. दुर्घटनाओं में मानवीय भूल की संभावनाओं को कम करने के लिए सिगनल प्रणाली में आशोधन किया गया है।

3. मुंबई उपनगरीय खण्डों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को ''खतरे के सिगनलों'' के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

4. रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाइटेम्पिंग और मिट्टी छनाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

5. रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी यान, ढोलनलेखी यान और सुवाह्य त्वरणमापकों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

6. कई डिपुओं में सवारी और माल डिब्बों के अनुरक्षण की सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और उन्हें अपग्रेड किया गया है।

7. धुरों की कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में दोषों का पता लगाने हेतु नेमी ओवरहाल डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाए गए हैं।

8. बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्डों/गति रोधकों और सड़क चिन्हों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

9. सड़क उपयोगकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

10. यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं।

11. ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों की प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है। इसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल है।

12. विशिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

13. गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जिनमें कमी पाई जाती है, उन्हें त्वरित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

14. कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने के लिए समय-समय पर संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

733. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न बृहत इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम से संबद्ध सरकारी/गैर-सरकारी/विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या था;

(ख) क्या इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में कोई विदेशी सहायता भी ली जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) देश के बड़े इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में कई सरकारी/निजी/विदेशी कम्पनियां शामिल हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के विवरण में उल्लिखित इन इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में कोई विदेशी साम्या निवेश शामिल नहीं है, तथापि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के चरण-4 में 30 मिलियन डी एम और 17 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा ऋण सन्निहित है।

विवरण

क्र.सं.	पैकेज	कंपनी	सरकारी/निजी/विदेशी
1	2	3	4
I. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र			
1.	कच्चा माल संभाल परिसर	के.आई. (करुप इंडस्ट्री टेक्नीक जर्मनी)	विदेशी
		टी.पी.ई. (त्याजप्रोमैक्सपोर्ट, रूस)	विदेशी
		एच.एस.सी.एल.	सरकारी
		बी.टी.एस.	निजी
2.	नया सिन्टर संयंत्र	टी.पी.ई. (त्याजप्रोमैक्सपोर्ट, रूस)	विदेशी
		एच.एस.सी.एल.	सरकारी
		बी.टी.एस.	निजी
3.	धान भट्टी परिसर	टी.पी.ई. (त्याजप्रोमैक्सपोर्ट, रूस)	विदेशी
		एच.एस.सी.एल.	सरकारी
		बी.टी.एस.	निजी
		एम.डी.एच. (मनेसमान डेमाग हटटेक्नीक, जर्मनी) राउटास्की, फ्रांस	विदेशी
4.	बेसिक ऑक्सीजन भट्टी	टी.पी.ई. (त्याजप्रोमैक्सपोर्ट, रूस)	विदेशी
		बी.टी.एस.	निजी
		एम.डी.एच. (मनेसमान डेपाग हटडेक्नीक, जर्मनी)	विदेशी
		डी.ओ.डी.एस.ए.एल.	निजी
5.	सतत ढलाई संयंत्र	कंकास्ट ए.जी., स्वीटजरलैंड	विदेशी
		एल. एंड टी.	
6(क)	रोलिंग मिल भाग-1	एस.पी.एस. (सिम्पलकम्प्ा, जर्मनी)	विदेशी
		एस्कॉन	निजी

1	2	3	4
6(ख)	रोलिंग मिल भाग-2	एच. एंड के. (जी.) होस्टेनबेग एंड क्लूट्च, जर्मनी एच. एंड के. (आई.) होस्टेनबेग एंड क्लूट्ज, इंडिया)	विदेशी निजी
7.	ओ.पी.पी., बोलानी	एच.एस.सी.एल.	सरकारी
8(क)	कोक ओवन	ओटो इंडिया	निजी
8(ख)	उप उत्पाद संयंत्र	ई.पी.आई. ब्लू स्टार	सरकारी निजी
9.	तप्त धातु लैडल मरम्मत	ब्रैथवेट	सरकारी
10.	न्यू लाइम कैलसीनेशन प्लांट	वुल्केन	निजी
11.	संयंत्र जल आपूर्ति	ई.पी.आई.	सरकारी
12.	मरम्मतशाला और उपकरण भंडार	एच.एस.सी.एल.	सरकारी
13.	विद्युत वितरण	ए.बी.बी.	निजी
14.	व्हील एंड एक्सल प्लांट	एच.ई.सी.	सरकारी
15.	कोयला धोवनशाला	ओटो इंडिया	निजी
16.	पी.पी.सी. कम्प्यूटर	पी.सी.एस. यू.एस.आई.टी.	निजी सेल के संयुक्त उद्यम

1	2	3	4
	राउरकेला इस्पात संयंत्र		
	चरण-1 (स्वदेशी)		
1.	आर.एम.एच.एस. के लिए मोबाइल उपकरण	एलीकॉन	निजी
2.	कच्चा माल संभाल प्रणाली	ई.पी.आई.	सरकारी
3.	धवन भट्टियों की सिंडर स्क्रीनिंग और कन्वेराइजेशन (धवन भट्टी सं. 4 के लिए कन्वेयरों को छोड़कर)	मेकन	सरकारी
4.	कास्ट हाउस स्लेग ग्रेनुलेशन प्लांट	ई.पी.आई.	सरकारी
5.	डोलोमाइट ब्रिक प्लांट का संशोधन	मेकन	सरकारी
6.	कोयला संभाल संयंत्र	टाटा रोबिन्स फ्रास्टर	निजी
7.	टनेज ऑक्सीजन प्लांट	बी.एच.पी.वी.	सरकारी
8.	विद्युत वितरण प्रणाली	सीमेन्स	निजी
9.	एस.एम.एन.-1 में कन्वर्टर 4 और 5 में कवाइंड ब्लोइंग	सीमेन्स रेडेक्स	निजी निजी
	चरण-1 (विश्व स्तर पर)		
1.	सिंटर संयंत्र-2	टी.पी.ई. (त्याजप्रोमैक्सपोर्ट रूस) सिम्पलेम्स बी.एच.ई.एल. आर.पी.एन.एन.	विदेशी निजी सरकारी सरकारी

1	2	3	4
2.	बी.ओ.एफ. शॉप	टी.पी.ई. (त्याजप्रोमोक्सपोर्ट रूस)	विदेशी
		मुकंद	निजी
3.	एस.एम.एस.-2 में सी.सी.एम.	एम.डी.एच. (मेनसमौन डेमाग हटनटैक्नीक, जर्मनी)	विदेशी
		मेकन	सरकारी
4.	एस.एम.एस.-1 में सी.सी.एम.	एच.ई.सी.	सरकारी
		एस.एम.एस. (स्कलोमेन-सीमैग, जर्मनी)	विदेशी
5.	पी.एम. और एच.एम.एम. का	एम.डी.एस. (मेनेसगैन डिमेग, सैक जर्मनी)	विदेशी
		बी.टी.एस.	निजी
		मेकन	सरकारी
		सीमेन्स, जर्मनी	विदेशी
		सीमेन्स, इंडिया	निजी
चरण-2 (स्वदेशी)			
1.	कच्चा माल संभाल प्रणाली	एच.ई.सी.	सरकारी
2.	पार्सियल ब्रिक्वेटिंग प्लांट	बीके	निजी
3.	एस.पी.-2 से कन्वर्यर	ब्रेथवेट	सरकारी
4.	न्यू कैलसीनिंग प्लांट	ई.पी.आई.	सरकारी
5.	डिवाइडिंग लाइन के स्थान का पुनर्निर्धारण	मेकन	सरकारी
6.	ऑक्सीजन संयंत्र	बी.एच.पी.बी.	सरकारी

1	2	3	4
7.	मिडियम प्रैसर ब्वायलर प्लांट	आई.जे.टी. (ईस्जैक जोन थॉमसन)	निजी
8.	विद्युत वितरण प्रणाली	सीमैन्स	निजी
9.	सतना में साईजिंग संयंत्र	बीके	निजी
10.	लैडल रिपेयर सोप	ब्रैथवेट	सरकारी
11.	आर.एम.एच.एस. के लिए मोबाईल उपकरण	एंलिकॉन	निजी
12.	सिगनलिंग एंड वोइस कम्यूनिकेशन	क्रॉम्पटन ग्रीव्ज	निजी
13.	टारकेरा पम्प हाउस	बी.एस.बी.के.	निजी
14.	टारकेरा इंटेक फैसिलिटी	गेमन	निजी
15.	पुनर्तापन भट्टी	ई.पी.आई. एस.एच. (स्टेन ह्यूटे, फ्रांस)	सरकारी विदेशी
बोकारो इस्पात संयंत्र			
1.	सतत ढलाई	एच एस सी एल एल एंड टी ए बी बी वी ए आई, आस्ट्रिया (बाएस्ट एलाइन इण्डास्ट्रयनलागेनबाड़)	सरकारी निजी निजी विदेशी

1	2	3	4
2.	पुनर्तापन भट्टी	एच एस सी एल	सरकारी
		मेकन	सरकारी
		इटेलियमपिआरी	
		इटली, (अबटेकनिट)	विदेशी
3.	तप्त स्ट्रिप मिल और	ए.बी.बी.	निजी
	कायलर	एस.एम.एस. (आई)	निजी
		(स्कलोमनसिमिग, भारत	निजी
		सिम्पलेक्स	निजी
		टी जी एस	निजी
		(टाटा ग्रोथ शॉप	विदेशी
		वी.ए.आई., आस्ट्रिया	
		(वोएस्ट एलपाइन	
		इण्डस्ट्रियनलात्रेनबाड)	
		एस एम एस (एजी), जर्मनी	विदेशी
		(स्कलोमनसिमेग,	
		एकेनगेस्लेशफट)	
4.	स्वदेशी पैकेज	जी.एफ.ए. जर्मनी	विदेशी
		एच ई सी, ब्रेथवेट,	सरकारी
		एच.एस.सी.एल.	
		सिमन्स, वेलमेन	निजी
		बी एस बी के, एन.	
		आी.सी.सी.सी.ओ,	
		के.पी.सी., टेल्को,	
		फिलिप्स, अशोक, लीलेण्ड	
		आदि।	

टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड

1.	बी एफ हेतु कोल इंजेक्शन	लोकनेर, जर्मनी	विदेशी
2.	एल डी-2 में लेडल फर्नेस	डिमेग, जर्मनी	विदेशी
3.	स्लेब कास्टर	ऐबी, यू.के.	विदेशी

1	2	3	4
4.	स्टम्प चार्जिंग	एस आई पी, जर्मनी	विदेशी
5.	शेयरिंग लाइन	ब्रॉक्स, यू.के.	विदेशी
6.	एल. डी.-2 में ब्लोंइग मेटलर्जी	थिसेन, जर्मनी	विदेशी
7.	आर एच डिगैसिंग	स्टेण्डर्ड मेस्को	विदेशी
8.	साइंटिफिक एण्ड टेक्नीकल एक्स्चेजिंज	एम.आई.टी., यू.ए.	विदेशी
9.	लोहा बनाने के लिए तकनीकी सहयोग	निप्पन स्टील जापान	विदेशी

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में छावनी की स्थापना

734. श्री महेश्वर सिंह:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अवेरी तथा ऊना अथवा हमीरपुर जिलों में भी एक छावनी की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त उद्देश्य से अधिग्रहीत भूमि के एवज में अधिग्रहण से प्रभावित किसानों/लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त छावनी की स्थापना के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय ने 9 सितंबर, 1994 को शिमला जिले के कुमसू गांव में राज्य सरकार की 133 बीघा 12 बिस्वा (29 एकड़) भूमि का कब्जा ले लिया है। अवेरी तहसील के गांव में 1259 बीघा 16 बिस्वा परिमाप की निजी जमीन के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय द्वारा अन्नी के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता को 10,18,99,548 रुपए के पुरस्कार का भुगतान कर दिया गया है ताकि उसे पूर्व भू-स्वामियों को संवितरित किया जा सके। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों में भूमि के अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार की मौजूदा नीति मिलिटरी स्टेशन की स्थापना करने की है, छावनी की नहीं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आतंकवादी गिरोह

735. श्री पी. शंकरन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना के अधिकारियों ने कहा है कि देश में पूर्वोत्तर सर्वाधिक गड़बड़ी वाला क्षेत्र है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इन राज्यों में आई.एस.आई. की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) इस क्षेत्र की सामरिक स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यहां के विभिन्न राज्य उग्रवादग्रस्त हैं, यह क्षेत्र संवेदनशील है।

(ख) और (ग) सरकार को इस क्षेत्र में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की गतिविधियों की जानकारी है। इस संबंध में सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

शीर्ष रक्षा कार्मिकों के विरुद्ध जांच

736. **श्री नरेश कुमार पुगलीया:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
डा. रवि मल्लू
श्री तारिक अनवर:
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 2 अक्तूबर, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार थल सेना, वायु सेना और नौसेना में उच्च रक्षा सेवा कार्मिकों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या वरिष्ठ रक्षा सेवा कार्मिकों ने ऐसे निर्णय का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) संयुक्त कमांडर सम्मेलन, जिसे अन्यों के साथ-साथ प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी संबोधित किया था, में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची में शामिल नामों की जांच करने के लिए सशस्त्र सेनाओं से जारी पत्र के संदर्भ में उपयुक्त एजेंसियों द्वारा की गई नेमी सुरक्षा जांच से अपमानित महसूस करने के कारण कुछ रोष था। इस घटना से देश में सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों और अधिकारियों को दिए जाने वाले उच्च मान और सम्मान प्रभावित नहीं हुआ है।

ग्रामीण कार्यक्रमों का क्रियान्वित न किया जाना

737. **डा. असीम बाला:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक ग्रामीण कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.) जैसी योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सामने आने वाली समस्याओं में एक समस्या डवाकरा समूहों द्वारा उत्पादित उत्पाद का विपणन है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पूर्वापर सम्पर्क पर्याप्त नहीं हैं।

ईस्ट कोस्ट रेलवे में रेल मंडल का शामिल किया जाना

738. **श्री खारवेल स्वाईं:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेल मंडलों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें मूलत: नव गठित ईस्ट कोस्ट रेलवे में शामिल किए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) उन्हें ईस्ट कोस्ट रेलवे में शामिल न करने के क्या कारण हैं?

(ग) क्या सरकार की कोई योजना वाल्टायर और सम्बलपुर को भविष्य में ईस्ट कोस्ट रेलवे में शामिल करने की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य

मंत्री (श्री राम नाईक): (क) नव गठित पूर्व तटीय रेलवे में खुर्दा रोड, वालतेरू तथा संबलपुर मंडलों को शामिल करने का प्रस्ताव शुरू में था।

(ख) और (ग) पूर्व तटीय रेलवे के विस्तृत प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात कंपनियों को अतिरिक्त निधियां

739. श्री डी.एस. अहिरे: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं ने कुछ इस्पात कंपनियों को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस संबंध में कोई नियम एवं शर्तें थोपी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में इस्पात कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मरेश बैस): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आरक्षित बकाया पद

740. श्री अनूप लाल यादव:
श्री के.डी. सुल्तानपुरी:
श्री चेतन चौहान:

क्या रेल मंत्री 28 मई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 341 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित बकाया पदों के बारे में इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत छः महीनों के दौरान भरे गये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षित बकाया पदों का जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की विभिन्न कोटियों में बकाया पदों के संबंध में सूचना, जिसे 16.9.98 को संसदीय कार्य मंत्रालय की सरकारी आश्वासन (लोक सभा) संबंधी समिति के विचारार्थ अग्रेषित किया गया था, नीचे दी गई हैं:

विभिन्न कोटियों में अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों में बकाया रिक्तियों के ब्यौरे-भर्ती

	ग्रुप "सी"			ग्रुप "डी"		
वर्ष	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.वि.व.
1995-96	951	1010	926	1460	1886	1072
1996-97	788	878	711	1157	1779	705
1997-98	1014	1112	1418	739	1236	2692

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के भरे गये बकाया पद

वर्ष	ग्रुप "सी"			ग्रुप "डी"		
वर्ष	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.वि.व.
1995-96	704	587	928	1067	1420	528
1996-97	961	810	1415	1084	907	853
1997-98	617	548	932	1207	1160	255

रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नोएडा को रेल नेटवर्क से जोड़ना

741. श्री अशोक प्रधान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नोएडा (उ.प्र.) को रेल नेटवर्क से जोड़ने के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख को सरकार को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है।

[अनुवाद]

आवासीय क्षेत्र के लिए राज्यस्तरीय नियामक निकाय

742. श्री आर.एस. गवई: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से आवासीय क्षेत्र के लिए राज्यस्तर पर विनियामक निकाय स्थापित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आवासीय क्षेत्र के लिए वित्तीय रियायतें प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी नहीं। बल्कि राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति 1998 में इस पर जोर दिया गया है कि राज्य सरकारें कानूनी और नियामक अड़चनों को दूर करें ताकि आवास और सहायक अवस्थापना को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ग) राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति 1998 में कहा गया है कि केन्द्र सरकार आवास, अवस्थापना, नवीन और ऊर्जा बचत निर्माण समग्रियों और विधियों के लिए वित्तीय रियायत प्रदान करेगी और नियामक प्रक्रिया बनाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रियायतों का सही प्रयोजन और उनका सही उपयोग किया जाए।

(घ) बजट तैयार करने के दौरान वित्तीय रियायतें वर्ष दर वर्ष आधार पर दी जाती हैं। 1998-99 बजट के लिए दी गई रियायतें संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

विवरण

आवासीय गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए आयकर/धनकर अधिनियमों के तहत दी गई वित्तीय रियायतें

- व्यापारिक उद्देश्य से रखी गई खाली शहरी भूमि को धन कर से सात वर्षों की अवधि के लिए छूट प्राप्त है। धनकर अधिनियम की धारा 2(ई ए) मौजूदा सुविधा पांच वर्षों के लिए थी।

- किराए पर चढ़ी सम्पत्तियों को धन कर से छूट दी गई बशर्ते कि सम्पत्ति को कम से कम 300 दिनों के लिए किराये पर चढ़ाया गया हो। (यह सुविधा किराया आवास को बढ़ावा देने के लिए दी गई है।)

- आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत किराया आय की 33% की कटौती करने के सुझाव के प्रति मरम्मत और वसूली शुल्क को 20% से 25% बढ़ा दिया गया है। (आयकर अधिनियम की धारा 24)।

- स्वयं अर्जित सम्पत्ति के मामले में उधार ली गई राशि पर ब्याज हेतु कटौती को पन्द्रह हजार रुपये से बढ़ाकर तीस हजार रुपये कर दिया गया है। (आयकर अधिनियम धारा 5)

- भावी आय के प्रति आवास सम्पत्ति के नुकसान को उसी शीर्ष के अधीन आठ वर्षों के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति (आयकर अधिनियम की धारा 7)।

- स्वयं रहने हेतु सुसज्जित या असुसज्जित रिहायशी आवास के लिए कुल आय का 10% से अधिक अदा किये गये किराये की सारी राशि की कटौती की मांग के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 80जीजी को पुनः शामिल किया जा रहा है।

- आय कर अधिनियम की धारा 80(ए) के तहत कम्पनियों हेतु शून्य कर के प्रयोजन के लिए आवास और निर्माण गतिविधि को "अवस्थापना" मानने की मांग के लिए मंजूर आवासीय परियोजनाओं को शून्य कर की अनुमति दी गई है—प्रथम पांच वर्षों के लिए लाभों से 100% कटौती और बाद के पांच वर्षों के लिए 30% कटौती।

- आवासीय वित्त संस्थानों को धारा 36(1) के तहत अपनी कुल आय का 40% विशेष कोष में अन्तरित करने के लिए प्राप्त छूट को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

उत्पाद शुल्क की दरों में संस्तुत परिवर्तन

क्र.सं.	विवरण	मौजूदा अध्याय	संस्तुत अध्याय	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	तैयार मिश्रित कन्क्रीट	13%	शून्य	स्वीकृत
2.	रेजिन वान्डिक पलटूटिड जूट मिश्रित दरवाजे और खिड़की फ्रेम तथा शटर्स	18%	"	"
3.	रबरवुड और पोपलर वुड आधारित दरवाजा, खिड़की फ्रेम और शटर्स	18%	"	
4.	सामान जिसमें रेडमड, प्रेस मडया ब्लास्ट फर्नेस स्लैग या इन सामग्रियों में से एक या अधिक का भार में 25% से अधिक उपयोग किया गया हो	8%	"	स्वीकृत

1	2	3	4	5
5.	सामान जिसमें फ्लाइएश या फास्फोजिप्सम या दोनों का भार में 25% से अधिक उपयोग किया गया हो	8%	शून्य	स्वीकृत
6.	(क) सीमेन्ट बान्डिड पार्टिकल बोर्ड्स	8%	शून्य	स्वीकृत
	(ख) जूट पार्टिकल बोर्ड	8%	शून्य	
	(ग) चावल की भूसी के बोर्ड	8%	शून्य	
	(घ) ग्लास फाइबर से प्रबलित जिप्सम बोर्ड्स (जी आर जी)	8%	शून्य	
	(ङ) सिसल फाइबर बोर्ड	8%	शून्य	
	(च) बगासे बोर्ड	8%	शून्य	
7.	पूर्वसंरचित भवन सामग्री और फैक्टरी में विनिर्मित कान्क्रीट (ठोस या खोल), स्लैब्स, लिन्टेल्स, बीम्स, स्टेयर्स और छज्जे के संगठक	8%	शून्य	

इन सिफारिशों के लिए विस्तृत कर का अध्ययन किया जाना है।

भवन सामग्रियों और आवासीय क्षेत्र को पहले से प्रदान की गई छूट को बनाए रखना

उत्पाद शुल्क

(1) अधिसूचना संख्या 4/97 दिनांक 1.3.97 सामान्य छूट सं. 66 क्रम सं. 154, 155 और 159

(2) उपर्युक्त क, ख, ग में उल्लिखित संशोधनों सहित अधिसूचना सं. 5/97 दिनांक 1.3.97 सामान्य छूट सं. 67, क्रम सं. 66 और 119

स्वीकृत

सीमा शुल्क

(1) अधिसूचना सं. 11/97-कस./दिनांक 1.3.1997, सामान्य छूट सं. 121 क्रम सं. 117-स्वीकृत शर्त सं. 70 सूची 5

स्वीकृत

सूची 5 (कृपया तालिका की क्रम सं. 132 देखें)

(1) 3000-5000 ब्रिक्स/हावर अप-एण्ड डाउन स्ट्रोक प्रेशर 300-400 कि.ग्रा./वर्ग मी. क्षमता वाले फ्लाईएश सैण्डलाइन के लिए मोल्ड्स, पैलेट्स, स्टेकर्स, क्लैम्पिंग डिवाइसों जैसे उपसाधिजों सहित ब्रिक प्रैस।

(2) वाइब्रेटर्स, मिक्सर और मोल्डस, पैलेट्स, स्टेकर्स, क्लैम्पिंग डिवाइसों या समान डिवाइसों जैसे उपसाधिजों सहित 1000-2000 ब्लाक 1 घंटा क्षमता की फ्लाइएश ब्लाक बनाने वाली मशीन।

(3) बाटम वाल्व सहित मिक्सचर और सेलूलर कन्क्रीट के लिए आउटलेट पाइप।

(4) सेलूलर कन्क्रीट के लिए मोल्डिंग उपस्कर, क्रास कटिंग संयंत्र और लागीट्यूडीनल कटिंग संयंत्र

(5) मोल्डस के लिए सेन्टरिंग ब्रिज

(6) लाइट वेट फ्लाइएश सेलूलर कन्क्रीट के लिए मूविंग ग्रेट सिनटरिंग स्ट्रैण्ड

(7) फासफोजिप्सम के लिए डायाफ्राम, पम्प, वैक्यूम फिल्टर, गैस स्कूबर सहित प्यूरीफिकेशन संयंत्र।

(8) फ्लैश केलसाइनर

(9) केलसाइनेशन उपस्कर के लिए सेन्ट्रीफ्यूज

(10) पार्टिशन पेनल संयंत्र

(11) फासफोजिप्सम के लिए मोल्डस

(12) ड्रायर एवं केलसाइनर

(13) एज रनर मिल (ग्रासन्डिग प्लेट्स के परफोटेशन के आधार पर चिकनी मिट्टी और फ्लाइएश के मिश्रण को प्रतिघंटा 15 से 40 टन पीसने और गूंथने के लिए।

(14) पैन मिक्सर (प्रति घंटा 25 टन उत्पादन)

(15) डबल शाफ्ट मिक्सर) चिकनी मिट्टी और फ्लाइएश सामग्री को मिलाने के लिए।

(16) वैक्यूम वार्म प्रेस एल्सइजन मशीन) प्रति घंटा 36 टन सामग्री को प्रेस करने की क्षमता)

(17) माउथ पीस (अपेक्षित प्रकार के ब्रिक्स या ब्लाक्स के सदृश आयाम सहित उपयुक्त वैक्यूम वार्म प्रेस के लिए, जिनका उत्पादन किया जाएगा)।

(18) आटोमैटिक उपस्कर (प्रैसिंग शाप और ड्रायर्स के बीच ब्रिट्स की कटिंग और हैण्डलिंग के लिए)

(19) हौलो-कोर रुफिंग/फ्लोरिंग यूनिट बनाने के लिए अपेक्षित संयंत्र एवं मशीनरी।

(20) वालिंग के लिए हौलो और पीलिड कन्क्रीकट के विनिर्माण के लिए बड़े आकार के संयंत्र

(21) वाल फार्म्स, स्लैबफार्मा, कालयफार्म का मैकेनाइज्ड हाइड्रोकली संचालित टनल फार्म

(22) इन्टीग्रटिड क्योटिंग और वायर टन्शनिंग व्यवस्था सहित बड़े आकार के वाइब्रेटिंग बेड्स।

(23) प्रीफैब भवन के हिस्सों के शीघ्र उत्पादन के लिए वाइब्रेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स।

(24) खंडुजा ब्लाकों के विनिर्माण के लिए हाइड्रालिक प्रैसें।

(25) खोल एवं ठोस कन्क्रीट ब्लाकों को बनाने के लिए हाइड्रालिक हैवी ड्यूटी प्रेस।

(26) हल्के सेलुलर कन्क्रीट के लिए फोम बनाने वाले उपस्कर, स्पाइरल पंप्स और फोमिंग कम्पाउन्ड

(27) दरवाजे के शटरों के लिए डेन्सीफाइड वुड फारवर प्लट्स

[हिन्दी]

आवास संबंधी उपनियमों को उदार बनाना

743. श्री माधवराव पाटील: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजधानी में आवास उप-नियमों को उदार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली में भवन मानदण्ड संशोधित कर दिए गए हैं। दिनांक 23.7.98 की अधिसूचना सं. के 12016/5/79-डीडी 1ए/1/ए/1बी, जिसके द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान भवन मानदण्ड संशोधित किए गए थे, का अंश इसके साथ विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत के राजपत्र, असाधारण. भाग-2, खण्ड 3-उपखण्ड 2, के अंश

उपांतरण

I. भारत के राजपत्र दिनांक 1.8.90 के पृष्ठ 159(दायीं ओर) तथा दिनांक 15.5.95 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, रिहायशी भूखण्ड-प्लाटबद्ध आवास (001) की तालिका और पाद टिप्पणी का निम्नलिखित प्रकार से उपांतरण किया जाता है:

क्र.सं.	प्लाट का क्षेत्र (वर्गमीटर)	अधिकतम ग्राऊण्ड कवरेज (प्रतिशत)	पर्शी क्षेत्र अनुपात	रिहायशी मकानों की सं.	अधिकतम ऊंचाई (मीटर)
1	2	3	4	5	6
1.	32 से कम	75	225	1	12.5
2.	32 से 50 तक	75	225	2	12.5
3.	50 से 100 तक	75	225	3	12.5
4.	100 से 250 तक	66.66	200	3	12.5
5.	250 से 500 तक	50	150	3(4)	12.5
6.	500 से 1000 तक	40	120	6(8)	12.5
7.	1000 से 1500 तक	33.33	100	6(8)	12.5

1	2	3	4	5	6
8.	1500 से 2250 तक	33.33	100	9(12)	12.5
9.	2250 से 3000 तक	33.33	100	12(16)	12.5
10.	3000 से 3750 तक	33.33	100	15(20)	12.5
11.	3750 से अधिक	33.33	100	18(24)	12.5

टिप्पणी:

दिनांक 15.5.95 की अधिसूचना द्वारा स्वीकृत एफ.ए.आर. (फर्सी क्षेत्र अनुपात) बेसमेंट सहित से अधिक, उपर्युक्त तालिका के अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर शुल्क की अनुमति होगी, और/या भवन निर्माण उप-नियमों में निर्दिष्ट दरों पर या समय-समय पर सरकार द्वारा यथासंशोधित आदेशों के अनुसार विकास प्रभार लिए जाएंगे।

(II) 250 वर्गमीटर से अधिक के प्लाटों के प्रसंग में, जो 24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर या उसके सामने पड़ते हैं (क) एफ.ए.आर. का विस्तार अधिकतम ग्राऊण्ड फ्लोर कवरेज तक किया जाएगा, (ख) अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर होगी, तथा (ग) रिहायशी मकानों की संख्या वह होगी, जो कोष्ठक में दी गई है।

(III) (क) बेसमेंट:

(i) प्लाटबद्ध के विकास में यदि बेसमेंट का निर्माण हो गया है, तो उसे एफ.ए.आर. में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) बेसमेंट का क्षेत्रफल गाऊण्ड फ्लोर के कवरेज से अधिक नहीं होगा और यह ग्राउण्ड फ्लोर के नीचे होगा। तथापि, बेसमेंट के क्षेत्रफल को भीतरी आंगन तथा शाफ्ट के नीचे बढ़ाया जा सकता है।

...

दिनांक 15.5.95 की अधिसूचना की शेष सभी पाद-टिप्पणी अर्थात् (I) और (V) से (XI) यथावत रहेंगी।

2. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ संख्या 160 (बायीं ओर) पर रिहायशी प्लाट-समूह आवास (002) के नीचे निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्द्धन किये जाते हैं:

अधिकतम एफ.ए.आर.	167
अधिकतम ऊंचाई	33 मीटर

टिप्पणी:

अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर शुल्क/या अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए विकास प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर लिया जाएगा।

अन्य नियंत्रण:

(1) प्रति हैक्टेयर 175 रिहायशी मकानों की दर से आवास घनत्व की अनुमति होगी, जिसमें 13 प्रतिशत की घट-बढ़ हो सकती है। इसका उल्लेख, क्षेत्र के लिए निर्धारित सकल रिहायशी घनत्व हो, ध्यान में रखकर, क्षेत्रीय नक्शे/विन्यास में करना होगा। स्वीकृति के स्तर पर घनत्व में अधिकतम घट-बढ़ 5 प्रतिशत की होगी।

बंगला क्षेत्र (भाग डिवीजन घ) तथा सिविल लाइन्स क्षेत्र (भाग डिवीजन ग) के प्रसंग में, समूह आवास कालोनियों में रहायशी घनत्व विस्तृत नक्शे के आधार पर नियत किया जाएगा।

(IV) सामुदायिक/मनोरंजक हाल, क्रैच, पुस्तकालय, वाचनालय तथा सोसाइटी कार्यालय जैसी सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए अधिकम 400 वर्गमीटर तक अतिरिक्त एफ.ए.आर. की अनुमति दी जायेगी।

रिहायशी प्लाट-ग्रुप हाऊसिंग (002) के नीचे के भाग में अनुमत्य गतिविधियों के अंतर्गत पृष्ठ 155 (बाएं ओर) पर क्रैच तथा डे-केअर सेंटर के अधीन प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापति किया जाएगा:

सामुदायिक/मनोरंजन हाल, पुस्तकालय, वाचनालय और सोसाइटी कार्यालय के लिए ग्राऊण्ड फ्लोर पर इनकी अनुमति दी गई है।

3. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र में पृष्ठ 166 (बाएं हाथ पर) व्यवसायिक गतिविधियों के अधीन उपबन्ध को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

रिहायशी प्लाटों तथा फ्लैटों में किसी भी मंजिल पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी:

आवास के एक भाग, जो एफ.ए.आर. का अधिकतम 25 प्रतिशत या 100 वर्गमीटर इनमें से जो भी कम हो, को व्यवसायिक कौशल पर आधारित सेवाएं मुहैया कराने के लिए गैर-ध्वनि प्रदूषण वाली गतिविधियों के लिए रिहायशी कार्यों से अलग उपयोग किया जा सकता है।

फार्म हाऊस (35)

दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 164 (आर.एच.एस.) पर सारणी को निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा:

(1) फार्म हाऊस का न्यूनतम आकार	—	0.8	हैक्टेयर
(2) अधिकतम ग्राऊण्ड कवरेज	—	5	प्रतिशत
(3) अधिकतम एफ.ए.आर.	—	5	(अधिकतम 500 वर्गमीटर की शर्त पर फार्म का आकार कितना भी हो)
(4) मंजिलों की संख्या	—	2	
(5) अधिकतम ऊंचा	—	8	मीटर

बेसमेंट सहित सभी निर्माण, यदि कोई हो, को एफ.ए.आर. में शामिल किया जाएगा।

भूस्वामियों को ले-आऊट प्लान के अनुसार परिचालन नेटवर्क पर आधारभूत आवश्यकताओं के लिए मुफ्त में भूमि देनी होगी। इससे उनको कुल क्षेत्र पर एफ.ए.आर., में लाभ प्राप्त होगा।

दिनांक 1.8.90 की भारत सरकार की गजट अधिसूचना के द्वारा उपर्युक्त अनुमत्य के अलावा अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर शुल्क और/या विकास प्रभार समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जाएगा।

इस्पात विकास निधि से ऋण

744. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और टाटा इस्पात निगम लि. को इस्पात विकास निधि से ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों कम्पनियों को अलग किस-किस तारीख को उक्त ऋण प्राप्त हुआ;

(ग) क्या उक्त ऋण का निर्धारित समय में भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और करार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार कम्पनियां कौन-कौन सी हैं; और

(ङ) अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार कम्पनी-वार उक्त ऋण की बकाया राशि कितनी है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हां।

(ख) सेल और टिस्को को संवितरित किए गए ऋण के ब्यौरे (वर्ष-वार) को नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपये)

दिनांक (वितरण वर्ष)	सेल	टिस्को
1	2	3
1979-80	160	–
1980-81	–	–
1981-82	240.24	60.00
1982-83	286.66	40.00
1983-84	238.09	–
1984-85	254.52	–
1985-86	300.97	30.00
1986-87	229.42	93.09
1987-88	203.85	92.01
1988-89	299.53	97.88
1989-90	459.41	91.50
1990-91	506.08	94.72
1991-92	583.48	121.61

1	2	3
1992-93	652.80	118.26
1993-94	736.12	150.14
1994-95	–	15.74
1995-96	–	91.86
1996-97	1134.33	118.15
1997-98	–	–
कुल	6285.50	1214.96

(ग) उपरोक्त ऋण को समय पर संवितरित किया गया।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण राशि निम्नलिखित प्रकार है:

कम्पनियों का नाम	राशि (करोड़ रुपये)
सेल	4427.71
टिस्को	884.20

[अनुवाद]

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में अनधिकृत कब्जा

745. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन विक्रेताओं, कुलियों एवं पार्सल कर्मचारियों के लिए तेजी से आश्रय स्थल बनता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशन से ऐसे अनधिकृत कब्जों को हटाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, मुख्य स्टेशनों पर अप्राधिकृत फेरीवालों, भिखारियों, भार वाहकों तथा अन्य असामाजिक तत्वों के प्रवेश और संचलन को रोकने के लिए सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस के साथ मिलकर टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा नियमित जांचें की जाती हैं।

वायुसेना के विमानों का नष्ट होना

746. श्रीमती रानी नरह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत 6 माह में दुर्घटनाओं में भारतीय वायु सेना के कुछ लड़ाकू विमान नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गत छह माह में (मई, 1998 से अक्तूबर, 1998 तक) उड़ान-दुर्घटनाओं में 12 लड़ाकू वायुयान नष्ट हुए तथा दो मिग-27 वायुयान जमीन पर क्षतिग्रस्त हुए। भारतीय वायु सेना ने प्रत्येक दुर्घटना के मामले में दुर्घटना के कारण का पता लगाने तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक जांच अदालत बिठाए जाने का आदेश दिया है। अधिकांश मामलों में यह पता चला है कि दुर्घटना का कारण मानवीय चूक/तकनीकी खराबी है।

लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

747. **श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:**
श्री नृपेन गोस्वामी:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद के माध्यम से वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा अक्तूबर 1998 तक पूर्वोत्तर राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इन संगठनों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और अक्तूबर 1998 तक कपार्ट के जरिए उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1996-97, 1997-98 और अक्तूबर, 1998 तक कपार्ट के जरिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई राशि		
		1996-97	1997-98	1998-99 (अक्तू, 1998 तक)
1.	अरुणाचल प्रदेश	2973100	3,31,715	1,10,000
2.	असम	49,93,830	52,36,594	24,05,871
3.	मणिपुर	81,17,276	37,11,946	37,31,248
4.	मेघालय	1,37,655	6,63,700	–
5.	मिजोरम	10,00,230	2,12,256	99,150
6.	नागालैंड	6,25,371	9,42,381	1,02,340
7.	त्रिपुरा	1,28,902	6,08,351	2,09,465
	कुल	1,79,76,364	1,17,06,943	66,58,074

[हिन्दी]

नई नागर विमानन नीति के अंतर्गत लाइसेंस

748. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नई विमानन नीति के अंतर्गत देश में घरेलू क्षेत्र में विमान सेवा शुरू करने के लिए आज तक कितनी राष्ट्रीय और विदेशी कम्पनियों को अनुमति दी गई है;

(ख) इन कंपनियों द्वारा अनुपालन के लिए क्या मानदंड और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) इन कंपनियों द्वारा विमान सेवा शुरू करने के लिए निर्धारित मार्गों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या नागर विमानन निदेशालय द्वारा इन कंपनियों खासतौर पर जेट एयरवेज के विरुद्ध नियमों का उल्लंघन करने के लिए मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) केवल भारतीय कंपनियों को घरेलू विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के लिए अनुमति दी जाती है। इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया तथा एलायंस एयर को छोड़कर निम्नलिखित निजी विमानकंपनियों को अभी तक घरेलू अनुसूचित विमान सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी गई है:

1. मै. जेट एयरवेज (इंडिया)
2. मै. स्काईलाइन-एन.ई.पी.सी. लि. (पूर्व मै. दमानिया एयरवेज)
3. मै. एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस
4. मै. मोदीलुफ्त लिमिटेड
5. मै. ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस
6. मै. अर्चना एयरवेज
7. मै. सहारा इंडिया एयरलाईंस

तथापि, उक्त निजी विमानकंपनियों में से, केवल मै. जेट एयरवेज तथा मै. सहारा इंडिया एयरलाइंस ही प्रचालनात्मक हैं। मै. अर्चना एयरवेज ने अपने प्रचालन अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिए हैं।

(ख) प्रचालकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वायुयान अधिनियम, 1935 के उपबंधों, वायुयान नियम, 1937 तथा समय-समय पर उनके अंतर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा अनुदेशों का अनुपालन करें।

(ग) किसी भी विमानकंपनी के लिए मार्गों का निर्धारण नहीं किया जाता है। विमानकंपनी मार्ग वितरण मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुपालन के अध्यधीन अपने वाणिज्यिक विवेक पर आधारित किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। जहां कहीं मै. जेट एयरवेज सहित विमान कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन देखने में आई नागर विमानन महानिदेशक द्वारा वहां उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

कानपुर में आरक्षण कार्यालय

749. श्री जगत वीर सिंह द्रोण: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कानपुर में इंडियन एयरलाइंस के टिकट और आरक्षण कार्यालयों को बंद करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) लागत कम करने संबंधी उपायों के भाग के रूप में उन आफ-लाइन स्टेशनों/बुकिंग कार्यालयों को बंद करने के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लिया गया था जो किफायती दृष्टि से व्यवहार्य नहीं थे। कानपुर के किए गए लागत लाभ संबंधी विश्लेषण से यह पता चला कि वहां प्रति माह 1,17,745 रुपये की दर से घाटा हो रहा है। अत: इस कार्यालय को 15 मई, 1998 को बंद कर दिया गया।

[अनुवाद]

रेलवे परियोजनायें

750. श्री अमर राय प्रधान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वोत्तर संबंधी रेल बजट में प्रस्तावित परियोजनाओं में बहुत सी कमियां हैं;

(ख) क्या दोहरी लाइन के लिए पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अंतर्गत नयी जलपाइगुड़ी से नई बोन्गाइगांव तक सेक्शन को शामिल न करना एक बड़ी कमी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ताकि इसके कारण आने वाले वर्षों में यातायात संबंधी बहुत अधिक भीड़-भाड़ न हो?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाइगांव का आमान परिवर्तन जो मौजूदा बड़ी लाइन को दोहरी बड़ी लाइन के रूप में सेवित करेगा, बजट, 97-98 में शामिल किया गया था। इस परियोजना पर विस्तारित बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और इसे आर्थिक मामले संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात शुरू किया जाएगा।

महाबलिपुरम का चेन्नई से सम्पर्क

751. श्री टी. आर. बालू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के एक काफी महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र महाबलिपुरम को चेन्नई के साथ रेल सम्पर्क द्वारा जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना के संबंध में व्यावहारिकता अध्ययन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इसे रेल सम्पर्क द्वारा जोड़ दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं। महाबलिपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा चेन्नई के साथ भली-भांति जुड़ा हुआ है जो पर्यटक यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेदुमबास्सेरी विमानपत्तन (केरल) से उड़ानें

752. श्री पी.सी. थामस: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन के निकट नेदुमबास्सेरी में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के एक नए विमानपत्तन के निर्माण से संबंधित कार्य पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां तो उसे उड़ानों के संचालन हेतु कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कोचीन विमानपत्तन भारतीय नौसेना के नियंत्रण में है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोचीन विमानपत्तन के परिसर का हस्तांतरण उनको किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) मैसर्स कोचीन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा कोचीन के निकट नेदुम्बसेरी में अन्तराष्ट्रीय स्तर के एक नये विमानपत्तन का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य अप्रैल 1999 तक पूरा हो जाने की संभावना है और उस तारीख के बाद, सिविल उड़ानों के लिए विमानपत्तन को लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ग) कोचीन का वर्तमान विमानपत्तन भारतीय नौसेना का है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार

753. श्री दादा बाबूराव परांजपे: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय ने 1995 में रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षित ट्रेड प्रशिक्षुओं को

रोजगार न प्रदान करना सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हजारों की संख्या में ऐसे प्रशिक्षु बेरोजगार घूम रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूर्णत: क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) रक्षा संस्थानों से प्रशिक्षित ट्रेड प्रशिक्षुओं के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 में दिए गए किसी भी निर्णय की जानकारी इस मंत्रालय को नहीं है।

2. तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम शिक्षुक बेरोजगार संघ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करने के लिए श्रम मंत्रालय ने अपने दिनांक 15.3.96 के पत्र के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी कर दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर किसी यूनिट में भर्ती की जाती है, तो उस समय अन्य उम्मीदवारों की तुलना में पूर्व ट्रेड प्रशिक्षुओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। तदनुसार, सभी आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रशिक्षित ट्रेड प्रशिक्षुओं की भर्ती के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

3. 1973 में यथा-संशोधित ट्रेड प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक निर्माणी को निश्चित संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना होता है लेकिन ऐसे प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नौकरी देने की बाध्यता निर्माण की नहीं है। प्रशिक्षित ट्रेड प्रशिक्षु कहीं भी नौकरी तलाश करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

4. किसी निर्माणी विशेष में कर्मचारियों की भर्ती विविध कारकों जैसे मौजूदा कार्यभार की स्थिति, भावी लक्ष्य, क्षति आदि पर विचार करने के बाद निर्माणी की कार्यात्मक आवश्यकता पर निर्भर करती है तथा इस भर्ती में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षित ट्रेड प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाती है।

[अनुवाद]

के.पी. सिंह देव समिति की सिफारिशें

754. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रादेशिक सेना संबंधी के.पी. सिंह देव समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया गया है, इसकी संक्षिप्त सिफारिशें क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) प्रादेशिक सेना पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें अब विचार किये जाने के उन्नत चरण में है। हालांकि सिफारिशों के संबंध में अंतरिम निष्कर्ष निकाल लिए गए हैं किंतु उन पर अंतिम निर्णय लेने में कुछ और समय लगने की संभावना है। मुख्यत: विचार-विमर्श के कुछ और दौरों की आवश्यकता के कारण विलंब हुआ है।

बंगलौर विमानपत्तन का विकास

755. श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:
श्रीमती जयन्ती पटनायक:
श्री प्रभाश चन्द्र तिवारी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान विकास, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन हेतु किन-किन विमानपत्तनों पर कार्य शुरू किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण, विकास एवं उन्नयन के लिए अपना प्रयास जारी रखने का है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) क्या मंगलौर एवं भागलपुर (बिहार) विमानपत्तन को विस्तार हेतु नहीं चुना गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) आठवीं योजना अवधि में निम्नलिखित विमानपत्तनों का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए पता लगाया गया था। आधुनिकीकरण किये जाने वाले अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन इस प्रकार हैं:

(1) कलकत्ता, (2) चेन्नई, (3) दिल्ली, (4) मुम्बई, और (5) तिरुवनन्तपुरम

स्तरोन्नयन किये जाने वाले आदर्श विमानपत्तन इस प्रकार हैं:

(1) भुवनेश्वर, (2) कालीकट, (3) कोयम्बटूर, (4) गुवाहाटी, (5) हैदराबाद, (6) इन्दौर, (7) इम्फाल, (8) जयपुर, (9) लखनऊ, (10) नागपुर, (11) पटना और (12) वड़ोदरा।

स्तरोन्नयन के लिए अन्य विमानपत्तन इस प्रकार हैं:

(1) आगरा, (2) अहमदाबाद, (3) अगरतला, (4) औरंगाबाद, (5) बंगलौर, (6) बागडोगरा, (7) भोपाल, (8) दीमापुर, (9) ग्वालियर, (10) जबलपुर, (11) जोधपुर, (12) खजुराहो, (13) लीलाबाड़ी, (14) लेह, (15) लुधियाना, (16) गोवा, (17) मंगलौर, (18) पोर्ट-ब्लेयर, (19) राजकोट, (20) तिरुचिरापल्ली, (21) तिरुपति, (22) उदयपुर, (23) रायपुर, (24) सिलचर, (25) तेजपुर, (26) पोरबन्दर, (27) डिब्रूगढ़, (28) जम्मू, और (29) श्रीनगर।

नये विमानपत्तनों का निर्माण (1) कारगिल, (2) लेंगपुई, और (3) तूरा।

(ख) जी, हां।

(ग) नौवीं योजना के दौरान 3307.32 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

(घ) और (ङ) मंगलौर विमानपत्तन का विस्तार अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत पर टर्मिनल भवन के आगमन ब्लॉक का विस्तार किया गया और इसका परिवर्धन किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक नये धावनपथ (वर्तमान धावनपथ के दक्षिण में) और सभी आधुनिक सुविधाओं सहित नये टर्मिनल भवन का निर्माण करने के द्वारा मंगलौर विमानपत्तन के विकास की योजना भी है। धावन के दोनों किनारों पर गहराई अधिक होने के कारण, वर्तमान धावनपथ का और विस्तार नहीं किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार से 175 एकड़ भूमि देने का अनुरोध किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भूमि अर्जन के लिए राज्य सरकार के पास पहले से ही 50 लाख रुपए की राशि जमा कर दी है और जैसे ही राज्य सरकार से भूमि प्राप्त हो जाएगी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अनुमान तैयार कर लेगी।

भागलपुर विमानपत्तन:- यह विमानपत्तन बिहार राज्य सरकार का है। इसके स्तरोन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास कोई योजनाएं नहीं है।

एस्बेस्टस का आयात

756. श्री फ्रांसिस्को सारदीना: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एस्बेस्टस का कुल भण्डार कितना है;

(ख) इसकी अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) क्या इस खनिज को अनारक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो एस्बेस्टस की कुल कितनी खानें पट्टे पर दी गई हैं;

(ङ) कुल कितने मूल्य के एस्बेस्टस का वार्षिक आयात किया जाता है;

(च) क्या एस्बेस्टस के उत्पादन में गत तीन वर्षों के दौरान कोई बढ़ोत्तरी हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में सभी प्रकार के एस्बेस्टस के प्राप्ति योग्य कुल भंडार 9383 हजार मीट्रिक टन (एम.टी.) हैं। एस्बेस्टस के इन भंडारों के मूल्य का आकलन नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं। एस्बेस्टस खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में शामिल है तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से पहले राज्य सरकार को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना पड़ता है।

(घ) भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में एस्बेस्टस के लिए 25.11.1998 की स्थिति के अनुसार कुल 110 खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं।

(ङ) वर्ष 1995-96 में 145 करोड़ रुपये मूल्य का 81,924 मीट्रिक टन (एम.टी.) और वर्ष 1996-97 में 146 करोड़ रुपये का 77,498 मीट्रिक टन (एम.टी.) एस्बेस्टस का कुल आयात किया गया।

(च) और (छ) एस्बेस्टस का उत्पादन वर्ष 1995-96 के दौरान 23,844 मी. टन, वर्ष 1996-97 के दौरान 27,180 मी. टन तथा वर्ष 1997-98 के दौरान 23,021 मी. टन था। अत: यह स्पष्ट है कि वर्ष 1997-98 के दौरान एस्बेस्टस के उत्पादन में कमी आई है।

शहरी क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र का विकास

757. डा. उल्हास वासुदेव पाटील: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शहरी क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र के विकास हेतु पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, वाणिज्य और उद्योग मंडलों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) हाल ही में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी आयात के लिए मालडिब्बों की आपूर्ति

758. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के संचालन के लिए मालडिब्बों की वर्तमान मांग तथा अनुमानित मांग के संदर्भ में रेल मालडिब्बों के संबंध में कुल मिलाकर स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार को पाकिस्तान से चीनी के आयात के लिए और अधिक माल डिब्बे प्रदान करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान व्यवस्था क्या है और मांगे गए अतिरिक्त मालडिब्बों से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) विभिन्न अनिवार्य पण्यों की वर्तमान तथा अनुमानित मांग के संबंध में रेल मालडिब्बों की कोई कमी नहीं है। मालडिब्बों का आकलन एक सतत प्रक्रिया है तथा सभी उपयोगकर्ताओं/मंत्रालयों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात आकलन किया जाता है। नौवीं योजना के लिए, भारतीय रेल की नौवीं योजना के अंत में 525 मी. टन की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 1,75,000 चौपहिया यूनिट खरीदने की योजना है। 1997-98 के दौरान, नौवीं योजना के पहले वर्ष में मालडिब्बों के नए अधिग्रहण/बदलाव के लिए 27,865 मालडिब्बों को पहले ही खरीद लिया गया है। इसमें "मालडिब्बे के मालिक बनें" तथा निर्माण, स्वामित्व, प्रभार और हस्तांतरण योजनाओं के अंतर्गत खरीदे गए मालडिब्बे शामिल हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) पाकिस्तान रेलवे पर चीनी अथवा कोई अन्य पण्य का लदान किये जाने हेतु अपेक्षित माल डिब्बे पाकिस्तान रेलवे द्वारा सप्लाई किये जाते हैं तथा सामान्यत: ये पाकिस्तान रेलवे के मालडिब्बे हैं। भारत में उतराई के पश्चात, पाकिस्तान रेलवे के मालडिब्बे पाकिस्तान को या तो खाली अथवा पुन: लदान करके भेजे जाते हैं। इसी प्रकार, हमारे देश में लदान के लिए, भारतीय रेलें मालडिब्बे सप्लाई करती हैं तथा पाकिस्तान रेलवे उन्हें या तो खाली अथवा चीनी अथवा अन्य पण्यों का लदान करके वापस करती है।

[हिन्दी]

कार्गो सेवाएं

759. श्री प्रभूदयाल कठेरिया:
डा. अशोक पटेल:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हवाई कार्गो सेवाओं और हवाई अड्डों पर सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रतिस्पर्धा हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अतिरिक्त संयुक्त उद्यम में किसी अन्य एजेंसी को लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक उक्त एजेंसी को लाइसेंस देने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) विमान कार्गो को हैंडल करने और उनको वेयरहाउस में रखने के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर एक संयुक्त उद्यम कार्गो टर्मिनल की स्थापना करने का "सिद्धान्त रूप में" निर्णय लिया जा चुका है। इसका प्रबंधन निजी संयुक्त उद्यम भागीदार द्वारा किया जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में एक नामित समिति निजी भागीदारी की क्रियाविधियों तथा इस प्रयोजन के लिए दी जाने वाली जमीन/अवसंरचना का आकलन कर रही है। लाइसेंस देने की प्रक्रिया मार्च, 1999 तक पूरी हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

टाटा अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना को फिर से शुरू करना

760. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर के निकट 1500 करोड़ रु. वाली विमानपत्तन परियोजना को फिर से शुरू करने के सिलसिले में कर्नाटक सरकार के अधिकारियों ने सितम्बर, 1988 के अंतिम सप्ताह के दौरान टाटा समूह के चेयरमैन श्री रतन टाटा से भेंट की थी और उन्हें एक समझौता ज्ञापन का प्रारूप दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मैसर्स टाटा इन्डस्ट्रीज और कर्नाटक सरकार इस समय परियोजना की सहायता पर पुन: कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

रेलवे की भूमि को पट्टे पर देना

761. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्र-वार रेल लाइन के साथ-साथ कुल कितनी क्षेत्रफल भूमि खाली पड़ी है;

(ख) क्या सरकार उक्त भूमि को आस-पास के गांवों में रहने वाले भूमिहीन लोगों को कृषि हेतु पट्टे पर देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त भूमि को किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) रेलवे लाइनों के साथ-साथ वाली भूमि सहित क्षेत्रवार खाली पड़ी भूमि निम्नलिखित है:

रेलवे	खाली भूमि (हेक्टेयर)
मध्य	146
पूर्व	2600
उत्तर	1828
पूर्वोत्तर	4560
पूर्वोत्तर सीमा	2610
दक्षिण	2040
दक्षिण मध्य	8670
दक्षिण पूर्व	501
पश्चिम	1890
कुल	24845

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह भूमि आगामी विकासात्मक कार्यों हेतु आरक्षित रखी जाती है। ऐसी भूमि जो तत्काल अपेक्षित नहीं होती, वृक्षारोपण/वनरोपण के प्रयोजन हेतु प्रयोग की जाती है।

आतंकवादियों से आर.डी.एक्स. की बरामदगी

762. श्री भगवान शंकर रावत: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों के दौरान सेना द्वारा आतंकवादियों से कितनी मात्रा में आर.डी.एक्स. बरामद की गई और आर.डी.एक्स. के साथ कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में आतंकवादी देश के भीतर आर.डी.एक्स. न लाने पाएं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) आतंकवादियों से 19 अगस्त, 1998 से 19 नवम्बर, 1998 तक आर डी एक्स सहित विभिन्न किस्म के कुल 1724 कि.ग्रा. विस्फोटक पकड़े गए हैं। प्रत्येक आतंकवादी से बरामद किए गए आर डी एक्स की सही मात्रा तथा डी एक्स के साथ पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या बता पाना संभव नहीं है क्योंकि सेना द्वारा इनका अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) आतंकवादियों की घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए सीमाओं पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए तटरक्षक पोत और वायुयान भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त लगा रहे हैं। भारत में घुसपैठ और शस्त्रास्त्रों तथा गोलाबारूद अवैध रूप से लाए जाने को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से अनेक विशेष अभियान चलाए गए हैं। सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की फील्ड विरचनाएं भी आर डी एक्स सहित निषिद्ध माल की तस्करी रोकने के लिए चौकस और सतर्क हैं।

[अनुवाद]

रेलवे भंडारों में अनियमितता

763. श्रीमती कमल रानी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न रेलवे मण्डलों के अंतर्गत भंडार नियंत्रकों द्वारा भंडार मदों की आपूर्ति में अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाई की है अथवा करने का विचार है;

(ङ) केन्द्र सरकार ने भंडारों द्वारा विभिन्न मदों की आपूर्ति करने संबंधी उचित परीक्षण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है; और

(च) इन कथित अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (च) पूरे देश में फैली भारतीय रेलें अधिक मूल्य वाली विशेष, मदों की केन्द्रीकृत खरीद रेलवे बोर्ड कार्यालय और अन्य मदों की खरीद क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों द्वारा की जाती है। आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की संविदा दरों के अनुसार खरीद की जाती है। कम मूल्य की मदों अथवा आपातिक मामलों में खरीद केवल मंडल स्तर पर की जाती है। इस प्रकार की खरीद भण्डार विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता में निर्धारित नीति तथा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार स्थापित निविदा प्रणाली द्वारा की जाती है।

इन प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मद के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार खरीद की जाती है और सप्लायरों से सामग्रियों को नामित निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण/सुरक्षा/जटिल कलपुर्जे को केवल प्रतिष्ठित, जाने-माने और अनुमोदित स्रोतों से खरीद की जाती है

जब कभी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होती हैं तब उनकी जांच कार्यपालक अथवा क्षेत्रीय रेलों/रेलवे बोर्ड के सतर्कता संगठनों द्वारा समुचित स्तर पर की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी समुचित कार्रवाई की जाती है। बहरहाल,

पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष में सभी रेलवे मंडलों और अन्य रेल कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों की सूचियां सही-सही संकलित करना व्यावहारिक नहीं होगा।

[हिन्दी]

रक्षा सेवाओं में अधिकारियों की कमी

764. श्री अमर पाल सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय तीनों रक्षा सेवाओं में कितने अधिकारियों की कमी है;

(ख) क्या सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को कब तक भर लिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) तीनों सेनाओं में अफसरों की मौजूदा कमी इस प्रकार है-

सेना	–	13271
नौसेना	–	1282
वायुसेना	–	770

2. सेना में अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं, जैसे विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर के 'ग' प्रमाणपत्र धारकों को अल्पकालीन सेवा कमीशनप्राप्त अफसर के रूप में भर्ती किए जाने के लिए उन्हें सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट देना, महिला अफसरों की भर्ती, सेवारत जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों को विशेष कमीशनप्राप्त अफसर संवर्ग में पदोन्नति देना और 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना शुरू करना।

3. एक व्यावसायिक विज्ञापन एजेंसी की सहायता से 1997-98 के दौरान सेना की छवि-प्रदर्शन का अभियान चलाया गया था। इस दिशा में हुई उपलब्धियों को समेकित करने के लिए सरकार ने इस अभियान का चरण-2 शुरू करने का निर्णय लिया है। नौसेना और वायुसेना के मामलों में सरकार समाचार-पत्रों और प्रचार माध्यमों में अधिकाधिक प्रचार द्वारा युवाओं को नौसेना एवं वायुसेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते सभी संभव प्रयास कर रही है, ताकि सर्वोत्तम अभ्यर्थी लिए जा सकें।

4. सरकार ने सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में और सुधार करते हुए उन्हें लागू कर दिया है।

5. यह आशा है कि इन सभी प्रयासों के संचयी प्रभाव के फलस्वरूप भर्ती में वृद्धि होगी, जिससे निकट भविष्य में अफसरों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी।

मुख्यालय का स्थानांतरण

765. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुबली खंड के अंतर्गत कोल्हापुर-पुणे सेक्शन के मुख्यालय का स्थानांतरण सिकंदराबाद से सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत मुंबई सेंट्रल में करने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) कोल्हापुर-पुणे मुख्यालय का स्थानांतरण संबंधी निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने पुणे में मंडल कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। जोनों तथा माडलों के बीच प्रादेशिक पुनर्समायोजनों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

हवाई यात्रा का भाड़ा

766. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से विदेश जाने और विदेश से भारत आने के लिए हवाई यात्रा का भाड़ा निर्धारित करने का सामान्य मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या भारत से दूसरे देशों में जाने के लिए कुछ स्थानों के भाड़े में उनकी दूरी की तुलना में अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) अंतरराष्ट्रीय विमान किराए, विभिन्न कारकों जैसे मील-भाड़ा प्रचालन व अन्य लागत, तैनाती क्षमता, वाहकों के बीच प्रतिस्पर्धा, मांग मूल्य-सापेक्षता तथा यातायात संभाव्यता पर विचार करते हुए, आयटा तंत्र के माध्यम से नियत किये जाते हैं।

(ख) और (ग) भिन्न-भिन्न सेक्टरों पर किराए मात्र मील-भाड़ा के आधार पर ही तुलनीय नहीं हो सकते क्योंकि यह उक्त निर्दिष्ट विभिन्न अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया एवं इंडियन एयर लाइंस द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं

767. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ानों में विलम्ब के संबंध में जानकारी समय पर नहीं दी जा रही है और एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के संबंधित कर्मचारियों और विमान चालक दल के सदस्यों का व्यवहार अच्छा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों ही उड़ानों में होने वाले विलंब के बारे में यात्रियों को यथाशीघ्र अवगत कराने का भरसक प्रयास करती है। समय-समय पर सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस आशय के अनुदेश जारी किये जाते हैं कि वे हर परिस्थिति में यात्रियों की सहायता करें और उनके प्रति विनम्र रहें।

दोनों राष्ट्रीय विमान कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार संबंधी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है और जहां कहीं अपेक्षित हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पैनल का गठन

768. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में भोज कक्षों के कार्यकरण के संबंध में नीति और मार्गनिर्देश तैयार करने हेतु एक पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल द्वारा किन-किन पहलुओं की जांच किए जाने की संभावना है; और

(ग) यह पैनल अपनी सिफारिशें कब तक दे देगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मौजूदा भोजनकक्षों के संबंध में दिशानिर्देश और भविष्य के लिए मानदण्ड मुहैया कराने के लिए दिल्ली में भोज कक्षों हेतु मसौदा विनियमन तैयार करने के लिए उप राज्यपाल द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। अध्ययन दल का क्षेत्र रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार निम्नलिखित तक परिसीमित था:

(1) भोज कक्षों के आविर्भाव के कारणों की पहचान।

(2) आकार, स्थान, सामने की सड़क, पार्किंग, आग का खतरा आदि की तुलना में मौजूदा भोज कक्षों के नियमितीकरण के लिए मानदण्ड तैयार करना।

(3) दिल्ली के मास्टर प्लान (एम पी डी) 2001/भवन उप नियमों में संशोधनों की पहचान।

(4) दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 56 और 57 के तहत नियमावली और विनियमों का निर्माण।

अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 97 में सौंप दी थी और उप राज्यपाल ने दिल्ली के मास्टर प्लान (एम पी डी)-2001 में उपयुक्त संशोधन हेतु उसका दिनांक 16.8.97 को अनुमोदन कर दिया था।

माल यातायात

769. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीने में माल यातायात में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे को इस कारण कितनी हानि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा माल यातायात में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक). (क) जी हां।

(ख) अर्थव्यवस्था के प्रमुख कोर सेक्टरों से मांग में कमी, जिसमें पावर, कोयला, खाद्यान्न, सीमेन्ट, उर्वरक तथा स्टील और पेट्रोलियम शामिल हैं, लदान स्तर में गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) अप्रैल-सितम्बर, 1998 के दौरान रेलवे की मालभाड़ा से आय 10447.08 करोड़ रुपये के बजटीय लक्ष्य की तुलना में 9735.57 करोड़ रुपये थी, जिसमें 711.51 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई।

(घ) 1. रेल मंत्रालय रेल द्वारा यातायात के संचालन को बढ़ाने के लिए रेल उपयोगकर्ता संगठनों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों दोनों के साथ लगातार निकट सम्पर्क बनाए रखे हुए हैं।

2. माल यातायात का निर्विघ्न संचालन सुनिश्चित करने के लिए फील्ड स्तर पर तथा रेल मंत्रालय स्तर, दोनों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है।

3. रेल को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, चालू वर्ष के दौरान माल भाड़ा दरों में सामान्यतः कोई वृद्धि नहीं की गई है।

भड़ौच-समनी-जम्बूसर-विश्वामित्री का आमान परिवर्तन

770. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में भड़ौच-समनी-जम्बूसर-विश्वामित्री छोटी लाईन के आमान परिवर्तन के संबंध में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आमान परिवर्तन कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त लाइन के आमान परिवर्तन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) अहमदाबाद और मुम्बई के बीच तीसरी लाइन की व्यवस्था करने की परियोजना के भाग के रूप में इस लाइन का आमान परिवर्तन शुरू किये जाने का प्रस्ताव है। रेल बजट में कार्य को शामिल करने से पहले अपेक्षित आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) कार्य स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इस कार्य के लिए धनराशि आबंटित की जाएगी।

भूखंडों का आबंटन

771. **श्री कड़िया मुण्डा:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों/फ्लैटों के आबंटन में निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) स (ग) जी, हां। जब कभी प्रतिवेदन/शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें तत्काल आवश्यक दोष निवारक उपाय करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को अग्रेषित कर दिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण) डिस्पोजल आफ डेवेलप्ड नजूल लैंड्स) नियमावली, 1981 के अनुसार हा किया जाता है। इसी प्रकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण बाहर से आमंत्रित जजों की उपस्थिति में कम्प्यूटरीकृत ड्रा करके स्वयं वित्त पोषित स्कीमों से संबंधित ब्रोश में परिकल्पित निबंधनों एवं शर्तों और मानदंडों के अनुसार विभिन्न आवासीय स्कीमों के तहत व्यक्तियों को निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों का आबंटन करता है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन

772. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार राउरकेला इस्पात संयंत्र में इस्पात उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) सन् 2000 के अंत तक कितना उत्पादन होने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) आधुनिकीकरण के पूरा होने और उसके स्थिरीकरण के साथ राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा विक्रेय इस्पात के उत्पादन का मूल लक्ष्य 80.5 लाख टन था। यह लक्ष्य आधुनिकीकरण संबंधी इकाइयों को चालू करने और उनके स्थिरीकरण तथा बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए बदलेगा।

(ग) 2000 के अन्त तक 15.5 लाख टन विक्रेय इस्पात का वार्षिक उत्पादन होने की आशा है।

(घ) इस संबंध में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में आधुनिकीकृत इकाइयों का इष्टतम उपयोग, कोयला और अन्य कच्ची सामग्रियों जैसे आदानों की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादों की विपणन क्षमता में सुधार करना आदि शामिल है। विभाग अपनी ओर से प्रगति आदि का कड़ाई से प्रबोधन कर रहा है।

मुंगेर में गंगा नदी पर पुल का निर्माण

773. **श्री विजय कुमार "विजय":**
श्री राजवंशी महतो:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने मुंगेर में गंगा नदी पर रेल पुल के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण का कार्य कब तक शुरू और पूर्ण होने की संभावना है; और

(ग) उस पर कितनी राशि व्यय की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) मुंगेर में गंगा नदी पर रेल के पुल हेतु विस्तृत जांच तथा अंतिम स्थान निर्धारण हेतु सर्वेक्षण शुरू हो गया है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद स्थान और लागत को अंतिम रूप देने के पश्चात ही अपेक्षित स्वीकृति दी जायेगी।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण पूरा होने तथा कार्य शुरू होने के बाद पता चलेगा।

रेल क्षेत्र में निवेश

774. **श्री राजनारायण पासी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल क्षेत्र में निवेश में निरन्तर कमी हो रही है जो आगे विकास के लिए अपेक्षा से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं और घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे का माल भाड़े से आय में सुधार करने और लागत कम करने हेतु विपणन निजी क्षेत्र को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) कई वर्षों से केन्द्र सरकार से बजटीय सहायता घट रही है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना परिव्यय के 75% से घटकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 22% हो गई है। आंतरिक सृजन के अतिरिक्त बाजार से ऋण का सहारा लेकर निवेश को बनाए रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। बहरहाल, बाजार से वर्तमान ऋण के कारण रेलों द्वारा वहन किये जा रहे पट्टा प्रभारों में वृद्धि हुई है। इससे आंतरिक संसाधनों के सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई-अहमदाबाद रेल लाइन को चार लाइनों वाला बनाना

775. डा. वल्लभभाई कथीरिया:
श्री हरिन पाठक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद-मुंबई के बीच दोहरी बड़ी लाइन को 1960 में उस समय के यातायात को ध्यान में रखते हुए बिछाया गया था;

(ख) क्या दो महीने पहले अपने दौरे के दौरान उन्होंने इस मार्ग पर अधिक यातायात को देखते हुए इसे चार-लेनों में बदलने की घोषणा की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सम्पर्क मार्ग

776. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक गांव को सम्पर्क मार्ग द्वारा सड़कों से जोड़ने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेष रूप से गुजरात राज्य में कितने गांवों को अभी तक सम्पर्क मार्गों द्वारा सड़कों से जोड़ा जा चुका है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) सभी श्रेणी के गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ना राज्य का विषय है और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनकी वार्षिक योजना में निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके अलावा, बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, जिसमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी शामिल है, के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 1000 तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले गांव जिन्हें 1995-96 तक सम्पर्क मार्गों द्वारा जोड़ा गया है, की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य	गांवों की कुल संख्या	1995-96 तक सड़कों से जोड़े गए गांवों की कुल संख्या
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	13467	11647
2. अरुणाचल प्रदेश	81	71
3. असम	3719	3719

1		2	3
4.	बिहार	14332	9559
5.	गोआ	226	201
6.	गुजरात	8300	8292
7.	हरियाणा	3470	3468
8.	हिमाचल प्रदेश	459	450
9.	जम्मू व कश्मीर	1178	1935
10.	कर्नाटक	8396	6915
11.	केरल	1262	1262
12.	मध्य प्रदेश	7337	5742
13.	महाराष्ट्र	11328	11162
14.	मणिपुर	277	268
15.	मेघालय	109	109
16.	मिजोरम	342	342
17.	नागालैंड	240	240
18.	उड़ीसा	6173	5811
19.	पंजाब	3346	3346

1		2	3
20.	राजस्थान	5707	5280
21.	सिक्किम	69	64
22.	तमिलनाडु	6432	6424
23.	त्रिपुरा	535	535
24.	उत्तर प्रदेश	22295	18529
25.	प. बंगाल	10428	6705
	कुल राज्य	129508	110976
संघ राज्य क्षेत्र			
26.	अ.नि. द्वीपसमूह	31	31
27.	चंडीगढ़	16	16
28.	दा. ना. हवेली	38	38
29.	दमन व दीप	15	15
30.	दिल्ली	160	160
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	पांडिचेरी	84	84
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	344	344
	कुल जोड़ (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र) प्रत्याशित	129852	111320

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

777. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक व्यापारिक घराने के रचनात्मक सहयोग से व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा ग्रामीण विकास का कार्य शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम में कुशलता विकास, दिहाड़ी मजदूर तथा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के अलावा निजी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई गैर-सरकारी पार्टियां गरीबी उन्मूलन योजनाओं तथा ग्रामीण विकास को क्रियान्वित करने के लिए आगे आई हैं; और

(च) यदि हां, तो इन योजनाओं को लागू करने के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित छूट तथा सहायता का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (च) सरकार ने हमेशा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में व्यापारिक घरानों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी का स्वागत किया है और उसे प्रोत्साहित किया है। वस्तुत: गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया है। कपार्ट की फरवरी 1984 में स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परियोजना शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को धन उपलब्ध कराना है।

गरीबी उन्मूलन के संबंध में सरकारी प्रयासों में सहयोग करने की दृष्टि से निजी क्षेत्र को प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राइवेट आई.टी.आई. अपने विकास कार्यक्रमों और ट्राइसेम के लिए प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के जरिए कौशल के विकास में पर्याप्त सहायता करते हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि भी है, जो फरवरी, 1984 में स्थापित की गई थी। यह ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए कर रियायत के साथ चंदा प्राप्त करती है। प्रत्यक्ष कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के संशोधन के परिणामस्वरूप इसे आयकर अधिनियम की धारा 35 सी.सी.ए. और 80 जी.सी.ए. के अधीन आयकर में शत-प्रतिशत छूट प्राप्त गतिविधियों के अंतर्गत रखा गया है।

अरुणसिंह समिति की रिपोर्ट

778. श्री ए.सी. जोस: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौकरशाह और सशस्त्र बलों के बीच व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय का पुनर्गठन करने हेतु तीनों सेना प्रमुखों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अरुण सिंह समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) रक्षा स्थापना में निर्णय करने तथा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। इसमें सशस्त्र सेनाओं सहित रक्षा मंत्रालय के सभी स्कंधों का योगदान शामिल है। अरूणसिंह समिति की रिपोर्ट इसी प्रकार का एक योगदान है जिस पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र से इस्पात का निर्यात

779. प्रो. रीता वर्मा: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र से विगत दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा (टन में) तथा मूल्य क्या है;

(ख) इस शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न देशों पर कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या उक्त राशि की वसूली में कोई बाधा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) पिछले दो वर्षों अर्थात 1996-97 और 1997-98 (वित्तीय वर्षों) के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र से निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (रुपये)
1996-97	9221	11.81 करोड़
1997-98	41801	48.47 करोड़

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान किए गये निर्यात के कारण किसी भी देश से कोई राशि वसूली हेतु बकाया नहीं है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रक्षा हेलिकाप्टरों के कल-पुर्जों पर खर्च

780. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रक्षा लड़ाकू विमानों तथा हेलीकाप्टरों जिन्हें सर्विसिंग के लिए विदेश, विशेष रूप से रूस भेजा जाता है, के कल-पुर्जों पर 200 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक खर्च वहन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे अतिरिक्त पुर्जों का देश में ही उत्पादन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) मरम्मत के लिए विदेश भेजे जाने वाले रक्षा लड़ाकू वायुयानों और हेलिकाप्टरों के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों पर आने वाला औसत वार्षिक व्यय, रूस के संबंध में लगभग 20 करोड़ रुपये सहित, लगभग 66 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) जी, हां। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा देश में ही हिस्से-पुर्जों को अधिक मात्रा में तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने रूसी मूल के वायुयानों तथा हेलिकाप्टरों के रखरखाव के लिए अपेक्षित हिस्से-पुर्जों के स्वदेशीकरण के वास्ते बड़े कार्यक्रम शुरू किए हैं। बेस मरम्मत डिपो और नियमित वर्कशाप अपने यहां स्वदेशीकरण का कार्य कर रही हैं। स्वदेशीकरण के प्रयासों में उद्योग जगत का सहयोग और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके सहयोग से प्रदर्शनियां और संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण हिस्से-पुर्जों के लिए भारतीय उद्योग के साथ कई महत्वपूर्ण स्वदेशी विकास परियोजनाएं चल रही हैं। आज की तारीख तक रूसी मूल के लड़ाकू वायुयानों तथा हेलिकाप्टरों की 27,600 से अधिक मदों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी आवास का आबंटन

781. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपदा निदेशालय के कर्मचारियों को सरकारी आवास के आबंटन के मामले में निर्धारित नियमों और मानदंडों का सख्ती से पालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

खान उद्योगों को स्थापित करना

782. **श्री रवि सीताराम नायक:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे राज्यों में विशेषकर गोवा के आस-पास के ऐसे क्षेत्र में खान उद्योग स्थापित करने का है जहां पर खनिजों के प्रचुर मात्रा में मिलने के संकेत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज तक स्थापित की गई औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) केन्द्र सरकार का गोवा सहित किसी भी राज्य में कोई खनन उद्योग स्थापित करने का विचार नहीं है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप-धारा (1) में यथापरिभाषित कोई कंपनी या भारतीय नागरिक खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् खनिज भण्डारों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) केन्द्र द्वारा विस्तृत सूचना नहीं रखी जाती।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की परीक्षण प्रयोगशालाओं से ध्वनि प्रदूषण

783. **श्री एच.जी. रामुलू:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमान के उतरने और उड़ान भरने के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) की परीक्षण प्रयोगशालाओं से निकलने वाली आवाज के कारण भारी ध्वनि प्रदूषण होता है; और

(ख) यदि हां, तो सभी जेट विमान परीक्षण केन्द्रों को सुदूर स्थानांतरित करने अथवा अधिक डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले परीक्षणों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हाँ।

(ख) बेंगलूर में 50 वर्ष पहले स्थापित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की फैक्टरी और हवाई क्षेत्र, नगर की सीमाओं से बहुत दूर थे। इस नगर में विकास प्राधिकरण, फैक्टरी और जेट परीक्षण हवाई क्षेत्र के नजदीक नगर के विस्तारण को रोक सकते थे। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के लिए फैक्टरी और हवाई क्षेत्र को वर्तमान स्थान से हटाना संभव नहीं है। तथापि, शोरगुल को यथासंभव सीमा तक नियंत्रित किए जाने के लिए व्यारोध (बैफल) उपलब्ध करवाने जैसे कदम उठाए गए हैं।

नागर विमानन क्षेत्र के उदारीकरण हेतु उपाय

784. **श्री मगन्ती वेंकटेश्वर राव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नई नागर विमानन नीति के अंतर्गत विमानपत्तनों के विकास के लिए 76 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वत: अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) दिसम्बर, 1997 में भारत सरकार की "एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अनुमोदित नीति के अनुसार, एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में विदेशी इक्विटी भागीदारी में 74 प्रतिशत तक की अनुमति स्वत: अनुमोदन से और 100 प्रतिशत तक की भागीदारी की अनुमति विशेष अनुमति से हो जाएगी।

अहमदाबाद से जोहान्सबर्ग तक विमान-सेवा

785. **श्री हरिन पाठक:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद से जोहान्सबर्ग के लिए बरास्ता नैरोबी नई विमान सेवा शुरू करने हेतु आम जनता तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों से अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है अथवा लिये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) इस समय, एअर इंडिया की क्षमता संबंधी कठिनाइयों तथा अपर्याप्त यातायात संभाव्यता के परिणामस्वरूप, अहमदाबाद से जोहान्सबर्ग वाया नैरोबी के लिए कोई सीधी उड़ान भरा जाना साध्यप्रद नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त, इस समय, अहमदाबाद विदेशी विमानकंपनियों के लिए अवतरण स्थल के रूप में उपलब्ध नहीं है।

पंचायतों को दिए गए अधिकारों में संशोधन

786. **श्री एन. डेनिस:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी वित्त आयोग ने पंचायतों के अधिकारों में संशोधन किये जाने का सुझाव दिया है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा सम्बद्ध संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेज दी गयी है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की गृह मंत्रालय द्वारा जांच की जायेगी तथा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वित्त आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया जाएगा।

आई.एस.आई. की गतिविधियों में वृद्धि

787. श्री के. येरननायडू: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या दक्षिणी सैन्य कमान के चीफ आफ स्टाफ के कथानुसार दक्षिणी राज्यों में आई.एस.आई. ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) समुद्री तटों पर टोह सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सरकार को दक्षिणी राज्यों में आई.एस.आई. की बढ़ी हुई गतिविधियों की जानकारी है। इन गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने तथा तटीय क्षेत्रों की निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की कमी

788. श्री अभयसिंह एस. भोंसले: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकारी आवास आबंटित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा 1998-99 तथा चालू योजनावधि के दौरान देश में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्यवार कितनी आवासीय इकाईयों का निर्माण करने की योजना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) इस समय महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवंटन करने के लिए मुम्बई में सामान्य पूल आवासीय क्वार्टर की 9355 इकाईयां हैं और नागपुर में 1376 इकाईयां हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नौवीं योजना अवधि तथा वर्ष 1998-99 के दौरान निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित क्वार्टरों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	निर्मित किये जाने वाले सामान्य पूल क्वार्टर	
		वर्ष 1998-99 के दौरान	नौवीं योजना अवधि के दौरान
1	2	3	4
1.	दिल्ली	32	1178
2.	जम्मू व कश्मीर	–	216

1	2	3	4
3.	हिमाचल प्रदेश	90	264
4.	उत्तर प्रदेश	262	1224
5.	राजस्थान	88	144
6.	महाराष्ट्र	200	1642
7.	मध्य प्रदेश	60	112
8.	पश्चिम बंगाल	–	100
9.	सिक्किम	–	106
10.	उड़ीसा	–	139
11.	असम	–	136
12.	तमिलनाडु	32	364
13.	केरल	68	148
14.	कर्नाटक	336	641
	योग	1168	6414

[अनुवाद]

वसूली योजना बोर्ड स्थापित करना

789. श्री संदीपान थोरात: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सेवा मुख्यालयों में अलग से वसूली योजना बोर्ड स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कार्य योजना का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी पूंजी निवेश/रक्षा आवश्यकता गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पता किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीस): (क) और (ख) सरकार ने सेना तथा वायुसेना में आपूर्ति नियोजन तथा राजस्व आपूर्ति बोर्डों का गठन कर लिया है जो कि वार्षिक बजट तथा अनुमोदित योजना परिव्यय के अनुरूप खरीद संबंधी मामलों के निपटान के लिए व्यापक स्तर पर निदेश देने तथा उसकी समीक्षा करने का कार्य करते हैं। ये बोर्ड उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों की तुलनात्मक प्राथमिकताओं और खरीद संबंधी प्रगति की समीक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) निजी क्षेत्र में निवेश करने के लिए जिन क्षेत्रों का चयन किया गया है वे औद्योगिक नीति के अनुरूप हैं। गुणता नियंत्रण पर नजर रखने का कार्य डी जी क्यू ए द्वारा किया जाता है तथा उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित बोर्डों में इसका प्रतिनिधि होता है।

[हिन्दी]

रेल सतर्कता संगठनों द्वारा जांच

790. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अभी तक प्रत्येक जोन में तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर सतर्कता संगठनों द्वारा कितने छापे मारे गए तथा निवारक जांच की गई;

(ख) भ्रष्टाचार के लिए कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दण्डित किया गया है तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें तकनीकी कारणों की वजह से साबित नहीं किया जा सका;

(ग) सतर्कता मामलों की जांच में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या जन-शिकायतों को कम करने तथा निवारक तलाशियों और शिकायतों के मामलों की तेजी से जांच करने के लिए कोई प्रस्ताव/अभियान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक की गई रोधक जांच और छापों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	जांचों की संख्या
1995	29,322
1996	32,005
1997	33,387
1998 (31.10.1998 तक)	30,933

(ख) भ्रष्टाचार के लिए दण्डित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या और तकनीकी कारणों से साबित न हो सके मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	दण्डित पदाधिकारियों की संख्या	तकनीकी कारणों से साबित न हो सके मामलों की सं.
1995	8,209	5,737
1996	8,885	5,404
1997	10,015	2,765
1998 (31.10.1998 तक)	8,578	5,002

(ग) सतर्कता मामलों की जांच के लिए औसत समय 7.5 माह रहा है।

(घ) जी हां।

(ङ) निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(1) स्टेशन, गाड़ी, मंडल मुख्यालयों, क्षेत्रीय मुख्यालयों तथा रेलवे बोर्ड में प्राप्त जन शिकायतों की जांच मंडलों में तैनात जन शिकयत निरीक्षकों द्वारा भली प्रकार की जाती है। शिकायत के आधार पर दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है अथवा कमी का निवारण किया जाता है अथवा प्रणाली में सुधार किया जाता है। वर्ष 1997-98 में लगभग 20,000 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और सभी पर कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय रेलों पर अपर महाप्रबंधकों तथा मंडलों में अपर मंडल रेल प्रबंधकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियमित आधार पर शिकायतों पर निगरानी रखी जाती है।

(2) शिकायतों की जांच में लगने वाले समय में कमी करने के लिए सतर्कता निरीक्षकों की संख्या बढ़ायी जाती है।

(3) जहां पैसे मांगने का संदेह होता है वहां छद्म जांचों में सी बी आई की सहायता ली जाती है।

(4) राज्य पुलिस/सी बी आई की सहायता से जाली यात्री एजेंसियों के परिसरों में तथा दलालों पर छापे मारे जाते हैं।

(5) सदाशयी टिकट खरीददारों की जांच करने के लिए आरक्षण फार्म में उल्लिखित पते पर अचानक जांच की जाती है; और

(6) त्यौहारों की भीड़भाड़ के दौरान टिकट खरीददारों तथा मांग पत्रों पर प्रति हस्ताक्षर करने वालों की गतिविधि पर निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों को अन्य मार्ग से चलाया जाना

791. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रायचूर से गुजरने वाली 10 से अधिक रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है/अन्य मार्ग से चलाया है जिससे रायचूर के लोगों को मुम्बई, चेन्नई तथा बंगलौर जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो बंद की गई/अन्य मार्गों से चलाई जा रही अथवा अन्य मार्गों से चलाई जाने के लिए प्रस्तावित रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का रेलगाड़ियों के स्थान पर कोई नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) गाड़ी नं. 6635/6636 नेत्रवती एक्सप्रेस (दैनिक), 6333/6334 राजकोट-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस (साप्ताहिक), 6335/6336 गांधीधाम-नागरकोइल एक्सप्रेस (साप्ताहिक) तथा 6337/6338 राजकोट-कोचिन एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का कोंकण रेलवे मार्ग के रास्ते चलाने हेतु मार्ग बदला गया है तथा 7085/7086 सिकंदराबाद-बेंगलुरू (दैनिक) को महबूबनगर-द्रोणाचलम खंड के रास्ते चलाने हेतु मार्ग बदला गया है। इनके बदले निम्नलिखित वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं:

(1) 6613/6614 कोयम्बटूर-राजकोट एक्सप्रेस (साप्ताहिक) चलायी गयी है।

(2) 1013/1014 कुर्ला-बैंगलुरू एक्सप्रेस (दैनिक) को एक शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बे के विस्तार सहित कोयम्बटूर तक बढ़ा दिया गया है।

(3) 6339/6340 कुर्ला-नागरकोइल एक्सप्रेस के फेरों को सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर चार दिन कर दिया गया है।

(4) 2429/2430 बेंगलुरू-राजधानी एक्सप्रेस के फेरों को 1.12.98 से सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन कर दिया गया है।

(5) 7429/7430 रायलसीमा एक्सप्रेस तथा 7497/7498 वेंकटाद्री एक्सप्रेस को शू यात्रियों के लिए उपलब्ध स्थान को बढ़ाते हुए दो स्वतंत्र गाड़ियों के रूप में चलाने के लिए अलग कर दिया गया है।

(ङ) 6591ए/6592ए बेंगलुरू-नांदेड एक्सप्रेस के भार में एक शयनयान दर्जे का सवारी डिब्बा बढ़ाया गया है।

एलायंस एयरलाइन्स के लिए एजेंट

792. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में एलायंस एयरलाइन्स के लिए हैंडलिंग एजेंट नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित इंडियन एयरलाइन्स के कार्यालय बंद किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) एलायंस एयर ऐसे किसी स्टेशन पर हैंडलिंग की नियुक्ति नहीं करती है जो इस समय इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रचालित किए जा रहे हैं या प्रचालित की जा रही थी। एलायंस एयर सिर्फ उन स्टेशनों पर हैंडलिंग एजेंटों की नियुक्ति करती है जहां इंडियन एयरलाइन्स प्रचालन नहीं करती। जैसलमेर एक मात्र स्टेशन है वहां एलायंस एयर ने हैंडलिंग एजेन्टों की नियुक्ति की है।

(ग) इस समय, पूर्वोत्तर राज्यों में इंडियन एयरलाइन्स के कार्यालयों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा अवैध निर्माण

793. श्री सुव्रत मुखर्जी: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 सितंबर, 1998 के "द स्टेट्समेन" में "एन डी एम सी अनेवल टू चेक चीफ्स इल्लीगल कंसट्रक्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है, प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

अलाभकारी रेलवे मार्ग

794. श्री सुरेन्द्र प्रसद यादव (जहानाबाद): क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक रेल मार्ग अलाभकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1996-97 और 1997-98 के दौरान रेलवे को ऐसे मार्गों पर चालन से कितनी हानि हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) 1996-97 के दौरान, 120 अलाभप्रद शाखा लाइनों पर रेलों द्वारा वहन की गई हानि 243.67 करोड़ रुपए थी। 1997-98 के लिए, सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कुलियों द्वारा सीटों पर कब्जा

795. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुलियों द्वारा अनारक्षित रेल डिब्बों में सीटों पर कब्जा करके इन्हें यात्रियों को उनसे पैसे लेकर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के कार्यों को रोकने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

(ख) कुलियों तथा अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा सीटों को घेरने से रोकने के लिए सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेल पुलिस कार्मिकों के साथ सहयोग से

वाणिज्य और सतर्कता विभागों द्वारा नियमित जांचें की जाती हैं। इसके अलावा, अनारक्षित सवारी डिब्बों में कुलियों/पोर्टरों द्वारा सीटों को घेरने से रोकने के लिए यात्रियों हेतु कतार प्रणाली भी शुरू की गई है।

[अनुवाद]

स्वच्छ पेयजल हेतु पाइप लाइन

796. श्री भर्तृहरि मेहताब: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने हेतु पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए इजराइल से तकनीकी सहायता प्राप्त करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञ इजराइल जैसी पाइप लाइन व्यवस्था कायम करने के लिए प्रारूप योजना पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत कितनी होगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए इजराइल से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अभी इस मंत्रालय में कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बर्तनों की क्षति

797. श्री गिरिधर गमांग: क्या इस्पात और खान मंत्री अंगुल, उड़ीसा में अल्युमिनियम संयंत्र में बर्तनों को क्षति के बारे में 23 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5346 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समिति की निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं;

(ख) इन निष्कर्षों पर "नाल्को" तथा उनके मंत्रालय ने अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(ग) बर्तनों की क्षति से कुल कितनी हानि हुई तथा इनको बदलने के लिए कितनी निधि उपलब्ध कराई गई?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) समिति का निष्कर्ष है कि पोट लाइनों में अस्थिरता तथा खराबी के मुख्य कारण मानक प्रचालन प्रथाओं का पालन न करने के कारण वर्षों से पोटों के निष्पादन में धीरे-धीरे गिरावट, सुविधाओं का अपर्याप्त रख-रखाव, समुचित रखरखाव तथा मरम्मत कार्यों के लिए बैक-अप सेवाओं की अनुपलब्धता, कर्मचारियों की अनुशासनहीनता तथा उनकी अनुपस्थिति, समुचित पर्यवेक्षण का अभाव आदि हैं। भविष्य में ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समिति ने संकट दूर करने की पूरी अवधि के दौरान संयंत्र में निदेशक स्तर के अधिकारियों की मौजूदगी, कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों के बीच शोप फ्लोर स्तर पर बेहतर सम्प्रेषण, निर्धारित पाली घंटों का पालन, कार्य समय का पालन, मानक प्रचालन प्रथाओं का क्रियान्वयन, अनुशासनहीनता को रोकना आदि कुछ उपाय सुझाए हैं।

(ख) सरकार ने नेशनल एल्बूमिनियम कंपनी लि. (नालको) से जांच समिति की सिफारिशों पर तुरन्त कार्रवाई करने के लिए कहा। नालको ने समिति की सिफारिशों के अनुसार पोटों के पुनरुद्धार के लिए उपचारी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रचालन में पोटों की संख्या 22.7.1998 को 239 पौटों से बढ़कर 30.11.1998 को 335 पौट हो गयी है उत्पादित धातु की गुणवत्ता भी सुधरी है तथा धातु का निर्यात पुन: शुरू कर दिया गया है।

(ग) पोटों की खराबी के कारण 31 अक्तूबर, 1998 तक उत्पादन लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कुल हानि 50539 टन थी जिसके परिणामस्वरूप लाभ में 95.40 करोड़ रु. की कमी हुई। पोटों को पुन: चालू करने के लिए 14.69 करोड़ रु. के अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है तथा नालको के पास इसके लिए पर्याप्त धन है।

निधा विमानपत्तन

798. श्री विकास चौधरी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में निधा विमानपत्तन क्षेत्र ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लिमिटेड को खुले मुहाने की खदान, पार्क और भूमिगत खनन करने के लिए अनुमति देने के बाद निधा विमानपत्तन विमानन के लिए अनुपयुक्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निधा हवाई पत्तन को क्षति पहुंचाने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अफसरशाहों से सेना अप्रसन्न

799. श्री तारिक अनवर:
श्री गुरुदास कामत:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 24 अक्तूबर, 1998 के 'स्टेट्समैन' में 'आर्मी अनहैप्पी विद ब्यूरोक्रैट्स एटिट्यूड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) सेना ने जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादियों से जब्त किए गए अस्त्रों तथा उपस्कर की एक सार्वजनिक प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित की थी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए थे। सेना की नौकरशाहों से अप्रसन्नता के बारे में समाचार में किए गए कटाक्ष सही नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

800. श्री गुरुदास कामत: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की एयर-बसों ने सुरक्षा मानदण्डों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के लिए पेयजल योजना

801. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिए पेयजल योजनाएं अनुमोदन हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई अनुमानत: 4107.22 लाख रुपये की लागत वाली 49 स्कीमें केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए संवीक्षाधीन हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमों का अनुमोदन स्कीमों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा शहरी कार्य व रोजगार मंत्रालय के लिए केन्द्रीय योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हेतु निधियों के आबंटन पर निर्भर करेगा।

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य को 648.81 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	शहर का नाम	जनपद	जनसंख्या	परियोजना लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	शाहपुरा	खंडवा	15,211	76.00
2.	दीपालपुर	इंदौर	11,315	49.40
3.	सैलाना	रतलाम	11,095	49.60
4.	बेतमा	इंदौर	9,587	48.00
5.	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़	17,020	50.00
6.	पाटन	दुर्ग	7,142	76.90
7.	आमला	बैतुल	17,547	23.37
8.	बैहर	बालाघाट	13,442	128.00
9.	सुथलिया	राजगढ़	6,032	78.00
10.	चन्देरी	गुना	19,383	270.00
11.	देवेन्द्र नगर	पन्ना	11,092	60.00
12.	बलोद	दुर्ग	17,783	117.00

1	2	3	4	5
13.	पंडरा	बिलासपुर	16,069	44.00
14.	विजयराघवगढ़	जबलपुर	5,891	26.28
15.	मऊगंज	रीवा	17,252	123.15
16.	कोठी	सतना	11,190	33.00
17.	खातेगांव	देवास	15,670	296.50
18.	रतनपुर	बिलासपुर	16,069	65.00
19.	बैकुंठपुर	सरगुजा	8,316	41.20
20.	कुक्षी	धार	19,838	194.00
21.	थरोद	बिलासपुर	7,741	50.00
22.	कुजनेर	राजगढ़	7,672	279.00
23.	तालेने	राजगढ़	7,378	88.00
24.	शक्ति	बिलासपुर	6,298	142.00
25.	पठारिया	दामोन	14,311	111.00
26.	कोटा	बिलासपुर	13,493	55.00

1	2	3	4	5
27.	सोयतकलां	शाजापुर	10,610	59.25
28.	भानुपुरा	मंदसौर	14,929	25.00
29.	बरही	जबलपुर	8,192	49.50
30.	सिओंडा	दतिया	15,373	33.10
31.	चक्रघाट	रेवा	6,576	54.83
32.	बैकुंठपुर	रीवा	7,265	63.00
33.	गोविन्दगढ़	रीवा	8,437	60.00
34.	कोटार	सतना	9,814	30.92
35.	बोदा	राजगढ़	6,655	56.00
36.	मनगावन	रीवा	9,307	67.30
37.	जीरापुर	राजगढ़	12,304	105.00
38.	रड़टी	सिहोर	7,502	45.50

1	2	3	4	5
39.	नसरूलगंज	सिहोर	14,688	67.20
40.	शेवरीनरायन	बिलासपुर	16,886	49.62
41.	सारंगगढ़	रायगढ़	13,915	34.60
42.	बरोद	साजापुर	9,130	66.00
43.	अनजाद	खरगोन	19,424	194.00
44.	ईशागढ़	गुना	12,102	70.00
45.	तारीचरकलां	टीकमगढ़	5,202	31.00
46.	खडगपुर	टीकमगढ़	9,843	50.00
47.	तमोड	देवास	13,352	150.00
48.	नरायनगढ़	मंदसौर	9,625	135.00
49.	घारघोरा	रायगढ़	7,040	36.00
	योग			4,107.22

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं के अंतर्गत अनु. जा./अनु.ज. जातियों के लिए धनराशि का आबंटन

802. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय उप-योजना (जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु धनराशि के आबंटन का वर्तमान प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, विशेषकर मेघालय की जनजातीय जनसंख्या पेड़ गिराए जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है क्योंकि उनके पास जीविकोपार्जन हेतु कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत कतिपय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता हेतु विदेशी दान देने वाली एजेंसियों को देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 22.5 प्रतिशत निधि अनुसूचित जातियों/अनु. जनजातियों के लिए निर्धारित हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिए निधि का विशेष आबंटन नहीं है। अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत यह निर्धारित है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों में से 50 प्रतिशत अनु. जाति/अनु. जनजाति परिवार होने चाहिए।

(ख) से (घ) उत्तर पूर्वी राज्यों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी उपक्रमों में वित्तीय संकट

803. श्रीमती जयंती पटनायक: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ सरकारी उपक्रम घोर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं; तथा घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) इस्पात विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 10 उपक्रम हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) स्पंज आयरन इंडियन लिमिटेड, भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी तथा विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कंपनी (सेल की सहायक कंपनी) को हानि हो रही है

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	हुई हानि		
	1995-96	1996-97	1997-98
स्पंज आयरन इंडिया लि.	–	1.30	3.36
हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्र. लि.	114.64	132.57	224.65
भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड	6.72	13.20	20.97
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	204.27	245.94	176.73
इंडियन आयरन एंड स्टील कं.	49.0	213.0	395.0
विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कं.	37.0	102.0	84.0

(घ) हानि के मुख्य कारण उत्पादन लागतों में वृद्धि, बाजार स्थिति में मंदी, अधिक श्रमशक्ति, हाल के वेतन संशोधन के कारण अधिक श्रमशक्ति लागत, उच्च परिवहन लागत, अप्रचलित मशीनरी, आयात से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा तथा घरेलू बाजार में पूर्ति में वृद्धि हैं।

(ङ) उनके पुनरुद्धार के लिए उठाए जा रहे कदमों में तकनीकी आर्थिक प्राचलों में सुधार करके लागत में कमी करना, मांग उन्मुखी उत्पादन करना, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना, उद्यमशील तथा ग्राहकोन्मुखी विपणन के जरिए बिक्री बढ़ाना तथा साख बनाना। कंपनियों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए पुनरुद्धार पैकेजों/समग्र नीतियों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। खान विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना

804. **श्री राजो सिंह:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने बिहार में जवाहर रोजगार योजना के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(ग) क्या जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का प्रयोग राज्यों की कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किये गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आबागौड़ा पाटील): (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1992 के दौरान अप्रैल, 1989 से सितम्बर, 1991 तक की अवधि के लिए जवाहर रोजगार योजना का तीव्र अध्ययन किया इस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 10 राज्यों का चयन किया गया था जिसमें बिहार भी सम्मिलित था।

(ख) चूंकि यह अध्ययन देश के 10 राज्यों में किया गया था इसलिए अलग-अलग राज्य-वार सिफारिशें उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, बिहार के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थी:

* बिहार में सृजित परिसम्पत्तियां जैसे-ग्रामीण सड़क, पेयजल, कुएं, तालाब तथा पंचायत घर घटिया अथवा औसत दर्जे के हैं।

* बिहार में चयनित लाभार्थियों में से 70% ने बताया कि सृजित परिसम्पत्तियां उपयोगी थी।

* बिहार में चयनित चार पंचायतों में से दो ने बताया कि परिसम्पत्तियों का रख-रखाव जवाहर रोजगार योजना की निधियों से पंचायतों द्वारा किया जाता है।

* यह बताया गया कि बिहार में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यों का पर्यवेक्षण तथा निगरानी अपर्याप्त थी।

* इंदिरा आवास योजना के आवासों की प्रति इकाई लागत भी अपर्याप्त बताई गई थी।

* अध्ययन से यह भी पता चला कि बिहार में जवाहर रोजगार योजना के कार्यों में ठेकेदारों को भी लगाया गया।

* यह देखा गया कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य लघु अवधि वाले थे।

* लाभार्थियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक कार्य शुरू किये जाने चाहिए।

* यह भी सुझाव दिया गया कि केवल गांवों को ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) बिहार के दो जिलों-पूर्णिया तथा सीवान से चार पंचायतों का चयन किया गया। चांदीराजी पंचायत में निधियों का उपयोग 100% था। गोआसी पंचायत में 64.44%, सुन्दर पर पंचायत में 83.02% तथा बड़का गांव पंचायत में 12% था।

(ङ) जवाहर रोजगार योजना की शुरूआत से ही सरकार ने इसके कार्यान्वयन सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहली बार 1993-95 में कार्यक्रम की समीक्षा की गई तथा इसे सुगम बनाया गया तथा जनवरी, 1996 में इसकी पुनरावृत्ति की गई। किसी भी पंचायत को आवंटित निधि के 25% से ज्यादा अर्थशेष के रूप में रखने की अनुमति नहीं है। अगर साल के अन्त में शेष बची राशि आवंटन के 25% से ज्यादा हो जाती है तो दूसरे वर्ष के प्रारम्भ में दूसरी किस्त जारी करते समय बची हुई राशि के बराबर कटौती कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए ग्राम, खण्ड तथा जिला-स्तर पर निगरानी तथा सतर्कता समितियां गठित करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

सैनिक अधिकारियों के लिए एम.बी.ए. पाठ्यक्रम

905. श्री रंजीव बिस्यालः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सैनिक अधिकारियों के लिए एम.बी.ए. पाठ्यक्रम को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना को नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के लिए भी लागू करने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों के स्टाप

906. श्री शिवराज सिंह चौहानः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गंज बासोदा रेलवे स्टेशन पर महामाया एक्सप्रेस, शिप्रा एक्सप्रेस और गुलाबगंज रेलवे स्टेशन पर पठानकोट एक्सप्रेस के लिए ठहराव उपलब्ध कराने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) गंज बसोदा में गोंडवाना एक्सप्रेस (महामाया एक्सप्रेस), शिप्रा एक्सप्रेस तथा झेलम एक्सप्रेस तथा गुलाबगंज में दादर-अमृतसर एक्सप्रेस (पठानकोट एक्सप्रेस) के ठहराव की जांच की गई परंतु व्यावहारिक नहीं पाया गया।

महाराष्ट्र में रेललाइनों का निर्माण

807. **श्री सुरेश वरपुडकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान जोन-वार कितने किलोमीटर रेलमार्ग का निर्माण किया गया, कितने किलोमीटर का दोहरीकरण किया गया और कितने किलोमीटर को आमान परिवर्तित किया गया और विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या रेलवे विभाग ने इन कार्यों को शुरू करते समय मराठवाड़ा क्षेत्र की उपेक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं। मराठवाड़ा क्षेत्र में निम्नलिखित निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं:-

(1) अहमदनगर-बीड-परली वैजनाथ नई लाइन

यह एक स्वीकृत कार्य है जिसे सभी आवश्यक स्वीकृतियां मिल गई हैं। फिलहाल, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण चल रहा है और यह 26 कि.मी. में पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है और राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

(2) मिरज-लातूर आमान परिवर्तन

कार्य चरणों में शुरू किया गया है। पहले चरण में लातूर-लातूर रोड नई लाइन और कुर्डुवाडी-पंढ़रपुर आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया है जिसे 1999-2000 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान किलोमीटर में निर्मित, दोहरी की गई, परिवर्तित की गई तथा विद्युतीकृत की गई रेल लाइनों का ब्यौरा

क्र.सं.	खण्ड का नाम	लम्बाई कि.मी. में	जोन
1	2	3	4
नई लाइनें			
1.	दामनजोड़ी-रायगढ़	145	दक्षिण पूर्व रेलवे
2.	ब्यास-गोइंदवाल	27	उत्तर रेलवे
3.	छितौनी-बगहा	19	पूर्वोत्तर रेलवे

1	2	3	4
4.	करमजली-काशीनगर	16	पूर्व रेलवे
5.	जोगीघोपा-गोलपाड़ा	18	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
	कुल	225	

दोहरीकरण

1.	दीवा-पनवेल	20	मध्य रेलवे
2.	गूमा-अशोकनगर-हाबरा (दत्तापुकुर-हाबरा)	10	पूर्व रेलवे
3.	साहिबगंज-न्यूफरक्का-मालदा टाउन (भाग)	21	पूर्व रेलवे
4.	झापेटरढाल-गुसकारा (भाग)	5	पूर्व रेलवे
5.	सोननगर-मुगलसराय (भाग)	53	पूर्व रेलवे
6.	बिठुरा-बरेली (रामपुर-बरेली)	19	उत्तर रेलवे
7.	अलुआबाड़ी-किशनगंज और न्यूजलपाईगुड़ी-अम्बारी फलकाटा	32	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
8.	शोरुवण्णूर-मंगलौर (भाग)	21	दक्षिण रेलवे
9.	व्हाइटफील्ड-मल्लूर (व्हाइटफील्ड-कुप्पम)	20	दक्षिण रेलवे
10.	करुनागपल्ली-कोल्लम (कायनकुलम-कोल्लम)	28	दक्षिण रेलवे

1	2	3	4
11.	तालचेर-हिंडौल रोड	32	दक्षिण पूर्व रेलवे
12.	ढेनकेनाल-हिंडौल (जोरांडा-हिंडोल रोड)	20.5	दक्षिण पूर्व रेलवे
13.	अकलतारा-बिलासपुर	34	दक्षिण पूर्व रेलवे
14.	रायगड़ा-लाड्डा (अम्बोडला-बिस्सामकटक एवं थेरुवली-गुमाडा)	8	दक्षिण पूर्व रेलवे
15.	गुमाडा-बोबिटली	38	दक्षिण पूर्व रेलवे
16.	बोबिटली-गजपतिनगरम	32	दक्षिण पूर्व रेलवे
17.	सरगबुंदिया-उरगा (कोरबा-सरगबुंदिया)	6	दक्षिण पूर्व रेलवे
18.	अकलतारा-नैला (अकलतारा-चम्पा)	16	दक्षिण पूर्व रेलवे
19.	उरकुरा-रायपुर (उरकुरा-रायपुर-सरोना)	6	दक्षिण पूर्व रेलवे
20.	गजपतिनगरम-विजयनगरम	22	दक्षिण पूर्व रेलवे
21.	बैरागढ़-बकानियां-भौंरी-फन्दा	16	पश्चिम रेलवे
22.	अनास ब्रिज (3 इकहरी लाइन खंड)	1	पश्चिम रेलवे
23.	पीरउमरोद-बैडछा	12	पश्चिम रेलवे
	कुल	472	

1	2	3	4
आमान परिवर्तन			
1.	हरलापुर-हॉसपेट	67	दक्षिण मध्य रेलवे
2.	हॉसपेट-स्वमीहल्ली	60	दक्षिण मध्य रेलवे
3.	लौंडा-कैसलरॉक	25	दक्षिण मध्य रेलवे
4.	मुदखेड़-नांदेड़	23	दक्षिण मध्य रेलवे
5.	नैलालंग-दीमापुर	38	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
6.	येलहंका-चिकबल्लापुर	46	दक्षिण रेलवे
7.	मकराना-परबतसर	21	उत्तर रेलवे
8.	समस्तीपुर-दरभंगा	37	पूर्वोत्तर रेलवे
9.	गिद्दलपुर-नांदयाल	69	दक्षिण मध्य रेलवे
10.	गुंडारोड-कोट्टूर	50	दक्षिण मध्य रेलवे
11.	औंडिहार-छपरा	171	पूर्वोत्तर रेलवे
12.	यशवंतपुर-सलेम	46	दक्षिण रेलवे
13.	छिन्दवाड़ा-परसिया	28	मध्य रेलवे
14.	दीमापुर-फरकटिंग	70	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
15.	गुवाहाटी-कामख्या	07	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1	2	3	4
16.	वाडसा-नागबीर	28	दक्षिण पूर्व रेलवे
17.	अरसीकेरे-हसन	47	दक्षिण रेलवे
18.	होस्सूर-सलेम	151	दक्षिण रेलवे
19.	मऊ-शाहगंज	99	पूर्वोत्तर रेलवे
20.	हसन-होलेनरसीपुर	30	दक्षिण रेलवे
21.	मेहसाणा-मारवाड़-अजमेर	423	पश्चिम रेलवे
22.	गुंतकल-नांदयाल	136	दक्षिण मध्य रेलवे
23.	सगोली-नरकटियागंज	59	पूर्वोत्तर रेलवे
24.	कैसलरॉक-वास्को	87	दक्षिण मध्य रेलवे
25.	फरकटिंग-मरियानी	193	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
26.	तिनसुकिया-डिब्रूगढ़	48	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
27.	तिनसुकिया-लेखापानी	63	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
28.	हसन-सकलेशपुर	42	दक्षिण रेलवे
29.	कोलार-बंगारपेट	18	दक्षिण रेलवे
30.	क्षिची-तंजावूर	50	दक्षिण रेलवे
31.	हाजीपुर-बछवाड़ा	71	पूर्वोत्तर रेलवे

1	2	3	4
32.	जोधपुर-मारवाड़	103	उत्तर रेलवे
33.	होलेनरसीपुर-होसा-अगरहाड़ा	19	दक्षिण रेलवे
34.	द्रोणाचलम-महबूबनगर	185	दक्षिण मध्य रेलवे
35.	होटगी-बीजापुर	97	दक्षिण मध्य रेलवे
36.	जोरहाट-फरकटिंग	67	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
37.	नागबीर-चाँदाफोर्ट	111	दक्षिण पूर्व रेलवे
38.	सिमलगुड़ी-शिवसागर	16	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
39.	होसा-अग्रहाड़ा-मैसूर	68	दक्षिण रेलवे
	कुल	2969	

रेल विद्युतीकरण

1.	टोरी-पतरातू (सोननगर-पतरातू का भाग)	69	पूर्व रेल
2.	पतरातू-गुमिया-जरंगडीह	83	पूर्व रेलवे
3.	चित्तरंजन-जसीडीह-नरगुंजू और झाझा-क्यूल	185	पूर्व रेलवे
4.	देतारीग्राम-कटवा (बंडेल-कटवा का भाग)	53	पूर्व रेलवे
5.	करंजली-निश्चिंतपुर-काशीपुर	17	पूर्व रेलवे

1	2	3	4
6.	करनाल-अम्बाला-लुधियाना (अम्बाला-लुधियाना का भाग)	202	उत्तर रेलवे
7.	अम्बाला-सहारनपुर (अम्बाला-मुरादाबाद का भाग)	79	उत्तर रेलवे
8.	इरोड-पालघाट-पुनकुन्नम (इरोड-एर्णाकुलम का भाग)	242	दक्षिण रेलवे
9.	मस्तबाड़ा-विशाखापत्तनम (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम का भाग)	355	दक्षिण मध्य रेलवे
10.	दोरनाकल-सिंगरेनी	26	दक्षिण मध्य रेलवे
11.	मानिकगढ़-गडचन्दूर	33	दक्षिण मध्य रेलवे
12.	जामादोबा-महुदा	22	दक्षिण पूर्व रेलवे
13.	चांडिल-मुरली-बरकाना	126	दक्षिण पूर्व रेलवे
14.	चांदीपोसी-बिमलगढ़-बरसुआन, बिमलगढ़-रंगरा और बोकारो-राधागांव (बोकारो-बरसुआन का भाग)	93	दक्षिण पूर्व रेलवे
15.	आद्रा-बांकुरा-भेडूआमोल (आद्रा-मिदनापुर का भाग)	60	दक्षिण पूर्व रेलवे
16.	गोपालपटनम-सिमहाचलम-कोट्टवालसा	30	दक्षिण पूर्व रेलवे
17.	कोट्टवालसा-अलामंडा (भुवनेश्वर-कोट्टवालसा का भाग)	21	दक्षिण पूर्व रेलवे
	कुल	1696	

[अनुवाद]

कर्मचारियों की कमी

808. श्री एस.एस. ओवेसी:
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में टिकटों की जांच करने और कैटरिंग कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा और कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टिकट चैकिंग और कैटरिंग कर्मचारियों तथा पदों के सृजन की आवश्यकता का आकलन करना एक सतत् प्रक्रिया है और हाल ही में टिकट चैकिंग कर्मचारियों के 270 पद (पूर्व रेलवे-135, उत्तर रेलवे-135) सृजित किए गए हैं।

जवाहर रोजगार योजना

809. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदकों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि बैंक उनके प्रति उदासीन रवैया अपना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) जी नहीं। जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में बैंक शामिल नहीं है।

कालीकट में सुरंग का निर्माण

810. श्री टी. गोविन्दन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में लिरूराण्गडी कोण्डोट्टी मुख्य सड़क पर कालीकट विमानपत्तन रखने पर कोई सुरंग का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी, हां। अनुरोध की समीक्षा की जा रही है।

खिलाड़ियों की भर्ती

811. श्री नृपेन गोस्वामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेल खेलकूद कोटा योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेल ने 1997-98 के दौरान उक्त कोटा के अंतर्गत मुक्केबाजों का चयन किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी चयनित व्यक्तियों को इस बीच नियुक्त कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1997-98 में खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उत्तर रेलवे पर वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न खेलों में नियुक्त किए गए 118 खिलाड़ियों में से मुक्केबाजों के नाम नीचे दिए गए हैं:-

1. श्री अजय कुमार सागवान

2. श्री लखविन्दर सिंह

प्राइसेज आफ क्वार्टर्स आफ स्लम

812. श्री भीग दाहाल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली में स्लम टेनेंट्स जो आवंटितियों/कब्जाधारियों को परमानेंट लीज होल्ड राइट्स योजना के अंतर्गत आवंटित क्वार्टरों की कीमतें घटा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में क्वार्टरों की कीमतें घटाई गई हैं;

(ग) क्या क्वार्टरों की कीमतों में कमी का लाभ उन आवंटितियों को नहीं दिया गया है जिन्होंने पहले भेजे गए डिमांड नोटिसों के बदले आंशिक भुगतान कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को उन आवंटितियों को भी शास्ति ब्याज के लिए बगैर कीमतों में कमी का लाभ देने के संबंध में संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने पहले भेजे गए डिमांड नोटिसों के बदले आंशिक अदायगी कर दी थी; और

(च) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। स्लम टेनामेंटों के आवंटियों/ दखलकारों से आवेदन पत्र मिलने पर सरकार ने दिसंबर, 1993 में निर्णय किया था कि स्लम टेनामेंटों का परिसमापन मूल्य वार्षिक लाइसेंस शुल्क की 20 गुना की बजाय टेनामेंटों की वास्तविक लागत होगा। यह दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित टेनामेंटों के लिए लागू है।

(ग) और (घ) यह भी निर्णय किया गया था कि जिन मामलों का निपटारा 1984 के दिशानिर्देशों के अनुसार पहले किया जा चुका है उन्हें दोबारा शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार इस समय मामले पर विचार कर रही है।

जल तथा बिजली बिल

813. श्री अजय कुमार एस. सरनायक: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री 16 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न सं. 4393 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वांछित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) स्थानीय निकायों से अपेक्षित सूचना अभी भी आनी बाकी है।

[हिन्दी]

भूमि पुनरुद्धार

814. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री सुमर चौधरा:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजधानी में भूमि पुनरुद्धार के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेयजल की आपूर्ति

815. कर्नल सोनाराम चौधरी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत, वित्तपोषित तथा कार्यान्वित की गई बृहत जल आपूर्ति योजनाएं काम नहीं कर रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने नए जल स्रोतों को सक्रिय करने तथा इंदिरा गांधी नहर एवं नर्मदा परियोजना से चैनलों/पाइपों से पानी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में केवल मदद करती है। राज्य सरकारों को राज्य के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की निधियों के साथ-साथ त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत प्रदत्त निधियों का इस्तेमाल करके अपने-अपने राज्यों में अलग-अलग ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, मंजूरी देने और कार्यान्वित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पेयजल आपूर्ति स्रोतों के निष्क्रिय हो जाने के कारण पूर्णत: कवर की गई अनेक बसावटें या तो आंशिक रूप से कवर की हुई या कवर न की गई हो गई थी और आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियां कवर न की गई हो गयी थी। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इस प्रकार की अनेक बसावटों के फिर से अस्तित्व में आने के कारण निम्नलिखित हैं:

* भूमिगत जल का तेजी से कम होना जिससे आर्सेनिक और फ्लोराइड आदि की गुणवत्ता की समस्याओं की घटना भी बढ़ती हैं।

* वनों की कटाई और परिणामस्वरूप पुन: जल संचय में कमी तथा सुरक्षा की कमी के कारण जल स्रोत सूख जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं।

* नये निर्माण पर ज्यादा बल देना तथा रख-रखाव पर कम ध्यान देना।

* प्रचालन एवं रख-रखाव में लोगों की भागीदारी न होना।

* परम्परागत जल प्रबंध पद्धतियों/प्रणालियों की उपेक्षा।

केन्द्र स्तर पर योजना-वार और स्रोतवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं तथापि, राज्यों को यह परामर्श दिया गया है कि जल संचय में सुधार लायें तथा भूमिगत जल के अति दोहन को रोकने हेतु एक उचित कानून बनाये ताकि जल स्रोतों की चिरन्तरता को सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाने, कार्यान्वयन करने तथा प्रचालन व रख-रखाव में समुदाय को भागीदार बनाने का अनुरोध किया है ताकि प्रणाली की चिरकालीनता सुनिश्चित हो सकें। इस संबंध में राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

सुनिश्चित रोजगार योजना

816. श्री माधवराव सिंधिया: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोलांगीर और कालाहांडी जिलों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत देय राशि को दुगना कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में सूखा प्रभावित जिलों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पता लगाए गए जिलों के नाम क्या है और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत इन राज्यों के लिए धनराशि बढ़ाने के लिए क्या निर्णय लिया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) वर्ष 1998-99 के लिए उड़ीसा के सभी के.बी.के. जिलों, जिसमें बोलांगीर तथा कालाहांडी जिले भी शामिल हैं, के लिए इस मंत्रालय ने दो किस्तें जारी की हैं।

(ख) और (ग) परिव्यय को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में किसी अन्य जिले के बारे में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है।

श्रीलंका की सेनाओं द्वारा भारतीय कार्गों पर बमबारी

817. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री ए.सी. जोस:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14.8.98 को श्रीलंका की सेनाओं द्वारा भारतीय कार्गों पर बमबारी की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, क्या कार्गो के कप्तान पर टाइगर्स के साथ साठ-गांठ करके काम करने का संदेह था;

(ग) जांच, यदि कोई हुई, तो उसके निष्कर्ष क्या रहे;

(घ) जहाज को कुल कितना नुकसान हुआ;

(ङ) क्या लिट्टे के कप्तान और चालक दल को रिहा कर दिया है; और

(च) क्या क्षतिग्रस्त जहाज को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गुडविल प्राइवेट लिमिटेड, कोलंबों द्वारा पट्टे पर लिया गया बेलाइज झंडे वाला एक कार्गो जलयान 'एम वी प्रिंसेस काश', जिसका एल.टी.टी.ई. ने अपहरण कर लिया था उसे श्रीलंका वायुसेना ने 14 अगस्त, 1998 को मुल्लेतिवू तट के पास बमबारी करके डुबा दिया था। यह जलयान किसी भारतीय कार्गो को नहीं ले जा रहा था।

2. श्रीलंका सरकार द्वारा अब तक की गई जांच से इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है कि चालक दल और लिट्टे के बीच संपर्क था। भारतीय एजेंसियों ने भी बताया है कि उन्हें इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं जिनसे यह पता चलता हो कि जलयान के कप्तान और लिट्टे के बीच कोई सांठ-गांठ थी।

3. कार्गो की हानि श्रीलंकाई रुपये में लगभग 230 मिलियन आंकी गई है।

4. जलयान के चालक दल के 21 सदस्यों में से कप्तान सहित 17 भारतीय नागरिक थे जिन्हें शुरू में लिट्टे ने बंदी बना लिया था। उन्हें बाद में आई.सी.आर.सी. के माध्यम से श्रीलंका के प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था। आई.सी.आर.सी. ने उन भारतीय नागरिकों को 14 अगस्त, 1998 को कोलंबो स्थित भारत के उच्चायुक्त को सौंप दिया था जहां से वे 19 अगस्त, 1998 को चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे।

रक्षा सेवाओं का पुनर्गठन

818. श्री अनंत गंगाराम गीते:
श्री मधुकर सरपोतदार:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश को मिल रही धमकियों के परिप्रेक्ष्य में रक्षा सेवाओं और इसके संगठनों के पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, उपस्करों, अस्त्र-शस्त्र तथा कार्मिकों की भर्ती और तकनीकी क्षमताओं की सामरिक समीक्षा करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सरकार का सामरिक रक्षा पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है। यह कार्य सामरिक नीति समूह, जोकि हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक भाग है, के प्राथमिक कार्यों में से एक कार्य होगा।

शहरी लघु उद्यम संबंधी योजना

819. श्री दत्ता मेघे: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी लघु उद्यम संबंधी योजना का अध्ययन कराने हेतु विकास अध्ययन सोसायटी, नई दिल्ली को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सोसायटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान प्रत्येक के दो-दो कस्बों में "शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों (यू.पी.ए. प्रोग्राम) के प्रभाव मूल्यांकन" विषय पर अध्ययन का कार्य दिनांक 9.9.96 को सोसायटी फार डेवलपमेंट, नई दिल्ली, को सौंपा गया था। यह कार्य सोसायटी द्वारा 6 महीने के अन्दर अर्थात् 9 मार्च, 1997 तक पूरा किया जाना था। किन्तु, सोसायटी ने लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया तथा केवल मध्य प्रदेश के दो कस्बों की रिपोर्ट ही अगस्त, 1997 में प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों का अध्ययन रद्द कर दिया गया

क्योंकि नेहरू रोजगार योजना नवम्बर, 1997 में समाप्त कर दी गई।

(घ) अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

सोसायटी फार डेवलपमेंट स्टडीज, नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा खरसियार कस्बों में किए गए अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

(क) सुपुर्दगी प्रणाली का मूल्यांकन

1. नेहरू रोजगार योजना के संभावित लाभार्थियों की सूची बनाने का सर्वेक्षण प्रोफार्मा सोच समझकर तैयार किया गया, किन्तु निगरानी तथा प्रबंध प्रणाली के रूप में इसको महत्व हासिल नहीं हुआ।

2. लाभार्थियों के निर्धारण के लिए कुछ गैर आर्थिक मानदंडों का प्रयोग किया गया। इन कारकों को महत्व मूल्यांकन की कार्यान्वयन अधिकारियों में व्यवसायिक विशेषज्ञता का अभाव था।

3. लाभार्थियों की सूची समय-समय पर अद्यतन नहीं की गई। जबकि इस सूची को प्रत्येक दो वर्ष में अद्यतन करने तथा उसे भलीभांति प्रदर्शित करने की सिफारिश की गई थी।

4. लाभार्थियों की यथोचित सूची के अभाव में विशेष लक्ष्य समूहों (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं) के मानक तैयार नहीं किये गये।

5. कार्यदल से कार्यक्रम के प्रभावी निगरानीकर्त्ता होने की अपेक्षा पूरी नहीं हो सकी।

6. कार्यान्वयन एजेंसियों तथा बैंकों के स्तर पर रिकार्डों का रखरखाव त्रुटिपूर्ण पाया गया। रिकार्डों के महत्व तथा उनके रखरखाव एवं उपयोग तकनीकों की कदाचित स्थानीय स्तर पर जानकारी नहीं थी। मानव संसाधन विकास के इस क्षेत्र में क्षमता सृजन आवश्यक है।

7. आवेदनपत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यदल और बैंकों द्वारा उनके अनुमोदन के बीच लम्बी प्रक्रिया अवधि (6-7 माह) है। इस प्रक्रिया प्रणाली की समीक्षा की जाए तथा स्पष्ट रूप से समयावधि मानकों का स्पष्ट निर्धारण करते हुए उन पर कड़ाई से अमल आवश्यक है।

9. परियोजनाओं के अनुमोदन तथा कार्यान्वयन के प्रति सभी कार्यान्वयन एजेंसियों तथा बैंकों का दृष्टिकोण "लक्ष्य आधारित" की बजाय "आवश्यकता आधारित" बनाया जाए।

(ख) मानव संसाधन विकास

1. कार्यक्रम को अनवरत बनाये रखने के लिए, मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण होता है। भौतिक अवस्थापना, मानव शक्ति तथा परिचालन उपकरण के प्रसंग में प्रशिक्षण व्यवस्था अत्यंत अल्प पाई गई।

2. प्रशिक्षण मापदंड तथा पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए।

3. नेहरू रोजगार योजना प्रशिक्षार्थियों को वास्तविक कार्य पर लगने की दर नगण्य थी, क्योंकि केवल 11.4% लाभार्थी ही स्वरोजगार आरंभ कर पाए तथा शेष 71.4% बेरोजगार रहे।

(ग) शहरी रोजगार योजना

1. जबलपुर में शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) का निष्पादन संतोषजनक था। लक्ष्य की प्राप्ति 75% से अधिक थी तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों का प्रतिनिधित्व वांछित अपेक्षा से काफी अधिक रहा। किन्तु महिलाओं की भागीदारी अपेक्षा से कम रही।

2. प्रशिक्षण तथा ऋण घटक साथ-साथ चलाए गए क्योंकि विभिन्न चयन एजेंसियों द्वारा ऋण आवेदकों तथा प्रशिक्षण आवेदकों का विभाग-वार वर्गीकरण किया गया था। ऐसा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच परस्पर तालमेल न होने के कारण हुआ, फलतः इन प्रशिक्षार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने की दर लगभग शून्य रही।

3. खरसिया में नेहरू रोजगार योजना प्रशिक्षण तथा शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम के बीच प्रभावी तालमेल रहा जिससे बैंक ऋण आसानी से सुलभ हुआ।

4. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नेहरू रोजगार योजना पूरी क्षमता का पता नहीं लगाया गया।

5. जबलपुर में आश्रय तथा आवास सुधार योजना का कार्यान्वयन निहित जटिल प्रक्रिया के चलते शहरी लघु उद्यम स्कीम की तरह उत्साह से नहीं किया गया।

6. नेहरू रोजगार योजना पूर्व के गरीबी रेखा से नीचे के कुल 61.5% लाभार्थियों में से इस श्रेणी में केवल 8% लोग शेष रहे क्योंकि शहरी लघु उद्यम स्कीम लागू होने के फलस्वरूप 92% लाभार्थी गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं।

7. नेहरू रोजगार योजना पूर्व आय-वितरण स्तर में कुल बेरोजगार व्यक्तियों में से 65% लोगों का आय स्तर काफी ऊंचा हो गया है।

8. जबलपुर की तुलना में, खरसिया में अधिक गरीबी स्तर के कारण आय में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। सोसायटी की सिफारिश है कि अधिक मूल्य वाले आर्थिक क्रियाकलापों का आधार जुटाने हेतु वहाँ संसाधनों की सूची बनाना आवश्यक है।

9. स्कीम का समुचित प्रचार न होना तथा गैर सरकारी संगठनों का वांछित स्तर तक सहयोग न देना ऐसे प्रमुख कारक हैं, जो जबलपुर तथा खरसिया दोनों कस्बों में किसी दबाव-ग्रुप न होने के लिए जिम्मेदार है।

10. सभी स्तरों पर कार्यान्वयन अधिकारियों को दिशानिर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जाए। जिला स्तर अधिकारियों सहित अनेक अधिकारियों को मूल दिशा-निर्देशों यथा लघु उद्यमों के लिए अवस्थापना मदद के प्रावधान तथा जिला शहरी विकास प्राधिकरण/राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (डूडा/सूडा) द्वारा प्रशिक्षण प्रोफाइल आदि की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के विरुद्ध शिकायतें

820. श्री अमन कुमार नागरा:
श्री बैजनाथ रावत:
श्री पुन्नू लाल मोहले:
श्री प्रदीप कुमार यादव:
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर):
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों में प्रतिवर्ष आवंटियों तथा संसद सदस्यों से विशेषकर लक्ष्मीबाई नगर और डी-12 क्षेत्र नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के कार्यकरण के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इनमें से प्रत्येक पर क्या कार्रवाई की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई.ए.एफ. के गोल्फ कोर्स प्लान की जांच

821. प्रो. अजित कुमार मेहता:
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर):

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त, 1990 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "आई.ए.एफ." गोल्फ कोर्स प्लान टु बी प्रोब्ड" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पाया है कि निषिद्ध क्षेत्र के भीतर गोल्फ कोर्स का निर्माण संबंधित अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार की जानकारी में यह बात जून, 1998 में आई कि वायुसेना ने गुड़गांव स्थित वायुसेना डम्प, 54 ए एस पी के भीतर गोल्फ कोर्स का निर्माण कार्य आरंभ किया है। तथापि भारतीय वायुसेना ने सूचित किया है कि गुड़गांव स्थित वायुसेना परिसर के बंजर क्षेत्र में सैन्य कार्मिकों के लिए एक प्रमुख क्रीड़ा कांप्लेक्स स्थापित किया गया है तथा मिनी गोल्फ कोर्स भी इसी

क्रीड़ा कांप्लेक्स का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया है। इस दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जो विचाराधीन है।

नयी रेलगाड़ियां चलाना

822. **श्री चमन लाल गुप्त:**
वैद्य विष्णु दत्त:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1998-99 के दौरान जोन-वार कितनी नयी रेलगाड़ियां शुरू की गयी हैं और कितनी शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में, विशेष रूप से जम्मू और पठानकोट के बीच डी.एम.यू./शटल और हरिद्वार और जम्मू के बीच सीधी नयी रेलगाड़ियां शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार, जन प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन/अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) वर्ष 1998-99 के दौरान 44 एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयी हैं। जोनवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

रेलवे	मेल/एक्सप्रेस
मध्य	2
पूर्व	4
उत्तर	6
पूर्वोत्तर	2
पूर्वोत्तर सीमा	4
दक्षिण	12
दक्षिण मध्य	6
दक्षिण पूर्व	4
पश्चिम	4

वर्ष के दौरान मध्य रेलवे से 6 गाड़ियां और दक्षिण पूर्व रेलवे से 2 गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई थी, परन्तु परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगियों के कारण इसका कार्यान्वयन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन

823. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:**
श्री डी.एस. अहिरे:
श्री माधवराव पाटील:
श्री विठ्ठल तुपे:
श्री अभयसिंह एस. भोंसले:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से "महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कारपोरेशन" स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कारपोरेशन स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार से ट्रस्ट फण्ड के रूप में राज्य स्तर पर फाइनेंशियल इन्टरमिडियरी स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ था।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने शहरी अवस्थापना के वित्तपोषण के लिए 150 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक राशि के ट्रस्ट फण्ड के रूप में राज्य स्तर पर फाइनेंशियल इन्टरमिडियरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। ट्रस्ट फण्ड का प्रबंध 1 करोड़ रुपए की इक्विटी से एसेट मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा किया जाना था। वित्तीय संस्थानों अर्थात् एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई. और आई.एल. एण्ड एफ.एस. को मिलकर प्रारम्भिक राशि का 51% और एसेट मैनेजमेन्ट कम्पनी को इक्विटी का 51% अंशदान करना था। शेष 49% राशि का अंशदान मुम्बई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.) और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाना था।

2. प्रस्ताव को दिसम्बर, 1996 में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के माध्यम से विश्व बैंक को भेज दिया गया था। तथापि, अप्रैल, 1997 में विश्व बैंक ने सभी संबंधित एजेंसियों को सलाह दी थी कि जब तक कि संस्थागत प्रबंधों पर करारों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक परियोजना तैयारी कार्य को रोक दें।

कृषि भूमि में भवन

824. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री कृषि भूमि में भवन के बारे में 11 सितम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न सं. 5142 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम जिलों में उक्त भूमि के कब्जे संबंधी कितने वारंट क्रियान्वित किए गए;

(ख) राजस्व सहायकों के न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान कितने मामलों में राजस्व सहायकों/एस.डी.एम. द्वारा दिए गए आदेशों को दिल्ली के समाहर्ता न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी):

(क) जिला दक्षिण 29

जिला दक्षिण-पश्चिम 1

(ख) 3877 सं.

(ग)

जिले	मामलों की सं.
1. उत्तर	–
2. उत्तर-पश्चिम	9
3. उत्तर-पूर्व	–
4. पश्चिम	1
5. दक्षिण-पश्चिम	7
6. दक्षिण	–
7. पूर्व	–
8. नई दिल्ली	–
9. केन्द्रीय	–

दक्षिण-पश्चिम जिले में 7 मामलों में से 6 मामलों में अपील दायर की गई है। पंचायत ने एक मामले में कार्यवाही वापस लेने का निर्णय लिया है।

जनता डीडीए फ्लैटों का आवंटन

825. श्री नादेन्दला भास्करराव:
श्री माधवराव पाटील:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोंडली घेरौली में दि.वि.प्रा. की जनता श्रेणी के मकानों का कब्जा कितने आवंटियों को मिल गया है;

(ख) दि.वि.प्रा. द्वारा आवंटियों के मकानों का कब्जा देने में सारी औपचारिकताओं को पूरा करने मे कितना समय लिया गया;

(ग) क्या आवंटियों को अपने मकानों का कब्जा लेने के लिए महीनों तक परेशान किया जाता है;

(घ) आवंटियों को पानी के कनेक्शन सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आवंटियों के हस्ताक्षर कब्जे के समय इन्वेन्टरी (वस्तुसूची) में करा लिये जाते हैं हालांकि उसके बाद उन्हें इन्वेन्टरी की आपूर्ति नहीं की जाती है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इनमें से अधिकांश मकानों में दरवाजे, खिड़कियाँ, ग्रिल, पाइप और अन्य चीजें जैसे पानी की टंकी के ढक्कन आदि, पहले से ही गायब हैं;

(ज) क्या छतों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी दि.वि.प्रा. द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(झ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ञ) आवंटियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के मद्देनजर स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डीडीए ने सूचित किया है कि 3008 आवंटियों को वास्तविक कब्जा दे दिया गया है।

(ख) फ्लैटों के आबंटन होने के बाद, स्थल पर वास्तविक कब्जा लेने में करीब 7 से 11 माह लग जाते हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) जनता फ्लैटों के मामले में माँगी गई राशि आबंटी द्वारा 150 दिन में जमा करना।

(2) आबंटियों द्वारा हस्तांतरण दस्तावेज जमा करने में 1 से 2 माह (यदि आवंटन नकद भुगतान पर किया गया है)

(3) औपचारिकताएं पूरी होने पर डीडीए द्वारा कब्जा पत्र जारी करने में 1 से 2 माह।

(4) आबंटियों द्वारा वास्तविक कब्जा लेने के लिए अनुमेय समय स्थल पर 3 माह।

आबंटी के विशेष अनुरोध पर उपर्युक्त समय सीमा में बढ़ोत्तरी के लिए भी प्रावधान है, बशर्ते कि वह कुछ निर्धारित निबंधन और शर्तों को पूरा करता हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आबंटी जल कनेक्शन वास्तविक कब्जा देते समय प्रदान किया जाता है।

(ङ) और (च) वास्तविक कब्जा देते समय इन्वेंटरी लिस्ट (वस्तुसूची) में आबंटियों के हस्ताक्षर लिये जाते हैं। इन्वेंटरी की प्रति आबंटी को भी दी जाती है। आबंटी के हस्ताक्षर केवल इन्वेंटरी मदों के लगाने के बाद ही लिए जाते हैं।

(छ) आबंटियों को वास्तविक कब्जा देने से पहले दरवाजे/शहर, ग्रिल, पाइप तथा अन्य सामान, वाटर टैंक ढक्कन आदि मुहैया/ठीक किये जाते हैं। वास्तविक कब्जा देने से पहले फ्लैटों की अच्छी तरह सफाई भी कराई जाती है।

(ज) जी, हाँ।

(झ) ये दो मंजिलें मकान है तथा वास्तुकला नक्शों के अनुसार तथा निर्माण की लागत कम करने के लिए छत पर पहुँचने के लिए कोई सीढ़ी मुहैया नहीं कराई गई है।

(ञ) उपर्युक्तत: स्पष्ट स्थिति को देखते हुए कोई और उपचारात्मक कदम उठाने की जरूरत नहीं है।

जम्मू हवाई अड्डे का उन्नयन

826. वैद्य विष्णु दत्त: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू के सरकारी हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्तर का बनाया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जम्मू क्षेत्र में एक और हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या ब्यौरा है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) जम्मू विमानपत्तन रक्षा मंत्रालय का है; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल एन्क्लेव का अनुरक्षण करता है। किसी भी विमानकंपनी ने जम्मू होकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित किये जाने का अनुरोध नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस की घटिया सेवाएं

827. श्री सुरेश चंदेल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय वायु सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के समतुल्य लाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं/बनाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) भारतीय विमान सेवाएं वायुयान अधिनियम, 1934, वायुयान नियम, 1937 तथा विभिन्न नागर विमानन अपेक्षाओं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रचालित की जाती हैं। नागर विमानन महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है।

नागर विमानन क्षेत्र में विदेशी निवेश

828. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री देवी बक्स सिंह:
डा. रमेश चन्द तोमर:
श्री अर्जुन सेठी:
श्री रामपाल सिंह:
श्री बालासाहेब विखे पाटील:
श्री गगन्ती वेंकटेश्वर राव:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:
श्री चेतन चौहान:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) घरेलू विमान परिवहन सेवा सेक्टर संबंधी विद्यमान नीति के अनुसार, घरेलू परिवहन सेवा सेक्टर में 100 प्रतिशत एनआरआई/ओसीबी तथा 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी अनुमेय है। तथापि, विदेशी विमानकंपनी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी की मनाही है।

''एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति'' में स्वत: अनुमोदनों से 74 प्रतिशत तक तथा विशेष अनुमति से 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी का अनुबंध है।

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में विचार-विनिमय चल रहा है। तथापि, अभी तक परियोजना रूप से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का उत्थान

829. **श्री नरेन्द्र कुशवाहा:**
श्री राजमोहन राम:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश मे राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 1973-74 में 2612 लाख से घटकर 1993-94 में 2440 लाख रह गयी है। सरकार जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कुओं की योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी अनेक गरीबी उन्मूलन योजनाएं चला रही हैं, जो सामाजिक सहायता और मजदूरी तथा स्वरोजगार सृजन के लिए अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को आवास दिये जाते हैं।

विवरण

योजना आयोग के अनुसार राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रही ग्रामीण आबादी की संख्या और प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	1973-74		1993-94	
		संख्या (लाख में)	प्रतिशत	संख्या (लाख में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	178.21	48.41	79.49	15.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.57	52.67	3.62	45.01
3.	असम	76.37	52.67	94.33	45.01
4.	बिहार	336.52	62.99	450.86	58.21
5.	गोवा	3.16	46.85	0.38	5.34
6.	गुजरात	94.61	46.35	62.16	22.16
7.	हरियाणा	30.08	34.23	36.56	28.02
8.	हिमाचल प्रदेश	9.38	27.42	15.40	30.34
9.	जम्मू और कश्मीर	18.41	45.51	19.05	30.34
10.	कर्नाटक	128.40	55.14	95.99	29.88

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	111.36	59.19	55.95	25.76
12.	मध्य प्रदेश	231.21	62.66	216.19	40.64
13.	महाराष्ट्र	210.84	57.71	193.33	37.93
14.	मणिपुर	5.11	52.67	6.33	45.01
15.	मेघालय	4.88	52.67	7.09	45.01
16.	मिजोरम	1.62	52.67	1.64	45.01
17.	नागालैंड	2.65	52.67	4.85	45.01
18.	उड़ीसा	142.24	67.28	140.90	49.72
19.	पंजाब	30.47	28.21	17.76	11.95
20.	राजस्थान	101.41	44.76	94.68	26.46
21.	सिक्किम	1.09	52.67	1.81	45.01
22.	तमिलनाडु	172.60	57.43	121.70	32.48
23.	त्रिपुरा	7.88	52.67	11.41	45.01
24.	उत्तर प्रदेश	449.99	56.53	496.17	42.28

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	257.96	73.16	209.90	40.80
26.	अंडमान व निकोबार	0.59	57.43	0.73	32.48
27.	चंडीगढ़	0.07	27.95	0.07	11.35
28.	दादरा और नगर हवेली	0.37	46,85	0.72	51.95
29.	दमन और द्वीव			0.03	5.34
30.	दिल्ली	1.06	24.44	0.19	1.90
31.	लक्षद्वीप	0.18	59.19	0.06	25.76
32.	पांडिचेरी	1.61	57.43	0.93	32.48
	कुल	2612.90	56.44	2440.31	37.27

टिप्पणी: 1. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए असम की गरीबी अनुपात प्रयोग में लाया जाता है।

2. पांडिचेरी और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए तमिलनाडु की गरीबी अनुपात प्रयोग में लाया जाता है।

3. लक्षद्वीप के लिए केरल की गरीबी अनुपात प्रयोग में लाया जाता है।

4. दमन व दीव के लिए गोवा की गरीबी अनुपात प्रयोग में लाया जाता है।

5. चंडीगढ़ की ग्रामीण और शहरी गरीबी दोनों के लिए पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात प्रयोग में लाया जाता है।

6. गोवा की गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा के व्यय वितरण को प्रयोग में लाया जाता है।

7. दादरा व नगर हवेली की गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा दादरा व नगर हवेली में लाया जाता है।

8. 1993-94 हेतु जम्मू व कश्मीर के लिए हिमाचल प्रदेश की गरीबी अनुपात प्रयोग में लाया जाता है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

830. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोन-वार/राज्य-वार छोटी लाइन और संकरी लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया गया है; और

(ख) उन छोटी लाइनों/संकरी लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी लाइनों में बदला जायेगा और उन पर कितना व्यय किये जाने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्रीतथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान परिवर्तित तथा नौवीं योजना के दूसरे वर्ष के दौरान जिन मी.ला./छो.ला. लाइनों को परिवर्तित किए जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नौवीं योजना के अगले तीन वर्षों के दौरान जिन लाइनों को परिवर्तित किया जाना है, उनके बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है। चूंकि रेलवे परियोजनाएं राज्यवार स्वीकृत नहीं की जाती हैं और कभी-कभी एक परियोजना एक से अधिक राज्यों में पड़ती हैं अत: राज्यवार सूचना देना संभव नहीं है। बहरहाल, जो परियोजनाएं जिन राज्यों के अंतर्गत आती हैं, उनके नाम प्रत्येक परियोजनाओं के आगे दिए गए हैं। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य एक वर्ष पहले ही निर्धारित किये जाते हैं तथा उनकी घोषणा वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय की जाती है।

विवरण

आठवीं योजना में पूरा किया गया आमान परिवर्तन कार्य

पूरा किया गया खंड	कि.मी.	जोन	राज्य
1	2	3	4
1992-93			
दिल्ली-रिवाड़ी	83	उ.रे.	दिल्ली एवं हरियाणा
लालगढ़-मेहता रोड	177	उ.रे.	राजस्थान
लालगढ़-कोलायत	47	उ.रे.	राजस्थान
सवाईमाधोपुर-जयपुर	125	प.रे.	राजस्थान
नडियाड-कपडवंज	45	प.रे.	गुजरात
बेंगलौर-टुमकुर	59	द.रे.	कर्नाटक

1	2	3	4
मैसूर-बेंगलोर	138	द.रे.	कर्नाटक
डिंडिगुल-तुतिकोरिन	196	द.रे.	तमिलनाडु
बेंगलौर-येलइंका	12	द.रे.	कर्नाटक
गुंटूर-नरसरावपेट	46	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश
बेल्लरी-रायदुर्ग	54	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक
औरंगाबाद-जालना	64	द.म.रे.	महाराष्ट्र
परभनी-परलीवैजनाथ	63	द.म.रे.	महाराष्ट्र
बुढ़वल-महमूदाबाद	38	पूर्वो.रे.	उत्तर प्रदेश
कोटकापुरा-फाजिल्का	80	उ.रे.	पंजाब
लखनऊ-कानपुर	59	उ.रे.	उत्तर प्रदेश
मनकापुर-कटरा	30	पूर्वो रे.	उत्तर प्रदेश
पुरुलिया-कोटशिला	35	द.पू.रे.	पं. बंगाल
	1351		
1993-94			
भटिंडा-हिसार	157	उ.रे.	हरियाणा
जयपुर-फुलेरा	55	प.रे.	राजस्थान

1	2	3	4
फुलेरा-जोधपुर	261	उ.रे.	राजस्थान
टुमकुर-अरसीकेरे	101	द.रे.	कर्नाटक
अरसीकेरे-चिकजाचुर	114	द.रे.	कर्नाटक
नरसरावपेट-डोनाकोंडा	75	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश
सिकंदराबाद-महबूबनगर	127	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश
मद्रास-तांबरम	27	द.रे.	तमिलनाडु
चिकजाजुर-चित्रदुर्ग	16	द.रे.	कर्नाटक
जालना-परमनी	116	द.म.रे.	महाराष्ट्र
गोंदिया-अर्जुनी	82	द.पु.रे.	महाराष्ट्र
सिकंदराबाद-बोलारम	14	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश
इलाहाबाद-वाराणसी	126	पूर्वो रे.	उत्तर प्रदेश
गुवाहाटी-लमडिंग	181	पू.सी.रे.	असम
महमूदाबाद-सीतापुर	60	पूर्वो रे.	उत्तर प्रदेश
मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी	15	उ.रे.	राजस्थान
दौंड-बारामती	42	म.रे.	महाराष्ट्र

1	2	3	4
लालकुआं-काठगोदाम	29	पूर्वो.रे.	उत्तर प्रदेश
पटेल नगर-सराय	3	उ.रे.	दिल्ली
दुर्गापुर-जयपुर	8	प.रे.	राजस्थान
मैसूर-अशोक पुरम	5	द.रे.	कर्नाटक
लखनऊ-मानक नगर	5	पूर्वो. रे.	उत्तर प्रदेश
	1619		
1994-95			
हिसार-रिवाड़ी	143	उ.रे.	हरियाणा
फुलेरा-अजमेर	81	प.रे.	राजस्थान
रिवाड़ी-जयपुर	225	प.रे.	राजस्थान
महसाना-खोडियार	52	प.रे.	गुजरात
दिल्ली कैंट-दिल्ली/नई दिल्ली	14	उ.रे.	दिल्ली
जोधपुर-जैसलमेर	295	उ.रे.	राजस्थान
चिकजाजुर-हरिहर	60	द.रे.	कर्नाटक
हरिहर-हुबली	129	द.रे.	कर्नाटक

1	2	3	4
हुबली-लोंडा	93	द.म.रे.	कर्नाटक
लोंडा-मिरज	188	द.म.रे.	कर्नाटक
चिरूर-शिमोगा	63	द.रे.	कर्नाटक
हुबली-गडग-इर्लापुर	78	द.म.रे.	कर्नाटक
अलनावर-अमेडवडी	26	द.म.रे.	कर्नाटक
डोनाकोंडा-गिद्दालूर	84	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश
चिकजाजुर-चित्रदुर्ग	18	द.रे.	कर्नाटक
परभनी-पूर्णा	29	द.म.रे.	महाराष्ट्र
पूर्णा-नांदेड़	32	द.म.रे.	महाराष्ट्र
अर्जुनी-वडसा	23	द.पू.रे.	महाराष्ट्र
मुजफ्फरपुर-रक्सौल	129	पूर्वो.रे.	बिहार
लमडिंग-नैलालंग	22	पू.सी.रे.	असम
चापरमुल-हैदरगांव	21	पू.सी.रे.	असम
	1805		

आठवीं योजना में कुल = 6897 कि.मी.

पूरा किया गया खंड	कि.मी.	जोन	राज्य
1	2	3	4
1995-96			
हर्लापुर-होसपेट	67	द.म.रे.	कर्नाटक
होसपेट-स्वामाहल्ली	60	द.म.रे.	कर्नाटक
लौंडा-कैसलरॉक	25	द.म.रे.	कर्नाटक
मुदखेड़-नांदेड़	23	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश
नैलालंग-दीमापुर	38	पू.सी.रे.	असम
येलहंका-चिकबेलापुर	46	द.रे.	कर्नाटक
मकराना-परबतसर	21	प.रे.	राजस्थान
समस्तीपुर-दरभंगा	37	पूर्वो.रे.	बिहार
गिद्दालूर-नंदयाल	69	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश
गुंडा रोड-कोट्टूर	50	द.म.रे.	कर्नाटक
औंडिहार-छपरा	171	पूर्वो.रे.	उत्तर प्रदेश
यशवंतपुर-सेलम	46	द.रे.	कर्नाटक/तमिलनाडु
छिंदवाड़ा-परसिया	28	म.रे.	मध्य प्रदेश
दीमापुर-फरकाटिंग	70	पू.सी.रे.	असम
गुवाहाटी-कामख्या	7	पू.सी.रे.	असम
	758		

पूरा किया गया खंड	कि.मी.	जोन	राज्य
1	2	3	4
1996-97			
वडसा-नागभीर	28	द.पू.रे.	महाराष्ट्र
अरसीकेरे-हसन	47	द.रे.	कर्नाटक
होसूर-सलीम	151	द.रे.	तमिलनाडु
मऊ-शाहगंज	99	पूर्वो.रे.	उत्तर प्रदेश
असन-होलेनरसीपुर	30	द.रे.	कर्नाटक
महसाना-मारवाड़-अजमेर	423	प.रे.	राजस्थान
सगौली-नरकटियागंज	59	पूर्वो.रे.	बिहार
कैंसलरॉक-वास्को	87	द.म.रे.	गोवा
गुंतकल-नंदयाल	136	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश
तिनसुकिया-लेखापानी	63	पू.सी.रे.	असम
फरकाटिंग-तिनसुकिया	193	पू.सी.रे.	असम
तिनसुकिया-डिब्रूगढ़	48	पू.सी.रे.	असम
	1364		

नौवीं योजना में आमान परिवर्तन की स्थिति

पूरा किया गया खंड	कि.मी.	जोन	राज्य
1	2	3	4
1997-98			
हसन-सकलेसपुर	42	द.रे.	कर्नाटक
मैसूर-होलेनरसीपुर	87	द.रे.	कर्नाटक
बछवाड़ा-हाजीपुर	71	पूर्वो.रे.	बिहार
कोलार-बंगारपेट छोटी लाइन	18	द.रे.	कर्नाटक
त्रिची-तंजावूर	50	द.रे.	तमिलनाडु
जोधपुर-मारवाड़	103	उ.रे.	राजस्थान
नागभीर-चाँदाफोर्ट छोटी लाइन	111	द.पू.रे.	महाराष्ट्र
होटगी-बीजापुर	97	द.म.रे.	कर्नाटक एवं महाराष्ट्र
जोरहाट-फरकटिंग लूप	67	पू.सी.रे.	असम
शिमलगुडी-शिवसागर	16	पू.सी.रे.	असम
द्रोणाचलम-महबूबनगर	185	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश
कुल	847		

पूरा किया गया खंड	कि.मी.	जोन	राज्य
1998-99			
ताम्बरम-त्रिची (पूरा कर लिया गया)	309	द.रे.	तमिलनाडु
डिंडीगुल-त्रिची	95	द.रे.	तमिलनाडु
यशवंतपुर-बाईप्पनहाली	20	द.रे.	कर्नाटक
चॉदाफोर्ट-बल्लारशाह	12	द.पू.रे.	महाराष्ट्र
गोरखपुर-नरकटियागंज	159	पूर्वो.रे.	बिहार एवं उत्तर प्रदेश
जोरहाट-मरियानी (पूरा कर लिया गया)	17	पू.सी.रे.	असम
शिवसागर-मोरानहाट (पूरा कर लिया गया)	38	पू.सी.रे.	असम
इंदारा-फेफना	50	पूर्वो.रे.	उत्तर प्रदेश
नोनेरा-सोनी	27	म.रे.	मध्य प्रदेश
चेंगलपट्टू-कांजीवरम	34	द.रे.	तमिलनाडु
कुल	761		

रेलवे राज्यवार सूचना नहीं रखती है। बहरहाल, 1997-98 में आमान परिवर्तन पर किया गया जोनवार व्यय और 1998-99 के दौरान इस पर किए जाने वाला संभावित व्यय निम्नानुसार है:-

जोन	1997-98 में किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)	1998-99 के दौरान किए जाने वाला संभावित व्यय (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
मध्य रेलवे	12.68	25.00
पूर्व रेलवे	कुछ नहीं	कुछ नहीं

1	2	3
उत्तर रेलवे	89.99	28.50
पूर्वोत्तर रेलवे	106.97	138.77
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	191.95	83.10
दक्षिण रेलवे	461.19	192.62
दक्षिण मध्य रेलवे	239.43	121.60
दक्षिण पूर्व रेलवे	70.82	55.40
पश्चिम रेलवे	72.58	158.00
कुल	1245.61	802.99

रूस के दौरे पर गयी रक्षा टीम

831. **श्री नरेश पुगलीया:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री इन्द्रजीत सिंह राव:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने रूस सरकार पर भारत के साथ किये गये सैन्य समझौतों को समाप्त करने पर जोर डाला है;

(ख) यदि हां, तो फ्रांसीसी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही;

(ग) क्या एक उच्च स्तरीय भारतीय रक्षा टीम ने हाल ही में सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस संयुक्त कार्यदल की एक बैठक में भाग लेने के लिए मास्को का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम रहे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) सरकार ने इस बारे में अपुष्ट मीडिया खबरों को देखा है।

(ख) सरकार को इस संबंध में फ्रांस सरकार की ओर से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं है।

(ग) से (ङ) सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस समूह की पांचवीं बैठक के संबंध में रक्षा सचिव के नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 से 12 नवंबर, 1998 तक मास्को का दौरा किया था। संयुक्त कार्यकारी दल दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी

सहयोग पर चल रहे दीर्घकालिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा तथा निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग

832. श्री खारवेल स्वाईं: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवनिर्मित बालासौड़ रेलवे स्टेशन भवन का प्लास्टर अभी से उखड़ने लगा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जांच कब तक शुरू होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता के निकट भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना

833. श्री डी.एस. अहिरे:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 अगस्त, 1998 को भारतीय वायुसेना का एक विमान, कलकत्ता के पास कलाईकुण्डा सैनिक हवाई अड्डे पर उतरते हुए वहां खड़े दो अन्य विमानों से टकरा गया था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था;

(ग) इस दुर्घटना में कितनी जान-माल की क्षति हुई; और

(घ) इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस दुर्घटना की जांच अदालत से पता चला है कि दुर्घटना का कारण फ्लैपों का खुलकर बाहर न निकल पाना तथा पायलट द्वारा ठीक प्रकार के फ्लैपों का चयन न कर पाना और बाद में वायुयान का बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर पड़ना है जिसके परिणामस्वरूप वायुयान लड़खड़ाता हुआ जमीन से टकरा कर रुक गया। यह वायुयान जमीन पर खड़े दो वायुयानों से टकरा गया और वे भी नष्ट हो गए। पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया था और खड़े हुए वायुयान पर काम कर रहे एक इंजन फिटर को वायुयान के टकराने और बाद में आग लग जाने के कारण घातक चोटें आईं। जांच के परिणामस्वरूप ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं।

राकेश मोहन समिति

834. श्री प्रसाद जावूराव तनपुरे:
श्री एस.एस. ओबेसी:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुनियादी सुविधाओं संबंधी राकेश मोहन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) डा. राकेश मोहन की अध्यक्षता में अवस्थापना परियोजनाओं के वाणिज्यिकरण संबंधी विशेषज्ञ दल ने 22 जून, 1996 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) विशेषज्ञ दल ने नीति सुधारों के लिए नीति निर्देश मुहैया कराये हैं, जो सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ अवस्थापना के और अधिक वाणिज्यिकरण में सहायता कर सकते हैं। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

* विशेषज्ञ दल का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में कुल अवस्थापना निवेश जरूरत करीब 4,000 से 4,500 बिलियन रू. होगी तथा 2001-02 से 2005-07 के दौरान करीब 7,500 बिलियन रु. होगी;

* अवस्थापना परियोजना के अर्थपूर्ण वाणिज्यिकरण के लिए सरकार यह सुनिश्चित करे कि परियोजना जोखिम स्पष्टतया दर्शाए गए हैं तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों को आबंटित कर दिए गए हैं;

* यदि अवस्थापना की वित्त व्यवस्था, पूंजी बाजारों के मार्फत की जानी हैं, तो संविदात्मक बचत संस्थान क्षेत्र में प्रमुख सुधार शुरू करने जरूरी है;

* भारत में एक ऐसे संस्थान की जरूरत है, जो विशेष तौर पर परियोजनाओं के ऋण में बढ़ोत्तरी प्रदान करें तथा ऋण बाजार को सक्रिय बनाएं;

* मौजूदा क्षेत्र विशेष अध्यादेशों को मिलाकर एक अध्यादेश बनाया जाए तथा हर अवस्थापना क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त विनियामक निकाय का गठन किया जाए; तथा

* शहरी अवस्थापना, पोर्ट, सड़कें, विद्युत, दूरसंचार तथा औद्योगिक पार्कों के लिए क्षेत्र-विशेष सुधारों का भी सुझाव दिया गया है।

(ग) 1997-98 के केन्द्रीय बजट में हिस्सेदारों को लाभांश पर कर को समाप्त कर दिया गया है/शुद्ध अन्तर बैंक देयताओं पर कैश रिजर्व रेशो (सी.आर.आर.) तथा स्टेटयुटरी लिक्विडिटी रेशिओ (एस.एल.आर.) को 26 अप्रैल, 1997 से समाप्त कर दिया गया है। विदेशी निवेश संस्थानों (एफ.आई.आई.) को गैर सूचीबद्ध कम्पनियों में उसी तरह निवेश करने की अनुमति दी गई है। जैसे उन्हें सूचीबद्ध कम्पनियों में निवेश की अनुमति दी गई थी। "सेबी" ने इस संदर्भ में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इससे विदेशी निवेश संस्थानों (एफ.आई.आई.) के अवस्थापना में निवेश की सम्भावना बनी। विदेशी निवेश संस्थानों (एफ.आई.आई.) को, सूचीबद्ध/सूचीबद्ध की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में शत-प्रतिशत ऋण निधि के जरिए निवेश की अनुमति दी गई है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंडों (एम.एम.एम.एफ.) के द्वारा अलग-अलग इन्स्ट्रूमेंटों में निवेश की सीमा के आदेश को वापस ले लिया गया है तथा ने प्रत्येक इन्स्ट्रूमेंट में अपने निवेश की सीमा तय करने के लिए स्वतंत्र है। अवस्थापना विकास वित्त निगम (आई.डी.एफ.सी.) की स्थापना 30 जनवरी, 1997 को हुई थी, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 6,000 करोड़ रु. थी। 1998-99 के बजट में गैर-सरकारी क्षेत्र अवस्थापना परियोजनाओं में भविष्य निधियों में नई वृद्धि के 10% निवेश की अनुमति दी गई है, जिसमें कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड हो। टेलिकम रेग्युलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया (टी आर ए आई) तथा टैरिफ अथोरिटी फार मेजर पोर्टस (टीएएमपी) जैसे स्वायत्त विनियामक प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। विद्युत क्षेत्र के प्रसंग में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना के लिए कानून बनाया गया है, जिसमें राज्य सरकारों के राज्य विनियामक आयोगों के गठन में सुविधा हो।

फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब

835. श्री अशोक प्रधान:
[illegible]:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक के पास कितने-कितने वायुयान हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गई राजसहायता/सहायता की क्लबवार राशि क्या है; और

(ग) नागर विमानन निदेशालय के द्वारा इनमें से प्रत्येक क्लब को क्या दर्ज प्रदान किया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उड़ान/ग्लाइडिंग क्लबों का स्तर प्रदान करने की कोई प्रणाली नहीं है।

विवरण

उड़ान/ग्लाइडिंग क्लबों तथा राज्य का नाम जहां ये अवस्थित हैं	विमान/ ग्लाइडरों की संख्या	नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दी गई राजसहायता (इम्दाद) (लाख रुपये में) (लगभग)		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
I. सरकारी आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत उड़ान क्लब/स्कूल/संस्थाएं/ग्लाइडिंग क्लब				
(क) उड़ान क्लब/स्कूल/संस्थाएं				
(1) उत्तर प्रदेश				
राजकीय उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ (उ.प्र.) कानपुर, फैजाबाद और वाराणसी में 3 शाखाएं	12	13.81	11.01	13.73
(2) अन्य राज्य				
अण्डमान निकोबार उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	1	शून्य	शून्य	शून्य
आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	8	10.84	2.95	5.33
आसाम फ्लाइंग क्लब, गुवाहाटी (आसाम)	2	शून्य	शून्य	शून्य
बिहार उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, पटना (बिहार)	5	शून्य	2.65	शून्य
जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब जमशेदपुर (बिहार)	3	3.65	7.11	6.49

1	2	3	4	5
दिल्ली फ्लाइंग क्लब, दिल्ली	12	4.02	शून्य	शून्य
गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ौदा, (गुजरात)	9	15.14	10.18	8.13
हिसार विमानन क्लब, हिसार (हरियाणा)	5	3.54	2.37	0.37
करनाल विमानन क्लब, करनाल (हरियाणा)	6	8.42	2.00	4.37
पिंजोर विमानन क्लब पिंजोर (हरियाणा)	4	4.26	3.99	3.83
राजकीय उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, बंगलौर (कर्नाटक)	6	शून्य	20.55	1.76
केरल विमानन प्रशिक्षण संस्थान, तिरुवनन्तपुरम (केरल)	4	2.24	3.64	1.84
मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर, भोपाल में एक शाखा सहित (मध्य प्रदेश)	12	33.38	21.65	10.37
अजन्ता फ्लाइंग क्लब, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	–	शून्य	शून्य	शून्य
बम्बई फ्लाइंग क्लब, मुम्बई (महाराष्ट्र)	8	2.42	2.06	2.14
नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर (महाराष्ट्र)	5	शून्य	शून्य	शून्य
राजकीय विमानन प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	4	शून्य	शून्य	शून्य
अमृतसर विमानन क्लब, अमृतसर (पंजाब)	4	3.97	3.51	1.49
लुधियाना विमानन क्लब, लुधियाना (पंजाब)	6	7.30	8.94	4.59

1	2	3	4	5
नॉर्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालंधर कैन्ट (पंजाब)	5	शून्य	6.84	10.39
पटियाला विमानन क्लब, पटियाला (पंजाब)	6	1.09	4.79	4.65
वनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग क्लब (राजस्थान)	1	शून्य	शून्य	शून्य
राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर (राजस्थान)	4	7.59	6.77	3.24
कोयम्बटूर विमानन प्रशिक्षण अकादमी, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	6	0.42	शून्य	शून्य
मद्रास फ्लाइंग क्लब, चेन्नई (तमिलनाडु)	7	3.88	शून्य	3.43
राजकीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	4	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) ग्लाइडिंग क्लब				
(1) उत्तर प्रदेश				
ग्लाइडिंग तथा सोरिंग केन्द्र, आईआईटी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	4	0.80	0.54	0.96
(2) अन्य राज्य				
बिहार उड़ान संस्थान, ग्लाइडिंग विंग, रांची (बिहार)	3	शून्य	शून्य	शून्य
जमशेदपुर ग्लाइडिंग क्लब, (बिहार)	–	3.33	2.33	1.30
दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब (दिल्ली)	7	3.05	2.96	2.30

1	2	3	4	5
अहमदाबाद ग्लाइडिंग एवं उड़ान क्लब (गुजरात)	5	1.66	0.77	0.58
हिसार विमानन क्लब (हरियाणा)	5	3.77	0.19	0.87
पिंजोर विमानन क्लब (हरियाणा)	5	5.77	1.80	1.20
देवलाली ग्लाइडिंग क्लब, नासिक (महाराष्ट्र)	6	4.46	3.36	3.47
राजकीय ग्लाइडिंग केन्द्र, पुणे (महाराष्ट्र)	13	पूरे बजट का वहन सरकार (नागर विमानन महानिदेशालय) द्वारा किया जाता है।		
लुधियाना विमानन क्लब, ग्लाइडिंग विंग (पंजाब)	2	1.45	0.49	शून्य
नॉर्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, (ग्लाइडिंग विंग) जालंधर (पंजाब)	2	शून्य	शून्य	शून्य
बिरला ग्लाइडिंग क्लब, पिलानी (राजस्थान)	4	0.74	1.72	0.53
राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल (ग्लाइडिंग विंग) जयपुर	1	शून्य	शून्य	शून्य
II. नागर विमानन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन				
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज, (उत्तर प्रदेश)	11	सरकार, एयर इंडिया लि. और इंडियन एयरलाइंस लि. से वित्त पोषित		
III. निजी फ्लाइंग क्लब/स्कूल/संस्थाएं जो सरकार की आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत नहीं आते हैं।				
(1) उत्तर प्रदेश				
गर्ग एविएशन लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)	3			

1	2	3	4	5
(2) अन्य राज्य				
विंग्स एविएशन प्रा.लि. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	3			
फ्लाइटेक एविएशन अकादमी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	7			
टाटानगर एविएशन, जमशेदपुर (बिहार)	6			
अहमदाबाद विमानन अकादमी (गुजरात)	9			
कावंर एविएशन (प्रा.) लि. अकादमी, बेलगांव (कर्नाटक)	3			
बंगलौर एरोनॉटिक्स टेक्निकल सर्विसेज प्रा.लि. (बैट्रस)' बंगलौर (कर्नाटक)	3			
तनेजा एरोस्पेस एण्ड एविएशन लि. बंगलौर (कर्नाटक)	5			
उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंड इंस्टीट्यूट प्रा.लि. (पुनर्नामित फ्रैंक एयरवेज प्रा.लि.) इंदौर (मध्य प्रदेश)	6			
ओरिएण्ट फ्लाइट स्कूल पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	5			
राजपुताना विमानन अकादमी, कोटा (राजस्थान)	4			
टेट्रा विमानन अकादमी, सेलम (तमिलनाडु)	3			

पाकिस्तानी सेना द्वारा नदियों के बहाव को भारत की ओर मोड़ा जाना

836. **श्री आर.एस. गवई:**
डा. उल्हास वासुदेव पाटील:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तानी सैनिक इंजीनियरों ने सतलज और रावी नदियों का रुख भारतीय सीमा में पंजाब की ओर मोड़ दिया था;

(ख) यदि हां, तो इससे भारतीय सेना और पंजाब के ग्रामीणों द्वारा उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तानी कार्यवाही का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हाँ। पाकिस्तान द्वारा तटबंध और भुजारोध (स्पर) बनाए जाने से रावी और सतलुज नदियों का मार्ग बदल गया था, जिससे 1993 से 1995 के दौरान 17.26 किलोमीटर क्षेत्र की बाढ़ और फ्लड लाइटिंग वह गई थी और 28.16 किलोमीटर क्षेत्र की बाढ़ तथा फ्लड लाइटिंग को क्षति पहुँची थी। साथ ही कुछ सीमावर्ती चौकियों को खतरा पैदा हो गया था।

(ग) यद्यपि पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर में पहले 1997 में कुछ मरम्मत कार्य पूरा किया गया था, तथापि कुछ और बाढ़ बचाव परियोजनाएं "उच्च प्राथमिकता" सूची में रखी गई हैं।

एअर इंडिया को हुई हानि

837. **श्री माधवराव पाटील:**
श्री टी. गोविन्दन:
श्री टी.आर. बालू:
श्री के.पी. मोहनन:
श्री चन्दू लाल अजमीरा:
श्री अभय सिंह एस. भींसले:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1998 में 'इंडियन एक्सप्रेस' में "वी आर ब्रोक, नीड गवर्नमेंट हेल्प: एअर इंडिया" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी, हां यह समाचार मुख्यतया एअर इंडिया के प्रबंध-निदेशक द्वारा एअर इंडिया को हो रहे घाटे के विषय में दी गई सूचना और इन घाटों को बराबर करने की दिशा में उठाए गए कदमों/प्रस्तावित उपायों से संबंधित है।

(ग) विनिवेश आयोग ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में एअर इंडिया की पुन: संरचना/विनिवेश की सिफारिश की है। आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:

(1) सरकारी इक्विटी के रूप में 1000 करोड़ रुपये लगाना और अंत में एअर इंडिया में सरकारी शेयर-धारिता को कम करते हुए 40 प्रतिशत तक ला देना।

(2) विश्वव्यापी बोलियों के आधार पर 40 प्रतिशत तक धारिता वाली एक सामरिक भागीदारी आरंभ करना।

(3) अंतर्देशीय संस्थागत निवेशकों को 10 प्रतिशत ईक्विटी की पेशकश और छोटे-छोटे निवेशकों और कर्मचारियों को 10 प्रतिशत तक इक्विटी की पेशकश।

आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कम लागत वाले मकानों का निर्माण

838. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के अनेक शिष्टमंडलों को कम लागत के मकानों के निर्माण की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1997 तथा 1998 के दौरान विदेशों में भेजे गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्हें किन-किन देशों में भेजा गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) जी, हां। उन व्यक्तियों तथा देशों के नाम, जहां 1997 और 1998 के दौरान ये शिष्टमंडल भेजे गए हैं, इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	अधिकारियों/व्यक्तियों के नाम	देशों/शहर का नाम	दौरे की अवधि
1.	श्री स्वरूप चंद राजन, विधायक		
2.	श्री साहब सिंह चौहान, विधायक	सिंगापुर	7.9.98
3.	श्री रनवीर सिंह विधूड़ी, विधायक	बैंकाक	से
4.	श्री महाबल मिश्रा, पार्षद, दि.न.नि.	मनीला हनोज और	19.9.98
5.	मि. डेवाग्य भार्गव, पार्षद, दि.न.नि.	नो-ची-मिन्ह सिटी	
6.	श्री वी.एन. बन्सल, आयुक्त, सह-सचिव, डीडीए		
7.	श्री के.के. बंधोपाध्याय, अपर आयुक्त (आयोजना) डीडीए		
8.	श्री ए.के. जैन, अपर आयुक्त (आयोजना) डीडीए		
9.	श्री के. महेश, ओएसडी, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय		
10.	श्री के.के. भंडारी, सदस्य, डीडीए	जापान	7.11.98 से
11.	श्री विजय रिसबाद, आयुक्त (आयोजना) डीडीए	मलेशिया	22.11.98
12.	श्री एस.सी. टायल, निदेशक (आयोजना)	थाइलैंड	
13.	श्री प्रकाश नरायन, निदेशक (आयोजना) डीडीए	सिंगापुर व संघाई	
14.	श्री अशोक आचार्य, दिल्ली के उपराज्यपाल के ओएसडी	(चीन)	

शिष्टमंडल ने अभी तक सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[अनुवाद]

सेना द्वारा मीडिया को जानकारी देना

839. श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्री एम. राजैया:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 सितम्बर, 1998 के "एशियन एज" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "ब्युरोक्रेट्स अपसेट ओवर आर्मी ब्रीफिंग" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) मामले को ठीक-ठाक करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) रक्षा स्थापनाओं के वरिष्ठ अफसरों द्वारा प्रचार माध्यमों को दी जाने वाली सूचना की व्यवस्था को अधिक कारगर बनाने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रेस के साथ प्रभावी सामंजस्य, पूर्ण, सूचनात्मक और सटीक पारस्परिक संबंध कायम करना है। इन सूचनाओं में रक्षा स्थापना की सशस्त्र सेनाओं और सिविलियन संघटकों से संबंधित जानकारी इस प्रकार शामिल की जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर तकनीकी आधार पर प्रेस को दी जाने वाली सूचनाओं की पुष्टि की जा सके। प्राधिकृत सूचनाओं के माध्यम से प्रचार माध्यमों को सौहार्दपूर्ण, सटीक और सूचनात्मक जानकारी जारी करने पर किसी के क्षुब्ध होने का प्रश्न नहीं उठता है।

वर्मा को सैन्य हार्डवेयर

840. श्रीमती रानी नरह:
श्री तारिक अनवर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रक्षा उत्पादों के मुख्य क्रेताओं का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए वर्मा के कई आग्रह ठुकरा दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) रक्षा उत्पादन इकाइयां रक्षा उत्पादों का निर्यात मुख्यत: अफ्रीकी क्षेत्र के देशों को कर रही हैं इनमें गोलाबारूद संचार उपस्कर, वैमानिकी सामान और साफ्टवेयर मदें आदि शामिल हैं। कुछ संघटक और उप प्रणालियां कुछ विकसित देशों को भी निर्यात की जा रही है।

(ख) और (ग) विशिष्ट देशों के बारे में यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

[हिन्दी]

फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग

841. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्रियों के बीच एक दीर्घकालीन रक्षा संबंधी सहकार करने के लिए हाल ही में कोई सर्वसम्मति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) प्रधान मंत्री की हाल ही की फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग सहित आपसी हित के कई मुद्दों पर फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इस विचार-विमर्श से दोनों पक्षों की इस दृढ़ इच्छा की पुष्टि हुई कि वे एक दूसरे की सुरक्षा चिन्ताओं और आकांक्षाओं की समझ-बूझ के आधार पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास के साथ ही उत्पादन प्रशिक्षण तथा विभिन्न स्तरों पर रक्षा से संबंधित दौरों के आदान-प्रदान सहित रक्षा आपूर्ति एवं सहयोग के सभी पहलुओं को मजबूत बनाना चाहते हैं।

अहमदाबाद में मंडलीय रेलवे कार्यालय की स्थापना

842. श्रीमती सूर्यकांता पाटील:
श्री हरिन पाठक:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में एक मंडलीय कार्यालय स्थापित करने हेतु रेलवे को भूमि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) उक्त कार्यालय कब से कार्य करना आरंभ कर देगा तथा उसके अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा भूमि मुहैया नहीं करायी गई है। बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा गांधीनगर में भूमि की पेशकश की गई थी। मंडलीय कार्यालय स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा पेशकश की गई भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई थी।

(ग) मंडल को कार्य के लिए चालू करना उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, अवसंरचना के विस्तार पर निर्भर है, उसके लिए उपयुक्त भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है और मंडलीय कार्यालय को चालू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अहमदाबाद मंडल के क्षेत्राधिकार को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान में रोके गए विदेशी पर्यटक

843. **श्री कमलनाथ:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.के. से भारत आ रहे पर्यटकों को कटु अनुभव का सामना करना पड़ा जब उन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चार घंटे तक विमान में ही रोके रखा गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) एक विशिष्ट शिकायत मिलने पर तिलिसी, जार्जिया से आने वाली चार्टर्ड उड़ान संख्या 733 को 03.10.1998 को आव्रजन अधिकारियों ने विमानपत्तन पर रोक लिया था। इस उड़ान में 155 यात्री थे। नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों से परामर्श करने के बाद यात्रियों को क्लीयर कर दिया गया था। नागर विमानन महानिदेशालय ने चार्टर मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए टूर आपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई की है।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा चार्टर उड़ानों की मानीटरिंग को तेज किया जाएगा।

शॉपिंग काम्पलेक्स, वसंत विहार में बुनियादी सुविधाएं

844. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "केन्द्र सरकार आवासीय काम्पलेक्स" वसंत विहार, नई दिल्ली में दुकानों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इन दुकानों में सभी बुनियादी सुविधाएं दे दी गई हैं, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) ऐसी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। 46 में से 23 दुकानें निविदा आमंत्रित करने के बाद लीव और लाइसेंस आधार पर आबंटित की गई।

(ग) और (घ) बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था संबंधी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पूरी कर ली गई है। बिजली कनेक्शन के मामले में प्रत्येक आबंटी को दिल्ली विद्युत बोर्ड में आवेदन करना होगा।

[हिन्दी]

सेना की जबलपुर स्थित वाहन फैक्टरी

845. **श्री दादा बाबूराव परांजपे:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित वाहन फैक्टरी में परम्परागत सैन्य वाहनों का विनिर्माण रोक दिया गया है और यहां, टाटा एवं अशोक लेलैंड की नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए दो प्रकार के नए वाहनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या एक ओर तो उक्त फैक्टरी के कर्मचारी इस नई प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञ हैं और दूसरी ओर कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले लगभग चार हजार कर्मचारियों की कमी है;

(ग) क्या इसमें प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या घट रही है जबकि प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को उनके ट्रेड के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सातवें दशक के उत्तरार्ध में स्थापित की गई वाहन निर्माणी जबलपुर 3 टन, 1 टन और 0.25 टन की पेलोड श्रेणियों में परम्परागत सैन्य यातायात वाहनों का निर्माण कर रही थी। सेना की बदली हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए 1997-98 के दौरान मैसर्स टेल्को और मैसर्स अशोक लेलैंड के प्रौद्योगिकीय सहयोग से क्रमश: 2.5 टन तथा 5/7.5 टन के वाहनों की पेलोड श्रेणी मे नई पीढ़ी के यातायात वाहनों का उत्पादन वाहन निर्माणी जबलपुर में आरंभ कर दिया गया था। ये नये वाहन, जिनका उत्पादन वाहन निर्माणी जबलपुर में चल रहा है, परंपरागत सैन्य वाहनों को प्रतिस्थापित करेंगे।

नये वाहनों के लिए मूल ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी वही है तथा इस प्रौद्योगिकी में कर्मचारी काफी कुशल हैं। तथापि किसी नई मद के उत्पादन के लिए जानकारी और अनुभव आवश्यक है जिसे प्राप्त करने में समय लगता है जिसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

वाहन निर्माणी जबलपुर में कर्मचारियों की मौजूदा संख्या प्रतिवर्ष 8000 वाहनों के उत्पादन पर आधारित स्वीकृत कर्मचारी संख्या से लगभग 3200 कम है। कर्मचारियों की संख्या प्रौद्योगिकी, मशीनों और उपस्करों से जुड़ी है तथा यह सेना की दीर्घकालीन आवश्यकताओं पर भी निर्भर करती है। आयुध निर्माणी बोर्ड कुशलता बढ़ाने के लिए विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर कर्मचारी की नियुक्ति करता है।

ट्रेड प्रशिक्षुओं के मामले में आयुध निर्माणियां प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम के अनुसार प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेवार है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को रोजगार देने की गारंटी नहीं है, किसी भी समयावधि में सरकार की नीति के अनुसार आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षुओं को रोजगार दिया जाता है अथवा उन्हें खपाया जाता है।

[अनुवाद]

गोवा में ग्रेनाइट खनन परियोजना

846. श्री फ्रांसिस्को सारदीना: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गोवा में कुछ ग्रेनाइट खनन परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो मूल रूप से कितनी परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी; और

(ग) गोवा में अब तक कितनी ग्रेनाइट खनन परियोजनाओं की स्थापना की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रेनाइट खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के तहत अधिसूचित एक गौण खनिज है तथा इस अधिनियम की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। अत: ग्रेनाइट हेतु खनिज रियायतें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई गौण खनिज रियायत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दी जाती हैं। गोवा सहित, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की गई ग्रेनाइट परियोजनाओं की सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

जलगांव विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

847. डा. उल्हास वासुदेव पाटील: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलगांव विमानपत्तन के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या जलगांव विमानपत्तन आधुनिकीकरण के लिए जलगांव नगर निगम परिषद् को सुपुर्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए जलगांव नगर निगम परिषद् को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या जलगांव से नियमित विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) जी, नहीं। जलगांव विमानपत्तन महाराष्ट्र राज्य सरकार का है।

(घ) और (ङ) किसी भी अनुसूचित एयरलाइन ने जलगांव विमानपत्तन के लिए/से प्रचालन करने में रुचि नहीं दिखाई है।

धर्मपुरी और मोरापुर के बीच नई रेल लाईन बिछाना

848. श्री के.पी. मोहन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दक्षिण रेलवे के अंतर्गत धर्मपुरी और मोरापुर के बीच नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर पहले कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रेल लाईन कब तक बिछा दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में हथियार और गोलाबारूद एकक स्थापित करना

849. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार में राजगीर में एक नया हथियार और गोलाबारूद एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का बिहार में आयुध कारखाने के लिए विधिवत अनुमोदित स्थल को कोडरमा से राजगीर स्थानान्तरित करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं;

(ङ) राजगीर में आयुध कारखाना स्थापित किए जाने से कितने परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है;

(च) विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(छ) क्या सरकार का कृषि भूमि से विस्थाति होने वाले किसानों को रोजगार देने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) इस समय कोई नई हथियार फैक्टरी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार गोलाबारूद/प्रणोदन फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता की जांच कर रही है।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) स्थल चयन समिति द्वारा फरवरी, 1987 में प्रस्तुत की गई अपनी अंतिम रिपोर्ट में बिहार के कोडरमा जिले के निर्माण स्थल को अत्यंत कम प्राथमिकता दी थी। इसीलिए इस पर कभी भी विचार नहीं किया गया था।

(ङ) से (छ) निर्माण स्थल का अंतिम रूप से चयन होने के बाद ही इसका पता चल सकेगा।

[हिन्दी]

यात्रियों को ओजोनयुक्त जल की आपूर्ति

850. श्री प्रभु दयाल कठेरिया:
डा. ए.के. पटेल:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की रेल यात्रियों को नि:शुल्क ओजोनयुक्त जल उपलब्ध कराये जाने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और इस योजना को किन-किन रेलवे स्टेशनों पर शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं। बहरहाल, यात्रियों को स्टेशनों पर नि:शुल्क पीने योग्य पानी सुलभ कराया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बी.जी.एम.एल. के लिए रेल डिब्बों का निर्माण

851. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के लिए रेल डिब्बों के निर्माण हेतु आदेश प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय से सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) खान विभाग ने रेल के डिब्बे बनाने के आर्डर प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय से सम्पर्क नहीं किया है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के पास रेल डिब्बे बनाने की कोई सुविधा नहीं है। तथापि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को, निविदा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप, फरवरी, 1998 में कुल 3.02 करोड़ रु. के 60 बाक्स प्रकार के वैगनों का विकासात्मक आर्डर मिला है जिनमें से 3 प्रोटो-टाइप का निर्माण कर आर डी एस ओ, बंगलौर से मंजूर कराना है उसके बाद शेष मात्रा का क्रियान्वयन करना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सेना भर्ती केन्द्र में कदाचार

852. श्री हरि केवल प्रसाद: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना भर्ती केन्द्र बनारस, उत्तर प्रदेश में भर्ती के दौरान कभी कोई छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कितनी भर्तियां हुई जो अफसरों की सांठगांठ से की गई थी; और

(ग) इस केन्द्र में हो रही अनियमितताओं और कदाचार की जांच हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियां

853. प्रो. पी.जे. कुरियन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के भूतपूर्व सेना अध्यक्ष ने 1990 में अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ जम्मू और कश्मीर में उस समय घुसपैठ की थी जब इस्लामाबाद द्वारा चलाया जा रहा आतंकवाद जोरों पर था जैसाकि दिनांक 21 अक्तूबर, 1998 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रण रेखा का नक्शों पर चिन्हांकन शिमला समझौते के बाद किया गया था। यह स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य प्राकृतिक आकृति के साथ-साथ नहीं चलती अपितु ऊबड़ खाबड़ और दुर्गम भू भाग में से होकर गुजरती है। इसका भूमि पर अंकन नहीं किया गया है तथा सीमा को दर्शाने वाले कोई खम्भे भी मौजूद नहीं हैं। उस भूमि की स्थिति को देखते हुए स्थानीय कमांडरों में उस पर नैतिक आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति रहती है। 1990 और 1991 में जब पाकिस्तानी सहायता से विद्रोह चरम सीमा पर था तो पाक सेना ने जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा पार करने के लिए कई असफल प्रयास किये थे।

[हिन्दी]

मजदूरों की सेवाओं को नियमित करना

854. श्रीमती शीला गौतम:
श्री रामेश्वर पाटीदार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेल मंत्रालय में बड़ी संख्या में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों की सेवा को इस वित्तीय वर्ष में नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्टीम लोकोशेडों के बन्द होने तथा अन्य कारणों से बेरोजगार हुये दिहाड़ी मजदूरों को पुन: रोजगार देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) संभवत: इसका आशय रेलों पर दर्ज नैमित्तिक श्रमिकों से है। रेलों पर नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या 30.9.98 को 504 थी। अदालती मामलों, सतर्कता मामलों, अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत मामलों के कारण उनको नियमित करने का काम रुका हुआ है। उनको नियमित करने के कार्य में तेजी लाने के प्रयास जारी हैं।

(ग) और (घ) संभवत: इसका आशय कार्य की समाप्ति पर और/या रेलों पर आये कार्य की कमी के कारण विगत में छंटनी किए गए नैमित्तिक श्रमिकों से है। उन नैमित्तिक श्रमिकों, जिनके नाम रेलों के चालू नैमित्तिक श्रमिकों के रजिस्टर/पूरक चालू नैमित्तिक श्रमिकों के रजिस्टर में मौजूद हैं, की नैमित्तिक श्रमिक के रूप में सेवा के दिनों की संख्या के आधार पर वरीयता के अनुसार उनकी बारी आने पर समाहन हेतु विचार किया जाना है। इस संबंध में भाप रेल इंजन शेडों के लिए अलग से कोई आदेश नहीं हैं।

[अनुवाद]

भारतीय रेल का निष्पादन

855. श्री अमर पाल सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल का निष्पादन स्तर घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए उत्तरदायीकारक क्या हैं; और

(ग) रेलवे के निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्य निष्पादन के जो सुधार किए गए हैं उनमें अन्यों के साथ-साथ परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता और उपयोग में वृद्धि करना, गाड़ी परिचालन में समयपालन और संरक्षा में सुधार करना, उर्जा की खपत में कमी करना, विपणन की नवीनतम नीतियां तथा कार्य संचालन खर्चों में कटौती करना आदि शामिल हैं।

सैन्य बलों में वेतन संबंधी असमानता

856. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के पश्चात् बराबर के रैंक में चयनित नौसेना के अधिकारी तथा तटरक्षक अधिकारी के वेतन, भत्तों तथा रैंक में असमानता बढ़ गई है जिसके परिणामस्वरूप जब तक नौसेना का एक अधिकारी लेफ्टीनैंट कमांडर के रैंक तक पहुंचता है, उसका समस्तरीय तटरक्षक अधिकारी का रैंक कमाडेंट का होता है तथा वह अधिक वेतन प्राप्त करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) तटरक्षक संगठन को सीमा सुरक्षा बल जैसे केन्द्रीय अर्ध सैन्य बलों की पद्धति पर खड़ा किया गया था जबकि नौसेना कार्मिक सशस्त्र सेनाओं के योधी कार्मिक होते हैं। दोनों ही संगठनों पर अलग-अलग अधिनियम लागू होते हैं। अत: इन दोनों संगठनों की तुलना नहीं की जा सकती और इसीलिए इन दोनों संगठनों के कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते भिन्न-भिन्न हैं।

नौसेना और तटरक्षक बल के बीच कोई रैंक समानता नहीं रखी गई है क्योंकि तटरक्षक बल की रैंक-संरचना केन्द्रीय पुलिस संगठन के समान है और भर्तियां भी भिन्न-भिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती हैं। अत: भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के अफसरों के बीच आपसी-वरीयता तय करना संभव नहीं है।

तटरक्षक बल के अफसरों और कार्मिकों के वेतनमान मोटे तौर पर केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्मिकों के वेतनमानों और

भत्तों के अनुरूप हैं। तथापि, तटरक्षक बल के कार्मिकों को नौसेना की तरह ही समुद्री सेवा के लिए दिए जाने वाले कतिपय विशिष्ट भत्ते दिए जाते हैं। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने तटरक्षक बल के कमांडेंट के लिए 14300-18300 रुपये के प्रतिस्थापन वेतनमान तथा नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए 11600-14850 रुपये के वेतनमान और 1200 रुपये के रैंक वेतन की सिफारिश की थी। ये वेतनमान लागू कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

ऊर्जा कार्यक्रम हेतु अमरीका से वित्तीय सहायता

857. श्री रामपाल सिंह: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत के ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सहायता के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां।

(ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय जो कि संबंधित मंत्रालय है, से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण ऊर्जा का भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम "कन्ट्री कोऑपरेशन फ्रेमवर्क-1 (सी सी एफ-1) 1997-2001" के अंतर्गत सहायता के एक क्षेत्र के रूप में पता लगाया गया है। ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सहायता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली प्रदान करने की भारत सरकार की चालू गतिविधियों में सहायता करना, ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम बनाने, उसका प्रबंध करने और उसको लागू करने की क्षमता विकसित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत ऊर्जा की उपलब्धता प्रदर्शित करना है।

(ग) भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम "कन्ट्री कोआपरेशन फ्रेमवर्क-1 (सी सी एफ-1) 1997-2001" के अंतर्गत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित सहायता दस्तावेज पर 11.8.98 को हस्ताक्षर किए गए हैं। कार्यक्रम की अवधि के दौरान विशिष्ट उप कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता प्राप्त होगी।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का विकास

858. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन में हाल में किये जा रहे विकास संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) प्रस्तावित विकास संबंधी कार्यकलापों को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर निम्नलिखित विकास कार्य आरंभ किये गये हैं:-

(1) एप्रन का विस्तार कार्य दिसम्बर, 1998 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(2) अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के वातानुकूलन के दिसम्बर, 1998 तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(3) टर्मिनल भवन के अंतरिम परिवर्धन का कार्य मार्च, 1999 तक पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति

859. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में हिन्दी सलाहकार समिति स्थापित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक उनकी कोई बैठक हुई है तथा उक्त समितियों द्वारा निकाले जा रहे पत्र/पत्रिकाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राजभाषा कार्यान्वयन समिति में गैर-सरकारी व्यक्तियों को नामित करने के बजाय माननीय संसद सदस्यों को नामित करने का है जो कि हिंदी से संबंधित कार्यों की देखभाल कर सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) (1) इस्पात विभाग; और (2) खान विभाग में पृथक-पृथक रूप से हिंदी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन वर्तमान में विचाराधीन है। अत: इन समितियों की बैठकें करना संभव नहीं हो पाया है। हिंदी सलाहकार समितियों द्वारा कोई पत्रिका प्रकाशित नहीं की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन के संबंध में राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

सियाचिन गाड्र्स के लिए खाद्य सामग्री

860. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जुलाई, 1998 के "द पायनियर" में नो फूड, वूलन्स फार सियाचिन गार्ड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सियाचिन गार्ड्स के लिए आवश्यक मदों की आपूर्ति करने और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए अनिवार्य मदों की सप्लाई पर उच्चतम स्तर पर निगाह रखी जाती है और सभी अड़चनें अति तत्काल दूर की जाती है। सेना तथा वायुसेना द्वारा अनिवार्य पूर्तियां हवाई मार्ग से नियमित रूप से की जाती है। इंडियन एयरलाइंस के माध्यम से अतिरिक्त सिविल वायुयान किराए पर लेने के मामले को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यद्यपि ग्लेशियर क्षेत्र में संक्रियात्मक संचार व्यवस्था संतोषजनक है तथापि, इस क्षेत्र में संचार व्यवस्था को और आधुनिक बनाए जाने की एक परियोजना इस समय विचाराधीन है। सवे-मौसम निगरानी प्रणाली की खरीद को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। अत्यंत शीत मौसम वस्त्र प्रणाली की विंटर स्टाकिंग पूर्णतया संतोषजनक है। चूंकि विगत में सप्लाई किए गए दस्ताने इस क्षेत्र में अत्यंत ठंड की स्थितियों के पूरी तरह अनुरूप नहीं थे इसलिए इस क्षेत्र में पड़ने वाली ठंड के अनुरूप जांचे-परखे गए दस्तानों का आयात करने के लिए ठेका दे दिया गया है और शीघ्र ही सप्लाई किए जाने की संभावना है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर धन एकत्रित करना

861. श्री श्रीराम चौहान: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 और 1997 के दौरान सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर कुल कितना धन एकत्रित किया गया तथा राज्यवार इसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): वर्ष 1996 में सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा 10,87,95,226 रुपये (केवल दस करोड़ सतासी लाख पिचान्वे हजार दो सौ छब्बीस रुपये) की धनराशि एकत्र की गई थी। राज्य और संघ शासित प्रदेश-वार एकत्र की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वर्ष 1997 के लिए राज्य और संघ शासित प्रदेशों से एकत्रित किये गये धन का विवरण 7 दिसंबर, 1998 के बाद ही पता लग सकेगा।

विवरण

झंडा दिवस निधि का राज्य-वार विवरण-1996

क्र.सं.	राज्य	धनराशि (रुपये)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	24,26,726
2.	अरूणाचल प्रदेश	-
3.	असम	1,22,999
4.	बिहार	6,06,676
5.	दिल्ली	8,21,066
6.	गोवा	89,931
7.	गुजरात	22,14,566

1	2	3
8.	हरियाणा	7,70,401
9.	हिमाचल प्रदेश	2,79,290
10.	जम्मू तथा कश्मीर	4,36,707
11.	कर्नाटक	1,04,16,755
12.	केरल	34,35,544
13.	मध्य प्रदेश	24,30,557
14.	महाराष्ट्र	4,04,03,991
15.	मणिपुर	5,535
16.	मेघालय	1,10,776
17.	मिजोरम	45,185
18.	नागालैंड	26,695
19.	उड़ीसा	25,061
20.	पंजाब	16,27,000
21.	राजस्थान	19,00,000
22.	सिक्किम	33,743
23.	तमिलनाडु	3,47,08,220
24.	त्रिपुरा	12,227
25.	उत्तर प्रदेश	48,41,068
26.	पश्चिम बंगाल	3,27,721
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	60,904
28.	चंडीगढ़	1,43,036
29.	पांडिचेरी	4,72,846
	कुल	10,87,95,226

आई.डी.एस. एंड एम.टी. के अंतर्गत सहायता

862. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में किन-किन अधिसूचित क्षेत्र समितियों और नगरपालिकाओं को लघु और मध्यम दर्जे के समन्वित विकास शहर योजना के अंतर्गत विकास के लिए शामिल किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इस योजना के अंतर्गत किन-किन शहरों को शामिल किये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) लघु तथा मध्यम शहरों, (आई डी एस एम टी) की केन्द्र प्रायोजित एकीकृत विकास स्कीम के अंतर्गत गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान आई डी एस एम टी स्कीम के अंतर्गत 10 शहरों को शामिल किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) गुजरात सरकार ने 11 शहरों की प्राथमिकता सूची प्रस्तुत की है, जिसमें से 10 शहरों को पहले ही शामिल कर लिया गया है। शेष एक शहर अर्थात डकौर का सिद्धान्तत: दिनांक 10 फरवरी 1997 को आयोजित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति में अनुमोदन कर दिया गया है लेकिन यह नए शहरों के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान आई डी एस एंड एम टी के अंतर्गत सम्मिलित नए नगर और गत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक को जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

वर्ष	नगर का नाम	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	
1	2	3	
1995-96	1. बावला	22.50	
	2. मोदासा	22.50	
	3. इदार	15.00	
	4. आनन्द-1	55.00	
	उप जोड़	115.00	
1996-97	5. बारदोली	30.00	
	6. जामनगर	33.00	
	7. भावना नगर	33.00	
	8. द्वारका	14.00	
	9. बावला	7.50	पहली किस्त का शेष
	10. मोदासा	7.50	(वही)
	11. इदार	5.00	(वही)
	12. आनन्द-1	15.00	(वही)

1	2		3
1997-98	13. अम्बाजी	7.55	
	14. मांडवी	13.00	
	15. जामनगर	57.00	पहली किस्त का शेष
	16. भावना नगर	57.00	(वही)
	17. द्वारका	16.00	(वही)
	18. बावला	19.00	दूसरी किस्त का शेष
	19. इदार	20.00	(वही)
	20. आनन्द-1	44.00	(वही)
	उप जोड़	233.55	
	कुल जोड़	493.55	

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए नौकरी

863. श्री अजय मुखोपाध्याय: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए नौकरी के अधिक अवसर सृजित करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वास्तव में लाभान्वित हुए व्यक्तियों तथा नौकरी प्राप्त व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक योजना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) क्या उक्त योजनाओं को शुरू करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम और डवाकरा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख रोजगार

योजनाएं हैं। इन योजनाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रत्येक योजना के लिए आवंटित की गई कुल राशि और वास्तव में लाभान्वित हुए लोगों की कुल संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I से IV में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) ये कार्यक्रम पूरे देश में कार्यान्वित किये जा रहे हैं और लाभार्थियों का चयन संबंधित योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए पात्रता मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

विवरण I

1996-97, 1997-98 व 1998-99 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन और उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (रु. लाख में)			उपलब्धि (श्रम दिन लाख में)		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17372.39	19410.49	14629.93	330	311	57
2.	अरुणाचल प्रदेश	178.30	199.21	321.65	3	3	0
3.	असम	5718.18	6389.03	8357.73	92	108	12
4.	बिहार	34075.58	38073.25	47925.96	460	538	107
5.	गोवा	192.65	215.25	215.25	5	3	0
6.	गुजरात	6376.25	7124.30	5506.98	105	83	15
7.	हरियाणा	1531.81	1711.53	3239.85	13	16	2
8.	हिमाचल प्रदेश	612.16	683.98	1364.43	11	10	2
9.	जम्मू व कश्मीर	1243.93	1389.86	1688.66	18	24	10

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	11665.34	13033.90	11047.66	251	266	43
11.	केरल	4244.16	4742.08	4957.05	55	42	8
12.	मध्य प्रदेश	22014.51	24597.23	24292.41	349	347	54
13.	महाराष्ट्र	18937.55	21159.28	21838.53	455	528	58
14.	मणिपुर	228.53	255.34	560.30	3	2	0
15.	मेघालय	267.40	298.78	627.74	7	5	0
16.	मिजोरम	112.65	125.86	145.26	2	2	1
17.	नागालैंड	286.64	320.26	430.60	12	9	7
18.	उड़ीसा	14093.11	15746.50	16733.63	314	300	54
19.	पंजाब	1089.39	1217.19	1574.54	8	13	4
20.	राजस्थान	9146.40	10219.44	8388.86	168	196	46

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	104.36	116.60	160.83	3	3	0
22.	तमिलनाडु	15704.96	17547.45	12936.06	489	389	136
23.	त्रिपुरा	296.83	331.65	1011.64	10	7	10
24.	उत्तर प्रदेश	42334.91	47301.56	52742.94	658	599	197
25.	पश्चिम बंगाल	15569.34	17395.93	18596.09	179	155	11
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	84.41	94.31	117.89	1	0	0
27.	दा. व न. हवेली	45.81	51.18	77.81	1	0	0
28.	दमन व दीव	26.99	30.16	37.70	1	1	0
29.	लक्षद्वीप	42.32	47.28	59.10	1	1	0
30.	पांडिचेरी	82.64	92.34	115.42	3	1	0
	कुल	223679.50	249921.18	259702.47	4006	3961	833

*सितम्बर 1998 तक

विवरण II

1996-97, 1997-98 व 1998-99 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन और उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आबंटन (रु. लाख में)			कुल उपलब्धि (श्रम दिन लाख में)		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	25137.50	20925.00	20825.00	437.35	488.26	142.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	2126.25	2362.50	1162.50	39.05	43.66	9.23
3.	असम	13525.00	10740.00	3110.00	162.38	207.76	52.12
4.	बिहार	26556.25	22792.50	10757.50	324.49	420.45	136.04
5.	गोवा	100.00	175.00	225.00	0.00	2.92	.1.94
6.	गुजरात	7312.50	5400.00	1887.50	122.98	92.71	29.17
7.	हरियाणा	3350.00	3337.50	325.00	24.10	20.18	5.34
8.	हिमचाल प्रदेश	1987.50	3187.50	1200.00	13.44	36.65	13.22
9.	जम्मू व कश्मीर	4825.00	5950.00	5950.00	91.64	132.17	22.48
10.	कर्नाटक	14450.00	13250.00	6187.50	314.18	349.41	90.3

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	3562.50	4986.25	2201.25	28.76	47.26	27.24
12.	मध्य प्रदेश	28337.71	26884.81	15103.75	379.22	447.46	170.05
13.	महाराष्ट्र	8412.50	14168.14	5688.59	309.72	363.24	93.76
14.	मणिपुर	1350.00	1012.50	250.00	16.72	15.38	4.47
15.	मेघालय	612.50	275.00	0.00	5.90	7.72	3.01
16.	मिजोरम	1500.00	1000.00	1000.00	32.26	17.88	9.69
17.	नागालैंड	3482.50	2625.00	1312.50	72.65	104.54	24.92
18.	उड़ीसा	20534.44	18401.98	10427.50	439.36	382.14	95.69
19.	पंजाब	1225.00	2300.00	0.00	एन.आर.	4.55	4.01
20.	राजस्थान	12987.50	11581.25	6656.25	212.65	250.06	73.9
21.	सिक्किम	275.00	275.00	0.00	4.45	7.41	0

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	18406.25	23400.00	11700.00	468.42	558.28	201.83
23.	त्रिपुरा	2700.00	1800.00	900.00	44.73	54.46	15.63
24.	उत्तर प्रदेश	26630.94	39310.08	18656.04	319.94	522.76	205.85
25.	पश्चिम बंगाल	12712.50	9737.50	687.50	162.76	138.6	23.19
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	0.00	80.00	0.00	0.32	0.14	0.14
27.	दा. व न. हवेली	60.00	30.00	0.00	0.47	0.72	0.12
28.	दमन व दीव	20.00	0.00	0.00	0.02	0.34	0.03
29.	लक्षद्वीप	140.00	0.00	0.00	2.06	1.46	0.82
30.	पांडिचेरी	60.00	60.00	0.00	एन.आर.	0.14	0
	कुल	242379.34	246047.51	126213.38	4030.02	4717.71	1456.83

राज्यवार आवंटन निर्धारित नहीं किया जाता है। रिलीज के आंकड़ों को आवंटन माना जाता है।

*सितम्बर 1998 तक

विवरण III

1996-97, 1997-98 व 1998-99 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन और उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (रु. लाख में)			(लाभार्थियों की संख्या)		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8336.41	8612.23	8147.91	203135	162117	35684
2.	अरुणाचल प्रदेश	620.49	644.07	644.06	4956	12799	2635
3.	असम	2749.50	2834.27	4684.71	23062	39585	5947
4.	बिहार	15218.24	15754.81	26691.63	241026	196849	53062
5.	गोवा	141.87	146.57	18.78	1982	897	445
6.	गुजरात	3059.22	3160.43	3067.02	47545	41822	14748
7.	हरियाणा	735.33	759.67	1804.39	17202	10853	3234
8.	हिमाचल प्रदेश	239.78	247.71	759.89	7990	5548	1501
9.	जम्मू व कश्मीर	999.09	1032.15	940.48	7929	13643	5415

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	5594.91	5780.01	6152.83	116900	94688	15606
11.	केरल	2036.15	2103.50	2760.75	48690	44191	12377
12.	मध्य प्रदेश	10565.39	10914.93	13529.29	168123	138810	26982
13.	महाराष्ट्र	9087.73	9388.40	12162.63	161018	147640	40678
14.	मणिपुर	449.59	464.47	464.48	7256	4258	
15.	मेघालय	477.57	493.36	493.36	6822	5167	1409
16.	मिजोरम	201.82	208.50	208.50	1360	2876	1053
17.	नागालैंड	335.69	346.81.	346.80	2915	3433	
18.	उड़ीसा	6763.85	6987.62	9319.53	91249	75343	17780
19.	पंजाब	521.53	538.77	876.91	7160	6107	2846
20.	राजस्थान	4388.01	4533.18	4672.05	70304	60819	11003

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	55.95	57.79	89.57	1483	1792	486
22.	तमिलनाडु	7537.14	7786.50	7204.54	152597	180696	60219
23.	त्रिपुरा	641.42	662.64	662.64	13725	11668	464
24.	उत्तर प्रदेश	20316.50	20988.66	29374.37	364552	351146	131677
25.	पश्चिम बंगाल	7472.20	7719.41	10356.80	110280	91733	36574
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	70.94	73.29	73.29	276	628	52
27.	दा. व न. हवेली	14.99	15.49	43.75	168	179	47
28.	दमन व दीव	27.97	28.90	28.90	178	188	29
29.	लक्षद्वीप	6.99	7.22	7.22	30	27	2
30.	पांडिचेरी	57.95	59.87	59.87	1293	1107	40
	अखिल भारत	109721.16	113351.23	145616.95	1881206	1706609	481995

*सितम्बर 1998 तक

विवरण I

1996-97, 1997-98 व 1998-99 के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत आबंटन और उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (रु. लाख में)			प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं की संख्या		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	684.92	684.92	498.68	83716	9713	6778
2.	अरुणाचल प्रदेश	51.22	51.22	50.94	739	643	0
3.	असम	225.40	225.40	284.88	6277	6884	103
4.	बिहार	1274.48	1274.48	1633.70	34477	23902	11455
5.	गोवा	11.66	11.66	1.14	3863	1314	1645
6.	गुजरात	251.34	251.34	187.72	9371	6198	1709
7.	हरियाणा	60.40	60.40	110.44	3519	703	292
8.	हिमाचल प्रदेश	19.80	19.80	46.50	803	737	124
9.	जम्मू व कश्मीर	140.00	140.00	52.56	4294	1865	1687

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	459.84	459.84	376.58	18096	14379	307
11.	केरल	167.28	167.28	168.96	5036	3046	1500
12.	मध्य प्रदेश	867.96	867.96	828.12	39806	9255	3046
13.	महाराष्ट्र	746.64	746.64	744.48	21447	6335	1914
14.	मणिपुर	36.94	36.94	36.74	362	602	0
15.	मेघालय	39.24	39.24	39.02	352	166	31
16.	मिजोरम	16.58	16.58	16.48	445	300	22
17.	नागालैंड	27.58	27.58	27.42	486	832	0
18.	उड़ीसा	555.72	555.72	570.48	18555	12531	4512
19.	पंजाब	43.00	43.00	53.68	1824	1047	635
20.	राजस्थान	360.52	360.52	285.94	5766	6169	1283

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	4.60	4.60	5 58	660	216	0
22.	तमिलनाडु	619.24	619.24	440.94	7687	3599	5143
23.	त्रिपुरा	52.68	52.68	52.38	2597	3074	638
24.	उत्तर प्रदेश	1669.12	1669.12	1797.98	69272	50371	10731
25.	पश्चिम बंगाल	613.84	613.84	633.96	24199	10513	2719
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	11.74	11.74	11.68	486	287	37
27.	दा. व न. हवेली	4.62	4.62	2.47	75	123	0
28.	दमन व दीव	2.48	2.48	4.59	107	82	20
29.	लक्षद्वीप	1.16	1.16	1.15	12	0	0
30.	पांडिचेरी	5.00	5.00	4.97	8	138	5
	अखिल भारत	9025.00	9025.00	8975.16	364337.00	175024.00	56336

*अक्तूबर 1998 तक

विवरण V

1996-97, 1997-98 व 1998-99 के दौरान उद्ग्रहण के अंतर्गत आवंटन और उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (लाख रु. में)			उपलब्धि (बनाए गए समूहों की सं.)		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	718.75	724.50	870.16	277319	100876	1528
2.	अरूणाचल प्रदेश	44.75	45.11	45.10	1141	1158	13
3.	असम	283.75	286.02	496.94	11751	17489	36
4.	बिहार	760.50	766.58	2850.12	33661	31570	991
5.	गोवा	9.00	9.07	2.02	961	540	12
6.	गुजरात	258.25	260.32	327.60	12751	16688	241
7.	हरियाणा	146.50	147.67	192.78	7707	5784	73
8.	हिमाचल प्रदेश	76.00	76.61	81.14	1331	3724	177
9.	जम्मू व कश्मीर	220.00	221.76	100.54	7569	8156	152
10.	कर्नाटक	387.00	390.10	656.96	27314	23446	447

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	180.00	181.44	298.84	9881	12977	761
12.	मध्य प्रदेश	698.75	704.34	1444.72	12790	33160	160
13.	महाराष्ट्र	572.00	576.58	1298.80	30492	28177	530
14.	मणिपुर	61.25	61.74	61.74	3657	488	0
15.	मेघालय	110.00	110.88	110.88	4775	2897	21
16.	मिजोरम	17.00	17.14	17.14	710	625	18
17.	नागालैंड	30.50	30.74	30.74	2238	1705	0
18.	उड़ीसा	405.75	409.00	995.14	28452	23502	814
19.	पंजाब	165.75	167.08	893.74	6401	6920	145
20.	राजस्थान	309.50	311.98	498.96	7939	4322	0

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	43.50	43.85	43.84	259	1388	53
22.	तमिलनाडु	487.75	491.65	769.36	22550	27483	989
23.	त्रिपुरा	22.50	22.68	22.68	1711	2103	100
24.	उत्तर प्रदेश	1882.08	1025.14	3136.14	48829	78215	4598
25.	पश्चिम बंगाल	451.50	455.11	1106.02	22087	26589	859
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	5.80	7.31	7.31	662	300	18
27.	दा. व न. हवेली	3.20	4.03	4.03	0	0	0
28.	दमण व दीव	2.80	3.53	3.53	90	0	0
29.	लक्षद्वीप	3.20	4.03	4.03	16	26	4
30.	पांडिचेरी	3.20	4.03	4.03	196	188	0
	अखिल भारत	7495.45	7560.00	15571.03	581944	460409	12675

*अक्तूबर, 1998 तक

साबरमती रेलवे स्टेशन का विकास

864. डा. वल्लभ भाई कथीरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ की समस्या होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अत्यधिक भीड़-भाड़ की समस्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे को अहमदाबाद स्टेशन पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए साबरमती रेलवे स्टेशन को विकसित करने तथा वहां से रेलगाड़ी चलाने तथा समाप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) आजकल अहमदाबाद स्टेशन पर कोई भीड़-भाड़ नहीं है। बहरहाल, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस स्टेशन पर निम्नलिखित सुधार किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है:

(1) प्लेटफार्म के दक्षिण सिरे पर नए उपरि पैदल पुल का निर्माण किया गया है जिससे दूसरे प्लेटफार्म पर भीड़ किए बिना स्टेशन इमारत की बाहरी तरफ यात्रियों के सीधे आवागमन की सुविधा हो गई है।

(2) प्लेटफार्म सं. 1 का उपयोग किए बिना स्टेशन इमारत के बाहर जाने के लिए प्लेटफार्म सं. 2 से 12 तक के यात्रियों के सीधे आवागमन के लिए उत्तरी छोर पर उपरि पैदल पुल हेतु नए स्थान का प्रस्ताव है जिससे प्लेटफार्म सं. 1 और परिचालन क्षेत्र पर भीड़-भाड़ कम होगी।

(3) आमान परिवर्तन के कारण प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ायी गयी है ताकि अधिक यात्रियों को स्थान मिल सके।

(ग) जी नहीं। बहरहाल, दिल्ली-अहमदाबाद आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में साबरमती स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कम लागत में निर्माण कार्य

865. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम लागत पर भवन निर्माण करने तथा भवन निर्माण संबंधी सामग्री उपलब्ध कराने और भवन निर्माण संबंधी अन्य पहलुओं के मानकीकरण की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भवन निर्माण की सामग्री के उत्पादन में औद्योगिक और कृषि कचरों के उपयोग के लिए किन-किन प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने कम लागत आवास के लिए मानकों की पुनरीक्षा हेतु भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत एक विशेष विभागीय समिति का गठन किया है। आई एस 8888 जिसमें निम्न आय आवास के लिए दिशानिर्देशों का उल्लेख है। संशोधित किया जा रहा है, उन भवन निर्माण सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकी की सूची संलग्न है, जिनके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक निर्धारित किए हैं। (विवरण-I)

(ग) भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन में औद्योगिक तथा कृषि कचरे का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी का पता लगाकर उसका विकास किया गया है। उन भवन निर्माण सामग्रियों तथा घटकों की सूची संलग्न है जिनका उत्पादन औद्योगिक तथा कृषि कचरे का प्रयोग करके किया जा सकता है। (विवरण-II)

विवरण I

भवन निर्माण सामग्रियों तथा तकनीकों की सूची (विभिन्न आर एण्ड डी संगठनों द्वारा विकसित) जिनके विस्तृत प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य विनिर्देश तैयार किए गए हैं

भवन निर्माण सामग्रियां	भारतीय मानक ब्यूरो कोड
1	2
क्ले-फ्लाई एश ईंटों के लिए विनिर्देश	आई एस: 13757-1993
भवन निर्माण घटक	
प्रीकास्ट कंक्रीट पत्थर के ब्लाकों के लिए विनिर्देश	आई एस: 14213-1994
निर्माण तकनीकें	
फर्श/छत के लिए प्रीकास्ट चैनल यूनिट हेतु विनिर्देश	आई एस: 14201-1994
पुन: बलित कंक्रीट चैनल यूनिटों के साथ फर्श तथा छत के निर्माण के लिए संहिता	आई एस: 14215-1994
फर्श/छत के प्रीकास्ट पुन: बलित कंक्रीट (प्लैंक) के लिए विनिर्देश	आई एस: 13990-1994
प्रीकास्ट पुन: बलित कंक्रीट प्लांक तथा आर सी जाचस्ट के साथ	आई एस: 13994-1994
फर्श और छत की अभिकल्पना और निर्माण के लिए संहिता	
छत के लिए प्रीकास्ट एल पैनल यूनिटों के लिए विनिर्देश	आई एस: 14241-1994
एल पैनल यूनिटों के साथ छत की अभिकल्पना तथा निर्माण के लिए संहिता	आई एस: 14242-1995

1	2
पूर्वनिर्मित ईंटों के चैनल के साथ छत तथा फर्श की अभिकल्पना तथा निर्माण के लिए संहिता	आई एस: 14142-1994
फर्श तथा छत के लिए पूर्वनिर्मित ईंटों के पैनल तथा अंशत: प्रीकास्ट कंक्रीट जॉयस्ट के लिए विनिर्देश	आई एस: 14143-1994

विवरण II

भवन निर्माण सामग्रियों/घटक के उत्पादन के लिए वैकल्पिक औद्योगिक कचरे तथा प्रौद्योगिकी की सूची

क्र.सं.	कचरे का नाम	भवन निर्माण सामग्रियों/उत्पाद का प्रकार
1	2	3
1.	कागजी कचरा	एस्फोल्टिक ग्रफिंग शीट नालीदार/समतल
2.	धान का छिलका	भवन निर्माण सामग्रियों के निर्माण तथा चावल छिलका बाइंडर, फाइबरस बिल्डिंग पैनल, ईंटों इत्यादि का उत्पादन।
3.	अन-पल्प स्ट्रॉ तथा कागज	स्ट्रॉ बोर्ड
4.	बगास	इंसुलेशन बोर्ड वाल पैनल इत्यादि के निर्माण के लिए
5.	बुरादा	पार्टिकलबोर्ड एग्लो बेस्ड पार्टिकल बोर्ड सीमेन्ट बाउंड पार्टिकल बोर्ड, सिमेन्ट बांडेड वुड पार्टिकल बोर्ड, वुड पार्टिकल बोर्ड, वेस्ट वुड पार्टिकल बोर्ड
6.	कपास, यूकेलिप्टस तथा अन्य पेड़ों की लकड़ी	दरवाजों, पैनल/पार्टीशन आदि के लिए एमडीएफ बोर्ड।
7.	जूट	जूट शीट या बोर्ड जूट फारवर पोलिएस्टर पैनल जिप्सम प्लास्टर-फाइवर जूट/सिसल तथा शीशे के पार्टीशन डोर फेम

1	2	3
8	नारियल के रेशे/वुड वूल	सीलिंग पार्टिशन पैनल, कॉयर बोर्ड
9.	सीसल फाइबर	सीसल ग्लास फाइबर पैनल टाइलें, रूफिंग शीट्स
10.	पाइन नीडल फाइबर	पाइन नीडल फाइबर बिटूमेन रूफिंग शीट्स
11.	रबड़ वुड	डोर शटरस
औद्योगिक कचरा		
1.	फ्लाई एश	क्ले उड़नराख ईंटें एवरेटेड लाइटवेट कंक्रीट (ए सी जी) ब्लॉक/स्लैब सेल्यूलर कंक्रीट ब्लाक सिंथाटिक उड़नराख लाइट वेट एग्रीग्रेट (कोल्ड प्रोसेस) उड़नराख कंक्रीट पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट (पी पी सी) लिंटिल उड़नराख सीमेंट की ईंट/ब्लाक सनशेड्स जैसी दरवाजे/खिड़कियों के फेम, रूफ स्लैब, परलिन आदि। रेडी मिक्सड कंक्रीट (आर एम सी) उड़नराख सैंड लाइम ईंट छत, पार्टीशन तथा पैनल के लिए फ्लाई एश फाइबर सीमेंट बोर्ड फ्लाई एश-लाइप-जिप्सम ईंट/ब्लाक प्लाइएश/रेडमड पोलीमर कम्पोजिट कोर फेम कोर स्ट्रिप्स सैंड लाइम ईंटें सेल्यूलर लाइट वेट कंक्रीट ब्लाक (सी एल सी)
2.	ब्लास्ट फर्नेस (भट्ठी) स्लैग	पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट
3.	फास्फोजिप्सम	जिप्सम प्लास्टर फाइबर जूट/सीसल तथा ग्लास पार्टीशन डोर शटर वॉल बोर्ड, बेस बोर्ड, पार्टीशन साउंड एबसोर्पशन बोर्ड। प्लास्टर आफ पैरिस जिप्सम बोर्ड, वाल लाइनिंग, पारटीशन तथा सस्पेंडेड सीलिंग
4.	रेड मड	रेडमड पी बी सी जूट फाइबर कोरूगेटेड रूफिंग शीट रेडमड पोलीमर सीसल ग्लास फाइबर दरवाजों के लिए रेडपड पोलीमर काम्पोजिट

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में अप्रयुक्त मशीनरी

866. **प्रो. रीता वर्मा:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में अनेक वर्षों से अतिरिक्त मशीनरी अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह मशीनरी किस प्रयोजन के लिए खरीदी गई थी; और

(ग) अतिरिक्त सामान सूची और उसकी कीमत का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जाली गैर-सरकारी एजेंसियों का भंडाफोड़

867. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने "कापार्ट" को वर्ष 1991-97 की अपनी रिपोर्ट में अनेक जाली गैर सरकारी एजेंसियों का भंडाफोड़ किया है जिन्हें परियोजनाएं आवंटित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का उल्लेख किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में "तत्काल आरक्षण"

868. **श्री धायरचन्द गेहलोत:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में "तत्काल आरक्षण" सेवा उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी रेलगाड़ियों में और कहां-कहां से शुरू की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी रेल मंडल मुख्यालयों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) फिलहाल, कुछ सुपर फास्ट गाड़ियों सहित 85 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध गाड़ियों में तत्काल आरक्षण योजना शुरू कर दी गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(ख) ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग स्टेशनों के नामों के साथ-साथ उन गाड़ियों के नाम जिनमें तत्काल योजना शुरू की गई है, निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	गाड़ी का नाम/संख्या	से	तक
1	2	3	4
1.	1015 मुंबई छ.शि.ट.-गोरखपुर-कुशीनगर एक्सप्रेस	कुर्ला (टी)	गोरखपुर
2.	1016 गोरखपुर-मुंबई छ.शि.ट.-कुशीनगर एक्सप्रेस	गोरखपुर	कुर्ला (टी)
3.	1019 मुंबई छ.शि.ट.-भुवनेश्वर-कोणार्क एक्सप्रेस	मुंबई छ.शि.ट.	भुवनेश्वर
4.	1020 भुवनेश्वर-मुंबई छ.शि.ट.-कोणार्क एक्सप्रेस	भुवनेश्वर	मुंबई छ.शि.ट.
5.	2001 पी.पी.एल.-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस	भोपाल	नई दिल्ली
6.	2002 नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस	नई दिल्ली	भोपाल
7.	2003 नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्स.	लखनऊ	नई दिल्ली
8.	2004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्स.	नई दिल्ली	लखनऊ
9.	2005 नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्स.	नई दिल्ली	कालका
10.	2006 कालका-नई दिल्ली शताब्दी एक्स.	कालका	नई दिल्ली
11.	2009 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्स.	मुंबई सेंट्रल	अहमदाबाद
12.	2010 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल शताब्दी	अहमदाबाद	नई दिल्ली

1	2	3	4
13.	2011 नई दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्स.	नई दिल्ली	चंडीगढ़
14.	2012 चंडीगढ़-नई दिल्ली शताब्दी एक्स.	चंडीगढ़	नई दिल्ली
15.	2013 नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्स.	नई दिल्ली	अमृतसर
16.	2014 अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी एक्स.	अमृतसर	नई दिल्ली
17.	2015 नई दिल्ली-अजमेर शताब्दी एक्स.	नई दिल्ली	अजमेर
18.	2016 अजमेर-नई दिल्ली शताब्दी एक्स.	अजमेर	नई दिल्ली
19.	2017 नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्स.	नई दिल्ली	देहरादून
20.	2018 देहरादून-नई दिल्ली शताब्दी एक्स.	देहरादून	नई दिल्ली
21.	2029 नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्स.	नई दिल्ली	अमृतसर
22.	2030 अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी एक्स.	अमृतसर	नई दिल्ली
23.	2105 मुंबई-नागपुर विदर्भ एक्सप्रेस	मुंबई सेंट्रल	नागपुर
24.	2106 नागपुर-मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस	नागपुर	मुंबई सेंट्रल
25.	2137 सीएसटीएस-फिरोजपुर पंजाब मेल	सीएसटीएस	फिरोजपुर
26.	2138 फिरोजपुर-सीएसटीएस पंजाब मेल	फिरोजपुर	सीएसटीए
27.	2165 कुर्ला (टी)-बिलासपुर एक्सप्रेस	कुर्ला	बिलासपुर
28.	2166 बिलासपुर-कुर्ला (टी) एक्सप्रेस	बिलासपुर	कुर्ला

1	2	3	4
29.	2303 हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस	हावड़ा	नई दिल्ली
30.	2304 नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस	नई दिल्ली	हावड़ा
31.	2381 हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस	हावड़ा	नई दिल्ली
32.	2382 नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस	नई दिल्ली	हावड़ा
33.	2421 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	भुवनेश्वर	नई दिल्ली
34.	2422 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस	नई दिल्ली	भुवनेश्वर
35.	2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस	नई दिल्ली	गुवाहाटी
36.	2425 नई दिल्ली-जम्मूतवी राजधानी एक्सप्रेस	नई दिल्ली	जम्मूतवी
37.	2426 जम्मूतवी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	जम्मूतवी	नई दिल्ली
38.	2703 हावड़ा-सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस	हावड़ा	सिकंदराबाद
39.	2704 सिकंदराबाद-हावड़ा पलकनुमा एक्सप्रेस	सिकंदराबाद	हावड़ा
40.	2759 चैन्नई-हैदराबाद चारमीनार एक्सप्रेस	चेन्नई	हैदराबाद
41.	2760 हैदराबाद-चेन्नई चारमीनार एक्सप्रेस	हैदराबाद	चेन्नई
42.	2841 हावड़ा-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस	हावड़ा	चेन्नई
43.	2842 चेन्नई-हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस	चेन्नई	हावड़ा
44.	2859 मुंबई छ.शि.ट. गीतांजली एक्सप्रेस	मुंबई छ.शि.ट.	हावड़ा

1	2	3	4
45.	2860 हावड़ा-मुंबई छ.शि.ट. गीतांजली एक्स.	हावड़ा	मुंबई छ.शि.ट.
46.	2803 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर गोल्डन टेम्पुल मेल	मुंबई सेंट्रल	अमृतसर
47.	2804 अमृतसर-मुंबई सेंट्रल गोल्डन टैम्पुल मेल	अमृतसर	मुंबई सेंट्रल
48.	2915 अहमदाबाद-दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस	अहमदाबाद	दिल्ली
49.	2916 दिल्ली-अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस	दिल्ली	अहमदाबाद
50.	2925 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस	मुंबई सेंट्रल	अमृतसर
51.	2926 अमृतसर-मुंबई सेंट्रल पश्चिम एक्सप्रेस	अमृतसर	मुंबई सेंट्रल
52.	2927 मुम्बई सेन्ट्रल-वड़ोदरा एक्सप्रेस	मुम्बई सेंट्रल	वड़ोदरा
53.	2928 वड़ोदरा-मुम्बई सेन्ट्रल एक्सप्रेस	वड़ोदरा	मुंबई सेंट्रल
54.	2953 बीसीटी-नई दिल्ली अगस्त क्रान्ति राजधानी एक्सप्रेस	मुम्बई सेन्ट्रल	नई दिल्ली
55.	2954 नई दिल्ली-बीसीटी अगस्त क्रान्ति राजधानी एक्सप्रेस	नई दिल्ली	मुम्बई सेन्ट्रल
56.	2955 मुम्बई सेन्ट्रल-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस	मुम्बई सेन्ट्रल	जयपुर
57.	2956 जयपुर-मुम्बई सेन्ट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस	जयपुर	मुम्बई सेन्ट्रल
58.	3045 हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस	हावड़ा	गुवाहाटी

1	2	3	4
59.	3046 गुवाहाटी-हावड़ा सरायघाट एक्सप्रेस	गुवाहाटी	हावड़ा
60.	3073 हावड़ा-जम्मू हिमगिरि एक्सप्रेस	हावड़ा	जम्मू तवी
61.	074 जम्मू-हावड़ा हिमगिरि एक्सप्रेस	जम्मू तवी	हावड़ा
62.	4005 इंदौर-निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस	इंदौर	निजामुद्दीन
63.	4006 निजामुद्दीन-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस	निजामुद्दीन	इंदौर
64.	4645 नई दिल्ली-जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस	नई दिल्ली	जम्मू तवी
65.	4646 जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस	नई दिल्ली	जम्मू तवी
66.	4707 बाकनेर-बांद्रा एक्सप्रेस	बीकानेर	बांद्रा
67.	6669 चेन्नई-इरोड येरकाड एक्सप्रेस	चेन्नई	इरोड
68.	6670 इरोड-चेन्नई येरकाड एक्सप्रेस	इरोड	चेन्नई
69.	7001 मुम्बई-हैदराबाद हुसैनसागर एक्सप्रेस	मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस	हैदराबाद
70.	7002 हैदराबाद-मुम्बई हुसैनसागर एक्सप्रेस	हैदराबाद	मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस
71.	7031 मुम्बई-हैदराबाद एक्सप्रेस	मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस	हैदराबाद

1	2	3	4
72.	7032 हैदराबाद-मुम्बई एक्सप्रेस	हैदराबाद	मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस
73.	9005 मुम्बई सेन्ट्रल-ओखा सौराष्ट्र मेल	मुम्बई सेन्ट्रल	ओखा
74.	9006 ओखा-मुम्बई सेन्ट्रल सौराष्ट्र मेल	ओखा	मुम्बई सेन्ट्रल
75.	9031 मुम्बई सेन्ट्रल-गांधीधाम कच्छ एक्सप्रेस	मुम्बई सेन्ट्रल	गांधीधाम
76.	9032 गांधीधाम-मुम्बई सेन्ट्रल कच्छ एक्सप्रेस	गांधीधाम	मुम्बई सैन्ट्रल
77.	9264 दिल्ली सरायरोहिल्ला-पोरबन्दर एक्सप्रेस	दिल्ली सराय रोहिल्ला	पोरबन्दर
78.	9305 क्षिप्रा एक्सप्रेस	इन्दौर	हावड़ा
79.	9306 क्षिप्रा एक्सप्रेस	हावड़ा	इंदौर
80.	9307 इंदौर-जयपुर एक्सप्रेस	इंदौर	जयपुर
81.	9308 जयपुर-इंदौर एक्सप्रेस	जयपुर	इंदौर

इस योजना के अंतर्गत आरक्षण छोर से छोर तक के आधार पर मुहैया कराया जाता है बहरहाल, क्षेत्रीय रेलों को प्रारम्भिक स्टेशन पर प्राप्त यातायात न होने के मामले में यात्री आरक्षण प्रणाली से मध्यवर्ती स्टेशनों पर यात्रियों को बुक करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। गाड़ी अधीक्षकों को मध्यवर्ती स्टेशनों से खाली शायिकाओं पर यात्रियों को यात्रा करने हेतु अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है बशर्ते निर्धारित प्रभार वसूल किए जाएं और यात्रियों द्वारा अपनी पहचान का सबूत प्रस्तुत किया जाए।

[अनुवाद]

भूमि पुनर्सर्वेक्षण

869. **श्री एच.जी. रामुलू:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सहायता से आधुनिक उपकरणों की मदद से सम्पूर्ण राज्य में भूमि के पुनसर्वेक्षण हेतु कोई योजना अथवा परियोजना भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश का पुनर्सर्वेक्षण कराने के लिए 554.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित मदों की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार ने सम्पूर्ण परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की मांग की है जबकि परियोजना लागत का मुख्य भाग श्रम शक्ति की लागत से जुड़ा है जो कि इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के अनुमोदित घटक के तहत नहीं आता है।

(ग) चूंकि राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष हेतु वार्षिक बजट आबंटन 8.80 करोड़ रुपए है, इसलिए मंत्रालय चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रशासनिक अनुमोदन देने अथवा परियोजना की उपयुक्त लागत वहन करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि सर्वेक्षण बन्दोस्त के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु पिछले वित्त वर्ष के दौरान उपर्युक्त उद्देश्य के लिए आवंटित राशि में से खर्च न हुई राशि का इस्तेमाल करके प्रायोगिक परियोजना शुरू करें।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी

870. **श्रीमती लक्ष्मी पनवाक:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या कम करने हेतु अब तक कार्यान्वित की गई प्रमुख योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में उस योजना का ब्यौरा क्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी ला सके?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) योजना आयोग के अनुसार आंध्र प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 1973-74 में 48.41 प्रतिशत था जो 1993-94 में घटकर 15.92 प्रतिशत रह गया है।

(ग) और (घ) सामाजिक सहायता तथा मजदूरी और स्व-रोजगार के सृजन के लिए सरकार अनेक गरीबी निरोधक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जैसे जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) दस लाख कुओं की योजना (एम.डब्ल्यू.एस.) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आंध्र प्रदेश में इन कार्यक्रमों की वित्तीय उपलब्धि निम्न प्रकार है:

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	कार्यक्रम	1996-97		1997-98	
		आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च
1.	जे.आर.वाई.	17372.39	17488.47	19410.49	18745.52
2.	ई.ए.एस.	*	25509.86	*	29448.56
3.	आई.ए.वाई.	11087.88	8213.28	11212.93	14792.02
4.	एम.डब्ल्यू.एस.	4342.14	3950.54	4342.14	4374.73
5.	आई.आर.डी.पी.	8336.41	12810.19	8612.23	11499.86
6.	डवाकरा	718.75	3446.12	724.50	1288.34
7.	ट्राइसेम	634.92	1517.59	684.92	889.46
8.	सिट्रा	313.14	640.73	274.00	475.75
9.	एन.एस.ए.पी.	7896.11	6796.23	7820.90	6372.58

*चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना मांग-आधारित योजना है अत: इसके लिए कोई निश्चित आवंटन नहीं है।

खनिजों का वर्गीकरण

871. श्री दिनशा पटेल: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत खनिजों का वर्गीकरण अनुसूचित और गैर-अनुसूचित श्रेणियों में किया गया है;

(ख) क्या अनुसूचित खनिजों को खनन पट्टा प्रदान करने/ इसके नवीकरण के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत खनिजों का वर्गीकरण अनुसूचित और गैर-अनुसूचित श्रेणियों में नहीं किया गया है। तथापि इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निहित खनिज निर्दिष्ट खनिज कहलाते हैं जिनमें भाग-क हाइड्रोकार्बन/एनर्जी खनिज, भाग ख-परमाणु खनिज और भाग ग-धात्विक एवं अधात्विक खनिज शामिल हैं। अन्य सभी खनिज (गौण खनिजों को छोड़कर) गैर निर्दिष्ट खनिज कहलाते हैं। गौण खनिजों की घोषणा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के अधीन केन्द्र सरकार राजपत्र के द्वारा करती है। खनिज रियायतें राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं। तथापि इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निहित खनिजों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टों की स्वीकृति/नवीकरण के लिए केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। लेकिन इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ग में निहित खनिजों के बारे में पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टों के पहली बार नवीकरण के लिए शक्तियां दिनांक 30 जनवरी, 1997 की राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का. 69(ई) के द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों की सामाजिक समस्याएं

872. श्री अरविन्द काम्बले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीनों सेनाओं की सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं और इसके कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का घाटा

873. श्री के. येरनायडू:
श्री प्रमथेस मुखर्जी:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने 1998-99 के पूर्वार्द्ध में अत्यधिक बिक्री कारोबार करने के बावजूद 616 करोड़ रुपए का घाटा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के घाटे को कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) वर्ष 1998-99 की प्रथम छमाही में अधिक बिक्री के बावजूद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को 616.91 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की हानि हुई।

सेल के लाभ में गिरावट के मुख्य कारणों में इस्पात की मांग में मंदी, कम अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के कारण आयात से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और घरेलू बाजार में पूर्ति में वृद्धि आदि शामिल हैं जिसके फलस्वरूप घरेलू बाजार में बिक्री से निवल प्राप्ति में गिरावट आई। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार आदि में निर्यात मूल्यों में भी कमी हुई।

आधुनिकीकरण के लाभ चरणों में मूर्त रूप होंगे जबकि आधुनिकीकरण/पूंजीगत योजनाओं के पूंजीकरण और उच्च माल-सूची स्तर भी बनाए रखने के कारण सेल को पूंजी से संबद्ध उच्च लागत (ब्याज और मूल्यह्रास) को समाहित करना पड़ा।

(ग) इस्पात उद्योग जिसमें सेल भी शामिल है, की लाभप्रदता में सुधार करने और वर्तमान समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) इस्पात की मांग और खपत में वृद्धि करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात ने इस्पात की मांग, विशेष रूप से गैर-परम्परागत क्षेत्रों जैसे ग्रामीण और कृषि पर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों में, बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

(2) इस्पात उत्पादन के लिए आदान लागतों में कमी करने हेतु कई आदानों जैसे कोककर कोयला (12% से कम राख अंश) अकोककर कोयला (12% से कम राख अंश) धातुकर्मीय कोक, फैरो निकेल, चार्ज निकेल और निकेल ऑक्साइड सिंटर, न्यून सिलिकायुक्त चूना-पत्थर और ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड (28 से अधिक) पर विशेष आयात शुल्क हाल ही में समाप्त कर दिया गया है।

(3) यूकेन और रूस से आयातित तप्त वेल्लित दबायलों पर पाटन-रोधी शुल्क की हाल ही में सिफारिश की गई है। पाटन-रोधी जांच तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(4) निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात के निर्यात के लिए ड्यूटी इन्टाइटेलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(5) निर्यात की अड़चनों का समाधान करने के लिए इस्पात के निर्यातकों की सहायता करने हेतु एक इस्पात निर्यातक मंच बनाया गया है।

(6) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्पात क्षेत्र को वर्धित परियोजना सहायता करने और ई.सी.बी. मानदण्डों में छूट देने की सुदृढ़ सिफारिश की गई है।

(7) इस्पात निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने और भारतीय इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशिष्ट अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की जांच करने और सहायता करने के लिए सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

मालडिब्बों की कमी

874. श्री संदीपन भोरात: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) बी.एस.पी. बिहार से सीधे प्राप्त डिस्पैच में माल डिब्बों की कमी के संबंध में विदर्भ इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन नागपुर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य संगठनों/क्षेत्रों से भी कम माल-डिब्बों की कमी की ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ता समूह के हितों की रक्षा करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) मैसर्स विदर्भा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, नागपुर ने भिलाई इस्पात संयंत्र, मध्य प्रदेश से भेजे गए कुछ वैगनों में सामग्री की कथित कमी के बारे में अभ्यावेदन किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने उन्हें वजन करने की प्रणाली के सुधार के संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया है। इसके अतिरिक्त, उक्त एसोसिएशन ने सड़क मार्ग से भिलाई इस्पात संयंत्र से सीधे माल उठाने की पेशकश की है। कम सामग्री के संबंध में सेल द्वारा प्राप्त शिकायतों का गुण-दोष के आधार पर निपटान किया जाता है।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा लगाया गया विलम्ब शुल्क

875. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) पर कोयले के लदान आदि के अत्यधिक विलंब के लिए लगाए गए विलम्ब शुल्क और कोयला उतराई शुल्क की राशि कितनी है;

(ख) ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या कोयले के परिवहन के लिए सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि. को पर्याप्त डिब्बे दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के संबंध में चालू वर्ष के अक्तूबर 1998 तक और पूर्व रेलवे के संबंध में सितम्बर, 1998 तक के दौरान अनुमेय नि:शुल्क समय के बाद कोयले के लदान में विलंब के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी सी एल) तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी सी सी एल) पर रेलों द्वारा लगाए गए विलंब शुल्क की राशि निम्नलिखित है:-

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
1995-96	13.56	6.49
1996-97	10.41	5.78
1997-98	12.28	9.08
1998-99 (सितम्बर/अक्तूबर 1998 तक)	10.52	6.51

(ख) मालडिब्बों को शीघ्र मुक्त करने के लिए सम्हलाई की समस्याओं पर काबू पाने हेतु रेलों द्वारा संबंधित कोयला खादानों के प्राधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा जाता है। माल डिब्बों की रुकौनियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

(1) विभिन्न प्रकार के कोयलों के लिए अतिरिक्त भंडारण की क्षमता का सृजन;

(2) अतिरिक्त लदान सुविधाओं का सृजन; और

(3) मौजूदा लदान संयंत्रों की कार्यकुशलता में सुधार।

(ग) जी हां।

(घ) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

कंपनी का नाम	वर्ष	लदान किए गए मालडिब्बों की सं. (चौपहियों में दैनिक औसत)	
		पूर्व रेलवे	दक्षिण पूर्व रेलवे
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1995-96	1651	1012
	1996-97	1658	998
	1997-98	1709	998
	1998-99 (अक्तूबर 1998 तक)	1660	829
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1995-96	2414	518
	1996-97	2525	552
	1997-98	2603	479
	1998-99 (अक्तूबर 1998 तक)	2433	431

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि. को फिर से चालू करना

876. **श्री वसुदेव आचार्य:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड को फिर से चालू करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल) के पुनरुद्धार के लिए एक वित्तीय पुनर्संरचना एवं वित्तीय सहायता पैकेज इस समय सरकार के विचाराधीन है। कम्पनी के तुलन पत्र को बैंक ग्राह्य बनाने और आगामी तीन वर्षों में इसकी श्रम शक्ति को बनाए रखने और उपयुक्त स्तर तक युक्तसंगत बनाने के लिए कार्रवाई करना इस पैकेज में अनिवार्यत: शामिल है।

[हिन्दी]

आवास का अधिकार

877. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद):**
श्री प्रदीप कुमार यादव:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने पर विचार करने की सोच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौलिक अधिकार के रूप में "आवास का अधिकार" को शामिल करने पर बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवास के कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि सभी को आवास मुहैया कराने के लिए 1,51,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। केवल आवास क्षेत्र के लिए इतनी रकम का प्रावधान कठिन होगा।

उपर्युक्त के आलोक में, सरकार सभी के लिए आवास के अपने वादे पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। शासन के राष्ट्रीय एजेन्डा ने सभी के लिए आवास को एक प्राथमिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है और देश में प्रत्येक वर्ष दो मिलियन अतिरिक्त आवास के निर्माण की परिकल्पना की है।

रामपुरा आगुचा खानों की उत्पादन क्षमता

878. **श्री राम उपाध्याय:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में रामपुर आगुचा खान संयंत्र की क्षमता में वृद्धि की गई है;

(ख) क्या राजस्थान में किसी ने जिंक प्रगालक संयंत्र की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसकी लागत और उत्पादन क्षमता क्या है; और

(घ) जिंक भंडार का पता लगाने के लिए कितना हवाई सर्वेक्षण किया जा चुका है और शेष कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) राजस्थान की रामपुरा आगुचा खान के अयस्क सान्द्रीकरण संयंत्र की क्षमता नवम्बर, 1997 में 3000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 4500 टन प्रतिदिन कर दी गई है।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजैडएल) द्वारा, प्रतिवर्ष 60,000 टन से 1,00,000 टन तक की उत्पादन क्षमता वाले एक नए जिंक प्रगालक स्थापित किए जाने से संबंधित प्रौद्योगिकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस नए जिंक प्रगालक की स्थापना की वास्तविक लागत इस समय बता पाना संभव नहीं है।

(घ) हिन्दुस्तान जिंक लि. (एचजैडएल) ने ब्रोकन हिल प्रोप्राटरी मिनरल्स (बी.एच.पी.एम.) इंडिया लि. के सहयोग से राजस्थान राज्य में इन दोनों कंपनियों के अधीन पूर्वेक्षण लाइसेंस क्षेत्रों में लगभग 23,360 फ्लाइट लाइन किलोमीटर का पूर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा एच जैड एल के अधीन राजस्थान राज्य में पूर्वेक्षण लाइसेंस क्षेत्र जोकि एच जैड एल और बी एच पी एम के संयुक्त प्रयासों में शामिल नहीं है, में 3902 लाइन किलोमीटर का हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण कार्य भी एच जैड एल द्वारा किया गया है। हवाई सर्वेक्षण आंकड़ों के संसाधन और प्रतिपादन पर आधारित विस्तृत स्थलीय अनुवर्ती कार्रवाई हेतु विभिन्न क्षेत्रों की पहचान का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। अब ऐसे संभावित स्थलों का पता लगाने के लिए जहाँ संभावित जिंक संसाधनों का पता लगाने के लिए ख़ोज ड्रिलिंग कार्य किया जा सकता है, समुचित भू भौतिकी तथा भू रासायनिक गवेषण तकनीकों को अपना कर भू-निरीक्षण कार्य भी किए जा रहे हैं। इन कार्यों में जिनमें विस्तृत वेधन कार्य शामिल हैं, लगभग 24 महीने लगने की संभावना है।

[अनुवाद]

भूमि अर्जन अधिनियम

879. **श्री गिरिधर गमांग:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संशोधन और कतिपय उपबंध शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां।

(ख) सुझाए गए संशोधनों में उदार क्षतिपूर्ति, अधिक मुआवजा तथा सर्वसम्मत अधिनिर्णय करने के लिए कलेक्टर को शक्तियां प्रदान करना शामिल है। इसमें भूमि अर्जन हेतु, अधिकतम समय सीमा को तीन साल से घटाकर एक साल करने के मौजूदा कानून में यथोचित संशोधन करना भी शामिल है। प्रस्तावित संशोधन का आशय कलेक्टर को मुआवजा के अधिनिर्णय के अंतर्गत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन की लागत को समायोजित करके पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन पैकेज को मूल्यांकन करने एवं उसे आबंटित करने का अधिकार प्रदान करना है। प्रस्तावित संशोधन का यह भी आशय है कि भूमि अर्जन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़े और यह पूर्ण पारदर्शिता हो।

मियाद समाप्त हो चुके रेलवे स्टॉक को बदलना

880. डा. विजय सोनकर शास्त्री: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में कितने रेल इंजनों तथा डिब्बों की मियाद समाप्त हो चुकी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने बदले गए हैं;

(ग) क्या मियाद समाप्त हो चुके स्टॉक के कारण बार-बार दुर्घटनाएं हुई; और

(घ) यदि हां, तो मियाद हो चुकी रॉलिंग स्टॉक को बदलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारतीय रेलों पर गतायु चल स्टॉक को बदलना एक सतत् प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए चल स्टॉक जो सेवा में चलाए जाने हेतु पूर्णतया: सुरक्षित है पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

विवरण

(क) चल स्टॉक की संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी जीवट आयु से गतायु हो गये:

मद	1995-96	1996-97	1997-98
भाप इंजन	85	41	37
डीजल इंजन	67	26	30
बिजली इंजन	82	20	10
सवारी डिब्बे	941	1011	1082
माल डिब्बे	8659	13878	19103

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोड़े गए नये चल स्टॉक की संख्या:

मद	1995-96	1996-97	1997-98
भाप इंजन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
डीजल इंजन	122	142	155
बिजली इंजन	155	175	195
सवारी डिब्बे	1291	1759	1951
माल डिब्बे	17950	22185	27865

इंडियन एयरलाइंस की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

881. **प्रो. जोगेन्द्र कवाडे:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बीच मार्गों के तर्कसंगत विभाजन हेतु सिफारिशें करने के लिए एयर इंडिया बोर्ड की उपसमिति गठित की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एयर इंडिया सांताक्रूज हवाई अड्डे से यूरोप, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य देशों के लिए रोज उड़ानें संचालित करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उप समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो बोर्ड/सरकार के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) इस समय, एअर इंडिया मुम्बई में सहार विमानपत्तन से पेरिस, फ्रेंकफर्ट, रोम, मैनचेस्टर, न्यूयार्क, शिकागो के लिए अपनी उड़ाने प्रचालित कर रही है। आस्ट्रेलिया के लिए इसकी सीधी उड़ानें नहीं है, लेकिन यह यात्रियों के लिए क्वांटस एयरवेज उड़ानों के जरिए सिंगापुर, बैंकाक तथा हांगकांग से होकर सुविधाजनक हवाई सम्पर्क मुहैया करती है।

कार्यदल

882. **श्री विकास चौधरी:**
श्री सुनील खां:

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं संबंधी कतिपय नीति उपायों की सिफारिश करने के लिए कार्यदल गठित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यदल द्वारा कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के कार्यकरण के

विभिन्न पहलुओं के संबंध में कतिपय नीतिपरक उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा कार्यदलों का गठन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विक्रान्त संग्रहालय योजना

883. श्री गुरुदास कामत: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई एन एस विक्रान्त को समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित करने के प्रस्ताव में विलम्ब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस काम के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सेवा से हटाए गए भारतीय नौसेना के वायुवाहन वाहक आई एन एस विक्रांत के 18 करोड़ रुपये के स्क्रैप मूल्य को माफ कर इसे समुद्री संग्रहालय बनाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ समन्वय करके महाराष्ट्र सरकार को करनी है। समुद्री संग्रहालय बनाने व इसके रखरखाव पर होने वाली किसी आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी।

[हिन्दी]

रीवा में चांदमारी क्षेत्र के कारण असैनिकों की जान को खतरा

884. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रीवा जिले में बदवार स्थित चांदमारी क्षेत्र असैनिकों के जीवन के लिए खतरनाक साबित हुआ है;

(ख) इस चांदमारी क्षेत्र में अब तक गोली से कितने असैनिक शिकार हुए हैं और मृतकों के परिवार के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस चांदमारी क्षेत्र को अन्यत्र अन्तरित किया जाए, क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) अब तक किसी नागरिक की जान जाने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) इस रेंज को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी

885. डा. सुमुण कुमारी चलामेला:
श्री टी.आर. बालू:
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी:
श्री के.पी. नायडू:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तटीय सुरक्षा बल को सुदृढ़ करके भारतीय समुद्र में सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मैरीटाइम नीति तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय समुद्र में विदेशी शक्तियों की गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) भारतीय नौसेना व तटरक्षक भारतीय समुद्र की सुरक्षा करते हैं। सुस्थापित कार्रवाई मंच के माध्यम से अन्य संबद्ध एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाता है। सुरक्षा पहलुओं पर गहन दृष्टि रखी जाती है तथा प्रक्रिया में सतत् रूप से सुधार लाया जाता है।

(ग) भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक, भारतीय तट, द्वीप समूह क्षेत्रों और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की नियमित निगरानी करते हैं और इस तरह भारतीय समुद्र में विदेशी ताकतों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं।

खनिज की खोज के लिए सर्वेक्षण

886. श्री पी.आर. किन्डियाः क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मेघालय के जैतिया पर्वतीय क्षेत्र में चूना पत्थर (अधिकांशतः बीएफ और एसएमएस ग्रेड) हेतु खनिज की खोज के लिए सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ग) मेघालय राज्य में चूना पत्थर के विभिन्न ग्रेड का अनुमानित भंडार कितना है;

(घ) दोहन किए गए चूना पत्थर के भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मृदा की खोज के लिए मेघालय में भी ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मेघालय के जैतिया पर्वतीय क्षेत्र में चूना पत्थर के लिए हाल ही में खनिज गवेषण कार्य किया है तथा प्रमाणित भंडारों का ब्यौरा निम्नवत है:

एस एम एस ग्रेड	653 मिलियन टन
बीएफ/एलडी ग्रेड	165 मिलियन टन

(ग) मेघालय राज्य में विभिन्न ग्रेड के चूना पत्थर के अनुमानित प्राप्ति योग्य भंडारों का ब्यौरा निम्नवत है:

	1.4.1995 की स्थिति की अनुसार प्राप्ति योग्य भंडार (हजार टन में)
रसायन	281,832
एसएमएस (ओएच)	2,790,525
एसएमएस (एलडी)	58,575
बीएफ	30,000
एसएमएस एवं बीएफ मिश्रित	589,750
सीमेंट (पार्टलैण्ड)	173,895
सीमेंट (पार्टलैण्ड एंड व्हाइट)	2,625

(घ) मेघालय के केवल पूर्वी खासी पर्वतीय जिले से सीमेंट और रासायनिक ग्रेड के चूना पत्थर के उत्पादन की सूचना मिली है। 1996-97 और 1997-98 के दौरान चूना पत्थर का कुल उत्पादन क्रमशः 2.79 लाख टन और 2.03 लाख टन हुआ।

(ङ) और (च) चिकनी मिट्टी के गवेषण के लिए भी मेघालय में सर्वेक्षण किया गया है तथा चिकनी मिट्टी के गवेषण कार्य के परिणाम निम्नवत हैं:-

	क्षेत्र	भंडार	ग्रेड
1.	माकरीह-स्मीत क्षेत्र, खासी पर्वत	1.21 (मी. टन)	व्हाइट वेयर हेतु उपयुक्त कोआलिन
2.	दरूगिरि क्षेत्र, पूर्वी गारो पर्वत	8.4 (निर्दिष्ट) (मी. टन)	काओलिंटिक क्ले
3.	खेड़ा-रोंगरनगिरि गारो पर्वत	1.2 मी. टन (प्रमाणित)	व्हाइट लिथोमारगिट क्ले
4.	लारनाल क्षेत्र (सुंग घाटी) जैतिया पर्वत	68 मी. टन (अनुमानित) 0.5 मी. टन	क्ले प्लास्टि क्ले
5.	मुलेह क्षेत्र जैतिया पर्वत	0.8 मी. टन	प्लास्टिक क्ले

[हिन्दी]

बिहार से प्राप्त आई.डी.एस.एम.टी. प्रस्ताव

867. श्री राजो सिंह: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य में छोटे और मझोले कस्बों के समेकित विकास के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त किए गए तथा अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि जारी कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) छोटे और मझौले नगरों के समेकित विकास की योजना आरम्भ होने से अब तक 40 शहरों को शामिल किया गया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार सरकार से 18 परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिनमें से 12 शहरों को पहले ही शामिल किया जा चुका है।

(ग) और (घ) इस संबंध में 12 शहरों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता

शहर का नाम	दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)
1	2
1. मुंगेर	36.00
2. गरवा	10.00
3. मुजफ्फरपुर	30.00
4. भागलपुर	30.99
5. छपरा	20.00
6. राजगिर	20.00
7. गोंडा	20.00
8. गया	20.00
9. सुपाठल	15.00
10. शोहार	10.00
11. फोरबीसगंज	15.00
12. लोहारडागा	15.00
योग	241.99

[अनुवाद]

मलिन बस्तियों का विकास

888. श्री रंजीव बिस्वाल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में मलिन बस्तियों के विकास की कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो मलिन बस्तियों के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी राशि की आवश्यकता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु वास्तविक रूप में कितनी राशि का आवंटन किया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) जी, नहीं। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से शहरी स्तंभों के विकास के लिए कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अगस्त, 1996 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को शहरी स्लमों के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अक्तूबर, 1998 तक 13.14 करोड़ रु. जारी किए हैं।

एच.ए.एल. से ट्रालियों की खरीद में हानि

889. **श्री सुरेश वरपुडकर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5.10.98 को ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''एच.ए.एल. गिव्स आई.ए.एफ. 1.84 रुपीज राइड'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) राजकोष को 1.84 करोड़ रुपये की हानि तथा भारतीय वायु सेना को पन्द्रह वर्ष बाद भी अलर्ट कूलिंग ट्रालियां (ए सी टी) उपलब्ध ना करा पाने में जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भारतीय वायु सेना को अलर्ट एवं कूलिंग ट्रालियां (ए सी टी) शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 8 एलर्ट कुलिंग ट्रालियों के डिजाइन, विकास और पूर्ति के लिए जनवरी, 1983 में 184.29 लाख रुपये मूल्य का आर्डर मिला था। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 1984 से 1987 तक की अवधि के दौरान इस आर्डर के तहत 156.64 लाख रुपये की पेशगी मिली थी। विकास के दौरान विकासात्मक समस्याओं के कारण ग्राहक भारतीय वायुसेना की सहमति से डिजाइन में परिवर्तन करना और अलर्ट कूलिंग ट्रालियों को ग्राउंड पावर यूनिट में तथा कूलिंग ट्रालियों को पृथक मद के रूप में विभाजित करना आवश्यक हो गया था। तदनुसार, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 122.02 लाख रुपये वापस किये जा चुके हैं और शेष 34.62 लाख रुपये की राशि भारतीय वायुसेना द्वारा दी गई सहमति के अनुसार 8 ग्राउंड पावर यूनिटों और 8 कूलिंग ट्रालियों की पूर्ति के लिए समायोजित कर ली गई है। इसलिए राष्ट्रीय राजकोष को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है।

[हिन्दी]

नौसेना में नियुक्तियों में अनियमितताएं

890. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:**
प्रो. अजित कुमार मेहता:
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नौसेना में नियुक्तियों में की गयी अनियमितताओं की जानकारी है जैसाकि 22.9.98 को ''म्यूटनी इन द आर्मी'' शीर्षक के अंतर्गत ''पायोनियर'' में प्रकाशित किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या नौसेना के अधिकारियों ने नौसेना की कार्मिक नीति के विरुद्ध अपना असन्तोष प्रकट किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का संपूर्ण मामले की जांच करवाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) 22 सितम्बर, 1998 के ''पायनियर'' में ''म्यूटिनी इन द नेवी'' नामक शीर्षक से प्रकाशित हुई रिपोर्ट की सरकार को जानकारी है।

(ख) कुछ सांविधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) नौसेना मुख्यालय से प्राप्त सभी नियुक्ति प्रस्तावों तथा सांविधिक शिकायतों की सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और निर्धारित मानकों और नियमों के अनुसार निर्णय लिये जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटना

891. प्रो. अजित कुमार मेहता:
श्री डी.एस. अहिरे:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बल्लभगढ़ के निकट निजामुद्दीन-जबलपुर एक्सप्रेस तथा उदयपुर में खेरोड गांव के निकट मानरहित समपार पर सवारी रेलगाड़ी एवं मैटाडोर के बीच दुर्घटना हुई थी।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन दोनों दुर्घटनाओं में मृत/घायल लोगों का तथा सरकारी संपत्तियों को हुई क्षति की कीमत का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं की कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष थे; और

(च) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी हां, दो दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. 31.8.98 को मध्य रेलवे के झांसी मंडल के बल्लभगढ़ और असावटी स्टेशनों के बीच 2410 निजामुद्दीन-जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पांच सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। यह दुर्घटना अनुरक्षण के दौरान रेलपथ में आई बाधा के कारण हुई थी।

2. 31.8.98 को, पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में माणकी और बड़ीसादरी के बीच बिना चौकीदारी वाले समपार पर और 228 पैसेंजर की एक मिनी बस के साथ टक्कर हुई थी। यह दुर्घटना मिनी बस के ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई थी।

(ग) (1) मध्य रेलवे पर दुर्घटना में मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या:

मारे गए	5
घायल	9

इस दुर्घटना में सरकारी सम्पत्ति की क्षति का मूल्य 67 लाख रुपये है।

(2) पश्चिम रेलवे में दुर्घटना में मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या:

मारे गए	30
घायल	16

इस दुर्घटना में सरकारी सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ था।

(घ) से (च) जी हां, जांच समिति जिसने उपर्युक्त दुर्घटनाओं की जांच की थी, के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

1. रेलवे संरक्षा आयुक्त, उत्तर सर्कल, जिन्होंने मध्य रेलवे में हुई दुर्घटना की जांच की थी, ने इस दुर्घटना के लिए रेल पथ मिस्त्री, रेल पथ निरीक्षक (प्रभारी) और रेल पथ निरीक्षक (खण्ड), फरीदाबाद को उत्तरदायी ठहराया था। इनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

2. पश्चिम रेलवे के बिना चौकीदार वाले समपार पर हुई दुर्घटना की जांच अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई थी, जिसने निष्कर्ष निकाला है कि यह दुर्घटना समपार पार करने से पहले मोटर व्हीकल नियम की धारा 131 में यथा उल्लिखित सावधानियों का अनुपालन करने में बस ड्राइवर की लापरवाही और गलती के कारण हुई है। इस दुर्घटना के लिए कोई रेल कर्मचारी उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है, अतः कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

स्वचालित चेतावनी प्रणाली

892. **श्री दत्ता मेघे:**
श्री पंकज चौधरी:
श्री पी.सी. थामस:
श्री रामपाल सिंह:
श्री सुरेश वरपुडकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अद्यतन आधुनिक रेडियो प्रौद्योगिकी पर आधारित एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली विकसित की है जो किसी खतरे की स्थिति में "सिग्नलिंग" में चालक द्वारा हुई गलती तो सुधार लेती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे कौन-कौन से मार्ग हैं जहां पर प्रयोगात्मक तौर पर इस नई तकनीक को शुरू में लागू किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) रेलवे ने अभी तक रेडियो, प्रौद्योगिकी पर आधारित स्वचल चेतावनी प्रणाली विकसित नहीं की है। बहरहाल, दिल्ली-मथुरा खंड पर यू आई सी (इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, पेरिस) के समन्वय से यूरोपियन गाड़ी कंट्रोल प्रणाली (इ टी सी एस)-लेवल-2 पर आधारित एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

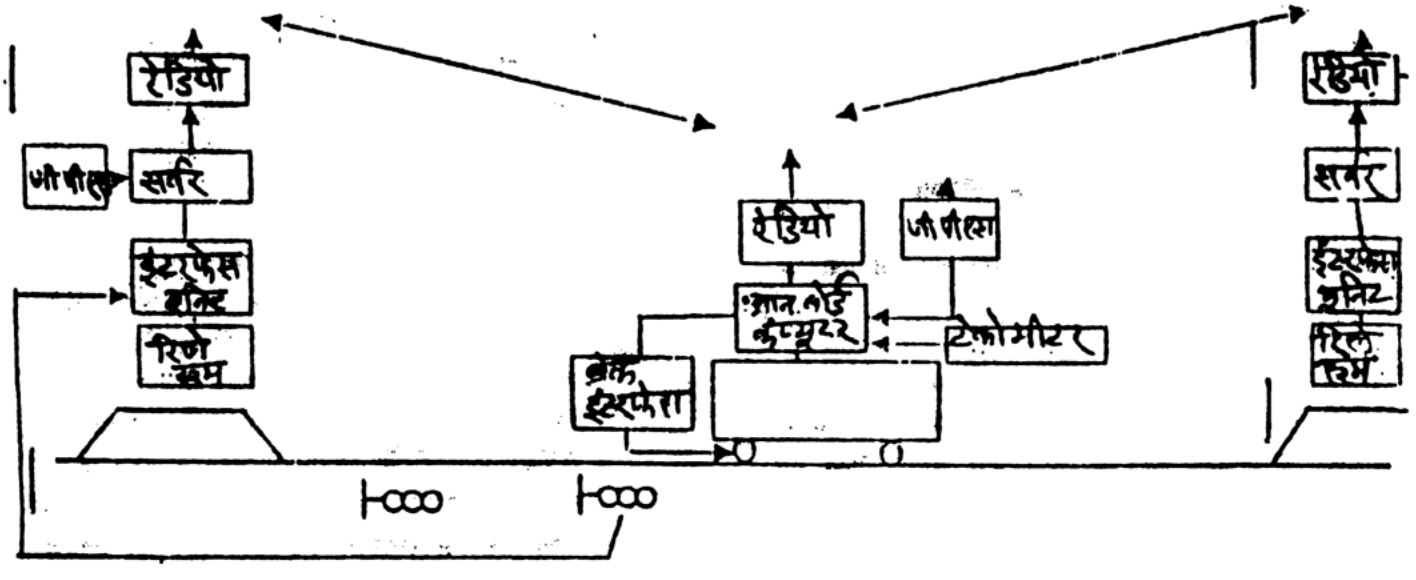
(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) दिल्ली-मथुरा खंड पर नई प्रौद्योगिकी शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है:

ई टी सी एस लेवल 2 चालू सिगनल प्रणाली पर एक ओवरले होगी जैसाकि रेखाचित्र में दर्शाया गया है।



स्टेशन अंतर्पाशन से सिगनल संकेत के बारे में स्थिति प्राप्त की जाती है और तब रेडियन से लोकोमोटिव के माध्यम से इसके ट्रांसमिशन की कार्यवाही की जाती है। स्वचल सिगनलों, मध्यवर्ती ब्लाक सिगनलों और अंतर्पाशित गेट के सिगनल संकेत की स्थितियों को स्टेशन के सिगनल केबल पर लाया जा सकता है और अन्तरापृष्ठ स्कैनिंग स्टेशन सिगनल संकेत स्थिति से जोड़ा जाता है। जहां स्टेशन पर अंतर्पाशन के लिए एक से अधिक केबिनों का इस्तेमाल किया जाता है। सिगनल संकेतों को भी एक कैबिन पर लाया जा सकता है और उसके बाद रेडियो के माध्यम से आगे ट्रांसमिशन किया जाता है। स्टेशन की सिगनल संकेत स्थिति का संभावित फ्री सम्पर्क और समीपवर्ती स्टेशन के बीच अन्य सिगनलों को स्टेशन पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

प्रत्येक स्टेशन पर डिजिटल रेडियो स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन पर सरवर अपने सभी रेल इंजनों के रेलपथ को क्षेत्राधिकार में बनाए रखता है। गाड़ी की स्थिति निर्धारित करने के लिए डी जी पी एस इनपुट में समावेश के लिए ए टी पी वास्तुकला में साफ्टवेयर और हार्डवेयर शामिल किये जाएंगे। गाड़ी की स्थिति का पता लगाने वाले मॉडल को आडोमीटरों और डी जी पी एस-स्टेलाइट रिसीवरों से जोड़ा जाता है जो गाड़ी की स्थिति की सूचना देते हैं। गाड़ी की वास्तविक स्थिति तार्किकता के आधार पर निर्धारित की जाती है और यह एक स्टोर्ड रूट मैप पर आधारित होती है तथा स्टेशन से अंतर शुद्धि डाटा इंजन में आडोमीटर पर प्राप्त किए जाते हैं।

ई टी सी-लेवल 2 से निम्नलिखित संरक्षा विशेषताओं की परिकल्पना की गई है:

1. यदि ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगाता है तो गाड़ी ''लाल'' सिगनल पर स्वत: रुक जाएगी।

2. स्थायी गति प्रतिबंध लागू करना।

3. अस्थायी गति प्रतिबंध लागू करना।

4. समपार पर गाड़ी के पहुंचने की चेतावनी।

5. साइड पर कार्यरत कर्मचारियों को गाड़ी के पहुंचने की चेतावनी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में उपरि पुलों का निर्माण

893. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से पुणे जिले के केडगांव के किरकी बाजार-औंध और दपोड़ी में रेल लाइनों पर उपरि पुलों का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय संसद सदस्यों ने भी केन्द्र सरकार से इस संबंध में अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थलों पर उपरि पुलों का निर्माण करने के बारे में कब तक निर्णय लिया जाएगा; और

(ङ) उपरि पुलों का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां। माननीय संसद सदस्य श्री अशोक एन. मोहोल ने इस संबंध में रेल मंत्री को अगस्त 98 में लिखा था।

(घ) प्रस्तावोजित करने वाले प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर निर्भर करेगा।

(ङ) कार्य के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

विवरण

(ख) (1) केडगांव में ऊपरी सड़क पुल (उ.स.पु.) का प्रस्ताव पुणे-सोलापुर खण्ड पर कि.मी. 246/0-1 पर मौजूदा समपार के बदलाव के बारे में है। समपारों का ऊपरी सड़क पुलों से बदलाव भागीदारी के आधार पर होता है। परन्तु राज्य सरकार ने मौजूदा नियमों के तहत अपेक्षित प्रस्ताव अभी तक प्रायोजित नहीं किया है। बहरहाल, यह ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने आस्थगित भुगतान के आधार पर महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की ओर से कार्य निष्पादित करने हेतु इरकॉन को निर्देश दिया है।

(2) किरकी बाजार-औंध में ऊपरी सड़क पुल-लोनावला और पुणे में कि.मी. 185/13-14 पर मौजूदा समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु प्रस्ताव नवम्बर, 95 में पुणे नगर निगम/छावनी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऊपरी सड़क पुल से समपारों का बदलाव भागीदारी के आधार पर होता है परन्तु न तो पुणे नगर निगम ने और न ही किरकी छावनी बोर्ड ने अभी तक आवश्यक पूर्व अपेक्षाएं पूरी नहीं की है जिससे कि रेलवे आगे कार्रवाई कर सके। किरकी छावनी बोर्ड को सितम्बर '98 में स्मरण कराया गया था।

(3) दपोडी में ऊपरी सड़क पुल-पुणे नगर निगम ने मार्च '93 में कि.मी. 182/8 ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिनसे यह कहा गया था

कि वे व्यवहार्यता की जांच करने के लिए रेलवे के इंजीनियरों के साथ संयुक्त निरीक्षण करें परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब पिम्परी चिंचवाड़ नगर निगम, जो अब इस मामले को देख रहा है, ने व्यवहार्यता की जांच करने के लिए संयुक्त निरीक्षण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। व्यवहार्यता का पता लगाने के पश्चात निक्षेप शर्तों पर कार्य को निष्पादित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन योजना

894. **श्री के.एस. राव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कोई गरीबी उन्मूलन योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो शामिल किए गए गांवों की जिले-वार संख्या क्या है; और

(ग) प्रत्येक जिले में कितनी राशि आबंटित तथा खर्च की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से भारत में गरीबी उपशमन परियोजना (आर.ए.एस./96/600) वर्ष 1996 से आंध्र प्रदेश के तीन सूखाप्रवण महबूबनगर, कर्नूल और अनन्तपुर जिलों के 20 मंडलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) शामिल किए गए गांवों की जिलावार संख्या और प्रत्येक जिले को आबंटित तथा खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:

जिले का नाम	शामिल किए गए गांवों (बसावटों) की संख्या	आबंटित की गई राशि	खर्च की गई राशि
महबूबनगर	290	2,02,13,526 रु.	1,92,99,930 रु.
कर्नूल	176	1,98,80,646 रु.	1,82,74,707 रु.
अनन्तपुर	275	2,04,83,295 रु.	1,01,09,194 रु.

मैट्रो रेल परियोजना

895. **श्री नादेन्दला भास्कर राव:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन ने भूमिगत मैट्रो परियोजना पर सर्वेक्षण हेतु राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जंतर मंतर और कश्मीरी गेट के पास भूमिगत पथ के प्रस्तावित कार्य पर आपत्ति प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशालाएं जंतर मंतर और कश्मीरी गेट

स्मारक स्थलों सहित मैट्रो कॉरीडोर (गलियारे) के पांच स्थानों पर कंपमी पर सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया है। यह सर्वेक्षण/अध्ययन दो बार में अर्थात् निर्माण कार्य आरंभ होने से पहले (लगभग 3 महीनों के लिए) और निर्माण अवधि के दौरान, निर्माण कार्य अवधि समाप्त होने तक होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) स्मारकों में किसी प्रकार की क्षति के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आशंका निम्नानुसार है:

(1) जंतर मंतर/कश्मीरी गेट स्मारक/सिटी बाल की सुरक्षा हेतु उसके निकट जाने वाली भूमिगत मेट्रो कॉरीडोर, गलियारे) को मिलाना।

(2) कश्मीरी गेट स्मारक/सिटी बाल की सुरक्षा हेतु उसके निकट से जाने वाली भूतल/उत्थित रेल कॉरीडोर (गलियारे) को मिलाना।

(ङ) दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित उपचारी उपाय किये जायेंगे:

(1) निर्माण कार्य शुरू करने से पहले इसके सामर्थ्य के बढ़ने के लिए भूमि को मजबूत करना।

(2) निर्माण अवधि के दौरान कंपन को कम से कम करने के लिए उपयुक्त निर्माण कार्य प्रणाली का चयन।

(3) रेल संचालन के कारण उत्पन्न कंपन को अधिकांशत: पटरी की संरचना में ही समाहित करने के लिए विशेष ट्रैक फिटिंग का उपयोग।

(4) परियोजना के जनरल कंसलटेंट और राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा दिये जाने वाले सुझावों के अनुसार अन्य उपचारी उपाय करना।

[हिन्दी]

पठानकोट-जोगेन्द्र नगर रेल [illegible] का आमान परिवर्तन

896. श्री सुरेश चन्देल: क्या रेल मंत्री यह [illegible] की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष संसद में हिमाचल में पठानकोट-जोगेन्द्र नगर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और जोगेन्द्र नगर से मंडी और कुल्लू तक रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराने का वायदा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की इस समय क्या स्थिति है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां, परन्तु केवल पठानकोट-जोगिन्दर नगर के आमान परिवर्तन हेतु।

(ख) सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और इसे फिलहाल 30.9.99 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेवाओं में सेवानिवृत्ति आयु

897. श्री अजय कुमार एस. सरनायक:
श्री सी.डी. गामीत:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में आयु वृद्धि के लिए कार्मिक मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या इस संबंध में विशेषज्ञ और कार्मिकों के विचार भी प्राप्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पांचवें वेतन आयोग ने शारीरिक उपयुक्तता और लड़ाकू क्षमता के आधार पर सशस्त्र सेना के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने की सिफारिश नहीं की थी; और

(ङ) यदि हां, तो सशस्त्र सेवाओं में सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सैन्य अफसरों की सेवानिवृत्ति आयु में सामान्य वृद्धि की कोई सिफारिश नहीं की है। तथापि वेतन आयोग ने सिविलियन कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु में दो वर्ष की सामान्य वृद्धि किए जाने और तीनों सेनाओं के अफसरों की पेंशन संबंधी हकदारी के निर्धारण के लिए उनकी अर्हक सेवा में दो वर्ष का अतिरिक्त [illegible] दिए जाने की सिफारिश की है।

2. तत्पश्चात् सैन्य अध्यक्षों की समिति ने सशस्त्र सेनाओं के प्रत्येक रैंक के लिए सेवानिवृत्ति आयु 2 वर्ष बढ़ाये जाने की सिफारिश की और साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि से उनकी लड़ने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. जब सरकार द्वारा 1998 में सिविलियन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया था तो कार्मिक विभाग ने सशस्त्र सेना कार्मिकों के संबंध में रक्षा मंत्रालय के विचार मांगे। प्रधान कार्मिक अफसर समिति ने इस बात पर बल दिया कि सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों के अफसरों और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि की जाए। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

विमान दुर्घटना की जांच

898. श्री नरेश पुगलीया:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 30 जुलाई, 1998 को इंडियन एयरलाईंस के डार्नियर एयर क्राफ्ट (डी.ओ.-228) को कोचीन विमानपत्तन से उड़ान भरने के पश्चात् दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच के आदेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई त्रुटिरहित नीति अपनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी, हां। इस दुर्घटना के बारे में, वायुयान नियम, 1937 के नियम 74 के अधीन भारत सरकार द्वारा नियुक्त एयर मार्शल पी. राजकुमार की अध्यक्षता में जांच समिति द्वारा, जांच कर ली गयी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी समीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) विभिन्न संरक्षा संबंधी उपाय क्या विभिन्न दुर्घटनाओं के बारे में जांच-पड़ताल से प्रभावित सिफारिशों का कार्यान्वयन, फ्लाइट डाटा रिकार्डर्स की मानीटरिंग, संरक्षा संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार, उड़ान निरीक्षकों द्वारा निगरानी हवाई अड्डा का सांविधिक निरीक्षण, प्रचालकों की संरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षा, सावधिक कार्य स्थल संबंधी जांच आदि सतत आधार पर किए जाते हैं ताकि दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

शिमला के नजदीक सेना का हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त

899. श्री डी.एस. अहिरे:
श्री भालिकराव होडल्या गावीत:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 19 अक्तूबर, 1998 को किन्नौर जिला (शिमला) के सागनी गांव में सेना का एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितनी जान-माल की हानि हुई; और

(घ) इस संबंध में की गयी जांच पड़ताल का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज): (क) जी, हां।

(ख) दो चीता हेलिकॉप्टरों ने 19 अक्तूबर, 1998 को लगभग 0945 बजे करचेम गांव से उस क्षेत्र में फंसे हुए लंबी दूरी की चौकसी वाले दल को भोजन और अन्य अनिवार्य वस्तुएं गिराने के एक कल्याणकारी अभियान पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के लगभग 10 से 20 मिनट के बाद एक हेलिकॉप्टर बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नजदीकी गांव के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हेलिकॉप्टर को कलाबाजियां खाते हुए घाटी में चोटों और टंगे रोप-वे से टकराने तक नीचे की ओर आते हुए देखा गया।

(ग) इस दुर्घटना में दोनों पायलटों की जानें चली गई और हेलिकॉप्टर ध्वस्त हो गया। सिविलियन के जान और माल की कोई क्षति नहीं हुई।

(घ) जांच अदालत चल रही है।

विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान का कार्यक्रम

900. श्री प्रसाद राव राव तनपुरे:
श्री एस. एस. अहलूवालिया:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान का विचार बहुराष्ट्रीय निगमों को अपनी सेवा उपलब्ध कराके और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने बहुराष्ट्रीय निगमों को यह सेवा प्रदान की गई है;

(घ) यह सेवा प्रदान करके कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ङ) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान की योजना और अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह सेवा प्रदान करने की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का बहुराष्ट्रीय निगमों (एम.एन.सी.) को अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराके विदेशी मुद्रा अर्जित करने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बहुराष्ट्रीय निगमों (एम.एन.सी.) को फील्ड सेवाएँ तथा "कस्टमाइज्ड डाटा पैकेज" आदि उपलब्ध कराके उनसे भारतीय मुद्रा अर्जित करता है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

जी.एस.आई. सर्वेक्षण

901. श्री अशोक प्रधान: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का विचार विभिन्न राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हाँ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न राज्यों में फील्ड सीजन 1998-99 के दौरान कुल 241 सर्वेक्षण किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 19 सर्वेक्षणों का प्रस्ताव है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1998-99 के दौरान प्रस्तावित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की विभिन्न फील्ड सर्वेक्षण मदों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत है:

राज्य	खनिज अन्वेषण	विशिष्ट विषयक मानचित्रण	पर्यावरण संबंधी सर्वेक्षण	हिमनद विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण	कुल
1	2	3	4	5	6
अरूणाचल प्रदेश	1	–	2	–	3
असम	1	–	3	–	4
मेघालय	5	1	2	–	8
मिजोरम	–	–	–	–	–
नागालैंड	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा	–	–	1	–	1
आंध्र प्रदेश	18	5	3	–	26
कर्नाटक	15	1	2	–	18
केरल	7	–	–	–	7
तमिलनाडु	5	–	2	–	7
महाराष्ट्र	16	1	2	–	19
मध्य प्रदेश	21	5	2	–	28
राजस्थान	24	1	5	–	30
गुजरात	5	2	1	–	8
उत्तर प्रदेश	9	2	7	1	19
हरियाणा	–	–	2	–	2
हिमाचल प्रदेश	2	–	3	–	5
जम्मू व कश्मीर	2	1	1	1	5
पश्चिम बंगाल	9	1	3	–	13
बिहार	13	2	1	–	16
उड़ीसा	13	4	3	–	20
सिक्किम	1	–	1	–	2
कुल	167	26	46	2	241

[हिन्दी]

एअर इंडिया में कर्मचारियों की संख्या

902. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:**
डा. चिन्ता मोहन:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 1998 के अनुसार, एअर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस में कार्यरत स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) इस संबंध में संसार के चार प्रमुख एअरलाइनों की तुलना में एअर इंडिया में विमानों और कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है; और

(ग) इन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में 31.3.98 की स्थिति अनुसार श्रेणी-वार कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार से है:

श्रेणी		एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
1		2	3
1.	अधिशासी		
(i)	पायलट	81	92
(ii)	अभियंता/तकनीकी अधिकारी (अभियंत्रण)	189	263
(iii)	उड़ान अभियंता	7	3
(iv)	सामान्य अधिकारी/तकनीकी अधिकारी (गैर-अभियंत्रण)	152	252
2.	लाइन पायलट	318	311
3.	उड़ान अभियंता	54	35
4.	ग्राउंड अनुदेशक	10	17

1		2	3
5.	विमान अभियंता/तकनीकी अधिकारी (अभियंत्रण)	643	661
6.	सामान्य अधिकारी/तकनीकी अधिकारी (गैर-अभियंत्रण)	2165	1417
7.	केबिन कर्मीदल	1925	978
8.	तकनीशियन	1739	3060
9.	गैर-तकनीकी स्टाफ	7601	7572
10.	अन्य (ग्रेड 1/2)	3113	6359

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:

एयरलाइन	प्रति विमान कर्मचारियों की संख्या
एअर इंडिया	659
ब्रिटिश एयरवेज	184
के.एल.एम.	222
लुफ्थांसा	179
सिंगापुर एयरलाइंस	328

(ग) स्टाफ-क्षमता घटाने के लिए एअर इंडिया ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) गैर-प्रचालनात्मक श्रेणियों में बाहरी भर्ती पर रोक।

(2) 781 रिक्त पदों की समाप्ति।

(3) कर्मचारियों की गैर-प्रचालनात्मक क्षेत्रों से प्रचालनात्मक क्षेत्रों में पुन: प्रतिनियुक्ति।

(4) दो स्वैच्छिक योजनाएं यथा साप्ताहिक शार्टर वर्किंग योजना तथा दो वर्ष की समयावधि तक अथवा पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जाने योग्य बिना वेतन/भत्ता के छुट्टी योजना अधिसूचित कर दी गई है।

प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

903. **श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:**
श्री अमरपाल सिंह:
श्री तथागत सत्पथी:
श्रीमती जयन्ती पटनायक:
डा. अशोक पटेल:
श्री मोहन राव्हले:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक छोड़े गये विभिन्न प्रक्षेपास्त्रों का तारीख-वार ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) वर्तमान में जारी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) निकट भविष्य में छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों का ब्यौरा क्या है और उनके संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सेना में शामिल किये जा चुके और निकट भविष्य में सेना में शामिल किये जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ)

प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने पुन: प्रवेश प्रौद्योगिकी प्रदर्शक अग्नि और चार प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां अर्थात् सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र "पृथ्वी", मध्यम दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र-"आकाश" कम दूरी पर सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र "त्रिशूल" और टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र "नाग" के विकास की परिकल्पना करते हुए 1983 में "एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम" चलाया था।

संचालित उड़ान परीक्षण

पृथ्वी का पहला विकासात्मक प्रक्षेपण 25.2.1988 को और अंतिम 23.2.1997 को 250 कि.मी. की दूरी का प्रक्षेपण किया गया था। अब तक सोलह उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं। आकाश प्रणाली का पहला विकासात्मक प्रक्षेपण 14.9.1990 को अंतिम प्रक्षेपण 5.9.1998 को किया गया था। निर्देशन सहित सभी उप प्रणालियों को परखते हुए अब तक बारह उड़ान परीक्षण किये जा चुके हैं। त्रिशूल का पहला विकासात्मक उड़ान परीक्षण 16.9.1985 को और अंतिम 16.11.1998 को किया गया था। अब तक किए गए तैंतालीस उड़ान परीक्षणों से विभिन्न त्रिशूल प्रणालियां प्रमाणित हुई हैं। कृत्रिम लक्ष्यों के विरुद्ध और सी स्कीमर विरोधी भूमिका के संबंध में किये गये अंतिम उड़ान नौसेना संरुपण के पूर्णत: अनुरूप थी। टैकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र नाग का प्रथम विकासात्मक उड़ान परीक्षण 7 फरवरी, 1998 को तथा अंतिम उड़ान 8 अगस्त, 98 को संचालित की गई थी। अब तक संचालित की गई चौंतीस उड़ानों से ट्यूब लांच सहित नाग की विभिन्न उप प्रणालियों को सिद्ध कर दिया हैं।

पुन: प्रवेश प्रौद्योगिकी प्रदर्शक अग्नि को पहली बार 22 मई, 1989 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। इसको अंतिम बार 19 फरवरी, 1994 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अब तक संचालित तीन उड़ान परीक्षणों ने पुन: प्रवेश, सटीक निर्देशन तथा कार्य साधक उड़ान पथ को सिद्ध कर दिया है। इस परियोजना के उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। सरकार ने लंबी दूरी वाले अग्नि को एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के रूप में स्वीकृत कर लिया है।

वर्तमान स्थिति तथा भावी योजनाएं

150 कि.मी. दूरी वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र को सेना में शामिल कर लिया गया है। 250 कि.मी. दूरी वाली पृथ्वी के वायुसेना रूपांतर का विकास पूरा कर लिया गया है तथा इसे वायुसेना में शामिल किया जाएगा। पृथ्वी के नौसेना रुपांतर पर कार्य चल रहा है। सेना और नौसेना के लिए त्रिशूल प्रणाली के 1999 के पूर्वार्ह्न में प्रयोक्ता परीक्षण चरण में प्रवेश करने की आशा है। नाग तथा आकाश का विकास 1999 में पूरा हो जाएगा इसके बाद इनका प्रयोक्ता परीक्षण किया जाएगा। प्रयोक्ता परीक्षणों के पूरा होने पर इन प्रक्षेपास्त्रों का उत्पादन किया जाएगा/उन्हें शामिल किया जाएगा।

रक्षा प्रयोजनों के लिए सिविल विमानपत्तनों का उपयोग

904. श्रीमती सूर्यकांता पाटील: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौसेना और वायुसेना के विमानों को उड़ाने के लिए गुजरात कांडला सिविल विमानपत्तन को सुसज्जित एयर बेस बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ग) क्या नागर विमानन मंत्रालय ने इस प्रयोजनार्थ अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) उक्त विमानपत्तन को सेना एयर बेस के रूप में कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

झझीमाला नौसेना अकादमी हेतु धनराशि

905. **श्री टी. गोविन्दन:**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में ''झझीमाला नौसेना अकादमी'' स्थापित करने के मामले में अभी तक क्या प्रगति हुई है और वर्तमान में इस मामले की क्या स्थिति है; और

(ख) अभी तक कितना व्यय किया गया है और धनराशि बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है, ताकि इसकी स्थापना का कार्य समय पर पूरा किया जा सके?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आधारभूत सुविधाएं पूरा होने के विभिन्न स्तरों पर हैं। वास्तुविद के साथ परामर्श संबंधी समझौता 9 जनवरी, 1998 को किया गया है। वास्तुविदों ने विभिन्न ढांचों के लिए स्थलों को अंतिम रूप दिये जाने के लिए स्थलाकृति संबंधी विस्तृत सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिया है।

(ख) इस कार्य में अब तक 497.5 लाख रुपये खर्च हुए हैं और इस परियोजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन के अनुरूप तथा समय पर इसे आरंभ करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

एयरलाइंस द्वारा संचालित कार्गो तथा वायु यातायात में गिरावट

906. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा वायु-यातायात तथा माल-भाड़े के संचालन में उल्लेखनीय गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षमता के कम प्रयोग करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (घ) वाहित यात्री, विमान में लादे गए सामान और सीट गुणक के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष		यात्रियों की संख्या (मिलियन में)	ले जाया गया कार्गो (हजार टन में)	सीट गुणक (प्रतिशत)
इंडियन एयरलाइंस	1996-97	8.2*	79.50	69.8
	1997-98	8.4*	81.20	68.8
एअर इंडिया	1996-97	2.91	66.57	65.9
	1997-98	2.97	68.01	67.8

*अंतरराष्ट्रीय वाहित यातायात सहित क्षमता की उपयोगिता में सुधार करने के लिए दोनों एयरलाइनों ने मार्केटिंग संबंधी विभिन्न उपाय किये हैं।

[हिन्दी]

रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को बोनस

907. **श्री दादा बाबूराव परांजपे:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 22 सितंबर, 1998 को जबलपुर मध्य प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की थी जहां उन्होंने उनको नए फार्मूले के अनुसार बोनस के भुगतान का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीस): (क) और (ख) जी, नहीं। मैंने 22 सितम्बर, 1998 को जबलपुर का दौरा नहीं किया और नए फार्मूले के अनुसार बोनस का भुगतान करने का कोई आश्वासन नहीं दिया।

नई रेल लाइनें बिछाना

908. **श्री रामनारायण मीणा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेल के अंतर्गत नई रेल लाइनें बिछाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बूंदी-अजमेर रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) वेरावल-कोडिंनार, इंदौर-बूंदी, कोडिनार-पिपावाव, बरन-शिवपुरी, डुंगरपुर-रतलाम-बांसवाड़ा, पलवल-अलवर, छोटा उदयपुर-धार, पोरबंदर-पोरबंदर पोर्ट-उज्जैन-रामगंज मंडी, जयपुर-टोंक, मेड़ता रोड-अजमेर, धानू रोड-नासिक रोड, दिल्ली-अहमदाबाद मुख्य लाइन पर गांधी नगर तक संपर्क लाइन तथा उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे लाइन के साथ नदियाड-कपवडवंज-मोडासा रेलवे लाइन को जोड़ने हेतु नई लाइनों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद इन परियोजनाओं पर आगे विचार करना संभव होगा।

बहरहाल, फिलहाल बूंदी-अजमेर रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम से दिल्ली की सीधी विमान सेवा को बंद करना

909. **प्रो. पी.जे. कुरियन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिवेन्द्रम से दिल्ली मार्ग के लिए सीधी विमान सेवा बन्द कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे पुन: शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या दिल्ली के यात्रियों को बम्बई में उतर कर त्रिवेन्द्रम जाने के लिए नये बोर्डिंग पास प्राप्त करने पड़ते हैं जबकि वही विमान त्रिवेन्द्रम जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या त्रिवेन्द्रम उतरने वाले यात्रियों के सामान के चोरी होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(च) यदि हां, तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (च) विमान उपलब्धता संबंधी कठिनाइयों तथा न्यून यात्री मांग के कारण पूरे नेटवर्क में दिल्ली-त्रिवेन्द्रम सेवा सहित अनेक मार्गों पर सेवाएं ग्रीष्मकालीन अनुसूची में अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई थी। शीतकालीन अनुसूची के दौरान 26.10.98 से ही मुम्बई होकर दिल्ली-त्रिवेन्द्रम-दिल्ली सेक्टर पर यात्रियों के लिए सुविधाजनक संयोजन संबंधी सुविधा मुहैया की गई है।

(ङ) और (च) दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के मुम्बई में विमान बदलते समय अवधि के दौरान यात्री सामान का ठीक से रखरखाव न कर पाने के कुछ मामले

सामने आए हैं। इस समस्या को दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के लिए सीधी उड़ान शुरू करके नियंत्रित कर लिया गया है।

रेल दुर्घटनाएं

910. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में दिए गए सुझावों की अनदेखी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या लखनऊ स्थित आर.डी.एस.ओ. द्वारा चौकीदार रहित रेल फाटकों पर दुर्घटना रोकने हेतु कोई त्रुटि रहित प्रणाली तैयार नहीं की गई है;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश में हुई प्रत्येक रेल दुर्घटना की जांच के लिए गठित समितियों द्वारा दी गई रिपोर्टों में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन रिपोर्टों में क्या-क्या मुख्य सुझाव दिए गए हैं तथा इनमें से कितने सुझावों को क्रियान्वित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश में हुई रेल दुर्घटनाओं के संबंध में सभी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो अभी तक कितनी रिपोर्टें प्राप्त होनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी नहीं। सभी स्वीकार्य सुझाव/सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता है। बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती है।

(ग) और (घ) क्षति की मात्रा के आधार पर अधिकारियों की समिति द्वारा अथवा रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा प्रत्येक दुर्घटना की जांच की जाती है। स्वीकार्य सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता है।

(ङ) से (छ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान 1543 दुर्घटनाएं हुई। 1503 दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं और 40 दुर्घटना के मामलों की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

कोंकण रेल को मंगलौर तक बढ़ाया जाना

911. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोंकण रेल को मंगलौर तक बढाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) जी हाँ। पनवेल (उत्तर में) से मंगलौर (दक्षिण में) तक परिचालन अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव समिति को भेजा गया है। रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

लागत कम करने के उपाय

912. श्री श्रीराम चौहान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने परामर्शदाताओं द्वारा सुझाए गए लागत कम करने के उपायों को अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे ने चूककर्ता औद्योगिक इकाइयों से बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी नहीं, रेलों ने लागत में कमी करने हेतु सुझाव के लिए कोई परामर्शदाता नियुक्त नहीं किया है। बहरहाल, रेलों के व्यय में कटौती करने का सतत् प्रयास रहता है।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों/बिजली घरों तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों से बकाया राशि वसूल करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(1) क्षेत्रीय रेलों द्वारा बकाया राशियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और राज्य बिजली बोर्डों/बिजली घरों तथा अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें रेलवे बकाया राशि के भुगतान हेतु समझाया जा सके।

(2) जब बकाया राशियों को वसूल करने के सामान्य प्रयास विफल हो जाते हैं तब रेलें ऐसी बकाया राशियों का ऐसे संगठनों को देय राशि से समायोजन भी करती हैं यदि कोई हों तो बिजली कर्षण बिलों के साथ रेलों के मालभाड़ा बिलों का समायोजन भी समय समय पर किया जा रहा है।

(3) राज्य बिजली बोर्डों के पिछले बकाया देय भी वसूल किये जा रहे हैं और कुल परिव्यय की 15% की दर पर केन्द्रीय योजना सहायता से विनियोग द्वारा समायोजित किया जाता है। भारतीय रेलों को देय अनुपात के आधार पर अनुपातिक तौर पर वित्त मंत्रालय द्वारा वितरित किया जाता है।

सहायक श्रम आयुक्त, मुंबई के समक्ष इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों से संबंधित मामले

913. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष मुम्बई तथा दिल्ली में इंडियन एयरलाइंस के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा इसके निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) विभिन्न संघों/एशोसिएशनों/व्यक्ति विशेषों द्वारा उठाए गए 16 औद्योगिक विवाद मुंबई और दिल्ली में सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष लंबित है। इन मामलों के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ख) औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए प्रबंधक वर्ग के दृष्टिकोण का निर्धारण करने के लिए सहायक श्रम आयुक्तों द्वारा निर्धारित मैत्री-सभा में इंडियन एयरलाइंस के प्रतिनिधि नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं। प्रबंधक वर्ग भी मान्यता प्राप्त संघों/एशोसिएशनों से उनके द्वारा उठाए गए विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए उनसे विचार-विमर्श करता रहा है।

विवरण I

सहायक श्रम आयुक्त, मुंबई के समक्ष लंबित विवाद

विवाद की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
1	2
1. जांच केबिन कर्मीदल पोस्ट का श्री एस.जी. चिपलुकर फ्लाइट पर्सर (वरिष्ठ श्रेणी) की अस्वीकृति संबंधी एयरलाइंस केबिन कर्मीदल द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है।
2. एक परेषण में से चोरी करने के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई के बाद उनकी मुअत्तली से संबंधित श्री एस.आर. कंचन द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है।
3. ग्रेच्यूटी (उपदान) के भुगतान संबंधी श्री एस. गोपालकृष्ण द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है।

1		2
4.	69 ठेका कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने संबंधी मुंबई मजदूर संघ द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है।
5.	50 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने संबंधी मुंबई मजदूर संघ द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है।
6.	निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन कार्यक्रम संबंधी ए.सी.ई.यू. द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है।
7.	वायु निगम अधिनियम को निरस्त करने के विरोध में 16.12.93 की रात्रि पारी से 17.12.93 की रात्रि पारी के शुरू होने तक 24 घंटे के हड़ताल संबंधी दिनांक 15.12.93 को हड़ताल नोटिस संबंधी ए.सी.ई.यू. द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है।
8.	श्री वी.पी. पंचाल, लोडर की परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा समाप्त करने के संबंध में ए.सी.ई.यू. द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है।
9.	श्री जी.वी. जैकॉब द्वारा स्थायी रूप से मूल वेतन में दो अवस्थाओं को घटाकर दण्ड देने संबंधी ए.सी.ई.यू. द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है। सहायक श्रमायुक्त को 09.09.98 को श्री जैकॉब के अधिकार त्याग की सलाह दी जा रही है।
10.	सुश्री पूजा चिंचकर, विमान परिचारिका की घटना में ए.सी.ई.यू. द्वारा उठाया गया विवाद 24.7.94 को कालीकट में आई.सी.-990 उड़ान के आगमन पर एक यात्री के माध्यम से कतिपय सामानों को क्लियर करने के प्रयास के बारे में था। चेतावनी के अलावा कालीकट में होटल-लागत की वसूली तथा पैसेंजर का खर्चा उसके नामे डाल दिया गया था। एक वर्ष तक किसी अंतरराष्ट्रीय उड़ान में उसकी ड्यूटी भी नहीं लगाई गई थी।	समाधान-कार्यवाही चल रही है।

1	2
11. सुश्री वत्सना चौधरी, विमान परिचारिका की घटना में ए.सी.ई.यू. द्वारा उठाया गया विवाद 24.7.94 को कालीकट में आई.सी.-990 उड़ान के आगमन पर एक यात्री के माध्यम से कतिपय सामानों को क्लियर करने के प्रयास के बारे में था। चेतावनी के अलावा कालीकट में होटल-लागत की वसूली तथा पैसेज का खर्चा उसके नामे डाल दिया गया था। एक वर्ष तक किसी अंतरराष्ट्रीय उड़ान में उसकी ड्यूटी भी नहीं लगाई गई थी।	समाधान-कार्यवाही चल रही है।
12. धोखाधड़ी के लिए अनुशासनिक कार्रवाई करके श्री अजय मुखर्जी को बर्खास्त किए जाने के संबंध में ए.सी.ई.यू. द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान की कार्यवाही चल रही है।

विवरण II

सहायक श्रम आयुक्त, दिल्ली के समक्ष लंबित विवाद

क्र.सं.	विवाद की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	मैसर्स नेहा इंटरनेशनल, ठेकेदार द्वारा जिन्होंने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर दस कर्मचारी मुहैया करवाये थे, उन कर्मचारियों के अर्जित अवकाश, बोनस, समयोपरि भत्ते इत्यादि के बकाया के भुगतान के संबंध में उठाया गया विवाद।	समाधान-कार्यवाही चल रही है।
2.	श्री साहिब सिंह, पूर्व आकस्मिक टंकक जिनकी सेवा 1994 के सी.डब्ल्यू.पी. 4113 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसरण में कार्यमुक्त कर दी गई थी द्वारा उठाया गया विवाद जिन्होंने प्रार्थना की थी कि उनका विवाद न्यायनिर्णयन हेतु औद्योगिक अधिकरण को भेजा जाये।	समाधान-कार्यवाही चल रही है।

1	2	3
3.	श्री ओम प्रकाश, पूर्व सफाई कर्मचारी द्वारा जिसे विधिवत् विभागीय जांच की प्रक्रिया के बाद अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, सेवा में पुनर्स्थापन हेतु उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है।
4.	दिनांक 2.3.1993 के ज्ञापन के निर्वचन के बारे में आई.सी.पी.ए.* द्वारा उठाया गया विवाद	समाधान-कार्यवाही चल रही है।

*भारतीय वाणिज्यिक पायलट एसोसिएशन

बाढ़ से क्षतिग्रस्त रेल लाइन

914. **श्रीमती जयन्ती षटपथक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न जोनों में हाल की वर्षा तथा बाढ़ से रेल लाइन को हुई क्षति का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इनका जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रेल लाइनों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) क्षतिग्रस्त रेलपथ की मरम्मत करने और कम से कम संभव समय में यातायात को बहाल करने के लिए तत्काल उपाय किए गए थे तथा पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण रेलों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी स्थानों पर यातायात बहाल कर दिया गया है।

विवरण

(ख) हाल की वर्षा और बाढ़ में सभी क्षेत्रीय रेलों पर रेलपथ से क्षति हुई है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

रेलवे जोन	क्षतिग्रस्त खंड	वर्तमान स्थिति
1	2	3
मध्य रेलवे	कल्याण-करजत (दक्षिण-पूर्व)	बहाल कर दिया गया है
मध्य रेलवे	सी.एस.टी.एम.-कुर्ला	बहाल कर दिया गया है
मध्य रेलवे	खंडवा-इटारसी	बहाल कर दिया गया है

1	2	3
मध्य रेलवे	कल्याण-कसरा (पूर्वोत्तर)	बहाल कर दिया गया है
मध्य रेलवे	कुर्ला-कल्याण	बहाल कर दिया गया है
मध्य रेलवे	इटारसी-नागपुर	बहाल कर दिया गया है
मध्य रेलवे	बांदा-कानपुर	बहाल कर दिया गया है
पूर्व रेलवे	मलेडपारा-गौरमालदा	बहाल कर दिया गया है
पूर्व रेलवे	कानीहोस-बनारहाट	बहाल कर दिया गया है
पूर्व रेलवे	एन टी पी सी कहलगांव-भुलभरंगा	बहाल कर दिया गया है
पूर्व रेलवे	भुलभरंगा-बनारहाट	बहाल कर दिया गया है
पूर्व रेलवे	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन सिंगरौली-अनपरा खं.	बहाल कर दिया गया है
पूर्व रेलवे	जौनपुर सीवीएच-कैथहरिया	बहाल कर दिया गया है
पूर्व रेलवे	मनसुरपुर-सोनली	बहाल कर दिया गया है
उत्तर रेलवे	[illegible]	बहाल कर दिया गया है
उत्तर रेलवे	[illegible]	बहाल कर दिया गया है
पूर्वोत्तर रेलवे	[illegible]	बहाल कर दिया गया है
पूर्वोत्तर रेलवे	[illegible]	बहाल कर दिया गया है
पूर्वोत्तर रेलवे	[illegible]	बहाल कर दिया गया है

1	2	3
पूर्वोत्तर रेलवे	दरभंगा-नरकटियागंज	बहाल कर दिया गया है
पूर्वोत्तर रेलवे	गोंडा-गोरखपुर	बहाल कर दिया गया है
पूर्वोत्तर रेलवे	दरभंगा-सिंघवाहिनीगंज	बहाल कर दिया गया है
पूर्वोत्तर रेलवे	सहरसा-पूर्णिया	बहाल कर दिया गया है
पूर्वोत्तर रेलवे	बलमंखी-बिहारीगंज	बहाल कर दिया गया है
पूर्वोत्तर रेलवे	मोना-सहरसा	बहाल कर दिया गया है
पूर्वोत्तर रेलवे	समस्तीपुर-दरभंगा	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	लखनिंग-बक्सर	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	सिलीगुड़ी-बागडोगरा	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	धेमाजी-सिलापथर	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	गोगामुख-धेमाजी	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	गोहपुर-हेलेम	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	सवगंज-बालिसागंज	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	नगरुकाटा-चलसा	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	धेकियाजुली-गाइघट	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	नलबारी-धोलसर	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	रंगिया-गौरेश्वर	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	बालिसागंज-धोलबाली	बहाल कर दिया गया है

1	2	3
पू.सी. रेलवे	राजाभातावा जं.-कलचीनी	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	बल्लपारा-धालाबिल	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	मदारीहाट-दलगांव	बहाल कर दिया गया है
पू.सी. रेलवे	मणिहारी-तेजनारायणपुर	कार्य प्रगति पर है
पू.सी. रेलवे	बारसोई-रायगंज	कार्य प्रगति पर है
पू.सी. रेलवे	तेजपुर यार्ड	कार्य प्रगति पर है
पू.सी. रेलवे	सिबसागर टाउन मोरानहाट	कार्य प्रगति पर है
पू.सी. रेलवे	मालदा कोर्ट-सिंघावा	कार्य प्रगति पर है
दक्षिण रेलवे	त्रिवेंद्रम-नागरकोइल	कार्य प्रगति पर है
द.म. रेलवे	डबोलियम-वास्को डि गामा	बहाल कर दिया गया है
द.पू. रेलवे	वैस्ट सेन्ट्रल बे	बहाल कर दिया गया है
पश्चिम रेलवे	इवानपुर-नवलखी	बहाल कर दिया गया है
पश्चिम रेलवे	इवानपुर-दहिमसारा	बहाल कर दिया गया है
पश्चिम रेलवे	गांधीधाम-ओल्ड कांडला पोर्ट	बहाल कर दिया गया है

महिलाओं को अतिरिक्त भूमि का आवंटन

915. **श्री के.एस. राव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985 में अतिरिक्त भूमि का 40 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं को देने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित सीमा से अधिक भूमि, भूदान भूमि और सरकारी बंजर भूमि को महिलाओं को आवंटित करने में राज्य सरकारों की असमानता के क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त निर्णय को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त निर्णय को लागू करने हेतु कोई कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) तथापि, 1988 में आयोजित राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सीमांत अतिरिक्त भूमि का 40 प्रतिशत महिलाओं को आवंटित किया जाएगा जिसे भारत सरकार द्वारा आयोजित बाद के राजस्व मंत्रियों के 1992, 1995 तथा 1997 के सम्मेलनों में तथा विभिन्न मंचों से दोहराया गया। राजस्व मंत्रियों को ऐसा अंतिम सम्मेलन 17 सितम्बर, 1998 को आयोजित हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ साथ इस बात की अनुशंसा की गई कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल लाभार्थियों में से 40 प्रतिशत केवल महिलाएं होनी चाहिए तथा बाकी लाभार्थियों की स्थिति में आवंटन पति तथा पत्नी के संयुक्त नाम से किया जाए।

उपर्युक्त सम्मेलनों की सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। लेकिन राज्य सरकारों से इस संबंध में अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है।

देश में शहरी आवास और रोजगार

916. **श्री मोहम्मद हसन:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सातवीं योजना और आठवीं योजनावधि के दौरान राज्य-वार शहरी आवास और रोजगार में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) नौवीं योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) शहरी आवास के संबंध में यह बताया जाता है कि आवास राज्य का विषय है अत: योजना प्राथमिकताओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं तैयार करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का दायित्व है जिसके लिए वे हडको से ऋण सहायता मांग सकती हैं। हडको आवास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा सके, इसके लिए सरकार ने 7वीं तथा 8वीं योजना के दौरान् 228 करोड़ रु. की इक्विटी सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, हडको को 1989-90 तक आय कर से छूट दी गई थी तथा 1991-92 तक लाभांश का भुगतान करने से भी छूट दी गई थी।

हडको ने नवीं योजना के दौरान आवास के लिए 8461 करोड़ रु. से ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 4630 करोड़ रु. ई.डब्ल्यू.एस. तथा निम्न आय वर्ग के लिए नियत किए गए हैं। जहां तक शहरी रोजगार का संबंध है, यह बताया जाता है कि यह मंत्रालय अक्तूबर, 1999 से नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) चला रहा है जिसका लक्ष्य सातवीं तथा आठवीं योजनावधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी बेरोजगार तथा अल्परोजगार वाले निर्धनों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

शहरी गरीबी की गंभीरता और समस्या की जटिलता को देखते हुए देश में नवंबर, 1995 में प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई पी ई पी) आरंभ किया गया था तथा यह योजना 30 नवंबर, 1997 तक लागू थी। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार समग्र उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

पहले के तीन कार्यक्रमों यथा नेहरू रोजगार योजना, गरीबों के लिए शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के विपणन के बाद से यह मंत्रालय 1.12.97 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) चला रहा है। 9वीं योजना के दौरान एस जे एस आर वाई जारी करने का प्रस्ताव है। यह से एस आर वाई के तहत सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित किए जाएंगे।

विवरण I

सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सूमे के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थी	सूमे के तहत कुल अब दिवस (लाख रु.)	शासू के तहत उत्पन्न रिक्तियों इकाइयां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	158658	32.87	150302
2.	अरूणाचल प्रदेश	853	2.20	–
3.	असम	9970	8.10	12749
4.	बिहार	22192	41.16	22703
5.	गोवा	1473	1.90	
6.	गुजरात	16958	13.26	508
7.	हरियाणा	18314	5.22	3560
8.	हिमाचल प्रदेश	3660	1.95	637
9.	जम्मू और कश्मीर	6161	2.79	3235

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	48598	35.76	8277
11.	केरल	27693	19.52	77842
12.	मध्य प्रदेश	131885	35.40	3
13.	महाराष्ट्र	87876	50.20	6200
14.	मणिपुर	5186	2.31	585
15.	मेघालय	1961	0.77	203
16.	मिजोरम	780	1.30	3900
17.	नागालैंड	-	-	-
18.	उड़ीसा	28717	17.00	13178
19.	पंजाब	23857	6.72	11171
20.	राजस्थान	57624	21.32	-
21.	सिक्किम	1359	2.01	-

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	109665	31.11	95428
23.	त्रिपुरा	2251	2.18	2730
24.	उत्तर प्रदेश	209265	118.08	29575
25.	प. बंगाल	44153	26.94	34900
26.	अण्डमान और नि. द्वीप	627	0.23	–
27.	चण्डीगढ़	368	0.57	–
28.	दादर नगर हवेली	210	0.12	45
29.	दमन और द्वीव	517	3.74	–
30.	दिल्ली	2122	एन.ए.	एन.ए.
31.	पांडिचेरी	2592	0.51	–
	योग	1025535	476.24	477731

विवरण 2

पी एम आई यू पी ई वी के तहत 30.11.97 तक प्राप्त वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कस्बा-वार तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट (कस्बों की संख्या)	घर-घर जाकर सर्वेक्षण (कस्बों की संख्या)	स्वरोजगार घटक के तहत आवेदन		आश्रय उन्नयन घटक के तहत आवेदन		लाभार्थियों की सं.
				बैंकों/वित्तीय संस्थानों को भेजे गए	अनुमोदित	बैंकों/बुडको को भेजे गए	अनुमोदित	जिन्हें लघु उद्यमों के स्थापना के लिए प्रशिक्षण दिया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	34	34	9651	1368	3286	152	1121
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	24	–	–	–	–	–	–
5.	गोवा	1	1	275	84	–	–	38
6.	गुजरात	–	27	–	–	–	–	–
7.	हरियाणा	8	8	–	–	1090	1090	–
8.	हिमाचल प्रदेश	7	7	–	–	–	–	–
9.	जम्मू कश्मीर	–	–	–	–	390	390	50
10.	कर्नाटक	17	16	216	–	390	390	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	केरल	9	9	2951	907	1650	1650	1113
12.	मध्य प्रदेश	26	26	9510	4155	1219	297	3618
13.	महाराष्ट्र	28	28	3834	415	625	625	–
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	3	3	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	2	2	–	–	–	–	100
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	10	10	1169	466	–	–	273
19.	पंजाब	5	18	1855	481	899	91	208
20.	राजस्थान	20	20	7228	1304	4100	3343	1172
21.	सिक्किम	41	41	6437	1144	1769	–	1599
22.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	225

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	त्रिपुरा	–	–	253	253	139	139	–
24.	उत्तर प्रदेश	53	50	5134	1142	8469	8469	444
25.	प. बंगाल	15	16	2470	625	1318	1183	1402
26.	अं. और नि. द.	–	–	–	–	–	–	–
27.	पांडिचेरी	–	1	113	39	145	25	–
	योग	303	317	51251	12383	25635	17844	ईआरआर

कम्प्यूटरीकरण

917. श्री एस. अजय कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे उपस्करों के कम्प्यूटरीकरण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और राज्यवार विशेषकर केरल में लागू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कम्प्यूटरीकरण कार्य के भाग के रूप में सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) चूंकि रेलें केन्द्र का विषय है इसलिए कम्प्यूटरीकरण सहित सभी परियोजनाओं के लिए बजटीय व्यवस्था रेलवे जोनवार की जाती है। उसी तरह विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का लेखा-जोखा जोनवार रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के कम्प्यूटरीकरण पर खर्च की गई राशि निम्नलिखित है:

परियोजना का नाम	खर्च की गई राशि (लाख रुपयों में)
मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली (फोइस)	54.26
माली आरक्षण प्रणाली को नेटवर्किंग (पी आर एस)	14.17
प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस)	चालू वित्त वर्ष में स्वीकृत

उपर्युक्त सभी परियोजनाएं सभी भारतीय रेलों के लिए हैं और मौजूदा मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली को प्रथम चरण में उत्तर रेल पर क्रियान्वित किया जाना है। मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली पर उपर्युक्त राशि खर्च कर दी है। उत्तर रेल पर सफलतापूर्वक लागू हो जाने पर इस परियोजना का विस्तार सभी भारतीय रेलों पर किया जाएगा।

(ख) रेलवे बजट 1999-2000 के भाग के रूप में इसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

सीटों पर अनधिकृत कब्जा किया जाना

918. श्री अनूप लाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलों में विशेषकर पूर्व की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में अनधिकृत यात्रियों के कारण आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले टिकटधारकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने यात्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों को सजा देने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन करने अथवा जुर्माना राशि को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) ऐसे व्यक्तियों की कुछ घटनाओं की जानकारी मिली है जो अधिकांशत: स्थानीय क्षेत्रों के रहने वाले कम दूरी की यात्रा करने वाले होते हैं तथा अनधिकृत रूप से आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करते हैं। इस बुराई को रोकने की दृष्टि से नियमित रूप से जांच की जाती है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1998 (सितम्बर, 98 तक) के दौरान गाड़ियों में अवैध तरीके से यात्रा करने हेतु 1.62 लाख व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया।

(ग) से (ङ) गाड़ियों में अनधिकृत रूप से यात्रा करने हेतु रेलवे अधिनियम 1989 में उल्लिखित प्रावधानों में जुर्माना एवं जेल के बारे में भारी शास्ति का उल्लेख किया गया है। फिलहाल इन प्रावधानों को काफी कठोर एवं निवारक समझा जाता है।

[अनुवाद]

मुम्बई उपनगरीय रेलवे

919. डा. सुब्बुरथ्यम स्वामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों ही के द्वारा मुम्बई उपनगरीय यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाएं और सुविधाएं अपर्याप्त और असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई क्षेत्र के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में यात्रा को और संतोषजनक बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) मध्य और पश्चिम रेलवे द्वारा मुम्बई क्षेत्र में उपनगरीय रेलवे नेटवर्क से अलग-अलग कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या मुम्बई में दोनों रेलवे जोन्स में से प्रत्येक के उपनगरीय नेटवर्क की तुलना में मध्य रेलवे के उपनगरीय नेटवर्क के लिए बजट आबंटन कम तथा अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा मुम्बई में मध्य रेलवे उपनगरीय रेल नेटवर्क के लिए बजटीय समर्थन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) ई एम यू रेकों तथा अन्य कारणों की उपलब्धता पर निर्भरता करते हुए मुंबई क्षेत्र में मध्य और पश्चिम रेलवे पर उपनगरीय गाड़ियों, ई एम यू (बिजली चालित गाड़ियों) में वृद्धि/शुरुआत करना एक सतत् प्रक्रिया है। 1998-99 के दौरान मध्य रेल में उपनगरीय गाड़ियों की संख्या 1063 से बढ़कर 1077 तथा पश्चिम रेल में 953 से 961 हो गई है। इनमें से मध्य रेल पर 12 कार ई एम यू गाड़ियों की संख्या भी 71 से बढ़कर 90 तथा पश्चिम रेल पर 182 से बढ़कर 203 हो गई है।

मुम्बई क्षेत्र के उपनगरीय खण्ड पर सभी स्टेशनों पर यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप मानदण्डों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इनकी पर्याप्तता की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और जहां कहीं कमियां पाई जाती उन्हें ठीक किया जाता है। फिलहाल, स्टेशनों पर मुहैया करायी गयी सुविधाओं में कोई कमियां नहीं है।

संरचना में सुधार करने के लिए रेलों ने 51:49 की इक्विटी हिस्सेदारी के आधार पर मुंबई रेल विकास निगम की स्थापना हेतु महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है। निगम मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-II (एम यू टी पी-II) के रेल कलपुर्जा तैयार करेगा।

परियोजनाओं के ब्यौरे पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं और महानगर परिवहन परियोजना (एम टी पी) के निम्नलिखित योजना शीर्ष के अंतर्गत मुंबई में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के तहत हैं:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	कार्य का नाम		कुल लागत	31.3.98 तक खर्च	1998-99 के लिए परिव्यय
1.	नवी मुंबई में नं. 1 गलियारे के मार्ग थाणे-तुर्भे-नेरूल-वाशी	रेलवे	131.47	40.56	20.00
		सिडको	271.92	22.87	68.22
		कुल	403.39	63.43	88.22
2.	बेलापुर-पनवेल दोहरी लाइन	रेलवे	92.34	45.52	26.34
		सिडको	187.49	36.37	26.17
		कुल	279.83	78.89	52.51
3.	सीवुड-उरान विद्युतीकृत लाइन	रेलवे	163.49	0.21	18.00
		सिडको	331.95	4.19	16.13
		कुल	495.44	4.40	34.13
4.	कुर्ला-थाणे (चरण-1), कुर्ला तथा भांडुप के बीच लाइनों की अतिरिक्त जोड़ी		49.84	14.26	25.00
5.	कुर्ला-थाणे (चरण-2), भांडुप तथा थाणे के बीच लाइनों की अतिरिक्त जोड़ी		46.69	0.00	5.00
6.	सांताक्रुज और बोरीवेली के बीच पांचवीं लाइन		64.67	23.40	20.00
7.	बोरीवली तथा विरार के बीच रेलपथ का चौहरीकरण		401.66	0.04	35.00
8.	विरार और दहानू रोड के बीच स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग		27.19	0.01	10.00

विगत दो वर्षों में मध्य और पश्चिम रेल की उपनगरीय प्रणाली पर ढोए गए यात्रियों से आय इस प्रकार है:

	उपनगरीय यात्रियों से आय (करोड़ रु. में)	
	1996-97	1997-98
मध्य रेलवे	328.21	385.75
पश्चिम रेलवे	280.67	294.21

प्रातिज और देहगाम स्टेशनों से आरक्षण कोटा

920. श्री जयसिंहजी चौहान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन के अंतर्गत मुम्बई के लिए लोकशक्ति एक्सप्रेस तथा दिल्ली के लिए आश्रम एक्सप्रेस में प्रातिज और देहगाम रेलवे स्टेशनों से शायिकाओं के लिए आरक्षण कोटा उपलब्ध कराने के लिए जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी हां। 9144 लोक शक्ति एक्सप्रेस में प्रातीज, कापड़वंज और देहगाम स्टेशनों पर मुम्बई के लिए आरक्षण कोटा आबंटित करने, 2915 आश्रम एक्सप्रेस में देहगाम और कपड़वंज स्टेशनों पर कोटा आबंटन और इस गाड़ी में प्रातीज पर दिल्ली के लिए कोटा बढ़ाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) 29.9.98 और 3.9.98 से मुम्बई के लिए 9144 लोक शक्ति एक्सप्रेस में 4 और 2 स्लीपर श्रेणी शायिका का कोटा क्रमश: प्रातीज और देहगाम स्टेशनों को आबंटित कर दिया गया है। कपड़वंज में मुम्बई के लिए टिकटों की बिक्री इस गाड़ी में कोटा आबंटन को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए बहुत ही मामूली है। इसी प्रकार कपड़वंज और देहगाम पर दिल्ली के लिए टिकटों की बिक्री बहुत ही मामूली है और 2915 आश्रम एक्सप्रेस में कोटा आबंटन को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराती है। 2915 आश्रम एक्सप्रेस में प्रातीज में कोटे को बढ़ाने के संबंध में 2 स्लीपर श्रेणी शायिकाओं के मौजूदा कोटे के उपयोग के विश्लेषण से पाया गया कि इसका केवल 85% की सीमा तक उपयोग हो रहा है और इसलिए यातायात के मौजूदा स्तर को संभालने के लिए पर्याप्त है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रेल सुरक्षा आयोग का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदय, मैं रेल अधिनियम 1989 की धारा 10 के अंतर्गत रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1576/98]

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1577/98]

रेल दावा अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम 1998, आदि

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंर्गत रेल दावा अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1998 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 8 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 563(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1578/98]

(2) रेल अधिनियम 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (टिकट रद्द किया जाना और किराये का प्रतिदाय) नियम, 1998 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 24 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1579/98]

(3) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1580/98]

(5) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1581/98]

(6) रेल परियोजनाओं* के बारे में श्वेत-पत्र के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1582/98]

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1583/98]

अपराह्न 12.02 बजे

कृषि संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) से संबंधित "कपास की खेती" के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) (1998-99) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

*रेल परियोजनाओं के बारे में श्वेत-पत्र 28.7.1998 को सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा के कार्य के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, अध्यक्षपीठ से छोटी सी टिप्पणी है।

माननीय सदस्यों को पता है कि आज दोपहर 2 बजे नियम 193 के अधीन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि संबंधी चर्चा होनी निर्धारित है। इस कथित चर्चा से पहले एक छोटा सा गैर विवादास्पद विधेयक कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक 1998 भी विचार और पारित हेतु सूचीबद्ध है।

मेरा सुझाव है कि आज या तो शून्य काल को छोड़ दिया जाए और सभा सीधे ही कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक 1998 पर चर्चा आरम्भ कर दे या शून्य काल को अपराह्न 12.30 बजे तक समाप्त कर दिया जाए ताकि सभा अपराह्न एक बजे तक विधेयक पर चर्चा करले और उसे पारित कर दे।

मूल्य वृद्धि संबंधी अल्पकालीन चर्चा अपराह्न 2 बजे अथवा भोजनावकाश के पश्चात् जब सभा समवेत हो तो की जाए।

मेरा यह भी सुझाव है कि सभा आज अल्पकालीन चर्चा को समाप्त करने के लिए शाम सात बजे तक बैठे।

मैं आशा करता हूं सभा इससे सहमत होगी।

12.04 बजे

नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए विधेयक लाए जाने की आवश्यकता के बारे में

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं एक गैर-विवादास्पद मामला उठाना चाहता हूँ और इस पर मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

महोदय, आज विश्व विकलांग दिवस है। मैं यह मानता हूं कि मुझे कुछ तथ्यों को जानने पर धक्का लगा था—मुझे राष्ट्रीय विकलांग सम्मेलन में शामिल होने का मौका मिला था जो आज राजधानी में हो रहा है। इस देश में सात करोड़ से अधिक विकलांग व्यक्ति हैं और मुझे यह सुनकर बहुत शर्म आई कि सांसदों के रूप में हमने अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया और सरकार भी अपना कर्त्तव्य नहीं निभा रही है। ऐसा लगता है कि वर्ष 1995 में नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 पारित किया गया था।

तथापि, बाद में आने वाली सरकारों ने इस अधिनियम को वास्तव में लागू नहीं किया। मुझे बताया गया है कि 1995 के अधिनियम के अंतर्गत गठित की जाने वाली केन्द्रीय समन्वय समिति दो-तीन दिन पहले ही गठित की गई है।

महोदय, इन लोगों की काफी गंभीर समस्याएं हैं। उनमें से कई लोगों ने कहा है कि आवागमन की समस्या के कारण इस देश के नागरिक के रूप में वे अपने मताधिकार का प्रयोग तक करने के लिए अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर नहीं जा सकते। उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। उनके पास न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं हैं जिससे वे कुछ अच्छा जीवन जी सकें। मैं यहां उपस्थित माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमें इन लोगों के लिए उनकी समस्याओं के बारे में बहलाने की अपेक्षा कुछ अधिक करना होगा। सरकार की इन लोगों के प्रति विशेष जिम्मेवारी है जो हमारे बेटे और बेटियां हैं, भाई और बहनें हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं वे उस न्यूनतम सुविधा का लाभ उठाने में असमर्थ हैं जो भारत के संविधान में उनके लिए दी गई है।

मुझे बताया गया है कि मानसिक रूप से विकलांग लोगों, 'सेरेब्रल पल्सी', 'आटीस्म' के लिए एक राष्ट्रीय न्यास विधेयक और बहु विकलांगता विधेयक नामक विधेयक पारित करने का एक प्रस्ताव था। परन्तु मुझे यह बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने इस विधेयक पर विचार एक बार फिर स्थगित कर दिया है। कई अभ्यावेदन दिए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि इस विधेयक पर तेजी से कार्यवाही की जानी चाहिए। मानसिक रूप से विकलांग और 'सेरेब्रल पल्सी' से पीड़ित व्यक्तियों की समस्याएं अलग-अलग हैं। हमें मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता-पिता द्वारा गुस्से में व्यक्त किए गए विचारों को सुनना चाहिए। वे अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनके पास उन्हें देने के लिए कोई संसाधन नहीं हैं। मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की माँ ने मुझसे कहा, 'मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे बच्चे की देख-रेख करने वाला कोई नहीं होगा।'

यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। राष्ट्रीय न्यास का गठन करना होगा। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि शीघ्र ही इस विधेयक को लाएं जिससे इसे पारित किया जा सके। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि 1995 के अधिनियम को पूरे जोश के साथ लागू किया जाना चाहिए जिससे इन लोगों को कुछ लाभ मिल सकें। मैं इस सदन के सभी वर्गों से अपील करता हूँ, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूं, कि हमारे देश के इन नागरिकों को न्यूनतम सुविधाएं दी जाएं जिसके वे हकदार हैं।

इस विश्व विकलांगता दिवस को केवल एक परम्परा के रूप में ही नहीं मनाया जाना चाहिए। इसे पूरी गम्भीरता और ईमानदारी के साथ मनाया जाना चाहिए। मेरी इस सभा के सभी वर्गों से यही अपील है।

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, मैं श्री सोमनाथ जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं सरकार से इस मामले में तेजी लाने और इस विधेयक को यथाशीघ्र, यदि संभव हो तो इसी सत्र में ही, लाए जाने का अनुरोध करता हूँ।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, हम भी इस विषय में इनके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। सम्पूर्ण सभा इस विषय में इनके साथ है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, माननीय सोमनाथ बाबू और लीडर ऑफ दा अपोजीशन ने जो कहा है, आज विश्व डिसेबल्ड डे है, इस बारे में सदन की जो भावनायें हैं, मैं उसे संबंधित मिनिस्टर तक पहुंचा रहा हूं। इस संबंध में बहुत जल्दी एक बिल इस सदन में लाया जायेगा।

अपराह्न 12.09 बजे

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन्द किए जाने तथा वहाँ की समस्याओं के बारे में

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और खासकर एजुकेशन मिनिस्टर का ध्यान इस बारे में दिलाना चाहता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी काफी समय से तकलीफ के दौर से गुजर रही है। आज वहां पर तीन लड़के हंगर स्ट्राइक पर टिल डैथ बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों के अंदर यह प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी तीन मर्तबा बंद की गई है। वहां की इंतजामिया एक डिक्टेटर की तरह काम कर रही है। वहां के जितने डैमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर न तो कोई कोर्ट है, न कोई अकैडेमैकि कौंसिल है और न वहां पर कोई स्टूडेंट्स यूनियन है ताकि वे लड़के अपनी बात कह सकें।

आज यूनिवर्सिटी बहुत बुरी हालत से गुजर रही है। यहां तक कि लड़कों को जबर्दस्ती होस्टल से निकाल कर बाहर कर दिया गया। वहां पर हजारों लड़कियां रहती हैं, उनको भी बाहर निकलना पड़ा। आज जो वहां पर वाइस चांसलर हैं, या वहां की जो इंतजामियां हैं, क्रिमिनल लड़कों से यूनिवर्सिटी के लड़कों को पिटाने का काम कर रहे हैं। वहां की सरकार और वहां की पुलिस लड़कों के ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रही है।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): क्या दरभंगा की बात कर रहे हैं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूं। दरभंगा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वह बिहार में आता है।

आज जो हालत अलीगढ़ की है, उसमें तालीमी माहौल बिगड़ गया है और लगातार हर साल एक मर्तबा यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाती है तो आप सोचिए कि उस यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो बजट वहां का है, वह भी यूनिवर्सिटी कोर्ट में पास नहीं होता। वाइस चांसलर पता नहीं किस प्रकार से यूनिवर्सिटी का बजट यहां भेज देते हैं और पार्लियामेंट उसको पास कर देती है। ऐडमीशन्स में घपले हो रहे हैं। मेडिकल का क्वश्चन पेपर आउट हो गया। ये सब चीजें देखने की हैं। इसलिए हमारी मांग है कि आज जो बच्चे 'फास्ट अनटिल डेथ'' पर बैठे हैं और अपनी कुछ मांगें लेकर बैठे हैं, उनकी मांगों को भारत सरकार को देखना चाहिए और वहां पर जो ऐकेडेमिक और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको बहाल करना चाहिए और इस सारे अफेयर पर सीबीआई इन्क्वायरी होनी चाहिए। लड़कों के खिलाफ जो विन्डिक्टिव ऐटीट्यूड और एक्शन लिये गये हैं, वह वापस होने चाहिए और वह लोग जो क्रिमिनिल यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कों को मारने-पीटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि भारत

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

सरकार इस पर अभी कोई न कोई जवाब दे ताकि जो लड़के हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, वह उठ सकें और यूनिवर्सिटी दोबारा खुल सके। वहां बहुत ही बुरा हाल है। आज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी रेजिडेन्शियल यूनिवर्सिटी वह है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले में कुछ न कुछ बोले ताकि वहां के माहौल को ठीक किया जा सके।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली): वह रोज पार्टिसिपेट करते हैं, मैं बहुत कम बोलती हूं। मेरा बहुत अहम मुद्दा है।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, उसी मामले पर मैंने भी नोटिस दिया है.

अध्यक्ष महोदय: उसी मामले पर वे बोलने वाले हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, फातमी जी ने जो सवाल उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के आपसे और सभी पार्टी के लीडर्स से मिल रहे हैं और यह पिछले 4 नवंबर से बंद है। वहां की स्थिति बहुत ही विस्फोटक है। मैं डीटेल में नहीं जाना चाहता हूं और न ही वाइस चांसलर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई ऐलीगेशन लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि भारत सरकार इंटरफियर करके जल्दी से जल्दी उसको खुलवाए और इसकी सीबीआई से जांच करे। जार्ज साहब यहां बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो माइनारिटीज की हालत है, तीन घटनाएं हो चुकी हैं। एक कालेज की घटना अलग हुई है और कालेज बंद है। अली मियां के यहां रेड पड़ी, छापामारी हुई। आप कहेंगे कि नहीं हुई, लेकिन मैं अखबारों की खबरें बता रहा हूं और उसमें आया है कि छापामारी हुई है। वहां पुलिस वाले गए और रात को गए। इतना ही नहीं, इसके पहले भी 1994 में छापामारी हुई थी और उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? किसी को आप बेइज्जत कर दीजिए यह ठीक नहीं है, और अली मियां कोई साधारण आदमी नहीं है। उनके घर पर रायबरेली में जाकर छापा मारा और ऐसा ही 1994 में भी हुआ था। उसकी इन्क्वायरी की रिपोर्ट का क्या हुआ, आज तक किसी को जानकारी नहीं मिली। इसलिए हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार बतलाए कि छापामारी हुई है और वह पुलिस द्वारा हुई है या आर.एस.एस. और बजरंग दल द्वारा हुई है, इसकी जानकारी सरकार दे। *...(व्यवधान)*

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): आर.एस.एस. वाले छापा भी मारने लग गए? *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: ये नहीं बताएंगे, मंत्री जी बताएंगे। मंत्री जी को डिनाई करना है तो वह करेंगे। *...(व्यवधान)*

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): इसको रेकार्ड से बाहर करवाया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री: इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस शब्द को आप बाहर निकालने के लिए कहें। मेरी आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना है कि आप इस शब्द को बाहर निकलवाइये। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, 25 नवम्बर को प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वंदेमातरम् के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। आप आज का 'जनसत्ता' पढ़ लें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकार की तरफ से आदेश निर्गत किये गये हैं। इसलिए सर, यह कोई मामूली चीज नहीं है कि भारत का प्रधान मंत्री देश को गुमराह करे, भारत का प्रधानमंत्री कहे कि उसने मुख्य मंत्री से बातचीत की है और इस तरह का आदेश नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पासवान जी, अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: सर, मैं बहुत कम बोलता हूं। जब से आप चेयर पर आये हैं, जब से आप अध्यक्ष पद पर आये हैं,

मैं तभी बोलता हूं, जब आप हमें बोलने के लिए कहते हैं, नहीं तो मैं बोलता नहीं हूं। मेरा आर.एस.एस. या किसी और से कोई दुराग्रह नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि छापामारी हुई है या नहीं हुई। यदि हुई है तो छापामारी किसने की। खुराना जी, जब आप जवाब दें तो गृह मंत्री जी से पूछकर जवाब दें, ऐसे ही हल्के ढंग से जवाब न दें।

मेरी दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री जी ने जो कहा कि वंदेमातरम् के ऊपर आदेश जारी नहीं हुआ है। जबकि आज 'जनसत्ता' में निकला है कि उसमें आदेश जारी किया गया है और स्कूल-कालेज में लागू भी है। मेरा तीसरा सवाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सी.बी.आई. इंक्वायरी का है। ये तीनों सवाल माइनोरिटीज से संबंधित हैं, कल भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में माइनोरिटीज के सवाल को सीरियसली लिया गया था। मैं समझता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से लेकर सदन को जवाब देने का काम करे। ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अलीगढ़ में स्थित बहुत अफसोसजनक है। पिछले तीन साल में चार बार यूनिवर्सिटी को बंद किया जा चुका है। नौजवान छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। यूनिवर्सिटी जिसको भारत का संविधान राष्ट्रीय महत्व का इदारा संस्थान करार देता है। उस नेशनल इम्पॉर्टेन्स के इंस्टीट्यूशन को पार्लियामेंट के पास किये हुए कानून के मुताबिक जिस तरह यूनिवर्सिटी की संस्थाएं, बॉडीज चलनी चाहिए, कोर्ट्स और जो दूसरी बॉडीज हैं, उन सबकी फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। यह अकेला अलीगढ़ का मामला नहीं है। श्रीमन्, हम पिछले तीन दिन से कह रहे हैं कि माइनोरिटीज के ताल्लुक से लगातार इस सरकार के चलते हुए ऐसा मैसेज जा रहा है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को भी कह दिया गया है कि जहां माइनोरिटीज का उत्पीड़न किया जाए, उसमें चाहे अली मियां के घर पर छापा हो या क्रिश्चियन्स के घरों पर छापे हों, उनको जान से मारने का मामला हो। महोदय, राजकोट में तीन सौ बाइबिलों को जलाया गया है ...*(व्यवधान)* श्रीमन्, राजकोट में तीन सौ बाइबिलों को जलाया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर (दमदम): यह बात ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बोल रहे थे ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां: अध्यक्ष महोदय, यह राजकोट में जली हुई बाइबिल है, यह आपके सामने है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, अल्पसंख्यक उत्पीड़ित होते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर: आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया है। आप कृपया उसी के बारे में बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां: बाइबल को जलाने का मुद्दा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुद्दे की तरह ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, बाइबल किसी भी अन्य धार्मिक पुस्तक की तरह ही महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर: महोदय, गुजरात में बाइबल को जलाए जाने का मुद्दा एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं उस जगह गया था ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां: अल्पसंख्यकों में फूट न डालें। ईसाइयों पर किये गये अत्याचारों को देखना उतना ही दुखदायी है। ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर: महोदय, यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय मंत्री श्री खुराना जी को बोलने के लिए बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां: इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि माइनोरिटीज का जो उत्पीड़न हो रहा है, उस पर रोक लगायें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अभी माननीय सदस्य द्वारा जो मामला उठाया गया ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य): अध्यक्ष महोदय, आप इनको बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला उठा ...*(व्यवधान)* वहां जो समस्याएं हैं, ...*(व्यवधान)* यह एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी वहां की एम.पी. श्रीमती शीला गौतम हैं। वे उन तथ्यों को लेकर प्रधान मंत्री जी और मानव संसाधन मंत्री से मिल चुकी हैं। उस समस्या को ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ...*(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز : اس وقت بھی کچھ کہئے۔ منڈے کو دوسرے ممبر صاحب جواب دیں گے۔

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़): नतीजा निकल रहा है लेकिन आप निकलने नहीं देते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। यह ठीक नहीं है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री फातमी जी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम: आप लोग हवा दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: मेरा कहना है कि यह मामला प्रशासनिक मामला है। यूनिवर्सिटी के अंदर का मामला है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या हिन्दू यूनीवर्सिटी हो, उसको साम्प्रदायिकता के साथ न जोड़ा जाये। ...*(व्यवधान)* जो आपकी भावनायें हैं, उसको मैं मानव संसाधन मंत्री के पास पहुंचा दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सुनिये। वे उत्तर दे रहे हैं। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है? क्या आप इस पर मंत्री जी के उत्तर का विरोध कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मेरा कहना है कि मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को मानव संसाधन मंत्री के पास पहुंचा दूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं उनसे बात करूंगा कि वे इस बारे में कोई स्टेटमेंट दें। ...*(व्यवधान)* लेकिन मेरा निवेदन है कि इस तरह के मामलों को, अब राम विलास पासवान जी ने यह कहा कि आप पहले सीरियसली जवाब दें। वे खुद तो अखबारों में पढ़ी हुई बात को, हर इश्यू को साम्प्रदायिकता का मामला देकर, जब इन्होंने यू.ए.सी. के अंदर मामला उठाया कि माइनोरिटीज के ऊपर अन्याय हो रहा है तो हमने उस इश्यू पर चर्चा कराने की बात मान ली। ...*(व्यवधान)* मंडे को करा लीजिए। लेकिन यह कोई भी मौका नहीं जाने देंगे ...*(व्यवधान)* हर इश्यू के साथ साम्प्रदायिकता जोड़ना, हर इश्यू के साथ उभारने वाली बातें करना, इस पर मुझे एतराज है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां यह सब क्या हो रहा है? मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अली मियां का क्या हुआ?

श्री मदन लाल खुराना: मैंने कहा कि हम जवाब देंगे। *...(व्यवधान)* मंडे को आपका इश्यू रखा है। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अली मियां के घर पर छापामारी हुई। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: मेरी खुद बात हुई है।*...(व्यवधान)* यू.पी. के होम मिनिस्टर का कहना है कि मेरी जानकारी में कोई छापामारी नहीं हुई है। *...(व्यवधान)* यू.पी. के चीफ मिनिस्टर से मैंने खुद बात की है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। वे मानव संसाधन विकास मंत्री से भी इसके बारे में पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी इस सदन में एक वक्तव्य देने वाले हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको पता होना चाहिए कि मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं। कृपया बैठ जाइए। श्री फातमी जी, यह क्या है? कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अहमद जी, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल जी, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला जी, कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है। श्री बनातवाला जी, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती): इन्होंने क्या जवाब दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय कई महीनों से बंद पड़ा है। गुण्डे, विद्यार्थियों को मारते रहते हैं। विद्यार्थियों के ये आरोप हैं। उप-कुलपति और भारत सरकार कई महीनों से कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं समझ पा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मैं कह रहा हूं कि कल स्टेटमेंट देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: कब?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: कल। मैं कह तो रहा हूं कि कल स्टेटमेंट देंगे। *...(व्यवधान)* अब मैं उनकी तरफ से कैसे कह दूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन): महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस पार्टी की तीसरी बार चुनकर आई हुई सांसद हूं और हाउस कमेटी की मैम्बर हूं। हाउस कमेटी की सब-कमेटी की भी मैम्बर हूं। पिछले नौ महीनों से लगातार की हुई कोशिशों के बावजूद हाउस कमेटी की डीफंक्शनिंग जारी है। हर समय हम आपके पास आकर सांसदों के घरों का विषय उठाते रहे हैं। आज 135 घर ऐसे हैं जहां पर सबके गैस्ट्स रह रहे हैं। हाऊस कमेटी में यह तय हुआ था कि किसी भी गैस्ट को एक्सटैंशन न दिया जाए *...(व्यवधान)* मान्यवर, आपका भी निर्णय था, आप हमारे कस्टोडियन हैं। आज हर चीज से हारकर अपने खुद के विषय में हम आपके सामने बोलने के लिए खड़े हैं, बहुत शर्मसार हैं। जो सांसद पन्द्रह लाख लोगों को रिप्रेजैंट करता है, वह नौ महीने से अपनी-अपनी सरकारों के गैस्ट हाउसेस में पड़ा हुआ है। आज चालीस सांसदों के पास घर नहीं हैं। 135 लोग गैस्ट एकोमोडेशन लेकर, कुछ लोग बंगलों में रह रहे हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लैट्स में रह रहे हैं। एविक्शन का नोटिस देकर दो-दो महीने हो गए हैं। *...(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। डायरैक्ट्रेट ऑफ ऐस्टेट का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से दबाव है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से दबाव है, घर खाली नहीं करवाए जा रहे हैं। जैड कैटेगरी के नौ-नौ बार चुनकर आए हुए श्री जाफर शरीफ जैसे सांसद के पास आज घर नहीं है। जैड कैटेगरी के श्री बूटा सिंह के पास आज घर नहीं है, श्री लालू प्रसाद के पास घर नहीं है, श्री भास्कर राव, आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर के पास घर नहीं है। *...(व्यवधान)* आप सुनने की शक्ति रखिए। *...(व्यवधान)* रानी, जो आसाम से चुनकर आती हैं, जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा वाले हैं, उन्हें घर नहीं दिया गया है। हमारे पास खुले हुए घरों में जबरदस्ती जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया है। *...(व्यवधान)* कृपया मुझे बात समाप्त करने दीजिए। यह दुख की बात है। *...(व्यवधान)* नौ महीनों से मैं जो भोग रही हूं। *...(व्यवधान)* आपराधिक तत्वों में शामिल किया गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं एक बैठक बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: कांग्रेस के सांसदों को जान-बूझकर सताया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं एक बैठक बुलाऊंगा और ये बातें ठीक हो जाएंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: लेकिन क्यों? इस तरह से हाउस कमेटी के चेयरमैन अपने घर में कैसे बैठ सकते हैं? हाऊस कमेटी के चेयरमैन मेरी पार्टी को यह कैसे लिखते हैं? *...(व्यवधान)* मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। *...(व्यवधान)* अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्टर कैसे मेरी पार्टी को लिख सकते हैं? *...(व्यवधान)* 135 लोगों को एक्सटैंशन दिया गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महोदया, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): इनके खिलाफ हम प्रिविलेज दाखिल करने जा रहे हैं। *...(व्यवधान)* इस हाउस कमेटी के आप एम.पी. बने हुए लोग *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महोदया, मैं एक बैठक बुलाऊंगा और इन सब बातों पर ध्यान दूंगा। मैंने सभापति को पत्र लिखा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: एस.सी. कम्यूनिटी के सांसद *...(व्यवधान)* कांग्रेस के सांसदों के साथ यह जो व्यवहार हो रहा है, आप हमारे कस्टोडियन हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 12.30 बजे

इस समय, श्रीमती सूर्यकांता पाटील और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.31 बजे

इस समय, श्रीमती सूर्यकांता पाटील और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापिस चले गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी स्थिति समझता हूं और मैंने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) आप हमारे कस्टोडियन हैं, हम कहां जाएंगे *...(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर: कितने महीने हो गये, लेकिन सांसदों को मकान नहीं मिला। *...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): आप लोग देखते नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: आप आदेश दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: हाउस कमेटी टूर कर रही है और हम लोग यहाँ परेशान हैं। *...(व्यवधान)*

डा. विजय सोनकर शास्त्री: इन्होंने भी कब्जा किया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले पर विचार करूंगा और इसे सुलझा दूँगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं मामले पर विचार करूँगा।

श्री के. येरनाथडू (श्रीकाकुलम): अनेक पूर्व मंत्री साधारण घरों में रहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं मामले पर विचार करूँगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं बैठक बुलाऊँगा और मामले को सुलझाऊँगा।

श्री के. येरनाथडू: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं। *...(व्यवधान)* महोदय, सभा में व्यवस्था नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: मैं एक मिनट में एक बात कहना चाहती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.32 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जायें।

अपराह्न 12.33 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री के. येरननायडू: महोदय, गन्ना उद्योग में काम कर रहे मजदूरों और गन्ना उत्पादकों की ओर से भी मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह चीनी के आयात को रोक दें ताकि चीनी उद्योग को बचाया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्पाद शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है लेकिन उत्पाद शुल्क बढ़ाना अधिक मददगार नहीं है। भारत में, हमारे पास पहले ही लगभग 55 लाख टन चीनी के भंडार विद्यमान है और इस वर्ष हमें लगभग 155 मिलियन टन चीनी का उत्पादन होने की आशा है। हमें अपनी खपत के लिए 140 मिलियन टन चीनी की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में अपने भारतीय उद्योग का गला घोंटकर चीनी का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। कृषक समुदाय, विशेषकर कि साढ़े चार करोड़ गन्ना उत्पादक संकटग्रस्त हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि उपचारात्मक कदम उठायें और तत्काल चीनी का आयात बंद करें। अपने दल की ओर से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री शरद पवार: जो मुद्दे माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री शरद पवार: महोदय, पिछले वर्ष का चीनी का शेष भंडार 55 लाख से अधिक है और इस वर्ष 60 लाख टन चीनी का अतिरिक्त उत्पादन होगा। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए चीनी का आयात करना एकदम अनुचित होगा और वह भी पाकिस्तान से। कल तक लगभग 9 लाख टन चीनी का आयात पहले ही किया जा चुका है। यह एक सही समय है जबकि भारत सरकार को उपयुक्त निर्णय ले लेना चाहिए। मैंने इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा है और कल मुझे माननीय वित्त मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मेरे अनुरोध को अस्वीकार किया गया है। मेरे विचार में यह एक अच्छा समय है जबकि एक उपर्युक्त निर्णय लिया जा सकता है और ऐसा करके हम अपने घरेलू उद्योग और कृषकों को बचा सकते हैं। अपने आपको 'स्वदेशी' होने का दावा करने वालों के लिए पाकिस्तान और अन्य देशों से चीनी मंगवाना बिल्कुल अनुचित होगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर): मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। हमने दस लाख टन शूगर निर्यात की, आज हमारे पास सरप्लस है। जो चीज मंगाने की जरूरत है वह नहीं मंगाते। कल भी कहा कि खाद मंगा रहे हैं, लेकिन आज किसान चिल्ला रहे हैं। कल खाने की कमी होगी तो फिर क्या करेंगे। सरकार को यह भी पता नहीं कि किस वक्त खाद की जरूरत है और कब बुवाई होनी है। बुवाई आज होनी है तो कल खाद मंगाने का क्या फायदा होगा। आप कहते हैं कि हमारे पास ढाई लाख टन खाद पड़ी है, लेकिन इधर किसान चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनको खाद नहीं मिल रही है। आप उनसे चार-चार, पांच-पांच गुना ज्यादा पैसा मांगते हैं। आज लोग प्याज के लिए तरस रहे हैं। प्याज सम्भाल नहीं सके, अनाज कहां से लाएंगे? खाद की जरूरत वक्त पर होती हैं, बेवक्त नहीं होती।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): क्या आप आयात शुल्क बढ़ा रहे हैं अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, मानीय सदस्यों और विपक्ष के नेता ने अभी आयातित चीनी, खासकर पाकिस्तान से जो चीनी आ रही है, उसके बारे में सवाल उठाया है। आपकी कल चिट्ठी आई, मुझे इसका ध्यान नहीं है, लेकिन कल प्रधान मंत्री जी ने इशारा किया था और स्वीकार किया था कि पाकिस्तान से जो आयातित शूगर आ रही है, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि इस देश के चीनी उद्योग और गन्ना किसानों को प्रोटेक्शन देना जरूरी है। इसलिए इसके बारे में जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है। अगले एक-दो दिन के अंदर इसके बारे में फैसला होने जा रहा है। आपने कहा कि एक्सपोर्ट भी किया है, इम्पोर्ट भी किया है।

श्री बलराम जाखड़: दोनों को जरूरत के हिसाब से करना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना: मैं यही कह रहा हूं कि आपने आधी बात सदन में बताई है, पूरी बात बतानी चाहिए। भारत सरकार इस बात से सहमत है कि पाकिस्तान से चीनी का जो आयात हो रहा है उसके कारण हमारे देश की चीनी मिलें नुकसान उठा रही हैं। उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। भारत सरकार इस बारे में जल्दी कदम उठा रही है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारमूला): मैं इस सदन में बड़ी तहजीब से और अदब से बातें कहना चाहता हूं। अगर खुराना साहब बोलेंगे तो मैं बड़े अदब से बैठकर सुनूंगा।

پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولا): میں اس ہاؤس میں بڑی تہذیب سے اور ادب سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر کھورانہ صاحب بولیں گے تو میں بڑے ادب سے بیٹھ کر سنوں گا۔

[अनुवाद]

मैं एक संवैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं। यह सभा संविधान की संरक्षक है और कार्यकारिणी इस सभा से ही जन्म लेती है। अत: जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसके बारे में भारत सरकार यह नहीं कह सकती है कि यह राज्य का मामला है। मैं एक निश्चित प्रश्न उठा रहा हूँ कि जो कुछ भी उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है वह भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 का उल्लंघन है। करदाताओं के पैसे की लागत पर राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार किसी भी धर्म को नहीं बढ़ावा दे सकती है। यह भारत का संविधान है।

महोदय, अली मियाँ ने एक प्रश्न उठाया है। मुझे केवल इस बात का दु:ख नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन जब मैं अपने आपको भारतीय और एक राष्ट्रवादी के रूप में देखता हूँ तो मुझे दोहरा दु:ख होता है। मेरे लिए दुख की बात यह है कि अली मियाँ ने एक अपील की है। वह एक *फतवाबाज* विद्वान नहीं है। वह इस्लाम धर्म के विद्वान हैं और वह एक धार्मिक नेता हैं। वह राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं। उन्हें जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा सम्मान मिला। हो सकता है, अटलजी भी उनका सम्मान करते हों। श्री कल्याण सिंह ने इस्लाम धर्म के महान विद्वान को मुस्लिम विद्यार्थियों का आह्वान करने के लिए उकसाया कि वह अपने विद्यालयों से बाहर आ जायें। यह एक दुखद स्थिति है। हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और हमें अली मियाँ से अनुरोध करना चाहिए कि वह ऐसी अपील न करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। प्रधान मंत्री जी ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया था। लेकिन मौखिक अथवा लिखित, यह निर्देश दे दिए गए हैं कि संस्कृत को अनिवार्य बनाना होगा, सरस्वती वन्दना को अनिवार्य बनाना होगा और सुबह की पूजा भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं आपके द्वारा इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि केरल में दो ईसाई लड़कों ने राष्ट्रीय गान करने से मना कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप तत्पश्चात् उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने उस निष्कासन को निष्प्रभावी माना। अत: इस देश में दबाव में कोई कार्य नहीं हो सकता। हाँ यह ठीक है कि यदि कोई सरस्वती वंदना गाना चाहता है और उसका आनन्द लेना चाहता है, वह ऐसा कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार के आदेश से ऐसा नहीं किया जा सकता है। अत: मैं यह प्रश्न उठाता हूं। यह भारत के संविधान का उल्लंघन है। यह इस्लाम के विनम्र विद्वान, अली मियां का आक्रोश है जो न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के लिए आदरणीय हैं। अत: मैं चाहता हूं कि श्री खुराना इस संबंध में कुछ कहें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम सोमवार को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस विषय पर सोमवार को चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मंडे को इस पर डिसकसन रखा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मामला उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज: इस वक्त भी कुछ कहिए। मंडे को दूसरे मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। ...*(व्यवधान)*

شرق جی ایم بنات والا: کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے... (مداخلت)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रेमचन्द्रन, मैं आपको एक मिनट का समय दूँगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने दिनांक 6 अक्तूबर, 1998 के "तटीय रेत में उपलब्ध खनिजों की दोहन संबंधी नीति" पर अपने संकल्प के कारण तटीय रेत में उपलब्ध खनिजों की खनन नीति में मूलभूत परिवर्तन किए हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 जिसमें यह कहा गया है कि मोनोसाइटस,

[श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन]

इल्यूमिनिटीज रूडाइट्स और जिरकॉन, यह चारों तटीय रेत में उपलब्ध खनिजों को "निर्धारित घटकों" (प्रेसक्राइब्ड, एलिमेन्टस) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। जिसमें कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार केवल परमाणु ऊर्जा विभाग को है।

जो कुछ हुआ, वह यह था कि वर्ष 1991 में औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प में कहा गया था कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ही इन तटीय रेत में उपलब्ध खनिजों के खनन और खनिजों को अलग करने का अधिकार है। भारत में केवल दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, एक आई.आर.ई. और दूसरा के.एम.एम.एल. और दोनों मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रेमचन्द्रन, कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है। मोनोसाइड जिसमें थोरियम के तत्व विद्यमान हैं, बम्ब विस्फोट के लिए उपयोग में लाया जाता है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। आई.आर.ई. ने तो यहां तक किया है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे। अब आपको अपना वक्तव्य समाप्त करना होगा।

...(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। हाल ही में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है और इसके पांच सदस्य हैं। भूतपूर्व रक्षा मंत्री भी इस परिषद के सदस्य हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है और इससे दो सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का स्थायित्व भी प्रभावित होता है। इसीलिए मैं सरकार से आई.आर.ई. द्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं को रद्द करने का आग्रह करता हूं। इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है अपितु संकट का सामना कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी प्रभावित होंगे। मैं माननीय मंत्री से प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह। श्री प्रेमचन्द्रन कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं संवैधानिक सवाल उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: इस विषय को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में उठाया गया था। कृपया प्रतिक्रिया करने के लिए निर्देश दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं संवैधानिक मर्यादा का सवाल उठाना चाहता हूं**।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। अब श्री शैलेन्द्र कुमार बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री मदन लाल खुराना कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अपराह्न 12.46 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदनलाल खुराना): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा की सहमति हो तो आज के लिए निर्धारित नियम 377 के अधीन सूचनाओं को सभा पटल पर रखा गया माना जाये।

कुछ माननीय सदस्य: हाँ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री फातमी, यह क्या हो रहा है? कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.49 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) कोयला, लिग्नाइट, मीथेन खनिजों के नियंत्रण और विकास को राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची-1 के क्रमांक 54 में जनहित को लक्ष्य में रखते हुए भारत में खान और खनिज के नियमन और विश्राम और विकास के लिए कानून बनाया है, उस आधार पर खनिज और खान का विकास और नियंत्रण केन्द्र सरकार के द्वारा होता है। इसके अलावा अन्य खनिजों का विकास और नियंत्रण संविधान की 7वीं अनुसूची-2 क्रमांक 23 में राज्य सरकार द्वारा होगा, इसमें एक से 23 तक में खनिजों में कोल लिगनाईट बेड मिथेन, खनिज का समावेश नहीं हुआ है।

इस विषय में एडवोकेट जनरल जी ने अलग-अलग पहलू का अभ्यास करके सुझाव दिया था कि कोल लिगनाईट बेड मिथेन खनिज का संशोधन और विकास राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

इस संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने 13.5.98 को एक बैठक बुलाई थी और बैठक में संवैधानिक विशेषज्ञ, श्री फली नरिमन, के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए कोल लिगनाईट बेड मिथेन का संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार देने की सर्वसम्मति हुई थी।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस संबंध में अति शीघ्र निर्णय करके कोल लिगनाईट बेड मिथेन खनिज का नियमन तथा विकास राज्य सरकार के अधीन हो।

(दो) उत्तर प्रदेश के खुर्जा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में जहांगीरपुर स्थित चीनी मिल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा के अंतर्गत जहांगीरपुरी चीनी मिल का निर्माण कार्य पिछले काफी दिनों से रुका हुआ है जिस कारण स्थानीय गन्ना कृषकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनके द्वारा आये दिन इस चीनी मिल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने एवं इसको अविलंब चालू किये जाने के बारे में आंदोलन एवं धरने इत्यादि दिये जा रहे हैं। मैंने उनकी इस मांग को विगत लोक सभा के दौरान कई बार सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, किन्तु अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिस कारण स्थानीय कृषकों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

इस विषय में मैं यह बात भी सरकार के समक्ष लाना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा के अंतर्गत एक भी चीनी मिल कार्यरत नहीं है और यहां पर गन्ने का उत्पादन बड़ी संख्या में होता है।

ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से पुन: अनुरोध है कि जहांगीरपुर चीनी मिल का निर्माण कार्य अविलंब पूरा करवाकर इसको तुरंत चालू करवाया जाए तथा इस क्षेत्र में गन्ने की उत्पादकता को दृष्टि में रखते हुए यहां पर एक और चीनी मिल की स्थापना किये जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

*सभा पटल पर रखे गये।

(तीन) कानपुर स्थित टैनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कपड़ा मिलों के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर): मैं पहले भी लोक सभा में अनेक बार कानपुर स्थित केन्द्र सरकार के अधीन उद्योगों के बंद होने से उत्पन्न श्रमिक अशांति एवं भुखमरी की समस्या की ओर इस सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं परन्तु इस समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया है। टैनरी एंड फुटवेयर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को 18 अगस्त, 1998 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण कर्मचारियों के घरों में चूल्हा जलना भी कठिन हो गया है। इस उद्योग को बंद करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है परन्तु अभी तक वी.आर.एस. या बन्दी का नोटिस तक नहीं लगाया है। मेरा आग्रह है कि सरकार तत्काल पूरा वेतन भुगतान करे एवं कोई पैकेज घोषित करे जिससे कर्मचारी घोर कठिनाईयों से मुक्त हो सकें।

इसी प्रकार एन.टी.सी. के अंतर्गत कानपुर टैक्सटाइल एलगिन मिल नं. 1 एवं एलगिन मिल नं. 2 के विषय में भी अनिश्चितता बनी हुई है। इन मिलों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के स्थान पर एडवांस दिया जा रहा है। सरकार यदि इन तीनों मिलों को नहीं तो इनमें से दो या एक मिल को बचे कर्मचारियों का समायोजन करके लाभदायक बना सकती है परन्तु इस निर्णय को लेने में भी देर हो रही है।

मेरा प्रधान मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री, वित्त मंत्री एवं श्रम मंत्री को साथ बैठाकर इन उद्योगों को कैसे चलाया जाये, इस पर तत्काल निर्णय करें एवं टैनरी एंड फुटवेयर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का 18 अगस्त, 1998 से आज तक का वेतन तथा वी.आर.एस. के माध्यम से अच्छा सा पैकेज इनको प्रदान करने की व्यवस्था करें।

(चार) सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के सिविल और ई.एण्ड एम. विभाग के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सैण्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सिविल और ई. एण्ड एम. विभाग में निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए निधि का आवंटन सही ढंग से नहीं किये जा रहे हैं, जिसके कारण विकास कार्यों का सम्पादन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है।

सी.सी.एल. के अंतर्गत बेरमो सैण्ट्रल कालोनी के लिए वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान सिविल और ई. एण्ड एम. विभाग द्वारा करीब एक करोड़ सत्रह लाख रुपये का आवंटन हुआ, जबकि यह आवंटन सैण्ट्रल कालोनी के लिए नहीं था। इसके बावजूद आवंटित राशि में से विकास कार्य नहीं हो सका।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा सुनिश्चित कराई जाये, साथ ही साथ सी.सी.एल. के कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष कदम उठाये जायें।

(पांच) उड़ीसा में पारादीप पत्तन, हुकितोला द्वीप समूह, लैम्प हाउस को समुद्री कटाव से बचाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रंजीब बिस्वाल (जगतसिंहपुर): बंगाल की खाड़ी में उठने वाले ज्वार-भाटे और मैंग्रोव जंगलों के बढ़ते विनाश के कारण उड़ीसा के उत्तरी समुद्र तट का तेजी से क्षरण हो रहा है और जिससे पारादीप पत्तन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। नेहरू गैस्ट हाउस और इसके साथ लगे आवासीय फ्लैटों और हुकितोला द्वीप समूह को सबसे ज्यादा खतरा है।

यदि उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए तो लैम्प हाउस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लैम्प हाउस की स्थापना 1821 में ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल की खाड़ी के निकट जोम्बू द्वीप के हुकितोला पर हुई थी। आज इस द्वीप की स्थिति दयनीय है।

महानदी के मुहाने में गाद भरती जा रही है। भूमि कटाव भी प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। सुदूर संवेदी प्रयोग केन्द्र द्वारा उपग्रह चित्रों से यह खोज की गई है कि ज्वारभाटीय नदियों के मुहाने तक जाने वाली लहरों से चार दशक पहले से ही समुद्रतट का क्षरण हो रहा है। इसके दक्षिणी भाग में पत्तन की रक्षा के लिए सेतुबन्ध बनाए गए हैं जो समुद्र जल के प्रवाह को भी प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप, समुद्र की तेज लहरों द्वारा बहा कर लाई गई रेत और अन्य सामग्री सेतुबन्ध के दक्षिणी भाग में जमा हो जाती है और उत्तर की ओर नहीं बढ़ती है जहाँ ज्वारभाटे की लहरें समुद्रतट को लगातार तोड़ रही हैं।

जब तक कुछ उपयुक्त उपाय नहीं किए गए तब तक पत्तन को ज्वारभाटा बड़ी लहरों से खतरा बना रहेगा। इसीलिए मैं सरकार से पारादीप पोर्ट और हुकितोला द्वीप और लैम्प हाउस को समुद्री कटाव और ज्वार-भाटे की लहरों से बचाने के लिए केन्द्र द्वारा

प्रायोजित कार्यक्रम को तैयार करने का आग्रह करता हूं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत महानदी के पाट में से गाद को निकाले जाने को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(छह) बोध गया मन्दिर अधिनियम, 1949 में बिहार सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, बोध गया मन्दिर प्राचीन भारत का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्मारक है। यहीं पर भगवान बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पवित्र स्थान महाबोधि महाविहार में विश्व के सभी हिस्सों से बौद्ध तीर्थयात्री और भक्तजन आते हैं।

यह स्वाभाविक है कि महाबोधि महाविहार का प्रबन्धन बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए और वे ही इसकी निगरानी करें। सरकार द्वारा गठित बौद्ध परम्पराओं की महावीर समिति इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पायी है।

इसीलिए बिहार सरकार ने बोध गया मन्दिर अधिनियम, 1949 (1949 का बिहार अधिनियम XVIII) में संशोधन किया और इसे केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा है। बोध-गया मन्दिर अधिनियम, 1949 में संशोधन का अनुमोदन करने और मन्दिर के प्रबंधन को बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने के लिए श्री भदन्त आर्य नागार्जुन सूरज ससाई लें तुरन्त केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

(सात) उड़ीसा राज्य के लिए आवश्यक वस्तुओं का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा): उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय पूल में से लेवी चीनी, केरोसिन, चावल और गेहूं का नियत हिस्सा नहीं मिल रहा है। वास्तविक आवश्यकता और केन्द्रीय आबंटन में बहुत ज्यादा अन्तर है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के उपभोक्ता विशेष रूप से समाज की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अपर्याप्त केन्द्रीय आबंटन के कारण त्यौहारों के समय गरीब लोगों को पर्याप्त मात्रा में चीनी नहीं मिल रही है। जलाने की लकड़ी के अभाव में गरीब और मध्य वर्ग के लोग मिट्टी के तेल पर निर्भर रहते हैं। इसका आबंटन अपेक्षा के अनुरूप नहीं होने के कारण गरीब लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

चावल और गेहूं के आबंटन में अत्यधिक कमी की गई है। राज्य सरकार केन्द्रीय पूल से चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल और लेवी चीनी के अतिरिक्त आबंटन की मांग कर रही है। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त आबंटन नहीं किया जा रहा है।

राज्य में व्याप्त भयंकर सूखे को ध्यान में रखकर मैं मांग करता हूँ कि चालू वर्ष और वर्ष 1999 के लिए उड़ीसा राज्य का चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल और चीनी कोटे के आबंटन में वृद्धि की जाए।

(आठ) खोपरा का समर्थन मूल्य 4000 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रस्तावित खोपरे का समर्थन मूल्य अपर्याप्त है। मैं सरकार से खोपरे का समर्थन मूल्य चार हजार रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने का आग्रह करता हूँ।

(नौ) पंजाब के ऐसे किसानों, जिनकी फसल बेमौसमी वर्षा के कारण नष्ट हो गई है, को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): अध्यक्ष महोदय, पंजाब राज्य खेती के लिए मशहूर और सेन्ट्रल पूल में पंजाब ही वह राज्य है जो सबसे अधिक योगदान देता है किन्तु जो किसान देश का पेट भरने में मेहनत कर रहा वह कर्ज में डूबा है। पंजाब राज्य में 5,700 करोड़ रुपया किसानों पर कर्ज है जिसे वह वापिस भुगतान समय से नहीं कर पा रहा है। इस पर इस साल पंजाब के किसान पर दैवी मार और पड़ गई। बेमौसमी बरसात ने एक ओर उसके खेत में खड़ी फसल को नष्ट कर दिया और दूसरी ओर खेत से बचा कर जो फसल वह बेचने के लिए मंडी में ले गया उसे भी बेमौसमी बरसात ने नुकसान पहुंचा दिया जिसके कारण उसे भी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। वर्षा के कारण मंडियों में पड़ा खाद्यान्न, विशेष रूप से धान खराब हो गया और सरकारी एजेंसियों ने इस खराब हुए धान को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम दामों पर खरीदा, जिससे उसे इस साल भारी नुकसान हुआ है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसान को इस मुसीबत के समय सहारा देने के लिए कम से कम मुआवजे के रूप में इतनी राशि तुरन्त अवश्य मुहैया कराएं, जो उसे वर्षा के कारण घटिया क्वालिटी हो जाने के कारण कम दामों में बिक्री करनी पड़ी है।

(दस) तमिलनाडु में जवादु पहाड़ी क्षेत्र को बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर): तिरुवन्नमलाई और वेल्लौर जिलों में जावादु पहाड़ी क्षेत्र में जमुनामुत्तुर, पुडुरनाडु, नेल्लीथसालनाडु,

[श्री डॉ. वेणुगोपाल]

अरसावल्ली, कोविलूर, कल्याण मंथाई, तोपपुर, कीतातुर, अथिपेट, वेरपपनुर, कोमुतेरी, कोपिरेट्टी, पुघुपेट नामक गांव हैं जो कुल मिलाकर 28 हैं। घने जंगलों में कई सदियों से वहां बसे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी पेयजल, सड़क यातायात, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे बुनियादी सुविधाएं इन क्षेत्रों के लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंची हैं। सड़क यातायात की कमी के कारण यहां तक कि राज्य प्रशासन के प्रयास भी सफल नहीं हो सके हैं।

राज्य एजेन्सियों के जीप जैसे वाहन भी वहां रहने वाले लोगों तक नहीं पहुँच सकते। सरकारी अधिकारियों के लिए उन गाँवों में पहुँचना कठिन हो जाता है। उन क्षेत्रों के जनजातीय लोगों को काफी आर्थिक कठिनाईयां होती हैं और कुछ लोगों के पास तो जरूरी कपड़े तक नहीं हैं। इन गाँवों का विकास काफी हद तक गैर-सरकारी संगठनों पर निर्भर होता है।

स्थिति को बदलना चाहिए। सभी इक्कीस समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वहां पहुंचने चाहिए। इसके लिए, सड़क यातायात सुनिश्चित करवाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को चाहिए कि जवातु पहाड़ी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण जारी रखकर जंगलों में सड़क निर्माण के लिए मानदंडों में छूट देकर गरीबों के उत्थान के लिए पर्याप्त सड़क यातायात सुविधा द्वारा राज्य प्रशासन की मदद करे।

(ग्यारह) आयातित चीनी पर शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (अहमदनगर): मैं सरकार का ध्यान 21 नवम्बर, 1998 के "द इंडियन एक्सप्रेस' में "फाइनेंस मिनिस्टर रिजेक्ट्स प्रोपोजल टू इन्क्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी आन शुगर' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेन्स के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि जब तक आयातित चीनी का मूल्य भारतीय चीनी के मूल्य से कम होने की वजह से व्यापारियों द्वारा चीनी का आयात जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने खाद्य मंत्री के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है जिसमें आयात शुल्क को पर्याप्त रूप से बढ़ाने, जिससे भारत में चीनी का आयात प्रतिस्पर्द्धात्मक हो सके। यह उपाय भारतीय चीनी उद्योग और विशेषकर किसानों के लिए संरक्षण प्रदान कर सकता है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सुखाड़ कारण हमेशा मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं। भारतीय किसानों को कठिनाई में डालकर चीनी का आयात करके मुद्रास्फीति कम करना उचित नहीं है। इसलिए, मैं वित्त मंत्री से जोरदार अपील करना चाहता हूँ कि सरकार आयातित चीनी पर शुल्क बढ़ाए। विश्व बाजार में, कई अन्य देश अपने-अपने घरेलू उद्योगों और किसानों को बचाने के लिए अधिक आयात शुल्क लगा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से यह अपील करूँगा कि इस मामले पर पुनः विचार किया जाए और चीनी पर आयात शुल्क को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर तुरंत ही किसान समुदाय के साथ न्याय किया जाना चाहिए।

(बारह) 6 दिसम्बर को डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 42वें वार्षिक महाप्रयाण दिवस के समारोह में अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु "पोलियो" उन्मूलन दिवस, जो इसी दिन आयोजित किया जा रहा है, की तिथि में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य): अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भारत वर्ष के महान व्यक्ति तथा दलित-पिछड़े-परिवर्तनवादी समाज के मसीहा हैं। हर साल पूरे भारत भूमि पर उनका महापरिनिर्वाण दिवस दि. 6 दिसम्बर को श्रद्धांजलि के रूप में याद किया जाता है। मुम्बई शहर में उनको आदरांजली अर्पित करने के लिए पूरे भारत से 20-25 लाख लोग चैत्यभूमि आते हैं। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी पर श्रद्धा रखने वाले करोड़ों लोग अपने देश में रहते हैं। भारत देश का संविधान लिखकर भारत देश के लोकतंत्र को उन्होंने बहुमान किया है। भारत सरकार ने 6 दिसम्बर, 1998 को "पल्स पोलियो अभियान" दिवस जाहिर किया है। यह दिवस डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इसलिए ये तिथि बदलकर 13 दिसम्बर की जाये। हमारी यह मांग भारत सरकार स्वीकृत करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.49 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.39 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.39 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए।*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): मैं एक महत्वपूर्ण और आवश्यक मामला उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* मुंबई में, एक बहुत ही लोकप्रिय और शानदार फिल्म, जिसने कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, दिखाई जा रही थी और *...(व्यवधान)* उन्होंने सिनेमाघर में तोड़ फोड़ मचा दी। *...(व्यवधान)* मुख्य मंत्री ने उन्हें बधाई दी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, आप यह मामला कल उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): अध्यक्ष महोदय, अनिवार्य जूट पैकेजिंग आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को सही ठहराए जाने के बाद भी मंत्रिमंडल ने यूरिया और सीमेंट को जूट के थैलों में पैक न करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल जूट उद्योग बरबाद हो जोगा बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होगा। आजकल यूरोप में, किसी भी ऐसी चीज को पैक करने पर उद्यमी को दण्ड मिलता है जिसका पुनः उपयोग या नष्ट न हो सके। यूरोपीय और अमेरिकी समाजों में प्रदूषणकारी चीजों से पैकेजिंग का काम करना अपराध है। यह एक बहुत गंभीर मामला है। हमारी मांग है कि प्रधान मंत्री जी इस मामले पर अभी जवाब दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य, आप एक वरिष्ठ सदस्य है। मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी पहले ही बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, इस समय जूट उद्योग के हजारों मजदूर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को जूट के थैलों में यूरिया और सीमेंट न पैक करने के केन्द्र सरकार के निर्णय से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। हम यह मामला सरकार के निर्णय के कारण उठा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी को इस मामले का जवाब देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, मंत्रिमंडल के इस निर्णय से पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग बरबाद हो जाएगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य, मैं मंत्री जी को पहले ही बुला चुका हूँ। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री तरित बरण तोपदारः अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है इसलिए प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह इन्डस्ट्री का सवाल नहीं है, यह दुनिया का सवाल है, देश का सवाल है। इसके ऊपर प्रधान मंत्री विचार करें। *...(व्यवधान)* यह पर्यावरण का भी सवाल है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के मित्र जो मामला उठा रहे हैं, मैं उनके बारे में सारे तथ्य इकट्ठे करूंगा और उनसे बातचीत करूँगा। कोई ऐसा

काम नहीं होगा जिससे जूट इंडस्ट्री को नुकसान हो। हम उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहते हैं।

श्री तरित बरण तोपदार: यह पर्यावरण का सवाल है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: बहुत से सवाल हैं, मगर सदन में शांति बनाए रखने का भी सवाल है। ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): मुम्बई में शिव सेना ने प्रदर्शन के दौरान जो अशांति पैदा की, वह एक गलत बात है। आप इस बारे में तुरन्त तथ्य मंगवा लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया बैठ जाइए। श्री काशीराम राणा।

अपराह्न 1.44 बजे

कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक अधिनियम, 1925 पर विचार किया जाए।"

हमें उम्मीद है कि इस अधिनियम के निरसन से कपास ओटाई और दबाई क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रयासों को प्रोत्साहन और बल मिलेगा। इसके बदले में यह कपास के अच्छे किस्म के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करेगा। ओटाई और दबाई कारखानों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के अनुरूप मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

वर्तमान उदारीकृत औद्योगिक परिदृश्य में, कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 में वर्णित की गई अनेक पाबन्दियों की अब आवश्यकता नहीं है। यह महसूस किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी कपास नियंत्रण आदेश 1986 में कुछ आवश्यक संशोधनों के बाद भविष्य में कपास ओटाई और दबाई कारखाना के कार्यकरण को नियमित करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं हम कपड़ा उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए उन्हें अन्य प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कपास के विकास के संबंध में एक प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। वास्तव में, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस मिशन के लिए 60 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की भी है। इस प्रस्तावित प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों में फसल पूर्व और फसल पश्चात् दोनों कार्य शामिल होंगे। जबकि इस मिशन का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय द्वारा रखा गया है, मेरा मंत्रालय आधारभूत वस्तुओं के विपणन और कपास के प्रसंस्करण से संबंधित दो लघु मिशनों के लिए जिम्मेवार होगा। इस प्रस्तावित प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत हम भी कपास ओटाई और दबाई कारखानों को आधुनिकीकरण के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करते हैं।

इसी प्रकार, हम कपड़ा और जूट उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के एक अन्य प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं। यहां एक बार फिर, हम कपड़ा उद्योग की विभिन्न पता लगाई गई यूनिटों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि वह एम.एफ.ए. काल पश्चात् में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन करें और बेहतर उपकरणों से सुसज्जित कर उनका आधुनिकीकरण करें।

अत: कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम के निरसन के लिए वर्तमान प्रस्ताव को व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन उपायों द्वारा नियंत्रण कुछ कम हो जायेंगे। इससे कपास ओटाई और दबाई कारखानों के आधुनिकीकरण को भी अपने तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्वच्छ तथा कीटाणुओं से मुक्त कपास उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। इससे एक ओर कृषकों को मदद मिलेगी और दूसरी ओर यूनिटों को मदद मिलेगी जो कि कपास की खपत करते हैं।

मुझे उम्मीद है कि सम्माननीय सभा कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 के निरसन का अनुमोदन करेगी।

यह विधेयक लोक सभा में भी पेश किया गया था। दसवीं लोक सभा ने 13 अगस्त, 1997 को सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित किया था। यह विधेयक राज्य सभा में भी पेश किया गया था। लेकिन लोक सभा भंग कर दी गई थी। इसलिए इस अधिनियम के निरसन के लिए मैं फिर यहाँ आया हूँ। मैं सभी माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक अधिनियम, 1925 पर विचार किया जाए।"

श्री वारकला राधाकृष्णन।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): वह ग्यारहवीं लोक सभा थी न कि दसवीं लोक सभा।

श्री काशीराम राणा: जी हाँ, यह विधेयक ग्यारहवीं लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। इसे दसवीं लोक सभा में पेश किया गया था।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया तर्क मानने लायक नहीं है। सबसे पहले तो यह बाजार अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उदारीकरण का ही एक हिस्सा है। तब वह यह हल निकालेंगे कि इस अधिनियम का ही निरसन कर देना चाहिए। लेकिन मूल अधिनियम में कुछ प्रावधान हैं, वह हैं 1925 का अधिनियम जिसमें कुल मिलाकर कपड़ा उद्योग के हितों की रक्षा की गई है। अब माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे कि कपड़ा नियंत्रण आदेश, 1986 द्वारा भी कपड़ा उद्योग के हितों की रक्षा की जाएगी जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया था। वह आदेश एक कार्यपालक आदेश था। वह 1955 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया था और उसमें कुछ परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय वर्ष 1925 के अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों को बनाए रखने के लिए उस आदेश में संशोधन लाएंगे।

इसमें कुछ प्रावधान हैं जो कि कारखाने में लगे कर्मचारियों के लिए सहायक हैं और उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। आपको उनके हितों की रक्षा करनी होगी। मैं आधुनिकीकरण का विरोध नहीं करता हूँ। मेरे विचार में, इस अधिनियम को बनाए रखकर भी आधुनिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस अधिनियम को इतना संशोधित किया जा सकता है कि इसमें आधुनिकीकरण का पूरा प्रावधान हो। वह करने की बजाय बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं अधिनियम का ही निरसन करने का आपका विचार है। यह तर्क मानने योग्य नहीं है।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय किसी भी कीमत पर कपास नियंत्रण आदेश, 1986 में संशोधन करने के लिए सहमत हो गए हैं। क्या आप आदेश में ही, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1986 में जारी किया गया था, 1925 के अधिनियम में कतिपय प्रावधानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जल्दी संशोधन करेंगे?

अत: मैं आपसे कुछ संशोधन लाने का अनुरोध करूँगा जो कि आवश्यक हैं, और जिनको बनाए रखना फायदेमंद है। यदि आप अधिनियम 1925 को बनाए रखना कठिन समझते हैं तो कम से कम उन प्रावधानों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी कपास नियंत्रण आदेश में बनाए रखा जा सकता है।

यदि सरकार ने निर्णय ले लिया है तो मैं बीच में नहीं आऊँगा। लेकिन यदि आप इसको ठीक मानते हैं। यदि आप इस बात पर जोर देते हैं कि अधिनियम का ही निरसन होना चाहिए तो आप उन संशोधनों का सुझाव देकर, जिनको मूल अधिनियम में रखा जाना है, कपास नियंत्रण आदेश में प्रावधान कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): माननीय अध्यक्ष जी, यहां सदन में कपास की ओटाई और दबाई के कारखाने के लिए जो विधेयक रखा गया है, मैं उसके पक्ष में बोलना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आपसे गुजारिश है कि बीच में कोई कमेण्ट न हो।

अध्यक्ष जी, यह बिल लाने के लिए मैं मंत्री जी और सरकार का आभार प्रदर्शित करती हूं। इस बिल को यहां रखने से 1925 वाला पुराना बिल रद्द हो जाएगा और उससे बहुत ही फायदे होंगे। मैंने आभार इसलिए प्रदर्शित किया कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, उस जिले में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। कपास की सबसे ज्यादा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियां मेरे क्षेत्र में हैं। यह बिल आने से बहुत फायदा होगा क्योंकि जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री वालों को अपने स्टॉक के बारे में प्रति सप्ताह लिखकर देना पड़ता था कि कितना स्टॉक है। अब यह झंझट पूरा टल जाएगा और इससे जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री वालों का काम बहुत ही सरल बनेगा।

इसके और भी बहुत से फायदे हैं। जैसे अब तक जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री को सरकार को फीस देनी पड़ती थी। राज्य सरकार को कलेक्टर के जरिये यह फीस दी जाती थी। यह अधिनियम आने से अब फीस नहीं देनी पड़ेगी और उसके कारण जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री का मार्ग वह एकदम खुल जाएगा। इतना ही नहीं, इनकी गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी और अधिकतम मात्रा में कामकाज होगा। जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियां ज्यादा कामकाज करेंगी और इससे हमारे उद्योग को बहुत फायदा होगा। इसके कारण निर्यात भी ज्यादा होगा जिससे हमारे अर्थ तन्त्र को भी फायदा होने की बहुत संभावना इस बिल के कारण दिखाई देती है।

[श्रीमती भावना कर्दम दवे]

इतना ही नहीं हमारे मंत्री जी ने यहां कहा कि और भी योजनाएं आ रही हैं और इसी कारण हम आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। आधुनिकीकरण करने से यहां जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरीज को बहुत सरल मार्ग प्राप्त होगा। इस बिल के आने से जो संग्रहखोरी होती है वह कम हो जायेगी, बल्कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब काम सरलता से होता है और उसमें कोई विघ्न नहीं आता, तब काम बहुत ही गति से चलता है और प्रगति ज्यादा होती है। मैं मंत्री जी का बार-बार आभार प्रदर्शित करूंगी क्योंकि उन्होंने यह बिल यहां प्रस्तुत करके एक भारी उपकार किया है। मैं यह भी कहा चाहती हूं कि अब हमारी कपास की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। मुझे मौका मिला है तो मैं एक बात और कहूंगी कि आवश्यक वस्तुओं की जो धारा है, उसमें यदि थोड़ी राहत मिल जाए तो ठीक रहेगा। इस बार मेरे संसदीय क्षेत्र में कपास की बहुत ही अच्छी फसल हुई है, जितनी अच्छी फसल होनी चाहिए थी, उससे भी ज्यादा अच्छी फसल हुई है, सब कुदरत की मेहरबानी है। अब आप कपास के निर्यात के लिए जल्दी से जल्दी ज्यादा मुक्ति दें तो अच्छा रहेगा। मैं फिर से आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने इस बिल को यहां रखकर किसानों, व्यापारियों और सभी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है जिसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूं और आभार मानती हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक पुराने कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने के लिए लाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह बहुत ही पुराना है। यह विधेयक अनेक कारणों के आधार पर पुराने अधिनियम के निरसन के लिए लाया गया है। माननीय मंत्री महोदय के अनुसार आधुनिक तथा उदार औद्योगिक परिदृश्य के कारण इस अधिनियम की अब आवश्यकता नहीं है।

एक अन्य अधिनियम है, कपास नियंत्रण आदेश, 1986 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के परिपेक्ष्य के अंतर्गत आता है। जहां तक कि कपास नियंत्रण आदेश, 1986 का संबंध है, मेरे विचार में कपास ओटाई और दबाई से संबंधित कार्यों को सही तरीके से नियमित करने के लिए उसमें कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है। हमें इस पुराने अधिनियम के निरसन में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि नए परिदृश्य उभरे हैं। हम माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताए गए कारणों से असहमत नहीं हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान कपास उद्योग तथा कपास उत्पादकों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि में कपास उद्योग प्रतिदिन ...*(व्यवधान)* पूरा कपड़ा उद्योग गहरे संकट में घिर गया है और देश भर में अनेक कपड़ा मिलें अब बंद हो गई हैं। हजारों कपड़ा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कपड़ा उद्योग हमारे देश का प्रमुख और पुराना उद्योग है। सूती कपड़ा न केवल हमारे देश में बल्कि हमारे देश के बाहर भी काफी लोकप्रिय है। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग का हाल कपड़ा उद्योग की तरह ही है। जूट उद्योग बंद हो रहा है। हजारों मजदूर इन उद्योगों से निकाल दिए गए हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

मैं माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी जूट पैकेजिंग के संबंध में हो रहा था वही कपास उद्योग के मामले में भी हो रहा है। कपड़ा उद्योग मिलें बंद हो रही हैं और हज़ारों मजदूरों को काम से निकाला जा रहा है। यह बहुत दुख की बात है कि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए अब तक कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए हैं अथवा उपाय नहीं किए हैं उन्हें कुछ कदम उठाने चाहिए थे ताकि कपड़ा मिल मजदूरों को उनका रोजगार वापस मिल सके, वह उत्पादन बढ़ा सकें और मिलों को निर्विघ्न चलाया जा सके।

यही बात माननीय महिला सदस्य द्वारा भी कही गयी है जिन्होंने अभी बोला था और जो उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं जहाँ कपास का उत्पादन होता है। किसानों को कोई पारिश्रमिक मूल्य नहीं मिल रहे हैं। पूरे उद्योग का भविष्य अब निराशापूर्ण है। इनकी स्थिति दयनीय है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह कपड़ा उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कदम उठायें क्योंकि यह शर्म की बात है कि कपास उत्पादक पूरे देश में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम इस विधेयक को आज पूरा नहीं कर रहे हैं। हम इसे कल उठायेंगे।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): मैं केवल एक बात कहूँगा।

मैं इस विधेयक के निरसन के विरुद्ध नहीं हूँ; मैं इस विधेयक के विरुद्ध भी नहीं हूं जो इस अधिनियम का निरसन करने के लिए है। मेरा तो केवल यही कहना है कि इसके पीछे इस तरह के

विचार नहीं होने चाहिए। कपास ओटाई और दबाई का आधुनिकीकरण होना चाहिए। इसे आने वाली नई नीति के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। पुरानी कपड़ा नीति को समाप्त करना होगा और एक नई कपड़ा नीति बनानी होगी। इसे नई कपड़ा नीति के साथ समन्वित किया जाना चाहिए जिसमें यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपरिष्कृत कपास का निर्यात नहीं किया जाएगा, जैसाकि इस समय किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री एल.के. आडवाणी अपना वक्तव्य देंगे।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अपराह्न 2.04 बजे

चिकमगलूर (कर्नाटक) के समीप एक धार्मिक स्थल पर हुआ विवाद

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): कर्नाटक में चिकमगलूर से 30 कि.मी. दूर एक पहाड़ी पर एक धार्मिक स्थल है। यह कर्नाटक सरकार के धार्मिक और धर्मार्थ अभय निधि विभाग के नियंत्रण में है। हिन्दू और मुसलमान दोनों इस तीर्थ स्थल को पवित्र मानते हैं और यह हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द का एक अनूठा उदाहरण है।

मुसलमान, संत बाबा बुद्धन की इस समाधि पर पूरे साल जाते रहते हैं। वे इस्लामिक कलैण्डर के तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल माह में प्रतिवर्ष तीन दिनों तक इस स्थान पर उर्स भी मनाते हैं। हिन्दुओं के लिए यह गुरु दत्तात्रेय की समाधि है और वे इसे तदनुसार दत्तात्रेय पीठ कहते हैं। बड़ी संख्या में हिन्दू कार्तिक पूर्णिमा समारोहों और अन्य त्यौहारों के दौरान प्रतिवर्ष इस स्थान पर दतात्रेय जयंती मनाते हैं।

कुछ समय पहले इसे वक्फ सम्पत्ति घोषित करने का प्रयास किया गया था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 1991 में यह निर्णय दिया कि यह वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति नहीं है।

भारत सरकार और कर्नाटक की राज्य सरकार यह चाहती है कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे इस धार्मिक स्थल, जो कि देश में हमारी सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष विरासत का एक भाग है, का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बिगड़े। इस वर्ष दत्तात्रेय जयंती 1 से 3 दिसम्बर तक मनाई जानी थी। इस क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। चिकमगलूर के जिला मजिस्ट्रेट ने 1-7 दिसम्बर, 1998 तक शहर में 5 कि.मी. के घेरे और तीर्थ स्थल के 10 कि.मी. के घेरे के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है। राज्य रिजर्व प्लाटूनों और केन्द्रीय पुलिस बल की तैनाती सहित सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं।

गुरु दत्तात्रेय जयन्ती समारोह 1 दिसम्बर को शान्तिपूर्वक शुरू हुआ और 2 दिसम्बर को अबाध रूप से चला। आज भी, जो कि समारोह का अंतिम दिन है, अभी तक चिकमगलूर से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है और इसकी दिनभर इसी तरह शान्तिपूर्ण रहने की सम्भावना है।

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है *...(व्यवधान)* क्या यह सच है कि बजरंग दल ने घोषणा की है कि दरगाह पर भाषण दिया जाएगा? क्या आप इस बारे में जानते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नियम 193 के अंतर्गत चर्चा। श्री राजेश पायलट।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया कोई स्पष्टीकरण नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह प्रक्रिया नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करें। श्री राजेश पायलट।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सही तरीका नहीं है। कृपया समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चाँदनी चौक): क्या प्रौब्लम है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह ठीक नहीं है।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब मैंने श्री राजेश पायलट को बुलाया है। श्री अजीत जोगी, कृपया इस बात को समझिए कि यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है।

श्री अजीत जोगी: बजरंग दल का एक नारा है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप नहीं समझते कि मूल्य वृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है?

...(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी: यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसने देश को सबसे अधिक चिन्ता में डाल दिया है।

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय सदस्यों की इच्छा के कारण ही मैंने मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देने के लिए कहा है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मूल्य वृद्धि एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक नई परिपाटी का आरम्भ न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, कृपया एक नई परिपाटी का आरम्भ न करें। मैंने श्री राजेश पायलट का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने ...के बारे में कुछ नहीं कहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, माननीय मंत्री महोदय जवाब देने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य): बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् के बारे में क्या एक्शन हो रहा है, यह हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, दूसरी सभा में उस सभा की परम्परा और व्यवहार के कारण मैंने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है जो कि कल शाम को उठाए गए थे। लेकिन मुझे उन बातों को स्पष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है और न ही कोई कठिनाई होगी। यह अध्यक्षपीठ का प्रश्न है और यह इस सभा की परम्परा है। मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि अन्यथा यह मामला विशेषरूप से राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र से संबंध रखता है। लेकिन हम इस बारे में चिन्तित हैं। केन्द्र सरकार सबसे पहले इस बारे में चिन्तित है कि यह साम्प्रदायिक सामंजस्य का उदाहरण है और यह एक अनूठा उदाहरण है। अतः उस स्थान के स्वरूप में हेर-फेर करने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारणों से—चाहे वह वक्फ सम्पत्ति हो अथवा नहीं—मामला न्यायालय में भी गया है। न्यायालय ने कुछ निर्णय भी दिए थे। हम बड़ी उत्सुकता से पाते हैं कि विश्व हिन्दु परिषद् अथवा बजरंग दल या किसी अन्य द्वारा न्यायालय के उक्त निर्णयों का सम्मान किया जाता है। जिस समय हमें इस बात का पता चला, मैंने तत्काल संबंधित संसद सदस्य से बात की। मैं इस बारे में और अधिक चिंतित था क्योंकि इसमें हमारी सभा से संबंधित और हमारे दल से संबंधित एक संसद सदस्य के नाम का एक वक्तव्य छपा था। अतः, मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की

और उन्होंने कहा कि समाचार-पत्रों की रिपोर्ट गलत है और उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। इसके अतिरिक्त मैंने राज्य सरकार को सुनिश्चित किया कि वह हमसे जो सहायता चाहते हैं हम उन्हें देंगे। इस बात को न केवल राज्य सरकार तक पहुँचाया गया था बल्कि गृह मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों को कल सुबह यह कार्य सौंपा गया था कि वह स्वयं कर्नाटक जाए तथा वहां उस जगह पर जाकर जो कुछ आवश्यक हो करे। आज मैं केवल सभा को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सब कुछ बहुत शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हो गया है। राज्य सरकार ने भी संबंधित लोगों से बातचीत कर कुछ किया है और विश्व हिन्दु परिषद ने भी एक वक्तव्य जारी किया है कि वह पूर्ण शान्ति तथा सौहार्द और वर्तमान परम्परा को जारी रखना चाहते हैं। यह सब कुछ कर दिया गया है और इसलिए मैंने सभा के समक्ष यह संक्षिप्त वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री राजेश पायलट मूल्य वृद्धि पर चर्चा का आरम्भ करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, उन्होंने रथ यात्रा का कोई उल्लेख नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री राजेश पायलट का नाम पुकारा है।

अपराह्न 2.11 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम 193 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, उसके बारे में चर्चा की इजाजत दी है। यह कोई एक पार्टी की बात नहीं थी। सारे हाउस की चिन्ता थी और सभी सांसद चाहते थे कि इस पर खुलकर चर्चा हो।

प्रजातंत्र में जो भी सरकार चुनी जाती है, उस सरकार के सामने दो-तीन मुद्दे मुख्य होते हैं। एक सामान्य जीवन, दूसरा रोटी आम व्यक्ति, आम नागरिक आराम से खा सके और देश विकास की तरफ चले तथा देश में सुरक्षा ठीक रहे। ये तीन मुद्दे ऐसे चलते हैं जिन पर आम आदमी की नजर होती है और हर सरकार का परीक्षण इन तीन चीजों पर होता है। किसने कितनी-कितनी सड़कें बनायीं, वह तो चलता ही है लेकिन इन तीन चीजों पर देश की और जनता की नजर होती है। हमें फक्र है कि पचास साल में लोगों ने सोच-समझकर हमेशा वोट दिया है और वोट उसी हिसाब से होता है कि सरकार समझे कि वह जनता को मिसगाइड नहीं कर सकती, बेवकूफ नहीं बना सकती। जनता समझती है कि कौन पार्टी किधर जा रही है।

अभी जो विधान सभा के चुनाव हुए हैं, लोगों के बीच में हम गए, मेरे बहुत से साथी चुनाव में गए होंगे और उधर से भी बहुत से साथी चुनाव में गए होंगे। महंगाई की चर्चा हमेशा इतनी बढ़ती रही कि हम सभी सांसद इन्तजार कर रहे थे कि जो आज महंगाई देश को इतना सता रही है, हम पार्लियामेंट में जाकर इस बात को उठाएं और जनता की इस मांग को सरकार के सामने खुलकर रखें।

जब यह सरकार बनी थी, मदन लाल खुराना जी ने एक पांच सौ पेज का मैनीफेस्टो बनाने में बहुत टाइम लगाया। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मदन लाल जी का उसमें क्या हाथ था? *...(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): इसको बंद कर दीजिए। प्याज जैसा हो जाएगा।

श्री राजेश पायलट: इन्होंने बहुत टाइम लगाया देश को यह दिखाने के लिए कि पचास साल में कुछ भी नहीं हुआ है, आम जीवन बेकार रहा है। सब चीजों पर जिक्र किया और सब चीजों के बारे में व्याख्या की जिन पर मैं बाद में आऊंगा लेकिन इनको लोगों ने नकार दिया और लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया। सरकार बी.जे.पी. के इस मैनीफेस्टो पर नहीं बनी। मेरे भाई मानेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या पढ़कर सुना रहे हैं?

श्री राजेश पायलट: आज पढ़कर सुना रहा हूं। लोगों ने इन पर यकीन नहीं किया और इनके 180 सांसद जीतकर आए तथा इन्हें मैजोरिटी नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने सोचा कि सरकार तो बनानी है। इन्होंने इसको एक तरफ रख दिया कि यह आडवाणी जी को दे दो, आडवाणी जी बोलते रहेंगे। अटल जी के लिए एक नया कागज तैयार कर दिया और उसका नाम "नैशनल एजेंडा" रख दिया तथा उसमें सारे हमारे भाई जिनमें नीतीश जी मेरी तरफ

[श्री राजेश पायलट]

देख-देख कर हंस रहे हैं, मैं 1993 का भाषण नहीं भूला हूं। यहां बैठकर जब बोलते थे और खुराना जी यहां बैठे होते थे तो उनको नीतीश जी ऐसे घूरकर देखते थे जैसे उनको खा जाएंगे। डैमोक्रेसी है, डैमोक्रेसी है। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। पता नहीं, अब के मार्च में क्या हुआ? सब इकट्ठे हो गए। अठारह भाई और एक चार पेज का नया नेशनल एजेंडा दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: प्याज भारी पड़ गई। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: प्याज पर मैं सबसे बाद में आऊँगा। उसमें इन्होंने कहा है हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें सब सांझी हैं। बरनाला जी चाहें मेरी तरफ देखें या न देखें, इन्होंने भी उसमें हामी भरी थी।

[अनुवाद]

"हम सभी उचित उपायों द्वारा, यदि आवश्यक हुआ तो, आवश्यक विधान लाकर मूल्यों में स्थिरता को सुनिश्चित करेंगे।"

[हिन्दी]

यह मार्च में आपने कहा। कह दिया कि अब जरूरत पड़ेगी तो विधेयक भी लाएंगे लेकिन इस देश में महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। पी.डी.एस. को स्ट्रांग करेंगे। सारी चीजें विस्तार में लिखी हैं। उनमें मैं नहीं जाऊंगा।

एक विधेयक लाया गया, जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): पहले उधर से कहा गया था कि सौ दिन में महंगाई दूर कर देंगे।

श्री राजेश पायलट (दौसा): मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले भी देता रहा हूँ। हो सकता है कि आप न मानें। एजेंडा तैयार हो गया और देश के सामने दो भाषायें चलने लगीं। आडवाणी जी उसको पढ़ते रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी इनको पढ़ते रहे, जो देश के लिए खतरनाक है। हमने उस दिन भी कहा था, अध्यक्ष जी आप इस कुर्सी पर बैठे हुए थे, जब बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ था, देश को हमने चेतावनी भी दी थी कि इससे कीमतें बढ़ेंगी। दो दलों के वित्त मंत्रियों ने अलग-अलग कहा था, राज्य सभा में मनमोहन सिंह जी ने और यहां चिदम्बरम जी ने खुलकर कहा था और हमारी तरफ से सबने कहा था कि मूल्य वृद्धि होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन हमारे ये साथी बात को मानते नहीं थे और एक ही बात कहते रहे कि यह बजट सब कुछ ठीक कर देगा। सिर्फ एक आदमी ने सही बयान दिया, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बने। उन्होंने, जसवंत सिंह जी ने थोड़ा रुक-रुककर जरूर बैलेंस बात कही थी, लेकिन लीडर्स कहने लगे कि यह बजट सबसे बढ़िया बजट होगा। ...*(व्यवधान)* इस संबंध में राज्य सभा में कालिंग एटेंशन मोशन भी आया था। बजट अधिवेशन में सवाल भी किया गया था कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जवाब दिया गया था कि सब स्टेबल हो जाएगा। वित्त मंत्री अपने हर इंटरव्यू में कहते थे कि अधिक से अधिक जून तक, नहीं तो मई तक सब स्टेबल हो जाएगा।

[अनुवाद]

मैं मध्यावधि समीक्षा का उल्लेख करता हूँ। "मुद्रा वृद्धि की उच्च दर सामान्य रूप से मूल्यों में स्थिरता को बनाए रखने के अनुरूप नहीं है।"

उनके अनुसार, ऐसी परिस्थिति में ब्याज दर को बढ़ाने अथवा आरक्षित मुद्रा अनुपात में और अधिक वृद्धि करने जैसे उपायों से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्या कहा था? वे भी चिन्तित थे। उन्होंने कहा था "समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक द्वारा आकलित की गई मुद्रास्फीति की दर इस समय आठ प्रतिशत है जोकि उस दर से ज्यादा है जिसे पाँच या छह प्रतिशत होना चाहिए।

यहाँ तक कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर चिन्तित थे, मध्यावधि समीक्षा में चिन्ता व्यक्त की गई थी, देश की वित्तीय स्थिति से संबंधित सभी लोग चिन्तित थे, परन्तु सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। संसद में भी हम यह मुद्दा उठाते रहे कि मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है परन्तु सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, इन चेतावनियों के बाद भी बजट अधिवेशन गुजर गया और बजट पास हो गया और नारे लगने लगे। किसी ने यह नहीं देखा कि आम आदमी की स्थिति क्या हो रही है। इससे सरकार की नीति का पता लगता है। नीति के साथ-साथ नीयत का भी कि नीति क्या है और नीयत क्या है। इस बजट ने सारी स्थिति साफ कर दी। नीति न भी सही हो, उसके बाद नीयत भी सही नहीं थी। अगर नीयत सही होती, तो प्राइस राइस अप्रैल में हो

गया था और सितम्बर तक, आठ-नौ महीने बाद, कन्ट्रोल नहीं कर पाए। हमारे साथी कहने लगे कि आठ-नौ महीने में क्या होता है। खुराना साहब, भारतवर्ष में ऐसा कोई बीज नहीं है, जो नौ महीने में फसल न दे दे। आप तो बच्चेदार आदमी हैं, नौ महीने में तो शिशु भी पैदा हो जाता है। लेकिन आप कहते रहे कि समय नहीं मिला, हमारे पास समय नहीं है हम क्या करते। कभी मौसम खराब हो जाता है, लेकिन कोई नीति ऐसी नहीं बनी, जिससे इसको कन्ट्रोल किया जा सकता। ...*(व्यवधान)* बरनाला साहब, मार्च में सरकार बनी थी और जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं, वे आंकड़े मेरे नहीं हैं और न हमारे बनाए हुए हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मार्च में आपकी सरकार बनी थी और आज के समय में कीमतों में क्या अन्तर है। मैं सिर्फ तीन-चार चीजों जैसे आटा, सब्जी, तेल और दाल का ही जिक्र करूँगा। ये चीजें ही आम आदमी की जरूरतें हैं। मार्च में आटे की कीमत 9 रुपए थी और आज 16 रुपए कीमत है। अरहर की दाल, जो कि सबसे कम कीमत की दाल मानी जाती है, उस वक्त अरहर की दाल का भाव 20.75 रुपए था और आज 41 रुपए में बिक रही है। खुराना जी, आज शाम को ही आप खरीदने जायेंगे, तो 41 रुपए से कम आपको अरहर की दाल नहीं मिलेगी। इसी प्रकार चावल की कीमत 8.50 रुपए थी।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) आप किलो की कीमत बता रहे हैं?

श्री राजेश पायलट: ये भाव प्रति किलो के बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आप इनको आटे और नून के भाव बता दीजिए।

श्री राजेश पायलट: चावल 8.30 रुपए था। आज आटे का भाव 16 रुपए किलो है। सरसों के तेल की जरूरत गरीब आदमी को है। जिसके भाव मार्च में 15 किलो के 560 रुपए थे। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): आप बाजार में जाकर देखिए, आहार का आटा पांच किलो 80 रुपए का है। ...*(व्यवधान)* रेल मंत्री होने के बाद इनको रेल की केटरिंग से मुफ्त भोजन मिलता है इसलिए इन्हें आटे-दाल का भाव मालूम नहीं है।

श्री राजेश पायलट: आप मार्केट में जरूर देखें। क्या आपको इलैक्शन में किसी ने नहीं कहा? आज सरसों के तेल की 15 किलो की कीमत 1,000 रुपए है। ग्राउंडनट आयल का 15 किलो का भाव 640 रुपए था, जिसका आज 900 रुपए भाव है। दुख की बात है कि सरसों की कीमत नहीं बढ़ी लेकिन तेल की कीमत बढ़ गई। सोयाबीन की कीमत नहीं बढ़ी लेकिन तेल की कीमत बढ़ गई और 15-15 बार बढ़ी। खुराना जी, आपको याद होगा कि आप एक बिल लेकर आए थे, मैं उसका बाद में जिक्र करना चाहता था लेकिन बिल पढ़ कर मुझे दुख हुआ। एक क्लाज आई थी-

[अनुवाद]

> "भण्डारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पर, व्यापारियों की वास्तविक कठिनाइयों से निपटने के लिए"

[हिन्दी]

इस पर यह जुलाई में बिल लेकर आए थे लेकिन हमने उस बिल को पास नहीं होने दिया था और आपको बिल वापिस लेना पड़ा था। इससे आपकी नीयत का पता चलता है। ...*(व्यवधान)* आप तो पास कराने के लिए लाए थे लेकिन यहां सब ने मिल कर आवाज उठाई। बरनाला जी भले आदमी हैं उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं और आपने समझाया नहीं, वह सीधे आदमी हैं इसलिए इन्होंने कहा कि हम वापिस ले लेते हैं।

महोदय, आज मैं बहुत भारी मन से बात कर रहा हूं कि देश के ऊपर बोझ पड़ा है। आज आम आदमी के पास कोई पोलिटिशियन जाकर देखे, आज सब क्या कह रहे हैं, उनके मुंह से क्या भावना निकल रही है। यह इनकी नीति थी, इस बिल को लाकर यह क्या करना चाहते थे, ये चाहते थे कि सात साल की सजा को कम कर दो, जो फाइन है उसे कम कर दो। नॉन बेलेबल वारंट को बेलेबल वारंट कर दो। यह आपकी नीयत नहीं थी कि ट्रेडर्स की मदद करें। आप पीडीएस के कंज्यूमर की मदद कर रहे थे, पीडीएस का कस्टमर तो सामान चाहता है उसे ट्रेडर से क्या लेना-देना है, लेकिन आपकी नीयत थी क्योंकि आपने चुनाव में वायदे किए थे। खुराना साहब, जब बक्से चुनाव में आते हैं तो ये बहुत बुरे होते हैं और ये ही देश का नुकसान कर रहे हैं। आप भले आदमी हैं इसलिए आपसे कह लेता हूं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, यह हालत हमारे प्राइसेस की रही। प्राइसेस बढ़ते गए लेकिन इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं। सरकार चिन्ता कहां से करे, सरकार कैसे चल रही थी यह बरनाला जी और भाई नीतीश जी को पता है। तमिलनाडु से एक नारा लगता था तो दो मंत्री तमिलनाडु चले जाते थे लेकिन महंगाई का किसी को पता नहीं। हमारे यहां एक नारा वेस्ट बंगाल से लगता था तो दो मंत्री उधर चले जाते थे। देश की यह हालत हो गई कि हर आदमी के दिमाग में यह हो गया कि देश किधर जाएगा। आज जो चुनाव

[श्री राजेश पायलट]

हुए हैं वह सिर्फ नॉन गवर्नेंस से हुए हैं। आज गांव का हर आदमी महसूस करता है कि देश किधर जा रहा है। जनता को हम इतना लाइटली ले रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। आप आम आदमी से जाकर पूछिए, केन्द्र सरकार के बारे में सब कहते हैं कि देश किधर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सिक्युरिटी ढीली होती जा रही है, हम कहां जा रहे हैं। आज देश की क्या हालत हो गई है?

महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने चिन्ता जाहिर करने के लिए हमें समय दिया, यह सरकार तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग कब बुलाई, जब प्याज 60 रुपये किलो हो गए, आटा 16 रुपए किलो हो गया। क्या चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग पहले नहीं बुलाई जा सकती थी? इनको मार्च, अप्रैल में इंडेक्स पता था। बजट के बाद जब इनफलेशन शुरू हुआ तब इनको पता था। उस समय चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई जा सकती थी लेकिन तब मीटिंग हुई जब चारों तरफ शोर मचा, चुनाव की बात हो गई और अगर चुनाव न होते तो महंगाई और भी ज्यादा बढ़ती। चुनाव हुए तो इन्होंने इम्पोर्ट करने शुरू किए। प्याज के बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा कि इन्होंने किस तरीके से इम्पोर्ट किए और किस तरह से प्याज के भाव बढ़ते गए, लेकिन इनकी लापरवाही से आम आदमी पर बोझ पड़ा है।

इन चीजों को देखते हुए आज जो माहौल देश में बन गया है उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि इनका ध्यान कहां चलता रहा इनका ध्यान अपने मैनिफेस्टो पर चलता रहा एक तरफ महंगाई बढ़ रही थी और दूसरी तरफ हमारे भाई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे कि हमने किसानों को 50 सालों में पीछे कर दिया।

[अनुवाद]

कांग्रेस और अर्द्ध-कांग्रेस के पिछले पांच दशकों में वस्तुतः अवसरों को खोया गया। इन पचास वर्षों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या दुगुनी हो गई।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि हमने 50 सालों में किसानों को पीछे नहीं किया। उन्होंने अपने भाषण में कह दिया कि पिछले पचास वर्षों में अधिकांश किसान दरिद्र हो गए हैं और अपने ही देश में समाज से बहिष्कृत हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में किसानों की इज्जत बढ़ी है तो हमारे जमाने में बढ़ी है, हमारे 50 सालों में बढ़ी है। आज तो उनकी तकलीफें बढ़ी हैं। आप किसानों से आज पूछो तो इन आठ महीनों में उनकी तकलीफें बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने हमें बताया है कि हमारे जमाने में इनकी इज्जत बढ़ी। आज किसानों की पोजीशन में सालफलोन आया है। आजकल वे भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के हाशिए पर जीवन यापन कर रहे हैं।

हमारे जमाने में एक-दो घटनाओं की तो मैं नहीं कहता लेकिन किसानों ने इस तरह से आत्महत्याएं नहीं की थीं। आप पिछले आठ महीनों के आंकड़े देखें और पिछले 10 साल के आंकड़े देखें, आपको इस बारे में पता चल जाएगा। कर्नाटक के हमारे मित्र बैठे हैं। ...*(व्यवधान)* मुझे खुशी है कि हमारे भाई यशवंत सिन्हा भी आ गये हैं। आपको पता होगा कि पंजाब जैसे खुशहाल राज्य में भी इन आठ महीनों में आत्महत्याएं हुई हैं। इसका कारण यह है कि आपकी नीतियां किसानों के विरुद्ध रही हैं। अगर यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री नहीं होते तो आप तो यूरिया की कीमत भी बढ़ा रहे थे। यूरिया की कीमत कम होने का कारण था कि हम भी लड़े और हमारे बी.जे.पी. के सांसदों ने भी इस लड़ाई में हमारा साथ दिया था। नहीं तो किसानों पर तो आपने बोझ लाद ही दिया था। यहां हमारे कुछ भाई जिक्र कर रहे थे कि आप स्कूलों का सलेबस बदलेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैगो (शिवकाशी): कांग्रेस के राज में आंध्र प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या की थी।

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): यह बात सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में किसानों ने पिछले चार वर्षों में तेलुगू देशम सरकार के राज में आत्महत्याएं की हैं न कि कांग्रेस के राज के दौरान।

श्री वैगो: कांग्रेस के राज में भी आंध्र प्रदेश में किसानों ने आत्महत्याएं की थी। आप तथ्यों को भूल गए हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, आप आंध्र प्रदेश से आते हैं। हमारे समय में ऐसा कुछ इक्का-दुक्का केस हुआ हो और किसी की नजर में न आया हो लेकिन सामान्यतः बात यह है कि पिछले साल-सवा-साल में जितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं उतनी पूरे हिन्दुस्तान में कभी नहीं हुई। कितने दुख की बात है कि पिछले आठ महीनों में पंजाब जैसे खुशहाल राज्य में भी किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। हमारे भाई चंदूमाजरा जी वहां बैठे हुए हैं। पंजाब का किसान अपनी मेहनत से सारे देश का पेट भर

रहा है लेकिन वहां भी किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, तो उसके कारणों में हमें जाना होगा और विचार करना होगा कि इसके क्या कारण है? आप बताएं कि आपने किसानों के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन आठ महीनों में केवल राजनीति चलती रही है कि स्लेबस बदलेंगे, स्कूलों की शिक्षा-पद्धति बदलेंगे, इस देश की हिस्टरी दुबारा लिखेंगे। क्या इस देश की हिस्टरी दुबारा लिखने की जरूरत है। इस देश की हिस्टरी को दुनिया जानती है और दुनिया के देश कई चीजों में हमसे सीख लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। आज कारण केवल राजनीतिक हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप आम आदमी के पास जाकर देखिए। आपके प्रति उनकी भावना दिन-प्रति-दिन बदलती जा रही है क्योंकि आपकी नीतियों और नीयत में अंतर है। जब तक आपकी नीतियां और नीयत साफ नहीं होगी, एक नहीं होगी, आप देश को नहीं चला सकते हैं, यह देश आपसे नहीं चल सकेगा।

आज हर चीज की प्राइस बढ़ रही है। हमारे जमाने में भी थोड़ी बहुत कीमत बढ़ी होगी, लेकिन हमारी नीयत साफ थी, सही थी।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) आपके शासन काल में जो मंत्री थे क्या उनकी नीयत बहुत साफ थी? वह इसलिए इलैक्शन हार गए थे। क्या आपके प्रधान मंत्री और उनके बेटे की नीयत बहुत साफ थी। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: आप इनफ्लेशन रेट देखें। जब कोई पार्टी सरकार चलाती है उनके सम्मुख कठिनाइयां आती हैं। मेरा कहना है कि उसे दुरुस्त करने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। यह चीज आपकी सरकार में दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपकी नीयत साफ थी तो यह बिल लाने की क्या आवश्यकता थी? आपने ट्रेडर्स की मदद करके नॉ बेलेबल को बेलेबल किया। यह बात बिल्कुल सही है। *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): हम किसी की कॉस्ट पर किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। आप ट्रेडर्स के बारे में गलत बात कह रहे हैं। ट्रेडर्स भी हमारे भाई हैं। क्या कांग्रेस के लोग ट्रेडर्स नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: मैं ट्रेडर्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं होर्डर्स के खिलाफ हूं। आप उनको कैसे छांटेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): इस संबंध में जो नियम बना है, उसको आपने मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं किया? उस कानून के मुताबिक सात साल की सजा है, सीजर की बात है। उसमें काश्तकार को सारे अधिकार हैं। जेल भेजने की बात है। आपने उस कानून को मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं किया?

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): उड़ीसा में प्याज के दाम 40 रुपये किलो है। वहां इसके दाम कम क्यों नहीं करवाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट: विजय गोयल जी ने जो कुछ कहा, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सारे ट्रेडर्स एक जैसे नहीं होते। वे मेहनती, ईमानदार हैं। उनकी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है। जहां तक होर्डर्स का सवाल है, उनको आप कैसे छांटेंगे? वह बिल ट्रेडर्स के लिए नहीं था, वह असैंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 से चला आ रहा था। हम उसे अमैंड करना चाहते थे। 1955 में जब यह सक्सैसफुल नहीं रहा तो 1981 में हमने इसे अमैंड किया। हमने सख्ती की। हमें इस बात का दुख है कि जैनविन ट्रेडर्स के खिलाफ *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: वह एक्ट है। जिस बिल की आप बात कह रहे हैं मेरे कहने पर वह सिलेक्ट कमेटी में गया था, आपके कहने पर नहीं। *...(व्यवधान)* आप से बात करने के बाद वह सिलेक्ट कमेटी में गया।

श्री अजीत जोगी: हमने उस पर आपत्ति की थी। *...(व्यवधान)* आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना: शिव शंकर जी बैठे हैं। मैंने कहा था कि उसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए।

श्री अजीत जोगी: आपने इंट्रोड्यूस किया और आपने वापस ले लिया। *...(व्यवधान)* सच बात बोलो। यह ठीक बात नहीं है।

श्री राजेश पायलट: इन्द्रजीत गुप्त जी, शिव शंकर जी और हम यहां बैठे थे। *...(व्यवधान)* मेरे कहने का यह मन था और मेरे भाई समझेंगे कि इसमें होर्डर्स के खिलाफ ढील बरतने से असर पड़ा। इस देश में सख्ती जहां जरूरी है, वहां सरकार की

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राजेश पायलट]

तरफ से सख्ती दिखाई न दे तो वह काम नहीं करती है। उसमें यह सरकार फेल हुई। वह सख्ती दिखा नहीं पाई इसलिए होर्डिंग अप्रैल माह से हर चीज में हुई।

खुराना साहब प्याज के बारे में बहुत चिल्ला रहे थे। प्याज का यह हाल था कि हम जिस मीटिंग में जाते थे, पता नहीं खुराना साहब को प्याज की माला डाली गई या नहीं? इस चुनाव में सब को प्याज की माला डालने का शौक था। जहां चले जाओ, प्याज की माला डालते थे, फूलों की माला नहीं डालते थे। मैंने एक से पूछा कि इतना पैसा क्यों खर्च करते हो, 60 रुपए किलो प्याज लाकर माला डालोगे, आधा किलो में भी 30 रुपए लगेंगे, फूल की माला पांच रुपए में आ जाएगी।

उन्होंने कहा नेताओं को फूल याद रहते हैं, प्याज भूल जाते हैं, इसलिए हम सब लोग अपनी जेब से खर्च करके प्याज के हार गले में डालना चाहते हैं। यही भावना सारे चुनाव के समय रही। अब सवाल आता है कि प्याज के भाव इतने क्यों बढ़े। मार्च में तो धक्के से चल गया और यह जून तक चलता रहा लेकिन जून, 1998 से रेट बढ़ना शुरू हुआ। यह उस समय 6 रुपए किलो था, जुलाई में तिगुना हो गया यानी 18 रुपये किलो, अगस्त में 26 रुपये किलो, सितम्बर में 33 रुपए किलो, अक्तूबर में 40 रुपये किलो और नवम्बर में जब चुनाव होने वाले थे तो शुरू में लोगों ने 60 रुपये किलो तक खरीदे। देश में एक-दो महीने गड़बड़ हो जाये, प्रोडक्शन कम हुआ हो, कई जगह कंट्रोल न रहा हो, ऐसा माना जा सकता है लेकिन सरकार को मार्च से नवम्बर तक यह पता ही नहीं चला कि प्याज की खपत इतनी है। लेकिन न तो आपकी कोई नीति थी और न नीयत साफ थी कि प्याज के रेट पर कंट्रोल कैसे करें। आखिर आप प्याज कहां भेजते रहे? अप्रैल में 64 हजार 7 सौ टन प्याज बाहर भेजा गया, जून के महीने में भी बाहर भेजा गया, अगस्त के महीने में बाहर भेजा गया। सितम्बर में जाकर आपकी आंख खुली कि चुनाव सिर पर आ रहे हैं और गड़बड़ हो जायेगी। तब आपने बाहर भेजना कम किया। इसके बाद प्याज बाहर से मंगाने की बात की गई। मुझे किसी सज्जन ने पूरे कागजात दिये हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि जल्दी प्याज बाहर से ले आओ नहीं तो चुनाव में प्याज हम लोगों को खा जायेगा। हमारे गांव में एक कहावत है कि जब बुखार हो तो प्याज को बगल में रख लो, बुखार अपने आप दूर हो जायेगा। डाक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। उसी समय श्री साहिब सिंह जी ने आर्डर कर दिया और एक फर्म के साथ 10.70 रुपये प्रति किलो प्याज लाने का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। एक फर्म खाने-पीने की चीजों का एक्सपोर्ट करती थी, उसको वह एल.सी. दे दिया गया लेकिन बाद में उसका एल.सी. कैंसिल कर दिया गया और किसी दूसरे आदमी को 30 रुपये के भाव से खरीदने पर आर्डर दे दिया। जब दूसरे मुख्यमंत्री ने दिल्ली का चार्ज लिया तो उसने 10 रुपये किलो कर दिया। मेरे पास कागजात हैं। मैंने कोई अखबार से यह बात नहीं पढ़ी है। जिस आदमी के साथ यह सब गुजरा है, उसी ने ये सारे कागजात मुझे भेजे हैं। यह एल.सी. आर्डर रिटन में है। उस समय 10.70 रुपये किलो प्याज बाहर से मिल रहा था लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री के बदलने पर यह रेट 30 रुपये किलो हो गया। आखिर यह पैसा किसने दिया? फिर आपने कांट्रेक्ट कैंसिल किया।

श्री अजीत जोगी: इसमें 13 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, इस मामले की जांच होनी चाहिए।

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष जी, प्याज के मामले में शरद जी से पूछिये: नासिक, कोल्हापुर, धुलिया इनका एरिया है। जरा खड़े होकर बतायें कि ये कितना प्याज दिल्ली को भिजवाते रहे हैं?

श्री शरद पवार (बारामती): अध्यक्ष जी, 10.70 रुपये के इम्पोर्ट पर एग्रीमेंट होने के बाद उसको कैंसिल करके 30 रुपये किलो के इम्पोर्ट का एग्रीमेंट क्यों किया गया?

श्री विजय गोयल: नासिक 600 टन प्याज भेजता था लेकिन उसने 25 टन भेजना शुरू किया तो काम कैसे चलता?

श्री अजीत जोगी: अध्यक्ष जी, जब हाहाकार मच गया तो सरकार को ध्यान आया।

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष जी, मैं अपने साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये कागजात मेरे पास हैं....

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): अध्यक्ष जी, यदि यह बात सच है कि 10.70 रुपये का भाव तय हुआ और डाकूमेंट्स इनके पास हैं, इसको अथंटीकेट करें।

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष जी, सारे डाकूमेंट्स इनके पास हैं और ये सभा पटल पर रखने को तैयार हैं...

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: महोदय, मैं रेकार्ड से उल्लेखित कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: सरकार को आगे आकर उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: कृपया मुझे इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दें। मैं इसमें सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: श्री दिग्विजय सिंह जी, आप भी सरकार में रहे हैं। मैं भी सरकार में रहा हूं। सरकारी रेकार्ड आपको बता सकते हैं। 10.70 रुपये प्रति किलो की एल.सी. जारी की गई थी या नहीं। इसके बाद क्या 30 रुपये प्रति किलो की एल.सी. जारी की गई थी या नहीं। यह रेकार्ड में दर्ज है। आप सरकार से पता करें। आपको कागजात की क्यों आवश्यकता है? ...*(व्यवधान)* यह कागजात किसी के द्वारा दिये गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: हम आपको यह कागजात भेज सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश पायलट जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त और कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को सूचना प्रदान कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कहिए, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री मधुकर सरपोतदार: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री राजेश पायलट ने कुछ आरोप लगाया है। उन्होंने एल.सी. के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने कहा था कि दो तरह का लेनदेन हुआ था। यदि राजेश पायलट की के पास उपलब्ध सूचना सही है तो, ऐसी परिस्थिति में, उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों का प्रमाणीकरण होना चाहिए। यदि उन्हें सभापटल पर रखा जाता है तो यह पूरी सभा के लिए उपयोगी होगा।

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, वे सही कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मधुकर सरपोतदार: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो कुछ भी वे कहना चाहते हैं उसका उन्हें समुचित आधार प्रस्तुत करना चाहिए। अन्यथा उन्हें इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों को एक सूचना का आदान-प्रदान कर रहा हूं। यह सरकारी सूचना है। यह किसी व्यापारी या किसी दुकानदार की सूचना नहीं है। मेरे पास कुछ सूचना है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि 10.70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दुबई को किसी प्रकार की एल.सी. जारी की गई थी और संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस एल.सी. को वहां पहुंचना चाहिए था परन्तु यह वहाँ नहीं पहुंची। यह एल.सी किसी और को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिली थी। जिसे यह एल.सी. मिली थी, वह खाद्य उत्पादों का व्यापार भी नहीं करता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: आरोप आप लगा रहे हैं। सिद्ध आप करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है। आप सरकार से इस बात का पता लगायें क्या एल.सी. जारी की गई थी या नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: सरकार को इस बात से इंकार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़): यह भाषण राजेश पायलट का हो रहा है या जोगी जी का हो रहा है। यहां रनिंग कमेण्ट्री नहीं चलनी चाहिए।

श्री अजीत जोगी: आपकी तरफ से दूसरे लोग बोल रहे हैं तो वह नहीं दिख रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: मुझे सभा से अपना निवेदन करने दें। हम सब जन प्रतिनिधि हैं। हम सरकार को नहीं चला रहे हैं। मैं सरकार से प्रमाणीकृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। सभा के समक्ष मैं वह सूचना रख रहा हूँ जो मुझे मेरे स्रोतों से पूरी जिम्मेदारी के साथ मिली है। किसी ने मुझे इसके बारे में संक्षेप में जानकारी दी है। मैं नहीं जानता कि किस संख्या की किस एल.सी. का संदर्भ दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि आप बोलेंगे और सरकार डिनाई करेगी। हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि सचमुच आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने रख दीजिए ताकि हम भी जान सकें।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: मैं इससे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा दी गई सूचना पर जैसे ही सरकार उत्तर देगी, यह स्पष्ट हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि यदि मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ तो मेरे पास कुछ सूचना होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता कि 'एल.सी.' का मतलब क्या है या ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी ने मुझे कुछ सूचना दी है। यह मेरा कर्त्तव्य और अधिकार है कि मैं इसकी सूचना दूसरों को भी दूं। यदि मैं इसे दूसरों तक नहीं पहुँचाता हूं तो फिर मुझे यहाँ निर्वाचित करके क्यों भेजा गया है?

[हिन्दी]

मेरा कहने का मतलब था कि अगर मन में चिन्ता होती प्याज की और देश के नागरिकों की तो सरकार भाव बढ़ने से रोकती। अप्रैल से भाव बढ़ने शुरू हुए और जून में तिगुने हो गए। जून से नवंबर तक सरकार ने दाम रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसके साथ-साथ प्याज बाहर जाता रहा। यह मैंने पहली बार देखा कि प्याज पानी के जहाज से बाहर जा रहा है और हवाई जहाज से वापस आ रहा है। ऐसा मजाक देश के साथ हुआ। *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: दिल्ली में कांग्रेस का राज है। आप सारे डाक्यूमेंट्स मंगवा लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बोलने देना चाहिए। श्री गोयल, आप हर बार क्यों टोकते हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री राजेश पायलट: मैं अक्तूबर के महीने के बारे में कह रहा हूँ जब आप केन्द्र और दिल्ली दोनों जगह सत्ता में थे।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: दिल्ली में सरकार अब आपकी है। आप डॉक्यूमेंट्स खुलवा लीजिए। *...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष जी, लगता है इनको प्याज लग गया है इसलिए कोई भी बात आने पर बार-बार खड़े हो जाते हैं। इनको समझाइए कि ये सत्ता पक्ष के सांसद हैं और बर्दाश्त करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: ठीक है। हम खुलकर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

मेरे कहने का मतलब था कि सरकार को महंगाई की चिन्ता नहीं थी। न सरकार ने कोई कदम उठाए और आवश्यक वस्तुओं की शॉर्टेज रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसके साथ-साथ प्रोडक्शन पर भी नजर रखनी चाहिए। उत्पादन बढ़े तो वह भी महंगाई को रोकने का कारण बनता है। उसमें भी कोशिश नहीं की। उत्पादन क्यों कम हुआ, आगे क्या कदम उठाएं, उसके लिए किसानों की क्या मदद करें और सच्चाई कहें तो किसान को उत्पादन की कीमत का ज्यादा मूल्य मिले तो भी बात समझ में आती है कि उत्पादन की कीमत बढ़ गई। उत्पादन के पदार्थ की कीमत बढ़ गई, लेकिन उत्पादन की कीमत नहीं बढ़ी और सरकार को देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो गलत है और देश में उसका असर पड़ रहा है और आम आदमी पर उसका बोझ पड़ रहा है। सरकार खुशी से कह रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी सेक्टर को उठाकर देख लें। महंगाई को छोड़ दें, कहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, कहां इनफ्लेशन रेट है, आपका जीडीपी कहां जा रहा है? आपने कहा कि जीडीपी को 6 पर ले जाएंगे, लेकिन देखिए जीडीपी कहां जा रहा है। मनी फ्लोटिंग पर मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 परसेंट फ्लोटिंग मनी देश में होगा जबकि 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे किसी ने बताया। वित्त मंत्री जी बैठे हैं। यह जानें कि क्या कारण है। सीमेंट और लोहा तथा स्टील जैसी चीजें तो कम होती जा रही हैं लेकिन आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो यह देश के लिए बहुत गंभीर बात है। अंग्रेजी में इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं।

[अनुवाद]

मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। शायद श्री यशवन्त सिन्हा जी जानते हों। किसी ने कहा है कि देश में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जिससे कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएं। यह अत्यधिक विपरीत परिस्थिति है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

इस महंगाई पर जितना मर्जी बोल लो, इतना जरूर है कि आम आदमी के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है, वह अपना निर्वाह नहीं कर पा रहा है। सरकार ने बजट में कहा था, यशवंत सिन्हा जी ने कुछ कदम उठाये थे और किसान क्रैडिट कार्ड वाली बात कही थी। मुझे खुशी है कल या परसों उन्होंने यहां पर कहा था कि कुछ स्टेट्स में यह लागू हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरे बैंकों ने लागू किया है। लेकिन जो किसान का असली मकसद था, उस पर आपने लिमिट रख दी है, किसी पर 60 हजार की लिमिट रख दी है, किसी पर एक लाख की रख दी है। हमारा सुझाव लैंड सीलिंग की कीमत देखकर था कि अगर 20 बीघा का किसान है और उसकी बीस लाख की कीमत है, उस पर कोई फार्मूला बनाओ तो किसान को फायदा होगा। क्योंकि 40-50 हजार रुपये के ऊपर किसान ग्रोथ नहीं कर पायेगा। हमारा आइडिया किसान को सिर्फ फसल में ही मदद करना नहीं था, हम चाह रहे थे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो किसान शेयर ले, पोल्ट्री फार्म, डेरी फार्म इन चीजों में खेती के साथ-साथ अपने पैरों पर खड़ा हो। उस किसान कार्ड में कुछ त्रुटियां रह गई हैं, थोड़े दिनों के बाद फाइनेन्स मिनिस्टर उनको ठीक कर लें।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): राजेश पायलट जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान क्रैडिट कार्ड का जहां तक ताल्लुक है, उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं है। मैंने स्वयं अपने हाथों से किसानों के बीच में इस कार्ड का वितरण किया है। मैं इस बात को जानता हूं कि कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जिस मापदंड की हम लोगों ने बात की थी, उसी मापदंड को ध्यान में रखते हुए हम व्यक्तिगत तौर पर सीमा निर्धारित करते हैं।

श्री राजेश पायलट: हमने अखबार में पढ़ा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का 60 हजार का और एक लाख का कार्ड, यह अखबार में पढ़ा था।

श्री शरद पवार: यहां हाउस में कहा था। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: सोमपाल जी ने कहा था *...(व्यवधान)* इसी कारण मैं कुछ भ्रमित हो गया था।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): अध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं, सरकार की तरफ से कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और बैंकों को यह छूट दी गई है कि वे किसान की व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी उत्पादन क्षमता और वे कितना ऋण लेकर वापस कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्रैडिट कार्ड इश्यू करेंगे, हमारी तरफ से सीमा निर्धारित नहीं की गई है। *...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, कल आपने यह नहीं कहा था, कल आपने कुछ और कहा था।

श्री सोमपाल: मैं फिर कहना चाहता हूं कि इसमें बैंक से बैंक को छूट दी गई है, वे अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं, चूंकि बैंक एक स्वायत्तशासी संस्था है, इलाहाबाद बैंक ने एक तरह का कार्ड इश्यू किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा कार्ड ईश्यू करेगा। मुख्य बात यह है कि प्रक्रिया सरल रहेगी और कैश क्रैडिट लिमिटेड फार्मर की इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने अभी बताई हैं, उसकी सीमा बैंक निर्धारित करेगा।

श्री राजेश पायलट: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी तो आम आदमी पर बोझ बढ़ता रहेगा। आज यह कोई एक पार्टी की चिंता नहीं है, यह सदन के सब भाइयों की चिंता है। सरकार का फर्ज है कि इसे कंट्रोल करे। चूंकि सरकार इसके लिए चुनी जाती है। सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि बरनाला जी इस बिल को वापिस ले लें और उसमें सख्त क्लॉज ला सकते हैं, आज शाम से आर्डीनेन्स चालू कर दो कि यह आर्डीनेन्स हो गया है और हम होर्डर्स को बिल्कुल टोलरेट नहीं करेंगे। चूंकि इस बिल से उनके दिमाग में आ गया कि हमारी ओवरल प्रॉब्लम टैकल हो रही हैं, जिससे होर्डिंग बढ़ रही है। यह सच्चाई है जैसा कि अभी विजय गोयल जी ने कहा कि कहीं-कहीं प्याज की होर्डिंग बढ़ रही है। जब उन्हें पता था तीन गुनी प्याज हो गई, चार गुनी प्याज हो गई, बिजनेस में लोग करते ही हैं, वे चीजों को इकट्ठा करके पैसा कमाते हैं। इसलिए होर्डिंग के लिए सरकार को घोषणा करनी चाहिए। तभी उन संशोधनों को वापस लेंगे, जो हमने प्रस्तुत किए हैं।

श्री विजय गोयल: मैंने यह नहीं कहा कि प्याज की होर्डिंग बढ़ रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: सरकार द्वारा इस संशोधन को वापस लिया जाना चाहिए। अध्यादेश पहले से ही लागू है और अध्यादेश को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं हैं *...(व्यवधान)*

[श्री राजेश पायलट]

[हिन्दी]

यह सरकार जानती है कि आर्डीनेन्स कैसे जारी होते हैं, आप क्यों घबराते हो। दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि जब तक किसानों के प्रोडक्शन को आप नहीं बढ़ायेंगे, इन चीजों की महंगाई पर कंट्रोल करना भारी हो जायेगा। हमारे जमाने में सरकार ने एक एग्रीकल्चर जोन बनाया था, उनकी डिटरमिनेशन की थी, किस किसकी फसल कहां-कहां हैं, उस हिसाब से हम लोग मदद करते थे। उसी तरीके से बीज की बड़ी प्रॉब्लम थी। आज बीज देश में मिल नहीं रहा है; प्याज की प्राब्लम भी क्यों हुई, चूंकि जो पहले चार लाख एकड़ के करीब बोई जाती थी, अब की बार 1998 में कम हुई, किसलिए कम हुई, क्योंकि कहीं बीज सही नहीं था, कहीं टैस्टिड बीज नहीं था। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल: यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। ...*(व्यवधान)* वे जानते हैं कि मैं उनकी बात को काट दूंगा।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: यदि आप चाहें तो मुझे गलत ठहरा सकते हैं।

श्री सोमपाल: यदि मुझे माननीय सदस्य द्वारा अनुमति नहीं दी जाती तो मैं जोर नहीं देता।

श्री राजेश पायलट: क्योंकि आपने कहा कि आप मुझे गलत ठहराएंगे। मैं गलत ठहराने के लिए तैयार हूं। आप कह सकते हैं कि मैं कहां गलत हूं।

भण्डारण सुविधा की मांग की गई है। पिछले कई महीनों से लोग जोरदार मांग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल भी कहीं नहीं बनी हैं। फर्टिलाइजर प्रोडेक्शन की बात हो रही है, कल हम रोते रहे। बरनाला जी कल आप लेट आये थे इसलिए प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। बरनाला जी, आज भी फर्टिलाइजर की लाइन लगी हुई है। सच्चाई यह है कि जब लाइन लगती हैं तभी होर्डिंग होती है। जैसे ही लाइन लगनी शुरू होती है वैसे ही होर्डिंग शुरू हो जाती है और आम आदमी का विश्वास खत्म हो जाता है कि चीज एवेलेबल नहीं है। कल भी हमने कहा था। प्रधानमंत्री चलते-चलते लाइट बे में कह गये कि जॉर्डन से भी हमने एग्रीमैंट कर लिया है। आज यह एग्रीमैंट हुआ है तो किसान कह रहे हैं कि जॉर्डन से 20 दिन में पहुंचेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पायलट, अभी 30 वक्ता और हैं।

श्री राजेश पायलट: मैं केवल दो मिनट लूँगा।

[हिन्दी]

दूसरा मैंने एक सुझाव दिया था। एक सर्कल चला है, शुरू-शुरू में पहले दस साल में तो एवरेज क्राइसिस चलती हैं फिर बढ़ जाती हैं, फिर ले होती हैं। उसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कैंट्रोल है। मैं महसूस करता हूं कि किसान को प्रोडक्शन में मदद करने के लिए चाहे फर्टिलाइजर की बात हो, सीड की बात हो या और इनपुट्स की बात हो, उसको आप आगे बढ़ायें।

आखिर में मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार अपना ध्यान देश की तकलीफों की तरफ दे। अपनी तकलीफों की तरफ कम दे। आज तुम अपनी तकलीफों से ज्यादा परेशान हो। कभी दो इधर जा रहे हैं, कभी चार इधर जा रहे हैं। इस देश ने तुम्हें जिम्मेदारी तो दी नहीं है। तुमने जबरदस्ती नारा लगाकर ले ली है। मैनीफेस्टो में आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हम देश के विकास की बात करते हैं। आपकी फर्स्ट लाइन क्या कहती है?

[अनुवाद]

> "भाजपा को विश्वास है कि इस राष्ट्र को पुनरुर्जित करने की अत्यधिक सम्भावना हिन्दुत्व में है।"

यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भाजपा राष्ट्र को हिन्दुत्व से पुनरुर्जित करना चाहती है जबकि पिछले 50 वर्षों से राष्ट्र को धर्मनिरपेक्षता से पुनरुर्जित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि हिन्दुत्व ही राष्ट्र पुनरुर्जित कर सकता है। यदि यह उनका दृष्टिकोण है तो मैं नहीं जानता कि वो देश को आगे ले जाएगी या पीछे।

[हिन्दी]

अंत में आपके नैतिकता के भाषण बड़े चला करते थे। श्री अटल बिहारी बाजपेयी यहां आ जाया करते थे। हाथ यहां होता था, गर्दन वहां होती थी और आंख बंद हो जाती थी, चुप बैठे हैं। कोई

मौरल वेल्यूज नहीं हैं, कोई नैतिकता नहीं है। आंध्र प्रदेश में हार गये थे तब यहां खड़े हो गये थे और कहने लगे कि जाओ, वापिस जाओ। हमने कहा कि आप हमें बैठने तो दे। हम थोड़ी देर आपको सुनकर बाहर चले जायेंगे। खुराना साहब, एक तो कद छोटा है। दूसरा, यहां बैठे-बैठे पता ही नहीं चलता कि खड़े हैं कि बैठे हैं। हमेशा खड़े रहते थे। कर्नाटक गया, आंध्र गया। खुराना साहब आपने एक नारा दिया था। ...*(व्यवधान)* अब नैतिकता भूल गये। हमारे भाई कल चिल्लाते रहे। सोमनाथ जी यहां गये थे। ...*(व्यवधान)* क्या बात कर रहे हो, आप हमारे साथ थे। तुमने चुनाव से पहले एक नारा दिया था कि 'अब की बारी अटल बिहारी'। आज हम लोगों ने नारा दिया है। आप लोग कान खोलकर सुन लो-अटल जी नहीं कर पाये पूरी पारी, अब चलने की करो तैयारी। मेरा भाजपा को अंतिम सुझाव है वह जनभावनाओं को सुनें और तैयार रहें।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती): रेल दुर्घटना के बारे में एक रिपोर्ट है क्या सरकार के पास कोई सूचना है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: कहां?

श्री शरद पवार: यह दुर्घटना सुबह 5.30 बजे जलगांव के निकट कुरुला-हावड़ा लाइन पर हुई है जिसमें 15 व्यक्ति मारे गए है और 100 घायल हुए हैं। क्या सरकार के पास कोई और सूचना है?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, रेलवे के स्टेट मिनिस्टर मौके पर गये हैं। वे मुझे कहकर गये हैं कि एक्सीडेंट हो गया है। मैं वहां जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: एक्सीडेंट साढ़े पांच बजे हुआ है और आप अभी बता रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: वे दोपहर को ही चले गये थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, रेल मंत्री यहां थे। वह श्री राजेश पायलट के भाषण का आनन्द ले रहे थे यह अत्यन्त गम्भीर मामला है इस इन्टरनेट के समय में सरकार जलगांव से सूचना प्राप्त नहीं कर सकती है क्या यह सरकार के काम करने का तरीका है?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मिनिस्टर साहब गये हैं। आपको अभी इन्फोर्मेशन मिल जाती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मंत्री महोदय आंधे घंटे पहले यहां थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार सूचना प्राप्त कर रही है। श्री जोगी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वे सूचना प्राप्त कर रहे हैं

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: महोदय, आपको सदन की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य): पचास लोगों के मरने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, रेल मंत्री यहां उपस्थित थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम लिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मैंने सोचा था कि कम से कम श्री राजेश पायलट तो कहेंगे कि यह प्रस्ताव मेरे नाम से था। उनकी बड़ी बहन होने के नाते, वे कम से कम अपनी बड़ी बहन को धन्यवाद तो दे सकते थे। लेकिन कभी-कभी लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, महिला आरक्षण विधेयक लाने का यही कारण है।

श्रीमती गीता मुखर्जी: चर्चाधीन विषय पर आने से पहले मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि महिला आरक्षण विधेयक हेतु जब बैठक बुलाई जाएगी तो आप सभी को बिना शर्त के हमें समर्थन देना होगा ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: हम तो उस समय भी तैयार थे लेकिन विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: यह ओपन डील हो रही है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी: श्री पी. शिवशंकर ने कहा था कि वे हमारा समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप मूल्य वृद्धि पर बोलिए।

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ। हम इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने के खिलाफ नहीं हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: वास्तव में हमारे दल ने कहा है कि हम इसे समर्थन देंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब मूल्य वृद्धि के बारे में बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी: मैं आशा करती हूं कि आप, शिष्टता बरतेंगे और मेरे बोलते समय व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। मैं कभी भी किसी के बोलते समय व्यवधान उत्पन्न नहीं करती।

सर्वप्रथम मैं एक बात यहां यह बताना चाहती हूं कि पिछले बजट पर चर्चा के दौरान ही मैंने मूल्य वृद्धि के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया था। मैंने अपनी शंका जताई थी कि यदि कुछ उपाय नहीं किये गये तो यह आसमान को छू लेगी। अत: कोई यह नहीं कह सकता कि हमने इस बारे में सरकार को बताया नहीं था। दुर्भाग्य से उस समय सरकार ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जिससे मूल्यों को नियंत्रण में रखने में सहायता मिल सकती।

अपराह्न 3.00 बजे

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन हुए*]

श्री राजेश पायलट ने बजट से पूर्व और आज विद्यमान मूल्यों के बारे में कुछ आंकड़े दिये हैं। मैं हर एक के विस्तार में नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं निश्चय ही कम से कम एक अथवा दो चीजों का वर्णन करूंगी।

इस तथ्य को भुलाया नहीं जाना चाहिए कि प्याज के बजट पूर्व मूल्य 6 रुपये थे और अब यह दस गुणा बढ़कर 60 रुपए हो गए हैं। आलू का बजट पूर्व मूल्य 8 रुपये था यह बढ़कर 24 रुपये हो गया अथवा कुछ स्थानों पर यह 28 रुपये बेचा जा रहा है। टमाटर का बजट पूर्व मूल्य 18 रुपये था और इसे अब 40 रुपये बेचा जा रहा है। मैं खाद्य तेलों के बारे में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे पूर्व वक्ता इसके बारे में पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने सरसों के तेल के बारे में भी बताया है। सरसों के तेल की स्थिति अत्यन्त विचित्र हैं। ड्राप्सी के नाम पर इसकी बिक्री को रोक दिया गया और मूल्यों को बढ़ने दिया गया। यह अत्यन्त रोचक स्थिति है।

कुछ समय पहले हमने देखा कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोष मढ़ने में लगे हुए थे। मैं यहां उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जो इस खेल में वास्तव में आहत हुए हैं अर्थात हमारे देश के गरीब और मध्यवर्गीय लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है और वास्तविक लाभ कमाने वाले अमीर व्यापारी काला बाजारी और जमाखोरी करने वाले हैं। वास्तव में स्थिति यह है। क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाने का प्रयास किया गया था?

मैं 14 नवम्बर के 'इंडियन एक्सप्रेस' से उद्धृत करती हूं जिसका शीर्षक है—ट्रेडर-मीडलमेन माफिया इज फ्लीसिंग।

> "नई दिल्ली में आजादपुर मण्डी से व्यापारी द्वारा लायी गयी सब्जियों को दिल्ली में खुदरा बाजार में आजादपुर में व्यापारियों द्वारा अदा किये गये मूल्यों से चार-पांच गुणा अधिक मूल्यों पर बेचा जाता है।"

यह हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है। क्या कोई कार्यवाही की गई थी। गरीब जनता को बहुत महंगी सब्जी खरीदनी पड़ी। सरकार किस प्रकार कह सकती है कि उन्होंने इस संबंध में कार्यवाही की है? *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): हम केवल मूल्य वृद्धि पर ही चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि लूट के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चार रुपया से पांच रुपया होता है तो प्राइस राइज कहते हैं लेकिन चार रुपये से चालीस रुपये हो जाती है तो यह लूट है। लूट के

ऊपर चर्चा हो रही है या प्राइस राइज के ऊपर चर्चा हो रही है?

सभापति महोदय: प्राइस राइज की वह स्टेज लूट है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या वे कह सकते हैं कि इस प्रकार की चीजों के विरुद्ध कभी भी कोई कदम उठाए गए थे वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंध में एक बहुत ही रुचिकर निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यक हुआ तो इसे समाप्त ही कर दिया जाएगा। दूसरा यह निर्णय लिया गया था कि इसमें किसी को कारावास दंड नहीं दिया जाएगा और केवल 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वे व्यक्ति जो करोड़ रुपया बना रहे हैं उनके लिए 2000 रुपये देना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के कानून का क्या उपयोग है? इससे केवल लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि 2,000 रुपये अदा करो और जितना धन कमा सकते हो कमा लो।

मैं नए अधिनियम के बारे में भी बताना चाहती हूं। इसमें भी जुर्माने की राशि को पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है कि उन्होंने इसे कुछ सीमा तक बढ़ाया है।, लेकिन अधिनियम में दी गई कारावास की अवधि 7 वर्ष को अस्वीकार कर दिया गया है। इस नए संशोधन विधेयक में इसे घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है। सरकार द्वारा लाए गए इस वर्तमान विधेयक में दो वर्ष के कारावास का उल्लेख किया गया है। यदि किसी को फांसी की सजा दी जानी है तो इन लोगों को दी जानी चाहिए। मैं आपको एक बात स्पष्टत: कहना चाहती हूं कि दो वर्ष के कारावास के प्रावधान से क्या होगा। कौन नहीं जानता किस प्रकार जेल में सभी सुविधाएं ये लोग प्राप्त कर लेंगे? हालांकि चार्ल्स शोभराज जमाखोर नहीं था लेकिन वो एक ठग था। इसने किस प्रकार से सभी सुविधाएं प्राप्त की हुई थी हम सभी को भली-भांति पता है। अत: मेरे विचार से आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) को सही रूप से प्रारूपण नहीं किया गया है। इसे और अधिक कड़ा बनाया जाना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री ने मांग की है कि इसे अधिक कड़ा विधेयक बनाया जाना चाहिए। सरकार ने एक नया निर्णय लिया है मैंने इसे समाचार-पत्र में पढ़ा है जहां बताया गया है कि सरकार दालों पर से 10 प्रतिशत आयात शुल्क और वनस्पति पर से 4 प्रतिशत विशेष आयात शुल्क हटा रही है। यह उनका नवीनतम निर्णय है। यह एक अच्छा निर्णय है, देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन जब यह आयात शुल्क हटा दिया जाएगा तो इस बात की क्या गारन्टी है कि लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं को ही मिलेगा? हमारा साधारण अनुभव यह रहा है कि हटाए गए किसी भी शुल्क का लाभ बिचौलिए ही उठाते हैं। जब तक यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय नहीं किये जाते कि लोग आवश्यक वस्तुओं को अपनी क्षमता के अधीन मूल्यों पर खरीद सके तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल तभी मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न को सुलझा सकते हैं। संपूर्ण देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नियमित रूप से लागू करने के संबंध में कोई वचनबद्धता नजर नहीं आती है। केवल इसी माध्यम से उपयुक्त मूल्य पर लोगों को आवश्यक वस्तुएं दी जा सकती हैं।

हमारी हमेशा यह मांग रही है कि 14 आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि मूल्यों को नियंत्रण में किया जा सके। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मंत्रियों द्वारा किये गये सम्मेलन के निर्णयों में से एक निर्णय यह था कि केन्द्र वस्तु बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त वित्त पोषण करेगी। इसका क्या अर्थ हुआ? आप कितना वित्त पोषण करेंगे? कितने समय तक आप वित्त पोषण करेंगे? मैं जानना चाहती हूँ क्या यह वित्त पोषण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूरी शृंखला स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगी। इस बारे में कोई वचनबद्धता नहीं की गयी है। यह स्पष्ट नहीं है।

श्री राजेश पायलट ने भा.ज.पा. के वायदों के साथ शुरू किया था वे अब जा चुके हैं *...(व्यवधान)* मैं उनको दोहरा नहीं रही हूं। हम बार-बार किये जाने वाले वायदों से उकता गए हैं यह चुनावी वायदे हैं जिन्हें लागू नहीं किया गया है। कुछ अन्य वायदे भी हैं। हम नहीं जानते इन वायदों का क्या हश्र होगा। कम से कम मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि वास्तव में इनसे कीमतें कम हो जाएंगी।

अब मैं सभी प्रखण्डों में शीत भण्डारगृह (कोल्डस्टोरेज) उपलब्ध कराने के मुद्दे पर आती हूं। यह ठीक है। लेकिन इन शीत भण्डार गृहों (कोल्ड स्टोरेज) का मालिक कौन होगा? क्या यह केवल सहकारी क्षेत्र में होंगे? यदि हां तो यह बहुत ठीक है। साथ ही मैं यह जानना चाहती हूँ कि कब तक सभी प्रखण्डों में शीत भण्डार गृह (कोल्ड स्टोरेज) उपलब्ध करा दिए जाएंगे क्योंकि अभी तक इस संबंध में हमारे अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज के मालिक अनेक तरह के घपला करते हैं जिसके कारण अन्तत: गरीब किसान को अपनी फसल का लाभ नहीं मिलता है और उपभोक्ता को भी उचित मूल्य का लाभ नहीं मिलता है। अत: जब तक कि इन्हें सहकारी क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं लाया जाता इसकी क्या गारन्टी है कि ये कोल्ड स्टोरेज ठीक तरह से काम करेंगे।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

इसके अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था कायम की जा सकती है लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निगरानी व्यवस्था किस प्रकार कार्य करेगी क्योंकि ''निगरानी'' ऐसा एक शब्द है जो एक औषध की तरह है जिससे प्रत्येक बीमारी ठीक की जा सकती है। लेकिन अन्ततः जब इसका वास्तव में क्रियान्वयन होगा तो हमें पता चलेगा कि इसमें कई समस्याएं हैं। अतः स्पष्ट रूप से बताए बिना कि कौन निगरानी करेगा और उस निगरानी के साथ लोग किस प्रकार सम्बद्ध होंगे यदि इसे केवल प्रशासन के पास छोड़ दिया जाता है तो यह कभी कार्य नहीं करेगा। अतः मैं सरकार से अवश्य जानना चाहूंगी कि निगरानी के सवाल पर सरकार का क्या विचार है।

महोदय, मैं मण्डी में बिक्री के बारे में पहले भी प्रश्न उठा चुकी हूं और मैं पुनः उस पर नहीं जाना चाहती हूं कि इस सरकार के सत्ता में आने के पश्चात इन महीनों के दौरान क्या हुआ है।

परन्तु मैं निश्चय ही यह कहना चाहूँगा कि यहां से चिल्लाने की बजाय विपक्ष के हमारे दोस्तों को यह दिमाग पर जोर डालते हुए विचार करना चाहिए कि मूल्यों के संबंध में इस अवधि के दौरान उन्होंने किस प्रकर से कार्य किया था और क्या उन्हें इसका हाल ही में कुछ विधान सभा चुनावों में मूल्य नहीं चुकाना पड़ा। मैं समझता हूँ कि अगर वे अपने दिलो-दिमाग से सोचें तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि विधान सभा चुनावों में लोगों का फैसला वास्तव में मूल्य वृद्धि के प्रश्न और कई अन्य मुद्दों पर विशेष रूप से सरकार के कार्यों के विरुद्ध है। उसे ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि कम से कम अब कुछ ऐसे उपाय किए जाएंगे जिससे मूल्य वृद्धि रोकी जा सके।

प्याज का मूल्य कम करने के उद्देश्य से प्याज का आयात करने में इतना अधिक समय क्यों लगा? इसके अलावा, मैं समझती हूं कि आयात की गई काफी प्याज खराब हो गई हैं। यह खराब क्यों हो गए? प्याज को आयात करने का ठेका किसको दिया गया था? इसलिए, हर स्तर पर न केवल लोगों का धन बरबाद हुआ है बल्कि लोगों के साथ धोखा भी हो रहा है।

इसलिए, मैं आशा करती हूं कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जाएगा। मैं वर्तमान सरकार को यह बताना चाहती हूं कि अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो अगर निकट भविष्य में चुनाव होते हैं तो उनके सत्ता में फिर से आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैं नहीं चाहती कि फिर से चुनाव हों क्योंकि जनता ऐसा नहीं चाहेगी। इस तरह से उनके धन का दुरुपयोग होता है। फिर भी यदि ऐसा होता है तो सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए तब तक कोई संभावना नहीं रहती।

जब तक मूल्य के संबंध में तुरंत और अतिशीघ्र कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। मुझे आशा है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और ऐसे उपाय करेगी जिनका उन्होंने वादा किया था और जिनका उन्होंने वादा तो नहीं किया था परन्तु वे हमेशा से रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली): सभापति जी, इस समय हम मूल्य-वृद्धि पर विचार कर रहे हैं। कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पिछले दिनों बढ़ी हैं, चुनाव से पहले बढ़ी हैं। उसके लिए हमने तीन कारण बताए हैं। पहला कारण तो यह है कि हमसे पहले जो सरकारें थीं उनकी किसान विरोधी नीतियां थीं और उसका कुछ परिणाम सामने आया। ...*(व्यवधान)* दूसरी बात यह थी कि मौसम की खराबी ने दो बार हमारे लिए कठिनाइयां उत्पन्न कीं। तीसरी बात यह है कि यह मूल्य-वृद्धि का विषय इस प्रकार अचानक सामने आया कि उसको संभालने में सरकार को सारी व्यवस्था बनाने में कुछ देर लगी। इस बात को भी मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। अब मैं यह कह सकता हूं कि मूल्य-वृद्धि थम गयी है और हमने जो कदम उठाए हैं चाहे उन कदमों में आवश्यक वस्तुओं को ओ.जी.एल. में डाला, इम्पोर्ट-ड्यूटी कम की और आवश्यक वस्तुओं को बांटने की व्यवस्था दुरुस्त की। अब हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में इनकी कीमतें नीचे आयेंगी और मेरी मान्यता है कि मूल्य-वृद्धि का विषय अस्थाई सिद्ध होगा तथा इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र राजेश पायलट जी ने इस बारे में कहा और कुछ मित्र तो यहां तक चले गये कि यह तो सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट है और सरकार को इसके आधार पर इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यह सरकार तो अपने आप गिर जाएगी। आप लोक सभा में बैठे हैं और अच्छी तरह से लोकतंत्र को भी जानते हैं। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि आज सरकार अच्छी तरह से चल रही है और कोई वैक्यूम नहीं है और हम आपको औवेलाइज करने वाले नहीं हैं। हमारे एलाइज, हमारे मित्र और हम यह कहने वाले नहीं हैं कि हम जा रहे हैं और आप आ जाइये। सरकार न तो दान में मिलती है न भीख में मिलती है, इसके लिए जन-समर्थन जुटाना पड़ता है।

श्री राजेश पायलट: बारी-बारी से मिलती है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: हां, बारी से भी मिलती है। लेकिन इस बारे में हमारे मित्रों को भी स्वीकार करना चाहिए कि जन-समर्थन जुटाने में वे असमर्थ रहे और इसीलिए वे विपक्ष में बैठे

हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको धैर्य रखना चाहिए, इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)* मुझे कभी-कभी लगता है कि अगर यह प्याज का विषय न होता तो कांग्रेस कहां जाती। कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस ने दो चुनाव प्याज पर जीते—एक 80 का चुनाव और एक 1998 का चुनाव प्याज पर जीता। इसमें कोई न कोई राज है। आखिर यह विषय क्यों? प्याज का विषय मिजोरम तक नहीं पहुंचा इसलिए वहां कांग्रेस हार गई। अगर मूल्य वृद्धि का विषय सब जगह था तो कांग्रेस वहां क्यों हारी? हमें यह कहने का अधिकार है कि कोई केन्द्रीय नेता मिजोरम में इलैक्शन कैम्पेन के लिए गया है तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी गई हैं। अगर मिजोरम में कांग्रेस हारी है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि यह श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ दिया गया एक प्रत्यक्ष फैसला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: यह गलत है। कई नेता वहां गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि दिल्ली का फैसला श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने राजस्थान में भी कई जन सभाओं को संबोधित किया था। ...*(व्यवधान)* मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा: अगर आप पहले इसे स्वीकार करते और फिर यह बात कहते तो मैं आपकी बात सुनता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1967 के बाद कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए और जन समर्थन जुटाने के लिए स्टन्ट खड़ा करना पड़ा है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: रथ यात्रा की तरह।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा: रथ यात्रा एक है। 1971 में "गरीबी हटाओ' का जो नारा लगाया था, तब से क्या गरीबी हट रही है? जब तक इस देश से सारे गरीब खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक वह गरीबी हटाते रहेंगे। कांग्रेस इसका जवाब दे कि 1971 में 'गरीबी हटाओ' का जो नारा लगा था, वह कहां तक हटी और पावटी लाइन से कितने लोगों को ऊपर लाया गया। कुछ तो लोगों को इसका हिसाब देना चाहिए। एक इलैक्शन 'गरीबी हटाओ' से, दो इलैक्शन प्याज से जीत लिए और एक इलैक्शन सहानुभूति से जीत लिया।

आज हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के शासन में मूल्य वृद्धि नहीं हुई? कांग्रेस जब शासन में थी तो क्या मूल्य वृद्धि नहीं हुई?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्होंने कांग्रेस का पूरी तरह अनुपालन किया है। क्या यह इस समस्या का उत्तर है? श्री शर्मा जी मैं जानता हूं कि आप भी चिंतित हैं। आप सत्तारूढ़ दल के मुख्य प्रवक्ता हैं। देश यह जानना चाहता है कि मूल्य वृद्धि किस प्रकार रोकी जा सकती है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: जी हां, मैं उसी की बात करने वाला हूं। परन्तु मुझे हर बात को स्पष्ट करना होगा।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि का प्रश्न कहां से शुरू होता है? हम चाहते हैं कि थोड़ी सी तुलना शुरू की जाए। हम चाहते हैं कि मूल्य वृद्धि के बारे में 1977 से तुलना शुरू की जाए। 1977 में जो मूल्य वृद्धि का स्तर था, जिस भाव पर केन्द्र सरकार ने चीनी, गेहूं और आटा सब चीजें उपलब्ध करवाई, उससे तुलना करके आगे बढ़ना है तो हम भी तुलना करने के लिए तैयार हैं। आइए, मुकाबला करिए कि इस देश के इतिहास में सबसे कम मूल्य कौन से समय में रहे हैं, कौन सी सरकार केन्द्र में थी, इस बारे में विचार करके बहस करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं।

मूल्य वृद्धि का एक क्रम चल रहा है। चिदम्बरम जी बैठे हैं। हम इलेक्शन की भी बात करते हैं। सारी दुनिया में मूल्य बढ़ रहे हैं। यह ठीक है कि जहां कमियां हैं, वहां सुधार करने के लिए प्रयास होने चाहिएं। हम उसके बारे में प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने 1991 से 1996 तक शासन किया। उस समय की मूल्य वृद्धि के मेरे पास भी आंकड़े हैं। उस समय चीनी के दाम 50 परसैंट, गेहूं के दाम 300 परसैंट, चावल 350 परसैंट तक, उड़द की दाल के दाम 150 परसैंट, अरहर की दाल के दाम 47 परसैंट, मसूर की दाल के दाम 43 परसैंट और आलू के दाम 75 परसैंट बढ़े। प्याज के दाम 75 प्रतिशत बढ़े। यह बात सही है कि कीमतें बढ़ती हैं लेकिन कांग्रेस के शासन में उड़ीसा में क्या हुआ? लोग भुखमरी से मरे।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बड़ागरा): प्रावधानों को आसान करके, कैद को सात से घटाकर दो वर्ष करना। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा: यह दुनियाभर के अखबारों में छपा है। इसमें एक सबसे ज्यादा विचार करने की बात यह है कि जब कांग्रेस का शासन था तो उस समय चीनी और गेहूं कैसे आयात किये गये? यहां हमारे विपक्ष के नेता ने कहा और अन्य साथियों ने कहा कि कुछ कम पैसे पर डील हुई थी लेकिन ज्यादा वाले को दे दिया गया। ऐसा ही शूगर के मामले का प्रश्न आया था जो उस समय एक स्कैंडल के रूप में हम लोगों के सामने आया था। मैं विपक्ष के सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसी बात आई है तो सरकार की जानकारी मे लाई जाये। मैं कीमतों के बारे में और बातें मान सकता हूं लेकिन यह बात कतई नहीं मान सकता और दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से केन्द्र में यह सरकार आई है पिछले आठ महीने से इस मामले में कोई स्कैम या स्कैंडल नहीं हुआ है। यदि कोई ऐसी बात हो तो उस पर विचार किया जा सकता है और जांच की जा सकती है। जो तथ्य हैं, हम उनको सदन के सामने रखना चाहेंगे। आपने गेहूं के मामले में मंत्री को हटाया, उसके बारे में उस समय की सरकार ने स्वीकार किया।

श्री राजेश पायलट: लेकिन वे मंत्री तो अब आपके साथ हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: होंगे लेकिन आपने स्वीकार किया कि उस समय घोटाला किया गया और उनको हटाया गया। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में और संशोधन करने की बात आई है। इस बारे में तो आप हमारी सरकार की दाद दीजिए कि आपने मामला उठाया और हम लोगों ने इसे सैल्व कर दिया। मैं यह बात अपनी, अपनी सरकार और अपनी पार्टी की तरफ से बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि देश में जमाखोरों और कालाबाजार करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले में कोई रियायत नहीं की जायेगी।

श्री मोहन सिंह: यह बात गीता पर हाथ रखकर कसम खायें तो मान लूंगा।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: तब आप लोगों ने भी मान लिया होगा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: यदि इस बात का वचन दें कि होर्डर्स के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और इन लोगों का पक्ष नहीं लेंगे तो इस देश का काम चलेगा।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: अगर आप लोगों के पास कोई तरीका हो तो आप कोर्ट में जाइये। आपके पास तथ्य हैं और हमारे पास भी तथ्य हैं तो आगे विचार किया जा सकता है.....

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: आपने संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है जो स्वयं एक संकेत है। ...*(व्यवधान)* आप यह कहें कि वापस ले रहे हैं हमें खुशी है कि आपकी भावना अच्छी है। आप आर्डिनेंस लाइये।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: उस पर अब निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

जहां तक कीमतों का सवाल है, हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया के देशों में जो हालात चल रहे हैं जिसे आप सब लोग जानते हैं; अब यह बताया गया कि इस मूल्य वृद्धि का कारण पोखरण हो सकता है, अमरीका द्वारा सैंक्शन्स भी हो सकती है, ऐसा भी असर हो सकता है ...*(व्यवधान)* प्याज पर कांग्रेस का असर हो सकता है और किसी का असर नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने ऐसा सुझाव दिया है

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस को तो लाभ हुआ है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: प्याज से कांग्रेस को फायदा हुआ होगा, इसलिए यह प्याज पार्टी बन गई है।

श्री राजेश पायलट: हमें तो फायदा होता है लेकिन देश को नुकसान हो रहा है। आप ऐसा मत करें।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: एक बात और कुल मिलाकर हमें सोचनी चाहिए कि अगर मूल्य वृद्धि हुई है, इस कारण से जहां कहीं जो पहले गलतियां हुई हैं, अगर किसानों के प्रति कोई नीति में गलती रही है तो उसमें सुधार करना होगा। अगर कोई व्यवस्था में और वितरण में कमियां रही हैं तो उसको सुधारना होगा। अब इसके बारे में यह तो सबको मालूम है कि 1995-96 में और 1996-97 में प्याज का मूल्य किसान को नहीं मिला, इसलिए प्याज सड़ गया। अगली बार किसान मे प्याज नहीं बोया तो फसल

कम हो गई। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, यह तथ्य की बात है। इसी तरह से 1996-97 में आलू की फसल इसलिए सड़ गई क्योंकि उसका मूल्य नहीं मिला और उसके कारण अगली बार किसान का उत्साह आलू बोने में कम हो गया। इसी प्रकार से गन्ना में हुआ। इस तरह की जो कमियां रह जाती हैं यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है और सरकार का भी सवाल नहीं है। यह हर सरकार को सोचना पड़ेगा। किसानों के बारे में यह पहली बार है कि हमारी सरकार ने आने के बाद इस देश में ऐग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए 58 परसेंट प्लान मनी में इनक्रीज किया है। कभी किसी सरकार ने अपने बजट में इतना पैसा नहीं दिया है। हमने दिया है और इसलिए हमारे मन में किसानों के प्रति चिन्ता है, यह हम बताना चाहते हैं। कांग्रेस में काफी इस तरह की बातें हो सकती हैं। आप सोचें कि हम किसानों के हितैषी हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसानों के हितैषी आप भी हों और हम भी हों, इसमें आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन अपना भी थोड़ा हिसाब-किताब देख लीजिए। एक के बाद एक चुनाव आते जा रहे हैं। लोक सभा के भी आए हैं, विधान सभा के भी आए हैं। जरा पंजाब में अपना नक्शा देख लीजिए।

श्री राजेश पायलट: पंजाब से जीतकर आए हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: छह वोटों से जीते हैं वह भी एक असेम्बली की सीट। लोक सभा की सीट नहीं जीते हैं। आपके जीतने के बाद भी वहां की सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। सरकार वहां पर हमारी कायम है। सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन कृषि प्रधान प्रदेशों-पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कैसे साफ हुए? उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश में लोक सभा की एक भी सीट नहीं मिली। 425 के सदन में कुल मिलाकर 33 सीटें आई और यह सारा हिसाब-किताब अगर यह सोचते हैं और इतनी जल्दबाजी में हैं ...*(व्यवधान)* अभी तो दिल्ली में कल की ही बात है, लेकिन 1993 से लेकर सात-आठ साल तक यहां कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस से ही हमने दिल्ली छीना है और दिल्ली का इतिहास एक बार इधर और एक बार उधर चलता रहता है। इसमें कोई बड़ा भारी परिवर्तन आपके सामने हो गया और इसमें से आप निष्कर्ष निकालने में लग जाएं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका इतिहास बड़ा लम्बा है। इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। दिल्ली और राजस्थान पर समाप्त नहीं होता। दिल्ली और राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है यह प्रदेश सरकारों की हम ज्यादा कमी मानते हैं।

श्री मोहन सिंह: आपने मान लिया कि आपके द्वारा शासित राज्यों के मुख्य मंत्री सभी अप्रभावी थे।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: सब अप्रभावी नहीं थी। फिर तो आप भी मानिये कि जहां-जहां भी आप हारे हैं, बड़े-बड़े प्रदेशों में आप भी मानिये कि आपके मुख्य मंत्री अप्रभावी थे इसलिए हार गए।

सभापति महोदय: शर्मा जी, आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: हम अपनी कमियों को भी अपनी तरफ ऐड्रेस कर रहे हैं। उसको भी हम छिपा नहीं रहे हैं लेकिन हम यह बात साफ कहना चाहते हैं कि यह चुनाव प्रदेशों के चुनाव थे। केन्द्र से इसका कोई रेलेवेन्स नहीं बनता है और एक चुनाव था लोक सभा सीट के लिए गुजरात में। गुजरात भी अभी-अभी हमने आपसे छीना है। भरूच की लोक सभा सीट पिछले चुनाव में हमने जहां 10-12 हजार के अंतर से जीती थी, वहां इस बार 51,000 से जीते हैं जिसका मतलब यह है कि देश की जनता का पार्लियामेंट तथा हमारी सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी पर पूरा विश्वास है, यह इस बाय-इलेक्शन ने साबित कर दिया है। आखिर ये सब बातें होती हैं तो उन पर सोचना चाहिए। मुझे कभी-कभी एक आश्चर्य होता है, थोड़ा-थोड़ा एहतियात तो सभी बरतते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर यह कहना शुरू करते हैं। श्री मुलायम सिंह जी आज यहां नहीं है, वह कहते हैं कि जल्दी से हट जाओ, हम 20 सदस्य हैं, हमारे लिए कुर्सी खाली कर दो। हमारे दल के 20 लोग हैं, अब हम शासन चलायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग भी शासन में थे। 1996 में हमारा 13 दिन शासन चला, हम आगे नही चला सके, हम हट गये। अब आपके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे ज्यादा देश की आप डिस्सर्विस यह कर रहे हैं, हर दिन आप देश में आप इनस्टेबिलिटी का एक वायुमंडल बनाना चाहते हैं। आपके पास संख्या बल नहीं है, कोई अन्य विकल्प नहीं है, आप कोई सरकार बना नहीं सकते, मिडटर्म पोल का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हर रोज यह बयान देते रहना कि यह सरकार नहीं टिकेगी। जब आपके पास संख्या बल हो जायेगा तो यहां कौन रहने वाला है, आप सरकार बनाइयेगा। मुझे लगता है कि देश के हित में, किसान के हित में और लोगों के हित में यह है कि जब तक यह सरकार चल रही है, इनस्टेबिलिटी पैदा करना देश के हित में नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: सभापति महोदय, मूल्यवृद्धि पर चर्चा चल रही है, लेकिन ये सरकार और चुनावों पर ही बोल रहे हैं। मूल्य वृद्धि पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ...*(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा: मैंने मूल्य वृद्धि पर जो बोला है, वह आपके ध्यान में आ गया होगा। हमारी सरकार में और हमारे अलाइज में एक फर्क है और वह आप समझ लें कि हमारे अलाइज स्ट्रोंगली हमारे साथ हैं। उनको लगता है कि इसी सरकार के साथ मिलकर वे देश का भविष्य बना सकते हैं। जो आप सब लोग हैं वे एक दूसरे के प्रति हां भी करते हैं, ना भी करते हैं। आप कहां हैं, कहां नहीं है, कुछ पता नहीं है। मुझे यह बात साफ कहनी है कि कांग्रेस एक ऐसी अमरबेल है, जिस पर चढ़ गई, वह खत्म हो गया। इसने जिस किसी सरकार को समर्थन दिया, उसे चलने नहीं दिया, हर एक को खत्म किया। यह बेल देश पर चढ़ी है तो देश ने भी काफी कड़वे फल भुगते हैं। चाहे इमरजेन्सी हो, चाहे पंजाब का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो या दिल्ली के 1984 के राइट्स हों, इसी बेल के सारे फल हम भुगत रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: महंगाई पर बोलिये, आप महंगाई पर तो बोल नहीं रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह (सतना): महंगाई आपने बढ़ाई हैं। चालीस रूपये का पैंट मिलता था, अब 40 रुपये का निकर नहीं मिलता है, यह आपने किया। 12 रुपये का रेल का किराया था उसको 120 रुपये आपने किया। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: रामानन्द जी, आपकी पार्टी आपको बोलने नहीं दे रही है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: ऐसे ही छटपटा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा: सभापति महोदय, एक-दो प्रार्थना मैं और करना चाहता हूं। मैं अपनी सरकार से भी कह रहा हूं कि 1974 में एक निर्णय हुआ था कि फूडग्रेन्स के मूवमेंट में कहीं पर भी स्टेट बैरियर्स नहीं रहेगा। हमारी सरकार ने भी यह फैसला लिया कि फूडग्रेन्स के मूवमेंट में कोई बंधन नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी यह समाचार मिलते हैं कि ये बैरियर्स अभी हटे नहीं है, काम कर रहे हैं, इसकी तरफ सरकार ध्यान दे और प्रदेशों को इस बारे में इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए कि अगर मूवमेंट फ्री है तो फिर ये बैरियर्स बीच में नहीं होने चाहिए। इससे किसानों को जो तकलीफ होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, जो करप्शन होती है, उसको रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। जहां तक एसेंशियल कमोडिटीज का और अमेंडमेंट का एक्ट है, उसके बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि एक भी अनड्यू हरेसमैंट किसी भी इन्नोसेन्ट आदमी का नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए होल्डर और ब्लैकमार्केटियर को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके हिसाब से अगर सरकार और विपक्ष मिल बैठकर कोई अच्छा बिल बना ले और उसके बारे में कदम उठायें तो हम समझते हैं कि इसका लाभ होगा। उसके कारण जनता को राहत मिलेगी और लोगों के अंदर विश्वास पैदा होगा।

दूसरा, एक बात और है कि कभी-कभी जो ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, जो इक्नोमिकली एक्सपर्ट हैं, श्री यशवन्त सिन्हा जी यहां बैठे नहीं हैं, चिदम्बरम जी बैठे हैं, कभी-कभी इनफ्लेशन के रेट से मापते रहते हैं। एक बात तो जरूर मैं दावे से कहूंगा कि इस वर्ष भारत के खिलाफ सैक्शन्स बहुत बड़ा डिसीजन है। वह चाहे किसी भी कारण से हो। हम इसके लिए संकोच नहीं कर पाये हैं कि हमने जो कदम उठाया है, वह ठीक उठाया है और दुनिया के दबाव के आगे आकर हम अपने कदम में परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पोखरण का जब पहला धमाका 1974 में हुआ था, उस समय के अगर किसी के पास आंकड़े हों तो वह अध्ययन करके देखे। उस समय इनफ्लेशन 20 परसेंट तक चला गया था। कांग्रेस का शासन कई वर्षों तक रहा है। कई बार इनफ्लेशन डबल डिजिट तक गया है। अभी भी कांग्रेस वाले कह सकते हैं कि जब हम आये थे तब डबल डिजिट था लेकिन हमने उसको धीरे-धीरे कम किया। इनस्पाइट ऑफ सैक्शन्स किसी शासन काल में ऐसे सैक्शन्स नहीं लगे। अब इस प्रकार के सैक्शन्स लगे हैं तो हम उसका भी मुकाबला कर रहे हैं लेकिन हम इस बात में अपनी सफलता मानते हैं कि सारे दबाव, सारे इंटरनैशनल और अंदर के दबाव के बावजूद हमने आपके इनफ्लेशन को सिंगल डिजिट में कन्टेन किया है। इसको आगे नहीं जाने दिया। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि इनफ्लेशन बढ़े घटे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर): आपने 1989 में 23 किया था। हम उसको चार परसेंट पर लाये थे। ...*(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा: मैं अपने मित्रों को बता दूं कि मैं आपसे प्यार की अपेक्षा कर रहा हूं। मैं आपके इंटरप्शन्स को बुरा नहीं मान रहा हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा निवेदन है कि आप मेरी बात को भी सुन लीजिए। मैंने इनफ्लेशन को भी फिगर सुनी है।

[अनुवाद]

मैं आपको विभिन्न वर्षों के, वर्ष के अंत में वर्षवार और 52 सप्ताहों के औसत, दोनों ही के मुद्रास्फीति आंकड़े दूंगा। ये हैं:

वर्ष	वर्ष के अंत में	52 सप्ताहों का औसत
1990-91	10.3 प्रतिशत	12.1 प्रतिशत
1991-92	13.7 प्रतिशत	13.6 प्रतिशत
1992-93	7 प्रतिशत	10.1 प्रतिशत
1993-94	10.8 प्रतिशत	8.4 प्रतिशत
1994-95	10.4 प्रतिशत	10.9 प्रतिशत

फिर यह घटकर 4 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 5 प्रतिशत हो गया और अब यह 8.6 प्रतिशत या इसके बराबर है। आप यह कह सकते हैं कि यह बढ़ गया है परन्तु आप यह निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे कि यह एक अंक की संख्या से अधिक नहीं बढ़ा है। इसलिए यह हमारी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि हमें इसकी सराहना करनी चाहिए कि किसी भी हालत में हम मुद्रास्फीति को एक अंक की संख्या तक सीमित रख सके हैं।

एक बार फिर, मैं यही कहूंगा कि जहां तक गेहूं का संबंध है इसके मूल्य में अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

[हिन्दी]

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सब्जियों का जो मामला होता है, वह तो टैम्प्ररेरी है, अस्थायी है। यह कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। इसके ऊपर कोई राय बनाना अच्छा नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): इन्होंने तो सब्जियों के नाम से ही सरकार बना ली। ...*(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा: हमें यह भी लगता है कि सब्जियों के नाम से जो सरकार बनी है, यह भी सीजनल ही रहेगी, यह ज्यादा चलने वाली नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: क्या प्रधानमंत्री जी को बदल दिया है? प्रधानमंत्री की जगह पर किसे बिठाया है। ...*(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा: मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मुझे एक-दो बातें कहनी हैं। किसानों को समय पर समर्थन मूल्य की आश्वस्ति मिलनी चाहिए, खाद मिलनी चाहिए, समय पर बिजली, पानी की आश्वस्ति मिलनी चाहिए। अब इस सरकार ने फसल बीमा योजना के बारे में जो फैसला किया है, वह किसानों को एक तरह से इतना मजबूत कर देगा कि उसके मन में कोई भी फसल बोने में आशंका नहीं रहेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहना है कि अभी मेरे मित्रों को और बहुत लम्बा सफर तय करना है। आज हम प्राइस राइज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपके और जो सकारात्मक, कंस्ट्रक्टिव सजैशन्स होंगे, उन पर हम जरूर गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन यदि आपको यह लगता है कि इस मूल्य वृद्धि के कारण और दिल्ली, राजस्थान में चुनाव हारने के कारण, ख्वामख्वाह आप मध्य प्रदेश को मत जोड़िए, वह तो स्टेटस-क्यू रह गया, हमारी उपेक्षा थी, वह पूरी नहीं हुई, लेकिन उसमें हमारा कोई लॉस नहीं है। मिजोरम कांग्रेस का नैट लौस है, यह भी उनको मानना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: वह आपकी कमाई है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: हमारी कमाई हो न हो लेकिन आपको नुकसान हुआ।

इसलिए मूल्य वृद्धि के विषय को एक राष्ट्रीय प्रश्न मानकर सभी दल, सभी पार्टियों को मिलकर जनहित में गंभीरता से विचार करना चाहिए और भविष्य में मिलकर इसके बारे में नीति तय करनी चाहिए। सरकार एक रहे या दूसरी रहे, कई बार आप सरकार की नीतियों को भी दोष दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार: गंभीरता का क्या मापदंड है? गंभीरता से तो चर्चा हो रही है। पहले राजेश जी ने कहा कि पार्टी से ऊपर उठकर सब बात करेंगे।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: गंभीरता का यही मापदंड है कि आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था।

यदि सब दल मूल्य वृद्धि, देश की रक्षा के बारे में मिलकर विचार करेंगे तो उसका लाभ होगा। मैं इस मूल्य वृद्धि को अस्थायी मानता हूं, सरकार ने इसे थाम लिया है, अगले जो कदम उठा रहे हैं, उससे मूल्य वृद्धि कम होगी, इस सरकार की साख बढ़ेगी और यह सरकार आगे पांच वर्ष तक अपना काम-काज अच्छी तरह से चलाएगी। इन शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, जैसाकि श्री कृष्ण लाल शर्मा ने सत्तारूढ़ दल भाजपा की तरफ से कहा है मैं आपको तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सरकार को अपने समर्थन देने का आश्वासन देता हूँ। इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। परन्तु हमें यही कहना चाहिए कि जहां तक मूल्य वृद्धि का मामला है केन्द्र सरकार स्थिति पर काबू नहीं पा सकी है।

आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी ममता बनर्जी ने इस सभा में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाकर स्थिति का मूल्यांकन कर लेने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया है।

परन्तु इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और जब तक बैठक बुलाई गई सब कुछ पूरा हो चुका था। मैं यह कहना चाहता हूँ इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत सरकार द्वारा काफी लापरवाही और कुप्रबन्धन हुआ था। हम कहना चाहेंगे कि सरकार की ओर से ढिलाई बरती गई है। अब सरकार आंकड़े प्रस्तुत करेगी परन्तु इससे लोगों को संतोष नहीं होगा। ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार और इस देश के भूखे लोगों के बीच एक लड़ाई छिड़ गई है।

इससे पहले, इस सदन में इस बात पर चर्चा हुई थी कि इस देश में उत्पादित कृषि उत्पादों का निर्यात रोका जाए। कृषि उत्पादों का निर्यात काफी पहले रोका जाना चाहिए था।

'इकोनोमिक रिव्यु' और 'इकोनोमिक सर्वे' के अनुसार पिछले वर्ष हमारे देश से कुल 1,18,870 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात हुआ था जिसमें से 2,121 करोड़ रुपये मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया था। यह भारत से किए जाने वाले निर्यात का 15 से 18 प्रतिशत है। हमने बार-बार केन्द्र सरकार से कृषि उत्पादों का निर्यात रोकने का अनुरोध किया था। जब तक निर्णय लिया गया काफी देर हो चुकी थी। इसी प्रकार, सभा में प्याज के आयात पर भी लगातार चर्चा हुई थी और हमने कहा था कि प्रतिबंध हटाए जाएं। यह निर्णय अब लागू हुआ है परन्तु बहुत देर हो चुकी है।

महोदय, ऐसा नहीं है कि मूल्य अचानक बढ़ गए हैं। थोक मूल्य सूचकांक में कुछ विशेष वस्तुओं जैसे प्याज, अरहर, दूध, मछली, चाय, गुड़, मूंगफली, सरसों का तेल, सूखी मिर्च इत्यादि के मूल्य में इस वर्ष के शुरू से ही तुलनात्मक रूप से काफी अधिक मूल्य वृद्धि हुई है।

जब हमारे देश में विशेषकर हमारे राज्य में पिछले वर्ष आलुओं का काफी संख्या में उत्पादन हो रहा था तो राज्य सरकार प्रशीतन भंडार (कोल्ड स्टोरेज) उपलब्ध नहीं करवा सकी। उदाहरण के लिए, हमारे राज्य, पश्चिम बंगाल में, काफी मात्रा में आलुओं का उत्पादन होता था। वहां प्रशीतन भंडारों की कमी की वजह से किसानों को अपने आलू एक या डेढ़ रुपये की सस्ती दर पर बेचना पड़ता था। इस वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में आलू की पश्चिम बंगाल सीमा से बंगलादेश और नेपाल को चावलों के साथ तस्करी की गई है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ और इसके परिणामस्वरूप लोगों को काफी कठिनाई उठानी पड़ी।

जमाखोरी को नियंत्रित करना राज्य का काम है। केन्द्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसी राज्य में जमाखोरी नहीं रोक सकती। राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी राज्य सरकार ने जमाखोरी को रोकने और कालाबाजारियों, जमाखोरों, व्यापारियों और बेईमान व्यापारियों के खिलाफ कड़ाई से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: सुबह गिरफ्तारियां की गईं परन्तु जमाखोरों ने दिन में ही थानों में थानेदारों को घूस खिलाकर जमानत पा ली। यदि आप विभिन्न राज्य सरकारों से पूछते हैं कि उन्होंने कितने जमाखोरों और कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया है तो आप पाएंगे कि उनकी संख्या काफी कम है। कुछ राज्यों में इनकी संख्या दस की है और कुछ अन्य राज्यों में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 15 है। उन्हें कोई सजा या उनके प्रति किसी प्रकार की दोष-सिद्धि नहीं हुई है।

किसी को भी दोषी सिद्ध नहीं किया जा रहा है। उन्हें केवल गिरफ्तार किया जा रहा है। और जमानत पर रिहा कर दिया जा रहा है। हमारा विचार यह है कि मूल्य वृद्धि से हमारे देश के आम लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। अत: यह स्वाभाविक है कि केन्द्र सरकार को भी इसकी कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय गृह मंत्री से कुमारी ममता बनर्जी के त्याग पत्र के सिलसिले में मिला था, मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं पिछले महीने की 4 तारीख को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा के संबंध में उनसे मिला जिन्होंने मूल्यवृद्धि के विरोध में समन्वय समिति से अपना इस्तीफा दे दिया। कुमारी ममता बनर्जी की यह मांग थी कि इस मुद्दे पर

चर्चा के लिए मुख्य मंत्रियों तथा समन्वय समिति, जिसे सरकार द्वारा प्रायोजित समिति माना जा सकता है, की बैठक बुलायी जाए। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जो कुछ मुझे पता चला वह यह है कि जबकि यह एक गैर सरकारी चर्चा थी फिर भी यह देश के हित में मैं यह कहूँगा कि मूल्य वृद्धि के संबंध में वह बहुत दुखी थे। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि आर्थिक सलाहकार समिति और प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा उन्हें सही तरीके से सूचित नहीं किया गया था और इसलिए उन्हें सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाई।

मैं नहीं जानता कि यह सरकार की असफलता थी अथवा नहीं लेकिन मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि केन्द्र सरकार को इस बारे में अधिक गंभीर होना चाहिए। उन्हें मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सक्रिय और प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे; उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए था और मूल्य वृद्धि के मुद्दे को चर्चा के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष को पिछले चुनावों में सरकार की इस असफलता का परिणाम मिल गया है जिससे अब वे प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफे की भी मांग करने लगे हैं। लेकिन हम यह अवश्य कहेंगे कि इसमें कोई शक नहीं है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति हैं।

यह हैरानी की बात है कि आज कांग्रेस के राज्यों में चुनाव जीतने पर वामपंथी खुशी मना रहे हैं ये वे वामपंथी हैं जो पहले कांग्रेस पर ये आरोप लगाते थे और यहाँ तक कि शहीद मिनार/ मैदान में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर राजीव गांधी सरकार को भी हराना चाहते थे और अब उन्होंने ही यह कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस को सरकार का गठन करने के लिए आगे आना चाहिए, वे उन्हें अपना समर्थन देंगे। राजनीतिक रूप से दिशाहीन दल ऐसा कह रहा है।

अपराह्न 3.58 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

हम कांग्रेस दल के नेता श्री शरद पवार, जो कि यहाँ उपस्थित हैं, से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वह अपनी नेता श्रीमती सोनिया गाँधी को बंग भवन में श्री ज्योति बसु के पास जाने और उनकी तुलना स्वर्गीय विधान चन्द्र राय से करने के लिए मना करें। श्री ज्योति बसु नाशक हैं और स्वर्गीय विधान चन्द्र राय राज्य के संस्थापक थे।

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, हम यहां किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम यहाँ श्री ज्योति बसु अथवा स्वर्गीय विधान चन्द्र राय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कृपया उन्हें अपना भाषण मूल्य वृद्धि के मुद्दे तक ही सीमित रखने दें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, मूल्य वृद्धि के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया गया था। यह व्यक्तियों का मुद्दा नहीं है। जब लोगों ने इस बारे में बातचीत करना आरम्भ कर दिया कि सरकार कैसे गठित की जा सकती है तो इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया गया। इस चर्चा की गंभीरता विपक्ष के बैंचों की ओर देखने से पता चलती है और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद मूल्य-वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा को क्या महत्व दिया जा रहा है?

मूल्य-वृद्धि के मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसे अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है को तत्काल कार्यान्वित करना होगा जिससे राज्य सरकारों को बेईमान व्यापारियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक अधिकार मिल सकेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

पश्चिम बंगाल अनैतिक और बेईमान व्यापारियों का अड्डा बन गया है। जमाखोरी को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? यदि आप पैसा देते हैं तो आपको वह सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहते हैं। कलकत्ता शहर के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बड़ा बाजार एक ऐसी जगह है जो एशिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में जाना जाता है। वहाँ पैसे देकर आपको कोई भी चीज मिल जाएगी। आपको उनके लिए रुकना नहीं पड़ेगा। जमाखोरी के विरुद्ध कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। जमाखोरी के विरुद्ध अभियान एक आवश्यकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश भर में शीतागार बनाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शीतागारों के बिना हम आम आदमी और निर्धन कृषक का हित नहीं कर सकते जिन्हें अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन उन्हें अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता।

भारत सरकार को जो कुछ घटित हुआ है उस सच को स्वीकार करना चाहिए। सत्तारुढ़ दल, भा.ज.पा. केवल नकारात्मक मतदान के कारण ही हारी है और न कि सकारात्मक मतदान के कारण। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि केवल मूल्य वृद्धि के कारण ही उनकी हार हुई है। उन्हें लोगों के पास जाकर बताना

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

चाहिए कि उनकी इस प्रकार त्रुटियां हैं। हमें जनता को उन राज्य सरकारों के बारे में भी बताना चाहिए जो अपेक्षित स्तर तक अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह नहीं कर सकी। हम सभी मूल्य-वृद्धि से संबंधित इस मुद्दे पर चिन्तित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम एकजुट होकर इस समस्या पर विचार करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके।

अपराह्न 4.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वर्ष 1999-2000 में विपणन की जाने वाली 1998-99 की रबी की फसल के लिए नीति

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1999-2000 में विपणन की जाने वाली वर्ष 1998-99 की रबी की फसलों के लिए मूल्य नीति के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सरकार ने 1998-99 की फसल की उचित औसत किस्म की गेहूं, जिसका विपणन 1999-2000 मौसम के दौरान किया जाएगा, का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जो कि गत वर्ष के 455 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से 95 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। हालांकि यह वृद्धि केवल 40 रुपये की होगी यदि इसे गत वर्ष के दौरान 510 रुपये अर्थात् 455 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य + 55 रुपये बोनस प्रति क्विंटल के प्रभावी अधिप्राप्ति मूल्य से तुलना की जाए। निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 490 रुपये की तुलना से अधिक है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: माननीय सभापति महोदय, यह पहले ही समाचार-पत्रों मे प्रकाशित हो चुका है। अब वक्तव्य देने का क्या अर्थ है?

श्री सोमपाल: नहीं, यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ है...*(व्यवधान)* मैं इस बात को सही करना चाहूँगा, यह समाचार पत्रों में नहीं आया है ...*(व्यवधान)* माननीय सभापति महोदय, मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य: तो क्या प्रकाशित हुआ है?

श्री सोमपाल: आचार्य जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। जब अन्य लोग बोलते हैं तो मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण वास्तविक नीतिगत वक्तव्य है।

उचित औसत किस्म के जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य 385 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं जो कि वर्ष 1998-99 के विपणन मौसम के लिए निर्धारित किए गए 350 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शाती है।

895 रुपये प्रति क्विंटल के उचित औसत किस्म के चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्ष के 815 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य की अपेक्षा 80 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

रेपसीड/सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्ष के मूल्य की अपेक्षा 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए गए तथा 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है।

कुसुम्भ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 990 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो कि गत विपणन मौसम के दौरान निर्धारित किए गए 910 रुपये प्रति क्विंटल की अपेक्षाकृत 80 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

ऐसी आशा की जाती है कि उपर्युक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को उत्पादन तथा इन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब रेल मंत्री रेल दुर्घटना के बारे में जानकारी दें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य: निर्गम मूल्य के बारे में आप क्या कहते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री कोणिजेटी रोसैया (नरसारावपेट): धान और मूँगफली का क्या हुआ?

माननीय मंत्री महोदय को धान के बारे में भी अवश्य कुछ कहना चाहिए।

श्री सोमपाल: माननीय सभापति महोदय, रबी फसल के लिए यह नीति की घोषणा है। धान खरीफ फसल है।

श्री कोनिजेटी रोसैया: महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि धान का उत्पादन रबी के मौसम के दौरान भी होता है। यह केवल खरीफ ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इसमें किसी सब्मिशन की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया: महोदय, मंत्री जी को मेरी बात सुनने दीजिए। वह किसी अन्य से बात कर रहे हैं। मैं केवल धान के बारे में अतिरिक्त सूचना माँग रहा हूँ ...*(व्यवधान)* महोदय, कृषि मंत्री को हमारे अनुरोध सुनने चाहिएं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी का बयान हो चुका है, अब आप कौन सा सवाल उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री बी.एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण): ज्वार के बारे में आप क्या कहते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जो सूचना मंत्री जी के पास थी वह उन्होंने दे दी है, आप कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बी.एम. मेनसिंकाई: ज्वार के बारे में आप क्या कहते हैं?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ज्वार के संबंध में सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: माननीय मंत्री जी ये बताएं कि जो एम.एस.पी. एनाउंस की है वह पुराने फार्मूले से की है? हमने यह तर्क दिया है कि योजना आयोग के इस फार्मूले को संशोधित किया जाना चाहिए। वह मोडिफाइड फार्मूले से की है या पुराने फार्मूले से की है? हमने जो इनपुट का सजेशन दिया था, उसके हिसाब से की या पुराने फार्मूले से की है?

सभापति महोदय: हिसाब जोड़कर आप देख लीजिए।

श्री सोमपाल: सभापति जी, जो मूल्यों की घोषणा होती है वह प्लानिंग कमीशन के फार्मूले से नहीं होती जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का फार्मूला और उसकी संस्तुति है उसके हिसाब से की जाती है। इसमें मैंने यह कहा है कि अभी तक का जो संशोधित फार्मूला है जिसमें मैनेजरियल प्रोफिट 10 परसेंट सी-3 कीमत के हिसाब से लिया जाता है और वह भी 490 था उसके मुकाबले में 550 किया है।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया: महोदय, धान का उत्पादन वर्ष में दो बार किया जाता है। यह केवल खरीफ की फसल नहीं है। यह रबी फसल भी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी उस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। वे रबी क्रॉप के बारे में कह रहे हैं और ये पैडी क्राप के बारे में पूछ रहे हैं। सारे सवाल उस पर नहीं उठ सकते हैं जिन पर माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। इस सदन में कानून के हिसाब से उस पर अब कोई गुंजाइश नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया: महोदय, मेरे विचार में, माननीय मंत्री महोदय जवाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय सभापति महोदय पूर्व मंत्री हैं। वह सब जानते हैं। इसलिए वह अनुमति नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया: महोदय मैं जानता हूँ कि जब आप यहाँ बैठते हैं, तो आप कैसे तथ्यों का पता लगाते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपने जो सवाल उठाया है, माननीय मंत्री जी उस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप सदन का समय नष्ट न कीजिए।

अपराह्न 4.08 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के मनमाड-जलगांव सेक्शन पर कुर्ला-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतर जाना

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के मनमाड-जलगांव सेक्शन पर महसावद-शिरसोली स्टेशनों के बीच 3 दिसम्बर को 5.40 बजे कुर्ला से हावड़ा जाने वाली 8029 डाउन कुर्ला-हावड़ा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई।

गाड़ी का इंजन और इसके साथ लगे 11 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए जिनमें से 5 उलट गए। पहली नजर में, दुर्घटना का कारण पटरी की वेल्डिंग में खराबी आ जाना प्रतीत होता है। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई, 8 यात्रियों को गंभीर चोटें आई और 10 यात्री मामूली तौर पर घायल हुए। कुछ और यात्री जैसे कि हमें सूचना मिली है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी संख्या तीन से अधिक नहीं है। सवारी डिब्बों के अंदर फंसे पड़े हैं।

केवल डाउन दिशा की लाइन पर बाधा आई है और अप दिशा लाइन के जरिए इकहरी लाइन यातायात के लिए खोल दी गई है।

गाड़ी की दुर्घटना के कारण मार्ग में फंसे यात्रियों को भुसावल ले जाया गया है जहां से वे अपनी आगे की यात्रा जारी रखेंगे।

भुसावल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक, मंडल के अधिकारियों के साथ तथा मुम्बई से अपर महाप्रबंधक, प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। रेल राज्य मंत्री श्री राम नाईक, सदस्य (इंजीनियरिंग) एवं सदस्य (विद्युत) रेलवे बोर्ड के साथ और महाप्रबंधक, मध्य रेलवे हवाई जहाज द्वारा दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह एक दुखद दुर्घटना है।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: इसके बारे में पहले से सूचना थी लेकिन जैसे ही सदन में आने से पहले हमें दस बजे जानकारी मिली, मैंने वहां लोगों से बातचीत की। इसके बाद तुरन्त या तो मैं जाता या राम नाईक जी जाते लेकिन आज लोक सभा में हमारे मंत्रालय का क्वश्चन्स का दिन था और कल राज्य सभा में है। इसलिए मैंने राम नाईक जी से कहा है कि आप साइट पर जाएं। वह साइट पर गए। आज सुबह मैम्बर इंजीनियरिंग, मैम्बर इलैक्ट्रिकल चूंकि इलैक्ट्रिफाइड रूट है और यह इलैक्ट्रिक लोको था जो ठिरेल हुआ है, इसलिए हमने मैम्बर इलैक्ट्रिकल को भेजा है। सब लोग वहां गए हैं। इन एक्सीडैंट्स के पीछे हर किसी का सेफ्टी कनसर्न है, इसलिए हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं।

सभापति महोदय: रेल दुर्घटनाओं पर जब बहस होगी उस समय ये सब बताया जाए।

श्री नीतीश कुमार: मेरा एक आग्रह है कि रेल एक्सीडैंट्स और सेफ्टी मैजर्स पर जो भी विषय का नाम चुनें, उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय: वह पहले से सूची में है।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन: यह दुर्घटना सुबह के समय हुई। आपने हमें इसकी जानकारी देने में इतना समय क्यों लिया है?

श्री नीतीश कुमार: मैंने सोचा मुझे पूरी सूचना देनी चाहिए। मेरे साथी, राज्य मंत्री, घटना स्थल पर गए हैं। इसलिए, मैंने सोचा कि मैं पूरी सूचना एकत्रित कर लूँगा और फिर कल स्वयं अपने वक्तव्य द्वारा उसके बारे में आपको बताऊंगा।

प्रो. पी.जे. कुरियन: जैसे ही आपको पता चला, आपको यह सूचना हमें यहाँ बैठे लोगों को देनी चाहिए थी।

श्री राजेश पायलट (दौसा): हमने रेल सुरक्षा के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सूचना दी है।

[हिन्दी]

मंत्री जी के इस सुझाव को मान लिया जाए कि इस पर डिसकशन करवाई जाए। इस चर्चा में कई सुझाव आ सकते हैं।

सभापति महोदय: बी.ए.सी. की मीटिंग में तय हुआ है कि रेल दुर्घटनाओं और उनकी सुरक्षा संबंधी विषय पर बहस होगी।

श्री बसुदेव आचार्य: उसको प्रॉयरिटी नहीं दी गई है और न ही यह बताया गया है कि वह कब होगी?

श्री मदन लाल खुराना: हमें इस पर कोई आबजैक्शन नहीं है। अगर आप इसे पहले कराना चाहते हैं तो करिए। मंडे को माइनोरिटीज पर डिस्कशन है।

श्री बसुदेव आचार्य: माइनॉरिटीज पर डिस्कशन कराने के बाद इसे ले लीजिए।

श्री मदन लाल खुराना: आप स्पीकर साहब से मिल लीजिए। जिस दिन भी इस पर डिस्कशन करवाना चाहें, करवा लीजिए।

अपराह्न 04.13 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि–*जारी*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): पिछले कुछ वर्षों के दौरान मूल्यों में वृद्धि होना, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना एक पुराना प्रपंच बन गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अपनी जन अहितकारी नीतियों के कारण मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित करने में असफल रही है। अन्ततः उन्हें न केवल गलत मूल्य नीतियों के कारण अपितु उनके द्वारा अपनायी जा रही विनाशकारी आर्थिक नीतियों के कारण सत्ता से हटा दिया गया।

1995 में मुद्रास्फीति की दर 8.86 प्रतिशत या इसके आसपास पहंच गयी थी। पिछले आठ महीनों के दौरान हमारा अनुभव यह बताता है कि मुद्रास्फीति की दर पिछले तीन वर्षों में अधिकतम है। संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान नवम्बर, 1997 में यह 3.7 प्रतिशत रही। पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ है? मुद्रास्फीति की दर दुगुनी से भी ज्यादा हो गई है। इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि स्थिति न केवल गम्भीर है अपितु चिन्ताजनक भी है और यह हम सभी के लिए राष्ट्रीय चिन्ता का विषय भी बन गई है।

महोदय, जैसा कि यह सभा देश की सर्वोच्च प्रभुतासंपन्न संस्था है इसलिए यह इसका उत्तरदायित्व है कि वह देश को ऐसी स्थिति से बचाएं और उस आर्थिक अवनति से भी बचाएं जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। इस मूल्य वृद्धि की स्थिति को अलग से नहीं देखा जा सकता है। यह केवल ऐसा मामला नहीं है कि प्याज के उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी, इससे कुछ कम या ज्यादा के कारण प्याज की कीमतें 800 प्रतिशत बढ़ गई है। मुझे बताया गया था कि एक बार तो आगरा में 100 रुपये प्रति किलो प्याज बिकी थी। यह एक ऐश्वर्य की वस्तु बन गई है। दुबई और अन्य स्थानों में दीपावली पर भारतीय मूल के लोगों ने अपने मित्रों और संबंधियों को अन्य वस्तुओं के साथ प्याज भी उपहार में दी थी। वास्तव में सरकार न केवल मूल्य को स्थिर रखने अपितु आर्थिक नीति के व्यापक प्रबंधन में भी बुरी तरह असफल रही है।

सरकार ने शासन चलाने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय एजेन्डे में मूल्यों को स्थिर बनाए रखने का वादा किया था। परन्तु मूल्य वृद्धि में उनकी भी भूमिका रही। मैं जोर देकर कहता हूं कि इसमें उनका योगदान रहा। ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें चेताया न गया हो। इसी सभा में जुलाई में बजट को प्रस्तुत किये जाने के तुरन्त बाद हमने कहा था कि यह मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला है। यह बात सही है कि उत्पाद शुल्क और कई अन्य वस्तुओं और विशेष अतिरिक्त शुल्क को कम किया गया था। परन्तु व्यापारी तो व्यापारी ही होते हैं। वे दो बातें समझते हैं। एक बात तो यह है कि उन्हें एक मित्रवत् सरकार मिली हुई है। वे इस समय व्याप्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों की शक्ति को कम कर रहे हैं और उन्हें अपनी मर्जी से लूटने की अनुमति दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। सरकार ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली की अवहेलना की, वह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। संयुक्त मोर्चा सरकार ने देश में यह कर दिखाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आम तौर पर और आधे मूल्य पर बेहतर और समयबद्ध आपूर्ति के द्वारा मूल्यों को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभायी जा सकती है

यह प्याज, आलू या टमाटर का मामला नहीं है। प्याज के मामले में हो सकता है उत्पादन में कमी हुई थी। परन्तु जो प्याज बाजार में आ रही है वह पिछले वर्ष उत्पादित हुई थी।

दालों के भी मूल्य बढ़ गए हैं। आप इसके लिए क्या तर्क देंगे? दालों का उत्पादन बढ़ गया है। आलू का उत्पादन बढ़ गया है। लोग स्वयं इस बात को देख सकते हैं कि यह केन्द्र में सत्ताधारी दल और बेईमान व्यापारियों के बीच सांठ-गाँठ का मामला था।

सरकार के बारे में भी उल्लेख किया गया है और यह कि किस प्रकार उस समय उन्होंने 10.75 रुपये मूल्य पर प्याज के आयात का निर्णय किया था और मुख्यमंत्री के बदलते ही आयात

[श्री रूपचन्द पाल]

मूल्य 30 रुपये तक चला गया था। चुनावों की घोषणा होने तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया। केवल जब चुनाव सिर पर थे तब उन्होंने विलम्ब से जल्दबाजी में अपर्याप्त उपाय किए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): वो उपाय क्या थे? क्या वो मुख्यमंत्री को बदलना था?

श्री रूपचन्द पाल: हाँ। उन्हें यथोचित दण्ड मिला न केवल भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित प्रदेशों में अपितु मध्य प्रदेश में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वहां पर सत्ता-विरोधी भावनाएं भी काम नहीं कर रही थी। सभी जगह भाजपा का विरोध किया जा रहा था। तृणमूल कांग्रेस के मेरे माननीय मित्र अभी झुंझलाते हुए कह रहे थे कि मेरे राज्य में क्या हुआ। अभी हाल ही में हमारे राज्य में विधान सभा की तीन सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था। इनमें से एक सीट तृणमूल कांग्रेस के अभ्यर्थी के पास थी जिस पर भारी मतों से विजयी हुए थे ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंधोपाध्याय: पश्चिम बंगाल में चुनाव कभी भी शांतिपूर्वक नहीं हुए हैं। हमेशा बूथों पर कब्जा होता रहा है ...*(व्यवधान)* आम चुनावों में हम दिखा देंगे कि तृणमूल कांग्रेस क्या कर सकती है। उपचुनावों में हेराफेरी हुई है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मैंने उन्हें बाधा नहीं पहुंचाई।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: शांति। आपने पहले मौका ले लिया। अब बैठे हुए डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय: उनके दल के सदस्यों ने भी मुझे बाधा पहुंचाई थी। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल: हावड़ा निगम चुनावों में, जोकि कलकत्ता निगम के बाद सबसे बड़ा निगमों में से एक है, उन्हें 56 सीटें मिली थी। पिछले सप्ताह हुए चुनावों में उन्हें कितनी सीटें मिली है? यह दो पर आ गए है। वाम मोर्चे को समर्थन संख्या और मतों के प्रतिशत दोनों में बढ़ गया है।

दिल्ली और राजस्थान के ही नहीं अपितु पूरे देश के लोगों का भ्रम टूट गया है। वे महसूस करते हैं यह सरकार राज करने में असमर्थ है। वे महसूस करते हैं यह सरकार अक्षम है। वे योग्यता और स्थिरता की बातें करते हैं। शासन करने के मामले में वह पूरी तरह अयोग्य हैं। यह केवल मूल्य वृद्धि का सामान्य मामला है। यह शासनहीनता और कुशासन है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दण्डित किया गया। जैसाकि पहले भी कहा जा चुका है उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

भूतपूर्व वित्त मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं मुद्रास्फीति पर बोलूंगा। मैं इसे अति-मुद्रास्फीति कहूँगा क्योंकि पूरी दुनिया में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम हैं। आप हर जगह पायेंगे कि मूल्य कम हो रहे हैं परन्तु भारत में मूल्य वृद्धि हो रही है। अधिकांश सूचकांक बढ़ रहे हैं। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा पांचवें वेतन आयोग के कारण हुई मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण हो रहा है। यह बात ठीक है कि मुद्रा आपूर्ति का इससे कुछ सम्बन्ध हो सकता है। सरकार द्वारा गैर-जिम्मेदाराना ढंग से ऋण लेने से इसका कुछ सम्बन्ध हो सकता है। अनावश्यक व्यय में कमी लाने में असफलता की भी इसमें भूमिका रही है। सबसे ज्यादा जिस बात का प्रभाव पड़ा वह सत्ताधारी गठजोड़ विशेषकर भाजपा और बेईमान जमाखोरों के बीच का अनिष्टकारी गठबंधन है। प्रधानमंत्री ने कहा 'आसमानी और सुलतानी' अर्थात् आसमान या प्रकृति को दोषी ठहराया जाना चाहिए। परन्तु पिछले कई वर्षों से हमारे यहां मानसून अच्छा रहा है। हमारे यहां यह औसतन 5 प्रतिशत रहा था और यह पूरे देश में चारों ओर ऐसा ही रहा था। कहीं-कहीं पर चक्रवात या बाढ़ आई है। बाढ़ या चक्रवात के मामले में पूर्व सूचना की एक प्रणाली उपलब्ध है। ऐसी बातों जैसे, किस चीज की कमी है, कमी कहाँ है, कितने निर्यात की अनुमति दी जा सकती है और किस चीज का आयात किया जाना चाहिए, इन सब बातों की निगरानी रखी गई थी। सरकार ने इनसे कन्नी काट ली क्योंकि वह जानबूझकर और योजनाबद्ध ढंग से अपने व्यापारियों को बेईमानी से व्यापार चलाने देना चाहती थी।

महोदय, प्राथमिक वस्तुओं के मामले में सूचकांक 18.24 रहा। हम पाते हैं कि खाद्यान्न सूचकांक 13 से ज्यादा और तिलहन का 23 है। हम पाते हैं कि मुद्रास्फीति तेजी से दो अंकों की तरफ बढ़ रही है। मूल्यवृद्धि की स्थिति को अलग करके नहीं देखना चाहिए। आप अर्थव्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन के कुप्रबन्धन की ओर देखिए। कुछ समय पहले जब हम स्थायी समिति की ओर से अध्ययन हेतु दौरे के लिए मुम्बई गये थे। वहाँ पर हमें भारतीय उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिला था। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति शिकायत कर रहा था कि क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया है, कोई घरेलू बाजार नहीं है और कोई भी वस्तुओं को नहीं खरीद रहा है। निर्यात की स्थिति आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की बदहाली का संकेत दे रही है।

इसके अतिरिक्त विकास दर कम हो रही है, पूँजी प्रवाह में कमी आ रही है और पूंजी बाजार में अनिश्चितता की स्थिति व्याप्त है। मेरे विचार से इसका सट्टेबाजी और जमाखोरी से कुछ संबंध था। ऐसे व्यक्ति जिनके पास अत्यधिक धन था परन्तु अनिश्चित पूंजी बाजार में अपना धन नहीं लगाना चाहते थे उन्होंने खाद्य वस्तुओं की सट्टेबाजी को प्राथमिकता दी। उन्हें इस सरकार द्वारा संरक्षण दिया गया। हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। विश्व आर्थिक मंच में भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो रही है। आप पाएंगे कि देश 1991 के जैसे भुगतान संतुलन के संकट की ओर बढ़ रहा है।

महोदय शायद 27 नवम्बर या इसके आस-पास कभी मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री ने यह बैठक बुलायी थी। उस बैठक में कई निर्णय लिए गए थे। परन्तु मुझे शक है कि शायद ही उनमें से किसी निर्णय को कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने इसी दिशा में कहा था कि आप प्याज के निर्यात को रोकिए। परन्तु उसे रोका नहीं गया। ऐसा केवल प्याज का ही मामला नहीं रहा। हमने कई बार कहा था कि खाद्य वस्तुओं के संबंध में बिना आगे सोचे दी जाने वाली निर्यात सुविधाओं के कारण हमारे देश में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित होंगी। परन्तु हमारी बात किसी ने भी नहीं सुनी। मुख्यमंत्रियों की बैठक में, यह निर्णय किया गया था कि मंत्रिमंडलीय समिति और निगरानी कक्ष का गठन किया जाएगा। यह भी निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की सहायता से राष्ट्रीय पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना की जाएगी। आज लगभग सप्ताह भर हो गया है। क्या इस संबंध में कोई प्रगति की गई है? क्या कार्यान्वयन प्रणाली के बारे में कुछ किया गया है।

महोदय, जब आवश्यक वस्तु अधिनियम की शक्ति कम की जा रही थी उस समय हमने जोरदार दलील दी थी कि आप जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अब इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया है। हमें समाचारपत्रों से पता चला है कि समिति ने हाल ही में कार्य करना आरम्भ किया है। मेरी गम्भीर चिन्ता यह है कि वे शीतकालीन सत्र के समाप्त होने के पहले कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

बंगाल के अकाल के बाद, जिसमें लगभग 50 लाख लोग मर गए थे, पंडित नेहरू ने कहा था कि कालाबाजारियों और जमाखोरों को पास के खंभों से लटका दिया जाना चाहिए। हमारी आजादी के विभिन्न वर्षों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। परन्तु उन्होंने क्या किया? उन्हें लटकाने और सजा देने की बात तो दूर उन्होंने जमाखोरों का साथ दिया और उसके परिणामस्वरूप आम आदमी को मुसीबतें झेलनी पड़ी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रति माह 20 किलो अनाज देने का फैसला किया। वह किया जाना चाहिए। हम रोजमर्रा की खपत की 14 चीजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इन्हें पर्याप्त संख्या में आपूर्ति करने के साथ ही साथ राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त निगरानी प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जाए। ये सुझाव मिले है और कई स्वीकार भी कर लिए गए हैं। परन्तु यह सरकार उनके बारे में जरा भी गंभीर नहीं लगती। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि 27 नवम्बर को हुई उस विशेष बैठक में किए वायदे की पूर्ति के लिए किए गए उपाय क्या हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा): सभापति महोदय, जो बहस मेरे अच्छे मित्रों, श्री राजेश पायलट और श्रीमती गीता मुखर्जी ने शुरू की थी उसमें अब तक सरकार के आपूर्ति पहलू के प्रबंधन को उजागर किया गया है। अब यह कमोवेश स्पष्ट हो गया है, यद्यपि सत्ता पक्ष के लोग सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना नहीं करेंगे कि प्रबन्धन अक्षम है, अपर्याप्त है और जैसा कि मेरे विद्वान मित्र श्री रूपचंद पाल ने अभी अभी कहा है कि कई मामलों में संभवत: व्यापारियों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों के साथ भी मिलीभगत है।

प्याज सरकार के कुशासन का द्योतक या प्रतीक बनकर रह गया है। अगर आप इस बात का आनन्द लेना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता का ध्यान प्याज पर केन्द्रित करने में सफल रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर इस बार प्याज है तो अगली बार कुछ और होगा। यदि यह प्रबन्धन का केवल आपूर्ति पक्ष ही होता तो भी प्याज के मूल्य में 1000 प्रतिशत की वृद्धि नहीं होती। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्याज की फसल खराब हो गई और ऐसा आखिरी बार भी नहीं होगा। यह पहली बार नहीं है कि आलू की फसल खराब हुई है और न ही यह आखिरी बार होगा। परन्तु अगर आप इस बहस को प्याज और आलू पर होने वाली बहस के रूप में ही देखते हैं तो मुझे आशंका है कि यह सरकार इस देश को और अधिक आर्थिक पतन की ओर ले जाएगी।

मैं इस बहस को दूसरी तरफ लगाना चाहता हूँ और तब की बात करना चाहता हूँ जब बजट पेश किया गया था। हमने क्या कहा था? एक तरह से तो मैं खुश हूँ कि प्रधान मंत्री यहां उपस्थित नहीं है, वित्त मंत्री यहां उपस्थित नहीं है जिससे कम से कम प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री के डर के बिना सदस्य गण अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ आप उस पर आत्म निरीक्षण कर सकते हैं और कम से कम अपने पार्टी

[श्री पी. चिदम्बरम]

मंच में आप प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री से यह पूछ सकते हैं कि क्या श्री चिदम्बरम की बात का उनके लिए कोई अभिप्राय है।

आज, बाजार पूरी तरह एकीकृत हो गया है। खुलेपन, दुनिया के सिमटने, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ हमारे समेकित होने, काफी अड़चनें दूर होने से बाजार एकीकृत हो गया है। बाजारों के एकीकृत होने के बाद ठोस वित्तीय नीति और ठोस आर्थिक नीति के अनुरूप ही मूल्य निर्धारित होते हैं। जब बजट पेश किया गया था तो मैंने अपने भाषण में कहा था, इस बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। यह बजट मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। श्री रूपचंद पाल ने भी वही बात कही है। कई अन्य लोगों ने वही कहा है। परन्तु वित्त मंत्री सुनने को तैयार ही नहीं थे। प्रधानमंत्री ने इस मामले में इस स्थिति के बारे में हमारे मूल्यांकन की बजाय अपने वित्त मंत्री के फैसले पर भरोसा किया।

इस विषय पर बोलने के लिए मेरी विश्वसनीयता का प्रमाण क्या है? संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1997-98 का इकोनोमिक सर्वे प्रकाशित नहीं किया था। यह भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने प्रकाशित किया। इकोनोमिक सर्वे के अध्याय 5 के पृष्ठ 66 में यही कहा गया है।

"वर्ष 1997-98 में संपूर्ण मूल्य स्थिरता दर्शाई गई है।"

यह अपने आपको श्रेय देने जैसी कोई बात नहीं है। यह श्रेय आपने पिछली सरकार को दिया है। मैं फिर उद्धृत करता हूँ:

> "कीमतों के समग्र मोर्चे पर स्थिरता बने रहना वर्ष 1997-98 की खासियत रही है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर ने अगस्त, 1997 में ग्यारह वर्ष के न्यूनतम स्तर 3.4 प्रतिशत को छू लिया। यह गिरावट पैट्रोलियम उत्पादों और बिजली की नियंत्रित कीमतों में वृद्धि के बावजूद आई। वर्ष का अन्त आते-आते प्राथमिक उत्पादों के समूहों में कुछ बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दिखाई दी जिससे वार्षिक मुद्रास्फीति की दर मध्य जनवरी, 1998 तक 6 प्रतिशत के स्तर पर जा पहुंची। यह उर्ध्वगामी प्रवृत्ति वस्तुत: मन्द ही थी और मार्च, 1998 के अन्त तक कीमतों में पुन: कुछ गिरावट दिखाई दी।"

अपराह्न 4.36 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन्हीं प्रमाणों के साथ हमने कहा कि आपका बजट मुद्रास्फीति लाने वाला है; आपका बजट संरक्षणवादी है; और आपका वित्तीय उपायों से नियंत्रण हट गया लगता है। पिछली बार जब वित्त विधेयक पारित हुआ था तो मैंने बीच में बोलते हुए वित्त मंत्री को सावधान भी किया था कि ऐसा लगता है कि उन्होंने न केवल वित्तीय उपायों पर से अपना नियंत्रण खो दिया है बल्कि ऐसा भी लगता है कि मौद्रिक उपायों पर भी नियंत्रण खो बैठे हैं। उन्होंने इस आरोप का जोरदार खंडन किया था। आज, वह सब सच हो गया है। हमने यह क्यों कहा था कि यह बजट मुद्रास्फीति लाने वाला है? सबसे पहले वित्त मंत्री जी आपका वित्तीय घाटा बहुत अधिक 91,000 करोड़ रुपये पाया गया था। किसी वित्त मंत्री को इतने अधिक वित्तीय घाटे से बजट शुरू नहीं करना चाहिए। वर्ष के अंत में वे एक या दो दशमलव बिन्दुओं तक आगे पीछे हो सकता है। परन्तु बजट को 91,000 करोड़ रुपये के घाटे के साथ शुरू करना यह संकेत देता है कि इस सरकार को वित्तीय नियंत्रण में कोई रुचि नहीं है। आपने उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में 9000 करोड़ रुपये का कर लगाया है। हमने आपको सावधान किया था कि अगर 9000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लगाते हैं तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आपने रेलवे की कुछ दरों में भी संशोधन किया है। संभवत: वह अपरिहार्य था। इन सबके साथ हमने कहा था कि आपका बजट मुद्रास्फीति वाला था और वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। जरा रिकार्ड देखिए। सरकार ने बचाव में कहा कि मुद्रास्फीति छह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बात भी रिकार्ड में है। असंख्यों साक्षात्कारों, असंख्यों वक्तव्यों में वित्त मंत्री ने कहा कि वे मुद्रास्फीति को छह प्रतिशत से अधिक नहीं होने देंगे। उन्होंने हमारा उस समय मजाक उड़ाया था जब हमने कहा था कि मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। अब मुद्रास्फीति साढ़े आठ प्रतिशत से अधिक हो गई है। यह आंकड़ा तीन सप्ताह पुराना है। यह बताया जा रहा आकड़ा केवल तीन सप्ताह पुराने आंकड़े हैं। और मेरा विश्वास करो अगर आप वित्तीय और मौद्रिक पद से पर्याप्त कदम नहीं उठाएंगे तो इस वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति नौ प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। यह थोक मूल्य सूचकांक है। खुदरा स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिल्ली में पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो गया है। आपको केवल प्याज ने ही नहीं गिराया। प्याज तो केवल एक प्रतीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि ने आपकी सरकार गिराई है। न तो मुख्य मंत्री बदलने और न भगवद्गीता की शपथ लेने से आपकी सरकार बच सकी। जनता ने तो अपने पेट की आग देखकर वोट दिया। लोगों ने यह देखकर वोट दिया कि सरकार कहाँ तक उनकी चिन्ता करती है कहां तक उनकी समस्याओं का ध्यान रखती है। आपकी सरकार एक बड़ी निष्ठुर, लापरवाह, उदासीन और अक्षम सरकार साबित हुई है। इसीलिए आप तीन राज्यों में हारे।

पहले मैं बाजारों के एकीकरण के बारे में बोला था। इकोनोमिक सर्वे कहता है:

"सुधारों की वजह से वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों के बीच बढ़ते हुए एकीकरण से मुद्रा और ऋण नीति का संचालन वित्तीय प्रणाली के सक्षम कामकाज के लिए अति महत्वपूर्ण हो चुका है। भारत में मुद्रा नीति का मूल्यांकन मुद्रापूर्ति, ब्याज दर, विनिमय दर, ऋण प्राप्ति और मूल्यों के बीच अंतर्संबंधों पर आधारित एक एकीकृत ढांचे में होना चाहिए। उत्पादन और मूल्यों में परिवर्तन से समय समय पर व्यापक विभिन्नताएं देखने को मिली है।"

"अध्ययनों से पता चलता है कि मुद्रास्फीति में तीव्रता आमतौर पर मौद्रिक विस्तार में आई तेजी के साथ-साथ आई है।"

मैं इसे दोहराता हूँ कि

"अध्ययनों से पता चलता है कि मुद्रास्फीति में तीव्रता आमतौर पर मौद्रिक विस्तार में आई तेजी के साथ-साथ आई है।"

अब जहां तक आर्थिक नियंत्रणों का संबंध है इस सरकार के आंकड़े क्या दर्शाते हैं। 1995-96 में, कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष में, डा. मनमोहन सिंह ने धन की आपूर्ति कुछ अधिक तेजी से संकुचित कर दी थी। ऐसा करने के पीछे उन्होंने काफी अच्छे तर्क दिए। परन्तु ऐसा करने के कारण बाद में उनकी आलोचना की गई। चाहे जो भी हो, यह व्यापक रूप से स्वीकार्य है कि व्यापक मूल्य वृद्धि 15 या 15.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1996-97 में हमने एम-3 वृद्धि दर लगभग 16 के आंकड़े पर कायम रखी थी एम-3 वृद्धि दर लगभग 17 तक पहुँच गई। इसका कारण यह था कि देश की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में निवल वृद्धि हुई थी।

जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 17 बिलियन डालर थी। जब हमने सत्ता छोड़ी तो यह भण्डार 26 बिलियन डालर था। फिर भी हमें इस बात की चिन्ता थी कि एम-3 की वृद्धि दर 16 और 17 के बीच झूल रही थी। हमने इसे 15 या 15.5 तक लाने की पूरी कोशिश की। हमें इसमें आंशिक सफलता मिली और एम-3 की वृद्धि दर 16 और 17 के बीच रही। केवल अंतिम दो सप्ताह छोड़कर मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री, जब वे उत्तर देंगे, मेरी बात को ठीक करेंगे कि एम-3 की वृद्धि दर इस वर्ष 20 के आसपास चल रही है। अगर व्यापक धन आपूर्ति 20 की दर से बढ़ रही है तो आप मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित करेंगे? मैंने पिछले सत्र में वित्त मंत्री को इसी बात से सावधान किया था। मैंने कहा था: ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मौद्रिक उपायों पर से नियंत्रण खो दिया है; कृपया मौद्रिक उपायों पर अपना नियंत्रण पुन: बनाए।" मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच आपस में क्या तालमेल है। परन्तु अगर एम-3 की वृद्धि दर 20 है तो ऐसा लगता है कि यह पिछले दो सप्ताहों में एक-दो अंकों तक सरक गई है। मेरे पास अद्यतन आंकड़े नहीं हैं-मुद्रास्फीति होना निश्चित है।

जब आप कहते हैं कि वित्तीय घाटा 91,000 करोड़ रुपये है तो आप वास्तव में यह जानकारी देते हैं कि आपका वित्तीय उपायों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब आपने एम-3 की वृद्धि दर 20 तक जाने दी तो आपने एक और संकेत दिया कि आपका मौद्रिक उपायों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके साथ ही सरकार की कुछ नीति भी ऐसी ही है। हजारों बार इस सरकार ने कहा है: "हमारा मानना है कि अधिक खर्च करके ही इस अर्थव्यवस्था को आगे धकेला जा सकता है।" डा. मनमोहन सिंह और मैंने लगातार सरकार को सावधान किया है कि आप और अधिक मुद्रास्फीति से विकास नहीं खरीद सकते। परन्तु इस सरकार से मिलने वाले संकेत यही हैं कि अगर थोड़ी सी मुद्रास्फीति हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता और हम विकास को मुद्रास्फीति द्वारा खरीद लें। अब आपको क्या मिला? आपके सामने मुद्रास्फीति है पर विकास नहीं। विनिर्माणकारी क्षेत्र में आपका विकास कहां है? अगर आप मुद्रास्फीति के माध्यम से विकास वृद्धि ला सकते तो आपको, कम से कम इस विकास के लिए बधाई दी जा सकती है चाहे बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के लिए आलोचना भी की जाएगी। आज आपके सामने केवल मुद्रास्फीति है विकास नहीं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम वही है जिसकी श्री राजेश पायलट ने बात की थी। आपके सामने मुद्रास्फीति होगी और विकास में गिरावट आएगी अर्थात अनुत्पादन स्फीति काल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मैं सरकार से फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि इससे सीख ले।

महोदय यह दुबई से कुछ और टन प्याज या और अन्य जगहों से आलू मंगवाने का मामला नहीं है। परन्तु आपने इस देश के लोगों का अपमान कैसे किया? कृषि भवन में या ऐसे ही किसी एक भवन में आप कुछ टन प्याज लाते हैं लगभग 10000 सरकारी कर्मचारियों को बेच देते हैं और उसके बाद आपने कह दिया कि आपने प्याज की समस्या हल कर दी। यह इस देश के लोगों का कितना अपमान है। क्या देश के लोगों को प्याज खरीदने के लिए कृषि भवन आना पड़ेगा और क्या दिल्ली के 10000 सरकारी कर्मचारी ही इस देश की जनता है? जिन लोगों को आगरा, चेन्नई और मुंबई में प्याज खरीदने पड़ते हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? आपने इस मुद्दे को तुच्छ बना दिया है। यह मुद्दा कोई तुच्छ मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा समग्र अर्थव्यवस्था की स्थिरता का है। यह मुद्दा मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर रहा है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

मैंने आपसे उस समय भी अनुरोध किया था और मैं अब भी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी कार्यसूची में मुद्रास्फीति नियंत्रण की मद को सबसे ऊपर रखिए। आपने इसे पीछे कर दिया है। आपने कहा है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थव्यवस्था को चलाना महत्वपूर्ण है और आपने वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण करना छोड़ दिया है और आपने मुद्रा संबंधी संसाधनों को नियंत्रित करना भी छोड़ दिया है।

मेरे सम्माननीय मित्र, श्री शर्मा ने आँकड़े पढ़े थे। जो आँकड़े उन्होंने पढ़े हैं, वह उनके बारे में बिल्कुल सही है। आँकड़े मेरे पास भी उपलब्ध है। लेकिन इससे पहले कि आप कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाएँ कृपया भूतपूर्व सरकार से मिली वर्ष 1991 की अर्थव्यवस्था को याद कीजिए। वर्ष 1990-91 में सरकार में कौन था? उसमें न तो डा. मनमोहन सिंह थे और न ही मैं था। आप जानते हैं कि उस समय सरकार में कौन था और वर्ष 1990-91 में यह कार्य-भार किसके पास था। मैं नाम नहीं लेना चाहता।

वर्ष 1990-91 में भारत में सबसे बुरी वित्तीय स्थिति थी। वित्तीय घाटा आठ प्रतिशत से भी अधिक हो गया था और चालू खाता घाटा 3.2 प्रतिशत था। डा. मनमोहन सिंह के द्वारा काफी प्रयत्न किए जाने के बाद, मुझ पर विश्वास कीजिए कि भारत की अनेक पीढ़ियाँ अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव लाने के लिए डा. मनमोहन सिंह की तहेदिल से आभारी रहेंगी। आप कितनी भी आलोचना क्यों न करें, उन्होंने पहले तीन वर्षों में जो शानदार काम किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। डा. मनमोहन सिंह के इतने अथक प्रयास के बाद अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आया। भारी मुद्रास्फीति के तीन वर्ष बाद, वर्ष 1994-95 तक औसत मुद्रा-स्फीति 10 प्रतिशत थी। श्री शर्मा ने वह आँकड़े नहीं पढ़े जबकि उन्होंने कहा था कि उनके पास वह आँकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 1995-96 में औसत मुद्रास्फीति की दर घटकर 7.7 प्रतिशत तक आ गई। संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रथम वर्ष में अर्थात् वर्ष 1996-97 में औसत मुद्रास्फीति की दर घटकर 6.4 प्रतिशत तक आ गई थी। संयुक्त मोर्चा सरकार के द्वितीय वर्ष में अर्थात् वर्ष 1997-98 में औसत मुद्रास्फीति की दर घटकर 4.8 प्रतिशत तक आ गई थी।

जब इसने एक बार औसत मुद्रास्फीति का रुख नीचे की ओर ला दिया तो क्या उस प्रवृत्ति को बनाए रखना नई सरकार का कर्त्तव्य नहीं था? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि देश की जो स्थिति है उसके लिए केवल आप ही जिम्मेवार है। लेकिन छः वर्ष बाद जब हम भारत की मुद्रास्फीति का रुख नीचे की ओर रखते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ अपनी आत्माओं से पूछो-अपने दिलों से पूछें-कि क्या भारत में मुद्रास्फीति की दर में कमी की प्रवृत्ति को बनाए रखना और मुद्रास्फीति की दर को बढ़ने न देना, क्या आपका कर्त्तव्य नहीं था।

गलत नीतियों, गलत वक्तव्यों, गलत घोषणाओं द्वारा, सुरक्षात्मक रवैये द्वारा पिछली सरकारों की आलोचना करने की कोशिश में आप अपना प्रथम कर्त्तव्य भूल गए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आपका प्रथम कर्त्तव्य था। आप उस कर्त्तव्य को पूरा करने में असफल रहे हैं। अतः हम आप पर भारत के लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात करने और उन्हें कठिनाई में डालने और उन्हें निर्धन बनाने का आरोप लगाते हैं।

आगे और कठिनाईयाँ हैं। मैं जल्दी से एक अथवा दो मिनट में उनका उल्लेख करूँगा। पहला, चालू खाता घाटा एक बार फिर तीन प्रतिशत से आगे जा रहा है। हमारे पास चालू खाता घाटे के आँकड़े हैं। चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है। वर्ष 1990-91 सबसे बुरा वर्ष में यह घाटा 3.2 प्रतिशत था। तत्पश्चात् डा. मनमोहन सिंह के वर्ष आरम्भ हुए, उनकी कार्यवाही में यह घाटा 0.4 प्रतिशत, 1.8 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत तथा 1.8 प्रतिशत रहा। यह दर दो प्रतिशत से ऊपर नहीं गयी। संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल में यह दर 1 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत थी। इस वर्ष, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए यह दर शायद तीन प्रतिशत तक जाएगी अथवा हो सकता है यह तीन प्रतिशत से भी ऊपर चली जाए? अब, यदि चालू खाता घाटा तीन प्रतिशत को छू जाए अथवा तीन प्रतिशत से ऊपर चला जाए तो क्या होगा? आपकी विनिमय दर दबाव में आ जाएगी। जब विनिमय दर दबाव में आ जाती हैं, जब रुपए का मूल्य और कम हो जाता है जैसाकि पिछले आठ महीनों में रुपए का मूल्य कम हुआ है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी क्योंकि हम आयात पर निर्भर करते हैं। जैसे ही रुपए के मूल्य में कमी आती है। मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। जैसे ही रुपये का मूल्य और घटता है, तो मुद्रास्फीति की दर और बढ़ेगी। आप चालू खाते में घाटे के संबंध में क्या कर रहे हैं? इससे भी एक बड़ी समस्या है। आप वर्ष 1990-91 की तरह भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करने जा रहे हैं। भुगतान संतुलन एक बार फिर दबाव में आ रहा है। कुल भुगतान संतुलन घाटे का अनुमान 22 बिलियन डॉलर लगाया गया है। यदि पता न भी चले तब भी इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह 10 बिलियन डालर के घाटे को पूरा किया गया है, आप शेष 12 बिलियन डॉलर को कैसे पूरा करेंगे?

वास्तव में एफ.डी.आई. कम हो गया है। पिछले वर्ष एफ.डी.आई. सबसे अधिक था। यह 3.2 बिलियन डालर था। आप इस वर्ष 3.2 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जायेंगे। यदि आप 2.2 बिलियन डॉलर से ऊपर चले जायें तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे।

अत: आप यह घाटा कहाँ से पूरा करेंगे? क्या आप आरक्षित मुद्रा भंडार कम करने जा रहे हैं? संयुक्त मोर्चा सरकार ने 9 बिलियन डालर मुद्रा भंडार में जोड़े हैं। कांग्रेस सरकार ने पांच वर्ष में 1 बिलियन डॉलर से लेकर 17 बिलियन डॉलर तक आरक्षित मुद्रा भंडार में कुल 16 बिलियन डॉलर जोड़े। हमने 17 बिलियन डॉलर से 26 बिलियन डॉलर तक जोड़े। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जोड़ेंगे। मैं केवल यह प्रश्न पूछ रहा हूँ।

वह क्या आशा करते हैं कि आरक्षित मुद्रा भंडार वर्ष के अंत तक कितने हो जायेंगे।

मेरे पास कुछ सार्थक प्रश्न हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी समय चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अथवा प्रधान मंत्री इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। वह क्या आशा करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक चालू खाता घाटा कितना होगा? वह क्या आशा करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक कितना व्यापार घाटा होगा? वह क्या उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक भुगतान संतुलन घाटा कितना होगा? वह इस घाटे को कैसे पूरा करेंगे? क्या वह आरक्षित मुद्रा भंडार को कम करना चाहते हैं?

यदि ऐसा होता है और विनिमय दर दबाव में आती है तो मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। उनकी कर नीति, उनकी वित्तीय नीति और उनकी मुद्रा संबंधी नीति, इन सभी के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वह यह न सोचें कि यह समस्या प्याज का आयात करके अथवा आलू के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अथवा टमाटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर दूर की जा सकती है। यह प्याज आलू और टमाटर की समस्या नहीं है। यह साधारणत: एक गंभीर समस्या के संकेत हैं। जो मुख्य समस्या है वह है वित्तीय प्रबंध, मुद्रा संबंधी प्रबंध तथा उपयुक्त कर नीति।

महोदय, मुझे डर है कि यह सरकार इन सभी चीजों में असफल रही है। जब तक कि वह वित्तीय नीतियों तथा मुद्रा संबंधी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन नहीं करते, तब तक मुझे डर है कि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकेंगे।

मुद्रास्फीति से भी बुरी हैं मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीदें। मुद्रास्फीति बुरी है लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद उससे भी बुरी है। जब लोग यह सोच लेते हैं और लोग यह उम्मीद करना आरम्भ कर देते हैं कि मूल्य बढ़ेंगे और फिर मूल्य बढ़ते हैं। जब लोग यह सोचना आरम्भ कर देते हैं कि कल आज से भी बुरा होगा, वह भंडार भरना, अथवा जमा करना अथवा कुछ अधिक खरीदना आरम्भ कर देते हैं। लोग अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं। मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीदें और भी बुरी हैं।

वर्ष 1995-96 और वर्ष 1997-98 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति के भाग के सफल प्रबंध का संबंध मुद्रास्फीति नियंत्रित करने से नहीं था। लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद को समाप्त करने से था। हम इस उम्मीद को काफी हद तक समाप्त करने में सफल हुए हैं। हम औसतन मुद्रास्फीति की दर को 4.8 प्रतिशत तक नीचे लाए। वर्ष के अन्त तक हम मुद्रास्फीति की दर को 4 प्रतिशत तक नीचे लाए। आज उन्होंने लोगों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है क्योंकि वह मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीदों को समाप्त कर रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली): इस तथ्य के बावजूद कि वह यह दावा कर रहे हैं कि वह मुद्रास्फीति की घटती हुई प्रवृत्ति को बनाए रख सकते थे यह वास्तविकता है कि वह रुपए के मूल्यह्रास की गिरती हुई प्रवृत्ति को नहीं बनाए रख सके।

श्री पी. चिदम्बरम: श्री शर्मा एक बार फिर गलत कह रहे हैं। मैं मूल्यह्रास के मुद्दे पर आ रहा हूँ।

भारतीय रुपए का मूल्य कई महीनों तक स्थिर बना रहा था। भारत की औसत मुद्रा-स्फीति हमारे व्यापार के क्षेत्र में हमारे सहयोगी देशों की मुद्रास्फीति से अधिक है। यदि आपकी मुद्रास्फीति 5 अथवा 6 प्रतिशत है और व्यापार के क्षेत्र में आपके सहयोगी की मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत है, जो कि यूरोप अथवा अमरीका में है तो भारतीय रुपए की कीमत तीन प्रतिशत से साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष गिर जाएगी। जब तक कि आप मुद्रास्फीति को पुन: नियंत्रित नहीं करेंगे, इसे नहीं रोका जा सकता, इससे नहीं बचा जा सकता। लेकिन हम आने वाले समय में दो प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर पर आने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसमें थोड़ा समय और लगेगा।

जब रुपए का मूल्य 37 : 37 के स्थिर स्तर से 39 हो गया तो ऐसा दक्षिण-पूर्वी एशियाई संकट के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण हुआ था। इस बात का ध्यान रखा जाए कि दक्षिण-पूर्वी एशियाई संकट के बावजूद भारत के रुपए का मूल्य 39 रुपए पर स्थिर रहा। इसके अनेक कारण हैं। हमारे रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है। हम अल्पकालिक ऋणों की अनुमति नहीं देते हैं और वित्त मंत्री द्वारा भी इन सब बातों को माना गया है।

मैं इतना कहने के लिए उनका आभारी हूं जब उन्होंने परसों विश्व आर्थिक मंच में तथा जब उन्होंने न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज में सम्बोधित किया था। उन्होंने संयुक्त मोर्चा तथा कांग्रेस दोनों पिछली सरकारों द्वारा रुपए की कीमत को उपयुक्त कम से स्थिर रखने में निभाई गई भूमिका को स्वीकार किया। मैं रुपए का मूल्य 39 से 42 तक गिरने के लिए आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

[श्री पी. चिदम्बरम]

मैंने अपने पूरे भाषण के दौरान, इसके लिए उन पर आरोप नहीं लगाया। शायद यह फिर दक्षिण-पूर्वी एशियाई संकट का अतिरिक्त प्रभाव है। अत: कुछ विनिमय दर मूल्य ह्रास से बचा नहीं जा सकता था, यह अपरिहार्य था।

मेरे विचार में, दक्षिण पूर्वी एशिया के अप्रत्याशित संकट के समय में भी डा. रंगराजन और डा. विमल जालान दोनों की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए के विनिमय मूल्य को ठीक रखा।

मैं जो बात अब कह रहा हूँ वह यह है कि यदि आपके आरक्षित मुद्रा भंडार कम हो जाते हैं, यदि आपका चालू खाता घाटा तीन प्रतिशत से अधिक रहता है तो विनिमय दर पर और दबाव पड़ेगा। इसका दक्षिण पूर्वी एशिया से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध नार्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से है। यदि आप अपने चालू खाते घाटे को तीन प्रतिशत तथा तीन प्रतिशत से ऊपर जाने देते हैं तो क्या आपकी विनिमय दर दबाव में आएगी अथवा नहीं? यदि आपकी विनिमय दर दबाव में है, तो क्या यह मुद्रा-स्फीति को नहीं बढ़ाएगी? यह मुद्रास्फीति को बढ़ाएगी क्योंकि सभी तरह के आयात महंगे पड़ेंगे। यदि आयात महंगे हैं तो इससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा।

इसका एक अन्य पहलू है, ब्याज दर। हम ब्याज दर को नीचे लाए हैं। पिछले वर्ष, यदि आप बजट के आँकड़े देखे तो आप देखेंगे कि हमारे पास लगभग 2500 करोड़ रुपए ब्याज दर के संबंध में बचतें थीं और संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान औसत ब्याज दर में कमी आई। ब्याज दर में फिर वृद्धि आरम्भ हो गयी। आपको क्या करना चाहिए, यह बताना मेरा काम नहीं है। आपको कुछ मामलों पर सर्वसम्मति बनानी चाहिए जिन पर कि मेरे विश्वास में सर्वसम्मति थी जैसे कि सरकार की कार्य सूची में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना सबसे पहली मद होनी चाहिए। महोदय, कोई भी काम करने वाली सरकार, कोई भी सरकार जो इस देश के निर्धनों के प्रति चिन्तित हो, कोई भी सरकार जो यह मानती है कि 30 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, कोई भी संवेदनशील सरकार, कोई भी सहृदय सरकार अपनी कार्यसूची में मुद्रास्फीति नियंत्रण को सबसे ऊपर ही रखेगी। यह सरकार ऐसा करने में असफल रही है। वह आज इसकी कीमत चुका रहे हैं।

मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह मुद्रास्फीति नियंत्रण को अपने एजेंडा में सबसे ऊपर स्थान दें। एक बार आप मुद्रास्फीति नियंत्रण को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर स्थान दे दें, फिर तदनुसार आप अपनी वित्तीय नीतियाँ और अपनी मुद्रा संबंधी नीतियाँ बना सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको बार-बार इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हम ऐसा केवल कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किये जाने के उद्देश्य से नहीं कह रहे हैं, अन्य लोग भी यही कह रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच में भी परसों यही कहा गया था। आई.सी.आर.ए. ने कल यही कहा था कि हम वर्ष 1990-91 के संकट की ओर वापस जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप वर्ष 1990-91 के संकट का दुबारा सामना करें। यह भ्रांति की तरह हैं, अर्थात् अधिक वित्तीय घाटा, अधिक चालू खाता घाटा, रुपए का घटता हुआ मूल्य, आरक्षित मुद्रा, आरक्षित मुद्रा भंडार में कमी इत्यादि, वर्ष 1990-91 में और क्या स्थिति थी।

मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र एक बार फिर वर्ष 1990-91 की परिस्थितियों का सामना करें। अत: कृपया अपनी नीतियों पर पुन: विचार करें।

महोदय, मैं एक बात कहते हुए मुझे अपना वक्तव्य समाप्त करने दीजिए। मैंने एक दूरदर्शन कार्यक्रम देखा जिसमें मेरे विचार में वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा श्री राजेश पायलट और श्री सोमनाथ चटर्जी के साथ बैठे हुए थे बहुत स्पष्ट हाव भाव थे और भाषा थी। श्री सोमनाथ बाबू और श्री राजेश पायलट वास्तव में वित्त मंत्री से निवेदन कर रहे थे, 'आप हमें एक बैठक अथवा चर्चा के लिए क्यों नहीं बुला लेते हैं?' भा.ज.पा. सरकार के वित्त मंत्री स्वयं यह नहीं कह सके, 'जी हां, आइए कल अथवा परसों आ जाइए। मैं आपको बुलाऊंगा।' साधारणत: ऐसा नहीं कहा गया था। मैं टेलीविजन सैट से चिपका हुआ था और देख रहा था, 'क्या वह ऐसा कहेंगे?' यहाँ विभाज्य रेखा को पार करने की कोशिश कहाँ गई? कांग्रेस पार्टी को बुलाने और उनसे बातचीत करने की कोशिश कहाँ गई? अन्य दलों को बुलाने और उनसे बातचीत करने की कोशिश कहाँ गई? आप मुख्यमंत्रियों को बुलाइए। ठीक है लेकिन विभाज्य रेखा को पार करने की कोशिश और पिछले सात अथवा आठ वर्षों में जिन्होंने इस अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है उन्हें बुलाने और उनसे बातचीत करने की कोशिश कहाँ गई? समझने की कोशिश कीजिए कि समस्या क्या है? हो सकता है हम आपको सही सलाह न दे रहे हों लेकिन कम से कम अपने निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले आप हमारी बेमजा सलाह सुन सकते हैं। श्री शर्मा जी, यह कोशिश भी नहीं की जा रही है। इस सरकार की यही असफलता है।

ऐसी सरकार जो सभी से अपने आप को अलग कर लें, जो अपने सभी खिड़की दरवाजे बन्द कर ले ऐसी सरकार जो यह सुनिश्चित नहीं करे कि आपको इस देश के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, आपको भ्रमण करना चाहिए, आपको इस देश के लोगों के साथ संवाद स्थापित करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ऐसी नाजुक स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

महोदय मैं राष्ट्र हित में सरकार से अपनी आर्थिक नीतियों और मौद्रिक नीति और आने वाले खतरों पर ध्यान देने का आग्रह करता हूँ। आने वाले समय में गम्भीर खतरों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो केवल तैयारी की पीली बत्ती जल रही है परन्तु जल्द ही यह लाल बत्ती में परिवर्तित हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। हम अपने देश से बेहद प्यार करते हैं और हम अपने देश के लोगों के बारे में चिन्तित है। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। फिर से 1990-91 की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें एक और अभूतपूर्व संकट का सामना नहीं करना है।

मैं सरकार से अपनी नीतियों को बदलने का आग्रह करता हूँ। यदि आवश्यक हुआ तो आपको अपनी असफलता स्वीकारनी होगी, आपकी अपनी दुर्बलता स्वीकारनी होगी आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने गलत निर्णय लिए हैं और तब आपको आर्थिक नीतियों और अपनी मौद्रिक नीतियों में पूरी शक्ति से परिवर्तन करना पड़ेगा। देश को विनाश के कगार से वापस लाने के लिए अभी भी समय है।

अपराह्न 5.00 बजे

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, मुझे वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं थी। फिर भी मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। जैसाकि हम जानते हैं श्री पी. चिदम्बरम मंत्री रहे हैं। जब मैं संसद भवन में अपने कमरे में बैठा था तब भी मैं सभा की गतिविधियों के बारे में सुन रहा था। जब मैंने सुना कि श्री चिदम्बरम बोल रहे हैं तो मैंने टेलिविजन सेट की आवाज बढ़ा दी और उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने लगा। जब उन्होंने यह कहा कि मैं सभा में उपस्थित नहीं हूं तो मैं सभा में आकर जो वह सभा और सरकार को मार्गदर्शन दे रहे हैं उससे लाभान्वित होने का निश्चय किया।

जैसाकि मैंने कहा सभा के समक्ष 'आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव है और श्री चिदम्बरम इस बात को भलीभाँति जानते हैं कि यह विषय मेरे सहयोगी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री के अधिकार-क्षेत्र में आता है। श्री चिदम्बरम ने वाद-विवाद की प्रकृति को बदल दिया है क्योंकि तर्क करना आरम्भ किया है-(एक माननीय सदस्य: उन्होंने विषयों को एक दूसरे से जोड़ा है—और भी ऐसी कई बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। परन्तु दूसरी सभा में विषय की प्रकृति दूसरी है और वहाँ पर मैं किसी अन्य दिन उठायी गयी उन सभी बातों का उत्तर दूंगा जिसे श्री चिदम्बरम ने यहाँ उठाया है।

यहाँ पर मेरा उद्देश्य उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देना नहीं है। परन्तु मैं उत्तर देना चाहता हूँ क्योंकि एक पूर्व वित्त मंत्री ने विचार व्यक्त किए है और न केवल विचारों से अवगत कराया है परन्तु इस ढंग से किया है जिससे देश में घबराहट पैदा होगी और यही बात मुझे चिन्तित करती है...*(व्यवधान)*

कृपया मेरी बात ध्यान से सुनें। जब पूर्व वित्त मंत्री तीन प्रतिशत चालू वित्तीय घाटे की बात करते हैं जब पूर्व वित्त मंत्री विदेशी मुद्रा भण्डारों के कम होने की बात करते हैं, जब पूर्व वित्त मंत्री वित्तीय नियंत्रण की बात करते हैं, जब पूर्व वित्त मंत्री मुद्रा संबंधी नीति में खामियों की बात करते हैं तो इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और मैं उन बातों को स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सरकार का इन बातों पर पूर्ण नियंत्रण है। इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं नहीं जानता उनको यह आँकड़े कहाँ से मिले कि इस वर्ष का चालू खाता घाटा तीन प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। वे समाचार पत्रों में छपने वाली रिपोर्टों की बात कर रहे हैं। मुझे खेद है, इस वर्ष चालू खाता घाटा 2.3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो पाएगा। इस समय मेरा यही आकलन है। मैं सभा में और बाहर कई बार कह चुका हूँ वित्तीय घाटे को 5.6 प्रतिशत से अधिक बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं कह चुका हूँ कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। परन्तु मेरे पास यहाँ आँकड़े हैं। मुद्रास्फीति कहाँ बढ़ी है?

पिछले वर्ष इसी समय श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और थोक मूल्य सूचकांक अर्थात् डब्ल्यू.पी.आई. में तीन वर्ग थे जोकि ईंधन, प्रकाश और स्नेहक निर्मित उत्पाद और प्राथमिक उत्पाद है। जैसाकि आँकड़े दर्शाते हैं, इस समय पहले वर्ग में डब्ल्यू.पी.आई. की वृद्धि दर 13 प्रतिशत थी। इस वर्ष यह एक प्रतिशत है।

जहाँ तक निर्मित वस्तुओं का संबंध है वे उनके समय वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत की थी और इस समय यह 5.7 प्रतिशत है जोकि एक प्रतिशत ज्यादा है। मुद्रास्फीति कहाँ बढ़ी है? प्राथमिक उत्पादों में मूल्य-वृद्धि हुई है और इस बात को हम भी स्वीकारते हैं। यह कृषि उत्पादों में हुई है। उन्होंने धन की आपूर्ति, एम-3 के बारे में उल्लेख किया उन्होंने वित्त नीति की बात की और कहा कि मुद्रा संबंधी नीति पर कोई नियंत्रण नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो यह उत्पादित वर्ग में परिलक्षित होती, यह पेट्रोल, प्रकाश और स्नेहकों इत्यादि में भी परिलक्षित होती। परन्तु इस वर्ष मुद्रास्फीति कहाँ बढ़ी है? इस वर्ष मुद्रास्फीति प्राथमिक उत्पादों में बढ़ी है।

हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए और जहाँ तक वित्तीय घाटे का संबंध है तो मैं केवल यही कह सकता हूँ कि यदि पिछले वर्ष श्री चिदम्बरम वित्तीय घाटे को नियंत्रित करते, यदि वो वित्तीय घाटे बजटीय लक्ष्य 4.5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होने देते,

[श्री यशवन्त सिन्हा]

यदि उन्होंने इसे 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होने दिया होता यदि घाटा 20,000 रुपये की सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ता तो हमारे सामने आज यह स्थिति नहीं आती।

कोई भी जो थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र जानता है वह यह भी जानता है कि इससे कुछ अन्तराल से एम-3 हमेशा मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। यह अन्तराल छह से आठ महीनों का होता है। इसीलिए हाल ही में, जो कुछ भी हुआ यदि उसके परिणामस्वरूप कुछ मूल्य वृद्धि होती है तो यह श्री चिदम्बरम के समय जो कुछ हुआ उसका परिणाम है।

यह सही है कि उनके मामले में भण्डारों के बढ़ जाने से मुद्रा की आपूर्ति भी बढ़ गई थी। हमारे मामले में भी कुछेक सप्ताह के लिए भण्डारों के बढ़ जाने के कारण मुद्रा की आपूर्ति 20 प्रतिशत बढ़ गई थी। हमारे पास आर.आई.बी. रसीदें हैं परन्तु वे हमारे काफी पीछे हैं। जैसाकि उन्होंने इस बारे में बोला मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि जहाँ तक एम-3 का संबंध है हमारी 1997-98 में जो स्थिति थी उससे बेहतर ही होगी।

हमें देश में घबराहट नहीं फैलानी चाहिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हमें घबराहट नहीं फैलानी चाहिए और लम्बे समय तक के लिए इसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।

इसी भावना के साथ मैंने विश्व आर्थिक मंच या न्यूयार्क में विचार व्यक्त किये थे मैंने वहाँ श्रेय दिया है जहाँ पर दिया जाना था। इस संबंध में मैं कंजूस नहीं हूँ। जहाँ कांग्रेस के राज को श्रेय जाता था मैंने उसे पूरे मन से दिया था। जहाँ ये आपको देय था मैंने आपको भी पूरा-पूरा दिया था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों को गलत नहीं ठहराना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया अपनी अनुक्रिया व्यक्त करने के लिए मुझे एक मिनट दीजिए। महोदय यदि यह सरकार वित्तमंत्री के माध्यम से यह विश्वास रखती है और इस देश के लोगों को विश्वास दिलाती है कि न तो वित्तीय नीति अथवा न तो मौद्रिक नीति, अथवा न ही ब्याज दर अथवा न ही विनिमय दर का मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उन्हें यह विश्वास बनाए रखने दीजिए और इसी आस्था में डूबने दीजिए। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मुद्रास्फीति का मुख्यत: निर्धारण सरकार द्वारा अपनाई गई वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, देश में विद्यमान विनिमय दर और ब्याज दर से होता है। कल, मुझे विश्वास है कि अर्थशास्त्री लेखक इस बात पर वाद विवाद करेंगे क्या मैं सही था अथवा श्री यशवन्त सिन्हा सही थे। मुझसे अधिक अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोगों के निर्णय का इन्तजार कीजिए। शायद उन्हें भी अर्थशास्त्र का ज्ञान श्री यशवन्त सिन्हा से अधिक न हो।

दूसरा, प्रत्येक वर्ष का वित्तीय घाटा उसी वर्ष का घाटा होता है। इसका अगले वर्ष पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि आप अपने बजट को ठीक से तैयार करते हैं तो इसका कोई प्रभाव क्यों पड़ेगा? यदि आप कम वित्तीय घाटे वाला बजट बनाते हैं तो पिछले वर्ष के वित्तीय घाटे का कोई प्रभाव आगामी वर्ष पर क्यों पड़ना चाहिए। क्या हम वर्ष प्रति वर्ष वित्तीय घाटे को कम करके 8.2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक नहीं लाए है? 1990-91 में यह 8.2 प्रतिशत था। डा. मनमोहन सिंह ने 1995-96 में इसे 5.5 प्रतिशत पर छोड़ा था। हम इसे घटाकर 1996-97 में 5% तक ले आए थे। अनंतिम आंकड़ा 5.1 प्रतिशत हो सकता है। 1997-98 में हम चूक गए। हम चूक इसलिए गए क्योंकि राजस्व उतना प्राप्त नहीं हुआ था जितना कि हमने आशा की थी। 1997-98 में जहाँ तक वित्तीय घाटे का संबंध है, हम से चूक हुई। यह प्रतिशत 5.5 प्रतिशत तक चला गया। लघु बचत में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई अत: यह 5.8 प्रतिशत बन गया। एक वर्ष में स्वैच्छिक आय घोषणा योजना की समूची राशि को दे डालने में सरकार की उदारता इसे 6.1 प्रतिशत पर ले आई। महोदय, हर कोई इन आंकड़ों को जानता है। जो इन आंकड़ों को जानते हैं वे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। यह 5.5 प्रतिशत थी। लघु बचत के कारण इसमें वृद्धि होकर यह आंकड़ा 5.8 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकारों से वाह-वाही लूटने की नयी सरकार की इच्छा के कारण यह आंकड़ा 6.1 प्रतिशत हो गया है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस वर्ष आपको निम्न वित्तीय घाटे वाला बजट लाना चाहिए था। लेकिन आपने 91,000 करोड़ रुपये के सजकोषीय घाटे के साथ आरम्भ किया है। यह 5.6 प्रतिशत है। उनकी प्रशंसा करने में मुझे प्रसन्नता होगी। मैं उन्हें बधाई दूंगा। मैं उनके लिए सफलता की कामना करूंगा कि वह इसे उसी स्तर पर कायम रख सके लेकिन इस सभा में खड़े होना और कहना कि वित्तीय उपायों, मौद्रिक नीति, ब्याज दर, विनिमय दर का मुद्रास्फीति से कुछ लेना देना नहीं है। इन पहलुओं का आज की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। यह केवल टमाटर, प्याज और आलू का मामला है ठीक है यदि वे ऐसा मानते हैं तो उन्हें विश्वास करने दीजिए। मैं उनके वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ लेकिन इस बात का मुझे बेहद दुख है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, दोनों विद्वानों के वक्तव्यों से हम लोग कनविंस हुये लेकिन देश की जनता का कल्याण नहीं होने वाला है। देश की जनता रसातल में चली जायेगी और मूल्य वृद्धि इसी प्रकार रहेगी। जो दोनों विद्वानों का

वक्तव्य हुआ, उससे इनफलेशन से हमारा कोई मतलब नहीं लेकिन उससे समझ सकते हैं कि इस देश की जनता का क्या हश्र होगा।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री राजेश पायलट आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में जो चर्चा इस सदन में लाये हैं, मैं उसमे स्वयं को शामिल करता हूं। मैं यह समझता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान देना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसको माना है और इसको देखते हुए जो प्रशासनिक स्टैप्स लिये हैं, उससे महंगाई पर काबू पाया गया है तो मैं समझता हूं कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। यह सच्चाई है जिसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो महंगाई की चर्चा हो रही है, यह प्रायमरी प्राडक्ट्स की है और सच्चाई यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, उनमें महंगाई नहीं हुई है। इसमें कोई मॉनीटरिंग या फिस्कल पॉलिसी की जरूरत नहीं है, कुछ और देखने की जरूरत है कि यह महंगाई क्यों बढ़ी है। मैं समझता हूं कि जब तक हम इसका कारण नहीं जानेंगे, उस समय तक इसका इलाज नहीं सोच सकेंगे। अभी हमारे मित्र राजेश जी बता रहे थे कि नौ महीने में हर चीज पैदा हो जाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन्होंने महंगाई को चार महीने में ही पैदा कर दिया है और यह इनके घर ही पैदा हुई है। मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूं कि महंगाई पिछली सरकारों के समय भी हुई। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी को समय कम मिलता है, नहीं तो मैं बता सकता था कि कैसे-कैसे कई राज्यों में महंगाई बढ़ी है। मगर एक बात कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस वाले आज की सरकार को दोष दे रहे थे तो मैं हंस रहा था। मुझे पंजाबी की एक कहावत याद आ रही थी कि जब कोई सास अपनी जवान पुत्रवधू को ताड़ना देती है तो वह अपनी जवानी के दिन भूल जाती है। पंजाबी की कहावत है-

''सास नूं को करे तगड़ाइयां, अपने दिन भुल गई।''

ये अपने दिन भूल गए और इनको दोष देने लगे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है, इसे सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस देश में जो अमीर अमीर हुए और पिछले पचास वर्षों में गरीब गरीब हुए, उसके कारण इस देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, देश का धन स्विटजरलैंड जैसे देशों में चला गया और गरीबों के पास कुछ नहीं रहा। इसलिए गरीब मर रहा है। उसके लिए सोचने की जरूरत है कि महंगाई कैसे पैदा हुई है और इसको कैसे कैद किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सबसे पहला कारण यह है कि इस देश में कृषि क्षेत्र को इगनौर किया गया। पिछले पचास वर्षों में जहां 70 परसेंट लोग कृषि पर डिपेण्ड करते हैं, उस क्षेत्र को इगनोर किया गया। सिंचाई सबसे जरूरी है कृषि क्षेत्र के लिए। कृषि योग्य भूमि का केवल 36 प्रतिशत हिस्सा ही सिंचाई में है और प्याज के लिए आप दो-चार या छ: महीने की सरकार को दोष देते हैं? 50 वर्षों में 36 प्रतिशत जमीन को सिंचाई योग्य बनाया गया। यहां की नदियों का 54 प्रतिशत पानी बहकर बेकार चला जाता है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्या चार-छ: महीने में सरकार इसका इलाज कर सकती थी।

कृषि के लिए गोदाम भी चाहिए। मैं समझता हूं कि प्याज, सब्जियां और जो कृषि की पैदावार हैं, उनके लिए गोदामों की व्यवस्था हो तो यह मूल्य ऐसे नहीं बढ़ते। गोदाम बनाने के लिए पांच-सात महीने तो बहुत कम हैं, इसके लिए साल-दो साल तो चाहिए, दस साल चाहिए। 50 वर्षों में कृषि की पैदावार को संभालने के लिए पहले की सरकारें गोदामों की व्यवस्था नहीं कर पाई। आज पंजाब में हजारों टन गेहूं, चावल सड़ रहा है, पूरे देश में सड़ रहा है और गोदामों के न होने की वजह से सड़ रहा है। सब्जियों को संभाल नहीं पाते हैं। इसी तरह कोई रिसर्च वर्क ऐग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं हुआ है। यील्ड में स्टैगनेशन आ गई। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। किसान उससे आगे बढ़ा मगर ग्रीन रेवाल्यूशन के बाद कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ। माननीय जाखड़ साहब चले गए, वह कृषि मंत्री रह चुके हैं। वह कहने लगे कि बहुत कुछ किया, कोई भी नयी वेराइटी नहीं आई और जो पेस्टिसाइड और वैडीसाइड वगैरह में ऐडल्ट्रेशन हो रही है और मल्टीनेशनल कंपनियां आने से वह बहुत महंगी हो गई हैं तो किसान क्या करे? प्रोडक्शन भी महंगा होगा। इसलिए अब सोचने की बात है कि इस सबको कैसे चेक किया जा सकता है। पिछले सालों में जो अनप्लाण्ड प्लान बने, वे ही इसका कारण हैं। प्लान जब अनप्लाण्ड होंगे तो नतीजे भी गलत निकलेंगे।

दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्री का। किसी देश की इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां देख लो तो कोई इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब मूल ढांचा नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? कोई सड़क नहीं है, यातायात के साधन नहीं हैं। 70 प्रतिशत गांवों में टेलीफोन की सुविधा नहीं है। एक लाख से ज्यादा गांव हैं जहां सड़कें नहीं हैं। तीन सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा का अनाज बंदरगाहों पर खराब हो जाता है एक-एक महीने जहाज खड़े रहते हैं और 15 परसेंट से ज्यादा तेल ईंधन के रूप में सड़ जाता है। साठ हजार से भी ज्यादा मौतें देश की सड़कों पर हो जाती हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज कहां बढ़ेगी।

[प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

इसी प्रकार स्पीकर साहब इंडस्ट्रीज और खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरत सिंचाई की होती है और सिंचाई की योजनाओं के लिए आज तक 50 वर्षों में 31 हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया, जबकि 56 हजार करोड़ रुपये की और जरूरत है। क्या यह सरकार छः महीने में 56 हजार करोड़ खर्च कर सकती थी, क्या हम 50 वर्ष और इंतजार करें? मैं समझता हूं कि आज जो इन्होंने फास्ट ट्रैक सिस्टम लगाने के लिए आठ योजनाएं बनाई और उसमें मल्टीनेशनल्स लेकर आये, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कभी सोचा ही नहीं कि इससे बिजली कितनी महंगी होगी। आज मल्टीनेशनल मार्केट में देखें तो एवरेज रेट दो रुपये प्रति यूनिट है। अगर यह सिस्टम लागू हुआ तो बिजली और अधिक महंगी मिलेगी। अगर बिजली महंगी मिलेगी तो इंडस्ट्रीज कैसे कम्पीट कर पायेंगी। एग्रीकल्चर सैक्टर को बिजली कम मिलने से किसान पूरी पैदावार नही कर सकता, महंगाई अपने आप ही बढ़ेगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की जरूरत है।

स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कंजूमर गुड्स में मल्टी नेशनल कम्पनीज आ गई हैं, उससे भी यह काम खराब हुआ है। हमारे माननीय मित्र श्री चिदम्बरम जी चले गये, चाहे उनकी नीतियों को ले लो, चाहे सरदार मनमोहन सिंह जी की नीतियों को ले लो, मैं समझता हूं कि यह सब कबाड़ा इन्हीं नीतियों की वजह से हुआ है। यह सारा ढांचा यहीं से ही बिगड़ा है।

आज तेल की बात को ही लें। पहले गरीब लोग तेल बेच लेते थे, अब इस क्षेत्र में मल्टी नेशनल कम्पनीज आ गई हैं। उन्होंने कहा कि पैकेट चलेगा। कोई शरारत की गई, एडल्ट्रेशन की गई, ताकि आम आदमी तेल न बेच पाये और उनके तेल के पैकेट बिकें और मल्टी नेशनल कम्पनीज की ... खुल गई। देश का जो आम ... है और जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, वे तबाह हो गई, उनको इकोनोमी से बाहर कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे देश गरीब होगा, अमीर नहीं हो सकता, यह प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो मोनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से हल नहीं हो सकती है। हमें बुनियादी ढांचे को सुधारना होगा। अगर बुनियादी ढांचे को नहीं सुधारा गया तो समस्या और बढ़ती रहेगी। एक दूसरे पर दोष लगाने से कुछ नहीं होता। मेरे मित्र राजेश पायलट जी बोल रहे थे कि पंजाब में फार्मर्स ने सुसाइड कर ली। यह किसी ने नहीं सोचा कि यह सुसाइड पांच-दस दिन में हो गई या एक-दो महीने में हो गई। पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस किसानों को खत्म कर रही हैं, जिसके कारण से यह सब हो रहा है। किसानों को कर्जाई बना दिया, उसे फसल का मूल्य नहीं मिल पाया, इसलिए किसान कर्जाई होकर सुसाइड कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा प्रदेश हैं, जहां किसानों को बिजली मुफ्त मिलती है, पंजाब में सबसे ज्यादा सहूलियत किसानों को मिलती हैं और यही भाई पंजाब में हम लोगों पर दोष लगाते हैं कि किसानों की सरकार है, किसानों के लाभ के लिए काम करती है। वहां ये इस प्रकार का दोष लगाते हैं और यहां कहते हैं कि किसान सुसाइड कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलेगा, देश में ऐसी प्राब्लम्स आती रहेंगी, इसलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है।

स्पीकर साहब, जो रिफार्म्स पॉलिसी है, उसमें रिफार्म करना पड़ेगा। डा. अमर्त्य सेन जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने भी यह कहा है कि इस देश में जो आर्थिक सुधार हैं, वे देश के हित में नहीं जा सकते, ये देश के अहित में होंगे। क्योंकि जब तक हम लोगों का स्टेटस ऊंचा नहीं करेंगे, तब तक रिफार्म पॉलिसी देश के हित में नहीं जा सकती और मैं समझता हूं कि इस रिफार्म पालिसी ने प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं।

यहां जोन्स की बात कही गई कि जोन्स को बनाया जाए। कांग्रेस वालों ने जोन्स बनाये थे, अब पता नहीं फिर क्यों याद करवा रहे हैं। राजेश जी आपको याद होगा, आप हमें जोन्स के बारे में दोबारा याद मत करवाओ। आपने जोन्स बनाये जिसके कारण पंजाब के किसानों में बहुत बगावत हुई थी, पंजाब के किसानों ने एजीटेशन की, हमने यहां गिरफ्तारी दी और वे जोन्स तोड़ें।

हमने कहा कि यह देश एक है। इस देश में अलग अलग जोन्स बनाकर हम उनको अलग-अलग करना चाहते हैं।

श्री ...: ... लाइटफुल क्लाइमैट जोन्स बनाने की बात कही थी ताकि उसी हिसाब से मदद की जाये। हम जोन्स देश के नहीं बना रहे थे, हम क्लाईमैट के हिसाब से एग्रीकल्चर के जोन्स बना रहे थे।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: आपने कहा था कि जहां अलग-अलग फसल होती है, वहां उसके लिए जोन्स बनाये जायेंगे। कांग्रेस राज में बनाये गये थे। *...(व्यवधान)* यह जोन्स तोड़ने चाहिए। *...(व्यवधान)* हर बात कांग्रेस से लानी है।

श्री राजो सिंह: आप कांग्रेस के ही राज में जवान हुए और कांग्रेस के राज में ही आप प्रोफेसर हुए। आपको कांग्रेस ने ही बनाया है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: राजेश पायलट जी ने जो बात कही, मैं उसी बात पर आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप

इकट्ठे क्यों हो गये और मुझे हैरानी है कि आप इकट्ठे हो गये। जब हमने आपसे हुकुमत ली, तो उस समय सारा देश तड़प रहा था। देश को बहुत लूटा खसोटा गया। उस समय लोग चाहते थे कि कांग्रेस की हुकूमत से किसी न किसी तरह से बचा जाये इसलिए हम सब इकट्ठे हुए। मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई का मुद्दा टैम्प्रेरी है और यह ठीक हो जायेगा। एक बात हम मान सकते हैं कि महंगाई बढ़ने से इनको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। प्याज का स्वभाव ही ऐसा है। अगर किसी बीमार को प्याज दिया जाये तो वह उसको ठीक कर देता है और अगर किसी तंदुरुस्त को दे दिया जाये तो वह उसको बीमार कर देता है। एक बार कोई किसी को देखने गया। वे पूछने लगे कि लड़का अच्छा है तो वह कहने लगे कि बहुत अच्छा है, सुंदर है, जायदाद है, पढ़ा लिखा है और नौकरी पर लगा हुआ है लेकिन हमें वहां पर रिश्ता नहीं करना। जब उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं करना तो कहने लगे कि लड़के को जुकाम हो रहा है। यानी सब कुछ अच्छी बातें छोड़कर एक बात प्याज की ले ली। इस देश में पिछले छः या आठ महीने में जो कुछ अच्छी बातें हुई हैं, देश में जो अच्छा वातावरण बना है, भाई चारे की भावना बनी, प्यार का वातावरण बना और कहीं भी दंगा फसाद नहीं हुआ, वह किसी ने नहीं देखा। सब मानस की जात एक ही पहचान के रास्ते पर चल रहे हैं।

अव्वलल्लाह नूर उपाया,
कुदरत दे सब बंदे,
एक नूर ते सब जग उपजाया,
कौन भले कौन मंदे।

इस बात पर सब चलने लगे हैं। भाईचारे की भावना से देश आगे बढ़ा है, देश में जो शांत माहौल हुआ है, उससे देश के लोगों को लाभ हुआ है और देश में समृद्धि भी आयी है। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूँ जिससे प्लान का 58 प्रतिशत हिस्सा कृषि [illegible]

अंत में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ कमियां जरूर हैं जैसे डी.ए.पी. खाद है। उसके बारे में प्रधान मंत्री ने स्वयं माना कि हमारे पास 2,50,000 टन खाद बंदरगाहों पर पड़ी है। बंदरगाहों पर क्या धूप देनी है? वह किसानों को नहीं मिल रही है। उसको किसने नहीं पहुंचाया और इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट दोषी है, इस विषय पर सरकार को सोचना होगा? मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार किसानों के हित में नहीं जायेगी, देश के लोगों के हित में नहीं जायेगी, तो उसकी चिन्ता आपको करने की जरूरत नहीं है। हम आप ही उनकी खिंचाई कर देंगे। जो महंगाई बढ़ी है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उसके बारे में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वह इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि महंगाई को रोकने के लिए पापुलेशन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधान मंत्री स्वयं जो कुछ कर सकते थे, वह मैक्सिमम कर बैठे हैं। आप सबको इसमें सपोर्ट करना चाहिए। *...(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि पापुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ कदम उठाये जायें। जो महंगाई बढ़ी है, उसकी हमें बहुत चिन्ता है मगर सरकार ने जो प्रशासनिक स्टेप लिये हैं, वह पहले ले लिये होते तो शायद यह मौका न आता, जो आज आया है। चलो देर आयद दुरुस्त आयद। मैं समझता हूं कि यह स्टेप लेने चाहिए और कृषि और इंडस्ट्री क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए।

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जीवनावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए दाम पूरे देश के लिए और खास तौर से जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए विशेष चिन्ता का विषय है। इस पूरी बहस में एक अच्छी सूचना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दी कि इस देश में उनकी और उनके पिछलग्गुओं की सरकार है। मुझे यह खबर सुनकर बड़ी खुशी हुई। *...(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह शब्द आपत्तिजनक है।

श्री मोहन सिंह: भाजपा और उनके पिछलग्गुओं की ही तो सरकार है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: पिछलग्गू शब्द अनपार्लियामेंट्री है, इसको वापिस लेना चाहिए।

श्री मोहन सिंह: यदि इनको आपत्ति है तो मैं उसको वापिस लेता हूं।

श्री कृष्ण [illegible] शर्मा: इसका मतलब आप भी पिछलग्गू हैं।

श्री मोहन सिंह: मैंने वापस ले लिया।

मैं इनको इतना ही धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कहा कि हमारी सरकार, मुझे खुशी होगी कि इनकी सरकार रहे। लेकिन वह सरकार सरकार की तरह रहे, राज करे। मुझे खेद इस बात पर है कि सरकार राज नहीं कर रही है। बाजार पर, स्पेज पर, मुनाफाखोरों और जमाखोरों का राज है। मेरी अपेक्षा होगी कि यह सरकार की तरह काम करना शुरू करे। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा

[श्री मोहन सिंह]

है कि पिछली मर्तबा जब यह सदन उठने को था, महंगाई के ऊपर इस सदन में लम्बी चर्चा हुई थी और उस चर्चा के दौरान वित्त मंत्री जी और माननीय रसद मंत्री ने भी, चीजों पर नियंत्रण हो जाएगा, इसका बार-बार देश को आश्वासन दिया। मुझे इस बात पर हमेशा खेद होता है कि भारत में पहले वित्त मंत्री हैं, यदि सैन्सैक्स के दाम गिरे तो कहते हैं कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों के दाम बढ़े तो कहते हैं कि अभी घबराने की स्थिति नहीं आई, भारतीय मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के मुकाबले गिरे तो कहते हैं कि अभी घबराने की स्थिति नहीं आई। फिर घबराने की स्थिति कब आएगी, मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि पिछले सत्र में इस बात को कहा गया कि अभी चूंकि यह सीजनल इम्बैलेंस है और दाम मौसमी बुखार की तरह उतरता-चढ़ता है, इसलिए आने वाले सितम्बर से जरूरी चीजों के दाम घटने लगेंगे। जब सितम्बर आ गया, वे दाम और तेजी से बढ़ने लगे तो देश को आश्वासन दिया गया कि आने वाले दिसम्बर महीने में ये दाम घटने लगेंगे। दिसम्बर महीने में दाम तो नहीं घटे, जो बढ़ाने के लिए जिम्मेवार थे उन्हीं का पारा घटने लगा और नीचे उतर गए। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को, इस देश में किस चीज का उत्पादन हमारी आवश्यकता के मुताबिक हुआ, किस चीज की हमारे देश में कितनी आवश्यकता है, किस चीज को कितनी सीमा तक इस देश से बाहर जाने देना चाहिए और किस चीज को किस सीमा तक इस देश में आने देना चाहिए, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसीलिए इस देश में ये जरूरी चीजें घट और बढ़ रही हैं जिसके बारे में सरकार को ठीक से ज्ञान नहीं है। सरकार को इस बात की जानकारी थी कि औस्तन 42 से 45 लाख टन प्याज यदि हमारे देश में हो तो हमारी आवश्यकता के अनुरूप होगा। लेकिन सरकार को यह जानकारी हो गई कि हमारे देश में 39 लाख टन प्याज हुआ, यह जानकारी होने के बावजूद कि इसका उत्पादन कम हुआ, 7-8 लाख टन प्याज इस देश से बाहर क्यों गया, यह सरकार को बताना होगा। हमारे देश से प्याज 25 सितम्बर तक बाहर गया। अक्तूबर महीने में भारत सरकार को इस बात की परेशानी होती थी कि हमारे देश का प्याज बाहर नहीं जाना चाहिए ओ.जी.एल. के तहत हमारे दश में मंगाया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): 7-8 लाख टन नहीं, केवल 2 लाख 14 हजार टन गया है।

श्री मोहन सिंह: ये आपके आंकड़े हैं लेकिन जो दूसरे आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार इससे अधिक इस देश से बाहर गया है। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़े क्या हैं? कितनी सीमा तक इस देश से प्याज बाहर गया? लेकिन यदि 4-5 लाख टन की कमी भी हुई तो महंगाई के चलते भारत की जनता ने उसकी खपत को स्वयंमेव कम कर दिया। हमको इस बात से परेशानी होती कि सामान बाजार में मुहैया नहीं है, उसकी कीमत बढ़ गई। सामान बाजार में उपलब्ध है और उसकी कीमत बढ़ रही है, इसलिए यह बात कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारे बाजार में वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। यह जो बाजारी भाव में घटत-बढ़त हुई, वह सरकारी नियंत्रण के अभाव में हुई। जो सरकारी निर्देश थे, वे ओ.जी.एल. के तहत भारत में प्याज मंगाने के थे, कैबिनेट के निर्णय के बाद क्या 10-12 दिन राज आज्ञा प्रसारित होने में लगते हैं? क्या कस्टम क्लिअरेंस होने में 20-25 दिन लगते हैं? सरकारी घोषणा सुनकर ओ.जी.एल. के तहत जिन लोगों ने प्याज मंगा लिया, वह प्याज बंदरगाह पर सड़ता रहा। उसका क्लिअरेंस नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा कि प्याज के दाम कितने बढ़े और कितने घटे लेकिन दस फीसदी उत्पादन कम हुआ और पन्द्रह फीसदी उसके दाम बढ़ गए। उत्पादन के अनुपात में किस सीमा तक दाम बढ़े, इसके बारे में सरकार जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदारी लेगा?

इसी तरह खाद्य तेलों के बारे में एक तमाशा जैसा हो गया। भारत सरकार के आदेश पर गृह मंत्री जी ने स्वयं बिना किसी जनता की मांग के आनन-फानन में उसकी सी.बी.आई. से जांच होगी, यह घोषणा कर दी। यह घोषणा हुए डेढ़ महीना हो रहा है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? कुछ विदेशी शक्तियां जिम्मेदार हैं, कुछ मल्टी नेशनल कम्पनीज जिम्मेदार हैं, यह कहकर 30-35 करोड़ रु. किलो कड़वा तेल गरीब आदमी के खाने के लिए बाजार में उपलब्ध है, उसकी बिक्री के ऊपर आपने नियंत्रण स्थापित कर दिया और फिर डेढ़ महीने बाद उस नियंत्रण को खत्म कर दिया और वही तेल आज बाजार में 65 रु. किलो, 80 रु. किलो बिका है। क्यों बिका है? इस बारे में सरकार को बतलाना होगा क्योंकि एक ही बाजार में एक ही वस्तु के तीन रेट हैं। यदि एक ही शहर में बंगाली मार्केट में आटा खरीदिए, आपको 16 रु. किलो मिलेगा। इसी शहर में मयूर विहार में आटा 10 रु. किलो है तथा [illegible] में आटा आठ रु. किलो आटा है। एक ही शहर में दामों में दूने का अंतर है। क्या इसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण है? किसी भी डी.एम. से क्या आपने यह पूछने की कोशिश की कि एक महीने के भीतर किसी भी दाम के घटने-बढ़ने का जो नियंत्रण है, वह कलैक्टर की जिम्मेदारी है। क्या आपने कभी पूछा कि कितने कलैक्टर्स ने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया? लेकिन अब आप कहते हैं कि चीजों के दाम थम रहे हैं। शर्मा जी कह रहे हैं कि दाम घट रहे हैं। किसी चीज के दाम सौ रु. किलो हो जाएं और फिर 80 रु. किलो हो जाएं तो यह घटना नहीं है। यह लूट है, इसलिए जितने सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार ने अपने वेतन आयोग के जरिए फायदा दिया, आज उतने ही दाम फिर बढ़ गए। नए वेतन आयोग की आज फिर

आवश्यकता हो गई। छः महीने के भीतर सारी जरूरी चीजों के दाम नौ फीसदी तक आपका होलसोल प्राइस इंडैक्स बढ़ा है। फुटकर के लिए कम से कम पच्चीस फीसदी तक दाम बढ़े हैं। इन सारी चीजों में सरकार की जवाबदेही बनती है। जो बाहर से प्याज आया, जिन राज्यों में चुनाव हो गए, दिल्ली में चूंकि चुनाव संभावित थे, इसलिए सरकार ने अपनी दुकानों के जरिए उसको बेचा। कैसा बेचा? महाराष्ट्र से प्याज मंगाया, कहते हैं कि खुले में आया, रास्ते में भीग गया। नीचे सूखा था और ऊपर से सड़ गया। उसको आपने आजादपुर मंडी में सुखाया। सुखाने के बाद अपनी दुकानों में भेज दिया। नीचे वह सड़ गया और ऊपर से सूखा रहा। गरीब जनता ने उसको पन्द्रह रु. और दस रु. किलो में लाइन लगाकर आपकी दुकानों से खरीदा और खरीदकर जब घर ले गए तो सारा प्याज सड़ा हुआ था। आपने इसके लिए कितने लोगों को जिम्मेदार बनाया? कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई? कितने जमाखोरों और ब्लैकमार्केटिअर्स को अपने सड़कों पर घुमाने का काम किया?

किसी चीज का ठीक से मूल्य नियंत्रण हो, इसके बारे में सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। हमारे कृषि मंत्री जी कहते हैं कि पुरानी सरकार ने जो कृषि नीति बनायी, वह बड़ी बेढंगी थी और हम अच्छी कृषि नीति बना रहे हैं। अच्छी कृषि नीति प्रधान मंत्री जी के कार्यालय में ताकिया लगाकर सो रही है। उस कृषि नीति के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कितनी चीजों के उत्पादन को हमारे देश में प्रोत्साहित करना चाहते हैं? जो आवश्यक वस्तुएं खाने-पीने की हैं, उनमें से कितनी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करके हमारी जनता को सस्ते में उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसके बारे में सरकार स्पष्ट नीति बनाए, यह में सरकार से कहना चाहता हूं।

महोदय, प्याज के बारे में कह सकते हैं कि बारिश हो गई थी, लेकिन दालों की कीमत भी ऊंची हो रही है। उस समय अरहर की दाल की कीमत 20 रुपए थी, लेकिन आज की तारीख में अरहर की दाल 50 रुपए किलो फुटकर बिक रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे घर में बगल की दुकान से 50 रुपए किलो अरहर की दाल आई है। सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। बढ़े हुए दामों पर नियंत्रण करेंगे, लेकिन उसके साथ जो दूसरे लोग कीमत बढ़ा देते हैं, जैसे होटल के लोग, उसको आप कम नहीं करा पायेंगे। हर घर में 50 से 100 फीसदी तक महंगाई में बढ़ोत्तरी हुई है बन्धी आय के लोग परेशान हुए हैं और बिना बन्धी आय के लोग तबाही, कंगाली, भुखमरी और दरिद्रता की स्थिति में पहुंच गए हैं।

इसी प्रकार जहां तक चीनी का सवाल है, चीनी के क्षेत्र में भी दाम बढ़ने-घटने से लूट हो रही है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश गन्ना काश्तकारों को पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ है। पहले हम यह दावा करते थे कि भारत विश्व में चीनी उत्पादक देशों में गिना जाने लगा है, लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है? आज अलग-अलग मंत्रियों द्वारा अलग-अलग ब्यान देने का दस्तूर और रिवाज हो गया है। बरनाला जी के राज्य मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि हमारे देश में चीनी का इतना अधिक भंडार है कि मई, 1999 तक हम हिन्दुस्तान की जनता को खिला सकते हैं और बाहर आकर वे कहते हैं कि हमारे देश में चीनी की कमी हो सकती है, इसलिए हम बाहर से मंगा रहे हैं। आपने पाकिस्तान से एक सौ करोड़ रुपये की चीनी एक ही फैक्ट्री से मंगाई। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की दो-दो फैक्ट्रियां रावरपिंडी में है और चौधरी शुगर मिल्स, उनसे आपने चीनी महंगाई। आपने पाकिस्तान की मिलिट्री के नियंत्रण में चलने वाली मिल से, जो कि रावलपिंडी के कैंट में है, आर्मी द्वारा संचालित जो चीनी फैक्ट्री है, उससे चीनी मंगाई। उनको चीनी का दाम देकर आपने भारत की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पाकिस्तान की आर्मी की उस चीनी मिल को देकर, आपने इस बात का इन्तजाम किया है कि हमारा ही पैसा लेकर हमारे कश्मीर में उग्रवाद को तीव्र करने का काम करें। यह सिलसिला आपने शुरू कर दिया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यहां के शुगर मिल्स एसोसिएशन के लोग चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में चीनी मिलों के ऊपर दबाव इस चीनी के आयात के चलते होने वाला है। इसके साथ ही आपने 15 लाख टन गेहूं, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, मंगा लिया। इस प्रकार हमारी विदेशी मुद्रा किस क्षेत्र में सबसे अधिक बर्बाद की जाए और किस क्षेत्र में संयमित करके रखी जाए, इसके बारे में स्पष्ट नीति के अभाव में ये सारी दुश्वारियां हमारे देश के सामने आ रही हैं।

महोदय, अब मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज सबसे बड़ी समस्या पेरिशिएबल खाद्य पदार्थों, जैसे आलू, टमाटर आदि, की है। इनके संभरण की कोई योजना नहीं है। देहातों में कोल्ड स्टोरेज एक-एक करके बर्बाद हो रहे हैं। एक साल में जब आलू की फसल की कीमत अधिक होती है, तो किसान अगले साल उस दिशा में दौड़ पड़ता है। दूसरे साल जब आलू की फसल चार-पांच-छः गुना अधिक हो जाती है और उसके भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होती है, तो किसानों को मजबूर होकर वही आलू एक रुपये किलो बेचना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में दो साल पहले किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू इसलिए नहीं निकाला, क्योंकि उसको निकालकर बेचने में ज्यादा लागत आ रही थी। बिक्री मूल्य कम मिल रहा था। ऐसी

[श्री मोहन सिंह]

हालत से निपटने के लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई जाए। वह महत्वाकांक्षी योजना यह हो सकती है कि भारत सरकार अपने फन्ड से पैसा लेकर राज्य सरकारों को इतना मजबूत करे कि हर न्याय पंचायत कम से कम किसानों द्वारा पैदा किए गए आलू, टमाटर जैसी फसलों के संभरण की, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर सके।

उसी तरह भारत सरकार इस बात का इंतजाम करे कि आबादी के मुताबिक हमारे देश में कितना गेहूं और गन्ना पैदा किया जा सकता है। गन्ने की पैदावार किस रूप में हो ताकि भारत के किसान को लाभ हो। उससे उत्पादित चीनी भी जब कभी हमारे पास सरप्लस होती है तो आप उसे विदेश में भेजते हैं। आप बहुत खुश होकर यह कर रहे हैं कि हमने चीनी बाहर भेज दी। जब दूसरे साल बाहर के लोग मांगते हैं तो आप चीनी नहीं भेजते हो। हमारे सामान को बाहर से मंगाने वाले लोग कहते हैं कि भारत एक ऐसा खराब देश है जो व्यापारिक स्रोतों को हर साल निर्वाह करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, क्योंकि किसी साल हम देते हैं और किसी साल नहीं देते। इसी मजबूरी के चलते जब हमारे देश में डेफिसिट भी होती है तो हमें बहुत सारी चीजें विदेशों में भेजनी पड़ती हैं। हमारे देश में खाने-पीने की किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के मुताबिक हम अपने देश में उसका संभरण करें और शेष चीजों को दुनिया में भेजें। यदि उसकी कमी होती है तो पहले से उसके आयात की व्यवस्था करें, क्योंकि जब हमारे देश में कमी होती है, जैसे चीनी और प्याज की कमी हुई और तब यह वातावरण पूरी दुनिया में बनता है कि भारत में चीनी की कमी हो गई और वर्ल्ड मार्केट में चीनी और प्याज का दाम महंगा हो जाता है। जिन चीजों की हमें विशेष आवश्यकता है उन सारी चीजों की महंगाई बढ़ जाती हैं, इस बारे में सरकार की कोई खुली नीति न होने की वजह से ये समस्याएं हमारे सामने आई हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बारे में वह एक स्पष्ट नीति बनाएं। उसी तरह पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम-घूम कर व्यापारियों से माला पहन रहे थे। व्यापारियों ने उनको चांदी का मुकुट पहनाया, क्योंकि आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून से हमें मुक्ति दिला कर इतना आजाद किया है कि हम आपका अभिनंदन करते हैं और उनको ताजपोशी की। *...(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): महोदय, मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और आवश्यक वस्तु अधिनियम स्पेशल प्रोविजन एक्ट, 1981 लागू था तो वह पूरे देश में पहले मुख्य मंत्री थे जिन्होंने इसे लागू करने से इन्कार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1981 का कानून इतना खराब है कि इससे उत्पीड़न बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको शायद याद होगा कि मुलायम सिंह जी ने ही अपने प्रदेश में इसे बिलकुल बंद करके पूरे देश में यह संदेश दिया था। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि मुकुट ये पहनते हैं और जब इसका संकट आता है, *...(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: आपके मुलायम सिंह जी ने कानपुर में फूलबाग के मैदान में सोने का मुकुट व्यापारियों से इसी बात पर पहना था। *...(व्यवधान)* यह काम मुलायम सिंह जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: मैं वही कह रहा हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून में संशोधन और परिवर्तन पर आप मुकुट पहनते हैं और प्रधानमंत्री जी बाजू फैला-फैला कर पूरे देश में जोर से कह रहे हैं कि इसको और तगड़ा बनाना है। हम यह जानना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सही है या जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वह सही है? इसी सदन के भीतर दिन भर बहस हुई और बरनाला जी उसे पास करने के लिए अंतिम भाषण करने वाले थे। खुराना जी ने उनसे कह दिया कि नहीं, इसे मत करिए क्योंकि इससे गलत सिगनल जाएगा, इसलिए उसे जेपीसी में भेज दिया गया। *...(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है? *...(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: महोदय, जब गुजराल साहब थे, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: आप गुजराल साहब को नेता मानते हैं या आपके नेता वाजपेयी जी हैं। *...(व्यवधान)* वह कह रहे हैं कि कानून को और कड़ा करना है, क्योंकि कानून ढीली होने की वजह से इस देश के जमाखोरों, मुनाफाखोरों ने इसका दुरुपयोग किया है और जरूरी चीजों के दामों को बढ़ाया है-ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जिनका आप समर्थन कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार स्पष्ट दिमाग की नहीं है।

इनकी एक सोच नहीं है। एक समस्या जब खड़ी हो जाती है तो दूसरी भाषा बोलने लगते हैं लेकिन समस्या से पहले दूसरी

भाषा बोलते रहते हैं। सरकार को एक सोच और एक दिमाग से काम करना चाहिए। यही अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे बोलने के समय आप आसन पर विराजमान हैं। ...*(व्यवधान)* संसद में इन विगत सालों में दूसरी बार महंगाई पर बहस हो रही है। एक बार जुलाई में इस पर बहस हुई थी। मेरा इस सरकार पर यह आरोप है कि सदन में महंगाई और मूल्य-वृद्धि पर जो बातचीत और चर्चा होती है तथा माननीय सदस्य जो अपने सुझाव देते हैं, सरकार उस राय और बहस के प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार रस्मी तौर पर उन सुझावों और बहस को मानती है और उन पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं करती है। मेरा आरोप है कि सरकार सदन की कार्यवाही के प्रति संवेदनशील नहीं है। यह मेरा पहला आरोप सरकार पर है। ...*(व्यवधान)* इस महंगाई से आम जनता की कितनी लूट और तबाही हुई है यह सदन में बहस के अंदर नहीं आया है। हमने सारा हिसाब-किताब किया है। प्याज की महंगाई से जनता की कितनी लूट हुई है, आम आदमी कितना लूटा गया है, तेल और दालों की महंगाई से कितने लोग लूटे गये तथा अन्य चीजों की महंगाई से कितने लोग लूटे गये, इसका हिसाब आप लगाएं। प्याज की महंगाई से खाली 6 हजार करोड़ रुपयों की लूट हुई है। वह पैसा किसानों और उत्पादकों की जेबों में न जाकर बिचौलियों की जेबों में गया। कुल मिलाकर देखें तो 25-30 हजार करोड़ रुपये के बीच जनता की लूट हुई है, गरीब जनता की लूट हुई है। उन पर खर्चे का बोझ बढ़ा है और वे आज इन चीजों को खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी इतनी खराब हालात इस महंगाई के कारण हो गयी है।

चीनी की कीमत बढ़ने से कांग्रेस के राज में कल्पनाथ राय मंत्री हटाए गए थे और ज्ञान प्रकाश कमेटी बैठी थी। सरकार कहती है कि वह जमाखोरों की पक्षधर नहीं है और महंगाई बढ़ाने के पक्ष में यह नहीं थी तो इस पर जांच बैठाने का यह काम करे और यह जो 20-30 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है और आम जनता पर जो बोझ इसके कारण पड़ा है इसकी जांच कराए। इसको रस्मी तौर पर सवाल-जवाब करके टाला नहीं जा सकता है। इसमें विपक्ष के लोग भी कसूरवार हैं। केवल बयान देने से यह जो 25 हजार करोड़ का आम जनता पर बोझ पड़ा है विपक्ष के लोगों को इस पर बड़ा भारी आंदोलन करना चाहिए था। उन्हें इस प्रतीक्षा में नहीं रहना चाहिए था कि इनके सहयोगी लोग हट जाएंगे और कांग्रेस के लोग बैठ जाएंगे तो राज बदल जाएगा। मूल्य-वृद्धि के सवाल पर तो देश के कोने-कोने में आंदोलन होना चाहिए था। हम विपक्ष को कसूरवार मानते हैं। इसके द्वारा जनता की लूट हुई है। रस्मी तौर पर केवल बयान और प्रोटैस्ट करने से काम नहीं चलेगा। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति इस बात को काट कर साबित करे कि वे होर्डर्स, प्राफिटियर्स और कालाबाजारियों के पक्षधर नहीं हैं। मैं तर्क देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: बिहार में आपकी सरकार है। बिहार में आपने कितने छापे मारे और कितने कालाबाजार करने वालों को पकड़ा। आपने वहां क्या कार्यवाही की?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह आपसे सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। अगर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन के विरोधी महंगाई के खिलाफ प्रचार नहीं करते तो यह चुनाव नहीं जीत सकते थे। नमक के भाव बढ़ने वाले नहीं थे। इसकी कमी को लेकर मार्किट में अफवाह फैला दी गई। नमक के लिए लम्बी लाइनें लग गई। यह आज महंगाई के ऊपर चिंतित महसूस हो रहे हैं। अगर आप उस समय के अखबार और टी.वी. की खबरों को देखें तो सच्चाई पता चल जाएगी। उस समय कांग्रेसी बहुत खुश थे। वह प्याज की पूजा करते थे। वह आपस में बात करते हुए कहते थे कि कहीं प्याज के दाम घट तो नहीं जाएंगे। महंगाई के बढ़ने से यह बहुत खुश थे। इनके प्रॉपिगैंडा से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह आपसे सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जुलाई महीने में सत्र के दौरान इस सदन में इस विषय पर बहस हुई थी। बरनाला साहब असैंशियल कमोडिटीज एक्ट पास कराने के लिए एक बिल भी लाए थे। उसके उद्देश्यों में कहा गया था कि चूंकि 1955 का असैंशियल कमोडिटीज एक्ट एफैक्टिव नहीं है, होर्डर्स, ब्लैकमार्किटियर्स और प्रॉफिटियर्स के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सम्भव नहीं है, इसलिए अध्यादेश लागू किया गया और हम इसे कानून में परिवर्तित करना चाहते हैं। वह अध्यादेश 8 जुलाई को लाया गया था लेकिन वह लैप्स हो गया। असैंशियल कमोडिटीज का अध्यादेश रिप्रामॉलगेट नहीं हुआ। जुलाई में कीमतों के बढ़ने से होर्डर्स ने जनता को

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

लूटा। फिर अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में लूटा। वह लूट अभी तक जारी है। इन्होंने अध्यादेश को रिप्रामॉलगेट क्यों नहीं किया? मंत्रिमंडल का कोई सदस्य या उस पक्ष से कोई माई का लाल है जो मेरी बातों का जवाब दे सके। वह इस बात का जवाब दें कि महंगाई किस कारण से बढ़ी है? मुनाफाखोरों और चौरबाजारियों के पास यह संदेश गया कि अध्यादेश वाला कानून खत्म हो गया है, इसलिए लूटो।

अध्यक्ष महोदय, उस एक्ट की अवधि अक्तूबर, 1997 में समाप्त हो गई, तब यह अध्यादेश लागू किया गया। वह अध्यादेश जनवरी, 1998 में लैप्स हो गया जिसे फिर अप्रैल तक बढ़ाया गया। श्री बरनाला साहब ने उस अध्यादेश में थोड़ा सुधार करके आगे जुलाई तक बढ़ा दिया। इस अध्यादेश की समाप्ति 8 जुलाई को हो गई। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पुरानी सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया, उसको आपकी सरकार ने क्यों जारी रखा। उस अध्यादेश के पास होने के लिए उसे संयुक्त समिति में भेज दिया गया। इसके बारे में मुझे और तो कुछ नहीं कहना लेकिन उस अध्यादेश को री-प्रामलगेट क्यों नहीं किया गया। हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडर्स लाबी है, वह सरकार और कानून दोनों पर हावी है। कानून में सजा को सात साल से कम करके दो वर्ष कर दिया गया। आपको आश्चर्य होगा कि लोग कहते हैं कि ट्रेडर्स को न्याय मिले। इस बात से हम सहमत हैं लेकिन होर्डर्स के खिलाफ सजा सात साल से दो वर्ष का प्रावधान क्यों किया गया।

श्री मदन लाल खुराना: इस सजा को कम करने वाले प्रावधान का अध्यादेश आप लाये थे, हम नहीं लाये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो यह प्लीड कर रहे हैं कि इस अध्यादेश में पुराने कानून में सजा का प्रावधान सात साल से दो वर्ष आप लाये हैं, हम लोगों ने इसे और कड़ा कर दिया है। इसलिए यह कानून आपके समय में लाया गया है। हमें लगा कि यदि हम इसे पास करेंगे तो हम पर यह इल्जाम आ जायेगा कि हमारी सरकार ने सजा का प्रावधान सात साल से दो साल कर दिया। इस कारण हमने इसे संयुक्त समिति को रैफर कर दिया है और जैसे ही रिकमेंडेशन्स आयेंगी, इसे पास कर देंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बिना जानकारी के इतना ताव में नहीं बोलना चाहिए। हमने आपकी बात सुन ली है, इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1981 के एक्ट में स्पेशल प्राविजन करके बना जिसे 1982 में पांच साल के लिए लागू किया और जिसे बार-बार पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जाता रहा। इस प्रकार यह एक्ट 15 वर्ष तक लागू रहा। सन् 1997 में इसकी अवधि पांच वर्ष और बढ़ाने के लिए जब सदन में लाया गया तो उस समय बीजेपी मजबूत विपक्षी दल था जो होर्डर्स के पक्षधर हैं, चूंकि अन्य पार्टियों का रुख ठीक नहीं था, इसलिए वह बिल पास नहीं हो सका। उस एक्ट को अध्यादेश में हू-ब-हू बदल दिया गया। यही अध्यादेश अक्तूबर, 1997 में लागू हुआ जो तीन महीने बाद जनवरी, 1998 में लैप्स हुआ। फिर इसे अप्रैल तक बढ़ाया गया। मैं इस बात को जोर देकर कहूंगा कि अप्रैल में जब अध्यादेश की अवधि को बढ़ाने की बात आई तो उसमें होर्डर्स को सजा देने का प्रावधान सात वर्ष के स्थान पर दो वर्ष ही रखा गया। इसलिए इस सजा को पुरानी सरकार ने नहीं घटाया।

अपराह्न 6.00 बजे

इसलिए बिना जाने समझे बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय 1997 में गुजराल साहब प्रधान मंत्री थे, रघुवंश जी भी मंत्री थे तो आपने संशोधन लाकर पांच साल को दो साल किया या नहीं।*...(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खान (बहराइच): अध्यक्ष जी, एक कमेटी बैठा लें कि रघुवंश जी सही कह रहे हैं या खुराना जी सही कह रहे हैं।*...(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: ठीक है। इस बात की जांच हो जाए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां: संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना को अपने पास बैठे श्री श्याम बिहारी मिश्र से परामर्श करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वह व्यापार संघ के प्रेसीडेन्ट हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: हां तो क्या हो गया? मेरा कहना है कि*...(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: वह कानून जुलाई में पिछले सत्र में आया था और आपने कृपापूर्वक निदेश दिया कि यह स्टैण्डिंग कमेटी में चला जाए। फूड और कंज्यूमर अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी में उसको भेज दिया। समिति ने कहा कि इसको लागू किया जाए। जब सदन में वह बिल आया, जिस दिन उस पर बहस हो

रही थी, बिल पास होना था, उसी दिन अकस्मात् सरकार की तरफ से अमेण्डमेंट आया कि 50,000 रुपये के जुर्माने को 25,000 रुपये कर दिया जाए, 5000 रुपये या 10,000 रुपये कर दिया जाए। 15,000 रुपये के जुर्माने को कम कर दिया जाए और यह भी अमेण्डमेंट आया कि जो ऑफिन्स नॉन बेलेबल है, उसको बेलैबल कर दिया जाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो होर्डर न्यायालय के द्वारा कुसूरवार साबित हो जाए, उसकी सजा को कम करने, नॉन बेलेबल को बेलेबल करने और जुर्माने घटाने का काम इनकी सरकार ने किया तो आप बताइए कि ये ट्रेडर्स के पक्षधर हैं, होर्डर्स के पक्षधर हैं या प्राफीटीयर्स के पक्षधर हैं। इसी कारण आपने निदेश दिया और यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति में चला गया। इसलिए इतना बड़ा अंधेर हमने नहीं देखा और मुझे इसके लिए बहुत आश्चर्य नहीं है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन आश्चर्य नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं है क्योंकि महाभारत की कथा में जब भीष्म पितमाह मृत्यु शैया पर लेटे थे तब उनके शरीर से अधिकांश खून निकल गया था। उस समय वे उच्च आदर्श, उच्च नीति और धर्म के उपदेश दे रहे थे। उनके परिवार के सभी लोग वहां खड़े सुन रहे थे। द्रौपदी जो घर की पुत्रवधू थी, वह सुनते-सुनते हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी क्यों हंसती हो। द्रौपदी ने कहा कि जिस दिन भरी सभा में हमारा चीर हरण हो रहा था उस दिन यह उच्च आदर्श और सोच कहां चले गए थे? भीष्म पितामह ने कहा कि उस दिन मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा था इसलिए उस दिन असली नीति या धर्म नहीं बताया। जब बाण लगने से खून निकल गया और शरीर में शुद्ध खून बचा है तब मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूं। चूंकि होर्डर्स, प्रॉफिटियर्स और ब्लैक मार्केटियर्स के समर्थन से ये लोग आए हैं, इसलिए इनको असली नीति पसंद नहीं है। *...(व्यवधान)* इसीलिए उसके खिलाफ जो कानून है, चूंकि होर्डर्स और ऐसे लोगों के समर्थन से ये जीतकर आये हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कानून को ये लागू नहीं कर सकते *...(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): आप जो भगवान की कथा कर रहे हो, उस वक्त भगवान की गरिमा भूल गये थे, *...(व्यवधान)* उस वक्त आप कहां गये थे। *...(व्यवधान)* आज आपको यह याद आ रहा है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि यह महंगाई सुलतानी नहीं है आसमानी है। यह कहना भारी बेईमानी है कि यह आसमानी है, सुल्तानी नहीं। मैं कहता हूं कि यह इसका सबूत है कि इन्होंने कानून को शिथिल और नरम किया और खत्म किया। केवल नरम ही नहीं इन्होंने कानून को खत्म भी किया, अध्यादेश को खत्म कर दिया। इसलिए यदि महंगाई बढ़ने का कारण ढूंढा जाए तो 90 फीसदी महंगाई सुल्तानी है और 10 फीसदी आसमानी है। यह हिसाब करने से पता लगेगा। महंगाई की जड़ में ये लोग हैं। इस महंगाई पर क्या सुझाव दिया जाए, जब तक होर्डर्स, सपोर्टर्स, ब्लैकमार्केटियर्स, जमाखोरों, मुनाफाखोरों का समर्थन सरकार लेती रहेगी, तब तक महंगाई बढ़ेगी और जनता का कष्ट बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस पर हमारा एडजर्नमैंट मोशन था, आपने कृपापूर्वक उसे अस्वीकार नहीं किया। लेकिन उसको बिजनेस एडवायजरी कमेटी नियम 193 के तहत ले आई। काग्रेस के लोग जमाखोरी पर तेवर में नहीं है, इनको अटैक करना चाहिए। महोदय, आज तीसरी शक्ति की जरूरत है, वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए तथा इन तीनों से देश को बचाने के लिए उसे आगे आना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ तीसरी शक्ति का होना आवश्यक है जो जमाखोरों, मुनाफाखोरों और इन सबके खिलाफ लड़ सके। आज देश में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की लूट हुई है, इससे जनता को उबारने के लिए कुछ करने की जरूरत है। यदि यह पैसा किसानों की जेब में जाता तो हम समझ सकते थे। किसानों की जेब में पैसा नहीं गया। किसान विरोधी, जनविरोधी नीतियों के कारण ही महंगाई में वृद्धि हुई है। इसलिए महंगाई पर नियंत्रण के लिए इन लोगों ने जो बयान दिये हैं और जो कार्यवाही ये लोग कर रहे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए जनता को देश में एक भारी आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए इन स्वार्थी, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लुटेरे वर्ग के खिलाफ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शांता कुमार (कांगड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल राजनीतिक भाषणों से और देश के सबसे बड़े जनतंत्र, देश की सबसे बड़ी इस सभा में एक दूसरे पर केवल आरोप लगाने से इस देश की बुनियादी समस्या महंगाई का निदान नहीं होगा। बहुत आरोप लगाये गये, बहुत बातें कहीं गई। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस महंगाई के कारणों के पीछे सदन को जाना चाहिए, कुछ रचनात्मक सुझाव देने चाहिए और उसके आधार पर कोई कार्यवाही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में होनी चाहिए। महंगाई चिन्ता का विषय है। लोग दुखी और परेशान हैं, इससे कोई इंकार नहीं है और यह चिंता केवल एक पार्टी की नहीं है, सभी पार्टियों की है, पूरे सदन की है। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि उस तरफ से जब यह विषय रखा गया तो राजेश पायलट ने ऐसे ढंग से इस विषय को रखा कि जो भी हुआ है वह आठ-नौ महीनों में हुआ है। इससे पहले कभी महंगाई नहीं बढ़ी, इससे पहले भारत में स्वर्ग का राज था। कुछ अन्य मित्रों

[श्री शांता कुमार]

ने इस ढंग से इस सारी स्थिति को पेश करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई कुछ चीजों में बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परेशानी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महंगाई किस प्रकार की चीजों की बढ़ी और क्यों बढ़ी।

एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस महंगाई के बढ़ने के पीछे बहुत से कारण हैं। एक कारण यह भी है कि 1997-98 में उत्पादन कम हुआ। कितना उत्पादन कम हुआ, दालों का उत्पादन 13 लाख टन कम हुआ, गुंदम का उत्पादन 32 लाख टन कम हुआ, मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन 30 लाख टन कम हुआ, मूंगफली का उत्पादन 15 लाख टन कम हुआ, आलू का उत्पादन 68 लाख टन कम हुआ, प्याज का उत्पादन 6 लाख टन कम हुआ। उत्पादन कम होना, यह भी महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। जो महंगाई बढ़ी है, वह प्राइमरी आर्टिकल्स में अधिक बढ़ी। फ्यूल पावर लाइट लुब्रीकैंट ग्रुप के अंदर लगभग 1.1 परसेंट केवल महंगाई बढ़ी है। मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्टस के अंदर महंगाई 4.7 परसेंट बढ़ी है। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि महंगाई जिन चीजों पर बढ़ी, उनकी महंगाई का विशेष कारण रहा है। इस बात पर भी सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस बार बेमौसमी वर्षा हुई। इस देश में दिवाली पर कभी वर्षा नहीं हुई थी लेकिन इस बार दिवाली पर वर्षा हुई। इस वर्षा के कारण फसल खराब हुई। इतना नुकासन पूरे भारत में हुआ है कि लगभग सभी राज्यों ने मुआवजे के लिए भारत सरकार से सहायता मांगी है। इसके कारण बाढ़ आई, फसल बही और जहां-जहां प्याज और आलू पैदा होता था वहां बहुत अधिक नुकसान हुआ। 1997-98 में कुल उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार की कुछ फसलों पर बाढ़ के कारण नुकसान हुआ। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और है, इस देश में पिछले 45-50 सालों से जो नीतियां चल रही हैं, उसमें कृषि के संबंध में कोई एक निश्चित नीति नहीं है। कुछ मित्रों ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है। पिछली बार आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, प्याज का उत्पादन ज्यादा हुआ लेकिन किसान को उसका मूल्य नहीं मिला और मूल्य न मिलने के कारण किसान बर्बाद हुआ। मुझे हिमाचल प्रदेश का पता है। वहां करोड़ों रुपये का आलू सड़ गया, बर्बाद हो गया। इस वजह से किसान सड़क पर आ गये और उन्होंने आंदोलन किया। उस समय की कांग्रेस सरकार ने लाठीचार्ज किया और लोगों को जेल में डाला। जब उनको जेल में डाला गया तो किसानों ने कहा कि अगर जेल में ही जाना है तो दोबारा आलू लगाने की क्या जरूरत है? इसलिए होता यह है कि एक बार फसल ज्यादा होती है और उसका प्रबन्ध नहीं हो पाता। जब प्रबंध नहीं हो पाता तो दूसरी बार किसान बीज कम लगाता है, बोआई कम करता है जिसकी वजह से उत्पादन कम होता है। अव्यवस्था के कारण, कोई वैज्ञानिक पद्धति न होने के कारण, कौन सी फसल कब कैसे लगाई जाये और यदि उत्पादन ज्यादा होता है तो उसका भंडारण हो, उसकी प्रोसेसिंग हो, उसके स्टोरेज का इंतजाम हो, वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रबन्ध हो। इस प्रबन्ध के न होने के कारण और इस देश में कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है कि एक साल किसान उत्पादन करके मरता है और दूसरे साल उपभोक्ता चीजों की कमी और महंगाई के कारण मरता है। इसका प्रमुख कारण यही है और इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पिछले 40-45 सालों के अंदर उचित प्रबंध के न होने के कारण 23 हजार करोड़ रुपये के फल और सब्जियां इस मुल्क में बर्बाद होती हैं।

अपराह्न 6.14 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

क्योंकि उनके रखने का प्रबंध नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का प्रबंध नहीं है, मार्केट तक लाने और ले जाने का प्रबंध नहीं है। यह व्यवस्था है, यह सिर्फ आठ महीने में नहीं पैदा हुई। ये आठ महीने उसका कारण नहीं है। इसका इंतजाम अधिक से अधिक करना चाहिए था। किसान जो पैदा करता है, उसका रख-रखाव हो, संभाल हो। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है कि मटर डीहाइड्रेट करके रखे जा सकते हैं। आज टमाटर का पैस्ट बनाकर रख सकते हैं तो प्याज, टमाटर का प्रबंध क्यों नहीं हुआ। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसकी सारी जिम्मेदारी नौ महीने की सरकार पर डालना, यह बिल्कुल गलत है। वास्तविकता यह है कि इन सारी बातों के बारे में वैज्ञानिक चिंतन, प्रबंधन और इंतजाम पिछली सरकारों ने नहीं किया और इसके कारण यह स्थिति पैदा हुई।

एक बात यह कही गई कि एक्सपोर्ट तुरंत बंद होना चाहिए था, इम्पोर्ट होना चाहिए था। यदि उसमें कोई कमी रही है, हम उस कमी को स्वीकार करेंगे। लेकिन सरकारें एक्सपोर्ट करने के जो सौदे करती हैं, वे सौदे एकदम नहीं तोड़े जा सकते। इस बात की जांच होगी, माननीय मंत्री जी इस बात के बारे में स्पष्ट करेंगे। यदि ऐसे कुछ सौदे थे तो कुछ देर तक उनको निभाने की जरूरत थी। लेकिन सरकार ने कोशिश की कि एक्सपोर्ट को तुरंत बंद किया जाए, इम्पोर्ट किया जाए और इस दिशा में उन्होंने प्रयत्न करने की कोशिश की है।

जैसा मैंने कहा, जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार की एक संतुलित व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सब्जियों और फलों के रख-रखाव का ठीक ढंग से प्रबंध किया जाए। कृषि मंत्रालय ने

वैजीटेबल टैक्नोलोजी मिशन बनाने की योजना बनाई है। मैंने इस बारे में अखबार में पढ़ा है। मैं कृषि मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूं। बुनियादी जरूरत यह है कि कृषि का उत्पादन, स्टोरेज, मार्किटिंग, प्रोसैसिंग इत्यादि के बारे में वैज्ञानिक आधार पर योजना बनाई जाए ताकि इस प्रकार की परिस्थिति दुबारा पैदा न हो।

प्याज को आयात करने के आदेश दिये गये, आयात हुआ। प्याज पहुंच गया लेकिन उसे बंदरगाहों से लाने की पूरी व्यवस्था नहीं हो सकी। उसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, वे नहीं हैं। बंदरगाहों में पूरा प्रबंधन न होने के कारण आयात होने के बाद भी उन सारी चीजों को ठीक जगह पर नहीं पहुंचाया जा सका। इस बार साईक्लोन के कारण कांडला की बंदरगाह डैमेज हो गई थी, वह भी एक कारण हुआ। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले 40-50 सालों से जो सरकार राज करती थी, यह उनकी जिम्मेदारी थी।

उधर के मित्रों ने जिस ढंग से कहा, वास्तविकता यह है कि आज जो महंगाई, जो आर्थिक ढांचा चरमराया है, इसका कारण 8-9 महीनों की नीतियां नहीं हैं, इसका कारण 40-50 वर्षों की नीतियां हैं क्योंकि आर्थिक तंत्र एकदम इस ढंग से नहीं चलता, वह पुरानी सारी नीतियों का परिणाम होता है। ...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी): सेब का दाम कम करने की वजह से इनकी भी सरकार चली गई थी। ये क्या बोलेंगे। ...*(व्यवधान)* हिमाचल में सेब का दाम कम कर दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री शांता कुमार: सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद: सेब का दाम किसानों के खिलाफ कम करने के कारण उन्होंने इनको मजा चखाया था, सबक सिखाया था। इस बात को सारा हिन्दुस्तान जानता है। ...*(व्यवधान)* यह कोई ढको-छुपी बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सेब का स्वाद अच्छा होता है इसीलिए दाम घटाया था।

श्री शांता कुमार: इस बात को बुनियादी तौर पर सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस की 50 वर्षों की नीतियों के कारण देश का आर्थिक ढांचा चरमराया है। मैं देख रहा था, सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशासनिक व्यय इस हद तक बढ़ गया जिसका परिणाम आर्थिक ढांचे पर, इनफ्लेशन पर हुआ। पिछले दस वर्षों में प्रशासनिक खर्चा 76 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। विकास पर केवल 64 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। विकास पर जो खर्च होता है, वह दस वर्षों में 64 फीसदी से घटकर 51 प्रतिशत हो गया और नान-डैवलपमेंट खर्च 36 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया। इस ढंग से अनाप-शनाप नान-प्लान्ड एक्सपैंडीचर, वेस्टफुल एक्सपैंडीचर, इस सरकार ने 40-50 वर्षों में बढ़ाया है जिसके कारण इकोनौमी पर बोझ पड़ा है और उसके कारण इनफ्लेशन और महंगाई हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने हजार करोड़ रुपये लगाए जिसके कारण कितना घाटा हो रहा है। यह भी महंगाई का कारण है। 6 लाख करोड़ रुपये के उधार, उन उधारों पर दिए जाने वाले ब्याज, उसके कारण आज की दिवालिएपन की परिस्थिति पैदा हुई है। जो भ्रष्टाचार 40-50 सालों में होता रहा, पिछले दस सालों में ही जो कुछ बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, उनमें ही 20-25 हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। इंडिया टूडे के मुताबिक 95 हजार करोड़ रुपये आज विदेशी बैंकों के गुप्त खातों में जमा है। ये सारे के सारे कारण हैं, जिस कारण पूरा आर्थिक तंत्र चरमराया और जिसके कारण आज महंगाई हो गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारी महंगाई के लिए केवल नौ महीने की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

आप जमाखोरी की बात कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि इस सरकार द्वारा किसी भी तरीके से कभी भी इस तरह के लोगों को समर्थन देने का कोई सवाल नहीं होता। इस सरकार के बारे में जब यह बात इस देश में कही जाती है तो जितने भी वर्ग हैं, उनमें से किसी भी वर्ग को एकदम गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जमाखोरी करने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज यहां सब लोग जमाखोरों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें थीं, उन्होंने वहां क्या किया? उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? इन सारी महंगाई का कारण केवल जमाखोरी नहीं है। इस महंगाई का कारण 40 साल की गलत नीति, इस महंगाई का कारण प्रशासनिक बोझ, इस महंगाई का कारण मौसम की मार, इस महंगाई का कारण 1997-98 में उपज का कम होना ये सारे के सारे कारण हैं। लेकिन इस महंगाई के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है।

मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, एक दूसरी बहुत बड़ी चिन्ता है, एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर इसका निदान नहीं होगा। मुख्य रूप से देश का जो आर्थिक तंत्र है, उसमें बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है। यह 40 साल की नीतियों

[श्री शांता कुमार]

का परिणाम है, यह केवल नौ महीने की नीतियों का परिणाम नहीं है और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस समय की सरकार पर है। आज बहुत से मित्र कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ी है, वह भी एक कारण है। जनसंख्या बढ़ी है, उसको रोकने की भी कोई कोशिश नहीं होती है। ये बुनियादी सवाल हैं, जिन सवालों पर पार्टी की दीवारों से ऊपर उठकर पूरे सदन को विचार करना चाहिए, इसमें केवल आरोप लगाकर काम नहीं बनेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार की जिम्मेदारी में कमी नहीं है, इस सरकार ने पूरा प्रबन्ध किया है। जो 40 सालों में इन्होंने बीजा, वह आज देश को काटना पड़ रहा है। यह जो कुछ आज है, उनकी नीतियों का परिणाम है और हमारी सरकार ने बुनियादी नीति, बुनियादी बदल इस बारे में किये हैं, उनका परिणाम आने वाले समय में निकलेगा। धन्यवाद।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सम्माननीय सभापति महोदय, श्री राजेश पायलट जी ने जो महंगाई पर अपना विचार रखा है, आवश्यक वस्तुओं का जो अधिक मूल्य हो गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): महंगाई के समर्थन में?

श्री राजो सिंह: मूल्य-वृद्धि पर, उसका नाम महंगाई होता है। चंडीगढ़ में नहीं होता होगा, वित्त मंत्री जी से पूछिए।

आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब यह सरकार शपथ ग्रहण करके पहली बार आई और हम लोग इस सदन में आये थे तो इनका उत्साह इतना बढ़ा हुआ था कि हम लोगों की तरफ तिरछी नजर से देखा करते थे और यह समझते थे कि देश में इनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है, खासकर कांग्रेस की स्थिति बदतर हो गई है और कहा करते थे कि जनता ने आपको ठुकरा दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस दिन आपने इस सदन में प्रवेश किया था, उस दिन का उत्साह और जब 30 नवम्बर को इस सदन में प्रवेश किया, उस दिन का उत्साह, दोनों दिन के उत्साह में कितना अन्तर है, आप स्वयं विचार करें। हमको आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। इस देश के गरीब क्या खायें, जो गरीबी में पल रहे हैं, जो गरीब हैं, चाहे वे उत्तर प्रदेश में हों, बिहार में हों, दिल्ली में हों, राजस्थान में हों, पश्चिम बंगाल में हों, उड़ीसा में हो, एक साधारण सी बात चलती थी कि पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा और बिहार का जो उत्तरी इलाका है, वे लोग भात में छोटा प्याज मिलाकर खाया करते थे। इसी तरह से गरीब लोगों के बाल-बच्चे होते हैं तो मां अपने बच्चे की मालिश सरसों के तेल से करती थी, जिससे उसके शरीर की हड्डियां मजबूत बनें और शरीर भी स्वस्थ रहें। आज भी गरीब मां अपने बच्चों के शरीर की मालिश करती है। बड़ा ताज्जुब हुआ, जब हमारे साथी, जोकि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और उन्हें प्रशासन का बड़ा अनुभव रहा है, वे यहां बोल रहे थे कि उत्पादन कम हुआ है। मैं मानता हूं उत्पादन कम हुआ। लेकिन किस चीज का उत्पादन कम हुआ, क्या दाल का हुआ, सब्जी का हुआ, कड़वे तेल का हुआ, आलू का हुआ, सरसों का हुआ, अगर इनका उत्पादन कम हुआ तो बाजार में ज्यादा दाम देने के बाद ये चीजें कैसे मिल रही हैं? अगर उत्पादन कम हुआ तो क्या कांग्रेस की सरकार जब थी उसने प्याज को विदेश भेजा था, जिससे 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह गरीब का पैसा किसकी जेब में गया? अगर मैं कहूं उसमें आपने गड़बड़ की है तो क्या गलत होगा। आखिर किस बुनियाद पर आपने ऐसा कहा? आपको अनुभव था कि 50 साल तक हमने गड़बड़ की है, शासन चलाया है तो उसका आपने इलाज ठीक समय पर क्यों नहीं किया?

श्री सत्य पाल जैन: समय लगेगा।

श्री राजो सिंह: कितना समय लगेगा? आपने साढ़े सात रुपये की दर पर यहां बिक रहा था, लेकिन उसे बाहर क्यों भेज दिया? शर्मा जी सदन से चले गए हैं। हम लोग उनको प्रवक्ता के रूप में समझते थे। उनसे बड़ी आशा थी कि वे मंत्रिमंडल में दूसरे स्थान पर रहेंगे, लेकिन पता नहीं वे किन के ग्रुप में हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी में भी ग्रुपबाजी जोरों से चल रही है। एक दूसरे को हराने का काम आपने किया है। दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और दूसरे नेताओं ने भी इसको स्वीकार किया और कहा कि घर में आग लग गई घर के चिराग से। आग लगनी चाहिए थी प्याज से, लेकिन आपके घर में खुद के चिराग से आग लगी। क्या इसमें भी कांग्रेस का हाथ था? आपने प्रचार किया कि सरसों का तेल कोई नहीं खाए, इससे बीमारी हो रही है इसलिए हम इसकी जांच कराएंगे।

श्री सोमपाल: माननीय राजो सिंह जी स्वयं किसान हैं। उन्होंने कहा कि सात रुपए बिक रहा था, निर्यात क्यों किया। अगर उस समय निर्यात नहीं करते तो किसान का प्याज एक रुपए किलो भी लेने वाला कोई नहीं था। पिछले से पिछले वर्ष आलू और प्याज सड़ गया, फिर कम बोया गया, उसका दुष्परिणाम कम उत्पादन के रूप में सामने आया। उस समय प्याज निर्यात नहीं करते तो प्याज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको दो साल तक स्टोर कर सकें।

श्री राजो सिंह: हमारे कृषि राज्य मंत्री जो संसदीय कार्य में बड़े दक्ष माने जाते हैं। मैं तो पहली बार संसद में आया हूं, लेकिन इनके कार्यकलापों के बारे में जानकारी होती रहती है। हम लोग विपक्ष में हैं, जब आप उत्तर दें तो यह कहें, हमारा समय क्यों लेते हैं।

श्री सोमपाल: आपकी अनुमति से लिया है।

श्री राजो सिंह: इसीलिए मैं बैठ गया। आप जैसा आदमी जब बोलने के लिए खड़ा हो तो मैं नहीं बैठूं तो यह संसदीय परम्परा के विपरीत होता। 1.12.98 को मैंने एक प्रश्न किया था। उसके बारे में आपने क्या जवाब दिया है। यह आपका आंकड़ा है। हमारा आंकड़ा नहीं है। यह प्रश्न 22 के उत्तर में आपने लिखा है कि चावल 1995 में 9.50 रु. प्रति कि.ग्रा. था और नवम्बर 1998 में 11 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गया। चना 1995 में 15.50 रु. प्रति कि.ग्रा. और नवम्बर 1998 में 20 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गया। अरहर की दाल 1995 में 31 रु. प्रति कि.ग्रा. थी और 1998 में 41 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गई। 1995 में आलू 8 रु. कि.ग्रा. था। आलू और प्याज के बारे में सुनकर आप थक गए हैं तो चाय की तरफ देख लीजिए। चाय 1995 में 80 रु. कि.ग्रा. थी और आज नवम्बर 1998 में 110 रु. कि.ग्रा. है। इसको क्या बढ़ाना नहीं कहते हैं? चाय का उत्पादन कम हो गया। असम और दार्जिलिंग में क्या हो गया? क्या वर्षा हो गई या पानी पड़ गया? कृषि मंत्री जी ने कहा कि प्याज सड़ जाती। आखिर जवाबदेही किसकी थी?

हमारे इलाके में एक नवाब साहब की दोस्ती एक अंग्रेज से थी। एक दिन जब वह अंग्रेज उनके यहां खाना खा रहे थे तो अंग्रेज ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा कि अभी मुंशी जी को बुलाते हैं? उन्होंने मुंशी जी से पूछा कि हमारे बच्चे कितने हैं? मुंशी जी ने कहा कि दर्जी को बुलाकर पूछते हैं। दर्जी ने भी कहा कि बच्चे कितने हैं, यह तो नहीं मालूम लेकिन कपड़ा कितना सिला गया है, यह बता सकता हूं। इस प्रकार नौकर और बच्चा सहित सबका कपड़ा तो सिला गया था, वे सारे बच्चे उनके हो गये। इसी प्रकार आलू किसका था? प्याज किसका था? सभापति महोदय, इनका था कि नहीं था? आप बढ़िया प्रबंधक साबित नहीं हुए। सरकार जरूर बना ली है। जब तीस तारीख को आए तब इनके चेहरे पर निराशा थी। मुस्कराने की बड़ी हिम्मत कर रहे थे लेकिन राजस्थान में इतनी चोट लगी और वह चोट बैलट की लगी, बंदूक की नहीं लगी। इतनी चोट लगी कि मुर्झा गए। दिल्ली में क्या पोजीशन थी? हम एक कमेटी में एक मंत्री जी से बात कर रहे थे, मैंने पूछा कि क्या रिजल्ट आने वाला है? उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत घट-बढ़ होगा लेकिन सरकार तीनों जगह हमारी ही बनेगी। यह पोल चारों तरफ बता रहा है कि आप तीनों जगह पर हार गए हैं। मध्य प्रदेश में जीतने की संभावना हो सकती थी। बरनाला जी, आप अच्छे प्रशासक माने जाते थे लेकिन अब नहीं माने जाते। आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में मैंने सबसे पहले मूव किया था और मैंने कहा था कि इसे सलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। आपने बड़ी भारी भूल की कि वह बिल लाए। उस दिन भी हमने कहा था कि वह बिल नहीं लाना चाहिए था। जब बिल आप ले आए तो लोगों का मनोबल बढ़ गया। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में एक कहावत है कि "सैया भए कोतवाल तो अब डर काहे का"। जब कोतवाल ही उसका हसबैंड है तो उसे डर क्या है? वह सोचती है कि हमारा तो रखवाला उस स्थान पर पहुंच गया। मेरे मन में प्रधानमंत्री जी और आपके प्रति बहुत आदर है। इस प्रकार डैमोक्रेसी में काम किस प्रकार चलेगा? आपने किसकी हिफाजत की? आप कहते थे कि हम स्थायी सरकार देंगे, स्थायी सरकार देना तो दूर आपको रात में बिना गोली खाए नींद भी नहीं आती हैं या डाक्टर से दवा लेकर आराम से सोते हैं। आपको नींद नहीं आ रही है कि कहीं ममता बनर्जी नाराज न हो जायें, कहीं समता दल वाले नाराज न हो जायें, कहीं जॉर्ज साहब कुछ खिलाफ न बोल दें, कहीं शिवसेना वाले नाराज न हो जायें या कहीं मुम्बई से हाईकमान का फैसला उल्टा न हो जाए। कहने का मतलब यह है कि आप घबराए हुए हैं।

हमारे मित्र, श्री वैको साहब, सदन में बैठे हुए हैं। वैको साहब की कान्स्टीटुवेंसी में मैं गया था, कमेटी में इनका फोटो बहुत देखा था। इनके यहां शादी में तीन-तीन मिनिस्टर गए। क्यों गए? आप अपने एमपी के यहां जाकर दिखाइए। लेकिन यहां इनके डर से गए, इनके बेटे या बेटी की शादी में गए। पहले इनसे क्या जान-पहचान थी, जो वाजपेयी जी, होम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर गए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको: यह अच्छी टिप्पणी नहीं है। श्री शरद पवार भी शादी में शामिल होना चाहते थे। यह प्यार और स्नेह के कारण है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: पर्सनल कुछ नहीं है। हमको उनको कुछ कहना है।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): राजो सिंह जी, शादी-ब्याह में जो जाता है, वह डर से जाता है, आपसी सम्पर्क कुछ नहीं होता है। आप यह समझते हैं कि शादी-ब्याह में जो जाए, वह डर के मारे जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: आप बैठ जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करिये। मेरे कहने का मतलब है कि निमंत्रण कार्ड बहुत आया होगा और हमारे पास भी आया होगा, लेकिन स्थिति दूसरी है। आप घबराए हुए हैं और आप सहयोगी दलों के दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिल जाता, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। हम भी संसद में चुनकर आए हैं। आप भी पांच वर्ष सरकार में रहते और हम भी यहां रहते तथा अपने इलाके की जनता की बात कहते। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको बहुत खतरा है। आप लड़खड़ा गए हैं और आप के बीच में लम्बा-चौड़ा ग्रुप तैयार हो रहा है और मारा-मारी हो रही है। आप मंत्रिमंडल का विस्तार तो करके देखिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको एक मौका मिला है, जितने दिन रहना है, आप रह लीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई बाधा नहीं है। हमारी नेता ने तो कहा है कि हम आपको गिराना नहीं चाहते हैं, हम आपके कामों की निगरानी करना चाहते हैं और हम देख रहे हैं। हमारी मेहरबानी नहीं है, मेहरबानी तो जनता की होनी चाहिए। तीन राज्यों में तो आप खत्म हो गए हैं। आप समझते थे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन आप ही किनारे हो रहे हैं। आप निगलते जा रहे हैं। मैं बरनाला साहब से बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि आप इस समस्या पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस बिल को वापस ले लीजिए और हूबहू वही बिल ले आइए जो पहले था। उसी तरह का बिल लाइये तब ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।

आप सामान की व्यवस्था करना चाहते हैं। मैंने कृषि मंत्री श्री सोमपाल जी का बयान देखा है, उन्होंने कहा है कि हम हर ब्लॉक में दो हजार मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनायेंगे। किस चीज के लिए गोदाम बनायेंगे, क्या सिर्फ अन्न रखने के लिए या आलू रखने के लिए बनायेंगे। मेरा विचार है कि आप उसमें इस तरह की व्यवस्था करें कि उसमें सब्जी की व्यवस्था भी हो जाए। मैं विधान सभा की एक समिति को लेकर महाराष्ट्र गया था, उस समय श्री नायक मुख्य मंत्री थे। मैंने उनसे पूछा-बाजार समिति से आप क्या काम लेते हैं? उन्होंने बताया-बाजार में जब सब्जी के दाम दो आना, चार आना या छः आना बढ़ता है तो हम बाजार समिति को डायरेक्शन देते हैं कि तुम मार्केट में प्रवेश करो और इतना सामान बाजार में ले आओ कि दाम बढ़ने न पाये। इससे दूसरे ही दिन दाम घट जाता है। मैं पूछता हूं कि क्या आप ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की? आपको जानकारी थी कि बाजार में तेल की कीमत बढ़ेगी, अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने यह किया कि मोहर लगाकर उसी सामान को बाजार में बेच दिया। जब आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई, क्योंकि उन्हीं दिनों चुनाव होने वाले थे, आपको चंदा मिल गया, तो उस तेल को बेचने वाले को आपने फ्री कर दिया। हमारे ही क्षेत्र बेगूसराय की घटना के बारे में, यशवंत बाबू बैठे हैं, जानते हैं। आपके सिविल सर्वेंट ने तेल दिल्ली में पकड़ लिया, जो आज तक सड़ रहा है। वह दिल्ली का व्यवसायी था जो पूर्णिया और दार्जिलिंग तेल को ले जा रहा था। उस सारे तेल को कलेक्टर और एस.पी. ने जब्त किया। आज तक वह तेल वहीं पड़ा हुआ है। हमने कहा भी था कि तेल को नीलाम करवा दो तो कम से कम गरीब आदमी को मिल जाए, यह व्यवस्था भी आप नहीं कर सके हैं। वित्त मंत्री जी, आप अफसरशाही का भरोसा मत करिए। जिस अफसरशाही ने हमें पटक कर 50 वर्ष के बाद इस किनारे पर ला दिया, जब भारी सवार को इस किनारे पर ला दिया, आप तो हल्के सवार हैं। जब घोड़े पर कोई सवारी करता है तो वह समझता है कि जो पहलवान आया है वह कैसा है। जिस तरह घोड़े पर सवार चढ़ता है तो घोड़ा समझ जाता है कि यह किस तरह का पहलवान है, इसके पैर में कितनी ताकत है, यह ठीक से बैठ सकता है या नहीं। यह अफसरशाही आपको भी ठीक से नहीं रहने देगी। आप और हम हट जाएंगे लेकिन अफसरशाही में जो डिप्टी सेक्रेट्री है वह सेक्रेट्री हो जाएगा। जो होम सेक्रेट्री कांग्रेस के राज में चला रहा था, जो भारतीय जनता दल के लोग हैं उनका चला रहा था, आज वही फीगर उलट कर आडवाणी साहब को भी ठीक कर रहा है, वाह रे युग-वाह रे समय। इस परम्परा को बंद करना पड़ेगा। हम सार्वजनिक जीवन के जो लोग पार्लियामेंट और असेम्बली में चुन कर आते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। इसलिए हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि क्या करें।

वित्त मंत्री जी, आप एक महीने में बिल ले आते हैं। फाइनेंस आपको नहीं रोकता है, आप बढ़ाने के लिए ले आते हैं। फलाने आफिसर का दर वहां बढ़ जाना चाहिए, वहां कौन से आफिसर का दर बढ़ जाना चाहिए। वह रिटायर हो गया, उसका 1996 से बढ़ जाना चाहिए। पार्लियामेंट के मेम्बर को एक करोड़ रुपया दे दिया, जिसे कांग्रेस ने दिया था। क्या आपको नहीं पता है कि ईंट, छड़ का दाम बढ़ गया, मजदूरी का रेट बढ़ गया? फिर आप कहते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे। विकास का दर बढ़ा है, कैसे विकास का दर बढ़ रहा है? आपके कागज पर विकास का दर बढ़ा होगा। रोड टूटा हुआ है, पैसा मिलता नहीं है। हमारे साथियों ने आग्रह किया था कि साहब, दो करोड़ कर दीजिए। यह पैसा किसी एम.पी. की जेब में नहीं जाता है। सारे अखबारों में छप गया कि दो करोड़ एम.पी को विकास का काम करने के लिए मिल रहा है और 50,000 प्रत्येक एम.पी. को वेतन तथा भत्ते के रूप में मिलता है। किस जगह मिलता है? जरा हमें कोई एम.पी.

हिसाब बता दे कि हमें कितना पैसा महीने का मिलता है। चाय का दाम कितना हो गया? माननीय बरनाला जी, आपके घर में जब कोई आता होगा तो आप उसको चाय पिलाते होंगे, उसका आपके यहां कंटीन्जेंसी से पेमेंट होता होगा, क्योंकि आप मंत्री हैं इसलिए आपको पता नहीं होगा कि चाय में कितना खर्च होता है। *...(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): हम वहां से नहीं लेते।

श्री राजो सिंह: आप नहीं लेते तो आपको बहुत धन्यवाद है। आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको सारी बातों की जानकारी है। आपको क्या बताया जाए कि क्या पोजिशन होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब किसी एम.पी. के पास उसके यहां के लोग मिलने के लिए आते हैं तो वह उनको चाय पिलाता है। मैं एक दिन वित्त मंत्री जी के यहां मिलने के लिए गया था तो उन्होंने लोगों को चाय पिलाई। अगर हम उसका हिसाब जोड़ें तो कितना रुपया लगता होगा। *...(व्यवधान)* डा. शकील साहब ने 70 रुपए की अपने गेस्ट को चाय पिलाई। ये जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम हैं? आप जब चंडीगढ़ कार से जाते होंगे तो जो रास्ते में होटल पड़ता होगा उसमें चाय का क्या दाम लगता होगा। दस वर्ष पहले जब आपकी दाढ़ी सफेद नहीं थी, काली थी तब कितना लगता था? आप व्यावहारिक आदमी हैं। सभी लोग गांव के रहने वाले हैं। आप वास्तविकता को महसूस करिए। *...(व्यवधान)*

महोदय, ये दामों को कंट्रोल करें और अगर नहीं करेंगे तो यह रह नहीं सकते हैं। ये कितनी ही अपनी पीट को थपथपाएं लेकिन ये रहने वाले नहीं है। आपने कहा कि जांच करा लीजिए, क्या जांच कराएंगे। हमारे पास पुराना एक्ट भी है और नया एक्ट भी है, क्या जांच कराना है। जब उसको सजा सात साल मिलनी थी तो उसको इन्होंने घटा कर कम कर दिया। जुर्माना लगता था, मार्केटिंग इंस्पेक्टर चैकिंग करता था। आपके दल में व्यावसायिक संघ के लोग भी रहते हैं।

हम लोगों ने सुना था कि एक संघ परिवार होता है, लेकिन आज एक और संघ परिवार हो गया जो हर जगह एडवाइज देता है। बरनाला साहब, आप उनकी एडवाइज में मत आइएगा। *...(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: कल तमिलनाडु के व्यापारी आये थे तो कांग्रेस और आप के लोग भाषण करने गये थे।

श्री राजो सिंह: संगठन में रहना कोई बुरी बात नहीं है। हम तो आपकी जगह पर स्वेच्छा से रह जाएं। लेबर और व्यापारिक संघ में काम करना बड़े फायदे का काम होता है, बड़ी मदद लोगों को हो जाती है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: आप बिहार में बन जाइयेगा।

श्री राजो सिंह: हमें कौन बनाएगा। वह तो बी.जे.पी. को कहते हैं। जिनके पास बिजली नहीं, जल नहीं, वहीं तो बी.जे.पी. है। आपके राज्य में न बिजली मिलती है, न पानी मिलता है। हम सुबह 6 बजे स्नान करना चाहते हैं तो दिल्ली में पानी भी नहीं मिलता है। ऐसी व्यवस्था आपने यहां दिल्ली में कर रखी है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अब आप शासन को चलाने के लायक नहीं हैं। प्रकृति भी 9 महीने पानी और बिजली देती है और 9 महीने आपके हो गये हैं, अब आप गद्दी छोड़ दीजिए। संसद का चुनाव हो जाए तो जो आने वाला होगा वह आयेगा।

[अनुवाद]

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल): सभापति महोदय, इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिछले तीन महीनों के दौरान देश में कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। आम आदमी मूल्य वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है इसलिए हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम बैठे और इस मामले पर विचार करें। देश की सर्वसाधारण जनता के हितों की रक्षा करना और उन्हें उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना, केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का कर्त्तव्य है।

हाल के विधान सभा चुनावों के दौरान हीरो कोई राजनीतिक नेता नहीं था बल्कि प्याज था जिसका मूल्य बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गया था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सराहनीय कदम उठाए और जनता को सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 10 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध करायी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि केवल बिचोलिये ही अपने निजी लाभ के लिए अतिरिक्त मदों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के कार्य में लिप्त रहते हैं। वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के लिए केवल व्यापारी वर्ग ही उत्तरदायी है जो इन वस्तुओं की जमाखोरी करके और कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा कर देता है। अभी हाल में देखने को मिला कि दिल्ली में एक दो दिन कुछ इलाकों में नमक 50-60 रु. प्रति किलो की दर पर बिका। तब केन्द्र और राज्य सरकार ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही की और नमक की कमी की अफवाह को निराधार सिद्ध कर दिया और कमी की समस्या का समाधान हो गया।

[श्री सी. श्रीनिवासन]

महोदय मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि के लिए अन्य उत्तरदायी कारण है। क्रय शक्ति के सन्दर्भ में रुपये के मूल्य में गिरावट ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। गरीबों की दुर्दशा देखकर मूल्य संबंधी कैबिनेट समिति ने 15 अक्तूबर को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रधानमंत्री द्वारा 27 नवम्बर को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाना मूल्य नियंत्रण की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है हालांकि यह सम्मेलन देर से बुलाया गया था। इस सम्मेलन में पारित 11 सूत्रीय संकल्प दूर भविष्य में भी मूल्यों को बढ़ने से निश्चय ही रोकेगा।

महोदय, शेयर बाजार में तेजी से आए उतार-चढ़ाव इस समस्या पर थोड़ी देर तक ही असर डालते हैं। ऐसी स्थिति में कृत्रिम मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है और इसके फलस्वरूप मूल्य बढ़ जाते हैं।

किसी सरकार के कार्यकरण की समीक्षा के लिए आठ महीने कोई लम्बी अवधि नहीं होती है, कुछ राजनीतिक दलों की धारणा के विपरीत भाजपा के नेतृत्व में गठबन्धन सरकार का कार्यकरण पर्याप्त रूप से सन्तोषजनक है।

आखिरकार नुकसान आम आदमी का होता है क्योंकि आम आदमी संकटों का सामना कर रहा है इसलिए हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करें।

मैं अपनी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. की जुझारू नेता डॉ. पुराची थालैवी जे. जयललिता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): सभापति महोदय किसी विशेष वस्तु की मूल्य वृद्धि कुछ लोगों की चिन्ता का विषय हो सकता है जबकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न केवल विपक्ष और सरकार की चिन्ता का विषय है बल्कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक की चिन्ता का विषय है। भारत की 950 मिलियन जनता को इस मूल्य वृद्धि के आघात को सहना पड़ेगा।

महोदय, पहले तर्कवादी और सुधारक पेरियार रामास्वामी राजनीति की मूर्खतापूर्ण घटनाओं की तुलना 'वेनगायम' से किया करते थे। अंग्रेजी में जिसे 'ओनियन' कहते हैं उसे ही तमिल में 'वेनगायम' कहते हैं। उस समय उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा जब भारतीय संसद में एक विशेष वस्तु 'ओनियन' के ऊपर भी चर्चा होगी। उन्होंने इस सब्जी को बदनाम नहीं किया है। परन्तु उनके समय यह सब्जी बहुत सस्ती थी। क्योंकि यह बेहद सस्ती थी इसलिए वे मूर्खतापूर्ण घटनाओं की तुलना प्याज के साथ करते थे।

महोदय इस महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आप जिम्मेदार है या विपक्ष? इसकी जिम्मेदारी सरकार है। मूल्य वृद्धि की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी की है। भारत में इस समय गठबन्धन सरकार सत्ता में है। मुझे विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय इस प्रतिष्ठित सभा में मेरे द्वारा की गई टिप्पणियाँ याद आ रही है। मैंने सरकार को चेताया था कि उन्हें मामलों पर निर्णय करते समय, अपने मित्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में सावधानी बरतनी चाहिए। आज मेरे शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वे सत्ता में आना चाहते थे। वे अपने सहयोगी दलों से पूर्ण सहयोग चाहते हैं और उन्हें प्रसन्न रखना चाहते हैं। परन्तु इसी के साथ वे आवस्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में नहीं रख सकें। वे स्थिति पर पैनी नजर नहीं रख रहे थे। अपनी सोच और निर्णय लेने में सरकार इतनी लापरवाह शिथिल और असावधान थी कि बाजार में न केवल आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई अपितु उपभोक्ताओं में इनकी कमी और घबराहट भी पैदा हो गई। क्या यह सच नहीं है? एक तरह से प्याज अत्यधिक विस्फोटक वस्तु बन गई। आजकल प्याज पोखरण-2 में किए गए अणु विस्फोटों से अधिक शक्तिशाली बन गई है।

महोदय सरकार को यह स्पष्ट बेतावनी है। यह देश के वर्तमान कर्त्ताधर्त्ताओं को स्पष्ट चेतावनी है। यह स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं के गुस्से से कई राज्य सरकारें गिर गई हैं। इससे दिल्ली में सरकार गिर गई है। इससे राजस्थान सरकार की गद्दी छिन गई है। भाजपा के कारण ही कांग्रेस फिर से अपने पैर जमा सकी है। सत्तारूढ़ पार्टी ही इन सब बातों की जिम्मेदार है।

महोदय मई, 1998 के दौरान जब सरकार सत्तासीन हुई थी उस समय प्याज का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम था। अगस्त के महीने में यह 13 रुपये प्रति किलो थी। सितम्बर के महीने में यह 23 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अक्तूबर में इसका दाम बढ़कर 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। नवम्बर के महीने में प्याज का दाम बेतहाशा बढ़कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

मैं अब तुलनात्मक रूप से प्रतिशत में मूल्य वृद्धि, जोकि थोक मूल्य सूचकांक जो संयुक्त मोर्चा सरकार के समय था और जो इस सरकार के समय था, को उद्धृत करूँगा। 15.11.97 को प्याज का प्रतिशत अन्तर 2.4 था और 14.11.98 को थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत अन्तर 298.5 प्रतिशत था। आलू के संबंध में 15.11.97 को थोक मूल्य सूचकांक 53.7 प्रतिशत था और 14.11.98 को आलू के लिए प्रतिशत अन्तर 375.1 प्रतिशत था। टमाटर के लिए,

संयुक्त मोर्चा सरकार के समय यह 21 प्रतिशत था जबकि इस सरकार के राज में यह 55 प्रतिशत था। सरसों के तेल के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार के समय यह 8.6 प्रतिशत था और इस सरकार के दौरान यह 80 प्रतिशत है। मूंगफली के तेल के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार के संबंध में यह -2.1 प्रतिशत था जबकि इस सरकार के शासन में यह 26.7 प्रतिशत है। लाल मिर्च के संबंध में संयुक्त मोर्चा सरकार के समय यह -18.7 प्रतिशत जबकि इस सरकार के शासन में यह 30.4 प्रतिशत है।

श्री वैको: क्या आप एक मिनट के लिए रुकेंगे?

श्री टी.आर. बालू: नहीं, मैं नहीं रुक रहा हूँ। आपको बोलने के लिए अलग से समय मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: संयुक्त मोर्चा सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाया था ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: मैं मान नहीं रहा हूँ ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: इस सरकार ने अपनी ओर से किसी चीज का दाम नहीं बढ़ाया है। इसीलिए उन्हें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं रुक नहीं रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी): सभापति जी, मैंने चेयर से कितनी बार आग्रह किया कि इन लोगों का सीट अलग अलग कर दिया जाये। किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

[अनुवाद]

वे दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब बैठ रहे हैं जोकि खतरनाक हो सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: कृपया विषय परिवर्तन मत कीजिए। यह देश में मूल्य-वृद्धि से संबंधित मुद्दा है ...*(व्यवधान)* इस सरकार ने मूल्यों को बढ़ाने के लिए अपनी ओर से कुछ नहीं किया है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ाए थे जिससे आम आदमी को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ...*(व्यवधान)* उन्हें सरकार की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, बाजार में उतार-चढ़ाव आए हैं। बाजार के उतार-चढ़ाव अत्यधिक असामान्य हो गए जो यह दर्शाता है कि सत्तासीन लोग कितने अक्षम है। यह सत्ता वर्ग के लोगों की गलती है।

महोदय, यह कौन लोग है? मुझे सफेद को सफेद कहने में कोई हिचक नहीं है। मेरे मित्र श्री सोमपाल, माननीय कृषि मंत्री और माननीय वित्त मंत्री यहाँ विराजमान है, मैं इनका अत्यधिक सम्मान करता हूँ। श्री राजो सिंह ने अभी यह सही कहा था कि यह नौकरशाहों के कारण, या हो सकता है, इस सरकार के कुप्रशासन या वाणिज्य मंत्रालय के कारण हुआ हो। मैं कुछ मंत्रालयों-वाणिज्य मंत्रालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ और उपभोक्ता मामलों संबंधी विभाग को जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा परन्तु मैं इस विषय पर कुछ देर बाद आऊँगा। मैं उनका एक के बाद एक उल्लेख करूँगा।

17 अगस्त को वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय के माध्यम से नेफेड से प्याज का निर्यात रोकने के लिए कहा था।

सायं 7.00 बजे

21 सितम्बर, 1998 को नेफेड ने एक सफेद कागज पर आयात के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप कनक्लुड कीजिए।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: यदि आप चाहें तो मैं अपना भाषण कल जारी रख सकता हूँ।

डा. शकील अहमद: महोदय, उन्हें कल बोलने दीजिए।

सभापति महोदय: कृपया एक-दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, 23 सितम्बर को उपभोक्ता मामलों संबंधी विभाग ने नेफेड को तब तक प्याज का आयात नहीं करने का निर्देश दिया जब तक उनसे कहा न जाए और कहा कि अन्यथा जो कुछ भी आयात किया जाए उसके लिए नेफेड जिम्मेदार होगा। यह उपभोक्ता मामलों संबंधी विभाग द्वारा कहा गया था। 24 सितम्बर को वाणिज्य मंत्रालय ने नेफेड को एक प्रपत्र में आयात के लिए आवेदन भरकर भेजने का निर्देश दिया ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: सभापति महोदय, सात बन गए हैं। अब सभा की कार्यवाही समाप्त कीजिए।

श्री टी.आर. बालू: 28 सितम्बर को नेफेड ने सादे कागज पर आवेदन पत्र तैयार किया।

कुछ माननीय सदस्य: महोदय, उन्हें कल अपना भाषण जारी रखने के लिए कहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री बालू का भाषण कल जारी रहेगा।

सभा की कार्यवाही शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1998 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 07.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1998/13 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।